योदश माला, खंड 33, अंक 24

सोमवार, 21 अप्रैल, 2003
1 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...55
Date 26/3/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 24, सोमवार, 21 अप्रैल, 2003/1 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कालम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य के विरुद्ध कथित रूप से आरोप लगाए जाने के बारे में	2–24
(दो) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खतरे के बारे में	483–492
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 422 और 423	24–40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 424 से 441	40–137
अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 से 4493	137–462
सभा पटल पर रखे गए पत्र	462–468
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	468–469
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
उनतालीसवां से चवालीसवां प्रतिवेदन	469
बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक—*पुरःस्थापित*	469–475
नियम 377 के अधीन मामले	504–509
(एक) महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ताहेगांव में काइनामाइट खदान में खनन कार्य पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे	504–505
(दो) गुजरात में बलसाड़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी	505
(तीन) मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	505–506

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कालम

(चार) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में लखीसराय में अशोकधाम से होकर रामगढ़ चौक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के बीच एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 506

(पांच) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरूणा नदी की गाद हटाए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल 506–507

(छह) बिहार में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 507

(सात) तमिलनाडु के रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोल्लीमलई पहाड़ियों में जल विद्युत परियोजना की स्थापना के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा 507–508

(आठ) म्युनिसिपल कारपोरेशन, चण्डीगढ़ में स्थानांतरित किए गए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 508

(नौ) केरल में तेल्लीचेरी में मेलूत रेल ऊपरिपुल का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम 509

बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन 509–511

अनुदानों की मांगें (रेल), 2003-2004 511–620

श्री के.एच. मुनियप्पा 513–517

श्री चिन्मयानन्द स्वामी 517–522

प्रो. ए.के. प्रेमाजम 522–527

श्री किरीट सोमैया 527–528

श्री रामजीलाल सुमन 528–531

डा. ए.डी.के. जयशीलन 532–533

डा. बी.बी. रमैया 534–536

श्री एच.डी. देवगौड़ा 536–538

श्री के. मलयसामी 539–543

प्रो. रासा सिंह रावत 543–548

विषय | कालम

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 548–552

श्री प्रभुनाथ सिंह 552–555

डा. महेन्द्र सिंह पाल 555–556

श्री त्रिलोचन कानूनगो 557–559

श्री खगेन दास 559–562

श्री ई. पोन्नुस्वामी 562–564

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल 564–569

श्रीमती जयश्री बैनर्जी 569–570

श्री सोमनाथ चटर्जी 570–575

श्री पुन्नू लाल मोहले 575–576

श्री संतोष मोहन देव 576–582

श्री पी.एस. गढ़वी 582–583

श्री के.के. कलिअप्पन 583–586

श्रीमती रेनु कुमारी 586–588

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 588–590

श्री पी. मोहन 590–592

श्री नीतीश कुमार 593–609

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2003—*पारित* 620–622

विचार करने के लिए प्रस्ताव 620

श्री नीतीश कुमार 620

खंड 2, 3 और 1 621–622

पारित करने के लिए प्रस्ताव 622

लोक सभा

सोमवार, 21 अप्रैल, 2003/1 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कोलकाता दक्षिण): महोदय, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 20,000 लोग नामांकन नहीं भर सके। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बहुत धांधली चल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का मामला बहुत गम्भीर है। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न $11.0^1/_2$ बजे

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नेता को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: मुझे स्थगन प्रस्ताव की गई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा लगाये गये कथित झूठे आरोपों के बारे में हैं। ये सूचनाएं श्री रामजीलाल सुमन, श्रीमती रीना चौधरी, श्री राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री राम विलास पासवान, श्री चन्द्रनाथ सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री सरोज तूफानी, श्री रघुराज सिंह शाक्य और श्री धर्म राज सिंह पटेल द्वारा दी गई है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे ये नौ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा है कि मैं कुमारी ममता बैनर्जी को बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सबसे पहले मैं उन सूचनाओं को पढूंगा। मैं सभा के जानकारी में उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लाना चाहूंगा जिनके बारे में मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, हमने क्वैश्चन आवर में सस्पेंशन का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य के विरुद्ध कथित रूप से आरोप लगाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे देश में ट्रक मालिकों की हड़ताल के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई है। मुझे, इसके बारे में श्री मलयसामी, श्री राधाकृष्णन और श्री सुरेश कुरूप से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मुझे विद्युतकरघा उद्योग में कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में एक अन्य सूचना प्राप्त हुई है। यह सूचना श्री एच.डी. देवगौडा ने दी है। श्री जायसवाल जी ने मुझसे अनुरोध किया है कि वह भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए मुझे बहुत से सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सभी मुद्दे लगभग एक जैसे हैं अत: मैं उनके नाम नहीं दोहराऊंगा। उन्हीं सदस्यों, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, ने प्रश्न काल को स्थगित करने और इस विषय को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं और 23 शून्य काल संबंधी सूचनाएं हैं। मैं सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर बोलने का मौका देना चाहूंगा। परन्तु, इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता, श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ टिप्पणियां करने की इच्छा व्यक्त की है और मैंने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम नहीं चाहते कि सदन स्थगित हो। यद्यपि हम सदन को स्थगित करा सकते हैं लेकिन हम श्री रामजी लाल सुमन और अपने अन्य साथियों से कहेंगे कि सदन स्थगित न हो। हम पूरे सदन से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे खिलाफ 13-14 अप्रैल की रात को कई वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों को कई जिलों में भेजकर, करीब 135 से लेकर 140 मुकदमें लिखे गये जिनका ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया और ज्यों की त्यों रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। आरोप यह है कि हमने विवेकाधीन नियमों का उल्लंघन किया है। हम इस बात में ज्यादा नहीं जाना चाहते इसीलिए आपके सामने हम अनुरोध कर रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में क्या हो, इसे अब पूरे सदन को तय करना पड़ेगा। आज अगर दिल्ली में कोई दल सत्ता में है तो वह कहीं विपक्ष में है। अगर यहां केन्द्रीय सरकार सत्ता में है तो उनके लोग कहीं विपक्ष में भी हैं। विपक्ष को हमेशा सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करने का सर्वाधिक अधिकार है। अगर उसकी समझ में कोई काम गलत लगता है तो उसकी आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। सरकार लोकतंत्र में उस आलोचना को बर्दाश्त करती है और अगर उसे सुधारती है तो उसकी छवि बनती है। अगर उसका बचाव करती है तो उसकी छवि खराब होती है। यही विपक्ष की भूमिका है। हमारे साथियों ने कुछ टेप दिखा दिया तो उसे लेकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने उसी दिन दिल्ली में 12/13 मार्च को कहा कि मैं दलित की बेटी हूं, श्री मुलायम सिंह यादव को सबक सिखा दूंगी और उनकी शेष जिंदगी जेल में बीत जायेगी। उन्हें जिंदगी भर जेल से बाहर निकलने नहीं दूंगी।

हम जेल जाने से नहीं डरते। आज केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप भी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहां कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी हैं, यदि बदले की भावना की यही परम्परा चल पड़ी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। 1980 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं है या राज्यपाल का शासन रहा है, जिस पर सी.ए.जी. ने टिप्पणी न की हो। उसे पूरा पढ़ कर देखें। इस तरह की धमकी देकर प्रतिशोध की भावना से हमारे और हमारे हजारों साथियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के सारे रपट के मामले में केवल इलाहाबाद के लोगों ने विरोध किया है। उनको कोई भी मुकदमा नहीं मिला तो 1932 के विशेष अधिनियम के अंतर्गत, जो हमारे बारह नेता हैं जिनमें श्री धर्म राज सिंह पटेल, सांसद भी हैं, दो लोग जवाहर सिंह एवं जोसलाल ऐसे हैं जो दो बार एम.एल.ए. रह चुके हैं, दोनों पार्टी के शहर और देहात अध्यक्ष हैं और शेष 60 अज्ञात केसेस दायर किए गए हैं। हजारों फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां कर जेल भेजा जा रहा है। उनमें कई संस्थाओं तथा कार्यालय के मैनेजर भी हैं। इसी तरह श्री अमर सिंह के लिए कहा गया कि यदि वह दुनिया के किसी भी कोने में मिलेंगे, उनको पकड़ कर जेल में डाल कर दिखा दूंगी। इस तरह के आचरण के चलते, इसमें कोई भी मुख्य मंत्री, कोई भी राज्यपाल, कोई भी प्रधान मंत्री अपने पद से हटने के बाद नहीं बेचेगा, जिस पर मुकदमा न चले और जेल न जाये। इन परम्पराओं का अतिक्रमण हो रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है। आज लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या हो, यह सदन को मिल कर तय करना है। हम इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते। हम परम्पराओं को कायम रखने के लिए आपसे केवल अनुरोध करना चाहते हैं और आपको खुद भी अनुभव है, आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय आप हस्तक्षेप करें आप स्वयं, प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर, श्री सोमनाथ चटर्जी और माननीय नेता विरोधी दल सोनिया गांधी जी, श्री शरद पवार, श्री विजय कुमार मल्होत्रा मिल कर फैसला कर लें। अगर हम अपराधी हैं, वैसे हम जेल जाने से जीवन में नहीं डरे, आप मेरा रिकार्ड देखें तो मुझे कितनी बार जेल में भेजा गया है लेकिन हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारे लोग खुद सोच रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला गया तो हमारा वोट बढ़ गया, लेकिन आज वोट का सवाल नहीं है, सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल विपक्ष की भूमिका का है। इसलिए हम पूरे सदन से अनुरोध करते हैं। ये सभी नेतागण जो फैसला करेंगे, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। हम अपने साथियों से कहेंगे कि सदन में शोर न करें, न ही सदन को बंद करवाएं। सदन हम बंद करवा सकते हैं, यह काम सरल है लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर गंभीरता से पूरे हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें। मेरी पूरे सदन के नेताओं से अपील और प्रार्थना है कि यह मामूली खतरा नहीं है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का सवाल है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और इसमें हस्तक्षेप करें।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में, मैं दो बार उत्तर प्रदेश गया हूं। आज लखनऊ से वापिस आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य नहीं है। वहां जो स्थिति है, मैंने कुछ दिन पहले देश के प्रधान मंत्री जी से मिल कर कहा था कि अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि दोष किसका है, किसका नहीं है लेकिन वहां जिस प्रकार शासन चल रहा है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वह अत्यंत दुखद और लज्जाजनक है। मेरे पास कुछ लोगों ने एक कागज दिया है। मैं उस कागज को आपके सामने नहीं रखना चाहता। एक बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने डेढ़ सौ लोगों का नाम लिख कर कहा है कि सारे एस.पी. इन लोगों के ऊपर मुकदमा बनाएं और जो मुकदमा नहीं बनाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या यह देश चलाने का रास्ता है? क्या यह देश को बनाने का रास्ता है? जिस तरह से वक्तव्य दिए जाते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। श्री अमर सिंह हों, श्री मुलायम सिंह हों, चाहे श्री अखिलेश सिंह हों, न केवल इनके बारे में बल्कि इनके मां-बाप के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके समर्थकों के बारे में जिस भाषा का प्रयोग वहां की मुख्य मंत्री कर रही हैं, मैं नहीं जानता कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वाले हमारे मित्र खुराना साहब और मल्होत्रा जी को उनका समर्थन कब तक प्राप्त रहेगा।

मैंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की। कल भी की थी। उसके पहले केन्द्र के नेताओं से बात की थी और सभी ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालत बिगड़ जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है कि मुलायम सिंह जी इस मामले में बहुत भले आदमी नहीं हैं और वह भी कर सकते हैं लेकिन इन्होंने और इनके साथियों ने इस समय जिस संयम का परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनको बिना बधाई दिये नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने अत्यंत संयम दिखाया है।

एक दिन में 150 मुकदमे मुलायम सिंह पर चलाए जाएं और वह भी यह कहकर कि मैं इनको जेल में भेजूंगी। अमर सिंह पर चलाए जाएं। जब तक राजा भैया की बात थी, यहां पर चर्चा होती थी लेकिन राजा भैया के घर वालों पर और उनकी बीबी को जाकर पुलिस के लोग धमकाते हैं और उनके जानवरों को लोग मारते हैं। एक जसवंत सिंह जी हैं। बचपन से मैं उनको जानता हूं। वह इनकी पार्टी के नही हैं, किसी और पार्टी के हैं लेकिन इनके समर्थक हैं। उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने आर्डर किया कि यह मुकदमा नहीं चल सकता। दूसरे मुकदमे पर उनको फिर कहा गया कि जहां भी वह मिले, उनको पकड़कर ले आओ। ये बातें अगर होती रहीं तो कब तक चलेंगी? मैं मुलायम सिंह जी से और नेता, विरोधी दल से बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज सरकारी पार्टी के लोग न जाने क्यों अपने को समझते हैं कि वे इस मेलजोल से बहुत सुरक्षित रहेंगे लेकिन आप लोगों ने इन लोगों को बढ़ाने का अवसर दिया है और उसका फल हम लोग भुगत रहे हैं। बबूल बोओगे तो आम का फल नहीं खाओगे। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और उनके नेताओं को बढ़ाया गया, वह कुछ अच्छा नहीं था। हमारे यहां कहा गया कि दलितों का इससे भला हो रहा है लेकिन दलितों का भला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि दलितों के लिए बुरे दिन का आह्वान किया जा रहा है। वहां गृह-युद्ध होगा। उसमें कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों की हत्याएं होंगी, मैं नहीं जानता।

यहां हमारे मित्र अजीत सिंह बैठे हैं। वह जानते हैं कि उनके इलाके में शांति रखना संभव नहीं हो पाएगा। यह केवल एक इलाके का सवाल नहीं है। आज सारे उत्तर प्रदेश में एक ज्योति, एक आग जलने के समान स्थिति पैदा हो गई है। वहां का अधिकारी चाहे आईएएस हो या पुलिस का कोई अफसर हो, अगर थोड़ा भी ईमानदार है तो यू.पी. में नहीं रहना चाहता। यहां गृह मंत्री जी नहीं बैठे हैं, उनके पास कितनी दरख्वास्तें आती होंगी कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली में आना चाहते हैं। मेरे पास रोज एक न एक अधिकारी आकर कहता है कि किसी तरह से हमको यू.पी. से मुक्ति दिलाइए। आज वहां के शासन में यह बात कही जाती है कि किस अफसर को जांच दी जाए।

कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी क्षत्रिय, यादव और मुसलमान को जांच का कोई काम न दिया जाए, ये लोग मुलायम सिंह जी के पक्षधर हैं—इस तरह से देश कैसे चलेगा, कैसे राज चलेगा? क्यों उत्तर प्रदेश में आज वहां की सरकार मौन है? क्यों केन्द्र की सरकार मौन है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता मौन हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थिति से परिचित हैं और रोज-रोज कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। वे रोज कहते हैं कि कुछ फैसला कीजिए। वहां रोज मीटिंगें होती हैं और निर्णय सरकार की तरफ है लेकिन इस निर्णय से एक बड़ा भारी खतरा यू.पी. में जो पैदा होगा, उसका असर दूसरी जगह भी पड़ेगा। याद रखिए कि आपके यहां भी भाषण दिया गया है कि शिन्दे दलित नहीं हैं, सही दलित को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा—इसका मतलब क्या है? यह संकेत क्या है? इसको आप समझ सकते हैं और इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग किया गया तो इस देश में और कुछ हो सकता है लेकिन जनतंत्र नहीं चलेगा, शांति नहीं रहेगी और सभ्य समाज के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव और पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर द्वारा व्यक्त की गई चिंता और खेद में शामिल होना चाहूंगा।

हम पिछले तीन-चार सप्ताह से उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे न केवल किसी नेता विशेष अथवा पार्टी विशेष बल्कि समग्र प्रशासन व्यवस्था, संवैधानिक पदों पर कार्यरत प्रतिष्ठित नेताओं चाहे वह मुख्य मंत्री हो अथवा राज्यपाल हो को भी सार्वजनिक अथवा जनता के हित में समय-समय पर सौंपे गए दायित्वों को निभाने के संबंध में भी काफी कठिनाई हो रही है। समाचार-पत्र पढ़ने के बाद मुझे सबसे अधिक धक्का इस बात से लगा कि राज्यपाल के संवैधानिक पद को छोड़ने वाले व्यक्ति पर भी इसी प्रकार की धारा लगाने की कोशिश की जा रही है।

महोदय, पिछले कुछ दिनों में मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं और अन्य लोगों के संबंध में जो हुआ वह अगले दिन हमारे साथ भी हो सकता है। खौफ का वर्चस्व, संवैधानिक तंत्र को खतरा, देश में विशेषकर विपक्ष के प्रति हमारे लोकतांत्रिक कार्यकरण की सभी सीमाओं—सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक समझबूझ का उल्लंघन चौंकाने वाली बात है। अत: महोदय, मैं भी इस मानसिक व्यथा में शामिल होकर आपसे निवेदन करता हूं कि न केवल ऐसी घटनाओं को निरुत्साहित किया जाये बल्कि इसकी सामूहिक रूप से भर्त्सना भी की जाये। हमें इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

महोदय, मुझे स्मरण आता है कि इस सभा में विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि जब मैंने तेरहवीं लोक सभा में प्रवेश किया था, तब राजनीतिक उत्पीड़न का दौर था और हमारे सामने एक विचित्र स्थिति बन गई। यहां तक कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, जो दिवंगत हो गए हैं, का नाम भी आरोप-पत्र के दूसरे कालम में रखा गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह का राजनीतिक बदले का खेल क्यों चल रहा है।

आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ—क्षमा चाहता हूं कि खतरे की घंटती बज रही है—यह सिर्फ प्रतिष्ठान में खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए है। उन्होंने देश में सभी प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग किया है। आज उनके साथ यह हो सकता है कल ये बात आपके साथ भी हो सकती है। अत: महोदय हम उस प्रणाली का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हम यह आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस बात को समझेगा और भविष्य में ऐसे मामले की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विनम्रता और गम्भीरतापूर्वक इस सम्माननीय सभा के समक्ष संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण से संबंधित बातों को पूर्णत: समर्थन दे रहा हूं। इस प्रणाली को हमारे पूर्वज जो हमारे संविधान निर्माता थे, ने सभी शासन प्रणालियों के गहन अध्ययन के बाद देश के लिए इस प्रणाली को चुना था।

अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में तो यही बात आती है कि वर्तमान मुख्यमंत्री—यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो—लगभग एक वर्ष से इस पद पर हैं और ये एकाएक हुई घटनाएं कुछ टेपों के खुलासा होने के तुरन्त बाद हुई थी। अत:, इसमें बदले की भावना है, न कि अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दंड देने अथवा किसी कानून अथवा विधिक प्रणाली को लागू करने का प्रश्न नहीं है।

महोदय, यह स्पष्टतया झूठा मामला बनाकर बदला लेने का मामला है। हमें यह देखना चाहिए कि इस समय मामलों का आधार हमारी उस लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति अत्यल्प सम्मान दर्शाता है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए बनाया है।

महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। इस सभा का प्रत्येक सदस्य अत्यधिक सम्मानित सदस्य हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पद पर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में भी, जो हमारे देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, अपने अनुभवों के आधार पर इस सभा का मार्ग दर्शन कर पाएंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, बदले की नीति अथवा राजनीति का प्रयोग कैसे समाप्त हो। हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश में कई समस्याएं हैं। यहां गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी की समस्या जैसी कई समस्याएं हैं। राजनीति में बदले की प्रवृत्ति की अपेक्षा ऐसी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाये।

अत: महोदय, मैं सभी नेताओं से इसका समाधान ढूंढने का अनुरोध करता हूं। हम सभी इस प्रयोजनार्थ यथासंभव समाधान ढूंढने, यदि आवश्यक हो, तो आचार संहिता बनाने में भी किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए निश्चित रूप से तत्पर रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। हर राज्य में कोई-न-कोई पार्टी विरोध पक्ष में है या सत्ता पक्ष में है और यहां दिल्ली में भी यही हाल है। यह मामला केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अभी चन्द्रशेखर जी ने अपनी बात कही। श्री जसवन्त सिंह मेरी पार्टी के हैं, जो पहले मिनिस्टर थे और पालियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन उनको और उनके परिवार के लोगों को

यातनायें दी जा रही हैं। हमारी पार्टी के एक अन्य सदस्य श्री धनन्जय सिंह हैं, उनको भी जेल में बंद किया हुआ है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी की सारी चीजें देश को कहां ले जायेंगी।

यह सारा मामला विवेकाधीन कोटे से संबंधित है। विवेकाधीन कोटा प्रधान मंत्री जी के पास भी है। हम लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोगों की समस्याओं को देखते हैं और विवेकाधीन कोटे से समस्याओं को हल करते हैं। अगर कल कोई सरकार आ जाए और वह प्रधान मंत्री जी के खिलाफ केस खोलना शुरू कर दे, तो वह कहां तक उचित होगा। आज तक इस सदन की ऐसी परम्परा रही है। प्रधान मंत्री जी की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई मंत्री भी अपने विवेकाधीन कोटे से अलग से कुछ देता है तो जब कोई दूसरा मंत्री आता है, तो वह अननैसेसिरिली ऐसे मामलों को नहीं देखता है, जब तक कि उसके खिलाफ संसद में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाए। इस तरीके से मरे हुए मुर्दों को उखाड़ना, मैं समझता हूं कि यह लोकतन्त्र के लिए खतरा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें इराक से सबक लेना चाहिए, जो कुछ इराक में हो रहा है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे बगल के देशों में जो कार्रवाई चल रही है, उसे भी देखना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बीएसपी या मायावती जी कोई दलितों की स्पोक्समैन नहीं हैं और न ही केवल दलितों की नेता हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर उनको दो सीट भी मिलने वाली नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 प्रतिशत शैड्युल्ड कास्ट्स पोपुलेशन है और किसी भी सीट पर 900 या 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। इसलिए यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि उनके द्वारा डंका बजाने से महाराष्ट्र में दलित नेता शिन्दे जी नहीं बनेंगे और वे वहां जायेंगी, तो वे दलित नेता बन जायेंगी। यह बकवास है। हमको इस बात की चिन्ता नहीं है और न ही दलित इतने मूर्ख हैं। वे सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में टीवी पर जो स्टेटमेंट आता है, वह सारे का सारा मामला विकास से संबंधित नहीं है। वहां प्रतिद्वंद्वियों से रिवेंज लेने के लिए लोकतन्त्र को तहस-नहस करने का काम किया जा रहा है। यह मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने कल श्री कलराज मिश्र जी का बयान पढ़ा है, राजनाथ सिंह जी का भी बयान पढ़ा और दिल्ली के तमाम नेताओं के बयान पढ़े हैं। उसके बावजूद भी सत्ता से चिपके रहने के लिए और यह सोचकर कि भविष्य में हमें वोट मिलेंगे या नहीं, इस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, मल्होत्रा जी, यह बहुत खतरनाक खेल है। आग से खेलने का काम मत कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): कल तक आप क्या करते रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: इसीलिए मैंने छोड़ दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां बैठा हूं। मैं विषय को देखूंगा। इसके बाद राशिद अलवी जी को इजाजत देने वाला हूं।

श्री राम विलास पासवान: मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं। श्री जसवन्त सिंह पहले बीएसपी में थे और मिनिस्टर रहे हैं। कल अगर इनके साथ कोई दुर्गति हो जाए, तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। 90 प्रतिशत एमएलए या एमपी जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह हमको और आपको, सबको मालूम है। इसलिए ऐसे तत्वों को ज्यादा प्रोटैक्शन देने का काम आज मत कीजिए।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है और न ही सरकार का मामला है। यह मामला सिद्धान्त का है और भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार को समर्थन दे रही है। कल आप इस बात से उऋण नहीं हो पायेंगे। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। सचमुच वहां लोकतन्त्र खतरे में है। बदले की भावना से कार्रवाइयां की जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वहां कानून का राज नहीं है। बरसों पहले के मामलों पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो शायद मुलायम सिंह जी और अमरसिंह जी सदन में उपस्थित भी नहीं होते। इसलिए जो सरकार केन्द्र में है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह देखे, देश में लोकतन्त्र बचेगा या नहीं। इस तरह से तालमेल करके विपक्ष को रौंदवाने का काम चलने वाला नहीं है। यह सदन मौन नहीं रहेगा, मूक नहीं रहेगा। लाखों कुर्बानियां देकर देश में लोकतंत्र लाने का काम हुआ है। कोई भी सत्ता जनता के बल पर विपक्ष को रौंद नहीं सकती है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं।

इस तरह की लड़ाई बढ़ेगी तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, जनता आपको उखाड़ कर फेंक देंगी। अभी एनडीए वाले उधर बैठ कर सारी बातें सुन रहे हैं। क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। धारा 355 किसलिए है? वहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है और उसकी धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। सवाल बार-बार उठ रहे हैं।

''केशव कहीं न जात क्या कहिए, देखत सृष्टि रचना विचित्र
अति समझी, मन ही मन रहिए''

इसलिए महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप लोकतंत्र के प्रहरी और संरक्षक हैं तथा सदन के गार्जियन हैं। इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, विपक्ष को रौंदा न जा सके और संविधान तथा मर्यादा की रक्षा हो, इसके लिए सदन से सवाल उठना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इनकी विदाई की तैयारी होनी चाहिए जिसे हम लोगों ने शुरू कर दिया है।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): बिहार में क्या हो रहा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में लोकतंत्र का जन्म हुआ था—"वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे खोजता देश आज, उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक, एक क्षण मिट्टी का शीश नवाओ, राजसिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ।" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां बिहार के बारे में चर्चा नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब ठीक तरीके से चर्चा चल रही है तो आप माहौल क्यों खराब कर रहे हैं?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हम लोग एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जिस शांति से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और हमने उन्हें सुना, कृपया वे हमारी बात को भी सुन लें। हमें इस बात को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो? कोई सरकार बदल जाए और उसके बदलने के बाद पहले के लोगों के खिलाफ बिना कारण कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाए यह चल नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देश के 14 राज्यों में आज एक पार्टी की सरकार है और कुछ राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ऐसा होने लग जाए और जो भी नया मुख्यमंत्री आए, वह सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो देश में ऐसा चलना कठिन है। यह ठीक बात है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सभी बड़े नेता बैठ कर इस बारे में एक कोड आफ कंडक्ट बनाएं और कोई चीज तय कर लें। जैसा सोनिया जी ने भी कहा था कि—हम अपना विचार अपने स्थान के आधार पर बनाते हैं। अगर हम आपोजिशन में बैठ कर एक बात करते हैं और सत्ता में रहते दूसरी बात करते हैं तो यह ठीक नहीं है। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह काम शुरू नहीं किया था? जिस दिन वह पंजाब के मुख्यमंत्री बने, उसी दिन उन्होंने कहा कि जितने मेरे से पहले मंत्री और आपोजिशन के एमएलए हुए हैं, उनके खिलाफ इनक्वायरी शुरू कर दी जाए। ...*(व्यवधान)* मैंने आपको बोलने से रोका नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): पंजाब में अकाली दल के मंत्री जेलों के अन्दर हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस मामले की पंजाब से तुलना करना बेइंसाफी होगी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने पहले दिन बयान दिया कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब दुनिया में कहीं भी होंगे, मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। वह उनकी गिरफ्तारी का बयान रोज दे रहे थे। उस समय कांग्रेस का कोई मैम्बर क्यों नहीं बोला? मैंने उस समय भी कहा था कि अगर यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: मुल्क में संविधान है। यदि बादल साहब ने सारे प्रदेशों में जायदाद बढ़ायी तो इसकी वहां के मुख्यमंत्री तहकीकात करेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने ऐसे बीसियों बार बयान दिए और इसके बाद कहा कि मैं बीजेपी के सभी मिनिस्टरों को पकड़ूंगा। यह बात सिद्धांतत: गलत है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसे पकड़िए या दूसरी कोई चीज है तो स्पैसिफिक केस लाइए। उसे जनरलाइज करना और यह कहना कि सब के खिलाफ इनक्वायरी और टोटल विजिलैंस की इनक्वायरी करायेंगे, यह सही तराकी नहीं है। यह कौन सा तरीका है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोल सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: जब यह बात शुरू की गई थी, मैंने उस समय भी यह कहना था और मैं फिर उसे दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में किया, वह ठीक बात नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह सिद्धांतत: गलत बात है, लेकिन अगर केन्द्र सरकार सभी आपोजिशन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू कर दें जैसे पंजाब में की जा रही है तो कैसे लगेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: अगर सारे देश को लूट लिया जाए तो क्या उसकी इनक्वायरी नहीं होगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बराड़ जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, वे सभा का ध्यान बांटने और इस मुद्दे के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहिए। यदि वे पंजाब की बात कर रहे हैं तो हम भी कई अन्य बातें उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप सही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सारे देश में ऐसे ही होगी? माननीय चन्द्रशेखर जी ने बात बिलकुल ठीक कही कि अगर देश में ऐसा होगा और यदि देश कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तो क्या देश के अंदर सिविल वार करनी है या क्या करना है- ऐसी स्थिति पर हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। क्या यहां पर नौ-नौ मन तेल की लाठियां भांजी जायेंगी, लाठियां तैयार करके सब से कहा जायेगा कि लाठी लेकर मैदान में निकल आइये, लाठी लेकर बी.जे.पी. को भगाओ, उन्हें मार डालो, इस तरह के नारे लगाये जायेंगे। क्या 40-40 मन की लाठियां एकत्र करके कहा जायेगा कि मैदान में निकल आओ। अध्यक्ष जी, यह बात सब पर एक जैसी लागू होनी चाहिये। ऐसा न हो कि एक तरफ हम तय कर दें और दूसरी तरफ ऐसा ही चले। यहां दिल्ली में लम्बी तलवारें निकाल कर बांटी जायें और दूसरी तरफ अगर कहीं कुछ इंच के त्रिशूल बांटे जायें तो उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया जाये—ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, हम प्रवीण तोगड़िया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, श्री सोमनाथ जी ने जो बात कही, मैं उससे समहत हूं परन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि 20 हजार आदमियों को पुलिस की मदद से नोमिनेशन न भरने दिया जाए, नोमिनेशन न भरकर, यह कह दें कि ठीक है, क्या इस तरह से वहां जनतंत्र चलेगा?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): पार्लियामेंट को इस तरह से मिसलीड नहीं करना चाहिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इन्होंने जो सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं कि प्रधान मंत्री जी सभी प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाकर इस बात पर चर्चा करें कि विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से वहां मुख्य मंत्री काम करें। इस बारे में एक कोड आफ कंडक्ट बना दें तो ठीक होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं पर हमारे पास सीमित समय है। मुझे प्रश्न काल भी शुरू करना है। मैंने इस विषय के लिए आधा घंटा समय निर्धारित किया है। श्री राशिद अलवी इस मुद्दे पर बोलने वाले आखिरी वक्ता होंगे।

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री एच.डी. देवगौडा: हां।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के दो सदस्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गिरफ्तार किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वाद के मामले को छोड़कर कोई अन्य मामला उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी के वक्तव्य को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं पूरे देश के किसी दूसरे विषय पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

वह विषय सदन के समक्ष अलग से विचार किये जाने के लिए है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, जिस तरह खामोशी के साथ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य युद्ध-विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, परन्तु उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे को किसी अन्य प्रावधान के तहत उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, मैं बोलने से पहले दरख्वास्त करूंगा कि जिस खामोशी के साथ हमने सब की बात सुनी है, उसी तरह मेरी बात भी सुनी जाये। अगर किसी को कुछ कहना है, वह मेरे बाद कह सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अगर मैं इजाजत दूंगा तो वह कह सकेगा।

श्री राशिद अलवी: हां, अगर आप इजाजत देंगे।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप कोई निर्णय देंगे तो मेरे लिये कठिन होगा।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि किसी पब्लिक मीटिंग में किसी ने क्या बोला है, उसका डिसकशन भी इस हाउस में हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मायावती जी ने कहा कि दलित चीफ मिनिस्टर होना चाहिये, क्या उन्हें यह कहना चाहिये कि फलां-फलां चीफ मिनिस्टर होना चाहिये। पासवान जी ने अभी कहा कि क्या रैली का डिस्कशन हाउस में हुआ करेगा। आप अपनी पार्टी में जो बोलना चाहते हैं, बोलिये, हमने लोक सभा में आकर कभी नहीं कहा कि पासवान जी ने अपनी रैली में यह बोला। क्या आपको कुछ भी बोलने की इजाजत है।

श्री राम विलास पासवान: हमने रैली की चर्चा नहीं की।

श्री राशिद अलवी: बगैर नाम लिये आपने वही कहा। रहा सवाल यू.पी. में बदले की भावना का, कहा जा रहा है कि वहां अनकांस्टीट्यूशनल काम हो रहे हैं। खुद मुलायम सिंह जी ने अभी कहा कि कोई मुख्य मंत्री, कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं है जो रूल को पढ़कर फैसला करता हो। इसका मतलब रूल को तोड़ा गया है, अनकांस्टीट्यूशनल काम कहां से हो गया। जिस्म पर लगे हुए जख्मों को अगर छुआ जाए तो तकलीफ होती है। इस हाउस में आप देखिये, सिर्फ यू.पी. की बात आप कर रहे हैं, यहां कोई वैस्ट बंगाल की बात करता है तो उधर से लोग खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं, वहां ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य नहीं है कि जिसके बारे में आप इस तरीके की बात करें। मेरे पास पूरी फाइल है जो यू.पी. की मुख्य मंत्री जी ने खुद मुझे भेजी है। मैं डिटेल में कहना नहीं चाहता और इसलिए नहीं कहना चाहता कि जब श्री मुलायम सिंह जी ने खुद यह बात हाउस में मान ली कि रूल्स को देखकर फैसले नहीं होते, अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि मुख्य मंत्री मायावती जी भी आंखों को बंद करके, बगैर रूल्स को देखे, बगैर नियमों को देखे, इसी तरह काम करें तो कम से कम उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ऐसा करने वाली नहीं हैं। पिछले मुख्य मंत्रियों ने क्या किया, यह वे जानें, लेकिन मैं इस हाउस को अपनी पार्टी तथा अपनी मुख्य मंत्री की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गैरकानूनी काम नहीं होगा। शासन कोई फैसला नहीं करने वाला कि मुलायम सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वह तालकटोरा हाल में बड़ी-बड़ी तलवारें दिखाकर बदले की भावना का इजहार करें। जो कुछ तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, तलवारें हाथ में लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं इस हाउस को यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से कुछ नहीं होगा। जो अदालत फैसला करेगी, उसके फैसले के मुताबिक होगा। अदालत कहेगी कि गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी होगी और अदालत कहेगी कि गिरफ्तारी नहीं होनी है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम हिन्दुस्तान में कुछ नहीं हो सकता है।

इस हिन्दुस्तान में कितने पोलिटीकल लोग गिरफ्तार हुए। श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर वाइको तक, क्या किसी ने जुबान निकाली।

आज भी श्री वाइको बंद हैं। वहां क्या अनकांस्टीट्यूशनल काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अनकांस्टीट्यूशनल काम नहीं हुआ है। सिर्फ एक काम उत्तर प्रदेश में हुआ है कि 54 सालों में पहली बार दलित की एक बेटी मजबूती के साथ राज कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात तो सच है कि वह दलित की बेटी है। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मैं यह बात जरूर मानता हूं कि जब चोट लगती है, जख्म लगता है तो तकलीफ होती है। मैं इस हाउस में जख्मों पर लगे हुए खुरंट को उखाड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुरंट उखड़ेगा तो उसमें खून भी बहेगा और पीप भी बहेगी तब उस बहते हुए खून को न आप देख पायेंगे और न मैं देख पाऊंगा। बहती हुई पीप को न आप देख पायेंगे और न मैं देख पाऊंगा। लेकिन मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है। मैं इस खुरंट को हाउस में उखाड़ना नहीं चाहता।

आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि वहां कोई अनकांस्टीट्यूशनल काम नहीं होगा। कानून के विरुद्ध काम नहीं होगा। आप खौफजदा न हो, आप डरें नहीं। बेखौफी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आराम से रहें। हां, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं या जिन्होंने कानून तोड़ा है, उन्हें खौफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा और जो भी कौई फैसला होगा वह अदालत की मर्जी से होगा, बगैर अदालत की मर्जी के नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजंगज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मेरी जान को खतरा है, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा इश्यु भी है। पूरे देश में आज करोड़ों बुनकर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने के कारण बेरोजगार हो गये हैं, करोड़ों बुनकर भूखों मर रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप उस पर व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे सामने बहुत से एडजर्नमैन्ट मोशंस थे और मैं हर एडजर्नमैन्ट मोशन के ऊपर चर्चा नहीं दे सकता। लेकिन मुलायम सिंह जी के बारे में जो एडजर्नमैन्ट मोशन यहां आया है, उसके बारे में इस सदन में बात चल रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): इसी सवाल पर हम लोगों ने भी शून्य काल में नोटिस दिया है। अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको मना तो नहीं किया है। आप बैठिये। आप ऐसे ही गुस्सा करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? इसका कोई दूसरा कारण हो तो मुझे अंदर आकर बताइए। देखिये, बात ऐसी है कि एक विषय पर अच्छी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने अपना-अपना मत रखा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी राशिद अलवी जी ने अपना मत यहां रखा है। मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद इस विषय पर और चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन बार-बार खैरे जी और प्रभुनाथ सिंह जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। एक-एक मिनट मैं आपको देता हूं और यह विषय समाप्त करके मैं दूसरा विषय लूंगा। देवेगौडा जी को मैं समय जरूर दूंगा। वह अंत में बोलेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, राजनीति में बदले की भावना से अगर कोई राज करता है तो बहुत बुरी परिस्थिति का निर्माण होता है और उत्तर प्रदेश में यह सब हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का शिव सेना प्रभारी होने के नाते से 17 तारीख को वहां गया था। मैंने वहां देखा, जैसा पहले से ही मालूम था कि 136 केसेज मुलायम सिंह जी पर डाले गए हैं। मैंने याद दिलाया कि इंदिरा जी के समय में जब इमरजेन्सी लागू हुई थी, उसके बाद फिर जनता पार्टी आई, जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की सारी बातें करने में अपना समय गंवाया। उसके ढाई साल बाद जनता पार्टी की सरकार भी चली गई। अपने देश में यह सब चलने वाला नहीं है।

आदरणीय मल्होत्रा जी ने कहा कि इसके लिए एक संहिता बननी चाहिए और सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर एक संहिता बनानी चाहिए। हमारे कानपुर के शिवसैनिक को पुलिस कस्टडी में मारा गया और ऐसे कई शिव सैनिकों पर वहां हमले होते रहे हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते रामजी के दर्शन करने अयोध्या गया था तो क्या रामजी के नाम का उद्घोष करना गलत बात है? मुलायम सिंह जी से मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर भी एफ.आई.आर. दाखिल किया गया है। यह तो बहुत बुरी बात है। हम लोग तो निपट लेंगे, हम शिव सेना वाले हैं। ...*(व्यवधान)* यह अभी परसों की बात है। राम मंदिर की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ जितने शिव सैनिक थे, राज्य प्रमुख थे, उनके ऊपर एफ.आई.आर. दाखिल किया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कई केसेज हिन्दुत्व के लिए लेने वाले हैं। जो हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में कहा है, उसके लिए मैंने जीरो आवर में एक नोटिस दिया है। हमारे मित्र पक्ष तो लेंगे ही, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा क्योंकि हम हिन्दुत्व के पक्ष में बोलने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है। वहां की एक-एक घटना की जानकारी हमें होती रहती है चूंकि वहां हमारी रिश्तेदारी वगैरह है। आदरणीय मुलायम सिंह जी और चन्द्रशेखर जी ने जिन तथ्यों को हमारे सामने रखा है, मैंने उनसे अपने को संबद्ध करते हुए सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, पहले से ही हम राजनीतिज्ञों के प्रति देश की जनता के मन में संशय बना हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के कारनामों की बदौलत आज पूरे देश में एक-एक राजनीतिज्ञ शंका की निगाह से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने देवी-देवताओं के संबंध में जिस ढंग की टिप्पणी की है, उससे एक वर्ग विशेष को ठेस लगी है। अध्यक्ष महोदय, जो पोटा का कानून बना हुआ है, वह इसीलिए बना है कि जो आतंकवादी होंगे, जिनके द्वारा आतंक मचाया जाएगा, उन पर यह कानून लागू किया जाएगा। हम यह मानकर चलते हैं कि आज देश में*....इसलिए इस कानून का इस्तेमाल अगर होना चाहिए, तो उन्हीं पर होना चाहिए।

श्री राशिद अलवी: क्या इस तरह की बातें कहने की इजाजत दी जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत से उस वाक्य को निकालता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: क्या कैसेट्स की चर्चा होगी? ...*(व्यवधान)* निक्सन के खिलाफ इंपीचमेंट हुआ था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा जो हमारे सहयोगी द्वारा उठाया गया है और पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का मामला किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं बल्कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे सदन द्वारा विचार किया जाए।

महोदय, वह 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री सत्ता में आए जिसमें कुमारी मायावती भी शामिल हैं। तत्पश्चात्, राज्य में भा.ज.पा. का शासन रहा। दस वर्षों के अंतराल बाद पुलिस मशीनरी का उपयोग अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों का खात्मा करने के लिए किया जा रहा है। महोदय, अगर ऐसा किया गया तो पूरी प्रणाली ही समाप्त हो जाएगी। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। हम पूर्व की कई घटनाओं का उदाहरण दे सकते हैं जो विभिन्न राज्यों में घटित हुई है। यह मुद्दा नहीं है। दस वर्षों के अंतराल के बाद बनाए गए नियमों में परिवर्तन का हवाला देते हुए मैं उसके गुणों और अवगुणों के बारे में प्रश्न नहीं उठाना चाहता—चार या पांच मुख्यमंत्रियों के सत्ता में आने और चले जाने के बाद अब श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 140 मामले दायर किए गए हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह मुलायम सिंह यादव, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं, को क्षति पहुंचाने के इरादे से किया गया है। इस बारे में मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मैं इसके पीछे छुपे उद्देश्यों की चर्चा नहीं करना चाहता। इस मामले पर पूरे सदन द्वारा विचार किया जाना चाहिए। बहुत हो चुका। हम पूर्व के कई उदाहरणों का हवाला दे सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कम से कम उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री विनय कटियार ने इसकी निंदा की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 140 मुकदमे दायर किए जाने के बारे में अखबारों में पढ़ा है।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएं और एक आचार संहिता बनाएं। राजनीतिक दल सत्ता में आ सकते हैं और सत्ता से बाहर हो सकते हैं। कोई भी इस पद पर स्थायी रूप से नहीं रहने जा रहा है। परंतु कम से कम हमें अपनी प्रणाली को बचाने के लिए एक आचार संहिता अवश्य बनानी चाहिए ताकि इस देश में लोकतंत्रीय प्रणाली का अस्तित्व बना रह सके।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: सर, मैं सभी पालीटिकल पार्टीज से अपील करती हूं और कहना चाहती हूं कि मैंने सब न्यूज बहुत अच्छी तरह से सुने हैं। मैं दो-चार बातें कहना चाहती हूं। मैं अपील करूंगी की मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनें। यहां इस विषय पर जो आल पालीटिकल पार्टीज के लीडर्स ने डिसकस किया है, उसके अनुसार एक डिसीजन लेना जरूरी है कि हर पालीटिकल लीडर की भावना क्या है, हर स्टेट में लोकतंत्र को स्ट्रेंग्थन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस बारे में मल्होत्रा जी ने जो ओपीनियन दिया है, मैं उससे सहमत हूं।

यू.पी. में, राजस्थान में, पंजाब में या इस देश में जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी में अगर किसी को कुछ कहना है, तो मैं जिस स्टेट से आती हूं, उसमें और हर स्टेट में भेद नहीं होना चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मुलायम सिंह जी के प्रति हम राजनीतिक लोगों के दिलों में बहुत इज्जत है। ऐसी इज्जत बहुत सारे लीडर्स के प्रति होती है। राजनीति में पालीटिकल डिफरेंसेस होते हैं, आयडियोलौजीकल डिफरेंसेस होते हैं, पालीटिकल आउटलुक का डिफरेंस हो सकता है, पालीटिकल एटीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं सत्ता में आ गई हूं इसलिए जो अपोजीशन है उसे स्टेट से निकाल दूं, जला दूं या डैमोक्रेसी को खत्म कर दूं, यह कभी नहीं चल सकता है।

[अनुवाद]

यही कारण है कि मैं इस संबंध में विशेष रूप से अपने राज्य में भी केन्द्र का हस्तक्षेप चाहती हूं। वहां पर क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

मैं आल पालिटीकल लीर्डस को अपील करती हूं कि अगर किसी स्टेट में हमारे ग्रास-रूट लेवल के चुनाव हैं, 40 प्रतिशत सीटों में कोई पार्टी पुलिस और कैडर लेकर नोमिनेशन नहीं देने देती है, फाइलिंग आफ नोमिनेशन नहीं करने देती है, जब कोई एस.टी. की महिला नोमिनेशन फाइल करने के लिए जाती है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जंगीपुर, हुगली डिस्ट्रिक्ट में नेकेडली परेड किया। ...*(व्यवधान)* नोमिनेशन नहीं देने दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): ये झूठे और आधारहीन आरोप हैं। वे किसी भी स्थान पर जाकर उसे साबित करें। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। वह सदन को गुमराह कर रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल कुमारी ममता बनर्जी के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: हम हाउस को मिसलीड नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारा यू.पी. के बारे में स्टैंड है।

[अनुवाद]

हम पश्चिम बंगाल में भी यही रुख अपनाएंगे। महाराष्ट्र में भी हम वही रुख अपनाएंगे। अन्य राज्यों में भी हम वही रुख अपनाएंगे। यहां पर वे कुछ कह रहे हैं परंतु जब वे सत्ता में होते हैं, वे कुछ और ही करते हैं। यह दोहरा खेल रोका जाना चाहिए। यह आडंबर रोका जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आपने पुलिस को पीटा है। आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था परंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी, कृपया अपनी बात पूरी करें।

कुमारी ममता बनर्जी: मैंने इस मुद्दे को क्यों उठाया? वे मुझे मारना चाहते थे। ...*(व्यवधान)* मैं अस्पताल में थी। मैं मरने की स्थिति में पहुंच गयी थी। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अपोजिशन वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं मरणासन्न थी। वे इन सभी बातों को भूल गए हैं। मेरे शरीर की हड्डी-पसलियां चकनाचूर कर दी गई थी। उन्होंने मुझे कई बार पीटा। वे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं भी कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकती हूं। महोदय, वे उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने अपना और अपने पिता का नाम बदला है ...*(व्यवधान)*। मैं कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक दूसरा मुद्दा है। कृपया बैठ जाएं। आप इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान फिर से उठा सकते हैं। मैं 'शून्य काल' के दौरान आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मैंने किसी को परेशान नहीं किया ...*(व्यवधान)*। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं शांतिपूर्वक इन सब बातों को सुन रहा हूं। किसी बात की कोई सीमा भी होनी चाहिए। हम इन सबका पूरी तरह से खंडन करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, वे मना कर सकते हैं। उन्हें बोलने दिया जाए *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मेरे राज्य के तथा राष्ट्रीय स्तर के अखबारों की कटिंग मैं आपको दे रही हूं। प्रेस और मीडिया में इस बारे में लिखा गया है। सभी दस्तावेज मौजूद हैं *...(व्यवधान)* मैं आपको बता रही हूं कि 40% से अधिक सीटों पर उन्होंने हमें नहीं लड़ने दिया *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): इन्हें कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी, आप इस मुद्दे को पुन: 'शून्य काल' में उठा सकती हैं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे प्रश्न लेने हैं। प्रश्न काल के बाद मैं आपको अनुमति दे दूंगा। प्रश्न सं. 422—प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, पूरे देश में करोड़ों बुनकर बेरोजगार एवं भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* आपको हमें बोलने का मौका जरूर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगा।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, इस पर व्यवस्था क्या हुई?

[अनुवाद]

इस पर आपका क्या विनिर्णय है? आपने प्रत्येक नेता की बात सुनी, किंतु इस पर आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर बैठक करने का अनुरोध किया है। अब निर्णय प्रधान मंत्री को लेना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी सूचनाओं के लिए मना कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको इजाजत जरूर दूंगा।

डा. बलिराम।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पशुओं संबंधी प्रयोगों का पर्यवेक्षण

***422. +डा. बलिराम:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुओं संबंधी प्रयोगों के पर्यवेक्षण हेतु पुनर्गठित समिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रेष्ठ प्रयोगशाला कार्य पद्धति हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार से पशु-शालाओं का पंजीकरण कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके लिए स्वीकृति हेतु ऐसे कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) 15 फरवरी, 2003 को हुई उक्त समिति की बैठक में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल में नई दिल्ली में अनुसंधान और शिक्षा कार्य में पशुओं पर किए जा रहे प्रयोग के विकल्प के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(च) यदि हां, तो उसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या निकला;

(छ) क्या सरकार का विचार पशु और पक्षियों के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी कतिपय कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसंधान और शिक्षा कार्य में पशु और पक्षियों पर प्रयोग रोकने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का पुनर्गठन 10 जनवरी, 2003 को किया गया था जिसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेष सचिव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, भारत के महा-औषध नियंत्रक, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में कार्यरत विख्यात गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 18 सदस्य सम्मिलित थे। समिति के सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति ने उत्पादों के जैव-चिकित्सीय अनुसंधान और परीक्षण में प्रयुक्त पशुओं की गुणता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा उनके प्रति मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला पशु-सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं।

(ग) वर्ष 2001 में यथा-संशोधित पशु प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण) नियमावली, 1998 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सदस्य-सचिव अथवा इस संबंध में समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किया जाना होता है जो आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ऐसी स्थापना अथवा प्रजनक का पंजीकरण करेगा। वर्तमान में पंजीकरण के 22 आवेदन निकासी (क्लीयरेंस) के लिए लंबित पड़े हैं।

(घ) पशुओं पर प्रयोग एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति ने 15 फरवरी, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। प्रमुख मुद्दे बड़े पशुओं संबंधी उप समिति (एस सी एल ए) के कार्य कलापों की जांच करने, टिशु कल्चर एन्टी रैबीज वैक्सीन (टी सी ए आर वी) के उत्पादन के परिवर्तन की प्रगति, एन्टी स्नेक वैनम सिरम (ए एस वी एस) के उत्पादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले घोड़ों की उच्च आयु को शिथिल करने, संस्थागत पशु आचार समिति (आई ए ई सी) में सी पी सी एस ई ए के नामित व्यक्तियों का चयन करने के लिए मानदण्ड तैयार करने और पशु घरों का निरीक्षण करने, प्रयोग आदि करने के लिए पशुओं के आयात से संबंधित पहलुओं से संबंधित थे।

(ङ) और (च) जी, हां। अनुसंधान और शिक्षा में पशुओं के उपयोग विकल्प सम्मेलन में, भारत में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में पशुओं के उपयोग रिडक्शन, रिफाइनमेंट और रिप्लेसमेंट की संकल्पनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप पशुओं पर प्रयोग करने में लगे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में इस क्षेत्र के विश्वव्यापी रुखों के बारे में काफी जागरूकता उत्पन्न हुई है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

10 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ पुनर्गठित समिति के सदस्यों की सूची

1.	विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी जी ओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली	अध्यक्ष/सदस्य
2.	मनोनीत अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	मनोनीत अधिकारी, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	सहायक महानिदेशक (एनीमल साइन्स), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य

5. निदेशक, सदस्य
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
बरेली, उत्तर प्रदेश

6. कुलपति, सदस्य
तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
अथवा उनका मनोनीत अधिकारी, चैन्नई

7. कुलपति, सदस्य
महाराष्ट्र एनीमल एंड फिशरी साइंसेज
यूनीवर्सिटी अथवा
उनका मनोनीत अधिकारी, नागपुर

8. भारत के औषध महानियंत्रक, सदस्य
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

9. महानिदेशक, सदस्य
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली

10. निदेशक, सदस्य
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर, नई दिल्ली

11. निदेशक, सदस्य
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर

12. प्लांट प्रोटेक्शन सलाहकार, कृषि मंत्रालय, सदस्य
नई दिल्ली

13. संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) सदस्य
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
नई दिल्ली

14. श्री बालकृष्णामूर्ति, सदस्य
निदेशक,
भारतीय जैव प्रौद्योगिकी एवं
विष विज्ञान संस्थान, चैन्नई

15. श्री के.एम. चाको, सदस्य
उप-निदेशक,
श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली

16. सुश्री नोर्मा अल्वारेज, सदस्य
पीपल फार एनीमल्स,
गोवा

17. सुश्री सानोबर भरौचा, सदस्य
कम्पैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन, बंगलौर

18. निदेशक (पशु कल्याण) सदस्य-सदस्य
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
नई दिल्ली

[हिन्दी]

डा. बलिराम: अध्यक्ष जी, हमने मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा है, उसका इन्होंने जो जवाब दिया है, वह हमें संतोषजनक नहीं लगता है। पशुओं संबंधी प्रयोगों के पर्यवेक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है, उसकी पहले श्रीमती मेनका गांधी जी अध्यक्ष थीं लेकिन अभी जो समिति का गठन हुआ है, उसमें किसी वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न जल्दी पूछिये।

[अनुवाद]

आपको जल्दी से प्रश्न पूछना है क्योंकि समय नहीं है। कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

डा. बलिराम: मैं जानना चाहता हूं कि क्या आई.ए.एस. अधिकारी से ज्यादा समय राजनीतिज्ञ नहीं देते हैं? उनको इस समिति का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, पहले पशु कल्याण का पोर्टफोलियो श्रीमती मेनका गांधी के पास था। वे मंत्री थीं इसलिए अध्यक्ष भी थीं। उनके पद छोड़ने के बाद इसका पुनर्गठन हुआ। एस विशेष सचिव को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। यह जरूरी नहीं है कि मंत्री को या किसी राजनैतिक व्यक्ति को ही इस निकाय का प्रभारी बनाया जाए।

[हिन्दी]

डा. बलिराम: हमारा दूसरा सवाल है कि दवा कम्पनियों, जैसे डा. रेड्डी, निकोलस पीरामल, रैनबैक्सी, सिपला आदि कम्पनियों ने जो पशु प्रयोगशालाएं बनाई हैं, क्या वे सरकार के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं? यदि नहीं करती हैं तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: इसके लिए किसी भी संस्थान को आठ सदस्यीय आचार समिति बनानी होती है जिसमें वैज्ञानिक होंगे,

गैर-सरकारी संगठन होंगे तथा सीपीसीएसईए का एक सदस्य होगा। वे आचार समिति का गठन करने जा रहे हैं और यह समिति पशुओं पर प्रयोग करने के मुद्दे की जांच करेगी।

सूखा प्रभावित राज्य

*423. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से अतिरिक्त सहायता देने और खाद्यान्न आवंटित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करने और सहायता प्रदान करने हेतु वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(घ) पूर्व की तुलना में संशोधित मानदण्डों के अनुसार आवंटन में राज्य-वार कितनी वृद्धि की गई है; और

(ङ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से अतिरिक्त सहायता (मार्च, 2003 में घोषित) की मंजूरी तथा हाल में किए गए खाद्यान्नों के आवंटन (अन्य राज्यों के लिए अप्रैल से जून तक और राजस्थान के मामले में फरवरी से जुलाई तक) का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के समायोजन के तहत अनुमोदित राशि (करोड़ रु.)	समायोजन के पश्चात् रा.आ.आ. कोष से निर्मुक्त राशि (करोड़ रु.)	अप्रैल से जून तक के लिए आवंटित खाद्यान्न (लाख मिलियन टन)
आंध्र प्रदेश	224.43	109.79	10.00
छत्तीसगढ़	61.89	45.99	3.00
गुजरात	150.29	-	1.48
हिमाचल प्रदेश	25.67	0.50	-
कर्नाटक	61.63	18.47	3.00
केरल	-	-	0.42
मध्य प्रदेश	75.99	39.73	4.00
महाराष्ट्र	46.50	-	1.16
उड़ीसा	61.58	-	3.33
राजस्थान	682.35	622.44	21.00
तमिलनाडु	258.44	199.03	3.00
कुल	1648.77	1035.95	50.39

यह वित्तीय आबंटन आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए निर्धारित मानदण्डों पर आधारित है (प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न)। अतिरिक्त वित्तीय सहायता राज्यों की सतत आवश्यकताओं के संबंध में है, इसलिए मानदण्डों के संशोधन के फलस्वरूप राज्य-वार वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के मामले में 74 बुरी तरह से प्रभावित ब्लाकों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति और शेष ब्लाकों में गरीबी रेखा के सभी इच्छुक परिवारों सहित ऐसे अधिकांश परिवारों की कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। अन्य राज्यों के लिए अप्रैल से जून तक की तिमाही हेतु आवंटन क्षेत्राधिकारियों तथा इन राज्यों में भेजे गए अंतर-मंत्रालयी दलों द्वारा किए गए रोजगार सृजन के आकलन पर आधारित हैं। इन आकलनों के परिणामस्वरूप राज्यों को 30.56 लाख मिलियन टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया जो पहले किए आकलन के अनुसार देय से अधिक है।

आपदा राहत कोष के समायोजन के पश्चात् देय राशि को पहले ही निर्मुक्त कर दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यय के मानदंड और मदों की संशोधित सूची:

क्र.सं.	मद	सी.आर.एफ. तथा एन.सी.सी.एफ. से सहायता के लिए खर्च के मानदंड
1	2	3
1.	अनुग्रह राहत:	
	(क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	50,000/- रुपए प्रत्येक मृतक परिवार
	(ख) अंग या आंख की क्षति के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	25000/- रुपए प्रत्येक व्यक्ति (अंग आदि की हानि के लिए अनुग्रह राहत केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब अक्षमता 40% से अधिक हो तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा या सरकार द्वारा अनुमोदित चैनल द्वारा प्रमाणित हो)
	(ग) भयंकर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।	5,000/- रुपए प्रति व्यक्ति।
	(घ) वृद्ध, दुर्बल और निराश्रय व बच्चों के लिए राहत	प्रति व्यस्क 20 रुपए तथा प्रति बच्चा 10 रुपए प्रति दिन
	(ङ) जिनके घर बह गए हों उनके परिवारों के लिए कपड़े व बरतन	500 रुपए कपड़ों व 500 रुपए बर्तनों के लिए प्रति परिवार
2.	अनुपूरक पौष्टिकता:	1.05 रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आई.सी.डी.एस.के. मानदंडों के अनुसार
3.	छोटे वे सीमांत किसानों के लिए सहायता:	
	(क) गाद आदि निकालने के लिए	छोटे व सीमांत किसानों को नाबार्ड पैटर्न के
	(ख) पहाड़ी स्थानों से ढ़िबरी निकालने के लिए, और	अनुसार क्रमशः 25% और $33^{1}/_{3}$% प्रति हैक्टेयर अधिकतम 5000 रु. के आधार पर।
	(ग) गाद निकालने/मत्स्य फार्मों की मरम्मत के लिए/पुनरुद्धार के लिए	

1	2	3
	(घ) जहां फसल का नुकसान 50% और उससे अधिक था, के लिए कृषि आदान सब्सिडी	
	(1) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्र 1000 रु. प्रति हैक्टे. 25000 रुपए प्रति हैक्टेयर क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई सहित।
	(2) बारहमासी फसलें	4000 रुपए प्रति हैक्टेयर।
	(ङ) भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों की दिशा बदलने के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति	10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर
4.	रोजगार का सृजन:	
	(प्लान स्कीमों अर्थात् जे.आर.वाई., आई.जे.आर.वाई., इ.ए.एस., आदि के तहत उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए केवल अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए)	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रतिमानों के अनुसार।
5.	पशु पालन:	
	छोटे और सीमांत किसानों/कृषि मजदूरों को सहायता:	
	(क) भारवाही पशुओं, दुधारू पशुओं, अथवा ढुलाई अथवा जीविका हेतु पशुओं को बदलने हेतु	निम्नलिखित के तहत राजसहायता की पद्धति के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
	(ख) चारे/प्रगाढ़ित चारे के प्रावधान के लिए	बड़े पशु-12.00 रुपए प्रति दिन छोटे पशु-6.00 रुपए प्रतिदिन
	(ग) चारे की खरीद, भंडारण और ढुलाई	एन.सी.सी.एम. द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
	(घ) लाभदायक पशुओं को अन्य क्षेत्रों में ले जाना	एन.सी.सी.एफ. के लिए एन.सी.सी.एम. द्वारा/ सी.आर.एफ. के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
6.	मछुआरों को सहायता:	
	(क) क्षतिग्रस्त एवं लापता नौकाओं, जालों की मरम्मत/बदलने के लिए	एस.जी.एस.वाई. पद्धति के अनुसार प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमाओं के अधीन अन्य उपकरणों पर राजसहायता प्रदान की जाएगी।
	- नौका	एस.जी.एस.वाई. के तहत अनुमोदित लागत के संदर्भ में नौकाओं की लागत भी तय की जाएगी।
	- डोंगी	
	- कैटामौरैन (बेड़ा)	
	- जाल	

1	2	3
	(ख) मछली बीज फार्म के लिए आदान राजसहायता	2,000 रुपए प्रति हैक्टेयर।
7.	क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/बदलने के लिए राजसहायता के रूप में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सहायता:	
	(क) परम्परागत यान	
	(1) क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिए	1000 रुपए प्रति व्यक्ति।
	(2) कच्चे माल के लिए	1000 रुपए प्रति व्यक्ति।
	(ख) हैण्डलूम बुनकरों के लिए	
	(1) लूम उपकरणों तथा जुड़नारों की मरम्मत/बदलना	1000 रुपए प्रति लूम।
	(2) धागे तथा अन्य सामग्री की खरीद	1000 रुपए प्रति लूम।
8.	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुन:स्थापन के लिए सहायता	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	
	(1) पक्का मकान	10000 रुपये प्रति मकान
	(2) कच्चा मकान	6000 रुपये प्रति मकान
	(ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(1) पक्का मकान	2000 रुपये प्रति मकान
	(2) कच्चा मकान	1200 रुपये प्रति मकान
	(ग) साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	800 रुपये प्रति मकान
9.	शहरी क्षेत्रों में पेयजल की ढुलाई सहित पेयजल की आपातिक पूर्ति	एन.सी.सी.एफ. के लिए आकलन एन.सी.सी.एम. दल द्वारा किया जाना है। सी.आर.एफ. के लिए आकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है।
10.	महामारी को फैलने से रोकने के लिए दवाइयों, विसंक्रामकों, कीटनाशकों का प्रावधान।	तदैव
11.	महामारी के विरुद्ध पशुओं और कुक्कुटों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा।	तदैव
12.	प्रभावित/संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना।	तदैव
13.	तत्काल राहत पहुंचाने और जान बचाने के लिए नौकाओं को भाड़े पर लेना।	तदैव

1	2	3
14.	प्रभावित लोगों/बचाए गए लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान करना।	एन.सी.सी.एफ. के लिए आकलन एन.सी.सी.एम. दल द्वारा किया जाना है। सी.आर.एफ. के लिए आकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है।
15.	अनिवार्य आपूर्ति को हवाई जहाज से गिराना।	तदैव
16.	संचार, बिजली, जन स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत/तत्काल किस्म का पुन:स्थापन	तदैव
17.	सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों और खो गई दवाईयों की पुन: आपूर्ति	तदैव
18.	एम्बुलेन्स सेवा, सचल चिकित्सा दलों और अस्थायी औषधालयों के लिए प्रचालन लागत (केवल पी.ओ.एल. के लिए)	तदैव
19.	कूड़े-कचरे की सफाई की लागत।	तदैव
20.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी।	तदैव
21.	खोज और बचाव उपायों की लागत।	तदैव
22.	मृतकों/पशुओं की लाशों का निपटान।	तदैव
23.	विभिन्न संवर्गों से लिए गए राज्य अधिकारियों के कोर बहुविषयी समूहों को प्रशिक्षण-व्यय सी.आर.एफ. से वहन किया जना है।	

एन.सी.सी.एम. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र।

एन.सी.सी.एफ. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि।

पी.ओ.एल. पैट्रोल, तेल और ल्यूब्रिकेन्ट।

डा. मन्दा जगन्नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। यह अन्यथा विरोधाभासी है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि "वित्तीय आवंटन आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए निर्धारित मानदंडों पर आधारित है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता राज्यों की सतत आवश्यकताओं के संबंध में है, इसलिए मानदंडों के संशोधन के फलस्वरूप राज्य-वार वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता है। इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है।

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा प्रश्न कीजिए। समय नहीं है। अन्यथा प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा।

डा. मन्दा जगन्नाथ: मेरा प्रश्न है कि यदि राज्यों को संशोधित मानदंडों के अनुसार सहायता नहीं दी जाती है तो सूखा पीड़ित राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए भारत सरकार के पास क्या तंत्र है?

श्री अजित सिंह: ऐसा लगता है कि प्रश्न यह है कि मानदंड कैसे बनाए जाते हैं और सरकार इनका पालन कैसे करती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने मानदंड निर्धारित किए थे। गंभीर सूखा पड़ने के कारण सरकार ने अनेक मानदंडों को शिथिल कर दिया है। गठित किए गए कार्यबल ने मानदंडों पर विचार किया है और जहां भी जरूरत पड़ी है कुछ मानदंडों को शिथिल कर दिया है। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया जा सकता है, केन्द्र से एक दल जाता है और राज्य के अधिकारियों से चर्चा करता है। वे यहां एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सचिवों की समिति इसकी जांच करती है। फिर अंतत: कार्यबल सचिवों की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आधार पर निश्चित करती है कि राज्य को कितनी सहायता दी जा सकती है।

डा. मन्दा जगन्नाथ: मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या सूखा की स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एन सी सी एफ से और केन्द्रीय सहायता मांगी है। यदि हां, तो भारत सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री अजित सिंह: आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में अभी भी सूखा है इसलिए रबी के लिए भी अतिरिक्त धन आबंटित किया गया था। वहां जो दल गया था उसने 224.43 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा: आपने कर्नाटक के लिए कितना धन दिया है। तमिलनाडु के लिए कितना धन दिया है? ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, खरीफ के लिए रिलीज देने के बाद 10 राज्यों ने ज्ञापन भेजे हैं कि उनके यहां रबी में भी सूखा की स्थिति है। यहां का एक दल सभी दसों राज्यों में गया था। उस दल ने अपनी रिपोर्टें दे दीं और फिर इन रिपोर्टों की जांच करने के लिए सचिवों की समिति की बैठक हुई और अंततः कार्यबल ने उन सभी दसों राज्यों में जहां भी जरूरत थी, धन या अन्न आबंटित कर दिया। इसका विवरण यह रहा। इसे मैं माननीय सदस्यों को दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले मौसम में वर्षा सामान्य से कम होगी। उस स्थिति को देखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस भविष्यवाणी रिपोर्ट पर ध्यान दे रही है? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सूखा प्रवण राज्यों तथा देश के अन्य भागों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, मौसम विज्ञान जिन पैरामीटरों के आधार पर भविष्यवाणी करता है, इस वर्ष उसने उनको बदल दिया है। उन्होंने आमतौर की अपेक्षा बहुत जल्दी भविष्यवाणी कर दी है तथा ऐसी उम्मीद है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा दीर्घावधि औसत (एल पी ए) का 96% हो सकती है तथा इसमें आदर्श त्रुटि 15% हो सकती है, यह औसत से 60% कम होगी। किंतु अब दीर्घावधि औसत (एल पी ए) से 98% कम को सामान्य से कम माना जाता है।

जहां तक खेती का संबंध है, इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह वर्षा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय अवधियों में किस प्रकार वितरित होती है। वर्षा जुलाई में कब होती है, बाद में कितनी होती है और कौन-कौन से क्षेत्रों में वर्षा होती है—यह महत्वपूर्ण है। इस भविष्यवाणी से हमें पूरी तस्वीर ही मिलती है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा था, चिंता का मुख्य विषय पानी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वर्षा के बाद जलाशयों में पर्याप्त पानी होगा या नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जांच समितियों की सिफारिशें

***424. प्रो. रीता वर्मा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय या उसके विभागों को कोयला खान दुर्घटनाओं की जांच करने हेतु गठित समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा उक्त समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन किस ढंग से किया गया है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में इन कोयला कंपनियों के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) भारत सरकार को दुर्घटनाओं के मामलों में खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत जांच न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) की जांच न्यायालय की सिफारिशों में उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाए जाने की शक्ति प्राप्त है। केन्द्र सरकार को, जांच न्यायालय की सिफारिशों पर खान अधिनियम, 1952 की धारा 57 के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। डी जी एम एस प्रबंधन को सिफारिशों का अनुपालन करने की सलाह देते हुए परिपत्र भी जारी करता है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिफारिशें प्राप्त होने पर उन्हें सहायक कंपनियों को परिचालित किया जाता है और उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। क्रियान्वयन की स्थिति को समय-समय पर कंपनियों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

(ग) खनन एक जोखिमकारी व्यवसाय रहा है और है। दुर्घटनाओं की रोकथाम करने की दृष्टि से, कोयला कंपनियों द्वारा सतत् आधार पर जांच न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। तथापि, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है।

(घ) जब भी यह पाया जाता है कि जांच न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार डी जी एम एस की सिफारिशों, परिपत्रों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तो उस मामले पर कार्रवाई किए जाने के लिए, उच्च स्तर पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में कोयला कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलनों में भी इन उल्लंघनों की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

***425. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान स्थापित किए गये और दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित पर्यटन सर्किटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की सहायता निर्धारित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश में 21 यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित किया गया था, लेकिन किसी भी परिपथ को मंजूरी नहीं दी गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास हेतु एक योजना की शुरूआत की गई है। वर्ष 2002-2003 के दौरान निम्नलिखित 7 परिपथों के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है:-

(1) वैशाली-बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी

(2) चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली-लाहौल/स्पीति-लेह (मार्ग-1 और मार्ग-2)

(3) ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-झांसी-भोपाल-सांची और बौद्ध क्षेत्रों के आस-पास-भीमवेटका-पंचमढ़ि-कान्हा-जबलपुर (भेड़ाघाट)

(4) बम्बई-अलीबाग (मांडवा)-मुरूडजंजीरा-गणपतिपुले-विजयदुर्ग-मीठीबाद-कंकेश्वर-मोचेतमाड-सिंधुदुर्ग-तारकरली-शिरोडा-सावंतवाड़ी-अम्बोली-गोवा-कोस्टल कर्नाटक-बेकल

(5) कोचीन-कुमारकोम (पश्चजल)-कोट्टायम-क्वेलन-त्रिवेन्द्रम (कोवलम)

(6) शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भालकपुंग-त्वांग (अरुणाचल प्रदेश)-मजुली-शिवसागर-कोहिमा

(7) जयपुर-जोधपुर-जेसलमेर-बीकानेर-शेखावती-जयपुर

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा इस योजना के लिए 885.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

धान की नई किस्में

***426. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या कृषि मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) ने चावल की दो नई किस्मों और एक संकर किस्म का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चावल की दो किस्में पूसा सुगंध-2 तथा पूसा सुगंध-3 तथा एक संकर किस्म पूसा आर.एच. 10 विकसित की गई हैं। पूसा सुगंध-2 तथा पूसा सुगंध-3 लम्बे दाने वाली सुगंधित किस्में हैं तथा पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तरांचल में खेती के लिए जारी की गई हैं। इन किस्मों की औसत पैदावार 3.5 से 4 टन/हैक्टर है तथा यह 120-130 दिनों में पककर तैयार होती है। हाईब्रिड पूसा आर.एच. 10 सर्वोत्तम सुगंधित चावल की संकर किस्म है जो हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में खेती के लिए जारी की है। पूसा बासमती-1 की तुलना में इसकी औसत पैदावार 1 से 1.5 टन/हैक्टर अधिक हुई। इसकी औसत पैदावार 5 से 5.5 टन/हैक्टर है तथा यह 120-125 दिनों में पककर तैयार होती है।

[अनुवाद]

राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

***427. श्री राम प्रसाद सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य कृषि मंत्रियों के गत सम्मेलन के दौरान पारित संकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सम्मेलन में यह मांग भी की गई थी कि कृषि नीति को किसानों के और अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) 11 दिसम्बर, 2002 को आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) नाबार्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव के सुझाव की जांच सरकार द्वारा की जा रही है।

विवरण

राज्य कृषि एवं सहकारिता मंत्रियों के 11 दिसम्बर, 2002 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर पारित संकल्प

सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित संकल्प एक मत से पारित किए गए:-

1. कृषि ऋण

(1) यह कि कृषि एक प्राथमिकता क्षेत्र है किंतु अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में ब्याज दरों की तुलना में कृषि ऋण के लिये ब्याज दर (14% से 18%) अधिक है। अतः कृषि क्षेत्र में ब्याज की दर में उचित तथा सही स्तर तक कटौती किये जाने के उपाय किये जाने चाहिये। कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिये किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया और अधिक सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

(2) यह कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किए जाने चाहिए कि वाणिज्यिक बैंक अपने सकल बैंक ऋण का 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित करने का लक्ष्य हासिल करें। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वितरित किये जाने वाले कृषि ऋण के लिये 7,50,000 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कृषि मंत्रालय से परामर्श करते हुए वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा एक विस्तृत कार्यनीति तथा योजना निरूपित किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

(3) यह कि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज की दर बैंक दर से 3% नीचे बनी रहनी चाहिये। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त को कम से कम तीन वर्षों के लिये सहकारी ऋण द्वारा कुल उधार के लगभग 50% के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(4) यह कि कृषि तथा सहकारी समितियों के साथ नाबार्ड के नजदीकी संबंध को ध्यान में रखते हुये इसे कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिए।

(5) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को स्थानीय रूप से उपलब्ध जमा पूंजियों का जुगाड़ करने तथा ब्याज की कम दर पर इसे कृषि क्षेत्र में लगाने में उनको मदद करने के लिये उनको मिनी बैंकों में बदला जाना चाहिये।

(6) यह कि पुनर्स्थापना पैकेज जिसकी सहकारी ऋण व्यवस्था में सुधार लाने के लिये सिफारिश की गई है, वित्तीय संस्थानों के अभाव के कारण अधिकांश राज्यों के लिये उपयुक्त नहीं होगा। अतः यह महसूस किया गया कि पुनर्स्थापना पैकेज की तत्काल पुनः जांच की जाये और इसे तत्काल क्रियान्वित किया जाये।

(7) यह कि बहुत से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुयें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ए.ए.सी.एस.) की धारा 11 के प्रावधानों में छूट दी जानी चाहिए।

2. फसल बीमा

(1) यह कि कृषि बीमा भी प्रीमियम दरों को युक्तिसंगत बनाया जाये क्योंकि मौजूदा बीमांकित दरें बहुत अधिक हैं।

(2) यह कि ऋणी किसानों के लिये इस स्कीम को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

(3) यह कि प्रस्तावित कृषि बीमा कम्पनी कृषि मंत्रालय के प्रशानिक नियंत्रण के अधीन काम करे।

(4) यह कि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के तहत बीमा के इकाई क्षेत्र को ग्राम-स्तर तक लाया जाना चाहिए। इसमें वार्षिक फसलों सहित सभी फसलों को शामिल किया जाये।

निदेशक मंडल में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

***428. श्री बसुदेव आचार्य:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी के निदेशक मंडल में श्रमिकों को पच्चीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कई औद्योगिक संगठनों ने इस बात का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) सरकार ने कंपनी के निदेशक मंडल में कामगारों को 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) अन्यों के साथ-साथ भारतीय नियोजक परिसंघ, कर्नाटक नियोजक संघ, अखिल भारतीय नियोजक संगठन तथा पी.एच.डी. चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने यह मत व्यक्त किया है कि निदेशक मंडल में कामगारों का प्रतिनिधित्व उचित नहीं होगा। उनके द्वारा निदेशक मंडल में कामगारों के प्रतिनिधित्व का विरोध किए जाने के कुछ मुख्य आधार निम्नवत् हैं:-

(1) उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आपसी परामर्श के लिए प्रबंधन मंडल में कामगारों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था अपेक्षित नहीं है;

(2) बोर्ड में सहभागिता के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता तथा कौशल आवश्यक है;

(3) स्टाक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करारों में यथावर्णित निगमित शासन व्यवस्था के कोड के तहत यह अपेक्षित है कि यदि कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष (चेयरमैन) हो तो मंडल (बोर्ड) में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। अन्य सभी मामलों में, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल नफरी का कम से कम 1/3 होनी चाहिए। यदि प्रस्तावित विधान अधिनियमित किया जाता है तो ऐसी अवस्था में वित्तीय पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) को मंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। यह न केवल अन्याय होगा तथा इससे उन शेयरधारकों के अधिकारों को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकेगा जो निवेशक हैं। अत: यथाप्रस्तावित कोई भी ऐसा संशोधन किया जाना अन्यायपूर्ण होगा;

(4) टिस्को माडल, जो पिछले 50 वर्षों से कार्य कर रहा है, में निर्णय लेने की प्रक्रिया और साथ ही व्यापार संबंधी निर्णयों की गोपनीयता के मामले शामिल नहीं हैं;

(5) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर निर्णय लिए जाने तक, इस मुद्दे पर अलग से कोई निर्णय लिया जाना सही एवं उचित नहीं होगा;

(6) इस कदम से निवेश एवं रोजगार सृजन के प्रभावित होने की संभावना है;

(7) एक उपयुक्त वातावरण तैयार किए बिना बोर्ड स्तर पर सहभागिता योजना को कार्यान्वित करना जल्दबाजी होगा;

(8) उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए बोर्ड स्तर पर व्यावसायिकों का लाए जाने के लिए दबाव है तथा कर्मचारियों की योग्यता एवं समझदारी स्तर को ध्यान में रखे बिना बोर्ड स्तर पर उनकी अनिवार्य सहभागिता, कंपनी, इसके कर्मचारियों तथा इसके शेयरधारकों के लिए हानिकारक होगी। बोर्ड स्तर पर कोई अनिवार्य सहभागिता नहीं थोपी जानी चाहिए।

(9) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक निदेशक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित प्रबंधन मंडल की पहचान को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निदेशक मंडल से स्पष्टत: अलग रखा जाना चाहिए; और

(ङ) अभी इस मामले में मत बनाया जाना है।

[हिन्दी]

उच्च प्रौद्योगिकी (हाई-टेक) पर आधारित बागवानी संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना

***429. श्री रामपाल सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च प्रौद्योगिकी (हाई-टेक) पर आधारित बागवानी के संबंध में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां, सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किये जाने के लिए "हाई-टेक हार्टीकल्चर एण्ड प्रिसीजन फार्मिंग" पर एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम तैयार की है।

(ख) इस स्कीम में संसाधनों का यथोचित प्रयोग करते हुए बागवानी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये प्रिसीजन फार्मिंग प्रौद्योगिकी के अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन, हाईटेक नर्सरियों, फर्टिगेशन, उच्च गहनतायुक्त पौधरोपण, हरित आहार उत्पादन, हाईटेक ग्रीन हाउसेस, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त यंत्रीकरण, जैविक नियंत्रण जैसे आधुनिक हाई-टैक अनुप्रयोगों की परिकल्पना की गई है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 340.00 करोड़ रुपये की राशि अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई है।

(घ) इस स्कीम को वर्ष 2003-04 से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

खारेपन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में गिरावट

***430. प्रो. दुखा भगत:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिट्टी में खारेपन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मिट्टी में खारेपन की समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) खारेपन की किस्म, विशेषता और मात्रा भूमि की उर्वरता पर प्रभाव डालती है जो जलवायु, स्थलाकृति, सतही जल विज्ञान, सिंचाई और पद्धतियों, भूजलविज्ञान, भूजल परिस्थितियों और गुणवत्ता आदि पर निर्भर है।

(ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश में 50.51 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मृदा खारेपन से प्रभावित है। देश में खारेपन युक्त मृदा के राज्य-वार विवरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विशेष रूप से खारेपन की परिस्थितियों के अंतर्गत फसल उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करने और साथ ही साथ भारत में खारेपन से युक्त मृदा के सुधार के लिए एक केन्द्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान, करनाल की स्थापना की है। इस संस्थान ने कैनिंग टाउन, पश्चिम बंगाल, आनन्द, गुजरात और लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ महत्वपूर्ण स्थान विशिष्ट अनुसंधान परिणाम विकसित किए हैं ताकि लवण और क्षारीय मृदा के सुधार के साथ-साथ खारेपन की परिस्थितियों के अंतर्गत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके। खारेपन से युक्त मृदा के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों में अनुसंधान परिणामों का प्रयोग किया जा रहा है।

हरियाणा में डच सहायता से "जलप्लावित/लवणीय मृदा के सुधार हेतु हरियाणा प्रचालन पायलट परियोजना" नामक परियोजना (1994-2002) शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 21.12 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2000 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में कुल 35.32 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 14,232 हैक्टेयर के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) स्कीम के अंतर्गत जलप्लावित और लवणीय बंजर भूमियों के विकास हेतु 11 परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें, यदि वे चाहें, तो कृषि और सहकारिता विभाग की वृहत-प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत खारेपन की मृदा के सुधार के कार्यकलापों को शामिल कर सकती हैं।

विवरण

लवणीय मृदा के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र का राज्य-वार वितरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.88
2.	गुजरात	12.16
3.	हरियाणा	5.00
4.	कर्नाटक	0.99
5.	केरल	0.67

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	0.67
7.	महाराष्ट्र	3.51
8.	उड़ीसा	2.54
9.	राजस्थान	4.24
10.	तमिलनाडु	4.70
11.	उत्तर प्रदेश	1.95
12.	पश्चिम बंगाल	8.20
	कुल	50.51

विमान कंपनियों को घाटा

***431. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्थित विमान कंपनियों के सभी श्रेणी के किरायों में 15 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बावजूद इराक युद्ध के कारण उड़ानों के रद्द होने से उन्हें भारी घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी उड़ानें रद्द की गईं;

(ग) वर्तमान खाड़ी युद्ध के कारण भारत स्थित विमान कंपनियों विशेषकर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने इस घाटे को पूरा करने के लिये अपनी उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस घाटे की भरपाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं; और

(च) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को सार्स (एस ए आर एस) के कारण कितना घाटा हुआ है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) हवाई यात्रा किराये में 15% की वृद्धि घरेलू हवाई यात्रा के लिए ही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा किरायों में एअर इंडिया द्वारा 5-7% की तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 7-18% की वृद्धि अप्रैल 2003 से की गई है। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया द्वारा एटीएफ के दाम में वृद्धि के कारण 1.4.2003 से 5 यूएस डालर का अतिरिक्त अधिभार भी लगाया गया है। यह वृद्धि सिर्फ इराक युद्ध के कारण नहीं बल्कि जनवरी 2001 में की गई पिछली बढ़ौत्तरी के बाद से विभिन्न खर्च मदों में हुई वृद्धि के कारण की गई है।

इराक युद्ध के कारण एक तरफ एटीएफ की बढ़ती कीमतों तथा दूसरी तरफ कम होती हवाई यात्रा मांग के कारण नुकसान हो रहा है जिसको कम करने के उद्देश्य से कुछ उड़ानें सीमित अवधि के लिए रद्द कर दी गई हैं। एअर इंडिया द्वारा गल्फ में अप्रैल महीने के लिए कुल 14 उड़ानें रद्द की हैं। इंडियन एयरलाइंस द्वारा कोई उड़ान रद्द नहीं की गई है। यद्यपि, इराक युद्ध के कारण अभी कुल नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है, एअर इंडिया को सिर्फ मार्च 2003 में ही एटीएफ के कारण 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय तथा हवाई यात्रा मांग में कमी के कारण 10 करोड़ रुपए की कम आय हुई है। इंडियन एयरलाइंस को भी मांग में कमी के कारण लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह कम आय हुई है।

एअर इंडिया द्वारा रद्द की गई उड़ानों से उपलब्ध क्षमता इस सीमित अवधि के लिए कहीं और डायवर्ट नहीं की गई है क्योंकि सभी सैक्टरों पर लोड फैक्टर में औसतन 11% की कमी आयी है। अतः दूसरे सैक्टरों पर अतिरिक्त उड़ानों में भी आर्थिक दृष्टि से हानि होगी।

(च) सीवीयर एक्यूट रैस्पेरेटरी सिंड्रम (एसएआरएस) के कारण दक्षिण-पूर्वी तथा सुदूर-पूर्वी क्षेत्र में हवाई यात्रा मांग में बहुत कमी आ गई है जिसके कारण एअर इंडिया द्वारा अप्रैल महीने में कुल 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यद्यपि, कुल नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है, एसएआरएस की वजह से एअर इंडिया को 7.8 करोड़ रुपए तथा इंडियन एयरलाइंस को 92 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान होने की आशंका है।

[अनुवाद]

नदियों का आपस में जोड़ा जाना

***432. श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नदियों को आपस में जोड़े जाने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नेपाल तथा भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ बांधों के निर्माण के संबंध में भी बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उन देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) और (ख) राज्यों के बीच सर्वसम्मति स्थापित करने तथा मूल्यांकन के मानदण्डों और परियोजना वित्तपोषण इत्यादि के लिए तौर-तरीकों संबंधी मार्गदर्शन मुहैया कराने के वास्ते केन्द्र सरकार ने 13.12.2002 को नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक कार्यबल गठित किया है। इस कार्यबल से राज्यों के बीच शीघ्रता से सर्वसम्मति स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। यह कार्यबल नीचे दी गई निर्धारित तिथियों/समय सारणी के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है।

(1)	व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने के निर्धारित समय, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, परियोजना से होने वाले लाभों इत्यादि की रूपरेखा देते हुए कार्रवाई योजना-1 तैयार करना	-	30.04.2003
(2)	परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए विकल्प और लागत वसूली के लिए सुझाई गई विधियां देते हुए कार्रवाई योजना-2 तैयार करना	-	31.07.2003
(3)	परियोजना पर विचार-विमर्श करने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक	-	मई/जून, 2003
(4)	व्यवहार्यता अध्ययन पूरे करना (कार्य चल रहा है)	-	31.12.2005
(5)	विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी करना। (चूंकि छह नदी संपर्कों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो चुके हैं अत: विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य साथ ही साथ शुरू कर दिया जाएगा)	-	31.12.2006
(6)	परियोजना का कार्यान्वयन (10 वर्ष)	-	31.12.2016

(ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक के तहत जल हस्तांतरण संपर्क प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए नेपाल और भूटान के सहयोग की आवश्यकता है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी इस कार्यबल को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करने का कार्य भी सौंपा गया है जोकि परियोजना के कुछ घटकों में शामिल हो सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सब्जियों में धातुओं की उपलब्धता

***433. श्री कमलनाथ:**
श्री चरण दास महंत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के बाजारों में अत्यधिक दूषित सब्जियां मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी दूषित सब्जियों के उपयोग से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इंपीरियल कालेज आफ लंदन के विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन से इस शहर के आस-पास उगाई जाने वाली सब्जियों में सीसे, जस्ते और अन्य धातुओं की उच्च्व प्रतिशतता होने का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाजार में सुरक्षित सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। इस संबंध में हाल ही में एक रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित नाशीजीव अवशेष अनुसंधान परियोजना द्वारा किए गए मानीटरिंग अध्ययन में रिकार्ड किया गया कि 31 सब्जियों के 4100 नमूनों में से 55 नमूने नाशीजीव अवशेषों से संदूषित थे लेकिन इन नमूनों में से केवल 9 प्रतिशत नमूनों में अधिकतम अवशेष सीमा अधिक थी। निम्नलिखित कीटनाशक नामत: एच सी एच, डी डी टी, इण्डोसल्फान, डेल्टामेथ्रीन, क्लोरपाइरीफोस, मैलाथियान, साइपरमेथ्रीन, फेन्वेलनेट आदि के नाशीजीव अवशेष रिकार्ड किए गए।

दिल्ली के परि-शहरी क्षेत्रों से एकत्रित किए गए सब्जियों के कुछ नमूनों ने सीसे, जस्ते और कैडमियम की विद्यमानता सुरक्षा सीमाओं से ऊपर दर्शायी। यह विशेषकर उन क्षेत्रों में पाई गई जहां फसलें गन्दे पानी या औद्योगिक बहि:स्रावों से सिंचित की जाती हैं। वाहनों के प्रदूषण से संदूषित क्षेत्रों जैसे बाजारों में भी भारी धातु संदूषण पाया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मानव स्वास्थ्य पर संदूषणों के प्रतिकूल प्रभाव संबंधी विशिष्ट अध्ययन किए हैं तथापि, यह आम बात है कि ऐसे स्थानों से बिना धुली सब्जियों का निरन्तर उपयोग करने से लोगों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

(घ) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और लंदन के इम्पीरियल कालेज द्वारा किए गए अध्ययन ने दिल्ली और इसके चारों ओर के क्षेत्रों में उगाई गई सब्जियों के कुछ नमूनों में सीसे, जस्ते और कैडमियम की विद्यमानता दर्शायी।

(ङ) इस अध्ययन में वर्ष 2001 और 2002 के दौरान पालक, भिण्डी और फूलगोभी के अनेक सब्जी नमूने दिल्ली के परि-शहरी क्षेत्रों नामत: यमुनापुस्ता, ओखला, बल्लभगढ़, नजफगढ़ और अलीपुर तथा उनके निकट के बाजारों से एकत्रित किए गए थे। इनके भारी धातुओं की विद्यमानता के लिए विश्लेषण किए गए थे। इस अध्ययन ने दर्शाया कि यमुनापुस्ता, नजफगढ़ और ओखला से एकत्रित किए गए कुछ नमूनों में जस्ते, सीसे और कैडमियम का संदूषण स्तर निर्धारित सहिष्णुता सीमा की अपेक्षा अधिक था। इन नमूनों में किसी में भी कापर अनुज्ञेय सीमा से ऊपर नहीं था।

सब्जियों में भारी धातुओं के संचयन के मुख्य कारण गन्दे पानी और औद्योगिक बहि:स्रावों से सिंचाई करना है। उष्मीय संयंत्रों से वायुवीय निक्षेपण तथा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण भारी धातुओं के अन्य प्रमुख स्रोत हैं।

(च) यह दिल्ली के परि-शहरी क्षेत्रों से लिए गए बहुत ही सीमित नमूनों के साथ केवल एक प्रारम्भिक अध्ययन है तथा इससे बृहत क्षेत्रों के लिए व्यापक परिणाम नहीं निकल सकते हैं। इस पर और विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तथापि, भारी धातुओं के संचयन को सिंचित जल में प्रदूषण के दबाव को नियंत्रित करके तथा परि-शहरी कृषि को बिना पत्ते वाली फसलों में बदलकर कम किया जा सकता है।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों के अंतर्गत लंबित परियोजनायें और योजनायें

***434. श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री अम्बरीश:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त कृषि और ग्रामीण उद्योगों संबंधी परियोजनाओं और योजनाओं और उनकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं और योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूरी के लिए कौन-कौन सी परियोजनायें और योजनायें अभी भी लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं/योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) द्वारा प्राप्त की गई परियोजनाओं और योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की क्लियर्ड परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II से IV पर दिया गया है।

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण VI से X में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं का सरकार/के.वी.आई.सी. के स्तर पर नियमित अनुवीक्षण किया जा रहा है।

विवरण I

नए प्रशिक्षण केन्द्र

वर्ष 2000-2001

(रुपये लाख में)

केन्द्रीय अनुदान 50%

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत
1.	नागालैंड	नागालैंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कोहिमा (एम डी टी सी, दीमापुर)	84.75

नए प्रशिक्षण केन्द्र

वर्ष 2002-2003

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत
1.	हिमाचल प्रदेश	शिवालिक खादी आश्रम, ऊना	49.56
2.	महाराष्ट्र	सिरडी साईं रूरल इंस्टीट्यूट, रहटा, (अहमदाबाद)	440.00
3.	पंजाब	रिजनल सेन्टर फार एन्ट्रीप्रियोनरशिप डिवलपमेंट-चंडीगढ़	90.00
4.	राजस्थान	3. डब्ल्यू.टी.सी., गलीचा, बीकानेर, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	45.70
		4. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डिवलपमेंट, झालावाड़ (2000-2001)	66.35
5.	मिजोरम	मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिम्बावक, ऐजावल (1999-2000)	84.33
6.	छत्तीसगढ़	मल्टीडिसिपिलिनरी ट्रेनिंग सेन्टर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड-रायपुर	40.00
7.	सिक्किम	टीटीआई नैमची नार्थ ईस्टर्न खादी और उद्योग बोर्ड-कोलकाता	850.00

पीआरओडीआईपी (उत्पादन विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग) 2002-03 (2002-03 में आरंभ किया गया)

75% केन्द्रीय अनुदान (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	कुल लागत
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	खादी टेक्सटाईल प्रोडक्ट्स रेंज, कर्नाटक सर्वोदय संघ, बंगलौर	1.94

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	डेनिम रेडीमेड गारमेंट प्रोजेक्ट वावीलाल खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, वावीलाल	1.00
		काटन रोडीमेड गारमेंट प्रोजेक्ट मेटापल्ली खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, मेटापल्ली	1.00
		सिल्क रेडीमेड गारमेंट्स प्रोजेक्ट, गुंटूर जिला खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, गुंटूर	1.00
		फर्नीचर डिजाइन शाययूइनोजू टिंबर एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज	1.00
3.	गुजरात	मेन्सवियर कस्तूरबा सहकारी कांता मंडली लि. गांधी मार्ग, अहमदाबाद-380004	3.15
		निटेड गारमेंट्स, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, गांधी आश्रम, अहमदाबाद-380027	2.05
		किड्स वियर स्वामी विवेकानंद खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट 27 जयशिवशक्ति सोसायटी, ज्ञानदा सोसाइटी के पीछे, जीवराज पार्क, अहमदाबाद-51	2.97
		न्यू पैटर्न श्री खादी ग्राम्यविकास सेवा मंडल, 51, कर्मभूमि मित्रमण्डल सोसाइटी, टी.बी. अस्पताल के पीछे, जिला सुरेन्द्रनगर	2.96
		न्यू डिजाइन श्री जनसेवा खादी ग्राम्य ट्रस्ट, कवादिया, 884, कृष्णानगर, कलक्टर कार्यालय के पीछे, जिला सुरेन्द्रनगर	2.57
		खादी वस्त्रों में नवीनतम डिजाइन सुरेन्द्रनगर जिला सर्वोदय विकास मंडल, घरशाला मार्ग, सिंधव नगर, पोस्ट जोरावरनगर, सुरेन्द्रनगर-363020	2.77
		रिंकल फ्री श्री योगीकृपा खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, 22, लक्ष्मी सोसाइटी, एसटी बस स्टैण्ड मोडासा के पास, जिला सबरकांथा	4.67

1	2	3	4
4.	उत्तर प्रदेश	इम्प्रूवमेंट आफ कस्टमर एमबियंस आफ सेल्स आउटलेट एंड बैटर डिस्पले, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ	3.00
		उत्पाद अभिकल्प (खादी वस्त्र) सुशीला ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद	2.50
		फर्नीशिंग कपड़े का डिजाइन एवं विकास क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, सहारनपुर	3.00
		इम्प्रूवमेंट इन पैकेजिंग डिजाइन एंड आन लाईन प्रोडक्शन प्रोसेस आफ शैम्पू, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मुरादाबाद	2.50
		प्रोडक्शन डिजाइन खादी गारमेंट्स, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, अलीगढ़	3.00
5.	केरल	न्यूअर डिजाइन इन केन एंड बैंबू साजी एजेन्सी, नेलीकुन्नम, कोट्टारकारकोलम जिला रकोलम	1.35
		सिंप्लीफाईड केन्द्र प्रोडक्ट्स फार एट्राक्शन एंड कर्टेलमेंट आफ रा मैटेरियल एंड लेबर श्रीमती जयाकुमारी, जे.के. कैन इंडस्ट्रीज कलावूर एलप्पी	1.54
		ब्रेजियर यूनिट (इंटरवेंशन आफ न्यू डिजाइन्स इन द ब्रास) अतिरिक्त मूल्य के लिए वस्त्र पेंटिंग, केरल एजूकेशनल डेवलपमेंट एंड एमप्लायमेंट सोसायटी, केईडीएएस, थाईकांड, त्रिवेन्द्रम	2.59
		प्रोडक्शन आफ वेरियस टाइप्स आफ खादी क्लोथ्स, केरल गांधी स्मारक निधि	2.80
		डिजाइन आफ न्यू माडल आफ वीसीडी प्लेयर, केरला स्टेट रूरल वीमेन इलैक्ट्रानिक्स (रूटरोनिक्स)	3.12

यूएनडीपी परियोजना

वर्ष 2000-01

100% केन्द्रीय अनुदान (रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	पाटरी क्लस्टर किलंस, बालमिल्स, पुगमिल्स, ग्लेजिंग उपस्कर जैसी सामान्य सेवा सुविधा	12.00

1	2	3	4
		उपस्करों की बड़ी संख्या का प्रावधान। इसके अतिरिक्त विपणन एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई है। मन्नामदुरई पाटरस कापरेटिव सोसाइटी, मन्नामदुरई	
		बीकीपिंग क्लस्टर मधु संसाधन संयंत्र एवं काम्ब फाउंडेशन मिल हेतु सहायता, बी स्टाक मल्टीप्लिकेशन प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता कन्याकुमारी सर्वोदय संघ, नागेरकोली	10.00
2.	कर्नाटक	बी कीपिंग क्लस्टर मधु संसाधन संयंत्र हेतु सहायता, मधुमक्खी संग्रहालय एवं सूचना केन्द्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, स्टाक मल्टीप्लिकेशन इत्यादि, पुथूर बी कीपर्स कोपरेटिव सोसायटी, पुथूर	12.00
3.	आंध्र प्रदेश	हैंडमेड पेपर क्लस्टर सामान्य सुविधा उपस्कर, कन्वर्जन उपस्कर और प्रशिक्षण खादी ग्रामोद्योग विकास ट्रस्ट, महबूबनगर	12.00
4.	केरल	पाटरी क्लस्टर सामान्य सुविधा उपस्कर, प्रशिक्षण और विपणन सहायता कुमभम सोसाइटी, नीलामबुर	10.00
5.	महाराष्ट्र	बीकीपिंग क्लस्टर बेहतर प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रयोगशाला उपकरणों के माध्यम से विभागीय केन्द्र सीबी आरटीआई का उन्नयनीकरण स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	30.00
		हैंडमेड पेपर क्लस्टर: बेहतर उपस्करों, प्रशिक्षण, प्रदर्शन दौरों के माध्यम से हस्तनिर्मित कागज संस्थान का उन्नयनीकरण हस्तनिर्मित पेपर संस्थान, पुणे	20.00
6.	गुजरात	पाटरी क्लस्टर सामान्य सुविधा उपस्करों का प्रावधान एवं पारट्स के लिए प्रशिक्षण श्री सर्वोदय ग्लेज्ड पाटरी कोपरेटिव पिलवई	12.00

1	2	3	4
7.	राजस्थान	हैंडमेड पेपर क्लस्टरः सांगनेर, जयपुर में हस्तनिर्मित कागज के लिए कुमारप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीच्यूट (केएनएचपीआई), विभागीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र को बेहतर उपस्कर एवं परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना कुमारप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, सांगनेर	20.00
8.	उत्तर प्रदेश	बीकीपिंग क्लस्टरः सामान्य सुविधा के रूप में, मधु प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारण कंटेनर, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना एपिस ग्रामोद्योग संस्थान, सहारनपुर	12.00
	उत्तर प्रदेश	पाटरी क्लस्टरः सामान्य सुविधा उपस्कर, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता, खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, चिन्हट (लखनऊ)	12.00
9.	बिहार	बीकीपिंग क्लस्टर सामान्य सुविधाएं जैसे मधु प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण उपस्कर, स्टाक मल्टीप्लिकेशन, बी बाक्सेस से आदि प्रदान करना, मुजफ्फरपुर जिला के डी एस, मुजफ्फरपुर	10.00
10.	छत्तीसगढ़	पाटरी क्लस्टर सामान्य सुविधा केन्द्र जैसे क्लिन, पुग मिल्स आदि। प्रशिक्षण विपणन और डिजाइन सहायता साथी समाज सेवा संस्थान, कोंडेगांव	15.00

यूएनडीपी परियोजना

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	पौटरी क्लस्टरः गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से हुनगनकडाई को सामान्य सुविधा उपस्करों	5 लाख

1	2	3	4
		जैसे बौल मिल, क्लिन का प्रावधान पाटरी प्रौद्योगिकी एवं विस्तार परियोजना कन्याकुमारी सेंटर फार सोशल डेवलपमेंट	
	तमिलनाडु	सेंट्रल पूलः चेन्नई में के वी आई बी भवन 'कुरालागम' के उन्नयनीकरण के लिए सहायता, सहायता क्रियाकलाप जिसमें कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। केवीआईबी भवन, चेन्नई, तमिलनाडु	5 लाख
2.	कर्नाटक	सेंट्रल पूलः गैर-सरकारी संगठन निर्गम केन्द्र, बंगलौर का उन्नयनीकरण, कम्प्यूटरीकरण, विपणन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता कर्नाटक सर्वोदय संघ फेडरेशन, बंगलौर	5 लाख
	कर्नाटक	पाटरी क्लस्टरः सामान्य सुविधा उपस्करों के लिए सहायता और प्रशिक्षण केनरा बैंक, प्लेटिनम जुबली ट्रस्ट, कुडेकेवूर	5 लाख
3.	आंध्र प्रदेश	हैंडमेड पेपर क्लस्टरः सामान्य सुविधा उपस्कर, कन्वर्जन उपस्कर, प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करना केवीआई डेवलपमेंट ट्रस्ट, महबूबनगर।	12 लाख
4.	महाराष्ट्र	बीकीपिंग क्लस्टरः गियर एवं कलैक्शन किट्स के माध्यम से जंगली मधुमक्खियों के शिकारियों (आदिवासी) को सहायता, कार्यान्वयन अभिकरण को भंडारण एवं संसाधन संयंत्र प्रगति मल्टीपरपस सोसाइटी, मेलघाट	12 लाख
5.	राजस्थान	पाटरी क्लस्टरः पोखरण में सामान्य सुविधा उपस्कर प्रदान करना, प्रशिक्षण, अभिकल्प एवं विपणन सहायता रूडा, पोखरण, राजस्थान	12 लाख
6.	हरियाणा	हैंडमेड पेपर क्लस्टरः सामान्य सुविधा के रूप में कन्वर्जन उपस्कर प्रदान करना, निर्यात आदि पर उद्यमियों को प्रशिक्षण हरियाणा एच एम पी आई एसोसियेशन, कुरूक्षेत्र	10 लाख

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	बीकीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में मधु संसाधन संयंत्र (एचपीपी), भंडारण कंटेनर, काम्ब फाउंडेशन मिल, प्रशिक्षण प्रदान करना और बी स्टाक का उन्नयनीकरण हिमाचल खादी मण्डल, कुल्लू	10 लाख
8.	उत्तरांचल	बीकीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में मधु संसाधन संयंत्र एवं भंडारण कंटेनर, मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण, बी स्टाक्स उन्नयनीकरण, मल्टीप्लिकेशन एवं वितरण बीकीपिंग एक्सटेंशन सेंटर, हल्द्वानी	12 लाख
9.	उत्तर प्रदेश	पौटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपस्कर, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर	10 लाख
	उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी संगठन द्वारा लखनऊ में चलाए जा रहे विक्रय निर्गम केन्द्र का कम्प्यूटर, विपणन सहायता, प्रशिक्षण आदि प्रदान करके उन्नयनीकरण करना	5 लाख
	उत्तर प्रदेश	हैंडमेड पेपर क्लस्टर: कन्वर्जन उपस्कर, गुणवत्ता नियंत्रण उपस्कर जैसी सामान्य सुविधाएं ग्रामोद्योग मंडल, काल्पी	10 लाख
10.	पश्चिम बंगाल	कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता द्वारा निर्गम केन्द्रों का उन्नयनीकरण खादी भवन, कलकत्ता	5 लाख
	पश्चिम बंगाल	बीकीपिंग क्लस्टर सामान्य सुविधा उपस्कर जैसे संसाधन संयंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, काम्ब मिल, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता प्रदान करना, 24 परगना बीकीपर्स सोसायटी, 24 परगना	12 लाख
11.	छत्तीसगढ़	पाटरी क्लस्टर्स: सामान्य सुविधा केन्द्र जैसे क्लिन, पुगमिल आदि। सुधरे हुए वील्स, प्रशिक्षण विपणन एवं अभिकल्प सहायता गांधी सेवा आश्रम, अम्बिकापुर, सुरगुजा।	10 लाख
12.	अरुणाचल प्रदेश	हैंडमेड पेपर क्लस्टर: हस्तनिर्मित कागज बनाने (दफने कागज) की पारंपरिक प्रक्रिया का उन्नयनीकरण। मुक्तो हैंडमेड पेपर कोपरेटिव सोसायटी, मुक्तो	8 लाख

यू एन डी पी परियोजना

वर्ष 2002-03

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	पौटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपस्करों के माध्यम से यओती ग्राम (याकटमल) में कुम्भकारों को सहायता। यओती पार्टस कोआपरेटिव सोसाइटी, यओती	5 लाख
	महाराष्ट्र	पौटरी क्लस्टर: कुम्भकार सामान्य सेवा उपस्करों का प्रावधान, ग्राम पेठ सेंटर आफ साईंस फार विलेजर्स, पौटरी टेक्नोलाजी एक्सटेंशन सेंटर, पेठ	5 लाख
	महाराष्ट्र	हैंडमेड पेपर क्लस्टर: ग्राम एरानडोल में सामान्य सेवा उपस्करों और प्रशिक्षण का प्रावधान कागजीपुरा कोआपरेटिव पेपर मैन्यूफैक्चरिंग सोसायटी, एरानडोल (जलगांव)	10 लाख
2.	गुजरात	एक गैर-सरकारी संगठन निर्गम केन्द्र को कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण सहायता खादी मंदिर, अहमदाबाद	5 लाख
3.	हिमाचल प्रदेश	पाटरी क्लस्टर: कांगड़ा में पौटरी सेटलमेंट के लिए सामान्य सुविधा कांगड़ा पौटरी सोसायटी, कांगड़ा	5 लाख
4.	जम्मू	बीकीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में मधु संसाधन संयंत्र और भंडारण कंटेनर प्रदान करना गांधी सेवा सदन, जम्मू	10 लाख
5.	झारखण्ड	कम्प्यूटर और प्रशिक्षण प्रदान करना छोटानागपुर के जी संघ, तिरिल, रांची	5 लाख
	झारखण्ड	पाटरी क्लस्टर: पौटरी सेटलमेंट में सामान्य सुविधा उपस्कर प्रदान करना ग्रामोद्योग विकास संस्थान, छलभाषा	5 लाख
	झारखण्ड	पौटरी क्लस्टर: पौटरी सेटलमेंट में सामान्य सुविधा उपस्कर प्रदान करना परिवेश मुक्ति संघ, निमधी	5 लाख

1	2	3	4
6.	उड़ीसा	बीकीपिंग क्लस्टर: गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से सामान्य सुविधा जैसे मधु संसाधन संयंत्र प्रदान करना, एस एच जी महिलाओं द्वारा मधु एकत्र किया जाना मयूरभंज	8 लाख
	उड़ीसा	बीकीपिंग क्लस्टर गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से सामान्य सुविधा जैसे मधु संसाधन संयंत्र प्रदान करना, एसएचजी महिलाओं द्वारा मधु एकत्र करना सर्वोदय समिति, कोरेपुर।	8 लाख
		पौटरी क्लस्टर: जगतसिंघपुर में पाटरी दस्तकारों को सामान्य सुविधा उपस्कर प्रदान करना वीएचएआई, जगतसिंघपुर	-
7.	मध्य प्रदेश	राकबी क्लस्टर्स: मधुमक्खी एकत्र करने वालों (आदिवासियों) को हनी कलेक्शन किट, गियर और गैर-सरकारी संगठन के लिए मधु संसाधन संयंत्र महात्मा गांधी आश्रम, जोरा सिओपुर	8 लाख
8.	असम	हैंडमेड पेपर क्लस्टर: स्थानीय माल का प्रयोग करके हस्तनिर्मित कागज प्रदर्शन और प्रशिक्षण इकाई की स्थापना	20 लाख
	असम	पौटरी क्लस्टर मजौली द्वीपसमूह में कुम्भकारों को बौल-बियरिंग वील्स और क्लिन्स प्रदान करना नार्थ ईस्ट एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, सल्मोरा	5 लाख

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2000-2001

100% केन्द्रीय अनुदान (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	गुजरात	हस्त चालित-इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से सुधार की संभावना निर्धारित करना अहमदाबाद टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए), अहमदाबाद	1.18

1	2	3	4
2.	कर्नाटक	फ्लेवर्ड बेवरेज के विकास के लिए मधु का प्रयोग सेंट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर	3.75
3.	मध्य प्रदेश	रयूमेटायड आर्थराइटिस में ड्रग्स की भूमिका, दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट चित्रकूट, सतना	2.12
4.	महाराष्ट्र	नीरा नैशनल कैमिकल लेबोरिट्री, पुणे की गुणवत्ता और भंडारण स्थिरता सुधारना	4.66
5.	उत्तरांचल	ग्लेज्ड रेडकले पौटरी: सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की	5.00
6.	पश्चिम बंगाल	पारंपरिक डोकरा शिल्प के पुनर्जीवन के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग ग्राम स्वराज संघ बांकुरा, पश्चिम बंगाल	4.91
7.	दिल्ली	भारतीय मुस्लिम खादी प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के निर्माण में वृद्धि करना	3.51
8.	मणिपुर	जनजातीय क्षेत्रों में हैंडलूम वीविंग का संवर्धन: नामालांग खादी एवं ग्रामोद्योग संघ नामालांग, मुख्यालय मणिपुर	14.64
		जनजातीय क्षेत्रों में हैंडलूम वीविंग का संवर्धन: मणिपुर नार्थ इकोनामी डेव. एसोसियेशन	5.50
9.	उत्तर प्रदेश	1. खादी में गुणवत्ता उत्पादन बनाने के लिए साइजिंग प्रोसेस का विकास 2. विद्यमान खादी उत्पादों के गुणवत्ता स्तर का अध्ययन नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद, उ.प्र.	10.32

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2001-02

100% केन्द्रीय अनुदान (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	बेकरी उत्पादों में मधु का प्रयोग केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	1.25

1	2	3	4
2.	महाराष्ट्र	ग्लेज्ड रेड क्ले पौटरी: केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	1.10
		जे बी सी आर आई वर्धा की पुन: मरम्मत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	350.00
		बेंत एवं बांस पर उत्पाद अभिकल्प एवं विकास अपरूप निर्माण, नागपुर	0.50
		नीरा नैशनल कैमिकल लेबोरेट्री पुणे की शेल लाईफ की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार करना	4.66
		मधुमक्खियों पर चल रही परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पुणे	11.46
		वूलन खादी की ब्लेंडिंग वूल रिसर्च एसोसियेशन, थाणे	1.16
3.	राजस्थान	हस्तनिर्मित कागज के विकास पर चल रही परियोजनाएं कुमारप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सांगनेर	45.67
4.	पश्चिम बंगाल	सस्ते कच्चे माल का उपयोग करते हुए विद्यालयों एवं समुदायों को एक्सट्रूडेड खाद्य का अध्ययन	1.25
		सूती एवं रेशनी वस्त्रों के लिए प्राकृतिक डाइयों का विकास और प्रशिक्षण सुंदरबन खादी एवं ग्रामोद्योग सोसायटी	4.95
6.	गुजरात	खादी उत्पादों के विकास पर चल रही परियोजनाएं खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद	19.41
7.	दिल्ली	जैव-खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिनि परीक्षण प्रयोगशाला एमडीटीसी, राजघाट, नई दिल्ली	2.50
8.	मध्य प्रदेश	रयूमेंटायड आर्थराइटिस में इंडीजिनियस ड्रग्स की भूमिका दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, चित्रकूट, सतना	0.97

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2002-03

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	मधु और मधुमक्खियों के रोगों पर परियोजनाएं सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पुणे	15.76
		लाल मिट्टी से गलेज्ड पौटरी उत्पाद ग्रामोद्योग संघ, भद्रावती	2.50
		जैविक खाद जांच प्रयोगशाला गौविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, देओलापट	2.50
		जे बी सी आर आई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली की पुनः मरम्मत	270.00
		नीरा नैशनल केमिकल लेबोरेट्री, पुणे की सेल्फ लाईफ का विस्तार	2.69
		ऊन की ब्लेंडिंग वूल रिसर्च एसोसियेशन, थाणे	1.16
		रबड़ के यौगिक के रूप में काजू का द्रव्य इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसियेशन, थाणे	0.48
		राक बीज पर परियोजना सेंट्रल आफ साईंस फार विलेजेज, वर्धा	0.53
		तकनीकी समर्थन इकाई विश्वेश्वरैया नैशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, नागपुर	18.33
		तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	9.60
2.	गुजरात	खाड़ी के विकास पर चल रही परियोजनाएं खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद	5.37
3.	उत्तर प्रदेश	लाईम क्लिन का डिजाइन केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	0.62
		झारखंड में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	5.00

1	2	3	4
		तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	15.00
4.	कर्नाटक	तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	9.70
5.	केरल	तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	15.40
6.	आंध्र प्रदेश	तकनीकी समर्थन इकाई, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट), हैदराबाद	9.24
7.	राजस्थान	तकनीकी समर्थन इकाई प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर	9.97
8.	मणिपुर	मस्कीटो रेपेलेन्ट अगरबत्ती का विकास हिमागलम ग्रामीण विकास संघ, मणिपुर	0.81
9.	अरुणाचल प्रदेश	जैविक खाद्य एवं प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ, देओमुख	5.00
10.	असम	नकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	11.65
11.	पश्चिम बंगाल	तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर	17.00
12.	उड़ीसा	तकनीकी समर्थन इकाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	9.83
13.	झारखंड	तकनीकी समर्थन इकाई बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरसा रांची	8.25
14.	उत्तरांचल	तकनीकी समर्थन इकाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़की	11.57
15.	दिल्ली	तकनीकी समर्थन इकाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, दिल्ली	39.35

विक्रय निर्गम केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाएं

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्थान का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1. खादी आश्रम, जी.टी. रोड, पानीपत	2.22
		2. खादी ग्रामोद्योग मंडल, झांसा मार्ग, कुरूक्षेत्र	3.98

1	2	3	4
2.	हिमाचल प्रदेश	3. हिमाचल प्रदेश खादी आश्रम, ग्रीन फील्ड लक्का बाजार, शिमला	13.24
		4. हिमाचल नदी मंडल, कुल्लू (हि.प्र.)	5.32
3.	नई दिल्ली	5. आदर्श ग्रामोद्योग समिति 2554ए, लेखू नगर, त्रिनगर, नई दिल्ली	2.36
		6. भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ, उत्तरी क्षेत्र, जी.टी. रोड, पानीपत	3.42
		7. खादी आश्रम, दिल्ली	6.78
		8. आदर्श ग्रामोद्योग समिति, दिल्ली	2.26
4.	कर्नाटक	9. कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (एफ), बेंगेरी, हुबली	2.20
		10. अजारा सिल्क और समिति, मालबर बीड़ी फैक्ट्री के पास, कठरीपल्या, कोलार	3.26
		11. कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ	7.98
		12. कर्नाटक सर्वोदय संघ	4.56
		13. अजारा सिल्क खादी ग्रामोद्योग समिति, कोलार	3.60
		14. खादी एवं ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादकता संघ लि., बेलगाम	5.44
5.	आंध्र प्रदेश	15. भाग्यनगर खादी समिति, हैदराबाद	3.38
		16. गुंटूर जिला खादी ग्राम संस्थान, गुंटूर	4.18
6.	केरल	17. चंगनाचेरी सोशल सर्विसेज	7.66
		18. पलघाट सर्वोदय संघ	2.52
		19. कोझीकोड सर्वोदय संघ	21.70
		20. केरल सर्वोदय संघ	10.08
		21. कान्ननोट सर्वोदय संघ	2.96
		22. केरल खादी एवं ग्रामोद्योग संघ	9.40
		23. केरल खादी एवं ग्रामोद्योग संघ, त्रिचूर	9.36
		24. एलेप्पी सर्वोदय संघ, एलेप्पी	3.66
		25. केरल गांधी स्मारक निधि, त्रिवेन्द्रम	1.60

1	2	3	4
		26. कोझीकोड सर्वोदय संघ, कालीकट	20.96
		27. केरल खादी एवं ग्रामोद्योग महा संघ, कोच्ची	1.14
7.	मदुरई (चेन्नई)	28. अम्बासुंद्रम सर्वोदय संघ	3.02
		29. पांडिचेरी सर्वोदय संघ	7.48
8.	झारखंड (बिहार)	30. छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान, रांची	7.14
		31. खादी ग्रामोद्योग संघ, सिंहभूम, 38, मुख्य मार्ग, बिस्तपुर, जमशेदपुर	3.70
		32. रानीश्वर समग्र विकास परिषद पो.आ. रानीश्वर, दुमका-814148 में	0.58
9.	मध्य प्रदेश	33. एमबी खादी संघ, लश्कर, ग्वालियर	2.80
10.	उत्तर प्रदेश	34. क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, लखनऊ	35.18
11.	असम	35. ग्राम स्वराज परिषद	2.06
12.	नागालैंड	36. नागालैंड खादी एवं ग्रामोद्योग संघ, धोबीनाला रोड, दीमापुर	3.60

सामान्य सुविधा केन्द्र

वर्ष 2000-2001

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामान्य सुविधा केन्द्र का नाम	परियोजना की लागत
1.	अरुणाचल प्रदेश	बी बाक्स मैन्युफैक्वरिंग यूनिट वैक्स यूनिट अरुणाचल प्रदेश एंड ग्रामोद्योग बोर्ड ईटानगर, बी के आई आपियरी यूनिट एच.पी.पी.	रु. 25.20
2.	झारखंड	बी बाक्स मैन्युफैक्वरिंग यूनिट छोटानागपुर, खादी ग्रामोद्योग संघ टिरिल	रु. 26.77

सामान्य सुविधा केन्द्र

वर्ष 2001-2002

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामान्य सुविधा केन्द्र का नाम	परियोजना की लागत
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण अभियांत्रिकी उद्योग काष्ठ कला उत्थान समिति, सहारनपुर	रु. 121.23

1	2	3	4
2.	उत्तरांचल	बायोटैक्नालोजिकल आविष्कारों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बायोटैक्नालोजी द्वारा संपोषित विकास, टेरी	रु. 73.68
3.	हिमाचल प्रदेश	मधुमक्खी शहद संसाधन, बी बाक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रशिक्षण। हिमाचल खादी मंडल, कुल्लू	रु. 24.80

सामान्य सुविधा केन्द्र

वर्ष 2002-2003

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामान्य सुविधा केन्द्र का नाम	परियोजना की लागत
1	2	3	4
1.	उत्तरांचल	जैव प्रौद्योगिकी जड़ी-बूटी एंड कृषि उद्योग, दुर्गा निवास, माल रोड, पौड़ी गढ़वाल	भावी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
		हिमालय पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा का जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मसी	भावी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
		जैव प्रौद्योगिकी जगदम्बा समिति भीलगंगा ब्लाक	भावी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
		शहद संसाधन सुविधा प्रदान करना और शहद विपणन के लिए आधारिक संरचना तैयार करना। उचित प्रौद्योगिकी देहरादून	रु. 253.64
		बी बौक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बैक्स यूनिट उत्तरांचल मानप्लाना संस्थान, नैनीताल	रु. 96.15
		कुमाऊं के लिए मधुमक्खी पालन पर विशेष परियोजना और वन एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण आयुक्त	रु. 236.32
2.	तमिलनाडु	औषधीय पौधों और सूत्रों का संग्रहण गांधी ग्राम, खादी एवं ग्रामोद्योग ट्रस्ट मदुरई	रु. 122.20

1	2	3	4
3.	केरल	औषधीय पौधों और सूत्रों का संग्रहण केरल सर्वोदय संघ, कालीकट	रु. 159.00
4.	महाराष्ट्र	केन एंड बैम्बू फाइन आर्टिकल्स समित्र आड. सह. संस्थान अस्थि जिला गढचिरौली	रु. 274.00
		राक बी हनी कलैक्शन नैशनल बी कीपिंग डेवलपमैंट सेंटर, वर्धा	रु. 74.00
		कॉफी, चाय, चीनी, केन जूस, फ्रूट जूस, बटाटा बड़ा और समोसा इत्यादि बनाने के लिए कियास्क्स की स्थापना करना युसुफ महरौली केन्द्र, तारा मुम्बई	रु. 8.44
5.	उड़ीसा	अदरक का तेल निकालना उड़ीसा ग्राम विकास एवं विपणन पूर्ति सोसाइटी, कोरापुट	रु. 265.90
		नीरा केटरिंग, गुड़ निर्माण लुबर सिंह सामान्य सुविधा केन्द्र, गणपति	रु. 44.68
		पाम उत्पाद, पोदपादा सामान्य सुविधा केन्द्र, ढेंकनाल	रु. 37.50
6.	कर्नाटक	रानी पालन और इम्प्रूव्ड बी स्टाक ट्रेनिंग सप्लाई सेंचुरी फाउंडेशन, बंगलौर	रु. 127.37
7.	मध्य प्रदेश	अपेरी यूनिट और शहद संसाधन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जयपुर	रु. 15.50

विवरण II

नए प्रशिक्षण केन्द्र

वर्ष 2000-2001

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत
1.	नागालैण्ड	नागालैण्ड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कोहिमा (एन.डी.टी.सी. दीमापुर)	84.75

वर्ष 2001-2002

क्रमांक	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत
		शून्य	शून्य

वर्ष 2002-2003

क्रमांक	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत
		शून्य	शून्य

विवरण III

प्रोडिप (उत्पाद विकास, डिजाइन इन्टरवैन्शन और पैकेजिंग)

2002-03

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	कुल राशि
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	खादी टैक्सटाइल प्रोडक्टफ्लस रेंज कर्नाटक सर्वोदय संघ, बंगलौर	1.94
		तैयार डेनिम वस्त्र परियोजना वाविलाल खादी ग्रामोद्योग प्रातिस्ठान, वाविलाल	1.00
2.	आंध्र प्रदेश	तैयार सूती वस्त्र परियोजना मैटपाली खादी ग्रामोद्योग प्रतिस्थान मैटपाली	1.00
		तैयार रेशमी वस्त्र परियोजना गुन्टूर जिला खादी ग्रामोद्योग प्रातिस्थान, गुन्टूर	1.00
		फर्नीचर डिजाईन शायुईओनोजू टिम्बर एंड फर्नीचर इन्डस्ट्रीज	1.00
3.	गुजरात	मैन्स वियर कस्तूरबा सहकारी कान्तन मंडली लिमिटेड, गांधी रोड, अहमदाबाद-380004	3.15
		बने हुए वस्त्र खादी ग्राम प्रयोग समिति, गांधी आश्रम, अहमदाबाद-380027	2.05

1	2	3	4
		किड्स वियर स्वामी विवेकानन्द खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, 27 जय शिव शक्ति सोसाइटी भयान्दा सोसाइटी के पीछे, जीवराज पार्क, अहमदाबाद 51	2.97
4.	उत्तर प्रदेश	सेल्स आउटलैट के ग्राहक के आसपास होने में सुधार तथा बेहतर डिस्पले क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ	3.00
		उत्पाद डिजाइन (खादी वस्त्र) सुशीला ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद	2.50
		फर्नीचर क्लाथ का डिजाइन और विकास, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, सहारनपुर	3.00
		शैम्पू के पैकेजिंग डिजाइन और आनलाइन प्रोडक्शन प्रक्रिया में सुधार, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मुरादाबाद	2.50
5.	केरल	बेंत तथा बांस में अपेक्षाकृत नए डिजाइन, साजी एजेंसी, नेलीकुन्नम, कोटारकारा कोलम जिला	. 1.35
		आकर्षण हेतु तथा कच्चे माल और मजदूरी में कमी करने के लिए सरलीकृत बेंत उत्पाद श्रीमती जयकुमारी जे.के. कैन इंडस्ट्रीज कलबूर, एलेप्पी	1.54
		ब्रेजियर यूनिट (ब्राज में नए डिजाइनों का दखल) वैल्यू एडिशन हेतु फैब्रिक पेंटिंग केरल शैक्षणिक विकास एवं रोजगार सोसाइटी केडेस, थाईकाड, त्रिवेन्द्रम	2.59

विवरण IV

यू एन डी पी परियोजना

वर्ष 2000-01

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	पाटरी क्लस्टर: अनेक सामान्य सुविधा उपकरणों जैसे किल्नज, बाल मिल्ज, पग मिल्ज, ग्लेजिंग इक्विपमैन्टस। इसके अतिरिक्त विपणन और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई है। मनमदुरई पाटर्स कूप सोसाइटी मनमदुरई	12 लाख
		बी कीपिंग क्लस्टर: शहद संसाधन प्लांट और काम्ब फाउंडेशन मिल के लिए सहायता, बी स्टाक मल्टीप्लीकेशन ट्रेनिंग और विपणन सहायता कन्याकुमारी सर्वोदय संघ, नागरकायल	10 लाख
2.	कर्नाटक	बी कीपिंग क्लस्टर: शहद अनुसंधान प्लांट के लिए सहायता, मधुमक्खी संग्रहालय और सूचना केन्द्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, स्टाक मल्टीप्लीकेशन इत्यादि। पुथुर बी कीपर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, पुथुर	12 लाख
3.	आंध्र प्रदेश	हस्तनिर्मित पेपर क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरण, कन्वर्जन उपकरण उपलब्ध कराना और प्रशिक्षण के वी आई डेवलपमैंट ट्रस्ट, मैहबूब नगर	12 लाख
4.	केरल	पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता कुम्भन सोसाइटी, नीलाम्बूर	10 लाख

1	2	3	4
5.	महाराष्ट्र	बी कीपिंग क्लस्टर: बेहतर प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रयोगशाला उपकरणों के माध्यम से विभागीय केन्द्र सी.बी.आर.टी.आई. पुणे का उन्नयन सैन्ट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पुणे	30 लाख
		हस्त निर्मित पेपर क्लस्टर: बेहतर उपकरणों, प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट्स इत्यादि के माध्यम से एच एम पी इन्स्टीट्यूट का उन्नयन हस्त निर्मित कागज संस्थान पुणे	20 लाख
6.	गुजरात	पाटरी क्लस्टर: कुम्हारों के लिए सामान्य सुविधा उपकरणों और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। श्री सर्वोदय ग्लेज्ड पाटरी कोआपरेटिव, पिलवाई	12 लाख
7.	राजस्थान	हस्तनिर्मित पेपर क्लस्टर: कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान (के.एन.एच.पी.आई.) जो कि सांगानेर, जयपुर में विभागीय प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र है, में बेहतर उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं	12 लाख
8.	उत्तर प्रदेश	बी कीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में शहद संसाधन प्लांट और स्टोरेज कन्टेनर्स प्रदान करना, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना, एपिस ग्रामोद्योग संस्था, सहारनपुर	12 लाख
		पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता। खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, चिन्हाट (लखनऊ)	12 लाख
9.	बिहार	बी कीपिंग क्लस्टर: शहद संसाधन प्लांट, स्टोरेज उपकरण स्टाक मल्टीप्लीकेशन, बी बाक्सिज इत्यादि जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करना। मुजफ्फरपुर जिला के.जी.एस., मुजफ्फरपुर	10 लाख

1	2	3	4
10.	छत्तीसगढ़	पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा केन्द्र जैसे किल्न, पडा मिल इत्यादि प्रशिक्षण विपणन और अभिकल्प सहायता साथी समाज सेवा संस्थान, कोन्डेगोआन	15 लाख

यू एन डी पी परियोजना

वर्ष 2001-02

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	पाटरी क्लस्टर: गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चुंगनकडाई समाज के बाल मिल, क्लिन जैसे सामान्य सुविधा उपकरण प्रदान करना पाटरी प्रौद्योगिकी और विस्तार परियोजना, सामाजिक विकास हेतु कन्याकुमारी केन्द्र	5 लाख
	तमिलनाडु	केन्द्रीय पूल: चैन्नई में के वी आई बी भवन कुरालागाम के उन्नयन हेतु सहायता सहायता क्रियाकलापों में कम्प्यूटराइजेशन प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। के वी आई बी भवन, चैन्नई, तमिलनाडु	5 लाख
2.	कर्नाटक	केन्द्रीय पूल: एन.जी.ओ. आटलैट, बंगलौर का उन्नयन, कम्प्यूटराइजेशन, विपणन और प्रशिक्षण के लिए सहायता कर्नाटक सर्वोदय संघ फैडरशन, बंगलौर	5 लाख
	कर्नाटक	पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरणों और प्रशिक्षण के लिए सहायता। केनरा बैंक प्लैटिनम जुबली ट्रस्ट, कुडेकेबेबूर	5 लाख

1	2	3	4
3.	आंध्र प्रदेश	हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरण, कन्वर्जन उपकरण प्रशिक्षण और विपणन सहायता। के वी आई डेवलपमैंट ट्रस्ट, महबूबनगर	12 लाख
4.	महाराष्ट्र	बी कीपिंग क्लस्टर: गीयर तथा क्लैक्शन, किटस भंडारण के माध्यम से जंगली मधुमक्खी शिकारियों (आदिवासियों) को सहायता तथा कार्यान्वयन अभिकरण को संसाधन प्लांट प्रगति मल्टीपरपज सोसाइटी, मेलघाट	12 लाख
5.	राजस्थान	पाटरी क्लस्टर: पोखरण में सामान्य सुविधा उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण डिजाइन तथा विपणन सहायता रूदा, पोखरण, राजस्थान	–
6.	हरियाणा	हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में कन्वर्जन उपकरण उपलब्ध कराना, निर्यात आदि पर उद्यमियों को प्रशिक्षण देना। हरियाणा एच एम पी आई संघ, कुरूक्षेत्र	10 लाख
7.	हिमाचल प्रदेश	बी कीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में शहद संसाधन प्लान्ट (एच पी पी) स्टोरेज कन्टेनर्स, काम्ब फाउन्डेशन मिल, प्रशिक्षण प्रदान करना और बी स्टाक का उन्नयन हिमाचल खादी मंडल, कुल्लू	10 लाख
8.	उत्तरांचल	बी कीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में शहद संसाधन प्लांट और स्टोरेज कन्टेनर्स प्रदान करना, मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण, बी स्टाक्स उन्नयन, मल्टीप्लिकेशन और वितरण मधुमक्खी विस्तार केन्द्र, हल्द्वानी	12 लाख

1	2	3	4
9.	उत्तर प्रदेश	पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा उपकरण प्रशिक्षण और विपणन सहायता पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर	10 लाख
		लखनऊ में गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित बिक्री आउटलेट का विपणन सहायता, प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करने के माध्यम से उन्नयन	5 लाख
		हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: सामान्य सुविधाएं जैसे कन्वर्जन उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण, ग्रामोद्योग मंडल, काल्पी	10 लाख
10.	पश्चिम बंगाल	कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता के माध्यम से आउटलेट का उन्नयन	5 लाख
		बी कीपिंग क्लस्टर: प्रौसेसिंग प्लांट, क्यू सी लैब, काम्ब मिल प्रशिक्षण तथा विपणन जैसे सामान्य सुविधा उपकरण उपलब्ध कराना। 24 परगनाज बी कीपर्स सोसाइटी, 24 परगनाज	12 लाख
11.	छत्तीसगढ़	पाटरी क्लस्टर: सामान्य सुविधा जैसे किल्न, पग मिल इत्यादि। सुधरे हुए हील्स, प्रशिक्षण, विपणन और डिजाइन सहायता। गांधी सेवा आश्रम, अम्बिकापुर, सरगुजा	10 लाख
12.	अरुणाचल प्रदेश	हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: हस्तनिर्मित कागज निर्माण (डैफन पेपर) की पारम्परिक प्रक्रिया का उन्नयन। मुक्तो हैंडमेड पेपर कोआपरेटिव सोसाइटी, मुक्तो	8 लाख

यू एन डी पी परियोजना

वर्ष 2002-03

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	पाटरी क्लस्टर: ग्राम येवती (यवतमाल) में सामान्य सुविधा उपकरणों के माध्यम से कुम्हारों को सहायता येवती पाटर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, येवती	5 लाख
		पाटरी क्लस्टर: पाटरी सामान्य सुविधा उपकरणों का प्रावधान, ग्राम पेठ सेन्टर आफ साइंस फार विलेजिस, पाटरी प्रौद्योगिकी विस्तार केन्द्र, पेठ	5 लाख
		हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: ग्राम इटानडोल में सामान्य सुविधा उपकरणों और प्रशिक्षण का प्रावधान। कागजीपुरा कोआपरेटिव पेपर मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी, इरानडोल (जलगांव)	10 लाख
2.	गुजरात	एक गैर-सरकारी संगठन आउटलैट को कम्प्यूटराइजेशन तथा प्रशिक्षण सहायता। खादी मंदिर, अहमदाबाद	5 लाख
3.	हिमाचल प्रदेश	पाटरी क्लस्टर: कांगडा में पाटरी सेटलमैंट के लिए सामान्य सुविधा कांड़ा पाटरी सोसाइटी, कांगड़ा	5 लाख
4.	जम्मू	बी कीपिंग क्लस्टर: सामान्य सुविधा के रूप में शहद संसाधन प्लांट तथा स्टोरेज कन्टेनर्स प्रदान करना	10 लाख
5.	झारखंड	कम्प्यूटर तथा प्रशिक्षण प्रदान करना छोटा नागपुर के जी संघ, टिरिल, रांची	5 लाख
		पाटरी क्लस्टर: पाटरी सैटलमैंट में सामान्य सुविधा उपकरण प्रदान करना। ग्रामोद्योग विकास संस्थान, छैभासा	5 लाख

1	2	3	4
		पाटरी क्लस्टर: पाटरी सैटलमैंट में सामान्य सुविधा उपकरण प्रदान करना। परिवेश मुक्ति संघ, निम्धि	5 लाख
6.	उड़ीसा	बी कीपिंग क्लस्टर: गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से शहद संसाधन प्लांट जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करना। एच एच जी महिलाओं द्वारा शहद संग्रहित किया जाता है, मयूरभंज	8 लाख
	उड़ीसा	बी कीपिंग क्लस्टर: गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से शहद संसाधन प्लांट जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करना। एस एच जी महिलाओं द्वारा संग्रहित किया जाता है। सर्वोदय समिति, कोटपुर	8 लाख
		पाटरी क्लस्टर: जगतसिंहपुर में दस्तकारों को सामान्य सुविधा उपकरण प्रदान करना	–
7.	मध्य प्रदेश	राकबी क्लस्टर: शहद संग्रहण किट, मधुमक्खी संग्रहकर्ताओं (आदिवासियों) को गीयर और गैर-सरकारी संगठन को शहद संसाधन प्लांट। महात्मा गांधी आश्रम, जोरा श्योपुर	8 लाख
8.	असम	हस्तनिर्मित कागज क्लस्टर: एच एम पी प्रदर्शन इन्स्टाल करना और स्थानीय माल का उपयोग करके प्रशिक्षण इकाई। जिला उद्योग केन्द्र, जोरहाट	20 लाख
		पाटरी क्लस्टर: माजौली आईलैण्ड में कुम्हारों को बाल बीयरिंग व्हील्स, क्लिन्स उपलब्ध कराना, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सोसाइटी, सालमोरा	5 लाख

विवरण V

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2000-2001

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1.	गुजरात	हस्तचालित उपकरणों के माध्यम से सुधार की संभावना का अंदाजा लगाना। अहमदाबाद टैक्सटाइल रिसर्च संघ (ए टी आई आर ए) अहमदाबाद	1.18 लाख
2.	कर्नाटक	फ्लेवर्ड बीवरेज विकसित करने हेतु शहद का उपयोग। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	3.75 लाख
3.	मध्य प्रदेश	रयूमेटाइड आर्थाराइटिस में स्वदेशी दवाओं की भूमिका। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट सतना	2.12 लाख
4.	महाराष्ट्र	नीरा की गुणवत्ता तथा भंडारण स्थायित्व में सुधार लाना। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे	4.66 लाख
5.	उत्तरांचल	ग्लेज्ड रैड क्ले पौटरी केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	5.00 लाख
6.	पश्चिम बंगाल	पारम्परिक डोकरा शिल्प के पुनर्जीवन हेतु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। ग्राम स्वराज संघ बान्कुरा, पश्चिम बंगाल	4.91
7.	दिल्ली	मलमल खादी का उत्पादन बढ़ाना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	3.51

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्ष 2001-2002

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	बेकरी उत्पादों में मधु का उपयोग केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	1.25

1	2	3	4
2.	महाराष्ट्र	ग्लेज्ड रेड क्ले पाटरी सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की	1.10
		जेबीसीआरआई वारधा की रिवैम्पिंग इंडियन इंस्टटीट्यूट आफ टेकनालाजी, नई दिल्ली	350.0
		बेंत और बांस संबंधी उत्पाद डिजाइन तथा विकास	
		एप्रोच निर्माण, नागपुर नीरा नैशनल कैमिकल्ज लेबोरेट्री, पुणे की शेल्फ लाईफ की गुणवत्ता में सुधार तथा विस्तार, चल रही मधुमक्खी परियोजनाओं के संबंध में	0.50
		अनुसंधान और विकास, केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान	4.66
		और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे।	11.46
		ब्लेंडिंग आफ वूलन खादी वूल रिसर्च एसोसिएशन थाणे	11.46
			1.16
3.	राजस्थान	एच.एम.पी. के विकास के संबंध में चल रही परियोजना कुमारप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर रिसर्च इन्सटीट्यूट, सांगनेर।	45.67
4.	पश्चिम बंगाल	एक्सटूडिड फूड टू स्कूल एंड कम्यूनिटी सस्ते कच्चे माल का उपयोग जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता	1.25
		नेचुरल डाईज का विकास तथा काटन और सिल्क फैब्रिक के लिए प्रशिक्षण सुन्दरबन खादी और ग्रामोद्योग सोसाइटी।	4.95
5.	गुजरात	खादी उत्पादों के विकास के संबंध में चल रही परियोजनाएं खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद	19.41
6.	दिल्ली	बायो मैन्योर प्रोग्राम के तहत टेस्टिंग लेबोरेट्री एम.डी.टी.सी., राजघाट, नई दिल्ली	2.50
7.	मध्य प्रदेश	रिमाटायड आर्थराइटिस के संबंध में देशज दवाओं की भूमिका। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट-चित्रकूट, सतना	0.97

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्ष 2002-2003

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	मधु तथा मधुमक्खी बीमारियों संबंधी परियोजना सेन्ट्रल बी रिसर्च एंड प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	15.76

1	2	3	4
		रेड कले से ग्लेजड पाटरी प्रोडक्टस ग्रामोद्योग संघ, भद्रावती	2.50
		बायो मैन्योर टेस्ट लेबोरेट्री गो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, देवलापुर	2.50
		जेबीसीआरआई की रिवैम्पिंग इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, नई दिल्ली	270.00
		नीरा की शैल्फ लाईफ का विस्तार नैशनल कैमिकल लेबोरेट्री, पुणे	2.69
		ब्लैंडिंग आफ वूल वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे	1.16
		रबड़ कम्पाउंड के रूप में कैशिव नट लिक्विड इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे	0.48
		राक बीज संबधी परियोजना सेंटर आफ साईस फार विलेजिज, वारधा	0.53
		टेक्नीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आप टेक्नालाजी, मुंबई	9.60
2.	गुजरात	खादी के विकास के संबंध में चल रही परियोजनाएं खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद	5.37
3.	यू.पी.	लाईम क्लिन का डिजाइन सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूड़की	0.62
		झारखण्ड में मेडिसिनल प्लांट्स का सर्वेक्षण नैशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	5.00
		टेकनीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर।	15.00
4.	कर्नाटक	टेकनीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईस, बंगलौर	9.70
5.	केरल	टेकनीकल बैकअप यूनिट नैशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कालीकट	15.40
6.	आंध्र प्रदेश	टेकनीकल बैकअप यूनिट नैशनल इंस्टीट्यूट फार स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग (निसिएट), हैदराबाद	9.24
7.	राजस्थान	टेकनीकल बैकअप यूनिट कालेज आफ टेक्नालाजी एंड इंजीनियरिंग, उदयपुर।	9.97
8.	मणिपुर	मोसकीटो रिपेलैंट अगरबत्ती का विकास हियानगलम रूरल डिवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर।	0.81

1	2	3	4
9.	अरुणाचल प्रदेश	बायोमैनयोर अस्ट लेबोरेट्री अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ, दोइमुख	5.00
10.	असम	टेकनीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, गुवाहाटी	11.65
11.	पश्चिम बंगाल	टेकनीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, खड़गपुर	17.00
12.	उड़ीसा	टेकनीकल बैकअप यूनिट नैशनल इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी-राउरकेला	9.83
13.	झारखण्ड	टेकनीकल बैकअप यूनिट बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी-मेसरा, रांची	8.25
14.	उत्तरांचल	टेकनीकल बैकअप यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, रूड़की	11.57
15.	दिल्ली	टेकनीकल बैकअप यूनिट इन्दिरा गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी (आईजीएनओयू), दिल्ली	39.35

विवरण VI

वर्ष 2002-2003

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत	कारण
1	2	3	4	5
1.	हिमाचल प्रदेश	शिवालिक खादी आश्रम, ऊना	49.56	राज्य निदेशक को टिप्पणी हेतु संदर्भित
2.	महाराष्ट्र	सिरडी साई रूरल इंस्टीट्यूट, रहटा, (अहमदाबाद)	440.00	संस्थान से विशिष्ट प्रस्ताव मंगवाया गया है
3.	पंजाब	रिजनल सेन्टर फार एन्ट्रीप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट, चंडीगढ़	90.00	राज्य निदेशक को टिप्पणी हेतु संदर्भित
4.	राजस्थान	3. डब्ल्यू.टी.सी., गलीचा, बीकानेर, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	45.70	राज्य निदेशक को टिप्पणी हेतु संदर्भित

1	2	3	4	5
		4. इंजियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, झालावाड़ (2000-2001)	66.35	विचाराधीन
5.	मिजोरम	मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिम्बावक, ऐजावल (1999-2000)	84.33	लागल की 55% की भागीदारी के संबंध में बोर्ड की पुष्टि प्राप्त होनी है।
6.	छत्तीसगढ़	मल्टीडिसिपिलिनरी ट्रेनिंग सेन्टर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	40.00	राज्य निदेशक को टिप्पणी हेतु संदर्भित
7.	सिक्किम	टीटीआई नैमची नार्थ ईस्टर्न खादी और उद्योग बोर्ड, कोलकाता	850.00	संस्थान ब्लैक लिस्टिड होने के कारण सहमति नहीं दी गई।

विवरण VII

प्रोदीप योजना

वर्ष 2002-2003

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजना का नाम	अनुमानतः लागत	स्वीकृत न किए जाने के कारण
1	2	3	4	5
1.	केरल	1. विभिन्न प्रकार के खादी के कपड़ों का उत्पादन-केरला गांधी स्मारक निधि	2.80	आशोधित प्रस्ताव बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।
		2. वी.सी.डी. प्लेयर नए माडल का डिजाइन केरला स्टेट रूरल वोमेन्स इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीयल को-आपरेटिव फैडरेशन (आर.यू.टी.आर.ओ.एन.आई.एक्स.)	3.12	डिजाइनर को एनआईडी के यहां एमपैनल्ड होना है जिसके लिए प्रस्ताव किया जाएगा।
2.	गुजरात	1. न्यू पैटर्न श्री खादी ग्राम विकास सेवा मंडल, 51, कर्म भूमि, मित्रमंडल सोसाइटी टी.बी. हस्पताल के सामने, जिला सुरेन्द्रनगर।	2.96	डिजाइनर की उपस्थिति के अभाव में आस्थगित

1	2	3	4	5
		2. न्यू डिजाइन श्री जनसेवा खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, कवेडिया, 884, कृष्णा नगर समाहर्ता कार्यालय के पीछे जिला-सुरेन्द्रनगर	2.57	स्कीम का अपेक्षानुसार प्रस्ताव नहीं है।
		3. लेटेस्ट डिजाइन इन खादी फैब्रिक्स सुरेन्द्रनगर जिला सर्वोदया विकास मंडल गढ़ शाला रोड, सिन्धन नगर-पोस्ट, जोराबनगर, सुरेन्द्रनगर-363020	2.77	डिजाइनर की उपस्थिति के अभाव में आस्थगित।
		4. रिंकल फ्री श्री योगी करूपा खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, 22 लक्ष्मी सोसाइटी एस.टी. बस स्टैंड, मोडैसा के पास जिला-साबरकन्ठा।	4.67	और अधिक स्पष्टीकरण तथा आशोधन की अपेक्षा है।

विवरण VIII

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्ष 2000-2001

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानतः लागत	स्वीकृत न किए जाने के कारण
1	2	3	4	5
1.	मणिपुर	आदिवासी क्षेत्रों में हैंडलूम विविंग का संवर्धन नामलोंग खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन, नामलोंग, तेमंगलांग, एच.क्यू. मणिपुर	14.64	प्रस्ताव को एस. एंड टी. कार्यक्रम तथा के.वी.आई. क्रियाकलाप के साथ-साथ एस. एंड टी. परियोजना सीमा के तहत कवर नहीं किया गया है।
2.	उत्तर प्रदेश	1. खादी में गुणवत्ता उत्पादों को बनाने के लिए साईजिंग प्रक्रिया का विकास	-	खादी स्कन्ध द्वारा सिफारिश नहीं की गई

1	2	3	4	5
		2. मौजूदा खादी उत्पादों के गुणवत्ता स्तर का अध्ययन नार्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद, यू.पी.	10.32	तथा न ही उपर्युक्त पाया गया, परियोजना एस. एंड टी. के तहत सीलिंग लिमिट से अधिक है।
3.	मणिपुर	आदिवासी क्षेत्रों में हैंडलूम विविंग का संवर्धन मणिपुर नार्थ इकोनोमिक विकास एसो.	5.00	प्रस्ताव को के.बी.आई.सी. क्रियाकलाप के तहत कवर नहीं किया गया।

विवरण IX

सामान्य सुविधा केन्द्र

वर्ष 2000-2001

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सी.एफ.सी. का नाम	परियोजना की लागत	निकासी न किए जाने के कारण
1.	अरुणाचल प्रदेश	बी. बाक्स मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट वैक्स यूनिट अरुणाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, ईटानगर, बी.के.आई. एपायरी यूनिट एचपीपी	25.20	प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया
2.	झारखण्ड	बी. बाक्स मैन्यूफैक्टरिंग यूनिट-वैक्स यूनिट-छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संघ टिरिल	26.77	-वही-

सामान्य सुविधा केन्द्र

वर्ष 2001-2002

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सीएफसी का नाम	परियोजना की लागत	निकासी न किए जाने के कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	रूरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री काठकला उत्थान समिति सहारनपुर	121.23	तकनीकीय साध्यता प्रक्रिया के अंतर्गत तथा डी.सी. हैंडीक्राफ्ट खोलने का प्रस्ताव प्राप्त

1	2	3	4	5
				हुआ है और यह ईसी तथा एस.एफ.सी. के समक्ष प्रस्तुति के अंतर्गत है।
2.	उत्तरांचल	बायोटेक्लाजीकल इन्वेंशन्स, टेरी के माध्यम से रूरल इकोनोमी के विकास को बायो टेकनालाजी प्रोत्साहित करती है	73.68	प्रस्ताव अस्वीकृत क्योंकि आशय प्रस्ताव के.वी. आई.सी. मानदंडों के तहत फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि के.वी.आई.सी. बायो मैन्योर (आर्गेनिक मैन्योर) का कार्यान्वयन करती है न कि फर्टिलाइजर का।
3.	हिमाचल प्रदेश	बी. हनी प्रोसेसिंग बी. बाक्स मैन्यूफैक्चरिंग, ट्रेनिंग-हिमाचल खादी मंडल, कुल्लू।	24.80	यू.एन.डी.पी. के तहत विचार किया गया।

सामान्य सुविधा केन्द्र वर्ष 2002-2003

क्र.सं.	राज्य	सी.एफ.सी. का नाम	परियोजना की लागत	निकासी न किए जाने के कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल	बायो टेक्नालाजी हर्बर्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज दुर्गा निवास, माल रोड, पौड़ी गढ़वाल।	भावी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।	विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में निकासी नहीं की गई: 1. अभिकरण की बहुत कैजुअल पहुंच है, उन्होंने वित्तीय अपेक्षाओं को भी नहीं दर्शाया है। 2. प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुआ। कार्यान्वयन अभिकरण तथा राज्य कार्यालय दोनों को सलाह दी गई है कि वे मानदंडों अनुसार प्रस्ताव को बनाए। कार्यान्वयन अभिकरण तथा राज्य कार्यालय दोनों को 13.2.2003 के पत्र द्वारा अनुस्मारक दे दिया गया है।
		बायो टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजूकेशन, मैसी	भावी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राशि का उल्लेख नहीं किया गया है	निकासी नहीं की गई। 1. अभिकरण पहुंच के मामले में बड़ा ही कैजुअल है क्योंकि उन्होंने वित्तीय अपेक्षाओं को नहीं दर्शाया है।

1	2	3	4	5
				2. प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यान्वयन अभिकरण तथा राज्य कार्यालय दोनों को सलाह दी गई है कि वे मानदंडों अनुसार प्रस्ताव को बनाए। कार्यान्वयन अभिकरण तथा राज्य कार्यालय दोनों को 13.2.2003 के पत्र द्वारा अनुस्मारक दे दिया गया है।
		बायो-टेकनालाजी जगदम्बा समिति भीलगंगा ब्लाक	-वही-	-वही-
		मधु प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करने तथा मधु विपणन हेतु बुनियादी संरचना का सृजन करने के लिए एप्रोप्रिएट टेकनालाजी, हेदरादून।	रु. 253.64	प्रस्ताव की प्रतिपूर्ति के संबंध में 5.2.2003 को एक पत्र जारी किया गया है।
		बी. बाक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वैक्स यूनिट उत्तरांचल माउन फलाना संस्थान, नैनीताल।	रु. 96.15	प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजा गया है।
		कुमाऊं के लिए एपीकल्चर के संबंध में विशेष प्रोजेक्ट तथा वन तथा ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण आयुक्त।	रु. 236.32	श्री आर.एस. टोलिया, प्रिंसीपल सेक्रेट्री एंड कमीश्नर (वन और ग्रामीण विकास) को सूचनार्थ एक पत्र भेजा गया है। उत्तर अभी आना है।
2.	तमिलनाडु	मेडिसिनल प्लांट्स एंड फार्मूलेशन का कलेक्शन गांधी ग्राम खादी और ग्रामोद्योग ट्रस्ट, मदुराई	रु. 122.20	अभी निकासी की जानी है विभिन्नताओं की समीक्षा की गई है। इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया। प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
3.	केरल	मेडिसिनल प्लांटस एंड फार्मूलेशन का कलेक्शन केरला सर्वोदया संघ, कालीकट	रु. 159.00	अभी निकासी की जानी है विभिन्नताओं की समीक्षा की गई है। पुन: प्रस्तुतीकरण के संबंध में 8.1.2003 को एक पत्र जारी किया गया है। ठीक किया गया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	महाराष्ट्र	केन एंड बेम्बू फाइल आर्टीकल्स सुमित्रा एयूड साह संस्थान, आस्थी, जिला-गडचिरौली	रु. 274.00	विभिन्नताओं की समीक्षा कर ली गई है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक किया गया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
		राक बी हनी कलेक्शन नैशनल बीकीपिंग डेवलपमेंट सेन्टर, वर्धा	रु. 74.00	राज्य निदेशक की सिफारिश अभी आनी है।
		काफी, चाय, शुगर केन जूस, बटाटा वड़ा तथा समोसा इत्यादि के बनाने के लिए किओस्क्स की स्थापना यूशफ मेहरौली सेन्टर तारा, मेहरौली।	रु. 8.44	अभी निकासी की जानी है। साध्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। किओसंक्स क्रियाकलाप के खाद्य प्रसंस्करण को परियोजना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एफ.पी.ओ. विशिष्टमान और मानदंडों के अंतर्गत आता है।
5.	उड़ीसा	जिंजर आयल एक्सट्रेक्शन उड़ीसा रूरल डिवलपमेंट एंड मार्किटिंग सप्लाई सोसाइटी, कोरापुट	रु. 265.90	अभी निकासी नहीं की गई है। साध्यता स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
		नीरा केटरिंग जगरी मेकिंग लुबारसिंह कामन फेसिलिटी सेंटर गाजापटी	रु. 44.68	टी.ए.सी. तथा एस.एफ.सी. से निकासी होनी है।
		पाम प्रोडक्ट्स पोडप्पा कामन फेसिलिटी सेन्टर धेंकनाल।	रु. 37.50	प्रक्रिया के अंतर्गत है।

1	2	3	4	5
6.	कर्नाटक	क्वीन रियरिंग एंड सप्लाई आफ इम्प्रूवड बी. स्टाक ट्रेनिंग, सेन्चुरी फाउंडेशन बंगलौर।	रु. 127.37	आशोधन सहित परियोजना के पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए पत्र लिखा गया है।
7.	मध्य प्रदेश	एपरी यूनिट एंड हनी प्रोसेसिंग, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जसपुर।	रु. 15.50	प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में नहीं प्रस्तुत किया गया है।

विवरण X

सेल्ज आउटलेट्स के आधुनिकीकरण हेतु परियोजनाएं

वर्ष 2002-2003

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		संस्थान का नाम	अनुमानित लागत
1	2		3	4
1.	हरियाणा	1.	खादी आश्रम जी.टी. रोड, पानीपत	2.22
		2.	खादी ग्रामोद्योग मंडल झान्सा रोड, कुरूक्षेत्र	3.98
2.	हिमाचल प्रदेश	3.	हिमाचल खादी आश्रम, ग्रीन फील्ड, लक्कड़ बाजार, शिमला	13.24
		4.	हिमाचल खादी मंडल, कुल्लू (एच.पी.)	5.32
3.	नई दिल्ली	5.	आदर्श ग्रामोद्योग समिति, 2554-ए लेखू नगर, त्रिनगर, नई दिल्ली	2.36
		6.	भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ नार्दन जोन, जी.टी. रोड, पानीपत	3.42
		7.	खादी आश्रम, दिल्ली	6.78
		8.	आदर्श ग्रामोद्योग समिति, दिल्ली	2.26
4.	कर्नाटक	9.	कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (एफ) बेनगेरी, हुबली	2.20

1	2		3	4
		10.	अजारा सिल्क समिति, एन.आर. मालवार बीड़ी फैक्टरी, कठरीपाल्या, कोलार	3.26
		11.	कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ	7.98
		12.	कर्नाटक सर्वोदय संघ	4.56
		13.	अजारा सिल्क खादी ग्रामोद्योग समिति, कोलार	3.60
		14.	खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लि., बेलगांव	5.44
5.	आंध्र प्रदेश	15.	भाग्यनगर खादी समिति, हैदराबाद	3.38
		16.	गंतूर जिला खादी ग्रामोद्योग सस्था, गंतूर	4.18
6.	केरल	17.	चंगनाचेरी सोशल सर्विसिज	7.66
		18.	पालघाट सर्वोदय संघ	2.52
		19.	कोझीकोड सर्वोदय संघ	21.70
		20.	केरल सर्वोदय संघ	10.08
		21.	केन्नौर सर्वोदय संघ	2.96
		22.	केरल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन	9.40
		23.	केरल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन	9.36
		24.	अलेप्पी सर्वोदय संघ, अलेप्पी	3.66
		25.	केरला गांधी स्मारक निधि, त्रिवेन्द्रम	1.60
		26.	कोझीकोड सर्वोदय संघ, कालीकट	20.96
		27.	केरल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री फेडरेशन, कोची	1.14
7.	मदुराई (चेन्नई)	28.	एमबैसमरडम सर्वोदय संघ	3.02
		29.	पाण्डिचेरी सर्वोदय संघ	7.48
8.	झारखण्ड (बिहार)	30.	छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान, रांची	7.14
		31.	खादी ग्रामोद्योग संघ सिंहभूम मेन रोड विस्तुपुर, जमशेदपुर	3.70

1	2		3	4
		38.	मैनरोड, बिस्तुपुर-जमशेदपुर	
		32.	रानीश्वर समग्र विकास परिषद पोस्ट-रानीश्वर-दुमका-81414	0.58
9.	मध्य प्रदेश	33.	एम.बी. खादी संघ, लश्कर, ग्वालियर	2.80
10.	उत्तर प्रदेश	34.	क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, लखनऊ	35.18
11.	असम	35.	ग्राम स्वराज परिषद	2.06
12.	नागालैंड	36.	नागालैंड खादी और विलेज इंडस्ट्री संघ, धोबीनाला रोड, दीमापुर	3.60

नोट: प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि

***435. श्री पदमसेन चौधरी:**
डा. अशोक पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों के निर्माण में विदेशी कंपनियों को शत-प्रतिशत निवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) हवाई अड्डा आधारभूत संरचना पर सरकार द्वारा दिसंबर, 1997 में बनाई नीति के अनुसार विदेशी इक्विटी की भागीदारी 74% तक तो स्वत: अनुमोदन द्वारा परमिटिड है और 100% तक के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। ऐसी भागीदारी विदेशी हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा भी की जा सकती है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

***436. श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघों के बीच उनके प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की शेयर धारिता के मुद्दे के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त उद्यम प्रस्ताव में राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघों को अपने उत्पादों का विपणन करने या संयुक्त उद्यम में शामिल न होने के विकल्प का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में दुग्ध उत्पादन 9.5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है लेकिन इसका विपणन लगभग 4.5 प्रतिशत ही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। एन डी डी बी की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी ने अपनी सहायक इकाई के जरिए अपने तरल दूध के विपणन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय लिया है और संबंधित परिसंघों के ब्रांड नाम के तहत उत्पादों का पता लगाया है। ये संयुक्त उद्यम पूरी तरह से स्वैच्छिक स्वरूप के हैं। मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड और संबंधित राज्य डेयरी परिसंघ के मध्य हिस्सेदारी की पद्धति 51:49 के अनुपात में होगी।

(घ) से (ङ) देश में दुग्ध उत्पादन में 4.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। डेयरी सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है जबकि विपणन में वृद्धि केवल 4 प्रतिशत है। दुग्ध विपणन में व्यवसायीकरण के अभाव में और बाजार में निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित

अन्य व्यवसायियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण सहकारी क्षेत्र में दुग्ध विपणन, खरीददारी में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं हो पा रहा है।

तिलहनों के उत्पादन में गिरावट

*437. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान तिलहन उत्पादन में 19 प्रतिशत की गिरावट आई;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(ग) तिलहन उद्योग को इस मंदी से उबारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान वर्ष अर्थात् 2002-03 में तिलहनों का उत्पादन 155.7 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2001-02 में यह 204.6 लाख मीटरी टन था।

(ख) तिलहनों के उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण तिलहन उत्पादन वाले कुछ प्रमुख राज्यों में व्याप्त सूखे की गम्भीर परिस्थितियां हैं।

(ग) तिलहनों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और एतत्द्वारा खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपचारात्मक उपाय और प्रयास निम्नानुसार हैं:-

(1) एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 28 राज्यों में 408 चुनिन्दा जिलों को कवर करते हुए कार्यान्वित किया गया है ताकि देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

(2) उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबन्धन की उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन बनाया गया है।

(3) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

(4) गैर-पारम्परिक तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी के अंतर्गत क्षेत्रों में वृद्धि और वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों का उपयोग किया जाना।

(5) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के निर्धारण के माध्यम से उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन।

पर्यटन पर खाड़ी युद्ध का प्रभाव

*438. **श्री जे.एस. बराड़:**
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चल रहे खाड़ी युद्ध के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस युद्ध से पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और वर्तमान आकलन क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) मार्च, 2003 माह में, खाड़ी युद्ध चल रहा था, लगभग 2.20 लाख विदेशी पर्यटक आने का अनुमान है, जो मार्च, 2002 माह में पर्यटक आगमन की तुलना में 1.6% की वृद्धि दर्शाता है। अक्तूबर, 2002 से पर्यटक आगमनों में आई प्रवर्तन प्रवृत्ति के साथ अक्तूबर, 2002 से फरवरी, 2003 की अवधि हेतु औसत वृद्धि दर 15.5% होने का अनुमान है।

(घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने और उसके द्वारा अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाएं हैं:-

- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
- नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
- विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन;

- सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना;
- ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना;
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और अच्छे कार्यपालन की ओर ध्यान देना; तथा
- पर्यटन परिपथों एवं पर्यटन-सह-सांस्कृतिक हबों का विकास।

खाड़ी देशों में निष्क्रांत लोगों को सुविधाएं

***439. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सचिव ने इराक युद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीयों की स्थिति के तत्स्थानिक मूल्यांकन के लिए हाल में खाड़ी देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया, और उन देशों में भारतीयों की स्थिति कैसी है; और

(ग) तत्संबंधी परिणाम क्या निकला?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) इराक युद्ध की वजह से भारत में आने के इच्छुक भारतीयों को सीट उपलब्ध न होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखते हुए, सचिव (नागर विमानन) ने 23 मार्च, 2003 को कुवैत का दौरा किया। उन्होंने कुवैत के नागर विमानन प्राधिकारियों और भारतीय समुदाय के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। इराक युद्ध के पहले दिन भारत में आने वाली उड़ानों में सीटों के लिए कुछ अफरातफरी थी। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने वाणिज्यिक आधार पर कुछ अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की और शुरूआती भीड़ को मंजिल तक पहुंचाया। कुवैत प्राधिकारियों द्वारा सचिव, नागर विमानन को आश्वस्त किया गया कि कुवैत एयरस्पेस और हवाई अड्डा बंद नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा सभी भारत-कुवैत उड़ानों का प्रचालन जारी रखने संबंधी इस सूचना और भारत सरकार के निर्णय से भारतीय समुदाय के लोगों को सूचित कर दिया गया। सचिव, नागर विमानन भी भारतीय समुदाय को आश्वस्त किया कि भारत सरकार, यदि आवश्यक हुआ तो कुवैत में बसने वाले सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने की दिशा में सभी संभव कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार हेतु योजना

***440. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपनी उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक समेकित योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) इंडियन एयरलाइन्स अपने कारोबार को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपनी यात्री सम्बद्ध सेवाओं में गुणात्मक और प्रमात्रात्मक सुधार लाने की दिशा में सतत रूप से उपाय करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

***441. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ नदियों को जोड़े जाने के संबंध में विचार-विमर्श शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस कदम का विरोध किन-किन देशों ने किया है; और

(घ) इस परियोजना के संबंध में उनके विरोध के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी): (क) राज्यों में बीच आम सहमति लाने तथा प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन संबंधी मानकों के निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश मुहैया कराने तथा परियोजना के वित्त-पोषण आदि के लिए तौर-तरीकों का निर्धारण करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में एक कार्य बल का गठन किया है। इस कार्य बल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन संबंधी मानकों के निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश मुहैया कराना और पुनर्वास योजनाएं तैयार करना;

(2) राज्यों के बीच शीघ्र आम सहमति लाने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना;

(3) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों को प्राथमिकता प्रदान करना;

(4) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(5) परियोजना के वित्त पोषण के लिए विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार करना; और

(6) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना जिन्हें कुछ परियोजना घटकों में शामिल किया जा सके।

केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ बातचीत प्रारंभ नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जामा मस्जिद में प्रवेश

4264. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामा मस्जिद की प्रबंध समिति ने जामा मस्जिद की पवित्र मीनार में अशक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात/लोहे की छड़ों पर रासायनिक परत चढ़ाना

4265. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात यार्डों से विभिन्न स्थानों में लोहे की छड़ों के परिवहन में सामान्य रूप से अधिक समय लगने के कारण इन छड़ों में जंग लग जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे जंग लगे छड़ों का उपयोग भवन निर्माण में किया जा रहा है जो विशेषरूप से भूकंप प्रवण क्षेत्रों में निर्माण किए गए भवनों के लिए खतरनाक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या फैक्ट्रियों के लिए ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए पेंट या कुछ रसायन की परत चढ़ाना आवश्यक बनाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निरोधात्मक उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात स्टाकयार्ड से इस्पात/लोहे की छड़ों को विभिन्न स्थानों को भेजने में सामान्य रूप से अधिक समय नहीं लगता है और यह आशा नहीं की जाती कि इन सामग्रियों पर जंग लग जायेगा।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मंगोलपुरी में स्थित मदर डेयरी के फल और सब्जी इकाई

4266. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदर डेयरी (फल एवं सब्जी) की मंगोलपुरी स्थित इकाई द्वारा फल एवं सब्जी प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन किसानों के फलों एवं सब्जियों की खरीद की जाती है जिनकी इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों से मिलीभगत है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी एजेंसी द्वारा मामले की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मदर डेयरी फूड्स प्रोसेसिंग लिमिटेड की मंगोलपुरी स्थित फल एवं सब्जी इकाई मुख्यत: यूनिट आवश्यकता/फसल योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों के किसानों/कृषक संगठनों से फल तथा सब्जी खरीदती है। संभारतंत्रीय कारणों से जब कभी आवश्यक होता है खरीद तथा बाजार मांग के बीच कमी को पूरा करने के लिए इनकी कुछ मात्रा मंडियों से खरीदी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पशुपालन विकास

4267. **श्री शिवाजी माने:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में शुरू की जा रही पशुपालन विकास हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग महाराष्ट्र में पशुपालन से जुड़ी अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं और विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	के दौरान जारी निधि		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003
राष्ट्रीय गोपशु भैंस प्रजन परियोजना	10.48	0.00	0.00
राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	18.48	0.00	0.00
चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	50.85	0.00	0.00
पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	53.00	77.00	50.78
व्यावसायिक दक्षता विकास	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	40.00	20.00	25.00
बूचड़खानों/सी यू सी का आधुनिकीकरण/सुधार	33.00	60.00	60.00
एकीकृत पशुधन उत्पादन नमूना सर्वेक्षण	18.53	12.00	10.40
पशुधन संगणना	2.50	15.00	29.64

[अनुवाद]

एलायंस एयरलाइंस में सेवा शर्तें

4268. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** 3 मार्च, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1802 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु कोई विज्ञापन/परिपत्र जारी किया गया था जिनके विरुद्ध 70 कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइंस से एलायंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति प्रदान करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए;

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिनियुक्ति देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ङ) क्या तीन वर्षों की अवधि के बाद प्रतिनियुक्ति प्रदान करने हेतु उचित प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई थी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इंडियन एयरलाइंस के मुख्यधारा के कर्मचारियों की तुलना में शार्ट हाल आपरेशन विभाग (एस.एच.ओ.डी.) के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार एलायंस एयर का कार्य-निष्पादन बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों से सुशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) एलायंस एयर, इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। एलायंस एयर में कर्मचारियों की व्यवसाय अपेक्षाएं विशिष्ट प्रकृति की है। एलायंस एयर बाहर से व्यक्तियों के चयन करने से पूर्व इस प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रथमत: इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को प्राथमिकता देती है। व्यवसाय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा इंडियन एयरलाइंस के विभागों के प्रमुखों की सहमति से, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को एलायंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

(ङ) और (च) एलायंस एयर की आवश्यकता के आधार पर तथा इंडियन एयरलाइंस के संबंधित विभाग के प्रमुखों की सहमति से, एलायंस एयर में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

के.बी.के. जिलों के लिए उड़ानें

4269. श्री परसुराम माझी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए निर्मित/उन्नत की जाने वाली प्रस्तावित घरेलू विमानपत्तनों/हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों के साथ ई.पी.एफ.ओ. का समझौता

4270. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने पूरे देश के अपने सदस्यों को पेंशन वितरित करने हेतु कुछ बैंकों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बैंकों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या डाकघर भी पेंशन वितरण नेटवर्क में शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्षेत्रीय आधार पर पेंशन के संवितरण के लिए कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और अण्डमान व निकोबार राज्य सहकारी बैंक के साथ समझौता किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर पेंशन संवितरण के लिए एच डी एफ सी बैंक लि., आई सी आई सी आई बैंक लि. और यू टी आई बैंक लि. के साथ अनुबंध किया है।

(ग) समझौते के अनुसार संवितरित की जाने वाली समस्त राशि अग्रिम रूप से पूर्ववर्ती माह की 20-25 तारीख के बीच में बैंकों को भुगतान कर दी जाती है और बैंकों को पेंशन की राशि पेंशनभोगियों के खातों में माह की 05 तारीख से पहले जमा (क्रेडिट) करनी होती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अण्डमान व निकोबार राज्य सहकारी बैंक और डाकघरों को पेंशन, बकाया, कम्यूटेशन और पूंजी के रिटर्न सहित कुल संवितरित राशि पर 2.5 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार देय है।

एच डी एफ सी बैंक लि., आई सी आई सी आई बैंक लि. और यू टी आई बैंक लि. के संबंध में संवितरित की गई मासिक पेंशन की कुल राशि पर सेवा प्रभार 1.25 प्रतिशत की दर पर और और एकमुश्त भुगतान जैसे बकाया, कम्यूटेशन और पूंजी के रिटर्न पर 0.25 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार देय है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जैसे कि उपर्युक्त (ग) में दिया गया है।

दामोदर नदी की गाद निकालना

4271. **श्री सुनील खां:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का विचार पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज के पास गाद और रेत को निकालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दामोदर नदी के किनारे को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) दुर्गापुर बैराज के प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर बैराज से गाद और बालू को निकालने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल को दुर्गापुर बैराज में गाद की मात्रा और उसके विस्तार क्षेत्र और क्षमता सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म

4272. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों की स्थान-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य के केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म की कुल आय कितनी है;

(ग) इन केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा फार्मों को आय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय राज्य फार्म निगम देश में 11 केन्द्रीय राज्य फार्मों का प्रबंध करता है जो राजस्थान में सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसार, केरल में अरालम, कर्नाटक में रायचूर, हरियाणा में हिसार, उत्तर प्रदेश में बहराइच और रायबरेली, तमिलनाडु में चेंगम और असम में कोकिलाबाड़ी और बारपेटा में है।

(ख) कर्नाटक में रायचूर स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म को 1999-2000 के दौरान 194.38 लाख रुपये, 2000-01 के दौरान 210.53 लाख रुपये और 2001-02 के दौरान 140.85 लाख रुपये की निवल हानि हुई।

(ग) हानि के लिए अन्य बातों के साथ यह कारण हैं, प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, स्टाफ के खर्चों में वृद्धि, उपज का बीजों में न्यून रूपान्तरण, प्राप्य जिंसों के लिए दीर्घ संचयन अवधि, कार्यशील पूंजी की कमी, ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज के बोझ में वृद्धि इत्यादि।

(घ) भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा आय बढ़ाने/हानि को कम करने के लिए अन्यों के साथ-साथ ये कदम उठाए जा रहे हैं:- उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना, उन्नत वैज्ञानिक कृषि प्रणालियों को अपनाना, मण्डी प्रचालनों को कारगर बनाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/पृथक्करण स्कीम के कार्यान्वयन के माध्यम से मानवशक्ति की जरूरत को इष्टतम करना, अव्यवहार्य क्रियाकलापों को कम करना, इत्यादि।

असम में बागवानी और मत्स्यन का विकास

4273. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बागवानी और मत्स्यन की अपार क्षमता मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्य सरकारों से क्षेत्र में बागवानी और मत्स्यन के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी तथा मात्स्यिकी विकास की महत्वपूर्ण क्षमता मौजूद है।

भारत सरकार वर्ष 2001-02 से एक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी की मिशन कार्यान्वित कर रही है ताकि बागवानी के विकास में राज्यों की सहायता की जा सके। इसी तरह से सरकार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में मात्स्यिकी क्षेत्र में विकासात्मक और कल्याण योजना स्कीम भी कार्यान्वित कर रही हैं। दोनों स्कीमों के अधीन, स्कीमों की शर्तों के अनुसार प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए राज्यों को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

पशुओं के लिए चरागाह भूमि और चारा

4274. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में पशुओं के लिए पर्याप्त चरागाह भूमि और चारा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समय चरागाह भूमि का कितना क्षेत्र और चारे की कितनी मात्रा उपलब्ध है; और

(ग) पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) झारखंड के संबंध में पशुओं के लिए चारा भूमि तथा चारे की उपलब्धता पर अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, देश में हरे और सूखे चारे की समग्र कमी क्रमश: 60 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत है।

(ग) पशुओं के लिए प्रतिदिन सूखे तथा हरे चारे की प्रति पशु उपलब्धता क्रमशः 4.18 किलोग्राम तथा 4.09 किलोग्राम (अखिल भारत 1997-98) है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र परियोजना

4275. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों के वेतन के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) से गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत आने वाली कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) परियोजना को अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया और बकाए का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमान अपनाये हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्टाफ संबंधित संगठन की स्थापना में आता है तथा वे अपने स्टाफ के लिए वेतनमानों को अपनाने के संबंध में लचीलापन रखते हैं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संशोधित वेतनमानों तक ही सीमित है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली मस्जिदें और धार्मिक स्थल

4276. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के अंतर्गत आने वाली रक्षित मस्जिदों और इस्लामी धार्मिक स्थलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी रक्षित मस्जिदों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां ''नमाज'' (प्रार्थना) की अनुमति है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रक्षित इन मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे स्थानों की मरम्मत और रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) ऐसी संरक्षित मस्जिदों/इस्लामी धार्मिक स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में है जहां नमाज अदा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। संरक्षित मस्जिदों तथा पूजा स्थलों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कि गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

वह केन्द्रीय संरक्षित मस्जिदें जहां प्रार्थना की जाती है (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मस्जिद
1	2	3
1.	असम	02
2.	आंध्र प्रदेश	01
3.	बिहार	05
4.	छत्तीसगढ़	x
5.	दिल्ली	12
6.	गोवा	01
7.	गुजरात	61
8.	हरियाणा	01
9.	हिमाचल प्रदेश	x
10.	जम्मू और कश्मीर	01
11.	झारखंड	01
12.	कर्नाटक	48
13.	केरल	x
14.	महाराष्ट्र	12
15.	मध्य प्रदेश	08
16.	उड़ीसा	x
17.	पंजाब	x
18.	राजस्थान	03
19.	सिक्किम	x
20.	तमिलनाडु	x
21.	उत्तरांचल	08
22.	उत्तर प्रदेश	69
23.	पश्चिम बंगाल	04
	कुल	237

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्य-वार) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर किए गए व्यय का ब्यौरा .

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	136.29	114.39	417.16
2.	असम	120.18	99.58	89.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.80	0.39
4.	बिहार	134.00	86.48	112.21
5.	छत्तीसगढ़	—	16.70	5.75
6.	दिल्ली	219.96	277.14	996.75
7.	दमन और दीव	15.00	23.61	15.69

1	2	3		4
8.	गोवा	39.77	50.61	82.57
9.	गुजरात	100.67	99.59	35.36
10.	हरियाणा	60.00	91.85	141.00
11.	हिमाचल प्रदेश	80.00	91.11	44.45
12.	जम्मू और कश्मीर	112.60	145.03	121.23
13.	झारखण्ड	—	4.33	8.07
14.	कर्नाटक	248.13	476.19	1143.68
15.	केरल	79.50	75.12	18.26
16.	मध्य प्रदेश	1.64	250.51	317.31
17.	महाराष्ट्र	153.00	828.49	308.05
18.	मणिपुर	0.50	1.42	0.27
19.	मेघालय	2.00	4.94	4.44
20.	नागालैण्ड	3.00	5.67	12.92
21.	उड़ीसा	56.03	114.73	1021.69
22.	पांडिचेरी (सं.रा. क्षेत्र)	15.00	3.30	1.63
23.	पंजाब	23.00	57.92	40.14
24.	राजस्थान	174.69	235.00	240.22
25.	सिक्किम	20.00	27.60	32.99
26.	तमिलनाडु	110.80	187.79	233.20
27.	त्रिपुरा	5.00	17.05	—
28.	उत्तर प्रदेश	297.11	385.13	710.64
29.	उत्तरांचल	—	36.52	64.13
30.	पश्चिम बंगाल	80.70	146.13	260.18

निर्यात गुणवत्ता वाले चावल पर राजसहायता

4277. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खेती में 50 प्रतिशत की राजसहायता दिए जाने के बावजूद किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई प्रौद्योगिकी अपनाकर कम लागत में खेती करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचा एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों की स्थिति

4278. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों की आय, व्यय, लाभ और हानि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र का उत्पादन कितना रहा;

(ग) कौन से इस्पात संयंत्र के पास रक्षित विद्युत संयंत्र हैं;

(घ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र की पी एल एफ कितनी है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक संयंत्र द्वारा कितनी विद्युत उत्पादित एवं खपत की गई और प्रति इकाई विद्युत लागत कितनी है;

(ङ) क्या रक्षित संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत बाहर भी बेची जाती है;

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थात् उत्तर उदारवाद अवधि के दौरान ऐसे संयंत्रों के कामगारों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ज) उक्त अवधि के दौरान संयंत्र-वार कितने कामगारों/कर्मचारियों की छंटनी की गई, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त की, सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुए या अन्य तरह से नौकरी छोड़ दी एवं कितनों को नई नौकरी दी गई;

(झ) क्या विनिवेश का कोई प्रस्ताव है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विनिवेश आयोग की सिफारिशें/सुझाव क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मुंबई विमानपत्तन पर दृश्यता की समस्या

4279. श्री किरीट सोमैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई विमानपत्तन पर धुएं के कारण दृश्यता की समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 2003 के दौरान खराब दृश्यता के कारण कई विमानों को उड़ान भरने में विलंब हुआ;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान धुएं के कारण खराब दृश्यता के कारण देरी से भरी गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धुएं के कारण विमान धावन पट्टी के आस-पास स्थित झुग्गियों में कूड़े, रबड़ टायरों का जलाना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समस्या से निपटने हेतु क्या उपाय किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2003 के दौरान, 6 उड़ानें देरी से उड़ी तथा 18 उड़ानें का आगमन देरी से हुआ तथा खराब दृश्यता के कारण 5 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा।

(ग) धुएं के कारण, खराब दृश्यता होने पर, उड़ानों में विलम्ब के संबंध में सामान्यतया कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि केवल मार्च, 2003 के महीने को छोड़कर पिछले एक वर्ष के दौरान धुएं के कारण उड़ानों में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) मुंबई हवाई अड्डा झोपड़-पट्टियों से घिरा हुआ है और पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव भी वहां है। इसलिए कूड़ा-करकट, रबड़ के टायरों इत्यादि का जलना धुएं का कारण हो सकता है।

(च) विमान प्रचालनों की सुरक्षा और संरक्षा के हित में झोपड़-पट्टियों को अन्यत्र बसाने तथा मुंबई हवाई अड्डे के निकट अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया गया है।

[हिन्दी]

कुटेश्वर इस्पात खान

4280. श्री रामानन्द सिंह: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कुटेश्वर इस्पात खान में इस समय कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से क्रमशः कितने स्थायी और अस्थायी हैं;

(ग) क्या ठेका आधार पर काम करने वाले अधिकांश श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है; और

(घ) श्रम अधिनियम के अनुसार इस्पात खान में कार्यरत इन श्रमिकों को कौन-सी सुविधाएं दी जा रही हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार कूटेश्वर चूना पत्थर खान की जनशक्ति निम्नानुसार है:-

कार्यपालक	–	28
गैर-कार्यपालक	–	311
योग-		329
ठेका श्रमिक	–	817

(ख) सेल द्वारा नियुक्त कार्यपालक और गैर-कार्यपालक स्थाई हैं।

(ग) सभी ठेका श्रमिक उजरती श्रमिक हैं। सेल ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

(घ) सेल ने सूचित किया है कि ठेका श्रमिकों को श्रम अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियमों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

गोदामों की कमी

4281. श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी गोदामों में रखे तीस लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न गोदामों की कमी, रख-रखाव में कुप्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। गोदामों की कमी, रख-रखाव के प्रबंधन में त्रुटियों और अधिकारियों की उपेक्षा के कारण सरकारी गोदामों में कोई भी खाद्यान्न सड़ा नहीं है। जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है, 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार पर्याप्त भण्डारण क्षमता अभी भी अप्रयुक्त रूप से उपलब्ध है–

(लाख एम टी में)

	कवर्ड	सी.ए.पी.*	कुल
क्षमता	268.4	55.46	323.86
स्टाक	183.21	16.08	199.29
% उपयोग	68%	29%	62%

(*कवर व प्लिंथ स्टोरेज)

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का भण्डारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य गुणवत्ता नियंत्रण स्टाक द्वारा इसका परिरक्षण किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित तथा सामयिक रूप से स्टाक का निरीक्षण किया जाता है तथा कीटों व कृमियों पर नियंत्रण के लिए समय पर निदानात्मक व प्राफिलैक्टिक उपचार किए जाते हैं। तथापि, अपूर्व/लगातार वर्षा, चक्रवात, बाढ़ तथा भण्डारण में बहु-स्तरीय रख-रखाव, रेल/सड़क द्वारा परिवहन, स्पिलेज आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खाद्यान्नों को निश्चय ही कुछ न कुछ नुकसान होता है। खाद्यान्नों को हुई ऐसी हानि की मात्रा 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार 1.42 लाख एम टी है जो कुल स्टाक का केवल 0.7% है।

खाद्यान्न जो मानव खपत के लिए अनुप्रयुक्त हो जाता है तथा जिसे सड़ा हुआ घोषित कर दिया जाता है, उसे आहार-1, आहार-2, आहार-3, औद्योगिक उपयोग तथा डम्पिंग के लिए उपयुक्त आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है जो किसी खेप विशेष में अच्छे अनाजों के प्रतिशत पर निर्भर करता है तथा उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इसका भारत सरकार की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निपटान कर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालयीय व्यय

4282. श्री रामदास आठवले: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार विज्ञापन, स्वागत, खान-पान, उद्‌घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, देशी-विदेशी दौरों, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनर्स और कूलरों के बिलों और अन्य कार्यालयीय व्ययों पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों पर होने वाले व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर के लिए नागर विमानन योजनाएं

4283. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर में कौन-कौन सी और कितनी नागर विमानन योजनाएं शुरू की गई;

(ख) आज की तारीख के अनुसार इन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन योजनाओं का कार्य समय-सारिणी के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कारगिल में विमानपत्तन का निर्माण, लेह में एप्रन का निर्माण, जम्मू विमानपत्तन में धावनपथ का विस्तार और टर्मिनल भवन, एप्रन आदि का विस्तार कार्य जम्मू और कश्मीर में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था।

(ख) कारगिल में विमानपत्तन का निर्माण, जम्मू विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन, एप्रन का विस्तार और विमानपत्तन के दक्षिणी ओर रनवे का विस्तार कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। लेह में सिविल एप्रन के निर्माण का कार्य मई 2004 तक पूरा होने की आशा है। जम्मू विमानपत्तन के उत्तरी ओर धावनपथ के विस्तार का कार्य सेना की भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा।

(ग) लेह में सिविल एप्रन के निर्माण का कार्य और जम्मू विमानपत्तन के उत्तरी ओर धावनपथ के विस्तार के कार्य को छोड़कर बाकी सभी कार्य शड्यूल के अनुसार चल रहे हैं।

(घ) इन योजनाओं में अभी तक 64.50 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं।

(ङ) इन योजनाओं के लिए 78.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।

[अनुवाद]

खनन कार्य

4284. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में डेरा गांव में अवैध खनन कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन विभाग ने इस क्षेत्र में इस उल्लंघन पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

4285. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बांधों की भंडारण क्षमता में कमी आने के कारण बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या जल क्षेत्रों में जल के बहाव को कम करने के लिए कोई उपाए किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय का प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग दो स्कीमों, अर्थात् (1) नदी घाटी परियोजना के आवाहों तथा बाढ़ प्रवण नदियों में खराब गुणवत्ता वाली भूमि के कृषि उत्पादकता की वृद्धि के वास्ते मृदा संरक्षण (2) देश में झूम खेती में जलविभाजक विकास परियोजना, का क्रियान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- उच्चतम प्रवाह को कम करने के लिए आवाहों से अपवाह में कमी
- जल विभाजक से मृदा ह्रास की कमी
- भूमि क्षमता तथा नमी क्षेत्र में सुधार
- आवाह कोर के लिए जागरूकता पैदा करना

इसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ बांधों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा आवाह क्षेत्र में अपवाह में कमी आई है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध क्रियाकलापों में से एक कार्य आवाह में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण है। इससे किसानों को फसलों आदि के लिए जीवन रक्षक सिंचाई के वास्ते वर्षा जल संसाधन संग्रहीत करने में मदद मिलती है। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

महिला बीड़ी कामगार

4286. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला बीड़ी कामगारों की समस्याएं हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह परियोजना शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रायोगिक परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) महिला बीड़ी कामगारों को क्या लाभ दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (च) सरकार के पास ऐसी कोई प्रायोगिक परियोजना अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.), गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वेल्लौर (तमिलनाडु), मंगलौर (कर्नाटक) एवं सागर (मध्य प्रदेश) में "भारत में बीड़ी उद्योग में महिलाओं के लिए कार्यदशाओं एवं रोजगार अवसर में सुधार लाना" नामक एक प्रायोगिक परियोजना चला रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य महिला बीड़ी कामगारों की कामकाजी एवं रहन-सहन की दशाओं में सुधार लाना तथा उन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना है जहां बीड़ी कार्य संबंधी नियोजन में कमी आ रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विरासत स्थल

4287. श्री विष्णुदेव साय: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितने और किन स्थानों पर सांस्कृतिक विरासत केन्द्रों और अन्य विरासत स्थलों की पहचान की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) पिछले दो राजकोषीय वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वीकृत और अस्वीकृत और उनमें से लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में

क्रमशः 47 एवं 282 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने क्रमशः 56 तथा 283 स्मारक संरक्षित किए हैं।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण, संरक्षण एवं रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकता पड़ने पर कार्य किए जाते हैं जो जनशक्ति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारें अपने-अपने मानकों के अनुसार अपने स्मारकों का रखरखाव कर रही हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर खर्च की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

1. पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में स्मारकों पर किया गया व्यय:

2001-2002	-	2,05,51,700 रुपये
2002-2003	-	3,44,72,327 रुपये

2. राज्य पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्मारकों पर किया गया व्यय:

वर्ष	राज्य नियतन	केन्द्रीय नियतन
2001-2002	9,83,449 रुपये	416.54 लाख रुपये
2002-2003	21,42,457 रुपये	407 लाख रुपये

3. पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा छत्तीसगढ़ में स्मारकों पर किया गया व्यय:

2001-2002	-	16,64,368 रुपये
2002-2003	-	12,96,736 रुपये

4. राज्य पुरातत्व, अभिलेख एवं संग्रहालय विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में स्मारकों पर किया गया व्यय:

वर्ष	राज्य नियतन
2001-2002	19.20 लाख रुपये
2002-2003	26.78 लाख रुपये

ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-2001 से 2004-2005) ने छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण एवं विकास के लिए एकीकृत विकास योजना हेतु 2.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं जिसमें 31.3.2002 तक कुल 17.56 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा

4288. श्री राम सिंह राठवा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कुल कितने श्रमिकों को शामिल किया गया है और संबंधित राज्यों में श्रम शक्ति में उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत और श्रमिकों को लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सभी श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) 40.25 करोड़ के कुल कार्यबल में से 31.3.2002 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की संख्या 71.59 लाख है, जो कुल कार्यबल का 1.78% बैठता है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) निगम द्वारा हर वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से परामर्श करते हुए नए क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना के क्रियान्वयन हेतु एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाता है। वर्ष 2003-2004 के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार योजना को 1.09 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को शामिल करने हेतु 56 नए क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) क.रा.बी. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यह योजना बिजली का प्रयोग करने वाले और 10 या अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले और बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखानों तथा कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों पर ही लागू की जा सकती है। इसके अलावा 6500 रु. प्रति माह की अधिकतम मजदूरी सीमा तक के कामगार ही क.रा.बी. योजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। छोटे कारखानों और अन्य श्रेणी के प्रतिष्ठानों तथा असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगार योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते।

इसके अलावा, क.रा.बी. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, क.रा.बी. योजना में शामिल कामगारों को व्यापक चिकित्सा देखरेख सहित लाभों का एक सम्पूर्ण पैकेज दिया जाना अपेक्षित है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जुटाने का दायित्व संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार का होता है। प्रत्यक्ष और वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य/संघ शासित सरकारें सभी क्षेत्रों में योजना लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं कर पायी है।

विवरण

कार्यबल की तुलना में क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कामगारों की कुल संख्या	क.रा.बी. योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की सं.	राज्य में कुल कार्यबल पर क.रा.बी. व्याप्ति का %
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34865117	502400	1.44
2.	असम और मेघालय	10513489	31400	0.30
3.	बिहार	28080004	29850	0.11
4.	चंडीगढ़	339021	30100	8.88
5.	छत्तीसगढ़	9685260	29250	0.30
6.	दिल्ली	4526737	494000	10.91
7.	गोवा	522565	73150	14.00
8.	गुजरात	20368797	440350	2.16
9.	हरियाणा	8382890	349450	4.17
10.	हिमाचल प्रदेश	2991448	39350	1.31
11.	जम्मू और कश्मीर	3688875	14700	0.40
12.	झारखंड	10127733	56500	0.56
13.	कर्नाटक	23521533	628000	2.67
14.	केरल	10291258	333550	3.24
15.	मध्य प्रदेश	25756485	237100	0.92
16.	महाराष्ट्र	42053330	1037550	2.47
17.	उड़ीसा	14272764	114300	0.80
18.	पांडिचेरी	342101	52300	15.29
19.	पंजाब	9141760	371150	4.06
20.	राजस्थान	23781257	248850	1.05

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	27811647	1063350	3.82
22.	उत्तरांचल	3133281	17900	0.97
23.	उत्तर प्रदेश	54180232	429650	0.79
24.	पश्चिम बंगाल	29503278	535250	1.81
25.	सिक्किम	263320	*	—
26.	अरुणाचल प्रदेश	482206	*	—
27.	नागालैंड	849982	*	—
28.	मणिपुर	1069578	*	—
29.	मिजोरम	469597	*	—
30.	त्रिपुरा	1158190	*	—
31.	दमन और दीव	72654	*	—
32.	दादरा और नागर हवेली	114121	*	—
33.	लक्षद्वीप	15349	*	—
34.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	136331	*	—
	कुल (अखिल भारत)	40252190	7159350	1.78

*इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना लागू नहीं है।

स्रोत:- कुल कार्यबल संबंधी आंकड़े 2001 जनगणना से लिए गए हैं।

[अनुवाद]

वैटरिनरी न्यूक्लियर मेडिसिन सेन्टर की स्थापना

4289. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने नागपुर स्थित महाराष्ट्र पशुपालन एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय में वैटरिनरी न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और इसमें कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या नागपुर में उक्त केन्द्र ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला एशिया महाद्वीप में अपने किस्म का पहला केन्द्र होगा; और

(घ) इस केन्द्र में क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इसके प्रचालन हेतु व्यय को किस प्रकार पूरा किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने मुम्बई स्थित बम्बई पशु चिकित्सा कालेज के औषधि विभाग में पशु चिकित्सा परमाणु औषधि केन्द्र स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1999 में एक योजना को स्वीकृत किया है।

(ख) जनवरी, 2003 में यह केन्द्र मुम्बई में स्थापित हो चुका है तथा प्रक्रिया के मापदण्डों तथा पशुओं में प्रोटोकोल का प्राथमिक कार्य आरम्भ हो चुका है। लगभग 84,59,273 रुपये की लागत से यह केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) समस्त घरेलू पशुओं के लिए सिनटिग्राफी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा केन्द्र में निम्न कार्य किए जाएंगे:-

* बी.आर.आई.टी., बी.ए.आर.सी., आर.एम.सी. तथा देश के अन्य संस्थानों के सहयोग से नवीन रेडियो-फार्मास्यूटिकल अनुसंधान करना।

* फार्मको-डायनामिक्स, फार्मको-कायनेटिक्स और नवीन दवा आण्विकों की क्रियाविधि पर कुछ अध्ययन। यह सुविधा राष्ट्रीय संस्थानों, सरकारी तथा निजी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, निजी फार्मास्यूटिकल्स तथा अन्य विश्वविद्यालयों आदि में उपलब्ध होंगी और इन सेवाओं का लाभ उठाने वालों से शुल्क लिया जाएगा।

सिंचाई परियोजना पर अपव्यय

4290. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 में बताया है कि 58.69 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई परियोजनाएं (एल.आई.पी.) शुरू नहीं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप 200 हेक्टेयर भूमि में स्थित चारा और चारा बीज फार्म को सिंचित करने के उद्वह सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोजन को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना के संबंध में अपव्यय की जांच करेगी और इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, धामरोद, गुजरात में लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू करने के लिए 58.69 लाख रुपये की रकम जारी की गयी थी। यह कार्य गुजरात जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (जी.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) को सौंपा गया। फार्म के निदेशक की सूचना के अनुसार दो चरणों में प्रारंभ यह कार्य अक्तूबर, 2002 में पूरा कर लिया गया है तथा इसका परीक्षण दिसम्बर, 2002 एवं फरवरी, 2003 में किया गया। जल फार्म के तालाब में पहुंच गया है। परन्तु उनमें कुछ वृहद एवं लघु रिसाव पाए गए जिनकी मरम्मत भी कर दी गयी एवं 8.4.2003 से 12.4.2003 के दौरान चरण-1 में पुन: परीक्षण किए गए। चरण-2 का परीक्षण अभी बाकी है। पुन: परीक्षण कार्य 21.4.2003 से किया जाएगा।

सांस्कृतिक नीति

4291. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृति नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या भारत और विदेशों में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का चयन करने में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार में क्या भूमिका निभाई गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) कोई औपचारिक नीतिगत दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है लेकिन इस नीति में सभी संरक्षित स्मारकों और सभी प्रकार की सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों व विरासत का संरक्षण तथा परिरक्षण शामिल है। अनेक अकादमियों-संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य-का गठन किया गया है और एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी है।

(ख) और (ग) पूरे भारत में, केंद्र सरकार के अधीन 50 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करते समय उनसे परामर्श लिया जाता है। विभिन्न आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र (जेड सी सी) सांस्कृतिक समारोहों की सूची बनाने तथा उन्हें आयोजित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं। विदेशों में भारतीय मिशन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई सी सी आर) अपने 15 सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से विदेशों में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जागरूकता को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है।

सहकारिता के संबंध में राष्ट्रीय नीति

4292. **श्री रामजी मांझी:** क्या **कृषि मंत्री** 2.8.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह नीति तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्यक्ष का चयन केन्द्रीय भंडार में चुने गए मौजूदा निदेशकों में से अथवा चुने गए नए निदेशकों और प्रतिनिधियों में से किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमएससीएस अधिनियम, 2000 के अनुसार सदस्यों अर्थात् सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सदस्यों में कोई अंतर नहीं है किंतु केन्द्रीय भंडार के संशोधित उपनियमों में अंतर किया गया है जिसके अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सोसायटी के सदस्यों के रूप में नहीं रखा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सदस्यता अधिकारों की गारंटी देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने सहकारी समिति संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता का चहुंमुखी विकास करना है। राष्ट्रीय नीति में मुख्य बल सहकारी समितियों के व्यावसायीकरण और उनके प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाने पर दिया गया है ताकि आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य संगठनों के रूप में उनका विकास सुकर बनाया जा सके जो अपने सदस्यों की विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रत्याशित बेहतर पहुंच बना सकें, मण्डी की त्रुटियों से उनकी सुरक्षा कर सकें और उन्हें सामूहिक कार्य के लाभ दिए जा सकें। सुसाध्यता के रूप में सरकार सहकारी समितियों के आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन तथा सहायता मुहैया कराएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्वायत्त, आत्मनिर्भर और व्यवहार्य आर्थिक उद्यमों के रूप में कार्य करें।

(ख) और (ग) बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय भण्डार सहित बहुराज्यीय सहकारी समिति के अध्यक्ष का चयन बोर्ड के निर्वाचित निदेशकों में से किया जाना होता है।

(घ) और (ङ) बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में एक सदस्य और एक एसोसिएट सदस्य के बीच प्रभेद का प्रावधान है। केन्द्रीय भण्डार के उप-नियमों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को एसोसिएट सदस्य बनाने का प्रावधान है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेयरी की फल और सब्जी इकाइयों द्वारा निजी ट्रकों/मेटाडोरों को किराए पर लेना

4293. **श्री रनेन बर्मन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगोलपुरी स्थित मदर डेरी फल और सब्जी इकाई तीन वर्ष से अधिक पुराने निजी ट्रकों/मेटाडोर किराए पर ले रहा है और किसी सरकारी/स्वायत्त निकायों आदि में तीन वर्ष से अधिक पुराने वाहन किराए पर न लेने के कार्मिक विभाग (पी जी एंड पी) के निर्धारित नियम और मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ट्रांसपोर्टरों के निविदा ठेके को समाप्त करने/निलंबित करने और तीन वर्षों से अधिक पुराने निजी ट्रकों/मेटाडोरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने हेतु मदर डेयरी के फल और सब्जी इकाई को निदेश देने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त इकाई में काम करने वाले अधिकारी किराए पर लिए गए ट्रकों/मेटाडोरों के मालिकों से प्रत्येक त्योहार पर महंगे उपहारों की मांग कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस इकाई के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मदर डेयरी का फल और सब्जी एकक उन निजी ट्रकों/मेटाडोरों को किराए पर ले रहा है जो ऐसे वाहनों को किराए पर लेने के लिए कार्य निष्पादन तथा अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं और वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का ध्यान रखते हैं।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उक्त (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

मदर डेयरी द्वारा प्रशीतित फलों और सब्जियों की आपूर्ति

4294. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित मदर डेयरी की (फल और सब्जी) इकाई द्वारा अपने बूथों को आपूर्ति की गई फल और सब्जियां ताजा न होकर अधिकतर प्रशीतित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे फल और सब्जियां बूथों पर पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर ही बासी/फफूंददार हो जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो मदर डेयरी की इकाई को अपने बूथों पर ताजा फलों और सब्जियों की ही आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा निदेश देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) बूथों को सप्लाई की जाने वाली लगभग सभी सब्जियां ताजी होती हैं केवल फ्रोजन मटर तथा मिक्स सब्जियों की बहुत थोड़ी मात्रा बूथों को सप्लाई की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना

4295. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत राज्य-वार और जिले-वार कार्यान्वित किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जिलों में हैंड पम्प लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के छह घटकों में से पेय जल एक घटक है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेय जल आपूर्ति विभाग) द्वारा वर्ष 2001-02 के अंत तक प्रचालित किया गया था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पेय जल घटक के तहत पेय जल आपूर्ति कार्यक्रमों में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा इस समय उन्हें केवल कुछ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) मुहैया करायी जाती है।

(ख) और (ग) पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत हैंड पम्पों की संस्थापना सहित ग्रामीण जल स्कीमों की आयोजना एवं उनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्थापित हैंडपंपों के विवरण का रखरखाव किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण पेयजल के तहत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्र.मं.ग्रा.यो.-ग्रा.पे.ज. के लिए कुल आबंटन (लाख रुपये में)	प्र.मं.ग्रा.यो.-ग्रा.पे.ज. के तहत जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	सूचित व्यय (लाख रुपये में)	शामिल बस्तियों की संख्या (सूचित)	महीना
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	2840.90	2840.90	489	(3/2001)
2.	अरुणाचल प्रदेश	2550.00	2550.00	1380.75	—	(3/2001)
3.	असम	3301.00	1346.78	168.00	—	(3/2001)
4.	बिहार	3291.90	2154.37	1499.93	—	(3/2001)

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	—	—	—
6.	गोवा	31.20	5.85	5.85	—	(3/2001)
7.	गुजरात	2590.85	2590.85	2590.85	—	(3/2001)
8.	हरियाणा	471.20	471.20	471.20	12	(3/2001)
9.	हिमाचल प्रदेश	3077.00	3077.00	3077.00	109	(3/2001)
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2573.70	1286.85	1286.85	—	(3/2001)
11.	झारखंड	1016.85	1016.85	—	—	—
12.	कर्नाटक	1127.00	1127.00	415.95	—	—
13.	केरल	1400.00	518.10	518.10	—	(3/2001)
14.	मध्य प्रदेश	1803.55	1803.55	853.27	—	(3/2001)
15.	महाराष्ट्र	2414.00	2414.00	2414.00	22	(3/2001)
16.	मणिपुर	728.40	364.20	364.20	47	(3/2001)
17.	मेघालय	1000.00	1000.00	1000.00	93	(3/2001)
18.	मिजोरम	1006.00	1006.00	937.32	159	(3/2001)
19.	नागालैंड	1322.00	1322.00	1322.00	—	(3/2001)
20.	उड़ीसा	2478.25	2478.25	1864.81	3527	(3/2001)
21.	पंजाब	1616.00	161.00	454.72	—	(3/2001)
22.	राजस्थान	2158.00	2158.00	1319.87	630	(3/2001)
23.	सिक्किम	600.00	600.00	600.00	28	(3/2001)
24.	तमिलनाडु	1571.85	1571.85	1571.85	224	(3/2001)
25.	त्रिपुरा	1328.00	2033.22	1327.17	995	(3/2001)
26.	उत्तर प्रदेश	6727.00	6727.00	4110.18	0	(3/2001)
27.	उत्तरांचल	188.40	188.40	0.00	—	(3/2001)
28.	पश्चिम बंगाल	5873.00	5874.00	1258.65	—	(3/2001)
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.00	154.00	154.00	—	—
30.	दादरा व नागर हवेली	37.80	37.80	37.80	—	(3/2001)
31.	दमन व दीव	54.50	54.50	34.50	—	(3/2001)

1	2	3	4	5	6	7
32.	दिल्ली	200.00	200.00	120.00	—	—
33.	लक्षद्वीप	64.93	64.93	52.90	—	—
34.	पांडिचेरी	71.55	71.55	71.55	5	(3/2001)
35.	चंडीगढ़	119.20	119.20	119.20	—	—
	कुल	56259.03	51315.20	34243.37	6340	—

प्र.मं.ग्रा.यो. : प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना
ग्रा.पे.ज. : ग्रामीण पेयजल योजना

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2001 को आदि शेष (लाख रुपये में)	प्र.मं.ग्रा.यो.-ग्रा.पे.ज. के लिए कुल आबंटन (लाख रुपये में)	प्र.मं.ग्रा.यो.-ग्रा.पे.ज. के तहत जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	निधि की कुल उपलब्धता (लाख रुपये में) (3+5)	सूचित व्यय (लाख रुपये में)	शामिल बस्तियों की संख्या (सूचित)	महीना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	—	(3.2002)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1169.25	1315.00	1315.00	2484.25	1405.24	76.00	(3/2002)
3.	असम	1178.78	3051.00	1525.50	2704.28	2704.28	164.00	(3/2002)
4.	बिहार	654.44	2457.90	1228.0	1882.94	10.65	—	(12/2001)
5.	छत्तीसगढ़	471.00	881.20	440.60	911.60	—	—	—
6.	गोवा	0.0	29.85	29.85	29.85	13.63	—	(9/2001)
7.	गुजरात	0.00	3265.20	3265.20	3265.20	3209.64	301.00	(3/2002)
8.	हरियाणा	0.00	471.20	471.20	471.20	471.20	12.00	(12/2001)
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	131.00	(3/2002)
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	7167.00	6967.00	6967.00	—	—	—
11.	झारखंड	1016.85	768.20	379.60	1396.45	—	—	—
12.	कर्नाटक	711.05	1127.00	1127.00	1838.05	879.31	—	(12/2001)
13.	केरल	0.00	3426.00	3426.00	3426.00	94.65	—	(6/2001)
14.	मध्य प्रदेश	950.28	1460.62	1460.62	2410.90	2184.85	—	(3/2002)
15.	महाराष्ट्र	0.00	3105.07	1552.58	1552.58	1552.58	—	(3/2002)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	0.00	1473.15	736.57	736.57	736.57	15.00	(11/2001)
17.	मेघालय	0.00	954.60	954.60	954.60	954.60	81.00	(3/2002)
18.	मिजोरम	68.68	1500.00	1500.00	1568.68	1568.68	—	(3/2002)
19.	नागालैंड	0.00	1923.60	1923.50	1923.50	1466.35	—	(3/2002)
20.	उड़ीसा	613.44	2003.80	2003.80	2617.24	2241.32	—	(3/2002)
21.	पंजाब	1161.28	1000.50	1000.50	2161.78	1587.87	97.00	(3/2002)
22.	राजस्थान	838.13	1620.00	1620.00	2458.13	2458.13	1093.00	(3/2002)
23.	सिक्किम	0.00	978.00	978.00	978.00	859.20	49.00	(1/2002)
24.	तमिलनाडु	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	248.00	(3/2002)
25.	त्रिपुरा	705.05	920.79	920.79	1626.84	1626.84	20.00	(3/2002)
26.	उत्तर प्रदेश	2616.82	7534.00	7534.00	10150.82	5963.24	6.00	(3/2002)
27.	उत्तरांचल	118.40	781.40	781.40	969.80	434.62	—	(12/2001)
28.	पश्चिम बंगाल	4615.35	5403.00	5403.00	10018.35	7142.42	—	(3/2002)
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	215.00	32.00	32.00	—	—	—
30.	दादरा व नागर हवेली	0.00	51.60	—	0.00	—	—	—
31.	दमन व दीव	20.00	53.00	6.92	26.92	6.92	.	(10/2001)
32.	दिल्ली	80.00	385.00	—	80.00	—	—	—
33.	लक्षद्वीप	12.03	69.30	15.50	27.53	27.53	6.00	(2/2002)
34.	पांडिचेरी	0.00	72.09	32.98	32.98	32.98	0.00	(3/2002)
35.	चंडीगढ़	0.00	100.00	—	0.00	0.00	—	(12/2001)
	कुल	17071.83	63546.27	56623.51	73695.34	47624.50	2299.00	—

*अनन्तिम

[अनुवाद]

ग्रामों में नलकूप योजना

4296. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गांवों के लिए कोई नई नलकूप योजनाएं तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय का ऐसी कोई स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नल के पानी की गुणवत्ता

4297. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े शहरों में नल के पानी की गुणवत्ता यूरोपीय परिषद् के निर्देशों में उल्लिखित मानकों को पूरा करती है;

(ख) यदि नहीं, तो यूरोपीय परिषद् के निर्देशों में निर्धारित प्रत्येक मानदंड के संबंध में क्या अंतर हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर इसका अल्प और दीर्घकालीन क्या प्रभाव होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण सतही/भूजल को उपचरित करने के पश्चात् शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनता को सुरक्षित/पीने योग्य जल मुहैया कराना राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। पेयजल मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी जल यूटिलिटीज/प्राधिकरणों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई एस 10500:1991 में निर्धारित किए अनुसार पेयजल के वास्तविक, रासायनिक और जीवाणु विज्ञान संबंधी मानदण्डों का पालन करना अपेक्षित है। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल के लिए मानकों का निर्धारण करने वाला अभिकरण है। जब शहरी स्थानीय निकायों सहित जल आपूर्ति अभिकरणों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तो मानवीय स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

होटलों में गोमांस का परोसा जाना

4298. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी होटलों में गोमांस परोसा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा विदेशी पर्यटकों की मांग के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बाढ़ नियंत्रण योजना

4299. श्री विष्णु पद राय: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन दसवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत एक योजना अर्थात् "बाढ़ नियंत्रण सहित समुद्र तट अपरदन रोधी" कार्यान्वित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें तहसील-वार कितने क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और योजना के कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में "लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण" के अंतर्गत समुद्र कटावरोधी सहित बाढ़ नियंत्रण के वास्ते एक स्कीम है। इस स्कीम पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसे अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। उपर्युक्त स्कीम में शामिल किए जाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राथमिक रूप से अभिज्ञात तहसील-वार क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान शुरू किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटावरोधी कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	लंबाई (मीटर में लगभग)
1	2	3
I. समुद्र कटावरोधी		
पोर्ट ब्लेयर तहसील		
1.	चिद्याताप्पू से बेदनाबाद (चरण-1) तक एटीआर परियोजना के वास्ते समुद्री दीवार का निर्माण	200

1	2	3
2.	चिद्याताप्पू से बेदनाबाद (चरण-1) तक समुद्री दीवार का निर्माण	200
3.	चौलंगा जेट्टी से मरीना पार्क (चरण-1) तक समुद्री दीवार का निर्माण	200
4.	चौलंगा जेट्टी और मरीना पार्क (चरण-2) के बीच समुद्री दीवार का निर्माण	150
5.	चौलंगा जेट्टी और मरीना पार्क (चरण-2) के बीच क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार का पुनर्निर्माण	150
6.	चौलंगा जेट्टी के बीच क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण	150
7.	मरीना पार्क और अयंगर मंदिर (चरण-3) के बीच क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार का पुनर्निर्माण	150
8.	चिद्याताप्पू से बेदनाबाद (चरण-3) तक समुद्री दीवार का निर्माण	150
9.	वांदूर स्कूल की ओर वांदूर जेट्टी से समुद्री दीवार का निर्माण	150
10.	कोर्बीन के कोव तट तथा दक्षिणी बिन्दु के बीच समुद्री दीवार का निर्माण	100
11.	छोटा अंडमान क्षेत्र में समुद्री दीवार का निर्माण	150
फेरारगुनी तहसील		
1.	डूंडास्पाइंट क्षेत्र में समुद्री दीवार का सुधार	150
2.	शोल खाड़ी में भूमि को कटाव से बचाने के लिए समुद्री दीवार का निर्माण	100
3.	उत्तरी खाड़ी की ओर माउंट हेरिएट जंक्शन में समुद्री दीवार का निर्माण	100
4.	बैंबूफ्लैट क्षेत्र में समुद्री दीवार का निर्माण	100
5.	पानीघाट पर कटाव से एटीआर को बचाने के वास्ते समुद्री दीवार का निर्माण	100
रंगत तहसील		
1.	मध्य अंडमान में कटाव से एटीआर की सुरक्षा के लिए समुद्री दीवार का निर्माण	150
2.	पंचवटी के नजदीक समुद्री दीवार का निर्माण	150
3.	उत्तरा जेट्टी के नजदीक समुद्री दीवार का निर्माण	150
4.	मध्य अंडमान में बेटापुर महुआरा कालोनी में समुद्री दीवार का निर्माण	150
मायाबूंदर तहसील		
1.	बेटापुर सं. 1 में यात्री निवास के नजदीक एटीआर को भूमि कटाव से बचाने के लिए समुद्री दीवार का निर्माण	200
2.	मायाबूंदर (चरण-2) में छूरूगन मंदिर के पीछे समुद्री दीवार का निर्माण	200
3.	पुराने विद्युत गृह से वन चेक पोस्ट तक समुद्री दीवार का निर्माण	200
दीगलीपुर तहसील		
1.	उत्तरी अंडमान में भूमि के बचाव के लिए समुद्री दीवार का निर्माण एस डब्ल्यू:- सी/ओ समुद्री दीवार	150

1	2	3
2.	एरियल खाड़ी की ओर विभिन्न पहुंचने के बीच समुद्री दीवार का निर्माण	100
3.	मछुआरा कालोनी, दुर्गापुर के नजदीक समुद्री दीवार का निर्माण	100
4.	सड़क को समुद्री कटाव से बचाने के वास्ते दुर्गापुर में समुद्री दीवार का निर्माण	150
5.	उत्तरी अंडमान में एरियल खाड़ी तथा कालीपुर के बीच समुद्री दीवार का निर्माण	100
कार निकोबार तहसील		
1.	कार निकोबार में कटाव से भूमि को बचाने के वास्ते समुद्री दीवार का निर्माण	150
2.	कार निकोबार में काकना पर समुद्री दीवार का निर्माण	150
3	अतिथि गृह के समक्ष जापानी, सवाई, टी टाप के नजदीक समुद्री दीवार का निर्माण	150
4.	कार निकोबार में तापमाईन गांव से लपाथी तक समुद्री दीवार का निर्माण	150
कछाल क्षेत्र		
1.	कछाल के कपांगा गांव पर समुद्री दीवार का निर्माण	200
2.	पश्चिमी खाड़ी कछाल पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
3.	कछाल में मैरीन पर समुद्री दीवार का निर्माण	200
नानकौरी तहसील		
1.	चैंपियन पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
2.	ए-एच डब्ल्यू कार्यालय के निकट किमोर्टा पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
3.	नानकाउरी के तपोंग गांव पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
4.	मुनाक पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
5.	ककना पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
6.	नारकोरी आई एस में हितुआई पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
7.	टेरेसा द्वीप पर मलक्का से साहस एवं चैंपियन से हिनूंगा पर समुद्री दीवार का निर्माण	100
नए प्रस्ताव		
1.	टेरेसा (जेट्टी के नजदीक) पर भूमि कटाव से बचाने के वास्ते समुद्री दीवार का निर्माण	100
	कुल	6000
II. बाढ़ नियंत्रण		
1.	दीगलीपुर, मयाकूंदर, रंगत विबंरोलीगंज, बैबूफिएट तथा कैंबेल घाटी जैसी वृहद व्यवस्थाओं में नालिओं को पक्का करना/सुरक्षा कार्य	4000 एम
2.	रंगत तथा विबंरलीगंज क्षेत्र पर नललाह कटाव से बचाव के वास्ते स्पर्स का निर्माण	1000 एम

[हिन्दी]

स्मारकों का अतिक्रमण

4300. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन इस समय स्थल-वार प्राचीन स्मारकों और पूजा स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक मामलों में समीपवर्ती भूमि पर अतिक्रमण द्वारा ऐसे स्थलों की सीमा का विस्तार कर दिया गया है और इसका उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अतिक्रमण को हटाने और ऐसी भूमि के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह निर्माण कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

साहित्य अकादमी का पुनरुद्धार

4301. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास साहित्य अकादमी के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और ललित कला अकादमी का भी पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पांडुलिपियों का पढ़ना

4302. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन भाषाओं के विद्वानों के अभाव के कारण इन भाषाओं में उपलब्ध हजारों पांडुलिपियों को न पढ़वाने के कारण संस्कृति से संबंधित कई रहस्यों की जानकारी से वंचित रहना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषय में पड़ोसी राष्ट्रों या संस्थानों से सहायता लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की पांडुलिपियां लिखने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) देश में पांडुलिपि संग्रह की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पांडुलिपियों तक पहुंच में वृद्धि करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के विचार से भारत तथा विदेशों में इन पांडुलिपियों का पता लगाने, उनकी गणना करने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया गया है। इसके भाग के रूप में, मिशन का उद्देश्य विद्वानों को लिपियों को सीखने, उनका अर्थ निकालने और अनुसंधान करने में प्रशिक्षित करना भी है।

(ग) और (घ) मिशन के कार्यकलाप अभिरक्षक संस्थाओं, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि सहित सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर) के परामर्श तथा सहयोग से कार्यान्वित किये जायेंगे।

(ङ) भारत में उपलब्ध पांडुलिपियां विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे भूर्ज की छाल, ताड़पत्र, कपड़े, कागज इत्यादि पर लिखी हुई बताई जाती हैं।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि

4303. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रति वर्ष भूमि का कुल कितना क्षेत्र पुष्प कृषि के अंतर्गत था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पुष्प कृषि के विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) देश में पुष्प कृषि के उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के लिए पुष्प कृषि के तहत राज्य-वार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार कृषि में वृहत प्रबंध कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य अपनी प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के अनुसार इस स्कीम के तहत पुष्प कृषि के विकास के साथ-साथ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा पुष्प कृषि के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 'उत्पादन और कटाई' पश्चात् प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक पुष्प कृषि के विकास संबंधी अपनी स्कीम के तहत पुष्प कृषि परियोजनाओं सहित उच्च-प्रौद्योगिकी वाली खेती के लिए प्रति परियोजना 25 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अधीन कुल परियोजना लागत के 20% की दर पर बैक-एन्डेड पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करता है। पूर्वोत्तर/जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 30.00 लाख रु. होगी। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय भी फूलों के निर्यात के लिए पुष्प कृषि अवसंरचना विकास और प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों में मदद कर रहा है।

विवरण

पुष्प कृषि के तहत राज्य-वार क्षेत्र

क्षेत्र हैक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8357.00	18087.0	15947.0
2.	असम	—	650.0	350.0
3.	बिहार	86.0	86.0	44.5
4.	दिल्ली	3450.00	3450.0	4490.0
5.	हरियाणा	2250.0	2250.0	3200.00
6.	हिमाचल प्रदेश	133.3	133.3	153.7
7.	जम्मू व कश्मीर	75.0	75.0	56.6
8.	कर्नाटक	20780.0	20801.0	21527.0
9.	मध्य प्रदेश	1956.0	1387.0	3800.0
10.	महाराष्ट्र	4979.0	6600.00	6931.0

1	2	3	4	5
11.	मणिपुर	140.5	157.0	175.00
12.	नागालैंड	—	—	320.0
13.	उड़ीसा	175.00	175.0	218.0
14.	पंजाब	560.0	560.0	455.0
15.	राजस्थान	2353.0	2353.0	2139.0
16.	सिक्किम	—	70.0	70.0
17.	तमिलनाडु	17750.0	18120.0	19000.0
18.	त्रिपुरा	25.0	25.0	25.0
19.	उत्तरांचल	190.1	190.1	18.3
20.	उत्तर प्रदेश	160.0	160.0	5790.0
21.	पश्चिम बंगाल	10500.00	13227.0	13431.0
22.	दमन व दीव	5.0	5.0	5.0
23.	पांडिचेरी	46.0	46.0	155.0
	कुल	73970.9	88609.4	98447.1

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों में प्रशासनिक वन अधिकारी

4304. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों में प्रशासनिक वन अधिकारी के पद पर अधिकतर सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्ण जानकारी के अभाव में अन्य व्यक्ति गैर-सरकारी संगठनों में कार्य करने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक पुस्तक प्रकाशित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तंजानिया और भारत में समझौता

4305. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंजानिया और भारत ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते की शर्तें और नियम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार और संघीय तंजानिया गणराज्य के बीच कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए 16 दिसम्बर, 2002 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार प्रबंध, बागवानी, पशु पालन तथा मात्स्यिकी, पशुधन उत्पादन व स्वास्थ्य, पनधारा विकास, समेकित कीट प्रबंध, कृषि उपकरण व मशीनरी, फसल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, बीज विकास के क्षेत्रों में संयुक्त क्रियाकलापों और कृषि-व्यापार में संयुक्त उद्यमों के प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।

पक्षकार द्विवर्षीय कार्य-योजनाओं के जरिये संयुक्त क्रियाकलापों के ढांचे के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देंगे।

समझौता ज्ञापन के तहत इसको पूरा करने के लिए किए गए क्रियाकलापों के प्रबोधन हेतु एक संयुक्त कृषि-कार्यकारी समूह (जे.ए.डब्ल्यू.जी.) का भी प्रावधान है।

यह समझौता ज्ञापन शुरूआत में 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है।

[अनुवाद]

खादी उत्पादों को मूल्य वर्धित कर से छूट

4306. श्री के. मुरलीधरन:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामीण उद्योग द्वारा अपने उत्पादों के लिए मूल्य वर्धित कर और अन्य राज्य करों के संबंध में छूट की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल, राजस्थान इत्यादि कुछ राज्यों ने खादी उत्पादों के लिए मूल्य वर्धित कर की छूट दिए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्रत्येक अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) और (ख) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे राज्य करों/वेट से खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) उत्पादों को छूट प्रदान करें। इसके अलावा के.वी.आई.सी. मामले को राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (वेट सहित टैक्स रिफोर्म मोनीटरिंग), वित्त मंत्रालय के साथ उठा रही है ताकि के.वी.आई. के सभी उत्पादों को मूल्य वर्धित कर (वेट) से छूट मिल सके।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्यों के बीच इस संबंध में बड़ी सहमति है।

(ङ) उपर्युक्त अनुरोध के संबंध में उत्तर राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (वेट सहित टैक्स रिफोर्म मोनीटरिंग), वित्त मंत्रालय से आना अपेक्षित है।

नदियों को आपस में जोड़ना

4307. श्री महबूब जाहेदी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और कर्नाटक के विवाद का हल करने के लिए सरकार का विचार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल के बंटवारे के संबंध में विवाद अधिनिर्णय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेजा गया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने जून, 1991 में अंतरिम आदेश पारित किया जिसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 1980 में तैयार की गई थी। जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए स्वायत्त सोसाइटी के रूप में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। सरकार द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के तहत, इन नदी बेसिनों में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 9 संपर्कों की पहचान की गई है जिसमें से 3 संपर्कों की

व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई हैं और शेष की व्यवहार्यता रिपोर्टें वर्ष 2005 तक पूरी कर लिये जाने की योजना है।

ऋणदार सुरक्षा के तौर पर कृषि भूमि

4308. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद द्वारा हाल ही में पारित सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इनफारसमेंट आफ सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट के कुछ प्रावधानों में कृषि आधारित उद्योगों के हितों के लिए हानिकर है क्योंकि कृषि भूमि को ऋणदार सुरक्षा बनाने के लिए प्रत्येक बैंक मना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विवाद के संदर्भ में लघु उद्यमियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) और (ख) हालांकि, यह सही है कि कृषि भूमि में सृजित किए गए किसी सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट पर सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफारसमेन्ट आफ सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के कड़े प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तथापि, 'कृषि भूमि' को बैंकों द्वारा सम्पार्श्विक सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किया जाना अभी जारी है और सिविल प्रक्रिया कोड आदि के प्रावधानों के अनुसार यह उगाही किए जाने की शर्त के अधीन है।

(ग) लघु उद्यमियों के हितों की सुरक्षा के लिए सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफारसमेन्ट आफ सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रावधान केवल 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के ऋणों पर ही लागू होते हैं।

[हिन्दी]

कलाकारों को सहायता

4309. **श्री रामदास रूपला गावीत:**
श्री राम सिंह कस्वां:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक इस योजना के तहत कितने कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। संस्कृति विभाग "साहित्य, कलाओं तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों जो दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की योजना" नामक स्कीम चला रहा है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत कलाकारों और उनके आश्रितों को 2000 रु. प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आज तक इस स्कीम के अंतर्गत लाभभोगियों की संख्या 633 है।

विवरण

साहित्य और कला में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों को, जिनके आश्रित दीन-हीन परिस्थितियों में हों, वित्तीय सहायता की स्कीम

इस स्कीम के माध्यम से वृद्ध अथवा अक्षम कलाकारों को अधिकतम 2000 रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एक निश्चित आयु-सीमा तक कलाकार के आश्रितों की देख-भाल करने का भी प्रावधान है तथा उन्हें चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है।

योजना	: साहित्य और कला में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों जिनके आश्रित दीन-हीन परिस्थितियों में हों, को वित्तीय सहायता।
उद्देश्य	: वृद्ध और गरीब कलाकारों को सहायता और सम्पोषण करना।
किन व्यक्तियों पर लागू है	: साहित्य और कला में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति (58 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के) जो दीन-हीन परिस्थितियों में हों और जिनकी मासिक आय 2000 रु. प्रति माह से अधिक नही हो।

वित्तीय सहायता : सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। ऐसा भत्ता केन्द्र-राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र कोटे के अंतर्गत संस्तुत कलाकारों को दिया जाता है जो केन्द्र और संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा 3:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया मासिक भत्ता 1500 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा तथा केंद्रीय कोटे के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों के मामले में यह भत्ता 2000 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

तेलियों, कुम्हारों और बुनकरों के परम्परागत बाजारों पर संकट

4310. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने राज्य सरकारों से खादी और ग्रामीण उद्योगों को छूट देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या-क्या प्रतिक्रिया मिली;

(ग) क्या इन दिनों तेलियों, कुम्हारों और बुनकरों के कुछ परम्परागत बाजार संकट का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) जबकि उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण का प्रभाव मार्किट परिप्रेक्ष्य में पड़ना जरूरी है, नीति पहलों के माध्यम से जोकि समग्र रूप से इस सेक्टर की लचीली प्रकृति को बढ़ाता है, का प्रत्युत्तर इस सेक्टर द्वारा दिया गया है।

सिंधु जल आयोग की बैठक

4311. **श्रीमती रेणुका चौधरी:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के फरवरी के प्रारम्भ में स्थायी सिन्धु नदी जल आयोग की बैठक इस्लामाबाद में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय शिष्टमंडल ने बागली हर जलताप विद्युत स्टेशन का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो इस दौरे के उद्देश्य क्या थे;

(घ) इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बड़े मतभेद रहे; और

(ङ) पाकिस्तानी शिष्टमंडल के कब तक दौरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। स्थाई सिंधु आयोग की 88वीं बैठक 4 से 6 फरवरी, 2003 को इस्लामाबाद में हुई थी।

(ख) जी, नहीं। स्थाई सिंधु आयोग द्वारा उक्त बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में बगलिहार जल विद्युत संयंत्र का निरीक्षण दौरा अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पाकिस्तान के अनुसार, बगलिहार जल विद्युत संयंत्र का डिजाइन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जबकि भारत का दृष्टिकोण यह है कि यह संयंत्र संधि में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के पूर्णत: अनुरूप है। ऊपर उल्लिखित बैठक के दौरान पाकिस्तान के आयुक्त ने मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए सिंधु जल संधि के प्रावधान के तहत बगलिहार संयंत्र पर पाकिस्तान द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने पर जोर दिया जबकि भारत के आयुक्त ने संयंत्र के डिजाइन पर पाकिस्तान की आपत्तियों पर विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका समाधान किया जा सके। अपना-अपना दृष्टिकोण कायम रखते हुए दोनों पक्षों की बैठक सम्पन्न हुई।

(ङ) पाकिस्तान शिष्टमंडल को 1 जून, 2003 से पहले स्थाई सिंधु आयोग की अगली बैठक के लिए भारत का दौरा करना है।

दौरों संबंधी शिकायतें

4312. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री पी.आर. खूंटे:
श्री चन्द्र प्रताप सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सक्षम अधिकारी को भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के सी.ए.ओ. द्वारा वर्ष 2002 के दौरान मुंबई की यात्राएं/दौरे करके अपनी पात्रता से अधिक यात्रा भत्ता प्राप्त करने के संबंध में वित्त का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सी.ए.ओ. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के कई अधिकारियों के एल टी सी के झूठे दावों से संबंधित अनियमितताओं में संलिप्त था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। यात्रा भत्ते के दावों की जांच की गई थी तथा इसमें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था।

(ख) जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। ये दौरे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के गले के कैंसर के चिकित्सा उपचार के संबंध में किए गए थे। यह यात्रा इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी। कैंसर के रोगी के लिए उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने गले के कैंसर के उपचार के संबंध में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किए गए मुम्बई के दौरों का ब्यौरा

वर्ष	दिनांक	खर्च की गई धनराशि
2000-2001	07.09.2000 से 08.09.2000	4891 रु.
2001-2002	09.09.2001 से 16.09.2001	4828 रु.
2002-2003	10.09.2002 से 15.09.2002	5225 रु.
	09.03.2003 से 13.03.2003	4661 रु.

मत्स्य उत्पादन और खपत

4313. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मत्स्य का वार्षिक औसतन उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) 2002-03 सहित विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में मछली के उत्पादन और उपभोग का रिकार्ड कितना रहा है;

(ग) 2003-04 के दौरान उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) मत्स्य का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान मछली का औसत वार्षिक उत्पादन और उसकी पूर्ति प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 58.87 लाख टन और लगभग 10 कि.ग्रा. है।

(ख) विगत तीन वर्षों 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान प्रत्येक वर्ष रिकार्ड किया मछली का उत्पादन तथा उसकी प्रति व्यक्ति खपत (प्रत्याशित) निम्नानुसार है:-

वर्ष	मछली उत्पादन (लाख टन)	मछली की खपत (प्रतिवर्ष कि.ग्रा.)
2000-01	56.56	9.91
2001-02	59.56	10.26
2002-03	60.50	10.24

(ग) 2003-04 के दौरान मछली का उत्पादन लगभग 61.00 लाख टन होने का अनुमान किया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल (अंतर्देशीय+समुद्री) है।

मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

4314. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित और संशोधित करती हैं।

प्रत्येक राज्य में अनुसूचित रोजगारों में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मकारों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अद्यतन न्यूनतम मजदूरी

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49.08	—	—
2.	असम	50.00	63.00	65.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	39.87	46.59	49.59
4.	बिहार	45.00	68.36	83.01
5.	छत्तीसगढ़	78.31	82.40	86.69
6.	गोवा	62.00	—	—
7.	गुजरात	50.00	—	—
8.	हरियाणा	82.31	86.55	92.31
9.	हिमाचल प्रदेश	51.00	54.27	57.10
10.	झारखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	जम्मू व कश्मीर	45.00	60.00	100.00
12.	कर्नाटक	51.63	—	—
13.	केरल	51.21	—	—
14.	मध्य प्रदेश	78.77	82.92	87.15
15.	महाराष्ट्र	65.38	69.23	73.08
16.	मणिपुर	62.15	68.40	72.50
17.	मेघालय	50.00	54.00	62.00
18.	मिजोरम	84.00	94.00	117.00
19.	नागालैंड	45.00	50.00	60.00
20.	उड़ीसा	52.50	62.50	72.50

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	82.65	90.95	100.15
22.	राजस्थान	60.00	64.00	68.00
23.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभी लागू किया जाना है।		
24.	तमिलनाडु	50.00	—	—
25.	त्रिपुरा	50.00	56.00	67.00
26.	उत्तर प्रदेश	53.73	64.12	71.65
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	58.90	—	—
29.	अंडमान और निकोबार	70.00	77.00	92.00
30.	चंडीगढ़	81.56	—	—
31.	दादरा व नागर हवेली	60.00	70.00	80.00
32.	दमन व दीव	50.00	60.00	70.00
33.	दिल्ली	103.10	109.45	119.40
34.	लक्षद्वीप	52.00	57.00	62.00
35.	पांडिचेरी	45.00	65.00	75.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	54.52	65.94	83.78

कच्छ वनस्पति का समाप्त होना

4315. श्री रामजीवन सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दुर्लभ प्रजाति के मगरमच्छों के अस्तित्व पर मंडराये संकट तथा बांग्लादेश वासियों की लगातार घुसपैठ तथा विभिन्न समुद्र तटों पर अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण उड़ीसा तट के साथ तेजी से समाप्त हो रही कच्छ वनस्पति के एक बड़े क्षेत्र की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गयें हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) बंगलादेशियों की लगातार घुसपैठ के कारण उड़ीसा तटीय क्षेत्र में तेजी से समाप्त हो रही कच्छ वनस्पति के एक बड़े क्षेत्र और दुर्लभ प्रजाति के मगरमच्छों के अस्तित्व पर आए संकट के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है। परंतु अवैध रूप से मछली पकड़ने, कच्छ वनस्पति वनों के निवाश और क्षारीय जल के मगरमच्छों पर आए संकट की कुछ घटनाओं की सूचना राज्य सरकार द्वारा दी गई है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने महानदी के 5 वन खंडों में अवैध झींगा घेरियों को तोड़ने का कार्य आरम्भ कर दिया है और जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा और भद्रक जिलों के चयनित खंडों में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को रिजर्व क्षेत्रों के रूप में घोषित करने संबंधी उपाय उठाए हैं।

खादी शिल्पकार

4316. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में आज की तिथि के अनुसार खादी के राज्य-वार शिल्पकारों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन शिल्पकारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) आंध्र प्रदेश सहित खादी कारीगरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खादी कार्यक्रमों का विनियमन प्रमाणित नियमों के सेट द्वारा किया जाता है, जिसमें कारीगर वेल्फेयर फण्ड तथा खादी कार्यक्रमों में लगे हुए स्पिनरों तथा वीवरों के वेल्फेयर के लिए आर्टीसन बेनीफिट फण्ड की व्यवस्था की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश पर भी लागू होता है।

विवरण

राज्य-वार कारीगर 2001-2002

नियोजित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कारीगर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24945
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	16720
4.	बिहार	136627
5.	गुजरात	23614
6.	हरियाणा	37403
7.	हिमाचल प्रदेश	11483
8.	जम्मू-कश्मीर	30795
9.	कर्नाटक	29444
10.	केरल	12827
11.	मध्य प्रदेश	3824
12.	महाराष्ट्र	10456
13.	मणिपुर	503
14.	मेघालय	57
15.	मिजोरम	30
16.	नागालैंड	581
17.	उड़ीसा	2173
18.	पंजाब	11407
19.	राजस्थान	40011
20.	सिक्किम	240
21.	तमिलनाडु	29882
22.	त्रिपुरा	96
23.	उत्तर प्रदेश	302253
24.	वेस्ट बंगाल	55701
25.	छत्तीसगढ़	3097
26.	झारखण्ड	4914
27.	उत्तरांचल	25187
28.	दिल्ली	3250
29.	लक्षद्वीप	—
30.	पांडिचेरी	684
	कुल	848240

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जोबट परियोजना

4317. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की जोबट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) किस समय तक परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जोबट परियोजना का हेड कार्य तथा नहर प्रणालियां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) नहर वितरण प्रणाली तथा बांध के सिविल कार्यों के निष्पादन में धीमी प्रगति के अलावा भूमि अधिग्रहण तथा परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास में देरी के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी हुई है।

(ग) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना के जून, 2004 में पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन संबंधी इंडेक्स

4318. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस तिथि को राष्ट्रीय कृषि उत्पादन (अनावरी रिपोर्ट) की इंडेक्स निर्धारित की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) फसल आकलन की आनावाडी विधि कृषि खेतों के कृषि मूल्यांकन के आधार पर फसलों के उत्पादन का आकलन करने के लिए आजादी से पूर्व की अवधि में उपयोग में लाई जाती थी। इस विधि के तहत 16 आना आकलन का तात्पर्य सामान्य उत्पादन होता था। 12 आना आकलन का तात्पर्य उत्पादन सामान्य उत्पाद का 75% था अथवा यह कि उत्पादन में 25% की हानि हुई थी।

(ख) और (ग) उत्पादन के आकलन की आनावाड़ी विधि आत्मपरक निर्णय पर आधारित थी और यह स्थान और फसल के अनुसार बदलती रहती थी। इस विधि में स्पष्ट कमियों के कारण पक्षपात और आत्मनिष्ठता से मुक्त एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई। फसल पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार लाने और एक वस्तुगत प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीविदों और अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा प्रयास किए गए। इन प्रयासों में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हुए कुल उत्पादन का आकलन करने और यादृच्छिक रूप से चयनित खेतों में पैदावार का आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रयोग शामिल थे। ऐसे सर्वेक्षणों से संबंधित आरम्भिक कार्य 1940 के दशक में शुरू हुआ और वार्षिक आधार पर इसमें गेहूं और धान की फसलों को शामिल किया गया। तथापि, क्रमशः ये सर्वेक्षण गेहूं और धान उत्पादक सभी राज्यों में कराये जाने लगे। इन सर्वेक्षणों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इनको विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्था में समायोजित कर दिया गया था। इसके पश्चात्, अन्य खाद्य व वाणिज्यिक फसलों को शामिल करने के लिए इन सर्वेक्षणों के दायरे का विस्तार किया गया। वर्तमान में, सभी प्रमुख खाद्यान्न व तिलहनी फसलों तथा गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता के उत्पादन आकलन सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

[अनुवाद]

गाजर के रस और ईसबगोल की प्रसंस्करण इकाइयों की संभावनायें

4319. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के बानसकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों की गाजर के रस और ईसबगोल को काटने वाली प्रसंस्करण इकाइयों की संभावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ऐसे विस्तृत अध्ययन कराने का अनुरोध किया है जो उन्हें प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु कार्योन्मुखी नीतियां तैयार करने के साथ-साथ उनके क्षेत्र की क्षमताओं के आधार पर इस क्षेत्र के विकास हेतु कार्य योजना एवं रणनीतियों का पता लगाने में सहायक हो सकते हैं।

इस मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत, यदि मंत्रालय में व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हों तो, गुजरात के बानसकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों जिनमें गाजर रस के उत्पादन हेतु यूनिटें शामिल हैं, की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध है।

अनुसंधान कार्य के लिए परामर्शदात्री पैनल का गठन

4320. डा. वी. सरोजा:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने अनुसंधान के लिए हाल ही में एक परामर्शदात्री पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल में कौन-कौन से लोग हैं;

(ग) क्या सी पी सी बी का उद्देश्य वैज्ञानिक डाटाबेस और प्रौद्योगिकी प्रयोक्ता अनुकूल औजार और कार्य प्रणाली विकसित करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने अपनी अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों का मार्गदर्शन और इसकी पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से एक अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी) गठित की है। अनुसंधान सलाहकार समिति में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर, भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई टी आर सी) लखनऊ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) जैसे संगठनों के विशेषज्ञ हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना के लिए डाटा बेस विकसित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां तैयार करने के उद्देश्य से भी अनेक सनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाएं शुरू की हैं। इस सूचना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तकनीकी रिपोर्टों और मैनुअल्स के रूप में नियमित तौर पर प्रकाशित किया जाता है।

मलेशिया के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा

4321. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुआलालम्पुर में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मद्देनजर मलेशिया सरकार के साथ किए जाने वाले नागर विमानन संबंधी द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत अपने लंबित निर्णयों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा किए जाने वाले निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेशिया सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि कुआलालम्पुर में आई टी विशेषज्ञ पर हमले की घटना के दृष्टिगत 22-23 जनवरी, 2003 को भारत और मलेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय विमान सेवा वार्ता के अंतिम दौर के दौरान मलेशिया की निर्धारित एयरलाइंस को दिए गए अतिरिक्त यातायात अधिकारों से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। मलेशियन एयरलाइंस ने अतिरिक्त यातायात अधिकारों के उपयोग की कोई योजना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

वर्ग 'ग' और 'घ' में नियुक्ति

4322. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या नागर विमानन मंत्री दिनांक 07.04.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ग 'ग' और 'घ' के लिए विज्ञापित पद स्थायी थे; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें तदर्थ और अस्थायी आधार पर भरने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सामग्री एकत्रित की जा रही तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोल्ड स्टोरेज

4323. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और 31 दिसम्बर, 2002 तक एनसीडीसी द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सहायता से राज्य-वार कितने कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने देश में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	दी गई सहायता (रुपये लाख में)
1999-2000	1137.900
2000-2001	739.551
2001-2002	1675.721
2002-31.12.2002 तक	96.50

(ग) राज्य-वार स्थापित शीतागारों के संबंध में जानकारी 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस विभाग के एक अंतःमंत्रालयी कार्य बल ने 10वीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित शीतागार अवसंरचना और 56.00 लाख मी. टन की शीतागार क्षमता के सृजन के लिये सिफारिश की है। कृषि तथा सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 10वीं योजना के दौरान 380.00 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश सब्सिडी से 35 लाख मी. टन की भंडारण क्षमता के सृजन के लिये एक स्कीम का निरूपण किया है।

विवरण

राज्य-वार शीतागारों का ब्यौरा और रा.सं.वि.नि. द्वारा 31.3.2003 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	सहायता प्राप्त परियोजनायें		अधिष्ठापित	
		संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1000	1	1000
2.	असम	2	4000	1	1000
3.	बिहार	21	63850	2	63850
4.	गुजरात	3	3200	3	3200
5.	हरियाणा	4	12000	4	12000
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1000	1	1000
7.	जम्मू व कश्मीर	3	3400	3	3400
8.	झारखण्ड	1	5000	—	—
9.	मध्य प्रदेश	25	95400	23	85400
10.	कर्नाटक	5	7800	5	7800
11.	महाराष्ट्र	4	7000	2	1000
12.	नागालैंड	1	1000	1	1000
13.	उड़ीसा	21	36170	19	28670
14.	पंजाब	16	22300	16	22300
15.	राजस्थान	3	6000	3	6000
16.	तमिलनाडु	2	3750	2	3750

1	2	3	4	5	6
17.	त्रिपुरा	1	2000	1	2000
18.	उत्तर प्रदेश	96	287600	95	282600
19.	पश्चिम बंगाल	67	238100	54	226200
20.	चण्डीगढ़	1	1000	1	1000

केवीआईसी के अंतर्गत अखाद्य फसलों से बायोडीजल का उत्पादन

4324. **श्री अनन्त नायक:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखाद्य फसलों से बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किसी संभावना की तलाश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक किस सीमा तक सफलता मिली है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बाघों की गिनती

4325. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2002 में बाघों की की गई गिनती के अनुसार उड़ीसा के 18 वन मंडलों (फारेस्ट डिवीजन) में कोई बाघ नहीं है और बाघों की आठ प्रजातियों में से तीन तो उड़ीसा से पहले ही लुप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाघों के संरक्षण तथा ऐसे पर्याप्त वनों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिसमें देश में वन्य जीवों का अस्तित्व बना रह सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) भारत में बाघों की केवल एक उप प्रजाति पाई जाती है जो केवल उड़ीसा में है। वर्ष 2002 में बाघ/चीता अनुमान के परिणामों से उड़ीसा के 18 वन डिवीजनों में बाघों के होने का पता नहीं चलता है। इसका मूल कारण बाघ के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकी में प्रतिकूल जैविक हस्तक्षेप है।

(ग) बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध बाघों सहित वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्य जीवों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत क्षमता और आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(4) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है।

(5) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(6) भारतीय वन्यजीव बोर्ड की हाल ही में हुई बैठक में वन्यजीव और वन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित

करने और फ्रंटलाइन स्टाफ के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने और उन्हें अपनी ड्यूटी दक्षतापूर्वक करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

(7) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के साथ कार्रवाई बिन्दु अभिनिर्धारित किए गए हैं।

ओएफडी कार्यों के लिए सहायता सीमा में वृद्धि

4326. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें ओएफडी कार्यों के लिए वर्तमान में मंजूर की जाने वाली 10,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए (सीएसएस के अंतर्गत 6,000 रुपए और राज्य के हिस्से से 6,000 रुपए) करने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर और अनुमोदित किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जल मार्गों के निर्माण संबंधी वर्तमान लागत मानक को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) ओएफडी कार्यों के लिए लागत मानकों में प्रस्तावित वृद्धि पुनर्संरचित कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में है। इस प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा 'सैद्धांतिक रूप' से अनुमोदित कर दिया गया है और सरकार के अनुमोदन संबंधी कार्रवाई चल रही है।

रूटविल्ट रोग से प्रभावित क्षेत्रों में नारियल की उत्पादकता

4327. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रूटविल्ट रोग से प्रभावित क्षेत्रों में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केरल सरकार के प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट्स आफ साइंटिफिक क्राप मैनेजमेन्ट आदि वाले प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवंटित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केरल सरकार ने "केरल के रूटविल्ट रोग प्रभावित क्षेत्रों में नारियल खेती की उत्पादकता बढ़ाने" से संबंधित 576.14 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक परियोजना प्रस्तुत की है जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। इस परियोजना में वैज्ञानिक फसल प्रबन्धन तिरूवन्तपुरम और त्रिसूर के सीमावर्ती जिलों में से रोगग्रस्त पेड़ों को उखाड़ फेंकने; पुनः पौध रोपण के लिये पौधों की आपूर्ति और जागरूकता पैदा करने आदि जैसे कार्य शामिल हैं। इस परियोजना में भारत सरकार का प्रतिपादित हिस्सा 181.70 करोड़ रुपये का है। इस परियोजना की कृषि एवं सहकारिता विभाग में जांच-पड़ताल की गयी। इसी तरह के कार्यक्रमों के लिये भारत सरकार केरल सरकार को नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से इसके प्रारम्भ से 110.94 करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है। ऐसी परियोजनाओं के लिए एक समय संरचना के भीतर बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है जिसको अपने सीमित संसाधनों से पूरा करना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के लिए संभव नहीं है। अतः केरल सरकार को सलाह दी गई कि वह परियोजना के वित्तपोषण के लिए इसमें संशोधन करके इसे सीधे योजना आयोग अथवा किसी अभिज्ञात बाहरी एजेन्सी के पास भेजे तथा साथ ही साथ क्रियान्वित किये जाने के लिए प्रस्तावित घटकों का विस्तृत ब्यौरा और रणनीति के औचित्य को ठहराते हुए प्रत्येक क्रियाकलाप की समय संरचना, तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता आदि को भी प्रस्तुत करे।

इसी बीच नारियल विकास बोर्ड ने "रोग प्रभावित बागानों के प्रबन्धन" नामक घटक के अंतर्गत 125.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है जिससे कि प्रति पाम 250 रुपये की दर से मुआवजा देकर 50,000 ऐसे पेड़ों को काटकर हटाया जा सके जो रोग से बुरी तरह प्रभावित हो गये हैं। नारियल विकास बोर्ड की परियोजना अनुमोदन समिति ने नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 5 वर्ष अवधि वाली तथा 3770.20 लाख रुपए की कुल परिव्यय की केरल सरकार की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है जिसका उद्देश्य केरल के सीमावर्ती जिलों यथा तिरूवन्तपुरम और त्रिसूर में "रूटविल्ट" रोग पर नियंत्रण करना है। इस परियोजना में सीमावर्ती जिलों में रोग से प्रभावित सभी पेड़ों को उखाड़ फेंकना; सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर वैज्ञानिक प्रबन्धन की विधियों को अपनाकर तथा समुचित रूप से पुनः पौध रोपण करके पेड़ों की संख्या को अनुकूलतम स्तर तक लाकर पेड़ों के स्वास्थ्य में सुधार

लाने का कार्य शामिल है। परियोजना लागत के 25% के रूप में 942.00 लाख रुपये की कुल राशि में से 188.00 लाख रुपये की राशि पहले वर्ष अर्थात् 2002-03 के दौरान केरल सरकार को जारी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता

4328. डा. जसवंत सिंह यादवः क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत और क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) और (ख) राजस्थान सहित वर्ष 1.1.2000 से 31.12.2002 के दौरान कृषि आधारित उद्योगों (अर्थात् शुगर, वेजीटेबल आयल एंड वनस्पति, होर्टीकलचर, एग्रीकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर) के लिए स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) सरकार ने विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है जिसे यह आदेश दिया गया है कि वह एफ.डी.आई. स्वीकृतियों को कार्यान्वयन में बदल दें, विदेशी निवेशकों को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता देकर, प्रचालनात्मक समस्याओं को दूर करके तथा पार्टनरशिप पहुंच के माध्यम से अधिकतम सुअवसर प्रदान करके सेवा ध्यान के उपरान्त प्रोएक्टिव वन-स्टाप प्रदान करें। इसके अलावा, अन्य चीजों में, सरकार की वनचबद्धता के अनुसरण में भारतीय उद्योग को आगे और सुविधा प्रदान करना, विभिन्न क्रियाकलापों में बिना किसी बाधा के उन्हें संलग्न करने के लिए सरकार ने एक छोटी सी नकारात्मक सूची के अलावा उन्हें एफ.डी.आई. के लिए स्वतः रूट की पहुंच हेतु अनुमेय किया है।

विवरण I

सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के संबंध में कैलेंडर वर्षवार ब्रेक-अप संबंधी ब्यौरा

जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2002 के दौरान (कृषि आधारित उद्योग जैसे शुगर, वेजीटेबल आयल्स एंड वनस्पति, होर्टीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फ्लोरीकल्चर)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2000 जन.-दिस.		2001 जन.-दिस.		2002 जन.-दिस.		कुल	
		वि.	एफडीआई (रु. में)	वि.	एफडीआई (रु. में)	वि.	एफडीआई (रु. में)	वि.	एफडीआई (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6	109.45	2	0.27	9	18.25	17	127.98
2.	गुजरात	2	0.05	1	0.00	0	0.00	3	0.05
3.	हरियाणा	2	0.11	0	0.00	2	0.05	4	0.17
4.	कर्नाटक	3	1.28	5	29.34	0	0.00	8	30.62
5.	केरल	0	0.00	2	0.05	0	0.00	2	0.05
6.	महाराष्ट्र	2	0.80	3	16.20	8	57.26	13	74.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	पंजाब	2	2.06	1	6.54	0	0.00	3	8.60
8.	राजस्थान	1	4.20	0	0.00	0	0.00	1	4.20
9.	तमिलनाडु	2	0.00	3	39.84	0	0.00	5	39.84
10.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	0.70	1	0.70
11.	दिल्ली	3	7.00	3	35.82	3	5.75	9	48.57
12.	गोवा	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
13.	राज्य नहीं दर्शाया	1	0.45	2	0.00	2	0.00	5	0.45
	कुल योग	25	125.41	22	128.05	25	82.02	72	335.48

विवरण II

सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के संबंध में ब्रेक अप संबंधी ब्यौरा

जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2002 के दौरान

राज्य—राजस्थान

शुगर सेक्टर या वेजीटेबल आयल्स एण्ड वनस्पति सेक्टर या होर्टीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या फ्लोरीकल्चर सेक्टर

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कम्पनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी (रु. में)	विदेशी इक्विटी प्रतिशत
		देश : मलेशिया			
1.	211 22.3.2000	शेखावटी प्लांटेशन प्रा.लि. 10173/15/2 एम, अब्दुल अजीज, रोड-करोल बाग नई दिल्ली-110005	सेवन एम मैनेजमेंट सर्विस एस डी एन बी एच डी मलेशिया	4.20	70.00
		अवस्थिति: जेसलमेर (राजस्थान) एपीपीसं. (दि:) 211 (30.4.2000)	विनिर्माण मद: राजस्थान के वेस्ट में कैप्टिव सहित जुजोबा आयल तथा आयल एक्सट्रेक्शन प्लांट की स्थापना द्वारा आयल एक्सट्रेक्शन	लैण्ड एरिया प्लांटेशन का विनिर्माण	

कुल वित्तीय मामले : कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रु. में 4.20

[अनुवाद]

विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा

4329. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 से 2003 के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) विमानों को हुई क्षति से इन कंपनियों को कितना नुकसान हुआ;

(ग) इन कंपनियों को बीमा कंपनी से कितनी दावा राशि मिली और कितनी दावा राशि का भुगतान अभी शेष है; और

(घ) 30 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता अदालतों में मारे गए लोगों, विकलांग हुए लोगों, वित्तीय नुकसान और यात्रियों को हुई असुविधाओं से संबंधित लंबित पड़े मामले का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 1998-2003 के दौरान एअर इंडिया ने किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया क्योंकि इस अवधि के दौरान एअर इंडिया का कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

पिछले 5 वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-99 से 2002-2003 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं जिनमें जन हानि भी शामिल है। भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा इस प्रकार है:-

भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा:

	दुर्घटनाग्रस्त विमान	(लाख रुपए में)
1.	दिनांक 30 जुलाई, 1998 को कोच्चि पर डोर्नियर डी ओ-228 विमान बी.टी.ई.जे.डब्ल्यू. की दुर्घटना	76.87
2.	दिनांक 17 जुलाई 2000 को पटना में बोइंग बी 737 विमान वी.टी.ई.जी.डी. की दुर्घटना	477.16

(ख) और (ग) डी.ओ. 228 वी.टी-ई.जे.डब्ल्यू. का इन्श्योर्ड मूल्य 5.00 करोड़ रुपए था और इस राशि को विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की एवज में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त किया गया।

बी-737 वी.टी.-ई.जी.डी. के दुर्घटनाग्रस्त होने की एवज में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 34.40 करोड़ रुपए (कुल बीमित मूल्य) की राशि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त की गई।

मृतक/घायल व्यक्तियों को जब कभी मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है तो उस राशि की प्रतिपूर्ति बीमाकर्ता द्वारा नियमित रूप से कर दी जाती है।

(घ) विमान दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के विभिन्न न्यायालयों/उपभोक्ता अदालतों में दिनांक 31 मार्च, 2003 तक लंबित पड़े मामले की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन सभी लंबित मामलों में से अधिकांश मामलों में तो वैधानिक सीमाओं की अपेक्षा अधिक राशि का दावा किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	यात्री	दावेदार	केस सं.	कोर्ट	ब्रीफ
1	2	3	4	5	6
1.	निकुन्ज आर धेबर	निशा एन घेवर एवं अन्य	5514/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-65.132 लाख
2.	श्याम सुन्दर जी लवसी	कोकीला बेन एस लवीसी एवं अन्य	5500/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-45 लाख
3.	सुरेन्द्र पी साह	जशोदा बेन पी साह	6885/93	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-33.064 लाख
4.	उषा बेन बी. राव (क)	नवनीत लाल पी बरोत एवं अन्य	1506/93	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.37 लाख रु., दावा-1.55 करोड़ मेटर्नल
	-वही- (ख)	अनिरुध के राव	859/96	सी सी अहमदाबाद	दावा 3.75 करोड़ पेटर्नल
5.	भावना बेन पटेल	मनु भाइ. आर. पटेल	6082/93	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा-26.65 लाख
6.	राकेश एम पटेल	मनु भाई. आर. पटेल	6883/93	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-22.85 लाख

1	2	3	4	5	6
7.	अशोक डी. अग्रवाल	अशोक डी. अग्रवाल (स्वयं)	5671/92	सी सी अहमदाबाद	घायल पर खर्च 1.06 लाख रु., दावा- 5 करोड़
8.	आभा अग्रवाल	अशोक डी. अग्रवाल	5515/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा- 40 लाख
9.	अग्रवाल रूही-(नाबालिग)	अशोक डी. अग्रवाल	-वही-	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 1 लाख रु.
10.	अमित जे. पारीख	चंद्रिका ए. पारीख	5499/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा-36.55 लाख
11.	अनिल उपाध्याय	मृणाल ए. उपाध्याय	5196/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-20.10 लाख
12.	भगवत प्रसाद ए. राव	अनिरुध के. राव	858/96	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 3.27 लाख रु., दावा-78.10 लाख
13.	जय किशन बी. राव	अनिरुध के. राव	860/96	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 50000 रु., भुगतान 50000 दावा-1.77 लाख
14.	जोत बी. राव	अनिरुध के. राव	861/96	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 50000 रु., भुगतान 50000 दावा-1.27 लाख
15.	चंद्रिका सोनी	जगदीश सोनी	6884/93	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-98.18 लाख
16.	सोनी - हिरल (नाबालिग)	जगदीश सोनी	-वही-	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 1 लाख रु.,
17.	सोनी - केवल (नाबालिग)	जगदीश सोनी	-वही-	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 1 लाख रु.,
18.	घनश्याम अम्बा लाल पटेल	पुष्पा बेन जी. पटेल एवं अन्य	5498/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-80.28 लाख
19.	हरीश डी. गांधी	धीरज लाल एस. गांधी	5509/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.16 लाख रु., दावा-49.20 लाख
20.	हिमांशु सी. पुजारा	मंजेरी एच. पुजारा	5511/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-28.13 लाख
21.	हिमांशु वैद्य	भारती एच. वैद्य	5496/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.07 लाख रु., दावा-80.07 लाख
22.	केशव शर्मा	श्रीमती राजकुमार शर्मा	5491/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2 लाख रु., दावा-34.07 लाख
23.	कीर्ति कोठारी	बिन्दु कोठारी	5508/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-48.45 लाख
24.	किशोरी एस. गांधी	सुभोध डी. गांधी	5507/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-49.57 लाख
25.	मनोज बी. कोठारी	निरूपमा एम. कोठारी	5495/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-65.67 लाख
26.	मार्क फ्रैंक क्रिस्टी	पर्ल क्रिस्टी एवं अन्य	5512/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-29.13 लाख
27.	मुकुन्ड बोबाडे	मित्रा एम. बोबाडे	5501/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा-22.30 लाख
28.	मुंशी एम.एच.एम. साफी	फातिमा एम. मुंशी	5502/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-40 लाख
29.	एन.एस. सुब्रमणियम	चंद्र सुब्रमणियम	5506/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा-18.14 लाख
30.	नरेन्द्र जयंती लाल पटेल	मनोरमा एम. पटेल एवं अन्य	5503/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-27.40 लाख
31.	नरेश बाली	शशि बाली एवं अन्य	5496/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा-17.94 लाख
32.	प्रतापरे डी. गांधी	चंद्रिका वी. गांधी	5494/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-47.50 लाख
33.	रमेश भाई पंचाल	दही बेन आर. पंचाल	6881/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा-अधिक
34.	राम शंकर एच. जानी	विद्या गौरी आर. जानी	5513/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2 लाख रु., दावा-7.89 लाख

1	2	3	4	5	6
35.	रणधीर कुमार सी. मेहता	भारत आर. मेहता	6879/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा- 21.30 लाख
36.	रणजीत शिव भाई पटेल	ज्योत्सना आर. पटेल एवं अन्य	5505/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा- 23.80 लाख
37.	शरदचंद बी. पटेल	उषा एस. पटेल	5492/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2 लाख रु., दावा- 56 लाख
38.	शीर्ष हिम्मत लाल साह	उषा बेन एस. साह एवं अन्य	5510/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2 लाख रु., दावा- 27.15 लाख
39.	सुनील भगवान दास साह	रीता एस. साह	6880/93	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा- 20 लाख
40.	वी. मुकंदन	के. वरधराजन	6886/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.01 लाख रु., दावा- 52.74 लाख
41.	बसंत के. पटेल	पुर्णिमा वी. पटेल	5493/92	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा- 40.40 लाख
42.	विरेन्द्र टाकरू	रतन वी. टाकरू	5504/92	सी सी अहमदाबाद	भुगतान 2.19 लाख रु., दावा- 29.30 लाख
43.	प्रदीप एन. दलाल	श्रीमती तेज दलाल अन्य	360/1990	सी सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., दावा अधिक
44.	अशोक तरेजा	निर्मल तरेजा	3391/1990	डी सी दिल्ली	2.01 लाख रु. अदा की गई, दावा 3 लाख रु. ++
45.	अनिताभाई जेरानी	कमला देवी	478/95	सी सी आईएक्सयू	अदालत ने 9.84 लाख रु., दावा 1.75 करोड़ रु.
46.	आनंदराम जेरानी	कमला देवी	476/95	सी सी आईएक्सयू	अदालत ने 9.84 लाख रु., दावा 5.25 करोड़ रु.
47.	अरुण वी. जोशी	अर्चना जोशी	475/95	सी सी आईएक्सयू	अदालत ने 9.84 लाख रु., दावा 1.10 करोड़ रु.
48.	दीपक मु.	अंजली मु.	477/95	सी सी आईएक्सयू	अदालत ने 9.84 लाख रु., दावा 1.10 करोड़ रु.
49.	नंदलाल धूत	केशरभाई नंदलाल धूत	4743/95	सी सी आईएक्सयू	अदालत ने 9.84 लाख रु., दावा 10 करोड़ रु.
50.	ए.जे. स्पेन्सर	स्पेन्सर फेमली एण्ड आल्स (जोसफ)	4882/94	एच सी मुम्बई	अधिक दावा
51.	प्रेम नारायण	नीलम नारायण	4028/94	एच सी मुम्बई	5.025 लाख रु. अदा किए गए, दावा अधिक
52.	रमेश एच. सरीन	पुनम सरीन	4826/94	एच सी मुम्बई	5.025 लाख रु. अदा किए गए, दावा अधिक
53.	सिल्पीन जनक पटेल	सिल्पीन जनक पटेल (स्वयं)	2483/94	एच सी मुम्बई	5,69,53,511 रु. दावा किए गए
54.	ए.जे. होवेल	लार होवेल लिन्टन	3996/92	एच सी मुम्बई	अधिक दावा
55.	एच.एच. होवेल	लार होवेल लिन्टन	3996/92	एच सी मुम्बई	अधिक दावा
56.	आई.आर. मिर्जा	स्वयं	1045/92	सी सी अहमदाबाद	अधिक दावा, चोटें/टी.टीएमटी के लिए 2.5 लाख रु.
57.	तेजराज जैन	जतना देवी टी. जैन एण्ड और अन्य	8514/89	एच सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., अधिक दावा
58.	एल.आर. भंडारी	संतोष भंडारी एण्ड और अन्य	3710/89	एच सी अहमदाबाद	अदालत में 2 लाख रु., अधिक दावा
59.	एम. सुभाष हिरानी	जयश्री हिरानी एण्ड और अन्य	8678/89	एच सी अहदमाबाद	अदालत में 2 लाख रु., अधिक दावा
60.	पी.एम. भूपन्ना	रानी भूपन्ना	2992/01	एच सी दिल्ली	अदालत के अनुसार 7.68 लाख रु. और अधिक दावा
61.	वी.वी. साहा	मधुमिता साहा	2992/01	एच सी दिल्ली	7.68 लाख रु. अदा किए गए + कानूनी सीमा से अधिक दावा

सी जे	सिविल जज	डी सी	डिस्ट्रीक्ट कोर्ट	डीईएल	दिल्ली	एएमडी	अहमदाबाद
एच सी	हाई कोर्ट	टी एल	टाइम लिमिटेशन	अधिक दावा	कानूनी सीमाओं से अधिक दावा	बीओएम	बम्बई/मुंबई
सी सी	सिविल कोर्ट						

गोमूत्र पर अनुसंधान

4330. डा. बी.बी. रमैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'प्लान्ट पैथोलाजिस्ट' ने यह पाया है कि गोमूत्र एक प्रभावकारी प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आगे अनुसंधान करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। गोमूत्र को कुछ पादप रोगजनकों तथा फसलों के पादप रोगों के प्रति प्रभावकारी पाया गया। तथापि, प्रयोगशाला और खेत मूल्यांकन के विस्तृत विवरण अपेक्षित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक गोमूत्र और इसके विभिन्न सम्पाकों का प्रयोग करके इसकी प्रभावोत्पादकता को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयोगशाला तथा खेत मूल्यांकन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जल संसाधनों का उपयोग

4331. श्री रामशकल:
श्री अरुण कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता किस सीमा तक सृजित की गई और इसका कितना उपयोग किया गया;

(घ) इस समय देश में राज्य-वार बड़े और मझोले आकार की कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है और इन परियोजनाओं के पूरे होने के पश्चात् सिंचाई क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सृजित सिंचाई क्षमता के ईष्टतम उपयोग के लिए चलाए जा रहे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कार्य क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से दसवीं योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को पुनर्संरचित एवं संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। पुनर्संरचित कार्यक्रम के तहत तीन नए कार्य किये जाने का प्रस्ताव है अर्थात् (1) वितरिकाओं तक प्रणाली की कमियों में सुधार करना (2) जल प्रयोक्ता संघों की प्रेरणात्मक गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध कराना, और (3) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की कमानों के तहत लघु सिंचाई टैंकों का नवीकरण करना ताकि वितरिकाओं, माइनर्स और जल निकासों में 150 क्यूसेक तक जल संवाहक क्षमता लायी जा सके तथा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से खेतों में प्रभावी जल प्रबंधन किया जा सके और अनुकूल परीक्षणों आदि पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

(ग) योजना आयोग द्वारा किए गए अनन्तिम आकलन के अनुरूप नौवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1997-2002) के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई क्षमता क्रमशः 9.15 मिलि. हैक्टे. और 8.20 मिलि. हैक्टे. है।

(घ) देश में इस समय निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं का पूरा होना परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा किए गए वित्तीय आबंटनों एवं उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। सभी चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 12.8 मिलि. हैक्टे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की संभावना हैं।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

परियोजनाओं की संख्या

राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14	12	26
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	4	5	9

1	2	3	4
बिहार	8	7	15
झारखंड	7	22	29
गोवा	1	—	1
गुजरात	3	18	21
हरियाणा	5	—	5
हिमाचल प्रदेश	1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	_	7	7
कर्नाटक	15	17	32
केरल	4	4	8
मध्य प्रदेश	16	10	26
छत्तीसगढ़	3	7	10
महाराष्ट्र	45	94	139
मणिपुर	2	2	4
मेघालय	—	1	1
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	1	1
उड़ीसा	10	4	14
पंजाब	—	2	2
राजस्थान	5	4	9
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	1	2	3
त्रिपुरा	—	3	3
उत्तर प्रदेश	9	1	10
उत्तरांचल	3	—	3
पश्चिम बंगाल	3	17	20
कुल	159	242	401

[अनुवाद]

असुरक्षित धरोहर संसाधन

4332. श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री अशोक ना. मोहोलः

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में धरोहर संसाधन सुरक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में असुरक्षित पड़ी इन धरोहर संसाधनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) अब तक, देश के विभिन्न भागों में स्थित 3616 प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार, ऐतिहासिक, कलात्मक और पुरातत्वीय आधार पर स्मारकों तथा स्थलों को संरक्षित किया जाता है। केन्द्रीय संरक्षण के वास्ते संभावित दाय स्थलों की पहचान के लिए नियमित पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया जाता है।

रखरखाव संबंधी संगठन के अनुमोदन में देरी

4333. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डायरेक्टर आफ एअरवर्दिनेस (डीएडब्ल्यू), मुंबई द्वारा विभिन्न आपरेटरों को दिए गए समय विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है जिनमें कतिपय अधिकारियों द्वारा अनुमोदन में जानबूझकर देरी करने की बात कही गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन श्रेणी सी के अधीन उनके संगठन का नवीकरण जारी करने के प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु डीएडब्ल्यू, मुंबई के पास लंबित पड़े है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) नागर विमानन महानिदेशालय में निदेशक, उड़ान योग्यता (डी.ए.डब्ल्यू.), मुंबई ने वर्ष 2003 के दौरान (1) डाफिन एस ए 365 ए हेलीकाप्टर की बावत 100 घंटे के निरीक्षण के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सब बे अनुमोदन के पुन: स्थापन और गल्फस्ट्रीम जी 100 पर 250 घंटे/1 वर्ष तक अनुरक्षण व गल्फस्ट्रीम जी 100 पर 150 घंटे/6 महीने तक अनुरक्षण के लिए एयरवर्क इंडिया, मुंबई को (2) पी-68 विमानों की बावत 100 घंटे/180 दिन के लिए पुणे में सब बेस अनुमोदन की पुन: स्थापन के लिए तनेजा एयरो स्पेस को, (3) सेसना 172 विमानों की बाबत 100 घंटे/180 दिन तक कैरी आउट करने के लिए यशएयर लिमिटेड को, (4) बेल 412 हेलीकाप्टर की बाबत 100 घंटे/90 दिन के निरीक्षण के लिए जाम नगर के सब बेस के लिए अजल इंडिया प्राईवेट लि. को, (5) एरियल आईसी इंजन पर लगे इंजन आयल तापमान स्विच के बेंच चेक के लिए पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. को, (6) बेल 212 हेलीकाप्टर की बावत 300 घंटे के निरीक्षण के लिए सूरत के सब बेस के अनुमोदन के लिए डेक्कन एविएशन को, (7) एम आई 172 हेलीकाप्टर, हिलर एच यू-12 ई हेलीकाप्टर व एम आई-172 हेलीकाप्टर पर लगे उपस्कर के अनुरक्षण के लिए अनुमोदन की पुन: स्थापन और बैटरी अनुरक्षण-अनुमोदन की पुन:स्थापन के लिए मेस्को एविएशन को, (8) छोटी-मोटी मरम्मत व एटीसी ट्रांस्पोंडर की बैंच चेक और डी एमई इनटेरोगेटर्स की मरम्मत व टेस्टिंग के लिए भारत एविएशन को, (9) बैटरी व ब्लावर अनुरक्षण अनुमोदन तथा बैटरी अनुरक्षण (लीड एसिड) के अनुमोदन की पुन: स्थापन के लिए इंडामेर को, (10) हनीवेल आयल कूलर पार्ट नं. 16056-1 की क्लीनिंग और टेस्टिंग तथा लैंडिंग लाइट पार्ट नं. 45-0083 की मरम्मत तथा बैंच चेक के लिए मैक्स एरोस्पेश को अनुरक्षण की बावत अनुमोदन स्वरूप विषयक अनुमोदन/विस्तार की मंजूरी दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डैश 200 विमानों के अनुरक्षण के लिए श्रेणी सी में अनुमोदन हेतु मैसर्स विसा. एयरलाइन्स से दिनांक 3 अप्रैल, 2003 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

लंबित जलापूर्ति परियोजनाएं

4334. श्री चिंतामन वनगा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण संबंधी, मंजूरी के लिए कितनी जलापूर्ति परियोजनाएं, विशेषकर महाराष्ट्र सरकार की परियोजनाएं, सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) क्या परियोजना-प्रभावित लोगों के पुनर्वास संबंधी योजनाएं और प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त जल आपूर्ति की चार परियोजनाओं में से दो प्रस्ताव नामत: नीरा देवघर सिंचाई परियोजना और IV-मुम्बई (मध्य वैतरण) जल आपूर्ति परियोजना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। परियोजनाओं पर संबंधित पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया था और नीरा देवघर सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। IV-मुम्बई (मध्य वैतरण) जल आपूर्ति परियोजना के प्रस्ताव को 677.9071 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग, जिसमें 2.5 लाख से भी अधिक वृक्ष शामिल हैं, के कारण स्वीकार्य नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार की पर्यटन परियोजनाएं

4335. श्री अरुण कुमार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार के चम्पारण, वैशाली, नालंदा और गया में ऐसी कितनी पर्यटन परियोजनाएं चल रही हैं जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है/कितनी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में कितनी प्रगति हुई है और शेष परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान, बिहार में वैशाली, राजगीर और गया में 178.06 लाख रु. की वित्तीय सहायता के लिए 10 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान, वैशाली-नालंदा-राजगीर-बोधगया-वाराणसी परिपथ के एकीकृत विकास के

लिए 505.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता हेतु एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं पूरी कर लें।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर जाने वाले विमानों में सीटों की कमी

4336. श्री खगेन दास: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगरतला-कोलकाता और कोलकाता-अगरतला सेक्टरों में सीटों की औसतन कमी कितनी है और पीक और लीन सेशनों में इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विमान मार्ग में भारी भीड़ होने और निजी एयरलाइनों की विमान-परिचालन की बाध्यता के बावूजद सरकार ने निजी एयरलाइनों को इस मार्ग में विमान परिचालन की सलाह नहीं दी है; और

(ग) इस मार्ग में सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्तमान समय के इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर द्वारा कोलकाता-अगरतला के लिए सप्ताह में 19 सेवाओं का प्रचालन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न किस्मों के विमानों में 1674 सीटों की व्यवस्था है। शड्यूल सेवाओं के अतिरिक्त छुट्टियों तथा त्यौहार के मौसमों के दौरान जब कभी भी मांग हो के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स और एलाइंस एयर द्वारा यातायात मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों का प्रचालन किया जाता है।

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं की विमान यातायात सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा विमान यातायात सेवाओं के अच्छे विनियमन के लिए सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइन्स पर निर्भर करता है कि वह सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश की शर्त पर यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए अपनी सेवाएं सुलभ कराए।

(ग) दिनांक 15 अप्रैल, 2003 से इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर द्वारा इस सैक्टर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सीटों की संख्या प्रति सप्ताह 1578 से बढ़कर 1674 हो गई है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बकाया

4337. श्री ए.पी. जितन्द्र रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस (आईए) और एअर इंडिया (एआई) पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एआई और आईए पर अलग-अलग कितनी राशि बकाया है;

(घ) आईए और एआई पर इतना अधिक बकाया होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन बकायों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या इतना अधिक बकाया होने से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वित्तीय संकट हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के संबंध में देय बकाया, विभिन्न हवाई अड्डा प्रभारों अर्थात् मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों, टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभारों, अवतरण, पार्किंग और हाऊसिंग, एक्स-रे सामान प्रभारों और लाइसेंस शुल्क के संबंध में है।

(ग) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की ओर बकाया देयताएं क्रमश: 342.72 करोड़ रुपए और 89.88 करोड़ रुपए है।

(घ) हवाई अड्डा प्रभारों, लाइसेंस शुल्क इत्यादि में वृद्धि के लिए बिलों को बढ़ाने के संबंध में विवादों के कारण इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने अपनी देयताओं का भुगतान नहीं किया है।

(ङ) मामले को इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया के साथ उठाया जा रहा है। और विवाचन के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) जी, हां।

(छ) जैसा उपरोक्त में बताया गया है।

[हिन्दी]

कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाएं

4338. **श्री राजो सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं और उनके द्वारा कितने नमूनों का परीक्षण किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने नमूने घटिया गुणवत्ता वाले पाये गये;

(ख) क्या राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं में जांच करने के पश्चात् पाए गए घटिया गुणवत्ता वाले अधिकांश नमूनों को बाद में बड़ी प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग के लिए उचित घोषित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुणवत्ता उत्पादकों को इस कारण भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा कीटनाशी अधिनियम में कुछ कानूनी प्रावधानों को शामिल करने का है ताकि इसका उपयोग विश्लेषकों और पैक्टरों सहित प्रयोगशाला के गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कीटनाशियों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिये 17 राज्यों और एक केन्द्र शासित क्षेत्र में 45 राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें (एस पी टी एल) काम कर रही हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा दो क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं जो चण्डीगढ़ और कानपुर में स्थित हैं जो कीटनाशियों के गुणवत्ता के प्रबोधन में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में संसाधन उपलब्ध कराती हैं। इनमें केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों का परीक्षण भी किया जाता है।

इसके अलावा, कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत संदर्भित की जाने वाली एक मात्र प्रयोगशाला है- केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला (सी.आई.एल.) जहां दुबारा परीक्षण किये जाने की अनुमति है और इसमें उन नमूनों का परीक्षण किया जाता है जिनके परीक्षण में राजकीय कीटनाशी प्रयोगशालायें और क्षेत्रीय कीटनाशी प्रयोगशालायें असफल हो जाती हैं। इन प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किये गये और गलत ब्राण्ड के पाये गये नमूनों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान 4560 नमूनों में से, जिनमें प्रथम चरण में राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें और क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें असफल हो गई थी, 2112 नमूनों को पुन: परीक्षण हेतु केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला (सी आई एल) में भेजा गया था जिनमें से 758 नमूने घटिया स्तर के पाये गये थे जबकि 1354 नमूनों को प्रयोग को लायक घोषित किया गया था (ब्यौरा अनुबंध-I में है)

(घ) इस बारे में सरकार को कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई केवल कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ङ) और (च) कीटनाशी निरीक्षकों के दुर्भावपूर्ण कार्यों के लिये उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने के लिए कुछ कीटनाशी संघों द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस.पी.सी.एल.), क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (आर.पी.टी.एल.) और केन्द्रीय कृमिनाशी प्रयोगशाला (सी.आई.एल.) में 2002-2003 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कीटनाशी नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े

प्रयोगशाला का नाम	2000-01		2001-02		2002-03 (दिसम्बर, 2002 तक)	
	विश्लेषित नमूना	घटिया	विश्लेषित नमूना	घटिया	विश्लेषित नमूना	घटिया
राज्य कीटनाशी प्रयोगशालाएं	45,444	1.149	38,130	1,029	30,605	1,128
क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं	2,139	414	1,924	443	1,783	397
केंद्रीय कृमिनाशी प्रयोगशाला	638	239	813	257	661	262

[अनुवाद]

नैफेड के अंतर्गत खरीदी गयी फसलें

4339. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान उड़ीसा में विशेषकर रायागड़ा, कोरापुट जिलों में नैफेड के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की फसलों की खरीद की गयी; और

(ख) तत्संबंधी फसल-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार की मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों एवं दलहनों की खरीद हेतु नैफेड केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है। चूंकि अच्छी औसत की गुणवत्ता वाले अधिसूचित तिलहनों एवं दलहनों के मूल्य वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहे इसलिए उड़ीसा में नैफेड द्वारा मूल्य समर्थन के तहत कोई खरीद नहीं की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की ब्याज दर पर निर्णय

4340. श्री अधीर चौधरी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर के संबंध में निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय के साथ कोई बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर को दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से कम करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त धनराशि

4341. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताज संरक्षण मिशन, राष्ट्रीय नदी प्रदूषण रोकथाम और भारत में महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के निकट पारिस्थितकीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 में वित्तीय प्रावधानों की कितनी धनराशि खर्च नहीं की गई;

(ख) धनराशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने आबंटित धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) ताज सुरक्षा मिशन के तहत 2001-2002 में पंजीकृत खर्च न किए जा सके वित्तीय प्रावधानों की मात्रा शून्य थी, जबकि राष्ट्रीय नदियों और पारि-विकास परियोजनाओं के प्रदूषण निवारण के तहत खर्च न की जा सकी धनराशि क्रमशः 35.28 करोड़ रु. तथा 6.33 करोड़ रु. थी।

(ख) राष्ट्रीय नदियों और पारि-विकास परियोजनाओं के प्रदूषण निवारण हेतु प्रदान किया गया बजट राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब तथा नव सृजित राज्यों को धनराशि हस्तांतरित करने में हुए विलम्ब की वजह से पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(ग) भारत सरकार धनराशियों के उपयोग की मानीटरिंग कर रही है तथा समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर रही है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में निदेशक (राजभाषा) का पद

4342. श्री सवशीभाई मकवाणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में निदेशक (राजभाषा) का पद सृजित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित शासकीय आदेश और भर्ती नियम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पद को विधिवत रूप से भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या निदेशक (हिन्दी) के पद पर तकनीकी संवर्ग का कोई अधिकारी कार्यरत है;

(छ) यदि हां, तो कब से;

(ज) क्या परिषद का कोई ऐसा नियम है जो किसी कर्मचारी को उसकी कार्यविधि के दौरान दो कार्यालयों में दो विभिन्न पदों पर बने रहने का अधिकार प्रदान करते हों;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) पद के सृजन और भर्ती नियमों के कार्यालय आदेश की एक-एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपनिदेशक (राजभाषा) की वरीयता को अंतिम रूप न देने के कारण पद नहीं भरा जा सका। पद को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

(च) और (छ) पद का सृजन होने और भरने तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक संपादक (हिन्दी), जिनका पद तकनीकी श्रेणी में वर्गीकृत है, की सेवाएं दिनांक 25.9.1995 से आंतरित व्यवस्था द्वारा हिन्दी से संबंधित कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं।

(ज) और (झ) एक पद के अतिरिक्त प्रभार को विभाग के एक अधिकारी को सौंपना मौलिक नियम 49 के अंतर्गत अनुज्ञेय है।

(ञ) जी, नहीं।

(ट) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

फा.सं. 8(3)/98-स्थापना-1 दिनांक: 20 जून, 2000

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी ने रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में निदेशक (राजभाषा) का एक पद सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से सं. 171/ई-समन्वय-1 शाखा/2000 द्वारा तथा वित्त सलाहकार, डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिनांक 31.5.2000 की डायरी सं. 992/एफ ए (डेयर/भा.कृ.अ.प.) की सहमति से जारी किया जाता है।

ह./

(ए.सी. घोष)

अवर सचिव (प्रशासन)

वितरण:

1. महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/सचिव, भा.कृ.अ.प. के निजी सचिव/वित्त सलाहकार, डेयर/भा.कृ.अ.प. के निजी सचिव।
2. रोकड़-1/लेखा परीक्षा-2/हिन्दी/बजट/कार्य अध्ययन अनुभाग, भा.कृ.अ.प.।
3. अनुभाग अधिकारी की गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां (10)।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	निदेशक (राजभाषा)
2.	वर्गीकरण	प्रशासनिक वर्ग "क"
3.	वेतनमान	12,000-375-16,500/- रु.
4.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	मैरिट द्वारा चयन
5.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
7.	क्या आयु और शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित है	लागू नहीं
8.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	लागू नहीं
9.	भर्ती की विधि-सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा। इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
10.	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन करने के द्वारा है तो किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	(क) भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में और इसके संस्थानों के अंतर्गत रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में कार्यरत उप-निदेशक (राजभाषा) की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित तथा लगातार सेवा पूरी कर ली है। (ख) उपरोक्त (क) के न होने पर केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा या रु. 10,000-325-15,200 रु. के ग्रेड में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।
11.	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका संयोजन कैसे होता है	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उनके द्वारा नामित — अध्यक्ष अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल या उनके द्वारा नामित — सदस्य सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — सदस्य महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. द्वारा नामित परिषद से बाहर का एक विशेषज्ञ — सदस्य महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी जो विचाराधीन अधिकारियों के स्तर से कम का न हो — सदस्य उप-सचिव (प्रशासन), भा.कृ.अ.प. या महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. द्वारा नामित एक अधिकारी — सदस्य-सचिव
12.	टिप्पणी	

अरविन्द चन्द्र घोष

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन : नई दिल्ली-110001

फा.सं. 8(3)/98-स्थापना-I दिनांक: 11 अप्रैल, 2002

सेवा में,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों/ब्यूरो/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के निदेशक

विषय: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती नियम।

महोदय,

दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित शासी निकाय ने अपनी बैठक में अनुमोदन देने तथा अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित करने पर भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में निदेशक (राजभाषा) के पद के भर्ती नियमों को सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

भवदीय,

ह./-

अनुलग्नक: उपरोक्त

(ए.सी. घोष)
अवर सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन के सभी निदेशक/उप-सचिव/सचिव, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल/उप-निदेशक/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी।

2. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के निजी सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान निजी सचिव/वित्त सलाहकार (डेयर/भा.कृ.अ.प.) के निजी सचिव।

3. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां (5)।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) उत्पादों पर छूट संबंधी संगोष्ठी

4343. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री कैलाश मेघवाल:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2003 में खादी कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और विपणन संबंधी पहल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने अपने उत्पादों पर कुछ छूट की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, हां। एक तीन दिवसीय 14 से 16 मार्च, 2003 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिकीकरण के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था ताकि उसमें खादी और ग्रामोद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों, ग्रामीण रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा विपणन पहलों इत्यादि के संबंध में विचार-विमर्श किया जा सके।

(ख) सम्मेलन में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के समग्र विकास के लिए विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों का अध्ययन के.वी.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है ताकि कार्यान्वयन हेतु उन्हें कार्यवाही योजना में विकसित किया जा सके।

(ग) और (घ) के.वी.आई.सी. ने राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (मूल्य वर्धित कर-वेट सहित टैक्स रिफोर्म मोनीटरिंग), वित्त मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वेट से छूट प्रदान करें। के.वी.आई.सी. ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह पोलीवस्त्र के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की छूट भूतलक्षी प्रभाव से लागू करें। इन दोनों अनुरोधों के संबंध में अन्तिम फैसले की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि

4344. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कृषि अनुसंधान पर खर्च की जाने वाली धनराशि विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने कृषि अनुसंधान कार्य के लिए बजट में अधिक धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मांग को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्य के लिए अधिक धनराशि मंजूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निधियां योजना आयोग के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित की जाती हैं।

(घ) विभाग को योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5368 करोड़ रुपये और वार्षिक योजना के लिए 775 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भविष्य निधि के लंबित मामले

4345. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने भविष्य निधि से संबंधित सभी विवादों को उनकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर निपटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि के सभी खाताधारकों के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा संख्या आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इससे उन्हें कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें भविष्य निधि राशि का पूरा-पूरा भुगतान न किये जाने के कितने मामले उनके मंत्रालय में लंबित है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य निधि के लंबित मामलों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि ने "रि इन्वेण्टिंग ई पी एफ इण्डिया" नामक परियोजना के माध्यम से आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ दो से तीन दिनों के भीतर दावा के निपटान के लिए सभी भविष्य निधि कार्यालयों का नेटवर्क बनाया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) सदस्यों को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-

* श्रमिक के अपने रोजगार जीवन में कई बार एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने की संभावना रहती है। नए आर्थिक परिवेश में इस प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की संभावना है। एक अनुपम सामाजिक सुरक्षा संख्या की मदद से उसके रोजगार में परिवर्तन के साथ भविष्य निधि खाते का सरलता और बिना कठिनाई से रखरखाव किया जा सकेगा।

* वर्तमान में दावा प्रस्तुत करते समय या संगठन के साथ पत्र व्यवहार करने में सदस्यों को अपनी पहचान के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहना पड़ता है, यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और इससे सदस्यों पर पहचान का बोझ घट जाएगा। इस संख्या से इसके लाभाग्राहियों को "किसी भी समय, कहीं भी" लेखा जोखा की पहुंच सहज हो जाएगी।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

दीमापुर हवाई अड्डे पर आई.एल.एस. सुविधा

4346. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या **नागर विमानन मंत्री** 15.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीमापुर हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) के लिए धनराशि का आबंटन किये जाने के बावजूद इसे अभी तक संस्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने दीमापुर हवाई अड्डे पर तत्काल आई.एल.एस. संस्थापित करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) धावन पथ 12 के पहुंच मार्ग में पहचानी गई रूकावटों को हटाने/ऊंचाई कम करने, उस मैदान का सतहीकरण व ग्रेडिंग, जिस पर उपकरण अवतरण प्रणाली संस्थापित की जानी है जैसे कार्यों को दीमापुर विमानपत्तन पर उपकरण अवतरण प्रणाली के संस्थापन से पहले पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उच्च/निम्न टेंशन पावरलाईनों को हटाने के लिए राज्य सरकार को 1.84 करोड़ रुपए दिए हैं। पहचाने गए भवनों को हटाने/ऊंचाई कम करने के लिए भी 1.20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मैदान के सतहीकरण और ग्रेडिंग का कार्य सितम्बर, 2003 में वर्षा ऋतु के समाप्त होने के पश्चात् शुरू किए जाने की आशा है। उपकरण अवतरण प्रणाली पहले ही खरीद ली गई है और इसके वर्ष 2003-2004 के दौरान संस्थापित किए जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नदी की गाद निकालना

4347. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शारदा नदी प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि को लील जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नदी की गाद निकालने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) शारदा नदी में अपने मार्ग बदलने तथा अपने तट के काटने की प्रवृत्ति है जिससे पीलीभीत जिले के कई गांव प्रभावित होते हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा नदी के कारण होने वाले तट कटाव को रोकने के लिए 9 स्कीमें तैयार की हैं, जिन्हें राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति ने अनुमोदित कर दिया था। तथापि, उपर्युक्त नदी के तलकर्षण के संबंध में राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

नमक मजदूरों की दयनीय स्थिति

4348. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर गुजरात में नमक मजदूरों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे आवास सुविधाओं और पी.पी.एफ./ ई.पी.एफ. जैसी अन्य सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों सहित श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रम आवास भी शामिल है, को क्रियान्वित करने के लिए गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों में सहायता दे रही है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अन्य बातों के साथ-साथ लाईसेंस प्राप्त नमक उद्योग, जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटकों का उत्पीड़न

4349. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में पर्यटकों के साथ उत्पीड़न, धोखाधड़ी और उनकी हत्या की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये/शामिल पाए गए; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) बिहार में पर्यटकों के साथ अपराधों के कुछ मामले पर्यटन विभाग के नोटिस में आए हैं।

(ख) और (ग) पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। पर्यटन विभाग ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए/शामिल पाए गए व्यक्तियों की राज्य-वार सूचना नहीं रखता है। तथापि, राज्य में पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को उच्चतर स्तर पर सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

4350. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस्पात संयंत्रों की क्षमता का पता लगाने के लिए अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण के बावजूद सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों ने असंतोषजनक परिणाम दिखाये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मछुआरों के समक्ष आने वाली समस्याएं

4351. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हाल ही में मछुआरों के लिए एक निर्देश लेकर आयी है जिसने मछुआरों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक क्षमता और मछलियों की कमी के बावजूद विशेष जोन में औद्योगिक मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त समस्याओं पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार द्वारा हाल ही में जारी गहरे समुद्री मत्स्यन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) में सभी गहरे समुद्री मत्स्यन के मत्स्यन प्रचालनों को विनियमित करना है। ई ई जैड में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। इसके विपरीत वैज्ञानिक सलाह में बताया गया है कि क्षेत्र में कम दोहन किए गए संसाधनों का ईष्टतम दोहन करने के लिए कुछ संसाधन विशिष्ट मत्स्यन यानों को लाने की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों की चीन यात्रा

4352. श्री के. येरननायडू: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले चीन के लोगों की तुलना में वर्ष 2001 और 2002 के दौरान कितने भारतीय पर्यटकों ने चीन की यात्रा की;

(ख) चीन की पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय यात्रा संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) दोनों देशों की पर्यटन क्षमता का पता लगाने के लिए अन्य क्या कदम प्रस्तावित हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001 में 159361 भारतीयों ने चीन की एवं 13901 चीनियों ने भारत की यात्रा की। वर्ष 2002 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना के साथ पर्यटन सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन ने एप्रूव्ड डेस्टीनेशन स्टेट्स की मंजूरी दे दी है, जिससे चीन से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी। चीन और भारत के बीच वायु सेवा पहले ही शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

"घर के भीतर प्रदूषण"

4353. श्री भूपेंद्र सिंह सोलंकी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी विकासात्मक अनुसंधान संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष घर के भीतर के (इंडोर) प्रदूषण से लगभग पांच लाख लोग मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को शिक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उन्हें लकड़ी, चूल्हे आदि जलाने से धुओं से भरी रसोई, जिनके कारण अधिकांश मौतें होती हैं का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके; और

(ग) घर के भीतर के ऐसे खतरों पर इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार कम हवादार घरों में जैव ईंधनों को जलाने से उत्पन्न घर के भीतर प्रदूषण के कारण हर वर्ष 4,10,000 से 5,70,000 तक महिलाओं और छोटे बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है। तथापि, मर्त्यता और घर के भीतर के प्रदूषण के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए कोई निश्चयात्मक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के माध्यम से घर के भीतर के प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

- जलाऊ लकड़ी, कृषि अपशिष्टों और मवेशियों के गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के स्थान पर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए "बायोगैस विकास राष्ट्रीय परियोजना" के संबंध में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।
- इलेक्ट्रोनिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रचार के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पारम्परिक चूल्हों में जलाऊ लकड़ी कृषि अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर के प्रयोग से होने वाले खतरों और बायोगैस प्रौद्योगिकी के फायदों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर वर्ष अनेक गांवों में एक दिवसीय महिला शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
- तापीय तौर पर सक्षम और धुएं वाले स्टोवों/चूल्हों को संवर्धित किया गया है।

[अनुवाद]

ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन

4354. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से वित्तीय सहायता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ नगर निगम ने सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) चण्डीगढ़ नगर निगम (एम सी सी) ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आधुनिक सेवाएं स्थापित करने के लिए 762.39 करोड़ रुपए मांगें हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने (50:50) लागत हिस्सेदारी के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया है। परियोजना के प्रथम चरण के दौरान 157.679 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसमें से 52.5597 लाख रुपए की पहली किस्त चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति को दी जा चुकी है। 157.679 लाख रुपए की समान राशि चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा दी जानी है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित राज्यों को ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि
2000-2001	50.46 लाख रुपए
2001-2002	-
2002-2003	100.38 लाख रुपए

कर्नाटक को रोग मुक्त जोन के रूप में घोषित किया जाना

4355. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक को रोग मुक्त जोन के रूप में घोषित करने का आग्रह किया है ताकि मांस और डेयरी उत्पादों के निर्यात में सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन

4356. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्यों को शक्तियों के संबंध में 23.7.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के संबंध में जनहित याचिका डब्ल्यू.पी. संख्या 202/95 पर अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जनहित याचिका डब्ल्यू पी (सी) संख्या 202/95 मुख्यत: विभिन्न वन, वन्यजीव और पर्यावरणीय अधिनियमों के कार्यान्वयन सहित देश में विद्यमान विभिन्न वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरणीय मामलों से संबंधित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एअरलाइंस के अंतर्गत आने वाली सेवाएं

4357. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में नागर विमानन क्षेत्र में चल रही विमानन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन विमानन कंपनियों को लाइसेंस देने हेतु नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ठेके वाली विमानन कम्पनियों द्वारा नियम एवं शर्तों का उचित पालन सुनिश्चित करने तथा नीति संबंधी दिशा निर्देश बनाने के लिए कोई प्राधिकरण गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विमान यात्रियों को सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन विमानन कंपनियों को क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं;

(च) क्या सरकार इन पहलुओं की निगरानी करती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लाइसेंस दो प्रकार को होते हैं- अनुसूचित प्रचालक परमिट और गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट। इन परमिटों को प्रदान करने के लिए शर्तें नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित संगत नागर विमानन आवश्यकताओं में दी गई हैं।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है जो विमान सेवा प्रचालकों द्वारा सीएआर में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों/शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। नागर विमानन से संबंधित नीति का निर्धारण नागर विमानन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र का विषय है।

(ङ) से (छ) यात्रियों और विमान सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संबद्ध सीएआर के उड़ान योग्यता मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रचालकों की सुरक्षा लेखापरीक्षा करते समय विमान यात्रियों की सुरक्षा के पहलू को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त देश के नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी आवश्यकताओं/सिफारिशों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमान विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य की जाती है।

जहां तक यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का संबंध है, यह संबंधित एयरलाइन के प्रबंधन पर निर्भर करता है।

विवरण

अनुसूचित प्रचालन परमिट धारक

1. जेट एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. सहारा इंडिया एयरलाइंस
3. एअर इंडिया
4. इंडियन एयरलाइंस
5. एलाइंस एयर

गैर-अनुसूचित प्रचालन परमिट धारक

1. एसे एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड
2. एरियल सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड
3. अहमदाबाद एविएशन एकेडमी लिमिटेड
4. एयर वर्क्स इंडिया इंजी. प्राइवेट लिमिटेड
5. एशिया एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
6. अजल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7. बिलाखीया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
8. ब्ल्यू डार्ट एविएशन
9. सेंचुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10. डैकन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
11. द्वारिका एयर टैक्सी
12. एस्कार्ट लिमिटेड
13. एनबी एविएशन लिमिटेड
14. ईस्ट इंडिया होटल्स
15. राजस्थान सरकार
16. ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कम्पनी
17. हिमालयन हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट आफ इंजी. टैक्नोलाजी
19. इंडियन इंटरनेशनल एयरवेज
20. इंडो पेसेफिक एविएशन
21. जैगसन एयरलाइंस
22. जे.के. कोरपोरेशन लिमिटेड
23. जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड
24. कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड
25. ताज एयर लिमिटेड
26. मैस्को एयरलाइंस लिमिटेड
27. ओरियंट फ्लाइंग स्कूल
28. पवन हंस हैलीकाप्टर्स लिमिटेड
29. राजपूताना एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
30. रेयमंडस लिमिटेड
31. आर सी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
32. रिलायंस ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रैवल्स लिमिटेड
33. सहारा इंडिया एयरलाइंस
34. स्पेन एयर प्राइवेट लिमिटेड
35. सारया एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
36. तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशन लिमिटेड
37. टाटा टी लिमिटेड
38. ट्रांस भारत एविएशन
39. यूबी एयर
40. विद्युत ट्रैवल सर्विस

[अनुवाद]

अनाज फसल क्षेत्र को नकदी फसल में बदला जाना

4358. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों की बेहतर आय के लिये अनाज फसल क्षेत्र को अधिक मूल्य की नकदी फसलों में बदलने संबंधी कोई विशेष कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य दिलाने तथा किसानों को आश्वस्त बाजार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल्दी खराब होने वाले जिंसों के किसानों के हितों की संकटकालीन बिक्री से रक्षा के लिए, मण्डी हस्तक्षेप योजना (एम आई एस) कार्यान्वित की जाती है। हानियों, यदि कोई हो, को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. का कार्यनिष्पादन

4359. श्री अनन्त गुढे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. के गत पांच वर्षों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतः योजना-वार और राज्य-वार निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों तथा हासिल किये गये कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में यह ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रगति के तौर पर पूरी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां क्या रही; और

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गई तथा महाराष्ट्र राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाने या जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण हेतु प्रकोष्ठ

4360. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा रेलमार्ग के निर्माण हेतु किये गये खुदाई कार्य के दौरान पाई गई पुरातात्विक महत्व की शिल्पकृतियों के अध्ययन के संबंध में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खुदाई कार्य में अब तक पाई गई प्राचीन मूर्तियों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं की संख्या क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुदिया बांध को बड़े बांध में बदलना

4361. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में खुदिया (गनियारी) बांध को बड़े बांध में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खुदिया गांव के निकट महानदी बेसिन में शिवनाथ नदी की एक वितरिका मनियारी नदी पर वर्ष 1930 में निर्मित पूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना की ओर संकेत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह परियोजना खरीफ के दौरान अभिकल्पित क्षमता के लिए सिंचाई मुहैया करा रही है तथा इस परियोजना को बड़े बांध में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास उत्पादन और कपास की खेती वाले क्षेत्र में गिरावट

4362. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 से अब तक कपास की खेती वाले क्षेत्र और कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1998-99 से 2001-02 तक कपास का क्षेत्र और उत्पादन अलग-अलग रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	क्षेत्र (''000 हैक्टै.)	उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की ''000 गाठें)
1998-99	9342.4	12287.1
1999-2000	8709.7	11529.6
2000-01	8534.6	9523.8
2001-02	9097.2	10094.1

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्नता के मुख्य कारण रोग और कृमियों का आक्रमण और साथ ही कपास उत्पादक कुछ राज्यों के सूखे की स्थिति होना रहे हैं, जिनसे कपास के क्षेत्र व उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कपास की खेती में आने वाली समस्याओं को समझते हुए, भारत सरकार ने एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया जो चार मिनी मिशनों अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान संबंधी मिनी मिशन-1, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मिनी मिशन-II, मण्डी अवसंरचना के विकास संबंधी मिनी मिशन-III तथा कपड़ा मंत्रालय द्वारा कताई मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी मिनी मिशन-IV के माध्यम से कपास क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को समेकित करते हुए वर्ष 2000-01 से शुरू हुआ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के तहत, उपचारी उपायों में समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण, फेरोमोन ट्रैप्स का विवरण, बायो-एजेण्टों का वितरण, अधिक उपज देने वाली तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीजों की आपूर्ति, रोग एवं कीटों की निगरानी, रोग व कीटों के नियंत्रण के लिए बायो-एजेण्ट उत्पादन यूनिटों की स्थापना शामिल हैं। इसके अलावा स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली जैसे जल बचत साधनों के लिए मिनी मिशन-II के तहत भी सहायता दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दसवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

4363. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की दसवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु क्या-क्या प्रस्ताव रखे गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के दौरान राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नीतिगत पहलों और योजना स्कीमों के संयोजन के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन करता है। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता देता है। मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी स्थिति सिविल कार्यों की लागत के 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। पूर्व अनुबंधित किसानों से कतिपय शर्तों के अध्यधीन कच्चे मामलों की खरीद हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय से कतिपय शर्तों के अध्यधीन कच्चे मामलों की खरीद हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन और ढांचे के विकास में भी सहायता देता है।

मध्य प्रदेश के लिए, 11 (ग्यारह) परियोजनाओं को सहायता हेतु अनुमोदित किया गया है जिसमें 5 (पांच) खाद्य पार्क शामिल है।

[हिन्दी]

निधियों का दुरुपयोग

4364. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री शिवाजी माने:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन विकास संबंधी योजना की निधियों का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यटन विकास हेतु सीधे निवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ए.एस.आई. सूची में धार्मिक स्थल

4365. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची में किसी धार्मिक स्थल को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव पर सर्किल-वार और वर्ष-वार खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है जहां पूजा की जाती है।

(ग) विभिन्न राज्यों में स्थित संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा जहां पूजा की जाती है (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मन्दिर	गिरजाघर	मस्जिद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	06	—	02	08
2.	आंध्र प्रदेश	35	—	01	36
3.	बिहार	08	—	05	13
4.	छत्तीसगढ़	17	—	—	17
5.	दिल्ली	—	—	12	12
6.	गोवा	—	02	01	03
7.	गुजरात	28	—	61	89
8.	हरियाणा	01	—	01	02
9.	हिमाचल प्रदेश	28	—	—	28
10.	जम्मू और कश्मीर	17	—	01	02
11.	झारखंड	01	—	01	02
12.	कर्नाटक	144	—	48	192
13.	केरल	10	01	—	11

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	100	01	12	113
15.	मध्य प्रदेश	26	—	08	34
16.	उड़ीसा	52	—	—	52
17.	पंजाब	01	—	—	01
18.	राजस्थान	41	—	03	44
19.	सिक्किम	01	—	—	01
20.	तमिलनाडु	76	02	—	78
21.	उत्तरांचल	32	01	08	41
22.	उत्तर प्रदेश	58	04	69	131
23.	वैस्ट बंगाल	19	—	04	23
	कुल	701	11	237	949

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्य-वार) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	136.29	114.39	417.16
असम	120.18	99.58	89.49
अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.80	0.39
बिहार	134.00	86.48	112.21
छत्तीसगढ़	—	16.70	5.75
दिल्ली	219.96	277.14	996.75
दमन और दीव	15.00	23.61	15.69
गोवा	39.77	50.61	82.57
गुजरात	100.67	99.59	35.36
हरियाणा	60.00	91.85	141.00

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	80.00	91.11	44.45
जम्मू और कश्मीर	112.60	145.03	121.23
झारखण्ड	—	4.33	8.07
कर्नाटक	248.13	476.19	1143.68
केरल	79.50	75.12	18.26
मध्य प्रदेश	1.64	250.51	317.31
महाराष्ट्र	153.00	828.49	308.05
मणिपुर	0.50	1.42	0.27
मेघालय	2.00	4.94	4.44
नागालैंड	3.00	5.67	12.92
उड़ीसा	56.03	114.73	1021.69
पांडिचेरी (सं.रा. क्षेत्र)	15.00	3.30	1.63
पंजाब	23.00	57.92	40.14
राजस्थान	174.69	235.00	240.22
सिक्किम	20.00	27.60	32.99
तमिलनाडु	110.80	187.79	233.20
त्रिपुरा	5.00	17.05	—
उत्तर प्रदेश	297.11	385.13	710.64
उत्तरांचल	—	36.52	64.13
पश्चिम बंगाल	80.70	146.13	260.18

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रिक्त पद

4366. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) के लिए आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्ग के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ बी सी के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी उन्हें आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो क्या ओ बी सी के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ बी सी उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नदियों को आपस में जोड़ा जाना

4367. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री आदि शंकर:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और तमिलनाडु में वर्ष 2001 से आज की तिथि तक किन नदियों को आपस में जोड़ा गया है;

(ख) इस कार्य के पूरा होने में कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) उक्त राज्यों में वर्ष 2003-2004 के दौरान किन नदियों को आपस में जोड़े जाने का प्रस्ताव है और इसमें अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल की अधिकता वाले बेसिनों में जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 1980 में तैयार की गई थी। जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन करने और व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 30 संपर्कों के पहचान की है। इनमें से पार-तापी-नर्मदा संपर्क से गुजरात और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैन्ड अनीकट) संपर्क, कावेरी (कट्टालै)-वैगई-गुन्डार संपर्क और पम्बा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क से तमिलनाडु को लाभ की योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जिसमें नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है, के तहत गुजरात और तमिलनाडु में वर्ष 2001 से किन्हीं भी नदियों को परस्पर जोड़ा नहीं गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत उक्त राज्यों में वर्ष 2003-2004 के दौरान किन्हीं नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सांख्यिकी संबंधी सोसायटियों का सम्मेलन

4368. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आई.ए.एस.आर.आई. के निदेशक ने 'इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स' और सोसायटी आफ स्टेटिस्टिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन' के वार्षिक सम्मेलनों के लिए बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए दो सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है और ये किस तिथियों को किन स्थानों पर हुए, किन-किन वैज्ञानिकों ने भाग लिया, कौन-कौन से पेपर प्रस्तुत किये गये और पंजीकरण तथा यात्राओं पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) क्या आई.ए.एस.आर.आई. के पी.एच.डी. गाइड उस चयन समिति में थे जिसने आई.ए.एस.आर.आई. के निदेशक का चयन किया था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आई.ए.एस.आर.आई. से जुड़ी उन समितियों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उक्त निदेशक के पी.एच.डी. गाइड रहे थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। आई.ए.एस.आर.आई. के वर्तमान निदेशक (डा. एस.डी. शर्मा) के पीएच.डी. मार्गदर्शक को आई.ए.एस.आर.आई., नई दिल्ली के सेवानिवृत्त निदेशक होने के नाते कृषि विज्ञानिक भर्ती मंडल द्वारा 29.5.1998 को आई.ए.एस.आर.आई. के निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने वाली चयन समिति में एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

(घ) डा. एम.एम. दास, पूर्व निदेशक, आई.ए.एस.आर.आई., नई दिल्ली तथा डा. एस.डी. शर्मा, वर्तमान निदेशक, आई.ए.एस.आर.आई. के पीएच.डी. मार्गदर्शक को 12.10.1998 से

11.10.2001 तक की अवधि के दौरान आई.ए.एस.आर.आई. की अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उनका मनोनयन संस्थान की गतिविधियों सहित सम्बद्ध क्षेत्र में उनकी सुविज्ञता और अनुभव के आधार पर परिषद द्वारा किया गया था।

विवरण

भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के यू ए एस, धारवाड़ में 18-20 दिसम्बर, 2002 तक आयोजित 56वें वार्षिक सम्मेलन में आई.ए.एस.आर.आई. के वैज्ञानिकों की भागीदारी

डा. डी.एन. लाल स्मारक व्याख्यान पुरस्कार की प्रस्तुति

डा. वी.के. भाटिया

सिम्पोजिया में भागीदारी

डा. एच.वी.एल. बाठला
डा. रंजन अग्रवाल
डा. रणधीर सिंह

आलेख पत्र पढ़ने संबंधी सत्र में भागीदारी स्टडी औन ग्रोथ पैटर्न इन क्रासेस एण्ड प्योर इंडियन ब्रीड्स आफ गोट्स

एस.डी. वाही एवं लाल चन्द
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

रौबस्टनेस आफ बूटस्ट्रैप ऐस्टिमेट्स आफ वैटिएंस आफ हेरिटेबिलिटी टु मास्टर सैम्पल्स इन हाफ-सिब ऐनालिसिस

एन. ओकेन्द्रो सिंह, ए.आर. राव, एस.डी. वाही तथा वी.पी. सिंह
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

ऐस्टिमेशन आफ कंट्रिब्यूशन आफ इन्पुट फैक्टर्स औन द मिल्क यील्ड यूज़िंग प्रिंसिपल कम्पोनैन्ट ऐनालिसिस टेक्नीक

सत्यपाल, भगवान दास तथा एम एस नारंग
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

परफौमैंस आफ राइस यील्ड फोरकास्ट मौडल्स बेस्ट औन सेवरल स्टैटिस्टिकल टेक्नीक्स यूजिंग रेनफाल डैटा
अमरेन्दर कुमार
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

एस वी आई: स्पैटियल वैरिएबिलिटी एंड इंटरपौलेशन- ए कंप्यूटर साफ्टवेयर

वसंत कुमार, वी.के. भाडिया, अजय एम. पंवार तथा पी.के. मल्होत्रा
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

ए नोट आन द स्टडी आफ रीजन आफ इंफ्लुएंस थ्रू वेरियोग्राफी

वी.के. भाटिया, वसंत कुमार तथा अजय एम. पवार
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

ए सर्वे बेस्ड सोसियो-इकोनामिक प्राफाइल औफ शीप रियरिंग पापुलेशन आफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आफ राजस्थान

जे. जयशंकर, वी गीतालक्ष्मी, आर.एस. खत्री* तथा जे.पी. गोयल*
केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर-304501
*भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

सर्वे आन माइग्रेटरी सीप आफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आफ राजस्थान

वी. गीतालक्ष्मी, जे. जयशंकर, आर.एस. खत्री* तथा जे.पी. गोयल*
*भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

यूटिलाइजेशन पैटर्न आफ फार्म पावर एंड मशीनरी इन करनाल डिस्ट्रिक्ट आफ हरियाणा

आर.सी. दास, एन पी एस सिरोही तथा के.के. त्यागी

उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003
*भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

बेसियन प्राबैबिलिटी ऐप्रोच फार क्राप यील्ड फोरकास्ट- ए केस स्टडी फार व्हीट क्राप

चन्द्रहास तथा टी राय
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

स्टैटिस्टिकल माडलिंग फार फोरवार्निंग एपिडिमिक आउटब्रेक आफ पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन मैंगो

वी. रामा सब्रमणियम, ए.के. मिश्रा तथा ओम प्रकाश
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

कास्ट ऐस्टिमेशन इन इंटरक्रोपिंग सिस्टम

जगबीर सिंह
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

मैकैनिज्म आफ मौनिटरिंग एंड कान्कुरेंट इवैल्युएशन फार नेशनल ऐग्रिकल्चरल टेक्नालौजी प्रोजेक्ट

एस.डी. शर्मा, अशोक कुमार, आर.सी. गोयल,
पी.के. मल्होत्रा तथा सुदीप
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

ए साफ्टवेयर फार ऐग्रिकल्चरल डिस्कसन फौरम

रूबी एस. कुंजूर, आर.सी. गोयल, पी.के. मल्होत्रा तथा सुदीप
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

औनलाइन मानिटरिंग एंड कौंकुरेन्ट इवैल्युएशन सिस्टम फौर नेशनल ऐग्रिकल्चरल टेक्नोलौजी प्रोजेक्ट

एस.डी. शर्मा, सुदीप, आर.सी. गोयल, पी.के. मल्होत्रा तथा अशोक कुमार
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

रैंक्ड सेट सैम्पलिंग इन द कान्टेक्स्ट आफ फाइनाइट पौपुलेशन

यू.सी. सूद तथा ए.के. श्रीवास्तव
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

28-30 नवम्बर, 2000 तक एन डी यू ए टी, फैजाबाद में सम्पन्न भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी की 54वीं वार्षिक संगोष्ठी के दौरान आई.ए.एस.आर.आई. वैज्ञानिकों की प्रतिभागिता

संगोष्ठी में प्रतिभागिता

डा. गिरीश कुमार झा
डा. एच.वी.एल. बाठला
डा. ए.के. श्रीवास्तव
डा. अनिल राय
डा. रनधीर सिंह

निबंध पाठन सत्र में प्रतिभागिता

जमुनापारी और काली बंगाल बकरियों में स्वास्थ्य लक्षणों के आनुवंशिक प्राचल

लाल चन्द, एस.डी. वाही तथा वी.के. भाटिया
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

वंशागतता की विसंगति के बूटस्ट्रैप आकलन पर नमूना आकार और ढांचे का प्रभाव

एस.डी. वाही तथा एन. ओकेन्द्रो सिंह
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

निवेश प्रयोग के अधिकतम सम्मिलन द्वारा फसल की एक प्रणाली का उपज अधिक्यकरण

अजीत कौर भाटिया
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

दो चावल किस्मों के बीच संबंध का मूल्यांकन

राजिन्दर कौर
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

खाद्यान्न फसल अनुक्रम की उत्पादकता पर उर्वरकों के दीर्घावधि प्रभाव पर एक सांख्यिकी अन्वेषण

वी.के. शर्मा तथा राजिन्दर कौर
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

उत्पादन का सांख्यिकीय विश्लेषण और ब्रायलर उत्पादन में संसाधन प्रयोग

एस.पी. भारद्वाज, आर.के. पाण्डेय तथा वी.के. महाजन
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

डिजाइन रणनीति की उपलब्धि का मूल्यांकन

जगबीर सिंह तथा एच.वी. एल. बाठला
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

सर्वेक्षण नमूना लेने में पुनः नमूना लेने की पद्धतियां-एक अनुभवजन्य अध्ययन

वी.पी.एन. सिंह, अनिल राय तथा वी.के. जैन
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

पथगुणांक तकनीकी का प्रयोग करके उपज अंतराल विश्लेषण

सत्य पाल, आर.एम. सूद, टी राय तथा ए.के. गुप्ता
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

सब्जियों की उपज पर उर्वरक और कीटनाशियों और नाशीजीवियों का प्रभाव

ए.के. गुप्ता, ए.के. मोगा तथा सत्य पाल
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

प्रत्येक कृषि जलवायुगत क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घावधि यंत्रीकरण रणनीति बनाने से संबंधित एक अध्ययन

के.के. त्यागी, एस.डी. शर्मा, ए.के. श्रीवास्तव तथा एच.वी.एल. बाठला
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

खाद्यान्नों के लिए चारा, बीज और अपशिष्ट अनुपातों का आकलन

डी.एल. आहूजा तथा के.के. त्यागी
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

15-17 जनवरी, 2002 को सी.आई.ए.ई. एवं आई.आई.एस.एस., भोपाल में सम्पन्न भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी की 55वीं संगोष्ठी के दौरान आई.ए.एस.आर.आई. की प्रतिभागिता

संगोष्ठी में प्रतिभागिता

डा. राजेन्द्र प्रसाद
डा. वी.के. गुप्ता
डा. वी.के. भाटिया
डा. के.के. त्यागी
डा. एस.डी. शर्मा
डा. ए.के. श्रीवास्तव
डा. एच.वी.एल. बाठला
डा. डी.एल. आहूजा

निबंध पठन सत्र में प्रतिभागिता

अर्द्धसिव विश्लेषण द्वारा वंशागतता के आंकलनों पर नियत प्रभावों का असर

एस.डी. वाही, लाल चन्द्र तथा ए.आर. राव
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

फसल सुधार परीक्षणों में उपज और स्थिरता के लिए जीनरूपों का एक साथ चयन

ए.आर. राव तथा वी.टी. प्रभाकरण
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

दो फसल अनुक्रम के साथ एक स्थाई क्षेत्र परीक्षण से लाभों/प्राप्तियों का आंकलन

वी.के. शर्मा तथा राजिन्दर कौर
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

मृदा परीक्षण फसल प्रत्युत्तर सहसंबंध पर अ.भा.स.अ.प. के अधीन प्रयोगों की डिजाइनिंग और विश्लेषण पर

आलोक लहरी तथा डी.के. मेहता
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

संकरो के एक जोड़े के अंत:परिवर्तन के विरुद्ध पूर्ण डाइलेल संकरों के लिए ब्लाक डिजाइनों की संतुलितता

डी.के. पण्डा, राजेन्द्र प्रसाद* तथा वी.के. शर्मा*
डब्ल्यू टी सी ई आर, भुवनेश्वर-751023
*भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

आंशिक तौर पर संतुलित अपूर्ण ब्लाक डिजाइनों की उच्चतर एसोसिएट श्रेणी पर

शिनी वरगीज, वी.के. शर्मा तथा सीमा जग्गी
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

संतुलित हतप्रभ कर देने वाले क्रमगुणित प्रयोगों के लिए अनुपयुक्त ब्लाक डिजाइनें

आर. श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद तथा वी.के. गुप्ता
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

अनुसंधान संगठन के लिए इन्ट्रानेट समाधान

सुदीप, आर.सी. गोयल तथा पी.के. मल्होत्रा
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

परीक्षण उपचारों को नियंत्रण उपचार तुलनाएं बनाने के लिए घोंसलेदार ब्लाक डिजाइनें

सुब्रता कुमार सतपति तथा राजेन्द्र प्रसाद
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

2020 में गेहूं उत्पादन का आंकलन

ए.के. गुप्ता, ए.के. मोगा तथा वी.के. जैन
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

दूध पैदावार पर निवेश तत्वों पर योगदान का आंकलन

सत्य पाल, आर.एम. सूद तथा ए.के. गुप्ता
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

काली मिर्च की किस्मगत पैदावारों और मानकों का आंकलन

जगबीर सिंह तथा वी.के. जैन
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

कृषक समुदाय का एग्रोटैक्नो स्तर

सत्य पाल, जगबीर सिंह तथा एम.एस. नारंग
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

पुनरावृत्ति सर्वेक्षणों में निकटस्थ आंकलकों के कुछ पहलुओं पर

यू.सी. सूद, ए.के. श्रीवास्तव तथा आई.सी. सेठी
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

भूमि उपयोग/भूमि आवरण सांख्यिकी और दूरस्थ संवेदी सेटेलाइट डेटा का प्रयोग करके जिला रोहतक, हरियाणा के लिए 1997-98 के दौरान बाढ़ों की सीमा

रणधीर सिंह तथा डी.सी. दहिया
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

दिनांक 1 जनवरी, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 के दौरान भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित वैज्ञानिकों का ब्यौरा

क्रम सं.	नाम तथा पदनाम	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	रजिस्ट्रेशन शुल्क पर खर्च राशि	खर्च राशि (रुपये)	परिवहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	3436/-	रेल/सड़क
2.	डा. वी.के. भाटिया, प्रधान वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	28 नवम्बर, 2000 से 30 नवम्बर, 2000	600/-	1871/-	रेल
3.	डा. वे.के. गुप्ता, अध्यक्ष	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2263/-	रेल
4.	डा. पी.के. बतरा, प्रधान वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	327/-	बस
5.	श्रीमती राजेन्द्र कौर, वैज्ञानिक (प्रवरण कोटि)	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2400/-	रेल
6.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2000/-	रेल
7.	श्रीमती अजित कौर भाटिया, वैज्ञानिक (प्रवरण कोटि)	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2000/-	रेल
8.	डा. जगबीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2000/-	रेल
9.	डा. अनिल राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2291/-	रेल
10.	डा. डी.एल. आहूजा, प्रधान वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2000/-	रेल

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	डा. जी.के. झा, वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2100/-	रेल
12.	डा. आर.एस. खत्री प्रधान वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2,700/-	रेल
13.	डा. के.के. त्यागी, प्रधान वैज्ञानिक	कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	27 नवम्बर, 2000 से 1 दिसम्बर, 2000	600/-	2,000/-	रेल

दिनांक 1 जनवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 के दौरान भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों का ब्यौरा

वर्ष 2001 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ।

भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के दिनांक 1.1.2002 से 31.12.2002 की अवधि के दौरान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिकों का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम व पदनाम	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	पंजीकरण शुल्क के रूप में व्यय की गई राशि (रु.)	व्यय की गई राशि (रु.)	परिवहन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	8139/-	हवाई यात्रा
2.	डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	18049/-	हवाई यात्रा
3.	डा. ए.के. श्रीवास्तव, पूर्व संयुक्त निदेशक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	2887/-	रेल द्वारा
4.	डा. वी.के. भाटिया, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5803/-	रेल द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	डा. वी.के. गुप्ता, प्रमुख	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में संयोजक के रूप में हिस्सा लेने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	4068/-	रेल द्वारा
6.	डा. वी.के. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	2890/-	रेल द्वारा
7.	डा. आलोक लाहीरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	3360/-	रेल द्वारा
8.	डा. आर. श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	3608/-	रेल द्वारा
9.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	3428/-	रेल द्वारा
10.	डा. सीनी वर्गिश वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	4000/-	रेल द्वारा
11.	डा. एस.पी. भारद्वाज, प्रधान वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	4000/-	रेल द्वारा
12.	डा. एच.बी.एल. बाटला, प्रधान वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	15-17 जनवरी, 2002	600/-	2000/-	रेल द्वारा
13.	डा. एच.बी.एल. बाटला, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	12637/-	हवाई यात्रा और रेल द्वारा
14.	डा. जगबीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु	14-18 जनवरी, 2002	600/-	3300/-	रेल द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	डा. जगबीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5788/-	रेल द्वारा
16.	डा. जी.के. झा, वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5665/-	रेल द्वारा
17.	डा. के.के. त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	15-17 जनवरी, 2002	600/-	2500/-	रेल द्वारा
18.	डा. के.के. त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5514/-	रेल द्वारा
19.	डा. रणधीर सिंह, वरिष्ट वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	15-17 जनवरी, 2002	600/-	2000/-	रेल द्वारा
20.	डा. रणधीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5743/-	रेल द्वारा
21.	श्री ए.के. गुप्ता, वैज्ञानिक (एस.एस.)	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	15-17 जनवरी, 2002	600/-	3000/-	रेल/टैक्सी द्वारा
22.	डा. रंजना अग्रवाल, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5589/-	रेल द्वारा
23.	श्री एस.डी. वाही, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5968/-	रेल द्वारा
24.	डा. आर.सी. गोयल, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5799/-	रेल द्वारा
25.	श्री सत्यपाल, वैज्ञानिक (एस.एस.)	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5848/-	रेल द्वारा
26.	श्री अमरेन्द्र कुमार वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5965/-	रेल द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	डा. वी. रामासुब्रमण्यम, वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5778/-	रेल द्वारा
28.	श्री सुदीप, वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5632/-	रेल द्वारा
29.	डा. यू.सी. सूद, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5607/-	रेल द्वारा
30.	डा. चन्द्राहस, प्रधान वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5893/-	रेल द्वारा
31.	डा. अशोक कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान वि.वि. धारवाड़	आई.एस.ए.एस. के 56वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	18-20 दिसम्बर, 2002	800/-	5653/-	रेल द्वारा
32.	श्री हिमाद्री घोष, वैज्ञानिक	केन्द्रीय कृषि अभि. संस्थान, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	15-17 जनवरी, 2002	600/-	3510/-	रेल/टैक्सी द्वारा

सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी के दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2000 की अवधि के दौरान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम व पदनाम	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	पंजीकरण शुल्क के रूप में व्यय की गई राशि (रु.)	व्यय की गई राशि (रु.)	परिवहन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री हिमाद्री घोष, वैज्ञानिक	तमिलनाडु कृषि वि.वि. कोयम्बटूर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के 3 वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	17.11.2000 से 26.11.2000	500/-	7559/-	रेल द्वारा
2.	डा. वी.के. गुप्ता, प्रमुख	तमिलनाडु कृषि वि.वि. कोयम्बटूर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के 3 वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	19.11.2000 से 23.11.2000	500/-	17709/-	हवाई जहाज द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	डा. आलोक लाहीरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	तमिलनाडु कृषि वि.वि. कोयम्बटूर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के 3 वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु	20.11.2000 से 23.11.2000	500/-	8502/-	रेल द्वारा

सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी के दिनांक 1.1.2001 से 31.12.2001 की अवधि के दौरान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम व पदनाम	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	पंजीकरण शुल्क के रूप में व्यय की गई राशि (रु.)	व्यय की गई राशि (रु.)	परिवहन का प्रकार
1.	डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	23-26 नवम्बर, 2001	600/-	9910/-	हवाई जहाज और सड़क द्वारा
2.	श्री हिमाद्री घोष, वैज्ञानिक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	24-26 नवम्बर, 2001	600/-	9910/-	रेल द्वारा
3.	डा. वी.के. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	24-26 नवम्बर, 2001	600/-	9910/-	रेल द्वारा
4.	डा. पी.के. बत्रा, प्रधान वैज्ञानिक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	24-26 नवम्बर, 2001	700/-	5000/-	रेल द्वारा
5.	डा. आलोक लाहीरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	24-26 नवम्बर, 2001	600/-	3000/-	रेल द्वारा
6.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक	सौराष्ट्र वि.वि., राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में हिस्से लेने के लिए	24-26 नवम्बर, 2001	600/-	5000/-	रेल द्वारा

सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी के दिनांक 1.1.2002 से 28.2.2003 की अवधि के दौरान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम व पदनाम	दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	पंजीकरण शुल्क के रूप में व्यय की गई राशि (रु.)	व्यय की गई राशि (रु.)	परिवहन का प्रकार
1.	डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	8187/-	हवाई जहाज द्वारा
2.	श्री हिमाद्री घोष, वैज्ञानिक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	3074/-	रेल द्वारा
3.	डा. वी.के. गुप्ता, प्रमुख	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	8033/-	हवाई जहाज
4.	डा. पी.के. बत्रा, प्रधान वैज्ञानिक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	2588/-	रेल द्वारा
5.	डा. आलोक लाहीरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	3264/-	रेल द्वारा
6.	डा. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	2660/-	रेल द्वारा
7.	डा. किशन लाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. वि.वि., उदयपुर	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए	17-19 जनवरी, 2003	600/-	2525/-	रेल द्वारा

विभिन्न शीर्षों में व्यय

4369. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने गत तीन वर्षों के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया है कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत इसके व्यय वित्तीय नियमों और सरकारी अनुदेशों के अनुसार हों;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों नामत: कम्प्यूटर और संबंधित उपकरणों, एयरकंडीशनरों, अन्य उपकरणों, फर्नीचरों, स्टेशनरी की खरीद प्रमुख कार्यों, पुनरोद्धार एवं मरम्मत, एच.आर.डी. एवं यात्रा भत्तों पर हुए तिमाही व्यय (योजना और गैर-योजना के संबंध में पृथक रूप से) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अंतिम तिमाही और मार्च में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत बढ़ाये गये कुल व्यय का अनुपात क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान तिमाही व्यय का ब्यौरा (योजना तथा गैर-योजना अलग-अलग)

	अप्रैल-जून		जुलाई-सितम्बर		अक्तूबर-दिसम्बर		जनवरी-मार्च		योजना	गैर-योजना	कुल
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000-01											
कम्प्यूटर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एयर कंडीशनर	0	0	45369	0	0	0	0	0	45369	0	45369
अन्य उपकरण	0	1450	45260	6990	0	1450	0	1620	45260	11510	56770
फर्नीचर	0	0	0	49280	0	0	0	0	0	49280	49280
स्टेशनरी	0	3237	0	48713	0	77043	0	162569	0	291562	291562
मुख्य कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीर्णोद्धार/मरम्मत	0	104600	0	235350	0	677945	0	2464344	0	3482239	3482239
एच आर डी	0	0	19500	0	107500	0	98691	-	225691	0	225691
यात्रा भत्ता	101171	47122	0	110139	87787	122603	91047	209	280005	280073	560078
2001-02											
कम्प्यूटर	0	0	0	0	0	0	166800	0	166800	0	166800
एयर कंडीशनर	0	0	0	0	0	0	0	11725	0	11725	11725
अन्य उपकरण	8000	11000	17590	0	0	845	37584	0	63174	11845	75019
फर्नीचर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
स्टेशनरी	0	60617	0	37503	0	24859	0	251906	0	374885	374885
मुख्य कार्य	0	0	0	0	0	0	7461000	0	7461000	0	7461000
जीर्णोद्धार/मरम्मत	0	189673	327942	172859	88258	126637	2054876	1305113	2471076	1794282	4265358
एच आर डी	75636	0	27706	0	161416	0	304	0	265062	0	265062
यात्रा भत्ता	70676	127963	8857	67041	166174	82458	4278	52523	249985	329985	579970
2002-03											
कम्प्यूटर	0	0	0	0	0	0	3174960	0	3174960	0	3174960
एयर कंडीशनर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य उपकरण	0	0	0	0	38280	53200	2651682	42041	2689962	95241	2785203
फर्नीचर	0	0	0	0	0	0	0	48079	0	48079	48079
स्टेशनरी	0	2400	0	786	0	0	204463	58774	204463	61960	266423
मुख्य कार्य	0	0	0	0	0	0	986379	0	986379	0	986379
जीर्णोद्धार/मरम्मत	300000	128049	154070	183358	171834	320961	1239605	1367673	1865509	2000041	3865550
एच आर डी	80129	0	51663	0	111420	0	26721	0	269933	0	269933
यात्रा भत्ता	20532	149289	13900	107140	156699	21308	208859	21055	399990	298792	698782

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च में प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ तिमाही व्यय के प्रतिशत का ब्यौरा
(योजना तथा गैर-योजना अलग-अलग)

	अप्रैल-जून		जुलाई-सित.		अक्तू.-दिस.		जन.-मार्च		पिछली तिमाही में प्रतिशत बढ़ोत्तरी		मार्च में प्रतिशत बढ़ोत्तरी	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000-01												
कम्प्यूटर	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	—	-100.00	—
एयर कंडीशनर	—	12.60	100.00	60.73	—	12.60	—	14.07	—	-10.93	-100.00	-100.00
अन्य उपकरण	—	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	—	-100.00
फर्नीचर	—	1.11	—	16.71	—	26.42	—	55.76	—	30.76	—	-80.76
स्टेशनरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुख्य कार्य	—	3.00	—	6.76	—	19.47	—	70.77	—	45.77	—	358.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जीर्णोद्धार/मरम्मत	—	—	8.64	—	47.63	—	43.73	—	18.73	—	-7.06	—
यात्रा भत्ता	36.13	16.82	—	39.33	31.35	43.78	32.52	0.07	7.52	-24.93	300.00	-99.10
2001-02												
कम्प्यूटर	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	1100.00	—
एयर कंडीशनर	—	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	-100.00
अन्य उपकरण	12.66	92.87	27.84	—	—	7.13	59.49	—	34.49	—	-100.00	-100.00
फर्नीचर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेशनरी	—	16.17	—	10.00	—	6.63	—	67.20	—	42.20	—	-94.00
मुख्य कार्य	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	-100.00	—
जीर्णोद्धार/मरम्मत	—	10.57	13.27	9.63	3.57	7.06	83.16	72.74	58.16	47.74	414.00	464.00
एच आर डी	28.54	—	10.45	—	60.90	—	0.11	—	-24.89	—	-100.00	—
यात्रा भत्ता	28.27	38.78	3.54	20.32	66.47	24.99	1.71	15.92	-23.29	-9.08	-99.00	-86.17
2002-03												
कम्प्यूटर	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	-1100.00	—
एयर कंडीशनर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—
अन्य उपकरण	—	—	—	—	1.42	55.86	98.58	44.14	73.58	19.14	-1082.92	407.00
फर्नीचर	—	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	1100.00
स्टेशनरी	—	3.87	—	1.27	—	—	100.00	94.86	75.00	69.86	-1100.00	-91.00
मुख्य कार्य	—	—	—	—	—	—	100.00	—	75.00	—	-1100.00	—
जीर्णोद्धार/मरम्मत	16.08	6.40	8.26	9.17	9.21	16.05	66.00	68.38	41.00	43.38	9.57	516.00
एच आर डी	29.68	—	19.14	—	41.28	—	9.90	—	-15.10	—	96.67	—
यात्रा भत्ता	5.13	49.96	3.48	35.86	39.18	7.13	52.22	7.05	27.22	-17.95	-344.49	-5.15

दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

4370. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने दुर्गापुर और राउरकेला के समेकित इस्पात संयंत्रों के लिए 136 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेल द्वारा उक्त संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने मार्च, 2003 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्टील मैल्टिंग शाप में एक नई लैडल फर्नेश (23.33 करोड़ रुपए) और राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरी नं. 1 के पुनर्निर्माण (112.39 करोड़ रुपए) की मंजूरी दी है।

(ग) सेल ने मार्च, 2003 तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर क्रमशः 4326 करोड़ रुपए और 3978 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

विमान-बेड़े की खरीद की समय सीमा का बढ़ाया जाना

4371. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के नये विमान की खरीद संबंधी प्रस्ताव की समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) नए विमान की खरीद के लिए इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। चूंकि खरीद प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना है, इंडियन एयरलाइंस के अनुरोध के आधार पर, सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को और आगे छः महीने की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितम्बर, 2003 तक उनकी आरंभिक आफर की वैधता में विस्तार के लिए विमान और इंजिन निर्माताओं से सम्पर्क करने की सलाह दी है।

भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण

4372. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना

4373. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी डेयरियों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को आपूर्ति किए जाने वाले दूध के किसी नमूने की शुद्धता या अन्य किसी चीज की जांच नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी डेयरियों द्वारा खरीदे गए दूध की गुणवत्ता की जांच में डी.एम.एस. द्वारा की गई अनियमितता की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दिल्ली दुग्ध योजना निजी डेयरियों से दूध नहीं खरीद रही है। वे राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों तथा पंजीकृत सहकारिता समितियों से दूध खरीद कर रहे है। उनके द्वारा आपूर्तित दूध की गुणवत्ता को स्वीकार किए जाने से पहले पूरी तरह से जांच की जाती है।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादों तथा पेय पदार्थों हेतु अनुमति

4374. **डा. चरणदास महंत:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 1999 की शुरुआत से 30 सितम्बर, 2002 तक भारतीय बाजार में बिक्री/उत्पादन के संबंध में अनुमति दिए गए खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के नाम और प्रकार क्या-क्या हैं और ऐसे विदेशी पेय पदार्थ और खाद्य उत्पाद कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें ऐसी अनुमति दी गई है और यह अनुमति किन निबंधन और शर्तों के अंतर्गत दी गई है;

(ख) क्या विदेशी कंपनियां सीधे विदेशों से लाकर भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेच रही है या वे भारत में उद्योग स्थापित कर उनका उत्पादन कर रही है तथा वे किन-किन स्थानों पर ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कंपनियों में से प्रत्येक ने भारत में कितना पूंजी निवेश किया है और प्रत्येक कंपनी में कितने भारतीय/विदेशी नागरिक नियोजित हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। अल्कोहलयुक्त पेयों और लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आरक्षित मदों को छोड़कर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत लाइसेंस के दायरे से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, अल्कोहलयुक्त पेयों, लघु उद्योगों और खाद्य खुदरा बिक्री हेतु आरक्षित मदों को छोड़कर प्रसंस्कृत खाद्य मदों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वत: अनुमति है। सन् 1999-2000 से 30.9.2002 के दौरान, प्रसंस्कृत खाद्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानत: 260 करोड़ रु. के निवेश और 2.4 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 1260 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए। वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य मदों के आयात और उनके विपणन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु ये उत्पाद विभिन्न खाद्य नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

4375. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खोई और कृषि अपशिष्ट की खपत को बढ़ावा देने हेतु दिए गए प्रोत्साहनों/राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि आधारित उत्पादों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है और ऐसे उत्पादों पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत घटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे फाइबर बोर्ड का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित पर्यावरण अनुकूल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उद्योग के पुनर्वास हेतु ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने और आयात शुल्क बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) सरकार द्वारा खोई और कृषि अपशिष्ट की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन/सहायता प्रदान की गई है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के बजट प्रस्तावों (2003-2004) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट जो कि बुड फ्री प्लैन या प्रि-लेमीनैटिड पार्टीकल या फायरबोर्डस जो कि गन्ने की खोई या अन्य कृषि अपशिष्ट से बनते हैं, के संबंध में उपलब्ध थी, को वापस ले लिया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट जो कि 3500 मीट्रिक टन के कागज की प्रथम निकासी तथा पेपर बोर्डस तथा उससे निर्मित वस्तुओं के लिए, 75% या उससे अधिक का विनिर्माण जो कि गैर परम्परागत सामग्री से किया गया हो, के संबंध में उपलब्ध थी, को वापस ले लिया गया है। इन वस्तुओं पर सेनवेट (सी ई एन वी ए टी) क्रेडिट सहित 8% की एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया है। वापसीकरण स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया गया है कि कराधान उदार होना चाहिए, टैक्स आधार विस्तृत होना चाहिए ताकि प्रत्येक सेक्टर राष्ट्रभ्य अर्थव्यवस्था में उदारतापूर्वक योगदान दे सके।

सीमा-शुल्क की ऊंची दर को इस वर्ष के बजट में 30% से घटा कर 25% कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप फाइबर बोर्डस तथा वुड या काष्ठीय सामग्री तथा पेपर और पेपर बोर्डस और उनसे निर्मित्त वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क का जनरल रेट आधार को 30% से कम करके 25% कर दिया गया है।

विवरण

वित्तीय प्रोत्साहन

खोई/बायोमास कोजनरेशन परियोजना (वाणिज्यिक परियोजना) के लिए ब्याज सहायता

(खोई को-जनरेशन (वाणिज्यिक परियोजनाएं)

क्र.सं.	स्कीम	प्रैशर कनफिगूरेशन	ब्याज सहायता
1	2	3	4
1.	सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त सेक्टर शुगर	40 बार और उससे ऊपर	3%
	मिल्स द्वारा परियोजनाएं	60 बार और उससे ऊपर	4%

1	2	3	4
		80 बार और उससे ऊपर	5%
2.	सहकारी/सार्वजनिक सेक्टर शुगर मिल्स आई.पी.पी. मोड परियोजना	60 बार और उससे ऊपर	2%
		80 बार और उससे ऊपर	3%
3.	निजी क्षेत्र शुगर मिल्स द्वारा परियोजना	60 बार और उससे ऊपर	2%
		80 बार और उससे ऊपर	3%
		बायोमास-कोजनरेशन	
4.	वाणिज्यिक परियोजनाएं	60 बार और उससे ऊपर	2%
		80 बार और उससे ऊपर	3%

सहकारी/सार्वजनिक सेक्टर शुगर मिल्स द्वारा खोई कोजनरेशन के लिए ब्याज की फ्लोर रेट 8% से कम नहीं होगी अन्यथा यह सामान्य श्रेणी की परियोजनाओं के मामलों में 10% होगी।

उपर्युक्त श्रेणी की खोई तथा बायोमास कोजनरेशन परियोजना के संबंध में ब्याज सहायता अधिकतम राशि क्रमश: 4.00 करोड़ रु. तथा 2.00 करोड़ रु. की सीमा में होगी।

बायोमास पावर परियोजनाओं (वाणिज्यिक परियोजनाएं) के लिए ब्याज सहायता

बायोमास पावर

क्र.सं.	स्कीम	प्रैशर कनफिगूरेशन	ब्याज सहायता
1.	वाणिज्यिक परियोजनाएं (कैप्टिव पावर सहित डायरेक्ट कम्बूस्टन)	60 बार और उससे ऊपर 80 बार और उससे ऊपर	2% 3%
2.	वणिज्यिक परियोजनाएं (कैप्टिव पावर सहित एटमोसेफेरिक गैसिफिकेशन)		2%
3.	100% प्रोडयूसर गैस इंजिन सहित एम. डब्ल्यू. परियोजनाएं	1.00 करोड़/एम.डब्ल्यू. की पूंजीगत सहायता	
4.	एडवांसड बायोमास गैसीफिकेशन	1.00 करोड़/एम.डब्ल्यू. की पूंजीगत सहायता	

* पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में बायोमास पावर परियोजनाओं के लिए 2% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी बशर्तें कि ब्याज का फ्लोर रेट 8% से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा यह सामान्य श्रेणी की परियोजनाओं के मामले में 10% की दर से होगा।

* किसी भी वाणिज्यिक बायोमास पावर परियोजना कैप्टिव पावर सहित (डायरेक्ट कम्बूस्टन या एटमोसफेरिक गैसीफिकेशन) के लिए अधिकतम सहायता राशि 2.00 करोड़ रु. की सीमा में होगी। दसवीं योजना के दौरान प्रति राज्य 100 एम.डब्ल्यू. की कुल क्षमता में सी.एफ.ए. में सीमित होगा।

* 100% प्रोडयूसर गैस इन्जिन के साथ एम.डब्ल्यू. स्केल प्रोजेक्टस को राजसहायता की अधिकतम राशि प्रति परियोजना 2.00 करोड़ रु. तक सीमित होगी, जिसमें दो परियोजनाओं/ राज्य की सीलिंग होगी तथा दसवीं योजना में अधिक से अधिक पांच परियोजनाएं होंगी।

* एडवान्सड बायोमास गैसीफिकेशन प्रोजेक्टस को राजसहायता की अधिकतम राशि 8.00 करोड़ रु./परियोजना होगी जिसमें

प्रत्येक राज्य में एक परियोजना की सीलिंग होगी, तीन विभिन्न प्रौद्योगिकी रूटस अर्थात् बायोमास एकीकृत गैसीफिकेशन-कम-गैस टरबाइन कम्बाइन्ड साइक्ल (आई जी सी सी), एकीकृत पाइरोलिसिस कम्बाइन्ड साइक्ल (आई पी सी सी) तथा 90 प्रतिशत से अधिक बहुत उच्च डीजल प्रतिस्थापन सहित एम डब्ल्यू एकल रेसिप्रोकेटिंग इंजिन, में से प्रत्येक से एक।

पोर्ट ब्लेयर का विकास

4376. श्री ए.सी. जोस: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर के अव्यवस्थित विकास से अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की प्राकृतिक सुन्दरता नष्ट हो रही है और इससे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र के कारण भूमि कटाव

4377. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड को डिब्रूगढ़ की ऊपरी धारा द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए एक 400 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) असम सरकार द्वारा 404.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "डिब्रूगढ़ शहर के प्रतिप्रवाह पर ब्रह्मपुत्र के कटाव से रोहमारिया क्षेत्र के संरक्षण" नामक एक स्कीम तैयार की गई थी तथा इस स्कीम को जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां अनुपालन के लिए अक्तूबर, 2002 में राज्य सरकार को भेज दी गई।

इस संबंध में, माननीया जल संसाधन राज्य मंत्री के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने अप्रैल, 2002 में रोहमारिया क्षेत्र का दौरा किया तथा इस दल ने "धोला हातीघुली में ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़े जाने" नामक उपर्युक्त स्कीम के प्रथम चरण को प्रारंभ करने की सिफारिश की थी जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस स्कीम की अनुमानित लागत 10.47 करोड़ रुपए है। यह स्कीम ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसका 80% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। जल संसाधन मंत्रालय ने उपर्युक्त कार्य के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 7.5 करोड़ रुपए जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त असम सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम को प्रारंभ करने सहित आगे की कार्रवाई हातीघुली से डिब्रूगढ़ शहर तक संपूर्ण खण्ड तथा हातीघुली में स्कीम के प्रभाव के संबंध में केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे द्वारा किए गए माडल अध्ययनों के निष्कर्षों के पश्चात् निर्धारित की जाएगी।

कालीनों की खरीद में धांधली

4378. श्री अम्बरीश: क्या **नागर विमानन मंत्री** 22 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा पेनीस्लेवानिया वोवन कारपेट्स मिल्स (पी डब्ल्यू सी एम) से कालीनों की खरीद में हुई धांधली की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या एयर इंडिया के न्यूयार्क कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख रहे एक निदेशक स्तर के अधिकारी को कालीनों और अन्य सामग्रियों की संदेहास्पद खरीद में संलिप्त पाया गया जिसके फलस्वरूप एयर इंडिया को घाटा हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया ने ऐसे दोषी अधिकारी को पदोन्नत करके उसे एक संवेदनशील पद पर तैनात किया है;

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार ने चूककर्त्ता कंपनी से धनराशि की वसूली कर ली है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस समय, एअर इंडिया के दोषी अधिकारियों तथा उनकी गलती का विवरण देना तथा उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देना संभव नहीं है।

(ङ) से (छ) निर्धारित कार्रवाई करने तथा पूर्व जांच समिति द्वारा जांच करवाने के पश्चात्, सक्षम अधिकारी द्वारा उस समय के क्षेत्रीय भंडार एवं क्रय प्रबंधक न्यूयार्क, श्री एम.एल. थाटे को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ लगाया गया अभियोग साबित हो गया था। एअर इंडिया ने पी डब्ल्यू सी एम के विरुद्ध धन की वसूली के लिए फरवरी 1997 में न्यूयार्क जिला कोर्ट में एक कानूनी याचिका दायर की तथा 28 अप्रैल 1997 को एअर इंडिया के पक्ष में निर्णय दिया गया। तथापि यूएस सरकार ने पी डब्ल्यू सी एम को दिवालिया घोषित कर दिया तथा एक सीक्योरड क्रेडिटर द्वारा इसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उद्योगों को सहायता

4379. श्री किरीट सोमैया: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है उसके क्या लाभ हैं और राज्य में महिलाओं और युवकों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या के.वी.आई.सी. ने बाजार के उपयोग हेतु मुंबई पर ध्यान केन्द्रित करने की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में उद्योगों/उद्यमियों/संगठन को दी गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) महाराष्ट्र सहित देश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किए गए मुख्य कार्यकलाप, जो लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों सहित महिलाओं एवं युवाओं को लाभ प्रदान करते हैं, इस प्रकार हैं:-

(1) खादी का विकास-के.वी.आई.सी. स्वयं सेवी संगठनों को खादी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन एवं विक्रय कार्यकलाप आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए इसकी ''इन्टरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट योजना'' (आई एस ई सी) के अंतर्गत, बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को बजटीय स्रोतों से ब्याज सब्सिडी के साथ, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी कार्यक्रम के तहत सृजित रोजगार का एक बड़ा भाग ग्रामीण महिलाओं के पक्ष में जाता है।

(2) ग्रामोद्योगों के विकास के लिए, महाराष्ट्र सहित देश की ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने हेतु एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आई ई जी पी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, महिला उद्यमियों को 10 लाख रु. तक की लागत की परियोजना हेतु ग्रामोद्योग परियोजना स्थापित करने के लिए 30% की दर से और 10.00 लाख रु. से अधिक और 25.00 लाख रु. तक की लागत की परियोजना के लिए 10% की दर से मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। देश में 140481 में से 16805 महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। महिलाओं का निजी अंशदान कुल परियोजना लागत का मात्र 5% होगा।

(3) के वी आई सी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकलाप भी चलाता है जो महाराष्ट्र सहित देश में संभाव्य उद्यमियों/दस्तकारों को खादी एवं ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। देश भर में 42 प्रशिक्षण केन्द्र विभागीय रूप से तथा अविभागीय रूप से चलाए जाते हैं, जिसमें एक बोरिवली, मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में 9 अन्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं।

(4) के वी आई सी देश में, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए विभागीय रूप से तथा साथ ही साथ कार्यान्वयन अभिकरणों दोनों के माध्यम से विक्रय निर्गम केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रकार के 19 विभागीय खादी ग्रामोद्योग भवनों (विक्रय निर्गम केन्द्रों) में से एक मुंबई में स्थित है। कार्यान्वयन अभिकरण भी मुंबई शहर में अपने निजी विक्रय निर्गम केन्द्र चला रहे हैं। के वी आई सी अधिनियम के अनुसार, इसके कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं, जिसमें किसी भी कस्बे में शामिल क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो, सहित कोई भी ग्राम शामिल है। इस प्रकार यह योजना मुंबई शहर में कार्यान्वित नहीं की जाती है।

(ख) के वी आई उत्पादों के विपणन उपयोग के लिए मुंबई पर विशेष ध्यान देने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, मुंबई में, ब्रांड नाम ''सर्वोदय'' के अंतर्गत, अगरबत्ती, मसाला, अचार, शहद, साबुन आदि जैसे सीमित रूप से ब्रांडेड के वी आई उत्पादों के लिए ब्रांड संवर्धनात्मक कार्यकलाप आरम्भ किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बूचड़खानों द्वारा प्रदूषण

4380. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश बूचड़खाने पी एफ ए के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण नियमों अथवा विषाक्तता स्तर का पालन नहीं करते है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनिमल राइट्स इंटरनेशनल ने काफी समय से इसके अनुपालन के लिए अभ्यावेदन किए हैं और सी पी सी बी ने मंत्रालय के निदेशों की उपेक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे बूचड़खानों में सलाह देने और प्रदूषण नियंत्रण और विषाक्तता संबंधी नियमों को लागू करने हेतु किए जाने वाले उपाय और दोषी बूचड़खानों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) बूचड़खाने मुख्यतया जल प्रदूषण इकाईयां हैं तथा ये अनुचित हस्तालन की वजह से बदबू फैलाने के कारण भी परेशानी पैदा करते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले काफी बूचड़खाने प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त उपाय नहीं करते।

(ख) से (घ) एनीमल राइट्स इंटरनेशनल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बूचड़खानों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उपायों की शुरूआत की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

* बूचड़खानों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण पर विस्तृत दस्तावेज का प्रकाशन;
* अपेक्षित उपायों के क्रियान्वयन हेतु नगर निकायों और राज्य नियंत्रण बोर्डों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करना;
* प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन संबंधी दोषी बूचड़खानों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) को दिशानिर्देश देना।

नदी अतिक्रमण

4381. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न नदियों के अतिक्रमण के कारण यमुना नदी दिल्ली से दूर होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को कब तक हटाया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं। दिल्ली में, यमुना नदी दो सीमान्त तटबंधों अर्थात् बायां सीमान्त तटबंध एवं दायां सीमान्त तटबंध के बीच बहती है। नदी चैनल इन सीमाओं के बीच स्वच्छंद रूप से बंटा है। नदी का स्वच्छंद रूप से बहना एक प्राकृतिक घटना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर मंडल में स्मारकों का संरक्षण

4382. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नागपुर मंडल में ऐतिहासिक भवनों और स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राशि स्वीकृति कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाथी परियोजनाएं

4383. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक पकड़े गए हाथी को 18 दिनों तक प्रताड़ित करने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 6 फरवरी, 2002 को पकड़े गए जंगली हाथी और प्रशिक्षण के दौरान तथाकथित प्रताड़ना के कारण बाद में 24 फरवरी को हुई उसकी मौत के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हाल की रिपोर्टों की जानकारी है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए और प्रताड़ना के कारण किसी हाथी की मौत की घटना को पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

पशुधन, पशुपालन केन्द्र और डेयरी

4384. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में कार्यरत पशुपालन केन्द्रों और डेयरियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष पशुधन पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 1997 की पशुधन संगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन 492 मिलियन (अनन्तिम) थी।

(ख) देश में पशुपालन विभागों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण पशुपालन केन्द्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के तहत 688 डेयरी संयंत्र पंजीकृत हैं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न पशुपालन तथा डेयरी विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार का वर्ष-वार व्यय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार था:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
1997-98	124.08
1998-99	77.00
1999-2000	113.71
2000-2001	124.69
2001-2002	152.66

विवरण

देश में पशुपालन विभागों के तहत कुछ महत्वपूर्ण पशुपालन केन्द्र

पशुपालन केन्द्र	देश में संख्या
पशुचिकित्सा अस्पताल/पालीक्लीनिक	7872
पशुचिकित्सा औषधालय	18845
पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र/सचल औषधालय	28195
वीर्य उत्पादन केन्द्र	116
हिमित वीर्य बैंक	127
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	34960
गोपशु प्रजनन फार्मों की संख्या	155
भैंस प्रजनन फार्मों की संख्या	29
सांड वीर्य केन्द्रों की संख्या	67

[अनुवाद]

हैदराबाद से उड़ानें

4385. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान हैदराबाद विमानपत्तन से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए कुछ नई हवाई सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में हैदराबाद विमानपत्तन से आवागमन हेतु नई सेवाएं शुरू करने संबंधी कितने अनुरोध सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हैदराबाद विमानपत्तन से आवागमन हेतु नई सेवाएं शुरू करने हेतु क्या विस्तृत योजना तैयार की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) वर्ष 2002 के दौरान एअर इंडिया ने जकार्ता-हैदराबाद सेक्टर के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें दिल्ली-हैदराबाद सेक्टर पर सप्ताह में एक उड़ान और हैदराबाद-मुम्बई-रियाद तथा वापसी सेक्टर पर सप्ताह में दो उड़ानें आरम्भ की हैं। इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया ने नेवार्क-मुम्बई-हैदराबाद और वापसी के लिए सप्ताह में चार उड़ानें तथा फ्रैंकफर्ट-दिल्ली हैदराबाद सेक्टर पर सप्ताह में एक उड़ान के माध्यम से हैदराबाद और नेवार्क/फ्रैंकफर्ट के बीच समिलेस ट्रांसफर संपर्क आरंभ किया है। मई, 2002 से सहारा एयरलाइंस ने कोलकाता-हैदराबाद-बंगलौर और वापसी के लिए सप्ताह में एक उड़ान आरंभ की है। वर्ष 2002 के दौरान हैदराबाद को सिंगापुर और कतर की निर्धारित एयरलाइंस द्वारा न्यू प्वाइंट आफ काल प्रदान किया गया और तद्नुसार सिल्क एयर ने सिंगापुर-हैदराबाद-सिंगापुर सेक्टर पर सप्ताह में चार उड़ानों वाली सेवा, कतर एयरलाइंस ने दोहा-हैदराबाद-दोहा क्षेत्र में सप्ताह में तीन उड़ानें आरंभ की है।

(ग) फिलहाल, हैदराबाद को न्यू प्वाइंट आफ काल बनाने के लिए कुवैत और ब्रिटेन के अनुरोध सरकार के पास लंबित हैं।

(घ) विदेशी एयरलाइंस को भारत में न्यू प्वाइंट आफ काल ग्रांट करने का निर्णय दो देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, यातायात मांग, पर्यटन क्षमता देश की एयरलाइनों के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए, आदान-प्रदान के सिद्धांत और लाभ के संतुलन के आधार पर किया जाता है। जहां तक हैदराबाद से/के लिए नई घरेलू विमान सेवाओं का संबंध है सरकार ने मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश किए गए है, जिसके अनुसार एयरलाइनें यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर किसी भी स्थान के लिए विमान सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।

ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन

4386. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यह निर्णय किस तारीख से लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा न ही सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

4387. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कितने इस्पात का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सेल के ऋणभार में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 मार्च, 2003 की तारीख के अनुसार सेल का कुल ऋणभार कितना है;

(ङ) इस ऋणभार को कब तक चुका दिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) 2002-03 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) द्वारा विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 103.5 लाख टन किया गया था।

(ख) से (घ) जी, हां। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 14012 करोड़ रुपए था जिसे 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार घटाकर लगभग 13300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ङ) बकाया ऋणों को कम करने के लिए सेल सतत् रूप से कदम उठा रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* कारोबार पुनर्सरचना जिसमें गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वत्वहरण की परिकल्पना की गई है।

* सघन लागत नियंत्रण

* पूंजीगत व्यय पर नियंत्रण

* बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र, बिक्री बढ़ाना तथा विपणन प्रयासों से बेहतर बिक्री प्राप्ति

* विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन

* ऋणों की समय पर चुकौती

* उच्च लागत के ऋणों को कम लागत के ऋणों में बदलना

(च) सेल के ऋणों में विभिन्न संघटक जैसे बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण, बांड, मियादी ऋण, विदेशी ऋण, सार्वजनिक जमा, एस डी एफ ऋण, आवास ऋण आदि शामिल हैं। इनकी परिपक्वता/चुकाने की तारीख अलग-अलग है और किसी भी प्रगतिशील संगठन में यह चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी बूथों में फलों और सब्जियों का बिना बिका हुआ स्टाक

4388. श्री दिलीप संघाणी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदर डेयरी (फलों और सब्जियों) के बूथों में बिना बिके हुए फलों और सब्जियों को संयंत्र द्वारा वापस नहीं लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बूथ आबंटी को बिना बिके स्टाक की लागत वहन करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बूथ आबंटी को ऐसी हानि से बचाने और उसके आर्थिक हित को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) बूथों पर न बिके फल व सब्जियों को फल व सब्जी ईकाई वापस नहीं लेती है।

(ख) बूथों पर रियायतप्राप्तकर्त्ताओं को फल व सब्जियों की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार की जाती है जो उनके द्वारा मांगपत्र के माध्यम से की जाती है। रियायतप्राप्तकर्त्ताओं द्वारा फल व सब्जी इकाई के साथ किए गए वाणिज्यिक करार के अनुसार फल व सब्जी का स्वामित्व बूथों पर उन्हें पहुंचा दिए जाने के बाद रियायतप्राप्तकर्त्ताओं का हो जाता है।

(ग) बूथों पर हैंडलिंग नुकसान का मार्जिन रखा जाता है, जिस मूल्य पर उन्हें फल और सब्जियां आपूर्ति की जाती हैं उसके और उपभोक्ताओं को उनके बिक्री मूल्य के बीच का अंतर रियायतप्राप्तकर्त्ता की आय होती है।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों और रेल यात्रियों की सुरक्षा

4389. प्रो. रीता वर्मा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय और खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा झरिया कोयला खदान में कोयला खानों में भूमिगत आग के खतरों से रेल लाइनों और रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) निदेशालय द्वारा रेल लाइनों के आस-पास और उसके नीचे कोयला खनन का काम न करने देने हेतु नियम बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन खतरों से रेल लाइनों और रेलयात्रियों की सुरक्षा हेतु रेलवे और कोयला कंपनियों की सहायता करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को धनबाद पाथेडी रेल लाइन पर भूमिगत आग के खतरे के प्रति सचेत किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय ने धनबाद-पत्थरडीह रेलवे लाइन के निकट स्थित राजापुर, लोदना बागडिगी और बरोरी कोयला-खदानों के प्रबंधनों का इसकी सुरक्षा के लिए निदेश जारी किये थे। ये निर्देश भूमिगत आग के खतरे की रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए समय-समय पर जारी किए जाते हैं। उनसे अपनी खानों में भूमिगत आग को स्थिर करने और उस पर आवरण लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए कहा गया था।

(ख) खान अधिनियम, 1952 के अधीन बनाए गए कोयला खान विनियम, 1957 का प्रशासन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। खान प्रबंधनों से इन विनियमों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। जिनमें रेलवे लाइनों के आसपास और उनके नीचे खनन कार्यों पर प्रतिबंध के प्रावधान हैं ताकि खनन प्रचालनों के कारण अस्थिरता से रेलवे को होने वाले खतरे को रोका जा सके।

(ग) रेलवे लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डी जी एम एस ने रेलवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि के नीचे और 45 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य मुख्य सलाहकार, रेलवे बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही करने की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि के नीचे उत्खनन कार्य के लिए रेलवे और खान प्रबंधन की संयुक्त जांच बैठक के बाद अनुमति प्रदान की जाती है जिसमें रेलवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि की स्थिरता पर उत्खनन के प्रभाव को विधिवत सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) डी जी एम एस ने समय-समय पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन को धनबाद पत्थरडीह रेलवे लाइन के निकट आग से खतरे के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इस मुद्दे को बी सी सी एल के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय निगम स्तरीय बैठकों के दौरान भी उठाया गया था।

तालाबों और जलाशयों का निर्माण

4390. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए जलाशयों और तालाबों के निर्माण और उनकी सुरक्षा हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश के जल संसाधनों के विकास एवं नियमन के लिए नीति दिशा-निर्देशों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण स्थानीय स्थिति के अनुसार जलाशयों की सुरक्षा सहित सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता, निष्पादन, प्रचालन एवं रख-रखाव के साथ-साथ उसकी आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की ही होती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) में शामिल बिचौलिए

4391. श्री शिवाजी माने:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) से संबंधित कार्य बिचौलियों के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जांच के दौरान कितने बिचौलिए पाए गए और सरकार द्वारा इस संबंध में गत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की गई?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) से (घ) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में बिचौलिए की कोई भूमिका अपेक्षित नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई इन्क्वाइरी नहीं की है।

[अनुवाद]

व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना

4392. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग उद्यमियों के लिए वर्तमान सामाजिक सुरक्षा विधानों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और उपदान अधिनियम का भुगतान को समझना और उनका पालन करना बहुत मुश्किल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक कर्मकार की एक बीमा कवर देने हेतु एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) श्रम कानूनों का

सरलीकरण और युक्तिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। जब सभी अधिनियमों/कानूनों के कार्यान्वयन में समस्या आती है। सरकार द्वारा उक्त अधिनियमों में सुधार/संशोधन करने हेतु उपर्युक्त कार्रवाई की गई।

दूसरी हरित क्रांति की योजना

4393. श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बढ़ती जनसंख्या की खपत के लिए परिकल्पित दूसरी हरित क्रांति की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादकता को दोगुना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में दूसरी हरित क्रांति शुरू करने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। सरकार अनाज फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

वनाश्रित लोगों की मांगें

4394. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के "वनाश्रित" लोगों की सूची को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सूची में किसी वर्ग के लोगों को शामिल करने हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए परंपरागत रूप से वनों पर आश्रित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उनकी मांगों को किस प्रकार पूरा करने और वनों का संरक्षण करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार 1,70,379 गांव ऐसे है जिनमें वनों को भूमि के रूप में उपयोग किया जाता है।

(ख) गांवों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत वनों के विकास और सुरक्षा में लोक भागीदारी की संकल्पना की गई है। वनों के भीतर और आसपास रहने वाले स्थानीय लोग पर्यावरणीय आवश्यकताओं और अपनी वनोत्पाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन मेकेनिज्म के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबन्धन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	वनों वाले गांव		
			संख्या	वन क्षेत्र (हैक्ट.)	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26,586	5,080	2,566,842	10,674,334
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,649	(1,321)	उपलब्ध नहीं	(273019)
3.	असम	24,685	2,140	219,322	1,490,401
4.	बिहार	67,513	17,044	2,502,137	11,,205,120
5.	गोवा	360	138	88,358	232,613
6.	गुजरात	18,028	4,732	1,354,765	3,178,244

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	6,759	90	7,967	127,678
8.	हिमाचल प्रदेश	16,997	5,994	991,644	1,526,347
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	(2,670)	उपलब्ध नहीं	(2,255,431)
10.	कर्नाटक	27,066	7,130	2,738,414	9,309,720
11.	केरल	1,384	317	903,599	4,482,951
12.	मध्य प्रदेश	71,526	29,294	6,715,840	19,953,453
13.	महाराष्ट्र	40,412	15,694	3,165,387	19,043,898
14.	मणिपुर	2,182	(1,850)	उपलब्ध नहीं	(715,738)
15.	मेघालय	5,484	(3,927)	उपलब्ध नहीं	(1,007,830)
16.	मिजोरम	698	(683)	उपलब्ध नहीं	(323,293)
17.	नागालैंड	1,216	669	490,554	531,285
18.	उड़ीसा	46,989	29,302	1,779,953	15,934,768
19.	पंजाब	12,428	133	30,031	144,057
20.	राजस्थान	37,889	7,144	2,109,981	6,780,697
21.	सिक्किम	447	(305)	उपलब्ध नहीं	(248,693)
22.	तमिलनाडु	15,822	1,405	1,919,961	3,113,298
23.	त्रिपुरा	855	644	567,041	1,594,837
24.	उत्तर प्रदेश	112,803	23,900	3,374,665	23,954,868
25.	पश्चिम बंगाल	37,910	8,571	614,682	8,399,279
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	504	153	35,485	118,961
27.	चण्डीगढ़	25	9	185	20,418
28.	दादरा और नागर हवेली	71	59	20,702	95,479
29.	दमन और दीव	24	6	507	27,148
30.	दिल्ली	199	5	283	13,605
31.	लक्षद्वीप	23	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	263	0	0	0
	कुल	587,274	170,379	32,198,305	146,777,463

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े भारतीय वन सर्वेक्षण का अनुमान है।

एअर इंडिया के निदेशक (वाणिज्यिक) के विरुद्ध मामला

4395. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के निदेशक (वाणिज्यिक) के विरुद्ध कालीन खरीद घोटाले में सतर्कता जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में एअर इंडिया के सतर्कता विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कतिपय अन्य जांच भी लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक जांच की अद्यतन स्थिति से संबंधित ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर एअर इंडिया को कारपेटों की सप्लाई न किए जाने के संबंध में पहले की जांच में आरोपित अनियमितताओं की छानबीन की जा रही है।

(ग) जी, हां। रिपोर्ट की मंत्रालय में छानबीन की जा रही है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने, एअर इंडिया लि. द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई अन्य दो छानबीन पर इस मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी है। इन मामलों में इस मंत्रालय की टिप्पणियों/अभिमतों को जल्दी ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाएगा।

उड़ीसा में मत्स्य ग्रहण पोताश्रय

4396. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कुछ मत्स्य ग्रहण पोताश्रय (फिशिंग हार्बर) निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानावार अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) अब तक इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) उक्त पोताश्रयों हेतु उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के भद्रक जिले के धर्मा चरण-II में एक मत्स्यन बंदरगाह निर्माणाधीन है। मत्स्यन बंदरगाह के विकास में लैंडिंग क्वे, नीलामी हाल, गीयर शेड, बैरकों, हार्ड सरफेश/पैदल क्षेत्र, रिवेटमेंट क्रेडल मरम्मत कार्यशाला, ड्रेजिंग के निर्माण, बिजली एवं जल आपूर्ति आदि की व्यवस्था है। लगभग 80 प्रतिशत संपूर्ण परियोजना कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना की 640 लाख रुपए की कुल लागत की तुलना में, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में 320 लाख रुपए की राशि राज्य को पहले ही जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार

4397. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवकों को रोजगार की गारंटी देने की योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) इस प्रकार की योजना बनाने का कोई प्रस्ताव श्रम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने में संलिप्त अधिकारी

4398. **श्री विष्णुदेव साय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की अवैध कटाई और वन भूमि के अतिक्रमण की रोकथान करने की जिम्मेदारी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर निर्धारित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो कर्तव्यों में लापरवाही बरतने हेतु राज्य-वार कितने मंडलीय वन अधिकारियों एवं वन संरक्षकों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) भारतीय वन सेवा अधिकारियों (आई.एफ.एस.) सहित वन विभाग में काम कर रहे सभी अधिकारी, भारतीय वन अधिनियम जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वनों की अवैध कटाई और वन भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रावधान भी शामिल हैं, के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही हैं।

[अनुवाद]

सैन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज का पुनर्गठन

4399. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सैन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित बोर्ड की कोई बैठक आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि के पुनर्गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की एक बैठक 28.03.2003 को आयोजित की गई।

(घ) बैठक के दौरान अनेक मुद्दे जिनमें निवेश पद्धति, कर्मचारी भविष्य निधि आवास स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि एमेनेस्टी स्कीम और कतिपय प्रशासनिक मामलों पर विचार किया गया तथा उन पर निर्णय लिए गए।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 246] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2003/फाल्गुन 26, 1924

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2003

का.आ. 295 (अ).- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-अ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दिनांक 19 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 9 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 321 (अ) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

अध्यक्ष

(क) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

1. श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष

(ख) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

2. श्रम राज्यमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य

(ग) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि।

3. सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001

4. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001

5. आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001

7. वित्तीय सलाहकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001

(घ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

8. सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, हैदराबाद-500002

9. सचिव, दिल्ली सरकार, श्रम विभाग, दिल्ली।

10. सचिव, बिहार सरकार, श्रम और नियोजन विभाग, नया सचिवालय, पटना-800015

11. सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, गांधी नगर, अहमदाबाद

12. आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़-160001

13. सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, एम.एस. बिल्डिंग, बंगलौर-560001

14. सचिव, झारखण्ड सरकार, श्रम विभाग, रांची

15. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल-462004

16. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, मुम्बई-462032

17. सचिव, उत्तरांचल सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, देहरादून (उत्तरांचल)

18. सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, रायपुर

19. आयुक्त और सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर-302001

20. सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, चैन्नै

21. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, ''बापू भवन'', लखनऊ-226001

22. सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001

(ङ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियोजकों के प्रतिनिधि

23. श्री राम तरनेजा,
भारतीय नियोजक परिसंघ

24. श्री जे.पी. चौधरी,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन

25. श्री रवि विज
पी.एच.डी. चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री

26. श्री पी. राजेन्द्रन
भारतीय उद्योग परिसंघ

27. श्री आर.के. सोमानी
एसोचेम

28. श्री वी.पी. चोपड़ा
एफ ए एस आई आई

29. श्री वीरेन्द्र उप्पल
अप्पारेल निर्यात संवर्धन परिषद

30. श्री सुबीर राहा
अध्यक्ष, स्कोप

31. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

32. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

(च) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि

33. श्री हंस मुख भाई दवे,
भारतीय मजदूर संघ

34. श्री ए. वेंकटराम
भारतीय मजदूर संघ

35. श्री बी.एन. राय,
भारतीय मजदूर संघ

36. श्री जी. संजीवा रेड्डी
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

37. श्री अशोक सिंह,
इंटक

38. श्री निर्मल घोष,
इंटक

39. श्री एम.डी. नागपाल,
हिन्द मजदूर सभा

40. श्री शंकर साहा,
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एल.एस.)

41. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

42. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

(छ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) के अंतर्गत नियुक्त

43. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-पदेन सदस्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
मुख्यालय भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

[फा. संख्या वी-20012/2001-एसएस-2)
डी.एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी का पुनर्गठन

4400. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री कमलनाथ:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विमानन सुरक्षा की समीक्षा कर रही है और ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी को और प्रभावी बनाने हेतु इसका पुनर्गठन करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ महीनों के दौरान विमानन क्षेत्र का खतरा बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा प्रणाली के पुनर्गठन से सुरक्षा कवच को तोड़ने की किस सीमा तक रोकने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लगातार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनः संरचना के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा प्रस्ताव अभी आरंभिक अवस्था में है।

(ग) से (ङ) देश की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां धमकी की संभावनाओं पर लगातार नजर रखती है तथा विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

पुनः संरचना का उद्देश्य निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षा प्रबंधों का सर्वेक्षण करना है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा करार को समाप्त करना

4401. श्री कमलनाथ:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कई सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघों के साथ किए गए करारों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) दुग्ध परिसंघों के साथ करार को समाप्त किए जाने के कारण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) दुग्ध परिसंघों पर एनडीडीबी की कितनी धनराशि बकाया है और उक्त बकाया धनराशि को वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राज्य दुग्ध विपणन परिसंघों ने आपरेशन फ्लड तथा उसके बाद दृष्टिकोण 2010 के तहत वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय डेयरी

विकास बोर्ड के साथ ऋण तथा अनुदान करार किए हैं। अब तक किसी भी राज्य द्वारा दुग्ध विपणन परिसंघ के साथ ऐसा कोई करार निरस्त नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य दुग्ध विपणन परिसंघों से ऋण वसूली ऋण तथा अनुदान करार में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार की जा रही है।

नदियों को जोड़ना

4402. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में गठित कृतक बल ने आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. एवं आई.एफ.सी.आई. और अवसंरचना बांडों के माध्यम से भी संसाधन जुटाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बड़ी परियोजना का अनुमानित परिव्यय वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 25% और विदेशी मुद्रा भंडार का दोगुना होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुशल श्रमिकों का प्रतिशत

4403. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कुशल श्रमिकों के प्रतिशत की तुलना में फ्रांस, जर्मनी, अमरीका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कुशल श्रमिकों का प्रतिशत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो भारत सहित उक्त देशों में से प्रत्येक देश में उपलब्ध समस्त कामकाजी वर्ग में कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कुशल श्रमिकों की संख्या (प्रतिशत) में वृद्धि करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) एवं (ख) भारत सहित चुनिंदा विकसित एवं विकासशील देशों के श्रम बल में युवाओं के मध्य व्यासायिक रूप से प्रशिक्षित कामगारों का अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दसवीं योजना में रोजगार नीति ने रोजगार वृद्धि एवं रोजगार के गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। निर्धनों को रोजगार अवसरों तक पहुंचने योग्य बनाने तथा कौशलों की मांग एवं उपलब्धता के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु कौशल विकास पर बल दिया जाएगा।

विवरण

*श्रम बल में युवाओं के मध्य व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षितों का अनुपात-अंतर्राष्ट्रीय तुलना**

देश	आयु वर्ग	व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित (श्रम बल में सम्मिलितों का प्रतिशत)
1	2	3
भारत (1999-2000)	20-24	5.35**
विकासशील देश		
बोट्सवाना	20-24	22.42
कोलंबिया (1998)	20-29	28.06
मारीशस (1995)	20-24	36.08
मेक्सिको (1998)	20-24	27.58
विकसित देश		
आस्ट्रेलिया (1998)	20-24	64.11
कनाडा (1998)	20-24	78.11
फ्रांस (1997)	20-24	68.57
जर्मनी (1998)	20-24	75.33
इजरायल (1998)	18-24	81.23
इटली (1997)	20-24	43.88
जापान (1997)	15-24	80.39
कोरिया गणराज्य (1998)	20-24	95.86

1	2	3
न्यूजीलैण्ड (1997)	20-24	63.03
रूसी परिसंघ (1998)	20-24	86.89
सिंगापुर (1998)	20-24	66.24
यूनाइटेड किंगडम (1998)	20-24	68.46

टिप्पणी: यहां व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वे व्यक्ति जिनके पास आईएससीईडी स्पष्टीकरणों के अनुरूप स्तर 3 या 5 की शैक्षिक अर्हता हो, जोकि जनसंख्या का वर्गीकरण 10वीं कक्षा से अधिक तथा समस्तर अथवा 10वीं कक्षा से आरंभ होने वाली शिक्षा के रूप में करता है अर्थात् किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा जोकि स्तर 7 के रूप में शिक्षा का उच्चतम स्तर है, नहीं है। स्तर 4 तथा 8 का प्रयोग नहीं किया गया है। शैक्षिक का स्तर 3 : सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जारी है, परन्तु इस स्तर पर पृथक रूप से विषय प्रस्तुतीकरण एवं अधिक विशेषज्ञता पाई जाती है। स्तर 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से विशेष व्यावसायिक महत्व वाले शिक्षुता कार्यक्रम आते हैं जिनमें प्रवेश हेतु शिक्षा के संपूर्ण 8 वर्ष या स्तर से संबंधित विषयवस्तु को संव्यवहार में लाने की योग्यता को प्रदर्शित करने वाली बुनियादी शिक्षा एवं व्यावसायिक अनुभव का संयोजन आवश्यक है। शिक्षा का स्तर 5; इस प्रकार के कार्यक्रम सामान्यतया पूर्वाभिमुखीकरण में "व्यावहारिक" होते हैं चूंकि वे विद्यार्थियों को विशेष व्यावसायिक क्षेत्रों हेतु तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि वे उच्च स्तरीय तकनीशियनों, अध्यापकों, नर्सों, उत्पादन पर्यवेक्षकों इत्यादि के रूप में योग्य बन सकें। तथापि, यह ध्यातव्य है कि विकासशील देशों में आर्थिक रूप से उत्पादक कौशल न केवल प्रशिक्षण/शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अपितु परिवार के माध्यम से भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊपर केवल औपचारिक संस्थान/स्कूलों में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षितों को ही दर्शाया गया है।

*इस तालिका में केवल औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रशिक्षितों के रूप में दर्शाया गया है। परिवार से प्राप्त प्रशिक्षण सहित भारत में अनौपचारिक सिद्धांतों से जिस सीमा तक प्रशिक्षण एवं कौशल प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें भारतीय आंकड़ों से समझा जा सकता है।

**अनुमान, रोजगार एवं बेरोजगारी पर सर्वेक्षण [(राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर (1999-2000) के परिणामों पर रिपोर्ट संख्या 458] पर आधारित हैं।

चंबल बेसिन परियोजना

4404. **श्री कांतिलाल भूरिया:**
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल बेसिन में सुधार करने संबंधी कोई मसौदा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्तावित परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) "चम्बल बेसिन में तंगघाटी सुधार हेतु एक जेंडर अवेयर पनधारा दृष्टिकोण" की परियोजना की रूपरेखा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई थी जिसमें विश्व बैंक से सहायता की मांग की गई थी।

(ख) कृषि मंत्रालय ने प्रस्ताव पर जांच कार्य पूरा कर लिया है। परियोजना को विश्व बैंक को उनके विचारार्थ भेजने से पूर्व इस पर योजना आयोग एवं आर्थिक मामलों का विभाग से सहमति अपेक्षित है।

[अनुवाद]

पंजाब को विमान सेवा से जोड़ना

4405. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में पंजाब के लुधियाना, जालंधर एवं पटियाला जैसे प्रमुख शहरों को विमान सेवा से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने, उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए हवाई यातायात को बेहतर रूप से नियमित करने के लिए मार्ग निर्धारक दिशा-निर्देश बनाए हैं। यह एयरलाइन्स पर निर्भर करता है कि वह यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विशेष स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें।

[हिन्दी]

डोलामाईट खानों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना

4406. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में बिलासपुर के निकट धोबियाभाटा की डोलामाईट खान प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खानों के मालिकों ने श्रमिक संघों के साथ किए गए समझौतों का भी कार्यान्वयन नहीं किया है; और

(ग) मजदूरी एवं सेवा शर्तों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में बिलासपुर के निकट धोबियाभाटा की डोलामाईट खान के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय उत्तर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

सरकारी विमान सेवाओं का कार्यनिष्पादन

4407. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और पवन हंस के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी कृतिक बल की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) वर्तमान कार्यविधि के तहत मंत्रालय द्वारा एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा इन समीक्षाओं के आधार पर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि में मशीनी शक्ति की भूमिका

4408. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु शक्ति के घटते उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र में मशीनी शक्ति की भूमिका बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो कृषि में मशीनी शक्ति के साथ-साथ पशु शक्ति का कितना उपयोग किया जाता है; और

(ग) मशीनी शक्ति के अधिकतम उपयोग करने में किसानों को सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2001-2002 में कुल अनुमानित 1.231 कि. वाट प्रति हैक्टेयर में से यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा के स्रोत के 83.62% की तुलना में पशु शक्ति 9.89 प्रतिशत थी।

(ग) यांत्रिक ऊर्जा के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा प्रभावी और अनुकूल उपकरण तैयार किए गए हैं। ये उपकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिये प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सरकार के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान किसानों समेत विभिन्न लाभभोगियों के लिए मशीनी शक्ति के उचित तथा अधिकतम उपयोग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियां

4409. श्री अनन्त नायक:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) उक्त योजना में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार राज्यों में कितना कार्यनिष्पादित किया गया है; और

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में उड़ीसा सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के

तहत राज्य-वार बजट का आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को निधियों का संवितरण वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार 50:50 व्यय के आधार पर किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में इस स्कीम के तहत निष्पादित कमान क्षेत्र विकास गतिविधियों के मुख्य कार्यों की वर्ष-वार प्रगति संलग्न विवरण II (क) से (घ) में दी गई है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास गतिविधियों पर किए गए व्यय की तुलना में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा सरकार और अन्य राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

विवरण I

नौवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना के लिए कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3839.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	10.00	3.75	34.75	48.50
3.	असम	124.00	0.00	0.00	33.45	35.00	192.45
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5.	छत्तीसगढ़*	0.00	0.00	0.00	0.00	46.32	46.32
6.	गोवा	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
7.	गुजरात	97.11	324.19	650.00	18.67	0.00	1089.97
8.	हरियाणा	1118.85	1295.63	841.74	503.02	2321.79	6081.03
9.	हिमाचल प्रदेश	73.07	52.90	15.81	68.17	155.95	365.90
10.	जम्मू एवं कश्मीर	189.90	233.99	248.99	165.19	171.22	1009.29
11.	झारखंड*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	437.87	668.00	885.37	1863.73	3423.84	7278.81
13.	केरल	200.00	806.04	788.11	745.62	507.94	3047.71
14.	मध्य प्रदेश	6.25	245.99	167.20	123.41	15.86	558.71
15.	महाराष्ट्र	298.30	1719.15	660.60	461.14	744.72	3883.91
16.	मणिपुर	86.91	132.33	128.05	113.09	0.00	460.38

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	18.40
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	5.00	6.88	11.88
19.	नागालैंड	0.00	6.43	15.00	0.00	133.16	154.59
20.	उड़ीसा	231.47	774.40	365.28	1035.92	504.76	2911.83
21.	पंजाब	0.00	500.00	3352.06	2133.49	0.00	5985.55
22.	राजस्थान	2226.65	3834.87	2700.00	1592.19	2654.66	13008.37
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50
24.	तमिलनाडु	552.46	2507.27	2336.74	1677.38	1336.14	8409.99
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3057.83	3959.24	2804.92	3247.32	2274.19	15343.50
27.	उत्तरांचल*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	90.00	275.00	306.73	424.77	0.00	1096.50
	कुल	12650.24	17335.43	16295.00	14215.31	14672.68	75168.66

*नए सृजित व्यय

विवरण II (क)

नौवीं योजना के दौरान खेत चैनलों के निर्माण की राज्य-वार प्रगति

यूनिट (000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना के लिए कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.15	3.34	5.54	2.07	2.53	15.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.09	0.08	0.85	1.02
3.	असम	0.44	0.83	0.00	0.05	0.63	1.95
4.	बिहार	0.00	0.54	0.47	3.81	10.02	14.84
5.	छत्तीसगढ़*	—	—	—	0.00	1.47	1.47
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
7.	हरियाणा	7.24	20.60	5.73	2.85	1.49	37.91
8.	हिमाचल प्रदेश	28.21	23.65	25.11	18.03	21.71	116.71

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	गोवा	1.41	0.00	0.30	1.64	1.64	4.99
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6.97	5.39	3.36	3.47	3.26	22.45
11.	झारखंड*	—	—	—	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	11.03	10.35	13.04	28.90	9.89	73.21
13.	केरल	7.89	7.12	2.59	2.86	0.00	20.46
14.	मध्य प्रदेश	4.23	10.86	10.84	4.95	4.51	35.39
15.	महाराष्ट्र	25.23	27.67	22.63	28.36	6.89	110.78
16.	मणिपुर	3.33	4.48	2.87	2.08	1.08	13.84
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.13
18.	मिजोरम	—	—	—	0.00	0.12	0.12
19.	नागालैंड	0.00	0.05	0.16	0.03	1.72	1.96
20.	उड़ीसा	7.00	12.89	9.11	9.51	11.43	49.95
21.	पंजाब	0.00	0.00	40.37	67.03	115.31	222.71
22.	राजस्थान	54.25	65.95	49.09	40.82	41.62	251.73
23.	सिक्किम	—	—	—	0.00	0.09	0.09
24.	तमिलनाडु	46.61	53.82	53.89	25.08	41.86	221.26
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल*	—	—	—	—	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	112.20	71.54	115.49	134.64	127.18	561.05
28.	पश्चिम बंगाल	0.82	3.36	4.57	6.56	7.02	22.33
	कुल	319.01	342.44	365.25	382.85	412.44	1821.99

*नए सृजित राज्य

विवरण II (ख)

नौवीं योजना के दौरान खेत जल निकासों के निर्माण की राज्य-वार प्रगति

यूनिट (000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना के लिए कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0.00	0.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.15	0.03	0.55	0.729

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0.52	0	0.00	0.00	0.25	0.77
4.	बिहार	0	0	0.00	0.00	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़*	—	—	—	0.00	0.00	0
6.	गुजरात	0	0	0.00	0.00	0.00	0
7.	हरियाणा	0	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00	0.00	0
9.	गोवा	0.43	0	0.15	0.45	0.71	1.74
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2.27	2.45	0.96	0.46	0.51	6.65
11.	झारखंड*	—	—	—	0.00	0.00	0
12.	कर्नाटक	0.25	2.82	3.04	3.38	0.72	10.212
13.	केरल	16.37	32.54	21.23	18.46	0.00	88.6
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0.00	0.00	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	0	13.27	22.63	28.36	35.83	100.093
16.	मणिपुर	0.07	0.08	0.57	0.44	0.25	1.41
17.	मेघालय	0	0	0.00	0.00	0.00	0
18.	मिजोरम	—	—	—	0.00	0.09	0.09
19.	नागालैंड	0	0.06	0.12	0.05	1.77	2
20.	उड़ीसा	5.06	3.96	1.75	2.98	4.50	18.25
21.	पंजाब	0	0	0.00	0.00	0.00	0
22.	राजस्थान	2.78	9.76	1.81	1.93	2.48	18.7608
23.	सिक्किम	—	—	—	0.00	0.07	0.07
24.	तमिलनाडु	0	0	0.00	0.19	0.0	0.19
25.	त्रिपुरा	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल*	—	—	—	—	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	453.71 किमी	0	13.14	58.40	30.17	101.71 +453.71 किमी
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	27.75 +453.71 किमी	64.96	65.55	115.14	77.90	351.295 +453.71 किमी

*नए सृजित राज्य

विवरण II (ग)

नौवीं योजना के दौरान वाराबंदी की राज्य-वार प्रगति

यूनिट (000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना के लिए कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4.8	10.24	6.18	12.62	8.89	42.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0.86	0	0	0	0.63	1.49
4.	बिहार	0	0	0	0	3.03	3.03
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	0	0	0.628	0.628
6.	गुजरात	0	1.44	1.5	0	0	2.94
7.	हरियाणा	5.87	8.38	3.336	0	0	17.586
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
9.	गोवा	2.38	0	0.25	1.645	1.92	6.195
10.	जम्मू एवं कश्मीर	45.64	90.69	22.08	31.102	1.4	190.912
11.	झारखंड*	—	—	—	0	0	0
12.	कर्नाटक	16.29	8.2	8.428	6.88	1.01	40.808
13.	केरल	9.11	20.28	5.743	1.68	0	36.813
14.	मध्य प्रदेश	0.17	1.18	0	0	0	1.35
15.	महाराष्ट्र	21.24	8.69	0.248	0	0	30.178
16.	मणिपुर	0.57	0.16	1.05	0	0.55	2.33
17.	मेघालय	0	0	0	2.8	0	2.8
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0.02	0.02
19.	नागालैंड	0	0	0.16	0.26	1.74	2.16
20.	उड़ीसा	15	13.4	6.83	1.857	5.968	43.055
21.	पंजाब	0	0	0	8.33	0	8.33
22.	राजस्थान	54.25	0	0	0	0	54.25
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0.08	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	75.91	81.82	75.656	56.524	100.42	390.33
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तरांचल*					0	0
27.	उत्तर प्रदेश	176.26	89.29	121.58	136.727	135.6	659.457
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0.18	0.18
	कुल	428.35	333.77	253.041	260.425	262.066	1537.65

*नए सृजित राज्य

विवरण II (घ)

नौवीं योजना के दौरान भूमि समतलन और उनको आकार देने की राज्य-वार प्रगति

यूनिट (000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना के लिए कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3.89	4.3	5	0	0	13.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.05	0	0.05
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	0.01	0.04	0.004	0	0	0.054
7.	हरियाणा	0.03	0	0	0	0	0.03
8.	हिमाचल प्रदेश	0.47	0	0	0	0	0.47
9.	गोवा	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2.27	1.26	0.25	0.17	0.41	4.365
11.	झारखंड*	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	5.41	15.432	11.568	10.73	43.14
13.	केरल	0.23	0.12	0.082	0.112	0	0.544
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0.35	0.15	0	0	0	0.5
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0.13	0.13
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3.98	11.28	1.807	1.934	2.27	21.271
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तरांचल*	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0.023	0.023
	कुल	11.23	22.56	22.58	13.834	13.563	83.767

*नए सृजित राज्य

[हिन्दी]

झारखंड में अवैध उत्खनन

4410. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड राज्य में बोकारो जिले के अंतर्गत गोविन्दपुर में वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध उत्खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त मामले में कोई जांच की है अन्यथा इस मामले को झारखंड सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां। राज्य वन विभाग, झारखंड ने झारखंड राज्य के बोकारो जिले में 123.45 है. से अधिक वन भूमि पर अवैध उत्खनन के बारे में सूचना दी है।

(ख) और (ग) राज्य वन विभाग और सेन्ट्रल कोल फील्ड लि. द्वारा संयुक्त रूप से प्लाट-वार और गांव-वार सर्वेक्षण किया जा चुका है। वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार सेंट्रल कोल फील्ड लि. के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं तथा उत्खनन गतिविधि को रोक दी गई है।

[अनुवाद]

विश्व जल मंच (वर्ल्ड वाटर फोरम) की बैठक

4411. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विश्व जल मंच (वर्ल्ड वाटर फोरम) की तीसरी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल अथवा गैर-सरकारी संगठन ने बैठक में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो बैठक के दौरान दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान में भविष्य में सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेषकर विकासशील देशों में विश्व जल अवसंरचना के नवीकरण, विस्तार और उन्नयन की बहुत आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नौवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और दसवीं योजना हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) जापान के क्योतो, ओसाका और शिगा में 16 से 23 मार्च, 2003 तक आयोजित तृतीय विश्वजल मंच की बैठक में 167 देशों के प्रतिनिधियों तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, अंतर्सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षा जगत, व्यवसाय और उद्योग, युवा संगठनों और मीडिया आउटलेट्स इत्यादि के प्रतिभागियों ने भाग लिया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन चरण सेठी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

(ग) सम्मेलन के दौरान मंत्री स्तरीय दो घोषणाओं को अपनाया गया था। "जल, खाद्यान्न और कृषि" संबंधी सिफारिशों को शिगा, जापान में 21 मार्च, 2003 को आयोजित सिंचाई मंत्रियों की एक बैठक में अपनाया गया। क्योतो में दिनांक 22-23 मार्च, 2003 के दौरान आयोजित विचार-विमर्श में जल संसाधन प्रभारी मंत्रियों ने पांच प्रमुख विषयों अर्थात् स्वच्छ पेय जल और सफाई, खाद्यान्न और ग्रामीण विकास के लिए जल, जल प्रदूषण निवारण और परिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण, आपदा शमन और खतरा प्रबंधन तथा जल संसाधन प्रबंधन एवं लाभों के बंटवारे के विषय में चर्चा की। सम्मेलन के दौरान अपनाई गई मंत्री स्तरीय घोषणाओं को क्रमशः संलग्न विवरण I और II पर दिया गया है।

(घ) 21 मार्च, 2003 को शिगा, जापान में आयोजित सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में सिंचाई स्कीमों का प्रचालन, रख-रखाव और पुनर्वास करते हुए स्थाई ढंग से जल संसाधनों के विकास के लिए प्रयास करने की सिफारिश की गई। क्योतो, जापान में 23 मार्च, 2003 को आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन, मौजूदा जल सुविधाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण जल संचयन, जल बचाने वाली/सूखा रोधी प्रकार की फसलों, जल भंडारण और कृषि संबंधी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के प्रसार सहित मांग आधारित प्रबन्धन की व्यवस्था की सिफारिश की गई।

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित प्रयासों के माध्यम से वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 99.76 मिलियन हेक्टेयर (अनन्तिम) की सिंचाई क्षमता के सृजन की आशा है। इन परियोजनाओं में 177 बिलियन घन मीटर वर्षा जल के भंडारण की व्यवस्था है। निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से 207.7 बिलियन घनमीटर के और भंडारण के सृजन की संभावना है। देश के जल संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए टैंकों और तालाबों का भी निर्माण किया गया है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों की कमी से निपटने संबंधी स्कीमों सहित जल संसाधन स्कीमों की तैयारी, आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने और निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन को तीव्र करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। वर्ष 1996-97 से वर्ष 2001-2002 (नौवीं पंचवर्षीय योजना) की अवधि के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 8480.0288 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है तथा विभिन्न राज्यों में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 2002-2003 अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3061.7026 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है जिसके तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। इन स्कीमों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 150 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है जिसमें जल की

अधिकता वाले बेसिनों/क्षेत्रों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में हस्तांतरित करके नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकन परियोजना चल रही थी तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (फेज-2) को भी नौवीं योजना के दौरान शुरू किया गया है। चुनिंदा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से और के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना को भी जापान बैंक फार इण्टरनेशनल कोआपरेशन की सहायता से दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है।

सिंचित क्षेत्र को जल जमावग्रस्त और लवणीकृत सिंचाई भूमियों के सुधार सहित सिंचाई और जल निकास प्रणाली के समय पर नवीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी मध्यावधि समीक्षा में यह मत व्यक्त किया है कि इन विकल्पों पर विशेष रूप से वर्तमान संसाधन बाधाओं के संबंध में विचार किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अवधि की तथा 25 वर्ष पूर्व की गई वृहद और मध्यम परियोजनाओं में से लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के नवीकरण/उन्नयन/पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान क्रमशः 502 और 490 परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। [वृहद और मध्यम, विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं सहित]।

विवरण I

मंत्री स्तरीय सिफारिश

ओत्सू, शिगा प्रीफेक्चर, जापान, 21 मार्च, 2003 में आयोजित तीसरे विश्व जल मंच पर खाद्यान्न और कृषि के लिए जल के संबंध में मंत्री स्तरीय बैठक द्वारा अपनाई गई

हम सभी मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो कृषि वानिकी और मत्स्यन मंत्रालय, जापान और संयुक्त राष्ट्र के खाद्यान्न और कृषि संगठन, के निमंत्रण पर 21 मार्च, 2003 को ओत्सू, शिगा प्रीफेक्चर, जापान में खाद्यान्न और कृषि के लिए जल संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक में एकत्रित हुए हैं, खाद्यान्न और कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार हैं।

हम विश्व खाद्यान्न सम्मेलन, रोम प्रथम विश्व जल मंच, मोरक्को की घोषणा और दूसरे विश्व जल मंच, हेग की मंत्री स्तरीय घोषणा और जोहान्सबर्ग में जल के निरंतर विकास संबंधी विश्व सम्मेलन में अपनाई गई सिफारिशों के क्रियान्वयन का समर्थन करते हैं।

हम समर्थन करते हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से फैले कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जल आवश्यक है।

तीन चुनौतियां

(खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन)

1. खाद्य, गरीबी उन्मूलन के लिए बढ़ती और परिवर्तनशील मांग को पूरा करने और आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए कृषि के लिए जल के विकास प्रबंधन में सुधार करना।

(जल का स्थायी उपयोग)

2. उपलब्ध जल संसाधनों से जल के उपयोग और विकास में संतुलन रखना, पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण एवं स्थिरता के साथ जल प्रबंधन को जोड़ते हुए, एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से जल उपयोग की स्थायी पद्धतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जल गुणवत्ता को सुरक्षित रखना, तथा भूमि और जल प्रणालियों, जिस पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है, की व्यवस्था को कायम रखना।

(भागीदारी)

3. कृषि जल उपयोग के सभी पहलुओं पर सभी दावाधारकों के सहयोग और भागीदारी में वृद्धि करना, विकास और प्रबंधन, जल संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना, वर्षा पोषित और सिंचित कृषि प्रणालियों के उत्पादन में सुधार करना तथा लाभ और खतरों की समान भागीदारी।

मूल आवश्यकता

4. हम स्मरण करते हैं कि बीसवीं शताब्दी के अर्द्ध भाग में कृषि जल विकास में महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी निवेश के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में आवश्यक वृद्धि हुई है तथा खाद्य सुरक्षा के अंतर में कमी आई है जिसके कारण गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिली है।

5. हम मानते हैं कि कृषि उत्पादन और इसके लिए जल का उपयोग कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होते हैं जिसके कारण विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों और कृषि आर्थिकी का विकास हुआ है।

6. हम मानते हैं कि कृषि जल न केवल खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी सेवाओं को भी विस्तृत रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं और शिशुओं के आर्थिक और सामाजिक लाभों में सुधार लाने का एक माध्यम है। कृषि जल की इन बहुमूल्य भूमिकाओं और मूल्यों का आकलन किया जाना चाहिए तथा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।

7. हम मानते हैं कि शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए जल आपूर्ति, औद्योगिक, जल विद्युत सृजन, नौवहन, मनोरंजन, पर्यटन और मत्स्य पालन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण सहित अन्य विभिन्न उपयोगों को ध्यान में रखते हुए कृषि जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन की जरूरत है।

8. हम जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कृषि जल की मांग और इसका उपयोग में पुनर्भरणीय संसाधन के दीर्घावधि दरों से अधिक है और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए नवीनतम उपायों और उपयुक्त कार्रवाई करते समय वैकल्पिक जल संसाधनों के विकास की आवश्यकता हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में, जल संसाधन उपलब्धता की संभावना है अथवा इसके विकास में वृद्धि करने की जरूरत है।

9. हम इस बात पर बल देते हैं कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थायी उत्पादकता प्राप्त करने और जल संसाधनों के स्थायी विकास और एकीकृत प्रबंधन के लिए नए अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से वित्तपोषण संबंधी सभी स्रोतों को बढ़ावा देने और जल से संबंधित अवसंरचना, अनुसंधान और विकास के निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

सुनिश्चित कार्रवाई योजना

10. सिंचाई स्कीमों के प्रचालन, अनुरक्षण और पुनर्वास में सुधार करते समय हम स्थाई तौर पर जल संसाधनों के विकास के निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

11. हम कृषि जल उपयोग के लिए आपूर्ति पर जोर दिए जाने के बजाए मांग आधारित कृषि जल प्रबंधन के उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण और सुधार के लिए अपने संकल्प और वचनबद्धता को दोहराते हैं।

12. हम सहभागिता दृष्टिकोणों, उपयुक्त विनियमों और लागत वसूली तंत्रों, अनुसंधान निष्कर्षों का विकास और प्रसार, क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधारों, जो स्थानीय जलवायवीय, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो, के द्वारा मूल रूप से कृषि जल उत्पादकता को बढ़ाने का संकल्प करते हैं।

13. हम गैर कृषीय जल उपयोग सहित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के द्वारा कृषि जल उपयोग के उपयुक्त नियंत्रण को बढ़ावा देंगे। यह प्रक्रिया कुशल और उचित होनी चाहिए। इसमें स्थानीय जल संसाधन व्यवस्थाओं में महिला और ग्रामीण सहित, सभी उपयोगकर्त्ता दलों का सक्रिय सहयोग शामिल होगा।

14. हम कृषि जल उफयोग के संबध में पर्यावरणीय पहलुओं पर उचित ध्यान देंगे, और जल के स्थायी उपयोग के लिए उत्तरोत्तर और नये दृष्टिकोणों के द्वारा फलदायी पारिस्थतिकी प्रणालियों को बनाए रखने का अनुरोध करेंगे। इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक महत्वपूर्ण साधन होगा।

15. हम कृषि के लिए उन्नत फसलों तथा जल के नए और गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करके, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन और उपलब्धता का सुधार करने के लिए परंपरागत ज्ञान सहित अनुसंधान और विकास शुरू करेंगे।

16. हम वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा ज्ञान और कृषि जल विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र के शामिल किए जाने को बढ़ावा देकर के विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास जारी रखेंगे।

विवरण II

तीसरा विश्व जल मंच

मंत्रीस्तरीय घोषणा

–बीवा और योदो नदी बेसिन से संदेश–

23 मार्च, 2003

हम, मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, तीसरे विश्व जल मंच के अवसर पर 22-23 मार्च, 2003 को क्योटो, जापान में एकत्र हुए है। विकास के वित्तपोषण संबंधी मोन्टेरे सम्मेलन के परिणामों के निष्कर्ष, स्थाई विकास संबंधी विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू एस एस डी), जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य कृषि और जैव विवधिता

(विहैब) के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की पहल तथा जल से संबंधित अन्य घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास उद्देश्यों (एमडीजीएस) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के वास्ते हम अपने साझे संकल्प को निश्चयपूर्वक दोहराते हैं।

तीसरे विश्व जल मंच विषयक और क्षेत्रीय विवरणों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

(सामान्य नीति)

1. जल पर्यावरणीय व्यवस्था सहित स्थाई विकास के लिए एक संचालन शक्ति है और गरीबी तथा भुखमरी के उन्मूलन, मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अनिवार्य है। जल संबंधी मुद्दों का प्राथमिकीकरण एक तात्कालिक वैश्विक आवश्यकता है। इस पर कार्य करना हर एक देश का मुख्य उत्तरदायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को इसका समर्थन करना चाहिए। गरीब तथा निरीह लोगों के संबंध में उचित ध्यान देते हुए सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों तथा समुदायों को अधिकार दिलाए जाने को बढ़ावा देना चाहिए।

2. जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर अब तक शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए और उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि अच्छे नियंत्रण, क्षमता निर्माण और वित्तपोषण हमारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, हम एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देंगे।

3. जल के प्रबंधन में, जल संबंधी नीतियों में गरीबों और निरीह लोगों से परिप्रेक्ष्यों पर उचित ध्यान देते हुए लोगों का उपयुक्त बंटवारा करके घरेलू और पड़ोसी समुदाय आधारित दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान देते हुए हमें अच्छा शासन सुनिश्चित करना चाहिए। हम सभी दावाधारकों की भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए और सभी कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

4. हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलने वाली तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता से व्यक्तियों और संस्थानों की क्षमता को दीर्घकालीन रूप से सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन के मापन और निगरानी, नए दृष्टिकोणों, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, सूचना, ज्ञान और स्थानीय स्थितियों से संबंधित अनुभवों की साझेदारी के संबंध में उनकी क्षमता भी शामिल होनी चाहिए।

5. वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना हम सभी का कार्य है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो कि निवेश सुविधा में सहायक हो। हमें जल संबंधी मामलों के संबंध में प्राथमिकताओं का पता लगाना चाहिए और गरीबी घटाने संबंधी कार्यनीति दस्तावेजों सहित अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं और स्थाई विकास संबंधी कार्यनीतियों में उन पर उचित ध्यान देना चाहिए। निधियां एकत्र करने के लिए हमें स्थानीय जलवायवीय, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों के उपयुक्त लागत वसूली दृष्टिकोणों और "प्रदूषक पर अर्थदण्ड" के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और ऐसा करने में गरीबों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त के सभी स्रोतों, सार्वजनिक और निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को सक्रिय करके सर्वाधिक कुशल और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। हम जल अवसंरचना वित्त पोषण संबंधी विश्व पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं।

6. हमें अपनी राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित वित्तीय व्यवस्थाओं के सभी विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। गरीबों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर देने सहित सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सार्वजनिक नियंत्रण और विधिक फ्रेमवर्क सुनिश्चित करते समय हम इसमें शामिल विभिन्न कारकों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के नए तंत्र की पहचान करेंगे और उसे विकसित करेंगे।

7. चूंकि जल की स्थिति क्षेत्र-दर-क्षेत्र आधार पर भिन्न-भिन्न होती है अत: हम अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (एनईपीएडी) में सुविधा के लिए अफ्रीकन मिनीस्टीरियल कान्फ्रेंस आन वाटर (ए एम सी ओ डब्ल्यू) के दृष्टिकोण तथा मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (एस आई सी ए) तथा अल्प विकसित देशों (एल डी सी एस) के पक्ष में कार्रवाई के कार्यक्रम का कार्यान्वयन जैसे स्थापित क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करेंगे। छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों में जल संसाधनों के अद्वितीय अस्थिर स्वरूप के महत्व को स्वीकार करते हुए हम छोटे द्वीप वाले देशों में जल और जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए कैरिबियन पैसिफिक संयुक्त कार्यक्रम जैसे विशिष्ट सहयोग कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं।

8. हम विभिन्न देशों के द्वारा जहां कहीं उपयुक्त हो संबंधित राष्ट्रीय सूचकों के विकास सहित स्थानीय, बेसिन और राष्ट्रीय स्तरों पर निगरानी और आकलन प्रणालियों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता को दोहराते हैं। अन्य बातों

के साथ-साथ हम सतत विकास आयोग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र से अग्रणी भूमिका निभाने तथा पारदर्शी और सहयोगी ढंग से कार्य करने के लिए जल क्षेत्र में सक्रिय अन्य संगठनों से सहयोग करने का आह्वान करते हैं। हम जल से संबंधित क्षेत्रों में सहायता क्रियाकलापों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवधिक रूप से सूचित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा अन्य संगठनों की स्वेच्छा का स्वागत करते हैं। जल संबंधी मुद्दों से संबंधित प्रगति का पता लगाने के तरीकों को मौजूदा सुविधाओं के आधार पर और विभिन्न देशों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों सहित संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और अन्य दावाधारकों से प्राप्त सूचना पर भरोसा करके उपयोगी ढंग से खोजा जा सकता है।

9. हम जल संबंधी कार्रवाईयों के पोर्टफोलियो के अनुसरण के लिए वेबसाइटों के एक-एक नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह सूचना की भागीदारी और सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जल से संबंधित मुद्दों पर आयोजना बनाई गई और की गई कार्रवाईयों का प्रचार करेगा।

(जल संसाधनों का प्रबंधन और लाभ भागीदारी)

10. चूंकि हमारा उद्देश्य वर्ष 2005 तक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल कुशलता योजनाओं विकसित करने का है अत: हम साधनों और बाद में आवश्यक सहायता मुहैया कराते हुए विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों और संक्रमण काल से गुजरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की सहायता करेंगे। इस संदर्भ में हम अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास बैंकों द्वारा सुविधा मुहैया कराने की भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक निजी दाताओं (डोनर्स) और सिविल सोसाइटी अभिकरणों सहित सभी दावाधारकों को आमंत्रित करते हैं।

11. इस बात के महत्व को स्वीकार करते हुए कि सीमा पार और/अथवा सीमावर्ती जलमार्गों पर स्थित तटवर्ती राज्यों के बीच का सहयोग स्थाई जल प्रबंधन और पारस्परिक लाभों में योगदान करता है, हम ऐसे सभी राज्यों को इस प्रकार का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

12. हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित विश्व जल चक्र के विषय में पूर्व सूचना देने और निगरानी करने और सूचना प्रणालियों को विकसित करने संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण आंकड़ों की विश्वव्यापी भागीदारी संभव हो सकेगी।

13. हम मांग पूरी करने के लागत प्रभावी तरीके के रूप में वितरण प्रणालियों से होने वाली जल हानियों को कम करने के उपायों तथा अन्य जल मांग प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देंगे।

14. हम समुद्री जल के अलवणीकरण, जल पुन:चक्रण और जल संचयन जैसी नवीन और पर्यावरणीय रूप से परिपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए गैर-पारंपरिक जल संसाधनों के विकास और प्रसार का प्रयास करेंगे।

15. हम इस बात का महत्व स्वीकार करते हैं कि जल विद्युत की भूमिका पुन: नवीकरण योग्य और स्वच्छ जल स्रोत की है तथा इसकी क्षमता का इस्तेमाल पर्यावरणीय रूप से स्थाई और सामाजिक रूप से समान रूप से किया जाना चाहिए।

(सुरक्षित पेयजल और सफाई)

16. एम डी जी एस में स्थापित किए गए लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2015 तक सुरक्षित पेयजल की सुविधा में बिना लोगों की संख्या को आधा करने और डब्ल्यू एस एस डी की कार्यान्वयन योजना में स्थापित किए गए अनुसार वर्ष 2015 तक मूल सफाई सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल आपूर्ति और सफाई के क्षेत्र में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। हम प्रत्येक देश से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने का आह्वान करते हैं। हमें सार्वजनिक और निजी वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों को जुटाने के लिए अपने सामुहिक प्रयासों को दोगुना करना होगा।

17. हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि वे जल और सफाई सेवाओं में अल्पकालिक सुधार तथा लागत प्रभावी अवसंरचनात्मक निवेशों पर उपयुक्त प्रबंधन और समयोपरि रखरखाव की दृष्टि से स्थानीय स्थितियों और प्रबंधन क्षमताओं के अनुकूल हों। ऐसा करते समय, हम गरीबों तक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को पहुंचायेंगे।

18. घरेलू स्तर पर हाथ धोने से शुरू करते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी प्रयासों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से सुरक्षित पेयजल और बुनियादी सफाई के प्रावधान के लिए दैनिक

जीवन के अनुकूल किफायती और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावहारिक उपयोगों को शुरू किए जाने के प्रयास भी सघन किए जाने चाहिए। हम स्थानीय स्वामित्व वाली नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए अध्ययन को बढ़ावा देंगे।

(खाद्य और ग्रामीण विकास के लिए जल)

19. जल खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिए जल अनिवार्य होता है। यह खाद्य उत्पादन, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थायित्व सहित कई प्रकार की भूमिकाएं निरंतर निभाता है। हम सीमित स्वच्छ जल संसाधनों और पर्यावरण पर बढ़ते दबावों से चिन्तित हैं। यह नोट किया गया है कि इस विश्व में कृषि अर्थव्यवस्थाओं के विविध विन्यास तैयार किए गए हैं, हमें अस्थायी जल प्रबंधन में कमी करने तथा कृषीय जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के हर संभव उपाय करने चाहिए।

20. प्रभावी और उचित जल उपयोग और प्रबंधन तथा आवश्यकता के आधार पर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करके, हम विकास आधारित सामुदायिक पास पड़ोस को बढ़ावा देंगे इसके परिणामस्वरूप आय सृजन क्रियाकलापों और अवसरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी।

21. हमें कृषि जल प्रबंधन के उत्तरोत्तर सुधार के लिए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, मौजूदा जल सुविधाओं के सुधार और आधुनिकीकरण, जल संचयन, जल बचत/सूखा रोधी फसल किस्मों, जल भंडारण और बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रसार सहित मांग आधारित प्रबंधन जैसे उपाय करते हुए नवीन और युक्तिपरक निवेश, अनुसंधान और विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना चाहिए।

22. अंतर्देशीय मत्स्यन खाने के लिए मुख्य स्रोत होने के कारण, नदियों में जल गुणवत्ता एवं मात्रा को बढ़ाने के लिए एवं प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं उन्हें बहाल करने जैसे सघन प्रयासों के द्वारा स्वच्छ जल मत्स्य उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(जल प्रदूषण निवारण एवं पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षण)

23. हम स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संकट को कम करने के लिए एवं आक्रामक किस्म के जीवों पर नियंत्रण सहित पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने के लिए जल प्रदूषण निवारण को बढ़ाने की आवश्यकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम परम्परागत जल ज्ञान के महत्व को स्वीकारते हैं और जल संसाधनों के अस्थायी उपयोग एवं प्रदूषण को दूर करने के लिए जल सूचना एवं बच्चों के लिए भी शिक्षा के द्वारा समस्त जल चक्र के लिए वाटर शेड पर मानवीय क्रियाकलापों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

24. अच्छी गुणवत्ता के जल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, हमें पारिस्थितिकी प्रणाली का स्थायी तौर पर बचाव एवं उपयोग करना चाहिए जो कि नदियों, नम भूमि वनों एवं मृदाओं के अनुसार जल को प्राकृतिक तौर पर ग्रहण, फिल्टर, भण्डारण एवं उसे छोड़ती है।

25. हम देशों से समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं कि जल संसाधनों की यथावश्यक सुरक्षा एवं स्थायी उपयोग तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित विधायी फ्रेमवर्क की स्थापना करें।

26. वाटरशेड एवं वनों की त्वरित कटाई के मद्देनजर, हम हरियाली को बढ़ावा, स्थायी वन प्रबन्धन एवं खराब गुणवत्ता वाली भूमि एवं नम भूमि और जैवीय विविधता का संरक्षण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा वनों की कटाई, अपसरण एवं भूमि क्षरण को रोकने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

(आपदा शमन एवं जोखिम प्रबन्धन)

27. बाढ़ों एवं सूखों के बढ़ते हुए गंभीर प्रभाव को देखते हुए यह पता चलता है कि इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें जलाशयों एवं डाईको जैसे संरचनात्मक प्रणालियों को मजबूत करना एवं अंतर्देशीय, नौवहन जलमार्ग सहित पर्यावरण और जल के विभिन्न उपयोगों के अनुरूप भूमि उपयोग विनियमन एवं दिशा निर्देश आपदा पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणालियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पद्धति जैसी गैर-संरचनात्मक प्रणालियां भी शामिल हैं।

28. हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा, सूचना ज्ञान अनुभव जहां से प्राप्त हों, के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने में सहयोग देंगे। हम दोषों में कमी लाने के लिए वैज्ञानिकों, जल प्रबन्धकों एवं संबंधित दावाधारकों के बीच सहयोग जारी रखने तथा जल प्रबन्धकों की उत्कृष्ट भविष्यवाणी पूर्वानुमान के लिए उपस्कर उपलब्ध कराने में प्रोत्साहन देंगे।

29. अंत में हम इस मंत्री स्तर के सम्मेलन एवं मंच की मेजबानी के लिए जापान सरकार एवं उनकी जनता का धन्यवाद करते हैं।

भारतीय पारम्परिक उत्पादों हेतु गुणवत्ता मानदंड

4412. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अचार और मुरब्बों जैसे भारतीय पारम्परिक उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कोडेक्स मानदंडों के अनुसार कड़े गुणवत्ता मानदंड तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) अचार और मुरब्बों जैसे भारतीय पारंपरिक उत्पादों समेत खाद्य उत्पादों हेतु गुणवत्ता मानदंड तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार ने खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कोडेक्स मानदंडों के अनुसार तैयार करने के लिए यथासंभव कदम उठाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का आधुनिकीकरण

4413. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) को अर्धनिर्मित से निर्मित उत्पाद बनाने हेतु कुछ धनराशि प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप डी एस पी पूरी तरह लाभकारी क्षेत्र का दर्जा हासिल कर लेगा;

(ङ) क्या दुर्गापुर संयंत्र को एलाय इस्पात संयंत्र (ए ओ डी) खरीदने हेतु कुछ धनराशि आबंटित की जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल के तीन इस्पात संयंत्रों नामतः दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) तथा बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल) का आधुनिकीकरण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। सेल के अन्य संयंत्रों/इकाइयों का आधुनिकीकरण करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) अर्ध परिसज्जित से परिसज्जित उत्पादों में रूपांतरित करने के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नई फिनिशिंग मिल स्थापित करने का प्रस्ताव अभी योजना चरण पर है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नकद लाभ अर्जित कर रहा है तथापि निवल लाभ अर्जित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। फिनिशिंग सुविधाओं की स्थापना होने से लाभप्रदता में और सुधार होने की संभावना है।

(ङ) और (च) मिश्र इस्पात संयंत्र में ए ओ डी स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि इस प्रकार के निवेश की व्यवहार्यता को अभी प्रमाणित किया जाना है।

[हिन्दी]

साइबेरियाई बगुलों का शिकार

4414. श्री रामदास आठवले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर घाटी के शिकारी विश्व प्रसिद्ध वुलर झील और हेगाम अभयारण्य में सैकड़ों साइबेरियाई बगुलों का शिकार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उत्प्रवासी पक्षियों के शिकार रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं। वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रापिकल फोरेस्ट रिसर्च सेंटर की वन विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा

4415. श्रीमती जयश्री बनर्जी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव जबलपुर (नीमखेड़ा), मध्य प्रदेश में स्थित ट्रापिकल फोरेस्ट रिसर्च सेंटर को वन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह घोषणा किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को "अधिमानित विश्वविद्यालय" के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका है तथा इस समय और किसी को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

बाल श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

4416. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई नई कल्याण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाल श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) श्रम मंत्रालय जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी) की योजना चला रहा है। योजना के अंतर्गत, अब तक 2.11 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए देश के 13 राज्यों के बाल श्रम की बहुलता वाले विभिन्न जिलों में इस समय 100 एन सी एल पी चल रही हैं। योजना के अंतर्गत पुनर्वास केन्द्रों/विशेष स्कूलों के माध्यम से अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्वास्थ्य जांच, वजीफा और पोषणाहार के माध्यम से कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। अब तक इन स्कूलों से लगभग 1.7 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

मंत्रालय गैर-एन सी एल पी जिलों में बाल श्रम के पुनर्वास के लिए कार्यपरक परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना भी चला रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए अब तक अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की थी जिसमें बाल श्रम संबंधी कानूनों का बड़ा प्रवर्तन, बाल श्रमिकों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उनके लाभ के लिए सेवाओं के अभिमुखीकरण और बाल श्रम की अत्यधिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं आरंभ करने पर विचार किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार दशाओं का इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमन किया जाता है। कानूनी उपायों के अलावा, सरकार ने जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को कार्य से हटाने और उनके पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए है जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन

4417. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर जल प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को प्रति हैक्टेयर कितनी अनुदान-सहायता प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किसान संघों को 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान के भुगतान करने का प्रावधान किया गया है जिसमें से किसान संघों द्वारा 50 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अंशदान दिया जाता है तथा संघ/राज्य सरकारों द्वारा 450 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को 225 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान मुहैया कराया गया है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

4418. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार, कोयला खान-वार कितनी कोयला खान-दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए और घायल हुए; और

(ग) सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कितने मामले हुए और चूककर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खान दुर्घटनाओं तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल व्यक्तियों का कम्पनी-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के मामलों की संख्या
2000	111
2001	91
2002	76

उल्लंघन कर्ताओं के संबंध में की गई कार्रवाई निम्नलिखत हैं:

	2000	2001	2002
I. खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई			
जारी कई गई चेतावनी	01	06	03
शुरू किए गए अभियोजन	99	74	19
दुस्साहस-कोई कार्रवाई नहीं	05	15	03
की गई अन्य कार्रवाई	00	02	05
II. प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई			
ड्यूटी से मुअत्तल	36	43	17
पदोन्नति से वंचित	03	01	00
पदावनत	06	05	02
स्थानांतरित	00	01	00
वेतन वृद्धि रोकी गई	14	31	14
सेवा समाप्त की गई	10	02	01
प्रबंधन द्वारा चेतावनी की गई	10	17	13
अनुशासनिक कार्रवाई	00	01	02
मृतक कोई कार्रवाई नहीं	51	29	71

(आंकड़े व्यक्तियों की संख्या से संबंधित हैं। वर्ष 2002 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।)

विवरण

पिछले तीन वर्षों में दुर्घटनाओं और इनसे प्रभावित व्यक्तियों का कंपनी-वार ब्यौरा

कोलियरी का नाम	घातक						दुर्घटना ब्यौरा	गंभीर रूप से घायल				
	2000		2001		2002		2000		2001		2002	
	दुर्घटना	व्यक्ति	दुर्घटना	व्यक्ति	दुर्घटना	व्यक्ति	दुर्घटना	व्यक्ति	दुर्घटना	व्यक्ति	दुर्घटना	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	15	19	14	42	09	11	82	87	68	73	36	72
सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड	12	16	05	05	11	11	35	44	17	26	18	21
इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड	15	16	19	20	10	12	197	205	199	210	142	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महानदी कोल फील्डस लिमिटेड	02	02	04	04	03	03	17	18	11	11	16	16
नादर्न कोल फील्डस लिमिटेड	06	06	04	04	01	01	10	11	16	16	07	07
नार्थ ईस्ट कोल फील्डस लिमिटेड	01	01	0	00	0	—	01	01	0	00	0	00
साउथ ईस्ट कोल फील्डस लिमिटेड	15	16	14	15	13	16	107	115	118	118	87	100
वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड	14	24	11	16	15	15	98	101	97	109	49	51
सिंगरेनी कोलियारी कोल फील्डस लिमिटेड	27	34	25	25	15	24	85	91	105	117	99	109
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	0	00	02	02	0	00	07	07	09	10	04	04
नेववेल्ली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	03	03	05	05	01	01	02	02	06	07	08	09
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	04	04	01	02	03	03	14	16	10	16	06	06
अन्य	03	03	02	02	01	01	06	08	06	06	02	02
जोड़	117	144	106	142	82	98	661	706	662	719	474	554

2001 और 2002 के संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं

भू-जल में लवणता

4419. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक पानी निकाले जाने के कारण बढ़ी हुई लवणता के मद्देनजर भू-जल संसाधनों का संरक्षण करने हेतु तटवर्ती क्षेत्र में सभी नई विकासात्मक परियोजनाओं, शहरी बस्तियों की जांच करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कितनी समितियां गठित की गई और इन समितियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में राज्य-वार किन क्षेत्रों की जांच किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समय सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) अधिक पानी निकाले जाने के कारण बढ़ी हुई लवणता की दृष्टि से भू-जल संसाधनों के संरक्षण के लिए तटवर्ती क्षेत्र में नई विकासात्मक परियोजनाओं, शहरी बस्तियों की जांच करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोल्डन चावल की नई किस्म

4420. डा. वी.वी. रमैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंधत्व को रोकने हेतु विटामिन 'ए' की प्रचुर मात्रा वाली गोल्डन चावल की नई किस्म विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस किस्म को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय दशाओं में उगाने के लिए उपयुक्त इण्डिका चावलों में विटामिन 'ए' से भरपूर गोल्डन चावल की किस्म का अभी तक विकास नहीं किया गया है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, इण्डिका पृष्ठभूमि में गोल्डन चावल अभी तक विकसित नहीं किया गया है। तथापि, विटामिन 'ए' से भरपूर पहले गोल्डन चावल को जैपोनिका चावल अर्थात् ताइपेई-309 की पृष्ठभूमि में आनुवंशिक इंजीनियरी के माध्यम से स्विटजरलैंड के प्रो. इन्गो पोट्रीकस द्वारा जर्मनी के

प्रो. पीटर बेयर के सहयोग से विकसित किया गया। चावल की भारतीय किस्मों में गोल्डन चावल की विशेषता अर्थात्‌बीटा-कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीनों का स्थानांतरण संबंधी अनुसंधान चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस जैसे अन्य केन्द्रों में प्रारम्भ किया गया है।

(ग) क्योंकि, बीटा-कैरोटीन चावल भ्रूणपोष वाले गोल्डन चावल का इण्डिका पृष्ठभूमि में अभी तक विकास नहीं किया गया है, इसलिए इस अवस्था में इसको लोकप्रिय बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी दूर करना

4421. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में देश में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति थे;

(ख) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बेरोजगारी दूर करने के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से पहले देश में बेरोजगारी के मुद्दे का भी आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में देश में अनुमानतः कितने बेरोजगार युवक हैं; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 में चालू दैनिक स्थिति के आधार पर देश में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 20.13 मिलियन तथा 26.58 मिलियन के लगभग थी।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने नौवीं योज्ना अवधि (1997-2002) के दौरान सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति (यूपीएसएस) के अनुसार 2.44% की वार्षिक रोजगार वृद्धि प्रक्षेपित की है। श्रम बाल सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1994-2000 के दौरान रोजगार की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 0.98% थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) 10वीं योजनावधि के दौरान 10 मिलियन रोजगार अवसरों के लक्ष्य हेतु योजना आयोग के सदस्य डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित विशेष दल ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान चालू दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 34.85 मिलियन थी।

(च) विशेष दल ने यह अनुमान लगाया है कि 10वीं योजना के अंत तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या घटकर लगभग 21.15 मिलियन हो जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि आधारित इकाइयां स्थापित करने हेतु किसानों को प्रशिक्षण

4422. श्री अरुण कुमार: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार सहित देश के किसानों को कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने और उन्हें अपने कृषि-उत्पादों के लिए उच्चतर मूल्य दिलवाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है और राज्य-वार किन स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस संबंध में किसानों द्वारा क्या प्रगति की गई और इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा राज्य-वार कितनी कृषि-आधारित इकाइयां स्थापित की गई हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) बिहार सहित देश में उद्यमियों हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) 2001-02 के दौरान, बिहार सहित देश में कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण करने में की गई राज्य-वार प्रगति एवं कृषि

आधारित उद्योगों की स्थापना की राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण II और III पर दी गई है।

विवरण I

के.वी.आई.सी. के प्रशिक्षण केन्द्र

पश्चिमी क्षेत्र

मल्टी डिसीप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. डा. बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ रूरल
 टेक्नालाजी एंड मैनेजमेंट
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 पोस्ट: त्रयम्बक विद्यामन्दिर
 नासिक-422213 (महाराष्ट्र)

2. सी.बी. कोरा इंस्टीट्यूट आफ विलेज इंडस्ट्रीज
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 सिम्पोली रोड, बोरिवली (पश्चिमी)
 मुंबई-400 092 (महाराष्ट्र)

3. मल्टी डिसीप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र,
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 अगर रोड, दहानु जिला थाणे-401 601

उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण केन्द्र

1. सेंट्रल बी-रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 1152, गणेश खिंड रोड,
 पुणे-411 016 (महाराष्ट्र)

2. जी.आर. वलुंजकर इंस्टीट्यूट आफ लेदर टेक.
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 पोस्ट: गोपुरी, जिला वर्धा-422 001

3. इंस्टीट्यूट आफ रिन्यूवेबल एनर्जी
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 पोस्ट त्रयम्बक विद्यामन्दिर
 नासिक-422213 (महाराष्ट्र)

बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

1. हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट
 के.बी. जोशी रोड
 पुणे-411 005 (महाराष्ट्र)

गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. कस्तूरबा महिला खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
 गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी
 आगांखान पैलेस, पुणे-411 006

2. रीजनल पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर,
 ग्रामोद्योग संघ, पोस्ट भद्रावती
 जिला: चन्द्रापुर-441 902

3. रूरल फूड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
 शिक्षा मंडल प्रेमिसेस
 सेवाग्राम रेलवे स्टेशन के पास
 जिला वर्धा-441 001

दक्षिणी क्षेत्र

मल्टी डिसीप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. मल्टी डिसीप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 पोस्ट नादाधरा
 जिला त्रिचूर-680 751 (केरल)

2. मल्टी डिसीप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 दूरवानीनगर
 बंगलौर-560 016 (कर्नाटक)

उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण केन्द्र

1. सेंट्रल विलेज पॉटरी इंस्टीट्यूट,
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 खानापुर, जिला बेलगांव-591 302 (कर्नाटक)

2. सेंट्रल पाम गुड एंड पाम प्रोडक्टस इंस्टीट्यूट
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 सं. 44, कुमाराप्पापुरम, पोस्ट-माधवारम
 मिल्क कालोनी
 चेन्नई-600 051 (तमिलनाडु)

बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

1. ए.पी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
 खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर
 हैदराबाद-500 030 (आ.प्र.)

गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
(टेक्सटाईल केमेस्ट्री)
कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ,
पोस्ट बेनगारी, हुबली-580 003
जिला धारवाड़ (कर्नाटक)

2. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
तमिलनाडु सर्वोदय संघ
पोस्ट वीरापंडी, तिरूपुर,
पिन: 641605 (तमिलनाडु)

3. डा. जे.सी. कुमाराप्पा इंस्टीट्यूट आफ
रूरल टेक्नोलाजी एंड डेवलपमेंट
गांधी निकेतन आश्रम,
पोस्ट टी कल्लूपट्टी जिला मदुरई
पिन-626702 (तमिलनाडु)

4. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
चंगनाचेरी सोशल सर्विस सोसाइटी
जिला पटनामथिट्टा-689 585 (केरल)

5. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
गांधी स्मारक ग्राम सेवा केन्द्रम
पोस्ट नानथियाटट्कुनम, नार्थ परावुर
जिला एरनाकुलम-683513 (केरल)

उत्तरी क्षेत्र

मल्टी डिसिप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
गांधी दर्शन, राजघाट
नई दिल्ली-110002

गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
खादी आश्रम, पोस्ट घनाना
जिला अम्बाला-134201 (हरियाणा)

2. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
राजस्थान खादी संघ
पोस्ट शिवदासपुरा, जयपुर-303903

केन्द्रीय क्षेत्र

मल्टी डिसिप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
पो. बा. नं. 27 हल्द्वानी
जिला नैनीताल-263139 (उत्तरांचल)

2. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
जनरल मादेव सिंह रोड
देहरादून-248001 (उत्तरांचल)

बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

1. श्री टी.एस. गोखले खादी एंड वी.आई. ट्रेनिंग एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट
ए.पी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
पोस्ट विजयनगर, आई टी आई छात्रावास के पास
इंदौर-452010 (म.प्र.)

गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम
पोस्ट सेवापुरी, जिला-वाराणसी-221483

2. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम
पोस्ट पटरंगा, जिला बाराबांकी-225408

3. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय
पोस्ट सूरापुर, अकबरपुर एरिया
जिला अम्बेडकर नगर, 224112

4. समग्र विकास परिषद वूलन होजरी ट्रेनिंग सेंटर
नवीन गल्ला मंडी के पास
सीतापुर रोड, लखनऊ-226020

5. जयप्रकाश नारायण सेंटर फार रूरल टैक्नालाजी
जयप्रकाश नगर, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश)

6. दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट
सियारात कुटीर त्रिचकूट,
जिला सतना-485 331
(मध्य प्रदेश)

7. ठक्करबापा के.जी. विद्यालय
छोटा नागपुर खादी ग्रामो. संस्थान
सर्वोदय आश्रम, एटी. एंड पोस्ट तिरिल,
रांची-834 004 (झारखण्ड)

पूर्वी क्षेत्र

मल्टी डिसिप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर,
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,
उद्योगपुरी, पोस्ट खांडगिरी
भुवनेश्वर-751 030 (उड़ीसा)

2. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर,
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,
अभय आश्रम परिसर
पोस्ट: बिराती
कोलकाता-700 051 (प. बंगाल)

3. डा. राजेन्द्र प्रसाद मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर,
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,
शेखपुरा, पटना-800 014 (बिहार)

गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. संभलपुर सिल्क एवं ग्रामोद्योग समिति
नेशनल रूरल रिसोर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर,
एटी: खारूमुंडा पोस्ट तेनसर
जिला-देवगढ़-768 119 (उड़ीसा)

2. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय,
ग्रामीण निर्माण मंडल
सर्वोदय आश्रम
पोस्ट: सोखोदेवरा, जिला नवादा-805106 (बिहार)

3. कारकास रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर,
पश्चिम बंगाल खादी केन्द्र,
ग्राम चांदमारी, पोस्ट गयेशपुर
जिला: नाडिया-741234 (प. बं.)

4. इन्टेंसिव खादी एवं रूरल डेवलपमेंट सेंटर,
किरनाहर, जिला: बीरभूम 731 320 (प. बं.)

5. ठक्करबापा खादी ग्रामोद्योग विद्यालय,
छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान,
सर्वोदय आश्रम, एटी पोस्ट: तिरिल
रांची-834 004 (झारखण्ड)

पूर्वोत्तर क्षेत्र

गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र

1. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय,
तामलपुर आंचलिक ग्रामदान संघ
पोस्ट कुमारकिट्टा
जिला नलबाड़ी-781 360 (असम)

2. मल्टी डिसिप्लिनेरी प्रशिक्षण केन्द्र,
अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ,
दोयमुख-791 112 (अरुणाचल प्रदेश)

बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

1. मल्टी डिसिप्लिनेरी ट्रेनिंग सेंटर,
मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
एटी पोस्ट: जेमाबाक, एंजवाल (मिजोरम)

विवरण II

कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	उद्योग का नाम	बीकेआई	एफबीआई	फाईबर	एफवीपीआई	एमपीआई	पीसीपीआई	पामगुड	वीओआई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	8	—	—	59	—	67
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	5	—	—	—	—	—	7	12
3.	असम	16	—	—	—	—	—	—	—	16
4.	बिहार	25	—	13	—	—	20	—	—	58
5.	झारखंड	12	—	—	—	5	—	—	--	17
6.	कर्नाटक	—	—	—	21	—	—	—	—	21
7.	केरल	—	18	254	18	—	93	—	—	383
8.	मध्य प्रदेश	—	20	—	20	20	39	—	—	99
9.	महाराष्ट्र	891	—	94	94	—	226	72	57	1434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	मिजोरम	—	8	—	—	—	—	—	—	8
11.	नई दिल्ली	172	—	400	—	—	650	9	7	1238
12.	उड़ीसा	—	—	—	20	—	35	—	9	64
13.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	65	145	—	210
14.	उत्तर प्रदेश	5	—	—	—	—	37	—	—	42
15.	उत्तरांचल	67	—	—	5	—	22	—	13	107
16.	पश्चिम बंगाल	—	—	59	33	—	—	—	—	92
	कुल	1188	51	820	219	25	1187	285	93	3868

1. बी.के.आई. - मधुमक्खी पालन कार्यकलाप
2. एफ बी आई - वन आधारित कार्यकलाप
3. एफ वी पी आई - फल सब्जी प्रसंस्करण
4. पी सी पी आई - अनाजों एवं दालों का प्रसंस्करण
5. वी ओ आई - ग्राम तेल उद्योग

विवरण III

कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में की गई राज्य-वार प्रगति

(आंकड़े संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	249
2.	असम	49
3.	बिहार	18
4.	गोवा	72
5.	गुजरात	29
6.	हरियाणा	135
7.	हिमाचल प्रदेश	121
8.	जम्मू-कश्मीर	152
9.	कर्नाटक	398
10.	केरल	253
11.	मध्य प्रदेश	229
12.	महाराष्ट्र	603
13.	मणिपुर	1
14.	मेघालय	31
15.	मिजोरम	4
16.	नागालैंड	29
17.	उड़ीसा	164
18.	पंजाब	241
19.	राजस्थान	502
20.	तमिलनाडु	235
21.	त्रिपुरा	6
22.	उत्तर प्रदेश	448
23.	वेस्ट बंगाल	1265

1	2	3
24.	छत्तीसगढ़	29
25.	झारखंड	44
26.	उत्तरांचल	80
27.	अंडमान-निकोबार	12
28.	चण्डीगढ़	51
29.	दिल्ली	16
30.	पांडिचेरी	1
	कुल योग	5467

जनजातीय क्षेत्रों में शुष्क खेती

4423. श्री मानसिंह पटेलः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में शुष्क खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दक्षिण गुजरात में क्या कार्य कराये गए और उनकी क्या उपलब्धियां रही; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता और सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में वर्षासिंचित क्षेत्रों में खेती के संवर्धन के लिए, सभी 28 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में वृहत प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु पुनःसंरचित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें जनजातीय क्षेत्र भी कवर किए गए हैं। वृहद प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत, राज्य इस परियोजना को दी जाने वाली प्राथमिकता के साथ-साथ इस परियोजना में कवर किए जाने वाली विशिष्ट पनधाराओं के बारे में निर्णय लेते हैं। पुनःसंरचित परियोजना में पनधारा लाभभोगियों की सहभागिता पर अधिक जोर दिया गया है। इसके अलावा, पनधारा लाभभोगियों की स्कीम उन्मुखी दक्षताओं में सुधार करने के लिए भी गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

आठवीं और नौवीं योजना की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत दक्षिणी गुजरात के जनजातीय जिलों में किए गए कार्य का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण III पर दिया गया है।

(घ) दक्षिणी गुजरात के जनजातीय जिलों में दसवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. की नियोजित कवरेज दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण IV पर दिया गया है।

विवरण I

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. की भौतिक और वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विकसित क्षेत्र (हैक्टे. में)	व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	176939	5115.777
2.	अरुणाचल प्रदेश	1970	100.424
3.	असम	70221	1582.364
4.	बिहार	23189	581.480
5.	गोवा	2100	26.502
6.	गुजरात	292579	5557.930
7.	हरियाणा	20272	491.060
8.	हिमाचल प्रदेश	34309	1057.730
9.	जम्मू और कश्मीर	14044	409.932
10.	कर्नाटक	485109	10139.475
11.	केरल	88276	2992.381
12.	मध्य प्रदेश	660202	12942.173
13.	महाराष्ट्र	879886	16518.110
14.	मणिपुर	8682	348.900
15.	मेघालय	2877	134.030
16.	मिजोरम	18198	828.400
17.	नागालैंड	14510	636.900

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	297000	6845.950
19.	पंजाब	18035	467.200
20.	राजस्थान	547931	14627.430
21.	सिक्किम	7626	362.690
22.	तमिलनाडु	172657	3848.668
23.	त्रिपुरा	7694	247.360
24.	उत्तर प्रदेश	303683	8802.440
25.	पश्चिम बंगाल	73436	1941.793
26.	दादरा और नगर हवेली	84	2.602
27.	दमन और दीव	0	0.000
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1735	83.520
	कुल	4223244	96693.221

विवरण II

नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02) के दौरान कार्यान्वित एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. की भौतिक और वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विकसित क्षेत्र (हैक्टे. में)	व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	118433	2695.195
2.	अरुणाचल प्रदेश	3423	166.571
3.	असम	17597	515.818
4.	बिहार	10905	282.237
5.	छत्तीसगढ़	40022	1399.890
6.	गोवा	4120	109.576
7.	गुजरात	249968	5961.630
8.	हरियाणा	23052	530.170
9.	हिमाचल प्रदेश	21629	1071.717
10.	जम्मू और कश्मीर	4044	73.046
11.	झारखण्ड	0	49.315
12.	कर्नाटक	281621	9369.140
13.	केरल	70478	2569.244
14.	मध्य प्रदेश	334350	8270.700
15.	महाराष्ट्र	281256	8940.000
16.	मणिपुर	15838	820.000
17.	मेघालय	15460	814.530
18.	मिजोरम	44475	2236.000
19.	नागालैंड	39142	2255.000
20.	उड़ीसा	81504	2924.210
21.	पंजाब	4531	206.600
22.	राजस्थान	483578	17873.620
23.	सिक्किम	18794	895.890
24.	तमिलनाडु	226645	7392.356
25.	त्रिपुरा	29736	1276.490
26.	उत्तर प्रदेश	241927	9011.620
27.	उत्तरांचल	30904	1196.030
28.	पश्चिम बंगाल	70116	2025.680
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0.573
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2814	147.783
	कुल	2766362	91080.631

विवरण III

दक्षिणी गुजरात के जनजातीय जिलों में एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत आठवीं और नौवीं योजना के दौरान जिला-वार उपलब्धि दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	आठवीं योजना उपलब्धि		नौवीं योजना उपलब्धि	
		भौतिक (हैक्टे. में)	वित्तीय (लाख रु. में)	भौतिक (हैक्टे. में)	वित्तीय (लाख रु. में)
1.	भरूच	10,887	112.72	10,161	161.15
2.	सूरत	7,798	92.43	9,373	89.41
3.	वलसाढ़	4,625	42.08	5,074	45.53
4.	डांग्स	157	1.17	102	4.08
	कुल	23,467	248.40	24,710	300.17

विवरण IV

दक्षिणी गुजरात के जनजातीय जिलों में दसवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. की नियोजित कवरेज दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	सूक्ष्म पनधाराओं की संख्या	उपचार किए जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयर में)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	नर्मदा	8	4000	180.00
2.	नवसारी	4	2000	90.00
3.	सूरत	12	6000	270.00
4.	डांग्स	2	1000	45.00
5.	भरूच	14	7000	315.00
6.	वलसाढ़	4	2000	90.00
	दक्षिण गुजरात का कुल	44	22000	990.00

सोयाबीन और सूरजमुखी की खेती

4424. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन और सूरजमुखी की खेती वाले क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान द्वारा विकसित सोयाबीन के उन्नत बीज उपलब्ध हैं जबकि सूरजमुखी के उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समय दोनों राज्यों में सोयाबीन और सूरजमुखी की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सोयाबीन के मामले में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्षेत्र में लगभग वृद्धि का रूख दिखाई देता है जबकि दोनों राज्यों में

सूरजमुखी के अंतर्गत क्षेत्र में कमी हुई है क्योंकि वर्ष 1999-2000 से सूखे की परिस्थितियां चल रही हैं।

(ख) मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए सोयाबीन और सूरजमुखी की विकसित/निर्मुक्ति की गई उन्नत बीज किस्में निम्नानुसार हैं:-

फसल	किस्म
मध्य प्रदेश	
सोयाबीन	एन.आर.सी. - 37 (आहिल्या), जे.एस. - 90-41, जे.एस. - 93-05, एम.ए.यू.एस. 47, एम.ए.यू.एस. 61-2
सूरजमुखी	एम.एल.एस.एफ.एच. - 47 (ए.एच. -II-34), सिद्धेश्वर (एल.एस. 11), ए.ए.एस.एफ.एच. - 11 (एच.), के.बी.एस.एच. - 44
राजस्थान	
सोयाबीन	एन.आर.सी. - (आहिल्या 4), जे.एस.-93-05, एम.ए.यू.एस. - 47, एम.ए.यू.एस. 61-2
सूरजमुखी	एस.यू.एन.जी.ई.एन.ई. - 85 (एच), पी.ए.सी. - 36 (एच.), पी.ए.सी. - 1091 (एच.), ए.ए.एस.एफ.एच. - 11 (एच.), के.बी.एस.एच. - 44

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान इन दोनों राज्यों में उत्पादित सोयाबीन और सूरजमुखी की मात्रा निम्नानुसार है:-

फसल	मात्रा लाख मीटरी टन में
मध्य प्रदेश	
सोयाबीन	36.24
सूरजमुखी	0.01
राजस्थान	
सोयाबीन	7.16
सूरजमुखी	शून्य

(घ) और (ङ) सोयाबीन और सूरजमुखी सहित सभी 9 कृषि योग्य तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है। इस स्कीम के अंतर्गत, किसानों को विभिन्न आदानों पर राजसहायता देकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सोयाबीन और सूरजमुखी सहित तिलहनों की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

डी.एम.एस. द्वारा दुग्ध की आपूर्ति

4425. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) द्वारा दिल्ली में इस समय दूध की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या डी.एम.एस. द्वारा आपूर्ति की मात्रा दिल्ली की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाने और डी.एम.एस. की तकनीक को आधुनिक बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रही है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध की मात्रा दिल्ली की दुग्ध आवश्यकता का लगभग 7 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की है। तथापि, बाजार प्रतियोगिता के कारण दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन केवल 2 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रही है।

[अनुवाद]

ग्राउंड हैंडलिंग हेतु संयुक्त उद्यम

4426. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र का एक अलग उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने में विदेशी इक्विटी भी आमंत्रित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सुरक्षा पहलुओं और विश्वस्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की नीति को स्ट्रीम लाइन करने और हवाई अड्डों पर काम कर रही एजेंसियों को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय विमानपत्तन विनियमन 2000 (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसिज के लिए प्रवेश) को उपयुक्त प्रकार से संशोधित किया जाए और एक जुलाई, 2003 तक एक सिस्टम बनाया जाए, जिसमें केवल एअर इंडिया लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी अलग-अलग कंपनियां बनाएंगे। जिनके पास किसी अंतर्राष्ट्रीय आपरेटर अथवा विदेशी एयरलाइनों वाले संयुक्त उद्यम में या तो सीधे रूप से या फिर उनकी सहायक कंपनियों के जरिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग होगी बशर्ते उन्होंने सरकार से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनी के पास अत्याधुनिक टेक्नालाजी वाले विश्व स्तरीय उपस्कर होंगे किसी एयरलाइनों अथवा उनकी सहायक कंपनियों या एजेंसियों द्वारा कोई सेल्फ हैंडलिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी। अलग-अलग कंपनियों का गठन होने तक, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 30 जून, 2003 के बाद भी सीधे ही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया कराएंगी।

(घ) कोई विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि किसी भी विदेशी एयरलाइन को शेयर डोमीमैंट करने या प्रबंधन नियंत्रण की इजाजत नहीं होगी।

भारतीय श्रमिकों के प्रव्रजन पर प्रतिबंध

4427. श्री जी.एस. बसवराज: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रमिकों के अन्य देशों को प्रव्रजन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रतिबंध कब तक उठाये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि भारतीय श्रमिकों का किसी भी देश में उत्प्रवास पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन इराक संघर्ष को देखते हुए भारतीय कर्मकारों का इराक में उत्प्रवास अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

(ग) जब भी परिस्थितियों में सुधार तथा इराक में स्थिर प्रशासन पुनः स्थापित होगा तो अस्थायी रोक की समीक्षा की जाएगी।

पुष्प कृषि का एकीकृत विकास

4428. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुष्प कृषि का एकीकृत विकास नामक केन्द्रीय योजना गुजरात में लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में किस प्रकार के पुष्पों का उत्पादन और संवर्धन किया गया है;

(घ) क्या राज्य से पुष्पों का निर्यात भी किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान, गुजरात समेत पूरे देश में बागवानी के विकास पर एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की गयी। किन्तु अक्तूबर, 2000 से योजना कृषि के वृहत् प्रबंध पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना - कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के साथ सम्मिलित कर दी गई है। योजना के कार्यक्रमों का अब कार्य योजना के माध्यम से राज्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य को अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता के निर्धारण की अधिक छूट है।

(ग) से (ङ) गुलाब, चमेली, गैंदा, ग्लैडियस, कार्नेशन, गेरबेरा और लिली आदि जैसे फूलों को वाणिज्यिक रूप से उगाया और राज्य में प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य में इनके उपयोग के अलावा मुंबई शहर समेत अन्य बड़े शहरों/शहरी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। किन्तु अन्य देशों को फूलों के राज्य-वार निर्यात के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

तिलहनों के उत्पादन हेतु ठेका कृषि

4429. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तिलहनों के उत्पादन हेतु ठेका कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) तिलहनों के उत्पादन के लिए ठेके पर खेती की संकल्पना आरम्भिक चरणों में है।

[हिन्दी]

विदेश में श्रमिकों का शोषण

4430. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां और उनके एजेन्ट भारतीय इंजीनियरों, डाक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों को विदेश में नौकरी का प्रस्ताव करते समय वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के करार पर हस्ताक्षर करते हैं जिस पर बाद में अमल नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय विदेश में कार्य करने वाले इस प्रकार के कर्मचारियों के शोषण को रोकने और हस्ताक्षरित करार में दी गई सेवा शर्तों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय श्रमबल निर्यात संवर्धन परिषद और विदेशी भारतीय कर्मकार कल्याण निधि स्थापित करने हेतु उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करने के लिए दिनांक 21.11.2002 को एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

(ग) प्रस्तावित परिषद उत्प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर श्रमबल सेवाओं का प्रक्षेपण करेगी, और रोजगार के अवसरों तथा उनसे जुड़े मामलों के बारे में आंकड़े एवं सूचना एकत्र करेगी; रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के बारे में आंकड़े और सूचना को एकत्र करेगी तथा उनका रख-रखाव करेगी; अन्य निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ सम्पर्क करेगी; विदेश में रोजगार के लिए मानकों व दिशानिर्देशों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी और विदेशी भारतीय कर्मकार कल्याण निधि का प्रशासन करेगी।

बालश्रम संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा

4431. श्री रामसिंह राठवा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बालश्रम संबंधी विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा तथा इसके राज्य-वार परिणाम क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में लाई गई खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित कानून के गंभीर उल्लंघन की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के अनुभव के आधार पर बाल श्रमिकों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से कल्याण योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रस्तावित नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) भारत सरकार, कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभार्थ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संबंधी स्कीम और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम नामक दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

परियोजनाओं का आवधिक रिपोर्टें एवं विवरणियां मंगाकर तथा केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तरों पर समीक्षाओं के द्वारा सतत् मानीटरन किया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, मानीटरन तथा मूल्यांकन के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय मानीटरन समिति भी गठित की गयी है। जनवरी 2001 में संपन्न राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन में बाल श्रम संबंधी परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गयी थी। चुनिन्दा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन भी शुरू किया गया है। पूर्ण हुए मूल्यांकनों से पता चलता है कि बाल श्रम संबंधी समस्या की व्यापकता को परियोजनाओं के माध्यम से पुनर्वास उपाय करके काफी हद तक कम किया जा सकता है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, उपलब्ध सूचना के अनुसार 88,887 निरीक्षण किए गए जिनके दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन के 3528 मामले पाए गए।

(घ) दसवीं योजना के दौरान अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित नयी रणनीति का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन संबंधी योजना में गुणात्मक परिवर्तन करना है। इसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

- बाल श्रम उन्मूलन संबंधी नीति एवं कार्यक्रमों को और अधिक केन्द्रित, एकीकृत तथा कन्वर्जेन्ट तरीके से जारी रखा जाएगा।

- बाल श्रम की बहुलता वाले 150 जिलों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा।

- बाल श्रम संबंधी प्रयासों को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा कि 5-8 वर्ष के आयु-वर्ग वाले बच्चों को स्कूलों से सीधे जोड़ा जाता है तथा बड़े बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है।

- देश में बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा तंत्र को गुणवत्ता तथा संख्या दोनों ही दृष्टि से इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा कि बाल श्रम बाल और उनके माता-पिता को आकर्षक स्कूल व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके ताकि माता-पिता एवं ऐसे बच्चों, दोनों का ही प्रेरणा संबंधी स्तर और अधिक उच्च हो तथा इन बच्चों को स्कूल में भेजे जाने का प्रस्ताव आकर्षक बन जाए।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वाले स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए मास्टर व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

- शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं महिला तथा बाल विकास विभाग की चालू योजनाओं का एकीकरण एक समयबद्ध ढंग से बाल श्रम उन्मूलन संबंधी लक्ष्य को अंततः प्राप्त करने के लिए निर्णायक होगा।

- बच्चों की बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए प्रति 20 स्कूलों के साथ एक चिकित्सक को जोड़े जाने का भी प्रावधान किया गया है।

बाल श्रम संबंधी समस्या का एक निश्चित अवधि के भीतर सतत् प्रयासों के माध्यम से निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। सरकार, बाल श्रम के सभी स्वरूपों के उन्मूलन के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। समस्या की प्रकृति एवं व्यापकता को ध्यान में रखते हुए खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों से प्रारम्भ करके बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने तथा पुनर्वासित करने के लिए एक क्रमिक तथा आनुक्रमिक दृष्टिकोण अंगीकार किया गया है।

[अनुवाद]

समुद्रतटीय पर्यटन

4432. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मांडवी (कच्छ) गुजरात में अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी है जिससे राज्य के पर्यटन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की गुजरात में समुद्रतटीय पर्यटन/मरूस्थलीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटक अवसंरचना का विकास और संवर्धन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने गुजरात में मांडवी (कच्छ) में समुद्रतट पर्यटन/मरूस्थल पर्यटन सहित पर्यटन के संवर्धन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन में मदद करने हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की है:-

वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1998-1999	कच्छ मांडवी में आवासीय इकाइयां	30.00
1999-2000	कच्छ मांडवी का अवसंरचनात्मक विकास	23.36
2001-2002	मांडवी, कच्छ में हाई मास्ट लाइट	14.50

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि कच्छ में समुद्रतट के विकास के लिए 4.00 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

खादी पर कर

4433. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खादी पर कर लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में खादी की उत्पादन क्षमता और मांग का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खादी उत्पादकों को दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) हालांकि, इस विषय पर कोई विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ नहीं किया गया है, वर्ष 2003-04 के लिए खादी की उत्पादन क्षमता तथा मांग क्रमशः 565.00 करोड़ रु. तथा 705.00 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

(च) खादी उत्पादकों को बिक्री छूट और बैंक ऋणों पर ब्याज राजसहायता के रूप में दी गई राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	मद	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	खादी बिक्री छूट	140.70	90.51	70.04
2.	बैंक वित्त पर ब्याज राज सहायता	29.87	20.40	37.10
	जोड़	170.57	110.91	107.14

आम की पैदावार

4434. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में आम की पैदावार का 10 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र और अन्य राज्यों के आम उत्पादन क्षेत्रों में भयंकर सूखे ने अपना दुष्प्रभाव दिखाया है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में औसत वार्षिक आम की पैदावार कितनी है;

(घ) इस वर्ष आम की पैदावार में अनुमानतः कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी; और

(ङ) सूखे के कारण राज्यों को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। 24.50 लाख मीटरी टन के उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2000-01 के दौरान आम के विश्व उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत का अंशदान किया।

(ख) आंध्र प्रदेश के आम उत्पादक क्षेत्रों और देश के अन्य भागों से वर्ष 2002-03 के दौरान गम्भीर सूखे की परिस्थितियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-03 के लिए विभिन्न आम उत्पादक राज्यों में आम की औसत वार्षिक उपज का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) सूखे के कारण राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूखे के कारण राज्यों को आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता

(करोड़ रुपए)

राज्य	2002-03 के लिए निर्मुक्ति सी.आर.एफ. का केन्द्रीय हिस्सा	एन.सी.सी.एफ. से सहायता
1	2	3
आंध्र प्रदेश	163.77	123.51
छत्तीसगढ़	22.72	127.51
गुजरात	133.46	—
हरियाणा	67.23	—
हिमाचल प्रदेश	35.96	14.35

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	28.86	—
झारखंड	—	—
कर्नाटक	61.66	207.65
केरल	55.60	—
मध्य प्रदेश	51.78	171.66
महाराष्ट्र	129.99	20.00
उड़ीसा	90.52	5.29
पंजाब	101.47	—
राजस्थान	171.16#	789.78
तमिलनाडु	84.87	332.09
उत्तरांचल	13.38	—
उत्तर प्रदेश	120.95	310.06
पश्चिम बंगाल	83.60	—
कुल	1416.98	2101.90

#इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 के लिए सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से के 25% जो 44.93 करोड़ रुपए है, की अग्रिम निर्मुक्ति की गई है।

न्यू.स.मू. निर्धारण प्रणाली

4435. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री अनंत गुढे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्तुओं की कृषि लागत के स्थान पर बाजार मूल्य को अधिक प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे;

(ग) वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन हेतु राज्य सरकारों, विशेषत: महाराष्ट्र से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है और पुनरीक्षित न्यू.स.मू. प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थित क्या है;

(ङ) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सुझाव दिया है कि न्यू.स.मू. को बुआई मौसम से पहले घोषित किया जाना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारण प्रणाली का संबंध है, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) के पास विगत में महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सी.ए.सी. द्वारा लागत के आकलन में कुछ संशोधन किए जाने की जरूरत है जैसे कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, भूमि का जमाबन्दी मूल्य, परिवहन तथा विपणन प्रभार लाभ, परिवार श्रम का मूल्यांकन और बीमा लागत। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लगभग सभी उन फसलों के लिए पृथक एस.एस.पी. के निर्धारण का सुझाव भी दिया है जिनके लिए अन्य राज्यों में उनकी उपज कम है और लागत अधिक है।

(घ) राज्य सरकारों के सुझावों पर 21 फरवरी, 2002 को आयोजित प्रमुख फसलों की खेती की लागत संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में यह उल्लेख किया गया कि उत्पादन की कृषि लागत की परिगणना करने में कुछ आदान लागतों का आकलन करना होता है और ऐसी परिस्थिति में आकलन करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों में अन्तर हो सकते हैं। एम.एस.पी. निर्धारण प्रणाली का जहां तक संबंध है, स्थिति में कोई अन्तर नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) शीघातिशीघ्र घोषित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

भारतीय पशु अनुसंधान परिषद का सृजन

4436. **श्री महबूब जाहेदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अलग एक भारतीय पशु अनुसंधान परिषद (आईसीवीआर) की स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी यही सिफारिश की है जिस पर योजना आयोग बाद में सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया;

(ग) यदि हां, तो क्या 1996 में हुए राज्यों के पशुपालन मंत्रियों की बैठक में भी इस पर सहमति हुई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आईसीवीआर स्थापित करने और पृथक पशु विश्वविद्यालय बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव की मंत्रालय में कृषि मंत्री के स्तर पर जांच की गई थी तथा यह स्वीकार किया गया था कि समेकित गहन कृषि दृष्टिकोण जिसकी कृषि, पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए अनुसंधान प्रणाली को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पूर्णतया अलग करना अपेक्षित नहीं होगा। अत: इस समय अलग से भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद सृजित न करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा अलग पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं तथा राज्यों में अब तक ऐसे 4 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों के लिए राजसहायता

4437. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण उद्योगों के लिए कोई राजसहायता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के ग्रामीण उद्योगों को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभाग/सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों या अनुदानों द्वारा भी शुरू किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ग्रामीण उद्योगों के संबंध में निम्नोक्त प्रकार से सहायता विस्तारित करती है:-

(1) खादी और पोलीवस्त्र के समर्थन हेतु बैंकों से वित्त प्राप्त करने के लिए ब्याज सहायता। इस स्कीम के तहत ब्याज सहायता पात्रता प्रमाण-पत्र कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किए जाते हैं जिनके मद्दे वे बैंकिंग संस्थानों से फण्ड्स प्राप्त करते हैं। अभिकरणों को केवल 44% ब्याज अदा करना होता है तथा 4% का अन्तर तथा वास्तविक लेंडिंग रेट सरकार द्वारा सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

(2) खादी और पोलीवस्त्र के हितलाभ हेतु बिक्री छूट के रूप में सहायता। खादी और पोलीवस्त्र की बिक्री के समर्थन के लिए, मार्किट के स्थानों में इजाफा करने के लिए समय-समय पर बिक्री पर छूट प्रदान की जाती है।

(3) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सहायता जो कि 10.00 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25 प्रतिशत है (कमजोर वर्ग के मामले में 30 प्रतिशत) तथा 10.00 लाख से ऊपर की और 25.00 लाख रु. तक की परियोजना के लिए यह 10 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जहां तक खादी कार्यक्रमों का संबंध है, इनका कार्यान्वयन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है तथा सहायता, सहमति कार्यक्रमों के आधार पर प्रदान की जाती है। जबकि छूट के संबंध में बिक्री के लिए सहमति लक्ष्य आधार होता है जिसके मद्दे वास्तविक बिक्री प्रभावित होती है, बैंकों से फण्ड्स प्राप्त करने के लिए उनकी फण्ड आवश्यकता का मूल्यांकन करने के उपरांत, संस्थानों को ब्याज सहायता पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। जहां तक मार्जिन मनी का संबंध है, स्वयंसेवी अभिकरण परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं तथा उसे मार्जिन मनी कम्पोनेन्ट सहित निधिकरण के विचारार्थ सार्वजनिक सेक्टर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में प्रस्तुत कर सकते हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस (आईए) और एअर इंडिया (एआई) द्वारा ग्राउण्ड हैंडलिंग

4438. श्री नरेश पुगलिया:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी विमानपत्तनों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं को अनन्य रूप से आईए, एआईआर और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन एजेंसियों के वर्तमान कर्मचारियों से जनशक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सुरक्षा पहलुओं और विश्वस्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की नीति की स्ट्रीम लाइन करने और हवाई अड्डों पर काम कर रही एजेंसियों को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय विमानपत्तन विनियमन 2000 (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसिज के लिए प्रवेश) को उपयुक्त प्रकार से संशोधित किया जाए और एक जुलाई, 2003 तक एक सिस्टम बनाया जाए, जिसमें केवल एअर इंडिया लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी अलग-अलग कंपनियां बनाएंगे। जिनके पास किसी अंतर्राष्ट्रीय आपरेटर अथवा विदेशी एयरलाइनों वाले संयुक्त उद्यम में या तो सीधे रूप से या फिर उनकी सहायक कंपनियों के जरिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग होगी बशर्ते उन्होंने सरकार से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनी के पास अत्याधुनिक टेक्नालाजी वाले विश्व स्तरीय उपस्कर होंगे किसी एयरलाइनों अथवा उनकी सहायक कंपनियों या एजेंसियों द्वारा कोई सेल्फ हैंडलिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी। अलग-अलग कंपनियों का गठन होने तक, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 30 जून, 2003 के बाद भी सीधे ही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया कराएंगी।

(ग) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन से इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकेंगी।

(घ) जनशक्ति, यदि कोई हो की आवश्यकता के संबंध में निर्णय उपयुक्त समय पर संबंधित अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा लिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजमेर में विमानपत्तन

4439. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अजमेर, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है, में एक विमानपत्तन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रधाना के निकट चुने गए स्थल को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं जबकि भू-अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू होने वाली थी;

(घ) कयाद के पास नए स्थल के चयन का मानदण्ड क्या है;

(ङ) कयाद में विमानपत्तन बनाने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए भू-अधिग्रहण करके केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पर्यटकों और अन्य आगंतुकों की विमान यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान में अजमेर में विमानपत्तन की स्थापना का एक प्रस्ताव है।

(ग) श्रधाना के समीप स्थल को मौजूदा पहाड़ियों और प्रस्तावित विमानपत्तन के भावी विस्तार में तंगियों के कारण रद्द कर दिया गया है।

(घ) नए विमानपत्तन के विकास तथा उसके भावी विस्तार के लिए कयाद के समीप नया स्थल उपयुक्त पाया गया है।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्थान राज्य सरकार से 1300 एकड़ भूमि निःशुल्क व सभी औपचारिकताओं से मुक्त अधिग्रहित करने का अनुरोध किया है।

(च) राजस्थान राज्य सरकार ने वित्तीय तंगियों और राज्य में सूखे की स्थिति के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित भूमि की लागत को वहन करने में अक्षमता दर्शाई है। योजना आयोग ने इस आधार पर अजमेर में विमानपत्तन स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था कि नया विमानपत्तन वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं रहेगा। यह विमानपत्तन भूमि तथा पहुंच मार्गों, ऊर्जा आदि जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रूप में राज्य सरकार के व्यापक सहयोग के बिना अर्थक्षम नहीं बन सका।

विमानपत्तन सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

4440. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आतंकवादी हमलों के बढ़ते खतरों के मद्देनजर भारतीय विमानपत्तनों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) विमानपत्तन सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसके एक भाग के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ विमान अपहरणों तथा नागर विमानन प्रचालनों के साथ अन्य कानून विरुद्ध हस्तक्षेप से बचने की दृष्टि से हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए है:-

(1) समयबद्ध ढंग से सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती करना।

(2) प्रमुख हवाई अड्डों पर त्वरित कार्रवाई टीमों की तैनाती करना।

(3) यात्रियों और उनके हैंड बैगेज की लैडर-प्वाइंट सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी गई।

(4) सभी हवाई अड्डों की परिधीय सुरक्षा को मजबूत करना।

(5) रेंडम आधार पर अपनी अनुसूचित एयरलाइनों के सभी मार्गों पर स्काई मार्शलों की तैनाती करना।

प्रदूषणकारी ताप विद्युत केन्द्र

4441. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत केन्द्र देश में भारी प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सभी ताप विद्युत केन्द्रों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) देश में स्थित 83 ताप विद्युत संयंत्रों में से 48 संयंत्र उत्सर्जन मानकों तथा 52 संयंत्र राख कुंड बहिस्राव मानकों का अनुपालन कर रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानकों और 27 संयंत्रों द्वारा राख कुंड बहिस्राव मानकों का अभी पालन किया जाना शेष है। 4 विद्युत संयंत्र इस समय बंद पड़े हैं।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में लाभदायक कोयले का प्रयोग, एक चरणबद्ध ढंग से मौजूदा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई.सी.पी.) की बढ़ोत्तरी तथा फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में 48 विद्युत संयंत्रों ने उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की हैं। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरणों के प्रतिष्ठापन में होने वाले विलम्ब संबंधी कारणों में वित्तीय कठिनाईयां, स्थान की उपलब्धता तथा लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता शामिल हैं।

[अनुवाद]

वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं पर बसे गांवों का पुनर्वास

4442. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं पर बसे गांवों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में वन्यजीवों द्वारा फसलों और मानव जीवन को होने वाले नुकसानों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या वन्यजीव अभयारण्यों में बाड़ लगाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) भारत सरकार केवल उन गांवों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर बसे हुए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। देश के विभिन्न भागों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान और मानव जीवन को हानि संबंधी समस्या के उपशमन हेतु भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामशः हाथी परियोजना, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास के तहत राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के सीमित क्षेत्रों में, आवश्यकता पड़ने पर, इन स्कीमों के तहत विद्युत बाड़ लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

उत्पादों की बिक्री

4443. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को अपने उत्पादों को औने-पौने दाम में बेचने से बचाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो धान, गेहूं, नारियल, ईख, तम्बाकू, अन्नानास, काजू, काली मिर्च, रबर, काफी और चाय के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि के लिए कार्बनिक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे उत्पादन बढ़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) किसानों को उनके उत्पादों की मजबूरी में बिक्री करने से बचाने में मदद करने के लिए, सरकार कई उपाय करती है जिसमें प्रमुख कृषि जिन्सों के प्रत्येक मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करना, एम.एस.पी. स्कीम के अंतर्गत नामित केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों द्वारा प्रमुख कृषि जिन्सों के मूल्य समर्थन प्रचालन करना और कृषि जिन्सों के निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा आयात को हतोत्साहित करने के लिए व्यापार के साधनों का उपयोग करना आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के माध्यम से धान और गेहूं की खरीद के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत निर्धारित विनिर्देशनों वाले सभी खाद्यान्न (गेहूं तथा धान) की खरीद सार्वजनिक खरीद एजेन्सियों द्वारा की जाती है। पूरे देश में खरीद केन्द्रों का एक व्यापक तंत्र खोला जाता है। इसके अतिरिक्त, विकेन्द्रीकृत खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कुछ गैर-पारम्परिक राज्यों में खरीद कार्य भी शुरू किए हैं ताकि किसानों को एम.एस.पी. के लाभों का विस्तार किया जा सके। मूल्य समर्थन प्रचालनों की बारीकी से मानिटरिंग करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय पर और क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। मजबूरी में की गई किसी भी बिक्री की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है ताकि तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

नारियल उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार प्रत्येक वर्ष मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है और जब मूल्य समर्थन स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन अपने हाथ में लेती है।

सरकार बागवानी जिन्सों, जैसे अनन्नास के उत्पादकों की रक्षा के लिए भी मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित कर रही है जिससे वे बम्पर फसल की स्थिति में सर्वाधिक पहुंच की अवधि में जब मूल्य आर्थिक स्तरों से नीचे गिरने लगते हैं, मजबूरी में बिक्री करने से बच सकें। एम.आई.एस. का कार्यान्वयन राज्य सरकार/सरकारों के अनुरोध पर एक विशिष्ट जिन्स के लिए किया जाता है जिसके लिए वे इसके कार्यान्वयन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, के 50% का वहन करने के लिए तैयार हों (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%)।

सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करती है।

सरकार ने चाय उत्पादकों की सहायता करने के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें चाय के आयात पर मूल कस्टम शुल्क 70% से बढ़ाकर 100% करना, भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए एक संचार अभियान शुरू करना, चाय, काफी, रबर और तम्बाकू जैसी बागान जिन्सों के उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना आदि शामिल हैं।

काफी उत्पादकों की समस्याओं के संदर्भ में, सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं जिसमें उनके द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कार्यकारी पूंजी ऋण पर छोटे काफी उत्पादकों (10 हेक्टेयर तक जोत वाले) को 5% ब्याज राहत तथा बड़े उत्पादकों (10 हेक्टेयर से अधिक) को 3% ब्याज राहत प्रदान किया जाना, काफी पर 70 से 100 प्रतिशत आयात शुल्क की वृद्धि तथा काफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण करना आदि शामिल है।

सरकार ने रबर उगाने वाले किसानों की सहायता करने के लिए कई उपाय किए हैं और इनमें राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) के माध्यम से मण्डी हस्तक्षेप स्कीम, रबर के न्यूनतम मूल्य निर्धारित और अधिसूचित करना, प्राकृतिक रबर के विविधीकृत का संवर्धन ताकि देश में इसकी खपत को बढ़ाया जा सके, प्राकृतिक रबर के आयात की मोनिटरिंग करना आदि शामिल है।

इसी प्रकार सरकार ने काली मिर्च के उत्पादकों की सहायता के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं और इनमें कटाई उपरांत प्रशिक्षण के माध्यम से काली मिर्च की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्पादकों का समर्थन करना, प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना और अवसंरचना सुधार करना आदि शामिल हैं।

चालू मौसम में नीलामी में तम्बाकू की कीमत (वी.एफ.सी.) एम.एस.पी. की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रही है। 2001-2002 मौसम में अनुमानित मूल्य से ये अधिक रही है।

(ग) और (घ) समेकित पौध पोषण आपूर्ति प्रणाली की अवधारणा को प्रचारित करने के उद्देश्य से, सरकार सतत कृषि विकास एवं उत्पादकता हेतु रासायनिक उर्वरकों के साथ ग्रामीण एवं शहरी कम्पोस्ट, वरमीकम्पोस्ट, बायोगैस घोल तथा जैव उर्वरकों आदि जैसे जैविक खादों के उपयोग को प्रोत्साहन देती है। इस अवधारणा को किसानों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य सरकारों को विस्तार एजेन्सियों के द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है। पौध पोषक तत्वों के गैर रासायनिक फार्म की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार जैव उर्वरकों के प्रयोग एवं विकास पर आधारित एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत विभिन्न राज्यों में उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान जैव उर्वरक ईकाईयों की स्थापना के लिए 330.00 लाख रु. की धनराशि विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई थी।

उर्वरकों के नियंत्रित एवं समेकित प्रयोग की योजना के अंतर्गत कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन म्यूनिसिपल निगमों द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि शहर के कूड़ा करकट को लाभकारी जैविक खादों में बदला जा सके। गत तीन वर्षों के दौरान 9 कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना के लिए 399.52 लाख रु. की धनराशि विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई।

(ङ) और (च) जैविक खादों तथा रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित एवं समेकित प्रयोग फसल उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य को उन्नत बनाती है। तथापि, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि किसी एक कारक में निहित नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

खादी के माध्यम से रोजगार सृजन

4444. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी की लोकप्रियता विदेशों में बढ़ रही है और इसका निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो खादी उद्योगों के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान खादी उद्योगों द्वारा कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त खादी उत्पादों की बिक्री में उछाल लाने के लिए 2002-03 के दौरान खादी उत्पादों पर विक्रय छूट में वृद्धि की जा रही है और खादी उत्पादों पर छूट के दिनों की संख्या 90 दिनों से बढ़ाकर 108 दिन कर दी गई है। सरकार ने खादी क्षेत्र के

सुदृढ़ीकरण के लिए एन.आई.डी., निफ्ट जैसे अभिकरणों और रूडा और दस्तकार आदि जैसे कि अनुसंधान एवं विकास में संलग्न अन्य गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके उसकी गुणवत्ता, दिखावट आदि में सुधार करके कई कदम भी उठाए हैं। खादी वस्त्रों की अच्छी किस्म, क्रीज प्रतिरोधी खादी आदि के उत्पादन के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। खादी कार्यक्रम के संवर्धन एवं सतत रोजगार के लिए विक्रय केन्द्रों की पुनर्सज्जा और धुआंधार प्रचार आरंभ किया गया है। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान 9.58 लाख व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान 8.48 लाख व्यक्तियों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए थे। इस कमी के मुख्य कारण वस्त्रों के बाजार में सामान्य मंदी, उपभोक्ताओं की रुचियों में परिवर्तन, तैयार वस्त्रों की अधिक पूर्व-प्रमुखता, "इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलटी सर्टिफिकेट" योजना के अंतर्गत बैंकों से निधियों की कम उपलब्धता आदि हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

4445. श्री परसुराम माझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में के बी के जिलों के लिए किसी सिंचाई परियोजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा के केबीके जिलों की 6 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् ऊपरी इन्द्रावती, ऊपरी कोलाब, तितलागढ़, लोअर इन्द्रा, लोअर सुकतेल और पोट्टेरू तथा 39 सतही लघु सिंचाई स्कीमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल की गई थीं। नौवीं योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में इन परियोजनाओं को 252.685 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ग) नौवीं योजना के दौरान 6 वृहद/मध्यम परियोजनाओं के जरिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 22.924 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

रिक्त पदों का भरा जाना

4446. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों और स्वायत्त संस्थाओं तथा संबद्ध कार्यालयों में रोजगार देने, विशेषत: राजपत्रित पदों या वर्ग-I और वर्ग-II के पदों के लिए आरक्षण नीति का कठोरता से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों को भरने में कठिनाइयों का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में इस प्रकार के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जहां तक इस्पात मंत्रालय के सचिवालय का संबंध है, सरकार ने अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है। आज की स्थिति के अनुसार इस्पात मंत्रालय में समूह "क" और समूह "ख" (राजपत्रित) पदधारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पदों का वर्गीकरण	पदधारियों की संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
समूह क	36	6	1	-
समूह ख	24	2	1	-

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य संगठनों का संबंध है, अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शीतागारों के लिए केन्द्रीय सहायता

4447. डा. बलिराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष में शीतागारों तथा अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता से उत्तर प्रदेश को वंचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) के जरिए, उत्तर प्रदेश समेत देश में शीतागारों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। एन.एच.बी. ''बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों और भण्डारगृहों के विनिर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण'' नामक अपनी योजना के जरिए वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 11.25 करोड़ रु. की अपेक्षित बैंक एडेन्ड पूंजी निवेश राजसहायता देकर 41 शीतागारों हेतु परियोजना मंजूर की है। योजना मांग पर आधारित है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भी वर्ष 2002-03 हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 193.37 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। इसमें से, वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य को 89.99 करोड़ रु. (लगभग) निर्मुक्त किये गये हैं। दिनांक 1.4.2002 तक 24.29 करोड़ रु. की अव्ययित शेष धनराशि राज्य के पास थी।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत रिक्त पद

4448. **श्री बाल कृष्ण चौहान:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के तहत विभागों और उपक्रमों के वर्तमान में क, ख, ग और घ श्रेणी के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरी तरह भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों हेतु आरक्षण कोटा को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु उनकी पदोन्नति के समय भी आरक्षण का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को अ.पि.व. के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यातायात विकास परियोजना

4449. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2025 तक अनुमानित यातायात मांग हेतु विकास रणनीति संबंधी कोई कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु टाटा अथवा फर्गुसन कंसल्टेंसीज को लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किए गए वर्ष 2025 तक अनुमानित यातायात मांग हेतु विकास रणनीति संबंधी स्कीम पर योजना आयोग में विचार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मछुआरों का कल्याण

4450. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री आदि शंकर:
श्री जी.जे. जावीया

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में मछुआरों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 से लेकर आज तक मछुआरों के विकास पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त मद हेतु कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को वर्ष 2001 से लेकर आज तक उक्त दोनों राज्य सरकारों और मछुआरों के विभिन्न संगठनों/यूनियनों से मांग/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) पूरी की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तरह से पूरा किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को दसवीं योजना में जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया है।

(ख) योजना में आर्थिक सुरक्षा, बेहतर जीवन स्थिति उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से मछुआरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने की व्यवस्था है। इसके तीन घटक हैं अर्थात् सामूहिक दुर्घटना बीमा, बचत सह राहत और आदर्श मछुआरा गांवों को विकास जिसमें घरों, सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा पेयजल के लिए नलकूपों की स्थापना शामिल होती है।

(ग) 2000 से 31 मार्च, 2003 तक मछुआरों के लाभार्थ विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याण योजनाओं के तहत दी गयी केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
2000-01	6124
2001-02	5636
2002-03	4085

(घ) मात्स्यिकी क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए 2003-04 में बजट प्रावधान 5200 लाख रुपए है।

(ङ) से (ज) राज्य सरकारों तथा मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े अन्य संगठनों से प्राप्त मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है। मछुआरों के लाभार्थ विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान (2000-01 से 2002-03) गुजरात और तमिलनाडु राज्यों को क्रमशः 1077 लाख रुपए और 2775 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गयी है।

[अनुवाद]

संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े

4451. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, अर्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्त निकायों और निजी क्षेत्र में नियोजन की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में नियोजन, छंटाई, सामान्य सेवानिवृत्ति, सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु या अन्य तरीके से कितनी नौकरियां लोगों ने छोड़ी;

(ग) क्या रोजगार संबंधी आंकड़े तैयार करने का कोई काम बाकी है;

(घ) यदि हां, तो नियोजन संबंधी सूचना के मिलान और उन्हें अद्यतन बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या नियोजन संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करने और उन्हें एकत्रित करने के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो क्या इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो कड़ा कानून और जरूरी नियम बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित की गई सूचनानुसार संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी) में मार्च, 1999, 2000 व 2001 की स्थिति के अनुसार

अनुमानित रोजगार संलग्न विवरण में दिया गया है। नियोजन, छंटनी, सामान्य सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु और किसी अन्य कारण से रोजगार छोड़ने वालों की सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 1999 से 281.13 लाख की तुलना में 2001 में गिरकर 277.89 रह गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के रोजगार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।

(च) और (छ) रोजगार आंकड़ों के एकत्रीकरण पर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार से उपबंधों का उल्लंघन होने की स्थिति में उनके द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

संगठित क्षेत्र में रोजगार

(लाख में)

संगठित क्षेत्र	1999	2000	2001
केन्द्र सरकार	33.13	32.73	32.61
राज्य सरकार	74.58	74.60	74.25
योग सरकार	107.71	107.33	106.86
अर्ध सरकारी (केन्द्रीय)	34.72	34.13	32.91
अर्ध सरकारी (राज्यीय)	29.14	29.12	29.01
स्थानीय निकाय	22.59	22.55	22.61
अर्ध सरकारी और स्थानीय निकायों का योग	86.45	85.80	84.53
योग सार्वजनिक क्षेत्र	194.15	193.14	191.38
निजी क्षेत्र	86.98	86.46	86.52
योग	281.13	279.60	277.89

[हिन्दी]

बिहार में प्याज का उत्पादन

4452. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में टनों में प्याज के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कुल कितने क्षेत्र में प्याज की खेती की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य द्वारा कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि वर्ष (जुलाई-जून) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बिहार में प्याज का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 212.3 हजार मीटरी टन, 140.8 हजार मीटरी टन और 134.4 हजार मीटरी टन था। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों में झारखण्ड शामिल है, जबकि वर्ष 2000-01 और 2001-02 के आंकड़ों में झारखण्ड शामिल नहीं है।

(ख) कृषि वर्ष (जुलाई-जून) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बिहार में प्याज की खेती के तहत क्षेत्र क्रमशः 20.0 हजार हैक्टेयर, 13.8 हजार हैक्टेयर और 14.9 हजार हैक्टेयर था। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों में झारखण्ड शामिल है, जबकि वर्ष 2000-01 और 2001-02 के आंकड़ों में झारखण्ड शामिल नहीं है।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अलग-अलग राज्यों से निर्यात के आंकड़े नहीं रखता। तथापि, वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान देश से ताजे अथवा शीतित प्याज का कुल निर्यात क्रमशः 260.5 हजार मीटरी टन, 343.3 हजार मीटरी टन और 441.8 मीटरी टन था।

[अनुवाद]

न्यूनतम दर सूची पर मेघा केटरर्स

4453. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **कृषि मंत्री** 30 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5798 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मेघा केटरर्स' को निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् न्यूनतम दर सूची के आधार पर नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तीन निविदाओं और उनकी दरों का ब्यौरा क्या है तथा प्रतिवर्ष नयी दर सूचियों को मंगाने के बजाय एक ही ठेकेदार को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.ए.एस.आर.आई. द्वारा होस्टल चलाने हेतु जरूरी आदमी व सामानों की लगभग सम्पूर्ण आवश्यकता मुहैया करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) निविदाएं 1998-99 के दौरान आमंत्रित की गई थी और न्यूनतम दरों के आधार पर, संविदा मै. मेघा केटरर्स को दी गई। अधिकारियों की एक समिति द्वारा संस्तुति पर ठेकेदार को संतोषजनक उपलब्धि पर आधारित एक वर्ष की और अवधि के लिए संविदा बढ़ा दी गई। तथापि, 2000-2001 के दौरान नई संविदाएं आमंत्रित की गईं जिसके लिए चार फर्मों ने अपने रेट दिए और संलग्न विवरण में प्रदत्त संविदा के विस्तृत ब्यौरे के अनुसार मै. मेघा केटरर्स की दर न्यूनतम थीं और इस आधार पर उसी फर्म को दोबारा ठेका दे दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण

तुलनात्मक विवरण

अगस्त, 1998

सेवा	मै. के.के. केटरर्स 11/201, देवनगर, नई दिल्ली	मै. नितेश केटरर्स, टी-595/ए, बलजीत नगर, नई दिल्ली	मै. मेघा केटरर्स, बी-17 पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली
सुबह की चाय	2.50/- रु. प्रति व्यक्ति	2.50/- रु. प्रति व्यक्ति	2.00/- रु. प्रति व्यक्ति
सायं की चाय	2.50/- रु. प्रति व्यक्ति	2.50/- रु. प्रति व्यक्ति	2.00/- रु. प्रति व्यक्ति
कॉफी	नहीं दिया गया	6.00/- रु. प्रति व्यक्ति	नहीं दिया गया
नाश्ता	25.00/- रु. प्रति व्यक्ति	25.00/- रु. प्रति व्यक्ति	20.00/- रु. प्रति व्यक्ति
लंच	35.00/- रु. प्रति व्यक्ति	40.00/- रु. प्रति व्यक्ति	30.00/- रु. प्रति व्यक्ति
रात्रि भोज/खाना	35.00/- रु. प्रति व्यक्ति	40.00/- रु. प्रति व्यक्ति	30.00/- रु. प्रति व्यक्ति
बिस्कुटों के साथ मौसमी चाय	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	6.00/- रु. प्रति व्यक्ति

तुलनात्मक विवरण

अगस्त, 2000

सेवा	मै. नितेश कैटरर्स टी-595-ए, बलजीत नगर, नई दिल्ली	मै. आनन्द टेंट हाउस, के-113, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली	मै. मेघा केटरर्स, बी-17, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली	मै. के.के. केटरर्स 11/201, देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली
1	2	3	4	5
बिस्तर चाय	2.50/- रु.	2.50/- रु.	2.50/- रु.	2.50/- रु.

1	2	3	4	5
नाश्ता (2 अंडों का आमलेट/4 ब्रेड बटर कार्नफलोर सहित)	25.00/- रु.	20.00/- रु.	20.00/- रु.	25.00/- रु.
बिस्कुटों के साथ चाय डिप पाउचों वाली मौसमी चाय	2.50 + 2.50/- रु.	10.00/- रु.	6.00+6.00/- रु.	10.00/- रु.
सायं की चाय	2.50/- रु.	2.50/- रु.	2.00/- रु.	2.50/- रु.
लंच (2 सब्जियां, 1 दाल, 1 दही, 1 सलाद, 1 पापड़, चावल, चपाती, 1 फल/मिष्ठान)	40.00/- रु.	35.00/- रु.	30.00/- रु.	35.00/- रु.
रात्रि भोजन (डिनर) (2 सब्जियां, 1 दाल, 1 दही, 1 सलाद, 1 पापड़, चावल, चपाती, 1 फल/मिष्ठान)	40.00/- रु.	35.00/- रु.	30.00/- रु.	35.00/- रु.

कृषि एक्सपेरिमेंट्स हेतु सूचना प्रणाली

4454. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रभाग ने 'डिजाइन आफ एक्सपेरिमेंट्स' ने कृषि क्षेत्र एक्सपेरिमेंट्स हेतु एक सूचना प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न डाटा बेस कम्पोनेन्ट्स का ब्यौरा क्या है और हाल ही में किए गए एक्सपेरिमेंट्स की अवधि क्या रही है;

(ग) फसल और पशु श्रेणियों, अनाजों, बागवानी, कन्द, तिलहन, फूल और सब्जियों, गन्ना, मत्स्यपालन, पशुधन और मुर्गीपालन के क्षेत्र में कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं;

(घ) क्या प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और बायो-एसे व बायोमेट्री से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स कोई मानक डिजाइन का प्रयोग करके किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और उनमें प्रयुक्त डिजाइनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि फील्ड प्रयोगों से संबंधित सूचना निम्नलिखित आठ सुपरिभाषित आंकड़ा आधार घटकों में विभाजित की गई है।

(1) पहचान

(2) उद्देश्य

(3) आधार संबंधी स्थितियां

(4) उपचार

(5) डिजाइन

(6) सामान्य सूचना

(7) प्लाटवार आंकड़ा

(8) परिणाम

इस प्रणाली में सबसे अद्यतन प्रयोग वर्ष 2000 के दौरान किए गये हैं।

(ग) यह सूचना प्रणाली केवल वार्षिक फसलों (शुद्ध किस्म संबंधी परीक्षणों को छोड़कर) से संबंधित कृषि फील्ड प्रयोगों से

संबंधित है। विभिन्न फसल पशु श्रेणियों को समर्पित अनेक प्रयोगों का विवरण निम्नलिखित है:-

जिन्स	प्रयोगों की संख्या
अनाज	8000
बागवानी	-
सब्जी एवं कन्द	1073
तिलहन	3599
पुष्प	-
गन्ना	1205
मात्स्यिकी	-
पशुधन	-
कुक्कुट पालन	-

(घ) जी ज्ञात नहीं, कृषि फील्ड प्रयोग सूचना प्रणाली में इस तरह के प्रयोगों का विवरण नहीं होता।

(ङ) लागू नहीं।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

4455. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 11 (7 वृहद तथा 4 मध्यम) प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन 11 प्रस्तावों में से 6 परियोजनाओं (5 वृहद 1 मध्यम) को कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकार किया गया। इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना की तत्परता पर निर्भर करती है।

विवरण

(31.03.2003 तक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/ मध्यम	प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	महानदी जलाशय परियोजना	छत्तीसगढ़	वृहद	7/2001	566.88	बी
2.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	04/2000	7.96	ए
3.	लार नहर (बडगाम) का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	04/2000	6.63	ए
4.	महानदी डेल्टा चरण-I एवं II में जल निकास विकास (चरण-I)	उड़ीसा	वृहद	02/2000	227.75	ए

1	2	3	4	5	6	7
5.	भाखड़ा मुख्य नहर के पक्का कार्य को ऊपर उठाना	पंजाब	मध्यम	03/2002	26.69	ए
6.	पक्का करके/श्रीहिंद पोषक के तट को उपर उठाना	पंजाब	मध्यम	05/2001	13.75	ए
7.	आर आई डी एफ के अंतर्गत पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना)	पंजाब	मध्यम	02/2000	49.02	बी
8.	राजस्थान क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	वृहद	01/2001	745.59	बी
9.	विद्यमान शारदा नहर प्रणाली के जल प्रबंधन में सुधार	उत्तर प्रदेश	वृहद	07/2001	102.41	बी
10.	लचूरा बांध का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	04/2002	94.18	बी
11.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	वृहद	04/2001	663.41 (अनंतिम)	डी

श्रेणी

ए - पत्राचार किया जा रहा है।

बी - सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत किया गया।

डी - निवेश स्वीकृति के वास्ते योजना आयोग में लंबित है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से छूट

4456. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) से छूट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस छूट की मांग की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्धों से छूट प्रदान करने के लिए अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्धों से छूट चाहने वाली स्थापनाओं की संख्या 115 है।

(ग) छूट प्रदान करने के लिए इन प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4457. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए.) में नान-आपरेटिंग कर्मचारियों हेतु एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस नयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ कितने कर्मचारियों द्वारा लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस नयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भुगतान करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने 27.3.2003 को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इंडियन एयरलाइंस की प्रस्तावित योजना सरकार के विचाराधीन है।

ए.एन.आई.आई.डी.सी.ओ. की परियोजना

4458. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आर्थिक विकास हेतु अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन्टीग्रेशन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ए.एन.आई.आई.डी.सी.ओ.) की स्थापना की गयी है;

(ख) ए.एन.आई.आई.डी.सी.ओ. द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के माध्यम से अथवा ऋण प्रदान करके अब तक कितनी परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और उनसे रोजगार के कितने अवसर सृजित हैं तथा इस संबंध में क्षेत्रवार लक्षित भावी योजनाएं क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय इस प्रकार की सूचना नहीं रखता है। यह सूचना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेशन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी।

ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय नदियों के साथ जोड़ा जाना

4459. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य राष्ट्रीय नदियां के साथ जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 1980 में तैयार की गई थी। जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) की स्थापना वर्ष 1982 में स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक के अंतर्गत तीस्ता और गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र की दोनों सहायक नदियों मानस और संकोश को परस्पर जोड़ते हुए मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा संपर्क की योजना की गई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित किए गए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों के अनुसार, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा संपर्क में मानस और महानन्दा बराज के बीच जल विद्युत लाभों और नौवहन सुविधाओं के अलावा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार को सिंचाई मुहैया कराये जाने की योजना है।

क्राउन एक्सप्रेस का मामला

4460. **श्री अम्बरीश:** क्या **नागर विमानन मंत्री** 21 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5079 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्राउन एक्सप्रेस ने केन्द्र सरकार से देश में एयरलाइनें शुरू करने की पुनः अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने अब सभी आवश्यकताओं/शर्तों को पूरा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक मंडल का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय सुरक्षा में शामिल गैर-सरकारी संगठन

4461. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरणीय जागरूकता में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई के गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता का ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं व उनको उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए योग्य होने हेतु क्या शर्तें व अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं; और

(घ) मुम्बई में शुरू की गयी ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) मंत्रालय की पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण स्कीम पर्यावरणीय जागरूकता के सृजन में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। स्कीम में निम्नलिखित कार्यक्रम हैं:-

* राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान
* राष्ट्रीय हरित सेना
* जन जागरूकता अभियान
* सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन
* व्यावसायिक समितियां और संस्थान
* पर्यावरण से संबंधित संसाधन सामग्री का प्रकाशन

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) संस्थान/संगठन/पंजीकृत स्वैच्छिक/व्यावसायिक संगठन/न्यास जिनकी पर्यावरणीय क्षेत्र में प्रमाणिक विश्वसनीयता एवं अनुभव है और जो कम से कम तीन वर्ष के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं और जिनके लेखों की लेखा परीक्षा हुई है, वे मंत्रालय से वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

(घ) विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कार्यकलापों की मानीटरिंग मंत्रालय और क्षेत्रीय संसाधन एजेंसी के अधिकारियों द्वारा बेतरतीब आधार पर की जाती है।

विवरण

मुम्बई के गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्होंने 2000-2003 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त की है

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	परियोजना	अनुदान (रुपए)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	नीम फाउंडेशन, 67-ए, विठ्ठलनगर सोसाइटी, रोड नं. 12, जुहू स्कीम मुम्बई-400049	नीम-2002 विश्व नीम सम्मेलन 27-30 नवम्बर, 2002	60,000	अनुदान की राशि अभी दी जानी है।
2.	माइक्रो-बायोलाजिस्ट सोसाईटी, बुधवार पथ, भूमि टावर, कराड	कृषि, उद्योग और पर्यावरण में जैव-प्रौद्योगिकी पर 28-30 दिसम्बर, 2001 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवाही का प्रकाशन	40,000	अनुदान की राशि अभी दी जानी है।
3.	चेम्बुर श्रवनकश शिक्षण संस्था, रामकृष्ण चेम्बरकर मार्ग, चेम्बुरनाका, मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,000	2000-01
4.	सेन्टर फार कल्चरल रिलेशन्स, शांति निकेतन कार्यालय 327, निकट बिल्डिंग सं. 10, हरि मंदिर रोड, जी टी बी नगर, कोलीवाड़ा, मुम्बई-37	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,000	2000-01
5.	हिमाली सामाजिक प्रतिष्ठान, इरानी चाल नं. 3/501 रेलवे गेट नं. 6, विवरी, मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,000	2000-01
6.	के.जी. सोमिया मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर सोमैया आयुर्विहार काम्पलेक्स इस्टर्न हाइवे, सिओन, मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,000	2000-01
7.	सेन्टर फार कल्चरल रिलेशन्स शांति निकेतन कार्यालय 327, निकट बिल्डिंग सं. 10, हरि मंदिर रोड, गुरु तेगबहादुर नगर कोलीवाड़ा, मुम्बई-37	एन ई ए सी के अंतर्गत	6,000	2000-01

1	2	3	4	5
8.	युवक बिरादरी (भारत) हजारीमल सोमानी मार्ग, नजदीक केपिटल सिनेमा, मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,000	2000-01
9.	सेन्टर फार कल्चरल रिलेशन्स शांति निकेतन कार्यालय 327 हरि मनोहर रोड, गुरु तेगबहादुर नगर, कोलीवाड़ा, मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	9,000	2002-03
10.	एस के एस चक्षु फाउन्डेशन 308 निर्माण केन्द्र, डा. ई मोसेस रोड नजदीक फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,400	2002-03
11.	युवक बिरादरी हजारीमल सोमानी मार्ग, नजदीक केपिटल सिनेमा, सी एस टी (वी.टी.) के सामने मुम्बई	एन ई ए सी के अंतर्गत	5,400	2002-03

बूचड़खानों हेतु राज-सहायता

4462. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं योजना में बूचड़खानों को दी जाने वाली राज-सहायता की राशि कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांस व मुर्गी प्रसंस्करण इकाइयों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मांस एवं पाल्ट्री संस्करण तथा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। न तो नवीं योजना में और न ही दसवीं योजना में बूचड़खानों को राज-सहायता देने हेतु निधियों में अलग से कोई आबंटन किया गया है। यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी योजना स्कीम के तहत, सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। यह सहायता पाल्ट्री तथा मांस प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु भी उपलब्ध है।

इको-पर्यटन

4463. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन करने का है जिससे वन और वन्यजीव प्रभागों के गैर-रक्षित क्षेत्रों को पारि-पर्यटन हेतु विकसित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक रेग्यूलेटरी अधिनियम है और निषेधात्मक अधिनियम नहीं है। वनों और वन्यजीव के गैर-रक्षित क्षेत्रों को पारि-पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है, बशर्ते कि अधिनियम और अन्य संगत अधिनियमों और नियमों के अधीन क्लियरेंस प्राप्त हो।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय में, पारि-पर्यटन के लिए वनों और वन्य जीव के गैर-रक्षित क्षेत्रों के विकास हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तुगलकाबाद का अधिग्रहण

4464. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा तुगलकाबाद के पूरे गांव को अधिगृहीत किया जा रहा है जिससे करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार केन्द्र

4465. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में आंध्र प्रदेश सहित देश में और रोजगार केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों में नौकरी चाहने वाले लोगों का आसानी से पंजीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा ही नए रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य/संघ शासित सरकारें रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करवा रही हैं जिससे पंजीकरण, नियोजन व रोजगार कार्यालय की अन्य गतिविधियों में और भी सुधार होगा।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

4466. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने और इन सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आटोमोबाइल्स क्रास्टनर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोड और अन्य प्रमुख उद्योग के लिए स्थिति संबंधी लाभ का दोहन करने के लिए सड़क मानचित्र को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की वर्तमान संस्थापित क्षमता क्या है और तैयार इस्पात की मांग को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है;

(घ) वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की निर्धारित क्षमता 30 लाख टन द्रव इस्पात और 26.56 लाख टन विक्रेय इस्पात है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान आर आई एन एल ने इस निर्धारित क्षमता की तुलना में 33.57 लाख टन द्रव इस्पात और 30.56 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया। इस प्रकार आर आई एन एल द्वारा उत्पादित किए जा रहे लंबे उत्पादों की रेंज की लगभग 25% मांग पूरी हुई (आंकड़े अनंतिम और अनंकेक्षित हैं)।

(घ) आर आई एन एल द्वारा उत्पादित किए जा रहे इस्पात के लंबे उत्पादों की रेंज की भारत में कुल मांग 120 लाख टन है। आर आई एन एल के अतिरिक्त, सेल, टिस्को और अन्य गौण उत्पादक भी इस मांग को पूरा करते हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान आर आई एन एल ने 30.56 लाख टन लंबे उत्पादों की सप्लाई की। (आंकड़े अनंतिम और अनंकेक्षित हैं)।

(ङ) और (च) संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्कूल के बच्चों को जैव संसाधित खाने का वितरण

4467. **डा. चरणदास महंत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव संसाधित खाने का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका से आयातित जी एम स्टार लिंक कोर्न देश में स्कूल के बच्चों के बीच वितरित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में घटित ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है; और

(घ) इन आयातों के लिए जिम्मेदार संगठनों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) आनुवंशिक रूप से संशोधित सभी खाद्य पदार्थों को मानव उपभोग के लिए अनुमोदित किए जाने के पहले उनकी विषाक्तता और एलर्जी की जांच की जाती है।

(ख) देश में स्कूली बच्चों के बीच अमरीका से आयातित जी एम स्टार लिंक कोर्न के वितरण के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु, इस बारे में यू एस विनियामक एजेंसी से इस आशय के प्रमाणन के अभाव में कि यू एस ए आई डी के माध्यम से सी ए आर ई और सी आर एस द्वारा आयातित कोर्न सोया ब्लेंड (सी एस बी) में जी एम स्टारलिंक कोर्न नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने हाल ही में देश में सी एस बी के आयात के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

फलों और सब्जियों की चोरी

4468. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगोलपुरी स्थित मदर डेयरी (फल और सब्जियां) संयंत्र अपने विभिन्न बिक्री केन्द्रों को फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए निजी ट्रकों/मेटाडोर को किराए पर ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो वाहनों के मालिक/चालक तथा हेल्पर अधिकतर फल और सब्जियां चुरा रहे हैं और क्या बिक्री केन्द्रों को उनके द्वारा मांगी गई सही मात्रा नहीं दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संयंत्र के ध्यान में आने वाली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बूथों को सामान्तया रियायतप्राप्तकर्त्ता द्वारा की गई मांग के अनुसार ही सप्लाई की जाती है।

(ग) और (घ) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों की सुरक्षा

4469. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा अपने हाथ में लेने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने वाले स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास पर्याप्त जनशक्ति और ऐसे स्मारकों की सुरक्षा करने संबंधी जानकारी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1 मई, 2002 से ताजमहल, आगरा और 8 अप्रैल, 2003 से लालकिला, दिल्ली की सुरक्षा कर रहा है।

(ग) जब भी गृह मंत्रालय के साथ इस बात पर सहमति होती है कि विशेष ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी जाए, तब यह अलग-अलग मामलों के आधार पर संगठित की जाती है।

गेम सेंक्चुअरिओं का निरीक्षण और सुधार

4470. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न गेम सेंक्चुअरिओं का निरीक्षण और सुधार करने के लिए अधिकारियों का दल भेजती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गेम सेंक्चुअरिओं का दौरा करने वाले दलों की संख्या कितनी है;

(ग) इन दलों का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) ऐसी सेंक्चुअरिओं का और अधिक विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) अभयारण्यों के सुधार हेतु प्रबंधन नियोजन तथा इसका क्रियान्वयन संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा किया जाता हैं। संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। भारत सरकार समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करती है तथा अभयारण्यों के सुधार हेतु उपाय सुझाती है।

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में और अधिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं-

1. एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 तैयार की गई है तथा इसे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अंगीकृत किया गया है जिसमें वन्यजीव प्राथमिकता क्षेत्रों और परियोजनाओं की क्रियान्वयन हेतु पहचान की गई है।

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके इसे और अधिक कठोर बनाया गया है।

नदी का कटाव

4471. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष कटाव के कारण कृषि भूमि और रिहायशी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने वाली नदियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों को कटाव से बचाने के लिए तथा भविष्य में नदी के कटाव को रोकने के लिए यदि कोई कार्ययोजना शुरू की गई है तो वह क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नदियों द्वारा कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण इन स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन एवं प्रचालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता देती है।

(ग) तथापि, भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपए के केन्द्र के हिस्से के साथ उड़ीसा को शामिल करते हुए, ''तटीय एवं गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गंभीर कटाव रोधी कार्य'' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रस्तावित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदी कटावरोधी कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा पहचान की जाने वाली स्कीमों को उपरोक्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों की इंटरकनेक्टिविटी

4472. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों और अभयारण्यों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक में वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी संबंधी आधारभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नेटवर्किंग द्वारा इंटरकनेक्टिड हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें नेटवर्किंग द्वारा जोड़ने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो इनके कब तक इंटरकनेक्टिड होने की संभावना है;

(च) वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान इन प्राणी उद्यानों और अभयारण्यों में आने वाले घरेलू/विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या थी; और

(छ) सरकार द्वारा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण I पर दी गई है। दिल्ली स्थित चिड़ियाघर का नाम राष्ट्रीय प्राणि उद्यान रखा गया है।

(ख) सूचना का संग्रह और मिलान मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वन्यजीव वासस्थलों के विखंडन की वजह से इनकी देशव्यापी नेटवर्किंग प्राप्त करना संभव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या के ब्यौरे का संग्रह एवं मिलान केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता।

(छ) बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में निर्वचन केन्द्रों और पारि-पर्यटन के विकास हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	अभयारण्य
1	2	3	4
1.	अण्डमान	9	96
2.	आंध्र प्रदेश	4	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	11
4.	असम	5	15
5.	बिहार	1	11
6.	चण्डीगढ़	0	2
7.	छत्तीसगढ़	3	10
8.	दादरा और नगर हवेली	—	1
9.	दमन और दीव	0	1
10.	दिल्ली	0	1
11.	गोवा	1	6
12.	गुजरात	4	21
13.	हरियाणा	1	9
14.	हिमाचल प्रदेश	2	32
15.	जम्मू और कश्मीर	4	16
16.	झारखण्ड	1	10
17.	कर्नाटक	5	21
18.	केरल	3	12
19.	लक्षद्वीप	—	1
20.	मध्य प्रदेश	9	25
21.	महाराष्ट्र	5	33
22.	मणिपुर	1	5
23.	मेघालय	2	3
24.	मिजोरम	2	6
25.	नागालैंड	1	3
26.	उड़ीसा	2	18
27.	पंजाब	0	10
28.	राजस्थान	4	24
29.	सिक्किम	1	6
30.	तमिलनाडु	5	20
31.	त्रिपुरा	0	4
32.	उत्तर प्रदेश	1	23
33.	उत्तरांचल	6	6
34.	पश्चिम बंगाल	5	15
	कुल	89	499

जल भंडारों का संरक्षण

4473. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री भास्करराव पाटील:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में जल भंडारों का संरक्षण करने के लिए कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्यों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्यों में जल भंडारों का संरक्षण करने का निदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, स्कीमों की आयोजना, तैयारी, क्रियान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ भंडारित जल को संरक्षित रखें।

राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा 177 बिलियन घन मीटर की भंडारण क्षमता मुहैया कराने वाली बहुत सी वृहद और मध्यम परियोजनाएं तैयार की गई हैं। निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के द्वारा 207.77 बिलियन घन मीटर का एक और भंडारण तैयार किए जाने की संभावना है। निर्माणाधीन स्कीमों को जल्दी से पूरा करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति-2002 अपनाई है जिसमें जल के संरक्षण की भी व्यवस्था है। इस नीति के संगत प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> ''जल के सभी विविध उपयोगों में जल के उपयोग की दक्षता अधिकतम होनी चाहिए और जल एक दुर्लभ संसाधन है। इसकी जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। शिक्षा, नियमन, प्रोत्साहन और दंड देकर संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।''

> ''संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए और प्रतिधारण क्षमता बढ़ाकर, प्रदूषण को खत्म कर और जल हानियों को कम कर जल की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए, संवाहक प्रणाली में चुनिंदा स्थानों को पक्का करना, टैंकों सहित मौजूदा प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सुधार, सुधार किए गए बहिस्त्रावों का पुन: चक्रण और पुन: उपयोग करने तथा मल्चिंग अथवा घट सिंचाई जैसी परंपरागत तकनीकें अपनाना और जहां कहीं व्यवहार्य हो, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाए।''

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल नीति भेजी गई है। इस नीति में यह भी निदेश है कि इस नीति के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य एक समयबद्ध ढंग से अर्थात् दो वर्षों में प्रचालनात्मक कार्रवाई योजना के समर्थन से अपनी राज्य जल नीति तैयार करेगा।

[हिन्दी]

कमरे का शुल्क

4474. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय होटलों में कमरे का शुल्क दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड और श्रीलंका जैसी विदेशी होटलों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय और विदेशी होटलों के किराए में कितना अंतर है;

(घ) क्या भारत में कर का घटक विदेशों की अपेक्षा अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशों और भारत में लगाए गए कर का प्रतिशत कितना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारत में होटल थाइलैंड, मलेशिया इत्यादि अन्य पड़ोसी देशों के होटलों की तुलना में अधिक महंगें नहीं हैं। यद्यपि, कुछ भारतीय 5 सितारा डीलक्स होटलों में प्रकाशित शुल्क अधिक दिखाया जाता है, वास्तव में व्यवहार रूप से होटलों की छूट देने की नीति के कारण प्रकाशित किराए से वसूली दर काफी कम होती है।

तथापि, भारत सरकार, पर्यटन विभाग होटलों में कमरों का किराया नियंत्रित नहीं करती है। यह बाजार की प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है।

(घ) और (ङ) पड़ोसी देशों में कमरे के किराए पर कर, चीन में 0% से इंडोनेशिया में 9.91% के बीच अलग-अलग होता है।

1, जून, 2003 से होटलों के कमरे के किराए पर व्यय कर वापस ले लिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा कमरे के किराए पर प्रभारित लग्जरी कर 0% से 25% के बीच अलग-अलग रहता है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

4475. श्री जे.एस. बराड़: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान देश में काम कर रही खादी ग्रामोद्योग शाखाओं को उनका वित्तीय निष्पादन दर्शाते हुए राज्य-वार और संघ राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) यह शाखाएं किन क्षेत्रों में लाभ कमा रही हैं और किन-किन क्षेत्रों में घाटे में चल रही हैं;

(ग) आम आदमी और महिला द्वारा खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का आठवीं कक्षा तक के स्कूल के बच्चों के लिए खादी की वर्दी अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम): (क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। वर्ष 2002-2003 के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है।

(ख) इन बिक्री शाखाओं के लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्यत: निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) डिजाइन विकास के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन आई डी), अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) के साथ टाई-अप व्यवस्था स्थापित की गई है। उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए उत्पादन डिजाइन एवं पैकेजिंग के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), नई दिल्ली की सहायता से पायलट आधार पर खादी कपड़े की स्टिफ एंड साफ्ट फिनिशिंग प्रासेस आरम्भ की गई है, जिससे खादी वस्त्रों की लोकप्रियता में वृद्धि होने की आशा है।

(3) महिलाओं के लिए 'खूबसूरत खादी' नामक वस्त्र डिजाइन किया गया है एवं बाजार में उतारा गया है।

(4) अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से खादी कारीगरों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दस्तकार आंध्र एवं ग्रामीण विकास अभिकरण (आर यू डी ए), राजस्थान जैसे गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओज) की विशेषज्ञता का लाभ उठाया गया है।

(5) खादी उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार लाकर सम्भावित उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में सिल्वर प्लाण्टस स्थापित किए गए हैं, ताकि गुणवत्ता सिल्वर की पूर्ति की जा सके।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग शाखाओं (भवनों) का विक्रय निष्पादन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	भवन	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
क. उत्तरी क्षेत्र				
1.	के.जी.बी. नई दिल्ली	937.05	1545.28	1370.80
2.	ग्राम शिल्पा, नई दिल्ली	128.56	163.26	202.79

1	2	3	4	5
ख. दक्षिणी क्षेत्र				
3.	के.जी.बी. एर्नाकुलम	239.94	274.12	306.91
4.	के.जी.बी. बंगलौर	168.52	132.99	100.30
ग. पूर्वी क्षेत्र				
5.	के.जी.बी. पटना	97.54	51.26	42.18
6.	के.जी.बी. कोलकाता	256.12	311.86	281.04
7.	ग्राम शिल्पा, दार्जिलिंग	1.97	2.31	2.83
8.	के.जी.बी. भुवनेश्वर	2.51	3.12	4.07
9.	सी.वी. भुवनेश्वर	72.39	125.45	46.12
10.	के.जी.बी. सिलीगुड़ी	8.98	13.37	2.91
घ. पश्चिमी क्षेत्र				
11.	के.जी.बी. अहमदाबाद	182.70	72.78	57.98
12.	के.जी.बी. मुम्बई	77.23	101.36	49.36
13.	के.जी.बी. गोवा	29.92	32.11	32.55
14.	के.जी.बी. सिलवासा	2.08	2.09	4.85
ङ. केन्द्रीय क्षेत्र				
15.	के.जी.बी. ब्रांच भोपाल	100.59	87.26	68.72
16.	के.जी.बी. जेसी, भोपाल	10.79	9.90	9.11
17.	के.जी.बी. देहरादून	11.12	5.66	4.78
च. उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
18.	के.जी.बी. शिलांग	10.32	14.26	7.98
19.	के.जी.बी. अगरतला	6.40	13.57	10.53

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग शाखाओं (भवनों) का लाभ/हानि निष्पादन

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	भवन	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
क. उत्तरी क्षेत्र				
1.	के.जी.बी. नई दिल्ली	(-) 40.76	29.96	30.04
2.	ग्राम शिल्पा, नई दिल्ली	(-) 20.94	(-) 10.52	(-) 7.55

1	2	3	4	5
ख. दक्षिणी क्षेत्र				
3.	के.जी.बी. एर्नाकुलम	0.75	1.26	2.07
4.	के.जी.बी. बंगलौर	(-) 9.75	(-) 13.54	(-) 14.63
ग. पूर्वी क्षेत्र				
5.	के.जी.बी. पटना	(-) 19.12	(-) 16.50	(-) 15.20
6.	के.जी.बी. कोलकाता	(-) 29.98	(-) 32.18	(-) 28.73
7.	ग्राम शिल्पा, दार्जिलिंग	(-) 1.97	(-) 2.06	(-) 2.34
8.	के.जी.बी. भुवनेश्वर	(-) 2.58	(-) 2.69	(-) 3.52
9.	सी.वी. भुवनेश्वर	(-) 2.86	(-) 3.38	(-) 9.17
10.	के.जी.बी. सिलीगुड़ी	(-) 1.87	(-) 0.52	(-) 0.88
घ. पश्चिमी क्षेत्र				
11.	के.जी.बी. अहमदाबाद	(-) 5.76	(-) 15.24	(-) 13.86
12.	के.जी.बी. मुम्बई	(-) 5.84	(-) 7.87	(-) 15.48
13.	के.जी.बी. गोवा	0.03	0.03	0.06
14.	के.जी.बी. सिलवासा	0.20	0.02	0.10
ङ. केन्द्रीय क्षेत्र				
15.	के.जी.बी. ब्रांच भोपाल	(-) 12.92	(-) 17.43	(-) 15.44
16.	के.जी.बी. जेसी, भोपाल	(-) 4.00	(-) 3.39	(-) 4.06
17.	के.जी.बी. देहरादून	(-) 4.17	(-) 4.92	(-) 5.58
च. उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
18.	के.जी.बी. शिलांग	(-) 1.49	(-) 0.46	(-) 0.65
19.	के.जी.बी. अगरतला	0.32	0.11	(-) 0.20

(-) = 1 घाटा उठा रहे भवन

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

4476. **श्री शिवराजसिंह चौहान:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमानपत्तनों और विमान सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फरवरी 2002 में 1.92 करोड़ रुपए की लागत पर इंदौर विमानपत्तन पर कार पार्किंग के निर्माण तथा संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया है। 7.46 करोड़ रुपए की लागत पर जबलपुर विमानपत्तन पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण से संबंधित कार्य तथा 21.78 करोड़ रुपए की लागत पर खजुराहो विमानपत्तन पर धावनपथ का 6000 फीट से 7500 फीट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य प्रगति पर है और इनके क्रमश: मई, 2003 और सितम्बर, 2003 तक पूरा होने की आशा है। इंदौर विमानपत्तन पर धावनपथ के 7500 फीट से 9000 फीट तक, भोपाल विमानपत्तन पर धावनपथ के 6700 फीट से 7500 फीट तक और रायपुर विमानपत्तन पर धावनपथ को 6000 फीट से 7500 फीट तक विस्तार से संबंधित योजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पहले से अनुरोध किया जा चुका है।

फिलहाल, मध्य प्रदेश एलाइंस एयर की दिल्ली-भोपाल-इंदौर-मुंबई और वापसी सैक्टर पर दैनिक विमान सेवा और दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी और वापसी सैक्टर पर सप्ताह में तीन विमान सेवाओं और जेट एयरलाइन्स की मुंबई-इंदौर-मुंबई सैक्टर पर सप्ताह में दो विमान सेवा तथा मुंबई-भोपाल-मुंबई, दिल्ली-इंदौर-भोपाल-दिल्ली (16.4.2003 से प्रभावी) और दिल्ली-वाराणसी-खजुराहो और वापसी प्रत्येक पर दैनिक आधार पर विमान सेवा से जुड़ा हुआ है।

फिलहाल, छत्तीसगढ़ एलाइंस एयर की दिल्ली-नागपुर-रायपुर और वापसी पर सप्ताह में छह उड़ानों और दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली क्षेत्र पर सप्ताह में एक उड़ान सेवा से जुड़ा हुआ है।

इंडियन एयरलाइन्स मुंबई-रायपुर-भुवनेश्वर-मुंबई सेक्टर पर सप्ताह में 3 उड़ानें प्रचालित कर रही है, जिसकी आवृत्ति को 16.4.2003 से दैनिक उड़ानों तक बढ़ा दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.ए.एस.आर. की परिक्रामी निधि परियोजनाएं

4477. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) की परिक्रामी निधि परियोजना ने मार्च, 2003 तक लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल परियोजना प्रस्ताव में परिवर्तन और उत्तरवर्ती एक/दो/तीन सप्ताह (सप्ताहों) के प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षण हुए, प्रति प्रशिक्षण प्रतिभागियों की औसत संख्या क्या है, तीन प्रशिक्षण श्रेणियों के लिए मार्च, 2003 तक कितना लाभ मिला;

(घ) क्या उपर्युक्त 21 दिनों के प्रशिक्षण को वैज्ञानिकों के 'कैरियर' उन्नयन के उद्देश्य हेतु आई.सी.ए.आर. के शिक्षा प्रभाग से मान्यता प्राप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की परिक्रामी निधि योजना ने मार्च, 2003 तक लाभ सृजित किया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। वैज्ञानिकों के "कैरियर" उन्नयन के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा प्रभाग ने इसे मान्यता नहीं दी है।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित लाभ का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

क्र.सं.	वर्ष	अर्जित लाभ (रुपये में)
1.	1998-99	55,185
2.	1999-00	3,34,574
3.	2000-01	3,43,448
4.	2001-02	4,04,078
5.	2002-03	6,61,286
	कुल	17,98,571

अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में एक/दो/तीन सप्ताहों के प्रशिक्षण

की संख्या को स्पष्ट नहीं किया गया किन्तु एक वर्ष में कुल प्रशिक्षण सप्ताहों को दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रशिक्षण अनुमोदन के अनुरूप आयोजित किए गए तथा पिछले तीन वर्षों के कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि
1	2	3
	वर्ष 2000-2001 का प्रशिक्षण कार्यक्रम	
1.	एम एस-आफिस-97 (i)	03.04.2000 से 08.04.2000
2.	एम एस-आफिस-97 (ii)	10.04.2000 से 15.04.2000
3.	एम एस-आफिस-97 (ii)	08.05.2000 से 13.05.2000
4.	विजुअल बेसिक	22.05.2000 से 03.06.2000
5.	वैब प्रोग्रामिंग एवं इंटरनेट टैक.	19.06.2000 से 01.07.2000
6.	बिल्डिंग एम आई एस यूजिंग विजुअल बेसिक एवं एसैस	10.07.2000 से 22.07.2000
7.	एम एस-आफिस-2000 (i)	31.07.2000 से 05.08.2000
8.	एम एस-आफिस-2000 (ii)	07.08.2000 से 12.08.2000
9.	एस पी एस एस	21.08.2000 से 26.08.2000
10.	वैब प्रोग्रामिंग एवं इंटरनेट टैक.	09.10.2000 से 21.10.2000
11.	आर डी बी एम एस एवं एम एस-एसैस	30.10.2000 से 04.11.2000
12.	एम एस-आफिस-2000 (i)	13.11.2000 से 18.11.2000
13.	एम एस-आफिस-2000 (ii)	20.11.2000 से 25.11.2000
14.	जावा प्रोग्रामिंग	04.12.2000 से 16.12.2000
15.	एम एस-आफिस-2000	18.12.2000 से 23.12.2000
16.	वैब डिजानिंग	26.02.2001 से 03.03.2001
17.	विजुअल बेसिक	12.03.2001 से 24.03.2001
18.	एम एस-आफिस-2000 (i)	26.03.2001 से 31.03. 2001
	वर्ष 2001-2002 का प्रशिक्षण कार्यक्रम	
1.	वैब प्रोग्रामिंग एवं इंटरनेट टैक.	16.04.2001 से 28.04 2001
2.	एस पी एस एस	30.04.2001 से 05.05.2001
3.	ओरेकल-एप्लीकेशन डेवलपमेंट	14.05.2001 से 26.05.2001
4.	जावा प्रोग्रामिंग एवं इंटरनेट टैक.	28.05.2001 से 09.06.2001
5.	एम एस-आफिस-2000 (i)	11.06. 2001 से 16.06.2001

1	2	3
6.	एम एस-आफिस-2000 (ii)	18.06.2001 से 23.06.2001
7.	एम एस-आफिस-2000 (i एवं ii)	25.06..2001 से 07.07.2001
8.	विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग	16.07.2001 से 28.07.2001
9.	एम एस-आफिस-2000 (i)	30.07.2001 से 04.08.2001
10.	एम एस-आफिस-2000 (ii)	13.08.2001 से 18.08.2001
11.	वैब प्रोग्रामिंग एवं इंटरनेट टैक.	20.08.2001 से 01.09.2001
12.	एम एस-आफिस-2000 (i)	10.09.2001 से 15.09.2001
13.	एस पी एस एस	24.09.2001 से 29.09.2001
14.	वैब डिजानिंग	15.10.2001 से 20.10.2001
15.	जावा प्रोग्रामिंग	29.10.2001 से 09.11.2001
16.	डी बी एम एस कानसैप्ट एवं एम एस-एसैस	19.11.2001 से 24.11.2001
17.	एम एस-आफिस-2000 (i)	10.12.2001 से 15.12.2001
18.	एम एस-आफिस-2000 (ii)	17.12.2001 से 21.12.2001
19.	वैब डिजानिंग	07.01.2002 से 12.01.2002
20.	सी + +	21.01.2002 से 02.02.2002
21.	डी बी एम एस कानसैप्ट एवं एम एस-एसैस	11.02.2002 से 16.02.2002
22.	एम एस-आफिस-2000 (i एवं ii)	18.02.2002 से 02.03.2002
23.	एम एस-आफिस-2000 (i एवं ii)	11.03.2002 से 23.03.2002
	वर्ष 2002-2003 का प्रशिक्षण कार्यक्रम	
1.	विजुअल बेसिक	1.4..2002 से 13.04.2002
2.	डी बी एम एस कानसैप्ट एवं एसैस 2000	15.4..2002 से 20.4.2002
3.	एम एस-आफिस (बेसिक)	29.4.2002 से 4.5.2002
4.	लीनक्स (i एवं ii)	13.5.2002 से 25.5.2002
5.	एस पी एस एस	27.5.2002 से 1.6.2002
6.	ओरेकल	10.6.2002 से 22.6.2002
7.	वैब प्रोग्रामिंग	24.6.2002 से 6.7.2002
8.	एम एस-आफिस एवं एस पी एस एस	8.7.2002 से 17.7.2002
9.	एम एस-आफिस (i)	29.7.2002 से 03.8.2002

1	2	3
10.	एम एस-आफिस (i)	05.08.2002 से 10.8.2002
11.	विजुअल बेसिक	19.8.2002 से 31.8.2002
12.	डी बी एम एस कानसैप्ट एवं एसैस 2000	2.9.2002 से 7.9.2002
13.	लीनक्स (i) एवं (ii)	16.09.2002 से 28.09.2002
14.	एम एस आफिस (बेसिक)	30.09.2002 से 05.10.2002
15.	वैब प्रोग्रामिंग	21.10.2002 से 02.11.2002
16.	एम एस-आफिस-2000 (i) एवं (ii)	11.11.2002 से 23.11.2002
17.	वैब टैक.	10.12.2002 से 30.12.2002
18.	एम एस-आफिस-2000 (i) एवं (ii)	06.01.2003 से 18.01.2003
19.	विजुअल बेसिक	20.01.2003 से 01.02.03
20.	एम एस-आफिस-2000 एवं एस पी एस एस	13.02.2003 से 05.02.03
21.	वैब डिजानिंग	24.03.2003 से 29.03.03

तथापि, पिछले तीन वर्षों के अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं.	वर्ष	वर्ग	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रत्येक प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का औसत	प्राप्त लाभ (रु.)
1.	2000-2001	एक सप्ताह	12	11.17	3,43,448
		दो सप्ताह	6	7.83	
2.	2001-2002	एक सप्ताह	14	6.36	4,04,078
		दो सप्ताह	9	6.44	
3.	2002-2003	एक सप्ताह	9	9.33	6,61,286
		दो सप्ताह	8 *	6.12	
		तीन सप्ताह	2	13.5	

*वास्तविक रूप से 10 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं किंतु 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।

उर्वरकों की खपत

4478. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों को विनियंत्रित करने के परिणामस्वरूप इन उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप उनकी खपत में तीव्रता से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इन उर्वरकों की खपत में किस सीमा तक कमी आई है;

(ग) क्या सरकार ने इन उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए एक अलग रियायत योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में किसानों की कितनी राशि की रियायत प्रदान की गई; और

(ङ) इन उर्वरकों की खपत किस सीमा तक बढ़ी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दिनांक 25.8.1992 को फास्फेटिक और पोटासिक (पी. और के.) उर्वरकों के विनियंत्रण के उपरान्त, इन उर्वरकों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई जिससे वर्ष 1992-93 में उनकी खपत में तेजी से गिरावट आई।

(ख) डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) और सम्मिश्रणों की खपत में वर्ष 1991-92 की खपत स्तर की तुलना में वर्ष 1992-93 में क्रमशः 10.3%, 42.7%, 36.6% और 5.4% तक गिरावट हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार विनियंत्रित उर्वरकों जैसे डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.), म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) और सम्मिश्रण उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) निर्दिष्ट करती है। सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) के मामले में, निर्देशक अधिकतम खुदरा मूल्यों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा घोषित मूल्यों पर इन उर्वरकों की बिक्री किए जा सकने के लिए विनियंत्रित पी. और के. उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की स्कीम के अंतर्गत रियायत का भुगतान किया जाता है। उर्वरकों के राज सहायता प्राप्त मूल्यों के लाभ देश के सभी भागों के सभी किसानों को उपलब्ध हैं।

(ङ) दिनांक 6.7.1996 और 1.4.1997 को पी. और के. उर्वरकों के लिए रियायत की राशि में पर्याप्त वृद्धि के बाद, डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी. और सम्मिश्रणों की खपत में 1996-97 में उनकी खपत की तुलना में वर्ष 1997-98 में क्रमशः 48.2%, 44.3%, 21.3% और 5.5% की यथेष्ट वृद्धि हुई। इसके बाद, वर्ष 2000-01 और 2002-03 को छोड़कर, खपत में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2000-01 और 2002-03 में, अधिकतर उर्वरकों की खपत में देश के अधिकतर भागों में गम्भीर सूखे के कारण गिरावट हुई।

प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

4479. श्री अनन्त नायक: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु एक केन्द्रीय योजना प्रायोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) देश में सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के कारण विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास मुहैया कराने के लिए सरकार का केन्द्रीय स्कीम प्रायोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, परियोजना से विस्थापित हुए 1000 अथवा अधिक परिवारों के प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों संबंधी परियोजना प्रभावित परिवार (पुनर्स्थापन और पुनर्वास) बिल, 2002 का प्रारूप तैयार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की वजह से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास शामिल है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों/फलों का उत्पादन

4480. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर झारखंड में खाद्यान्नों और फलों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु विशेषकर झारखंड राज्य में सरकार द्वारा किस सीमा तक निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौत

4481. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उड़ीसा के समुद्रीय तट पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के मरने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति के सुझावों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने कछुओं की सुरक्षा और बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों संबंधी आवेदन संख्या 46 के संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार को दिशानिर्देश दिए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सी.ई.एल.-डब्ल्यू. एफ मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 14 मई, 1998 के निर्णय को सख्ती से लागू करना।
2. देवी नदी मुहाने और रूशीकुल्या मुहाने पर स्थायी कैम्पों की स्थापना।
3. मत्स्य विभाग द्वारा टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का प्रयोग न करने वाली मत्स्य नौकाओं के लाइसेंस निलंबित करना।
4. कछुओं की सुरक्षा और जब्त की गई नावों/ट्रालरों की सुरक्षित परिरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा इस हेतु अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान किया जाना।
5. तीन नेस्टिंग स्थलों के 5 कि.मी. के भीतर चलने वाली सभी गिल नेट नौकाओं पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाना (अंतरिम दिशानिर्देश जारी करने की तारीख: 7.3.2003)।

वर्षा जल का संचयन

4482. श्री सुनील खां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वर्षा जल का संचयन करने के लिए किसी व्यापक योजना को बनाए जाने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल-संचयन प्रणाली की संस्थापना के लिए अनुमानित प्रति हेक्टेयर व्यय कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं लाभग्राहियों के बीच 90:10 के अनुपात की वित्तीय पद्धति वाली 3000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन" के संबंध में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है और योजना आयोग को 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन के लिए भेज दी है। इस स्कीम के अंतर्गत विचार की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल संचयन संरचनाओं की लागत संरचना के प्रकार एवं आकार और अन्य पैरामीटरों सहित स्थानीय जल विज्ञान के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है।

विवरण

"भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत विचार की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	570
2.	बिहार और झारखंड	665
3.	छत्तीसगढ़	2120
4.	गुजरात	3160
5.	हरियाणा	12100
6.	हिमाचल प्रदेश	1175
7.	जम्मू और कश्मीर	400
8.	कर्नाटक	3200
9.	केरल	2000
10.	मध्य प्रदेश	700
11.	महाराष्ट्र	850
12.	उत्तर-पूर्वी राज्य	3040

1	2	3
13.	उड़ीसा	120
14.	पंजाब	14400
15.	राजस्थान	5000
16.	सिक्किम	10500
17.	तमिलनाडु	2500
18.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1690
19.	पश्चिम बंगाल	350
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15015
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1565
22.	लक्षद्वीप	200
23.	चंडीगढ़	500
24.	दमन और दीव	100
25.	पांडिचेरी	40
26.	तटीय क्षेत्र	30
	कुल	81990

[हिन्दी]

कार्गो में वृद्धि

4483. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रमुख विमानपत्तनों पर विमान कार्गो हैंडलिंग के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और दर्ज की गई वास्तविक वृद्धि क्या है;

(ख) इनमें कमी के क्या कारण हैं;

(ग) अगले पांच वर्षों इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) बढ़ते विमान कार्गो से निपटने के लिए मूलभूत सेवाओं का विस्तार करने और इन्हें मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) अगले पांच वर्षों में इन सेवाओं को मजबूत करने के लिए अपेक्षित निवेश की राशि कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मेट्रो हवाई अड्डों का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2000-01 में 491.71, 2001-02 में 526.78 तथा 2002-03 में 564.36 हजार मीट्रिक टन था। इन वर्षों के दौरान प्राप्त लक्ष्य फरवरी, 2003 तक क्रमशः 491.71, 488.34 तथा 549.43 हजार मीट्रिक टन है।

(ख) 11.9.2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आक्रमण के बाद के प्रभावों के कारण वर्ष 2001-2002 में गिरावट आयी।

(ग) अगले पांच वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 604.63, 647.79, 694.05, 743.61 तथा 796.75 हजार मीट्रिक टन है।

(घ) मुम्बई हवाई अड्डे की कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए जो काम किया गया है उनमें शीघ्र नष्ट होने वाला सामान को रखने के लिए अत्याधुनिक कार्गो केन्द्र की स्थापना की गई थी। चेन्नई हवाई अड्डे पर आधुनिक ई टी वी के प्रावधानों के साथ एक्सपोर्ट कार्गो की हैंडलिंग के लिए इंटेग्रेटेड कार्गो का निर्माण किया गया है। कोलकाता हवाई अड्डे पर इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट कार्गो तथा शीघ्र नाशक सामान के लिए अत्याधुनिक केन्द्र के लिए इंटेग्रेटेड कार्गो टर्मिनल का निर्माण करने की योजना है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा उनके ट्रेड पार्टनरों के बीच आन लाइन कार्गो ट्रांसजेक्शन के लिए इंटरनेट के माध्यम से सम्पर्कता तथा आटोमेटिक डाटा कैपचरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन अर्थात् कार्गो हैंडलिंग गतिविधियों के बार कोड प्रणाली के प्रावधान की योजना है।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चार मेट्रो हवाई अड्डों पर आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 99.16 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। दिल्ली हवाई अड्डे पर इपोर्ट कार्गो टर्मिनल के विस्तार से संबंधित कार्य, स्टेकर प्रणाली के साथ सेकेण्ड इलेवेटेड ट्रांसफर व्हीकल (ई टी वी) की स्थापना तथा कूरियर/एक्सप्रेस बैगों की हैंडलिंग के लिए क्षेत्र को बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर न्यूमोनिया परीक्षण

4484. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ एशियाई देशों एवं कनाडा में अज्ञात न्यूमोनिया के फैलने के आलोक में मंत्रालय ने देश के सभी विमानपत्तनों को

भारत आने वाले सभी यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण करने के निदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। सभी एयरलाइनों को प्रभावित देशों से आने वाले सभी विमानों की सफाई के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से परामर्श करके उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डी जी एच एस) ने भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय और 9 कस्टम हवाई अड्डों पर स्थापित स्वास्थ्य काउंटरों पर डाक्टरों की तैनाती की है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) से संभावित पीड़ितों की जांच करने के लिए भारत में उतरने वाले सभी लोगों द्वारा एयरलाइनों और उक्त हवाई अड्डों के इमीग्रेशन क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य जांच के लिए नामित स्थानीय अस्पतालों में ले जाना है। पांच प्रमुख हवाई अड्डों पर आगमन साइड पर ड्यूटी करने वाले इमीग्रेशन कर्मचारियों को मास्क सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकोमैंडिड केस डेफिनेशन को भारत द्वारा भी मान लिया गया और जिसे सभी संबंधित संगठनों को यह केस डेफिनेशन परिचालित कर दी गई है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलोजी, पुणे को ससपेक्टिड/संभावित बीमारी की पहचान कर जांच करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) ने सार्स होने वाले वायरस के डायग्नोज के रीजेंटस तैयार करने संबंधी अपेक्षित प्राइमर्स प्राप्त कर लिए हैं। मीडिया को देश में सार्स की रोकथाम करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सूचित किया जा रहा है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है।

आर्गेनिक कॉटन के उत्पादन को प्रोत्साहन

4485. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्गेनिक कॉटन के उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से आर्गेनिक कॉटन फसल बीमा योजना आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। कपास की फसल पहले ही राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में शामिल है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

चूककर्ता फैक्ट्री मालिक

4486. श्री अरुण कुमार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के किन-किन फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध भविष्य निधि में नियमों के अनुसार निर्धारित अंश का भुगतान न करने हेतु मामले दायर किए गए हैं; और

(ख) चूककर्ता फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) देश भर में कुछ प्रतिष्ठानों ने सांविधिक भविष्य निधि देयों के भुगतान में चूक की है। बिहार राज्य में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु. या इससे अधिक की राशि की चूक करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 18 है।

(ख) जब कभी भी किसी चूक का पता लगता है तो चूककर्ता के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8च, 8ख से 8छ, 14 (1) (क), 14 (ख) और 7थ, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

गाय के दूध के उत्पादन में कमी

4487. श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाय के दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। गाय के दूध के उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी कामगारों के लिए योजनाएं

4488. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी कामगारों को आवास सुविधा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है जिस तरह उनको चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कुछ अस्पताल चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर आवास योजनाओं का अनुमोदन किया गया है;

(ग) ऐसे स्थानों पर कितनी आवास इकाइयां बनाई जाएंगी और बीड़ी कामगारों को कितना आवास ऋण दिया जाएगा;

(घ) क्या बीड़ी कामगारों से लिए जाने वाले ब्याज दर की प्रतिशतता बैंक ब्याज दर की तुलना में कम या ज्यादा होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या आवास इकाइयां आवास बोर्ड के माध्यम से बनाई जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां। सरकार, बीड़ी कामगारों के लिए एकीकृत आवास योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति कामगार 20,000/- रु. अथवा प्रति मकान की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में आवास इकाइयों की संख्या सहित बीड़ी कामगारों के लिए अनुमोदित आवास योजनाओं के स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी कामगारों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत, मकानों का निर्माण कामगारों द्वारा स्वयं, अथवा कामगारों द्वारा बनायी गयी कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से, अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य आवास बोर्ड जैसी किसी एजेन्सी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

विवरण

मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगारों के लिए अनुमोदित आवास इकाइयां

क्रमांक	स्थान का नाम	संस्वीकृत आवास इकाइयों की संख्या
1.	पांड्या-खेड़ी (उज्जैन)	100
2.	जावरा (रतलाम)	100
3.	ग्वालियर	180
4.	राघोगढ़ (गुना)	400
5.	कटनी	63
6.	बालाघाट	07
7.	दमोह	13
8.	सागर	21
9.	सतना	04
10.	जबलपुर	06
11.	रीवा	03
12.	इंदौर	01
13.	गादरवाड़ा (नरसिंहपुर)	01
	कुल	899

[अनुवाद]

मत्स्यन प्रशिक्षण और विस्तार इकाई

4489. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में 1998 से स्वीकृत मत्स्यन प्रशिक्षण और विस्तार इकाईयों की संख्या कितनी है और इस संबंध में विभिन्न राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में इस प्रकार की इकाइयों के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत इकाइयों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत देश में 1998 से अब तक कुल 37 प्रशिक्षण और विस्तार इकाइयों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त धनराशि के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना के तहत कर्नाटक राज्य को कुल तीन मत्स्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र और एक जागरूकता केन्द्र की मंजूरी दी गई है।

विवरण

1998-99 से 2002-03 तक मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी धनराशि (लाख रुपए में)				
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	—	2.57	2.00	3.16	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.33	—	—	—	1.72
3.	असम	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	3.00	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	0.93	—	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	16.20	8.00	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	17.50	—	—	21.33
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.80	15.20	12.72	6.96	3.93
10.	कर्नाटक	0.76	—	17.42	12.50	12.00
11.	केरल	1.61	—	16.00	—	10.00
12.	मध्य प्रदेश	—	—	11.14	—	1.27
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	14.16

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	—	5.10	—	—	—
15.	मेघालय	3.42	1.95	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	3.33	9.15	18.26	19.19	12.00
18.	उड़ीसा	1.71	—	—	—	—
19.	पंजाब	4.02	—	—	16.00	—
20.	राजस्थान	—	12.10	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	20.00	34.21
22.	त्रिपुरा	—	9.00	—	9.00	19.28
23.	उत्तर प्रदेश	0.25	—	12.55	—	25.66
24.	पश्चिम बंगाल	1.12	17.25	—	—	—
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.35	—	—	—	—
26.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—
27.	सिक्किम	—	—	2.90	—	4.00
28.	झारखंड	—	—	—	10.56	—
29.	छत्तीसगढ़	—	—	—	27.28	—

[हिन्दी]

भू-जल स्तर संबंधी उच्चतम न्यायालय का निर्णय

4490. **श्री शिवाजी माने:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भू-जल स्तर के संबंध में कोई निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677 के आई.ए. संख्या 32 में दिनांक 10.12.1996 के अपने आदेश द्वारा देश के कुछ हिस्सों में भूजल के गिरते स्तर का संज्ञान लिया, तथा भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्र सरकार का पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत एक प्राधिकरण के रूप में केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिनांक 14.01.1997 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का एक प्राधिकरण के रूप में गठन किया गया है।

लघु जोत संबंधी खेती को लाभकारी बनाने हेतु योजना

4491. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु जोत संबंधी खेती को लाभकारी बनाने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन के उपरांत अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) छोटी भू जोतों पर खेती को लाभप्रद बनाने के लिए कोई पृथक स्कीम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं और छोटी जोत धारण करने वाले किसान भी इन स्कीमों से लाभ लेते हैं।

[अनुवाद]

नकदी फसल उगाने वाले किसानों के लिए योजना

4492. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कपास और गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं योजना में नकदी फसल उगाने वाले किसानों और उद्योग की स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

4493. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों ने इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को सभी सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त संयंत्र के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी आर एस), 2002-03, 01.12.2002 से 31.3.2003 तक लागू थी। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) में कोई वी आर एस लागू नहीं है।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र के उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान वी आर एस का विकल्प दिया है, नीचे दी गई है:-

वर्ष	वी आर एस का विकल्प देने वालों की संख्या
2000-01	कोई वी आर एस योजना लागू नहीं थी
2001-02	1251
2002-03	748
योग	1999

(ग) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के तहत और सेल के मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारियों को स्वीकार्य लाभ स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के तहत दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, श्री अजित सिंह की ओर से, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7334/2003]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7335/2003]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7336/2003]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7337/2003]

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7338/2003]

(तीन) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7339/2003]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 246(अ) जो 28 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो यूरिया, जिंकेटेड यूरिया और एनहाइड्रस अमोनिया के 28 फरवरी, 2003 से मूल्य निर्धारण के बारे में है।

(दो) का.आ. 285(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो यूरिया जिंकेटेड यूरिया और एनहाइड्रस अमोनिया के 12 मार्च, 2003 से मूल्य निर्धारण के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7340/2003]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7341/2003]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7342/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7343/2003]

(ख) (एक) दोनई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दोनई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7344/2003]

(ग) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7345/2003]

(घ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7346/2003]

(ङ) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7347/2003]

(च) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7348/2003]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): अध्यक्ष महोदय, श्री दिलीप सिंह जूदेव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7349/2003]

(2) (एक) सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7350/2003]

(4) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7351/2003]

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2002 जो 30 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 849(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7352/2003]

(7) अधिसूचना संख्या का.आ. 99(अ) जो 28 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 को अधिसूचना संख्या का.आ. 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7353/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश
तथा
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 9 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 9 अप्रैल, 2003 को यथापारित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

उनतालीसवां से चवालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (आर्थिक कार्य और व्यय विभागों) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 39वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 40वां प्रतिवेदन;

(3) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 41वां प्रतिवेदन;

(4) विनिवेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 42वां प्रतिवेदन;

(5) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 43वां प्रतिवेदन; और

(6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 44वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.05 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक*–*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): महोदय, श्री जसवंत सिंह जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। वे अब बोल सकते हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वे श्री राधाकृष्णन के बाद अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं केरल के उपभोक्ताओं से संबंधित एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पिछले दस दिनों से ट्रकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल समाप्त करने के बारे में बातचीत होने के बावजूद भी यह हड़ताल अभी तक चल रही है। वास्तव में हड़ताल समाप्त नहीं हुई है। अब आवश्यक वस्तुओं विशेषकर सब्जी बाजार में, कीमतों में तीन से चार गुना वृद्धि हुई है। सब्जियों की कीमतें चार से छ: गुना बढ़ गई हैं और आम आदमी को बाजार से विशेषकर सब्जी बाजार से कुछ भी खरीदने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसे सभी वस्तुओं को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से केरल तक लाना पड़ता है। अभी भी हड़ताल जारी है और ऐसी स्थिति में केरल के लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इस मामले पर विचार करेंगे। परन्तु, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, माननीय सदस्य किसी अन्य मुद्दे पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। राज्य सरकार इस पर नियंत्रण रख पाने की स्थिति में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप अभी इस विधेयक के गुणों और अवगुणों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह विधेयक अभी पुर:स्थापित नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इसीलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस अवसर पर आगे आएं और लोगों के सहायतार्थ हड़ताल को बंद कराएं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.4.2003 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा गुजरात के होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्फार्मेशन आने के बाद देखेंगे।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, गुजरात ईशू पर मेरा जीरो आवर का नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, क्या आप इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करना चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, वे ट्रक चालकों के हड़ताल की बात कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, वे आपका समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने यह सोचा कि सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के तुरन्त बाद 'शून्य काल' होगा। यदि इस प्रकार विधेयक को पुर:स्थापित किया जा रहा है तो मुझे इसमें गंभीर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसके गुणों और अवगुणों की चर्चा नहीं कर सकते। सामान्यतया आपको यह बताना होगा कि आप इसका विरोध कर रहे हैं अथवा नहीं। आप इस पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सामान्यतया सभा पटल पर पत्र रखे जाने के उपरांत 'शून्य काल' शुरू होता है। इसके बाद विधायी कार्य किया जाता है। मैंने कोई गलती नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे अपनी बात पूरी करने के लिए कहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे इस विधायी कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण आपत्ति उठाने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा के दौरान आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रक्रिया नियमों के अनुसार विधेयक के पुर:स्थापन के अवसर पर यह उठाया जाना चाहिए। मुझे अपनी आपत्ति प्रकट करने का अधिकार है। विधेयक के पुर:स्थापित होने से पहले मेरी बात सुनी जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): श्री राधाकृष्णन, माननीय अध्यक्ष आपको बोलने का मौका देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यह विधेयक बैंककारी विनियमन अधिनियम की एक विशिष्ट धारा अर्थात् धारा 12 का संशोधन करने के लिए है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है कि:

> "विदेशी बैंकों को उनके समनुषंगी स्थापित करने और विदेशी विनिधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, किसी बैंककारी कंपनी में शेयरधारण करने वाले व्यक्ति के मताधिकार पर उक्त निर्बंधन को दूर करना आवश्यक हो गया है। अत:, यह प्रस्ताव किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 की उपधारा (2) का लोप किया जाए।"

महोदय, इस सभा में कई सदस्य इस विधेयक के प्रभाव के बारे में नहीं समझ पाए होंगे। चूंकि यह विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जायेगा, इस स्तर पर मैं इस पर बहस नहीं करना चाहूंगा। इससे पहले विदेशी बैंक प्रचालन यहां तक कि शाखाएं खोलने पर भी प्रतिबंध था। उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। देश में बैंक आफ टोकियो, द बैंक आफ पेरिस, द बैंक आफ अमरीका, द हांगकांग एंड शंघाई बैंक, द एबीएन एमरो बैंक आदि जैसे कई विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

क्या माननीय मंत्री सभा को यह बताएंगे कि इन विदेशी बैंकों को यहां निवेश करने से किसने रोका? यह खंड उन बैंकों के लिए बहुत खतरनाक खंड है। जो भारत में अपने निवेश से कार्य संचालन कर रहे हैं। विदेशी बैंककारी समनुषंगी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए दस प्रतिशत के बाद मतदान करने के उन बैंकों के अधिकार को रद्द किया जायेगा।

इसका अर्थ है कि उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। निवेश लाने के बजाय वे हमारे देश के इन बैंकों से अपने निवेश का हिस्सा ले लेंगे। यह निवेश आने की बात कह कर विदेशी बैंकिंग संगठनों की छाया में परोक्ष रूप से देश के निजी बैंकों को समाप्त करने का तरीका है।

निवेश विदेशी बैंकों में आएगा। भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का निवेश कितना है? वे कितना निवेश लाए थे? बैंक आफ

टोक्यो का निवेश कितना है? हांग-कांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन का निवेश कितना है? यहां पर अनेक विदेशी बैंक हैं। अब छोटे बैंकों को जैसे कि केरल में फेडरल बैंक तथा अन्य क्षेत्रीय या निजी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के अधीन कतिपय शर्तों पर वोट देने का अधिकार है। अब सरकार उस शर्त की समीक्षा कर रही है तथा अनुषंगी कंपनियों के नाम पर विदेशी बैंकिंग संगठनों को आने की इजाजत दे रही है। यह खतरनाक है। इसलिए, यद्यपि यह संविधान की संघीय सूची में है फिर भी, जहां तक देश में व्यवसाय करने के अधिकार, देश में अन्य सभी काम करने के अधिकार की बात है, इसका उद्देश्य ही संविधान के विरुद्ध है। अत: मुझे लगता है कि यह निजी बैंकिंग संगठनों के अधिकारों को पूर्णतया छीनने के लिए तथा विदेशी बैंकिंग संगठनों को उनकी मनमर्जी करने की छूट देने के लिए निजी बैंकिंग संगठनों पर परोक्ष रूप से हमला है। अत: कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इस विधेयक का पुर:स्थापन की अवस्था में पुरजोर विरोध करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने भी सूचना दी है। मैं तीन बातों के आधार पर इस विधेयक के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध करता हूं। हम सबको पता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में ही पारित हो गया था जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य था। बैंककारी विनियमन अधिनियम कुछ सामाजिक कार्य करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना में यह विशिष्ट उपबंध है कि बैंक.....

अध्यक्ष महोदय: क्या आप संविधान के अधीन इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: मुझे अनुच्छेद बताइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यह देश में व्यवसाय करने के मूल अधिकार के विरुद्ध है। मुझे देश में कुछ व्यवसाय करने का अधिकार है। इस पर रोक लगाई जा रही है। इस विधेयक से मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। मेरा यह प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे अनुच्छेद-19 के तहत विरोध कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस अधिनियम से नागरिकों के व्यवसाय करने के मूल अधिकार में कटौती होगी। बजाय इसके कि देश में लंबे समय से व्यवसाय कर रहे निजी उद्यमियों को लाइसेंस दिए जायें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह कह कर लाइसेंस दिए जा रहे हैं कि आइए और व्यवसाय कीजिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता। जैसाकि श्री दासमुंशी ने कहा है, भारत में कितना विदेशी निवेश आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय: जब इस विधेयक पर चर्चा हो तब आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: पहले विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन किए गए थे। इसकी क्या स्थिति है? सबके ऊपर लागू होने वाला उपबंध क्यों किया जा रहा है? भारत के निजी उद्यमियों की जोखिम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में व्यवसाय करने के लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिये, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारी विधायी सक्षमता की दृष्टि से अलग है।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): अध्यक्ष महोदय, केरल के माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन ने अपनी बात कह दी है। वाकई, माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी हमेशा बहुत ही जोशीली दलीलें देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं।

श्री जसवंत सिंह: उन्होंने जो भी कहा है मैंने उसे गंभीरतापूर्वक लिया है। किंतु किसी विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने की स्थिति में यह बिलकुल ही स्पष्ट है कि केवल सभा की विधायी सक्षमता संबंधी आरोप माना जा सकता है। अब यह सब जानते हैं कि इस मुद्दे से संबंधित कानून बनाना इस सभा की विधायी सक्षमता के अंदर है। दूसरा पहलू जो अनेक सदस्यों ने उठाया था और विशेषरूप से माननीय श्री दासमुंशी ने यह कहते हुए और दूसरी बातें कहते हुए इस कानून के गुण-दोषों की चर्चा की है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस उपबंध के बाद विदेशी बैंक अपनी अनुषंगी कंपनियां स्थापित कर सकेंगे जोकि वर्तमान स्थिति में नहीं कर सकते तथा भा.रि. बैंक सभी उपयुक्त अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा ताकि हमारे निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के बीच संतुलित समानता बनी रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों के आधार पर माननीय सदस्य को इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर पावर-लूम में कार्यरत लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे। मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल को बोलने का अवसर देता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष जी, लगभग तीन सप्ताह पहले आपकी अनुमति से लोक सभा में यह चर्चा हुई कि छोटे-छोटे पावरलूम चलाने वाले जो हैं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सर, हमको पहले बोलना था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके बाद आपको अनुमति दूंगा। मंत्री जी यहां हैं और उन्हें मंत्री जी से उत्तर चाहिए तथा मैंने उनका नाम पुकार दिया है।

[हिन्दी]

इसके बाद मैं आपको ही अनुमति देने वाला हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, आपकी अनुमति से लोक सभा में यह चर्चा हुई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सर, मेरा प्रीवलेज-मोशन है। ...*(व्यवधान)* सर, कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे कहने के ऊपर गुजरात सरकार क्रिश्चयन्स के ऊपर जांच कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। मैंने प्रीवलेज-मोशन दिया है। सदन की प्रोसिडिंग्स आपके पास हैं, क्वैश्चन्स आपके पास हैं। एक मैम्बर का नाम लेकर यह अपने कुकर्मों को हमारे नाम पर करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने प्रीवलेज-मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके मामले पर विचार कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, माननीय वित्त मंत्री जी को कृपा करके बुला लें। आज ही फैसला हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जायसवाल, आपको मंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए कि वे सभा में रहें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सर, माननीय मंत्री जी चले गये हैं, ऐसे कैसे हाऊस चलेगा। उन्हें उपस्थित रहना चाहिये था। महोदय, यह सभा की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय: जायसवाल जी, आज तो फैसला नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम था, इसलिए मैं भी देख रहा था। मैं उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूं।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष जी, देशभक्त लोगों पर राजस्थान में आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में लोकतंत्र की खुले-आम हत्या हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं आपको परशन देने वाला हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, अब आप कुमारी ममता बनर्जी का नाम बुला सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने संदेश भिजवाया है इसलिए जायसवाल जी, आप बोलते रहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, मैं चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां आ जाते, उसके बाद चर्चा होती। सर, लगभग तीन सप्ताह पहले, आपकी अनुमति से यहां पर चर्चा हुई थी। पहली अप्रैल से देशभर के छोटे-छोटे पावरलूमों और हथकरघा वालों पर तथा देश के छोटे-छोटे रेडीमेड वस्त्र बनाने वालों पर

एक्साइज-ड्यूटी इम्पोज कर दी गयी है। इससे पहले की स्थिति यह थी कि छोटे-छोटे पावरलूम वालों को एक्साइज-ड्यूटी सरकार को नहीं देनी पड़ती थी। अगर उन्हें पावरलूम के द्वारा कपड़े का उत्पादन करना है तो वे जो सूत खरीदते थे, उस सूत पर उन्हें एक्साइज-ड्यूटी अदा करनी पड़ती थी और सूत बनाने वाले कारखाने सरकार के पास एक्साइज-ड्यूटी अदा कर देते थे। लेकिन पिछली बार जब बजट प्रस्तुत हुआ तो ऐसे छोटे-छोटे पावरलूम वालों पर, जो एक्साइज-ड्यूटी मिलों के माध्यम से सूत पर अदा करते थे, उन पर यह एक्साइज-ड्यूटी साढ़े आठ प्रतिशत की जगह ग्यारह प्रतिशत इम्पोज कर दी गयी। इसी तरह से रेडीमेड वस्त्र बनाने वालों को एक करोड़ रुपये की छूट दी गयी थी। एक करोड़ रुपये के ऊपर का उत्पादन करने वाले जो वस्त्र निर्माता थे, केवल वही एक्साइज-ड्यूटी के अंतर्गत आते थे। लेकिन पिछले बजट में इन छोटे-छोटे पावरलूम वालों और छोटे-छोटे रेडीमेड वस्त्र बनाने वालों पर भी एक्साइज-ड्यूटी इम्पोज कर दी गयी। मेरा सब्मिशन यह है कि सूत जहां से खरीदा जाता है, कपड़ा जहां से खरीदा जाता है, रेडीमेड वस्त्र निर्माता जहां से कपड़ा खरीदते हैं, वे वहां एक्साइज-ड्यूटी अदा करते हैं। पावरलूम चलाने वाले जहां से सूत खरीदते हैं, वे वहां एक्साइज-ड्यूटी अदा करते हैं, तो सरकार को आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि छोटे पावरलूम वालों और रेडीमेड वस्त्र बनाने वालों पर एक्साइज-ड्यूटी इम्पोज कर दी गयी। सर, इससे साफ इंगित होता है कि मल्टीनेशनल और देश के बड़े-बड़े अरबपति जो कपड़ा बनाते हैं, उनके दबाव में, इस सरकार ने छोटे पावरलूम वालों और रेडीमेड वस्त्र बनाने वालों पर एक्साइज-ड्यूटी इम्पोज की है। सर, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर सरकार को एक्साइज-ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता थी तो सरकार यह भी कर सकती थी कि सूत पर एक्साइज-ड्यूटी जो पहले आठ प्रतिशत थी, उसे बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर सकती थी।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि न तो वस्त्र मंत्री और न ही वित्त मंत्री सभा में उपस्थित हैं। जब कोई उपस्थित नहीं है, तो इस विषय पर चर्चा कैसे की जा सकती है? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, हम भी इस चर्चा में भाग लेंगे। मंत्री महोदय कहां हैं? कृपया कुमारी ममता बनर्जी को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सर, मंत्री जी यहां नहीं हैं, यह तीन करोड़ लोगों का सवाल है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, इसी तरह से सरकार जो रेडीमेड वस्त्र बनाने वाले थे, उन पर एक्साइज-ड्यूटी की दर बढ़ाकर ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकती थी। छोटे-छोटे कामगारों और छोटे-छोटे लघु-उद्योग चलाने वालों के ऊपर एक्साइज-ड्यूटी लगाकर सरकार ने उन पर जो कुठाराघात किया है, वह गलत है। सरकार लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रही है। सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई मल्टीनेशनल रोजगार देने के लिए देश में उद्योग धन्धा लगा दे। करोड़ों लोग इन उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं, लेकिन यह सरकार उनसे रोजगार छीन लेना चाहती है। इसका परिणाम यह है कि पिछले तीन सप्ताह से पूरे देश में बुनकरों ने हड़ताल कर रखी है और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वालों ने भी हड़ताल कर रखी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सदन में यह बात उठाई थी और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की थी। सरकार को लगाई गई एक्साइज ड्यूटी को वापिस ले लेना चाहिए। बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। हमारे कानपुर शहर में तो लाखों बुनकर हैं और सारे के सारे करघे बन्द बड़े हैं। यहां काम करने वाले बुनकर भूखों मर रहे हैं। यही स्थिति रैडीमेड वस्त्र बनाने वालों की है। कानपुर, बनारस, मऊ और मऊरानीपुर शहरों में सारे के सारे धन्धे चौपट पड़े हैं, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस मुद्दे पर सदन के सारे माननीय सदस्य, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एकजुट हैं, तो सरकार को इस विषय पर तुरन्त फैसला ले लेना चाहिए और एक्साइज ड्यूटी जो लगाई गई है, उसको तुरन्त वापिस ले लेना चाहिए। पहले एक करोड़ तक उत्पादन पर छूट थी, उस छूट को समाप्त किया गया है, इस सुविधा को तुरन्त बहाल करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हम सभी उनका समर्थन करते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, हम इस मुद्दे पर माननीय सदस्य के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसी मुद्दे के संबंध में श्री शिवराज वि. पाटील से सूचना प्राप्त हुई है और मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, यह सवाल पहले भी सदन में उठा है। सरकार उपेक्षा कर रही है और जो रैडीमेड गार्मेंट्स व हैंडलूम पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसको सरकार को वापिस लेना चाहिए। लेकिन सरकार का कोई पोजिटिव रिसपांस नहीं है। बहुत गम्भीर मामला है। वित्त मंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): महोदय, छोटे-छोटे उद्योग एक्साइज ड्यूटी से बहुत परेशान हैं। इस विषय में हमारी भी यही राय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह एक अलग मुद्दा है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे के समाप्त होने के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी: हम इस मुद्दे पर भी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे पर पांच मिनट से अधिक समय तक चर्चा नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है और इस विषय को पहले भी सदन में उठाया गया था और आज भी उठाया जा रहा है। जब सदन में फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी, तब भी इस विषय पर चर्चा होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, खेती में काम करने वाले मजदूरों के बाद देश में सबसे बड़ी संख्या टैक्सटाइल मिल, हैंडलूम और पावरलूम में काम करने वाले मजदूरों की है। अगर हमारे देश में लोगों को काम देना है, तो हैंडलूम और पावरलूम चलते रहने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ही पावरलूम और हैंडलूम द्वारा जो कपड़ा निकलता है, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हैंडलूम और पावरलूम हमारे देश में उस वक्त के उद्योग में से हैं, जब हमारे देश में उद्योग आए भी नहीं थे और उन पर हमारे देश के लोग काम करना जानते हैं। उन लोगों को बेकार करके इस तरह से खजाने में पैसा लाने से फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। फाइनेंस बिल सदन में प्रस्तुत होने से पहले चर्चा होनी चाहिए। यह इसलिए कि अगर फाइनेंस बिल सदन में आ गया तो उस समय यदि कुछ करना होगा, तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए फाइनेंस बिल आने से पहले कोई निर्णय होता है, तो अच्छी बात है। इस विषय पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री जी हमें बुला सकते थे, लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह यहां नहीं हैं तो उनको कहा जा सकता है कि जिन की इस विषय में रुचि है, उनसे वह चर्चा करें और कोई मार्ग निकालें ताकि लोग बेरोजगार न हों और पुरानी इंडस्ट्री बेकार न हो। इतनी ही मेरी आपसे दरख्वास्त है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग जानते हैं कि इस विषय पर पहले बहुत चर्चा हुई थी। मैंने जीरो आवर में आधा घंटा इस विषय को दिया था। सदन की भावना वित्त मंत्री जी को मालूम है। इस विषय पर कोई चर्चा करना अभी बाकी नहीं रहा है। वित्त विधेयक के समय इस पर चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। प्लीज, सुनिए। शिवराज पाटील जी ने यहां सुझाव दिया कि दूसरे किसी माध्यम से यह विषय चर्चा के लिए यहां आना चाहिए। मैं सभी लोगों के साथ बैठ कर यह विषय चर्चा के लिए यहां आना चाहता हूं। वित्त मंत्री की सुविधा देख कर, मैं यह विषय जरूर यहां लाऊंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे। आपका इस बारे में क्या सुझाव है, इतना ही कहिए। मैं अब कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, अभी पाटील साहब ने यह मामला उठाया। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पहले यह मामला उठाया था। चाहे वैट का मामला हो या रेडिमेड गारमैंट्स का मामला हो, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करने से क्या फायदा होगा क्योंकि अभी मंत्री जी यहां नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वित्त मंत्री जी को आगे आना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, कृपया अब हमारे बंगाल मुद्दे को उठाने दें। ...*(व्यवधान)* इस मामले पर बाद में विस्तारपूर्वक चर्चा की जा सकती है। ...*(व्यवधान)* हमारा मुद्दा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जब इस विषय पर चर्चा होगी, मैं उस समय आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, कुमारी ममता बनर्जी बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, बैठिए। जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जो सवाल जायसवाल जी ने उठाया, हम उसे पहले भी उठा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है।

श्री रामजीलाल सुमन: यह एक बहुत गम्भीर मामला है। कृषि के बाद यह रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब इस विषय पर चर्चा होगी, आप उस समय बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इसे पार्टी का मामला न बनाया जाए क्योंकि यह आम सदस्यों की भावना का सवाल है। ...*(व्यवधान)* हमने अपने पार्टी में यह मामला उठाया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वित्त मंत्री जी को यहां उपस्थित होना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संभवत: वे दूसरी सभा में व्यस्त हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को यहां बुलाइए और उन्हें आने के लिए कहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पर सभी एकमत हैं। जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आप सब बोल सकते हैं। मैंने अभी कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की इजाजत दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने ममता जी को इजाजत दी है। आप बैठिये और उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष जी, व्यापारी मंडल ने इन लोगों को बोलने नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*... व्यापारी मंडल ने इन को छोड़ दिया ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, मुझे आधा मिनट दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, क्या आप चाहते हैं कि दूसरे विषय यहां न आयें। आपको आधा मिनट भी नहीं मिलेगा। इस समय मेरे सामने 23 विषय हैं और मैं सभी विषय लेना चाहता हूं और ये विषय एक-एक मिनट में पूरे हो जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(दो) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खतरे के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं बंगाल का मुद्दा उठाना चाहूंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता, कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं उन्हें कहने जा रहा हूं कि वे शांत रहें क्योंकि 'शून्य काल' इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है। 'शून्य काल' के दौरान 23 महत्वपूर्ण विषय उठाए जाने हैं। मुझे एक-एक कर विषय उठाने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में बात मत कीजिए। कृपया शांत रहिए। कृपया सभा के भीतर शांति बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक-एक विषय यहां आ जायेगा।

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, पावरलूम इन लोगों ने जला दिये हैं तो 7000 पावरलूम कैसे चलने देंगे? उन लोगों का भिवंडी से क्या ताल्लुक है?

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, श्री मदन लाल खुराना को हमारे साथ बैठना चाहिए। मुझे मालूम है कि वे वहां सहज ढंग से नहीं बैठ पा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना जी के बारे में हम लोग बैठ कर बात करेंगे। आप बैठिये और ममता जी को उनका विषय मुझे सुनने दें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, प्रियरंजन दासमुंशी भी बंगाल के हैं। उन्हें हर बात की जानकारी है। जब वे लोग सी.पी.एम. के विरुद्ध लड़ रहे हैं जैसा कि उन्होंने बंगाल में कहा था, तो उन्हें इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखते हुए हमारा समर्थन करना चाहिए। मैं यहां एन डी ए के सहयोगी दलों सहित विपक्षी पार्टी से अपील करती हूं। 20,000 से अधिक सीटों वाले उम्मीदवारों को 11 मई को होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): किसने अनुमति नहीं दी है? *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: राज्य सरकार ने सीपीएम संगठन सहित अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, अल्पसंख्यकों और अन्य को नामांकन दायर करने की अनुमति नहीं दी थी। न केवल मैं ऐसा कह रहा हूं बल्कि पार्टी के अन्य सदस्य जैसे वाम मोर्चा के सहयोगी भी इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं। उसके प्रत्युत्तर में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि "जी हां, मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठनों से अपील करता हूं।" *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह पूर्णत: गलत बात है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कवेल यह कहा था कि यदि ऐसा कोई मामला है तो उसे मेरी जानकारी में लाइए। उन्होंने यही बात कही थी। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: यदि वे पुलिस स्टेशन जाएं तो वहां देख सकते हैं कि सी पी एम संगठन के लोग पुलिस स्टेशन चला रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। 58,000 पंचायत सीटों में से, 20,000 सीटों पर लोगों को नामांकन दायर करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अर्थदंड देना पड़ता है। प्रत्येक परिवार से एक लाख रुपये अर्थदंड के रूप में लिए जाते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर यहां चर्चा की जा सकती है *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह मामला राज्य से संबंधित नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, यहि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो आप हमें भी अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह हमारे संविधान के विरुद्ध बात है और यह अत्याचार है। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, आपको हमें भी अनुमति देनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी पार्टी के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, सभा में बहुत से आरोप लगाए गए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उनको बीच में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो मैं आपकी पार्टी से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे दूंगा। किन्तु आप बार-बार उनके बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हो सकता है कि मैं आपको अनुमति देने की स्थिति में नहीं रहूं। यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इन आरोपों का खण्डन करने के लिये एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे दूंगा। इसलिए मैं आपको इस समय बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह पूर्ण रूप से लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोगों को न तो लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं और न ही मूल अधिकार प्राप्त हैं, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वे कह रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करने में असमर्थ थे। यदि यह सच है, तो वे उम्मीदवारों को नामांकन भरने तथा चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं?

श्री तरित बरण तोपदार: उन्हें उम्मीदवार उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: 20,000 सीटों के लिये, जिसमें हमारी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा भी शामिल है, नामांकन नहीं भरे जा सके ...*(व्यवधान)* वे सीटें जीत रहे थे। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। अत: मैं केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ...*(व्यवधान)* यह स्थिति है। राज्य में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। वहां समानान्तर प्रशासन चल रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं एक वाक्य में इससे इंकार करता हूं और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका खण्डन करता हूं ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: राज्य में धारा 356 लगाने के लिये यह अनुकूल स्थिति है। मैं केन्द्र सरकार से वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगी। धारा 356 के अनुसार, केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये और राज्य सरकार को राज्य में सुरक्षित और सुदृढ़ लोकतंत्र कायम करने के निर्देश देने चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें ऐसा करने दें। हम आपको धारा 356 लगाने के लिये चुनौती देते हैं ...*(व्यवधान)* वे लोगों को उकसा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: लोकतंत्र और मानवता की रक्षा करने के लिये केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिये। ...*(व्यवधान)* राज्य में जंगल राज है। राज्य में कोई लोकतंत्र नहीं है।

[हिन्दी]

सर, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी तो क्या हिटलरिज्म चलेगा? क्या लोकतंत्र की कोई इम्पार्टेन्स नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह राज्य का विषय नहीं है। यह केन्द्र का विषय है। वहां सभी प्रकार से संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है। वे लोगों की हत्या कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बताया है कि यदि आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। किन्तु आप उनके बीच में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: वहां कम्युनिस्टों का आतंक है। वे लोगों की हत्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी ने उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह सही नहीं है और यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल हो गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: अगर कोई कंटैस्ट करने जाता है, तो उससे पैनल्टी लेते हैं, उसका घर जला देते हैं, पीने का पानी बंद कर देते हैं। ...*(व्यवधान)* महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह शर्मनाक बात है। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती चीखलीया, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी?

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें, महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हुगली जिला परिषद से तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम में बताया है कि वहां ऐसा कोई आतंक नहीं है और यह सब कुछ केवल तृणमूल कांग्रेस की अन्दरूनी लड़ाई की वजह से हो रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री जी से आपके मुद्दे का उत्तर देने को कहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना मुद्दा रख दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने वक्तव्य दिया था कि यह आतंक का प्रश्न नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ममता जी, आपने अपना मुद्दा रख दिया है। मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि सरकार का इस बारे में क्या कहना है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने भी अपना मुद्दा रख दिया है। श्री बंद्योपाध्याय, आपने मुझे एक सूचना (नोटिस) दी है, अतः आपको बोलने की अनुमति है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे केवल श्री बंद्योपाध्याय से इस मुद्दे के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, अतः केवल वही बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, मैंने आपको अनुमति दी थी और आपने बोला भी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, यह राज्य में संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली की सुरक्षा करने से संबंधित प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: पहले मुझे सभा में इसे संरक्षण देने दीजिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने सभा में एक मूलभूत प्रश्न उठाया है। पश्चिम बंगाल राज्य में 11 मई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस और भा.ज.पा. ने वहां एक फ्रंट बनाया है। वामपंथी दल और कांग्रेस दूसरी तरफ हैं।

अब उचित चुनाव क्या होगा? उचित चुनाव वह होगा जिसमें कि प्रत्येक सीट के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन भरें और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव हो। किंतु पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, भगवान जाने। इस विशेष वर्ष में 20,000 उम्मीदवार अपने नामांकन नहीं भर पाए हैं जोकि 40% है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: आप उनके नाम क्यों नहीं बताते? जो उम्मीदवार नामांकन नहीं भर सके थे उनके नाम मुख्यमंत्री ने भी पूछे थे। वे नाम नहीं दे सके थे। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, हमारा आरोप है कि संसदीय व्यवस्था ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, जब भी राज्य में चुनाव होते हैं, ये लोग हर बार अनुच्छेद 356 लगाने की बात करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: हमारा आरोप है कि संसदीय व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में है *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, इन्हें किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिल पाए। मेरे क्षेत्र में तो स्तरों में से इन्हें एक स्तर के लिए उम्मीदार नहीं मिले। किंतु ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जाता *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, हमारी मांग है कि 20,000 सीटों में जहां चुनाव प्रक्रिया चल रही है *...(व्यवधान)*। महोदय, ये जिला परिषद की बात कर रहे हैं किंतु हमारा आरोप मुख्य रूप से ग्राम पंचायत चुनावों के बारे में है। महोदय, हमारी मांग है कि जहां चुनाव होने हैं वहां केन्द्र सरकार को टीम भेजनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, मेरा अनुरोध है कि उन्हें नामांकन भरने का अवसर देने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के हित में यह लाल आतंकवाद समाप्त होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय सदस्य, कुमारी ममता बनर्जी ने शुरू में ही मेरा नाम लिया था कि मैं पश्चिम बंगाल का हूं और मैं यहां हूं। महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी की चिंता से पूर्णत: सहमत हूं। किंतु मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, पूरी दुनियां जानती है कि सत्ताधारी दल और विपक्षी दल चाहे पहले कांग्रेस रही हो या अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस हो, हम सब लड़ रहे हैं तथा लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सही बात के लिए तो हो सकता है कभी गलत बात के लिए *...(व्यवधान)*। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।

महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं की बात है और जो कुमारी ममता बनर्जी ने भी बताई हैं, मैं भी उनकी चिंता से सहमत हूं। मैं भी इनसे चिंतित हूं। किंतु मैं कहती हूं कि सत्ताधारी व्यवस्था के स्थान पर कोई धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मोर्चा लाकर जनता अपने उत्साह से इस पूरी समस्या को हल कर सकती थी। विगत विधान सभा चुनावों में भा.ज.पा. को अलग-थलग करके हमने यह प्रयोग किया था। अभी भी, मैं कुमारी ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता की उम्मीदों को एक बार फिर पूरा किया जा सकता है यदि वे भा.ज.पा. से अलग हो जाएं तथा वास्तविक लोकतांत्रिक विकल्प लाने के लिए हमसे हाथ मिला लें।

कुमारी ममता बनर्जी: हम भा.ज.पा. के साथ हैं किंतु आप भा.क.पा. (मा.) के साथ हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य में एकमात्र समाधान धर्मनिरपेक्ष विकल्प है *...(व्यवधान)* हम पश्चिम बंगाल में भा.ज.पा. से कभी भी हाथ नहीं मिला सकते हैं।

यह हमारा निर्णय है। जब ये पैदा हुई थीं इससे भी पहले मैंने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था *...(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा शासन के विरुद्ध हमारी लड़ाई सबको पता है *...(व्यवधान)* किंतु हम नहीं चाहते कि राज्य में भा.ज.पा. मजबूत हो *...(व्यवधान)*। यह बिलकुल साफ है। हम भा.ज.पा. से कभी भी हाथ नहीं मिला सकते हैं *...(व्यवधान)* हमारा इनसे विरोध है। हम भा.ज.पा. से कभी भी हाथ नहीं मिला सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, अब माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यदि माननीय मंत्री सरकार की ओर से यहां वचनबद्ध हों तो मुझे बोलना होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके बोलने से पूर्व मैं यह कैसे जान सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, जब 'शून्य काल' में प्रश्न उठाए जाते हैं तब कभी-कभी तो मंत्री उपस्थित होते हैं। किंतु जब पूरी सभा पावरलूम उद्योग और रेडीमेड वस्त्र उद्योग की समस्याओं के बारे में प्रश्न उठाती है तो वे उठते नहीं। तब एक भी मंत्री इसका जवाब देने के लिए नहीं उठा था। वे कहां थे? तब वे कैसे शांत रहे? *...(व्यवधान)* महोदय, यहां हम बहुत लंबे समय से हैं और हमें पता है कि यह सब कैसे होता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले मुझे सुनने दें कि वे क्या कहना चाहती हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें *...(व्यवधान)* महोदय, मैं हुगली जिला परिषद में विपक्ष के नेता की बात को ही दुहराऊंगा *...(व्यवधान)*।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, वर्तमान संसद सदस्य उनका विरोध इस ढंग से कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, हुगली जिला परिषद में विपक्ष के नेता श्री शैलेन सिंह ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया में खुलेआम कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और बेकार नेतृत्व के कारण यह सब हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे माननीय मंत्री जी जो कहना चाहते हैं उसे सुन लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बहुत सुन लिया है और मैंने आपको बोलने का बहुत अवसर दे दिया है। अब आप बैठ जाइए।

मंत्री जी जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, माननीय ममता जी और बंद्योपाध्याय जी ने जो कहा है, उस विषय को मैं संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगी और उनसे इस बारे में बात करूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने क्या कहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कृपया हमें समझाएं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। मैं सभा को शांत रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें वे संबंधित मंत्री तक पहुंचा देंगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, दिल्ली में कोई भी पंचायत मंत्री नहीं है ...*(व्यवधान)* इस विषय के लिए कोई भी केन्द्रीय मंत्री नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी से बात करूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में गृह मंत्री एवं विधि मंत्री, दोनों से बात करूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इसकी जांच कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंद्योपाध्याय, आज आपको क्या हो गया है?

अपराह्न $12.48^1/_2$ बजे

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस पर गृह मंत्री का क्या अधिकार है ...*(व्यवधान)* महोदय, यह राज्य के मामलों में असंवैधानिक हस्तक्षेप है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनका भविष्य खराब न करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, विगत 12 अप्रैल, 2003 को नई नांदेड़ डिवीजन के माननीय रेल राज्य मंत्री के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पूरे मराठवाड़ा की जनता ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए और एजीटेशन किया। मराठवाड़ा के लोगों की सन् 1965 से यह मांग चली आ रही है कि नान्देड़ डिवीजन जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे में रखा गया है उसे वहां से हटाकर सेंट्रल रेलवे में रखा जाए। मराठवाड़ा की जनता की भाषा मराठी हैं और हमारे पूरे नांदेड़ डिवीजन के लोग मराठवाड़ा और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। यह सारा क्षेत्र सेंट्रल रेलवे डिवीजन में आता है जिसका मुख्यालय मुम्बई है। यह जो नांदेड़ डिवीजन है, इसे साउथ सेंट्रल से निकाल कर सेंट्रल रेलवे में लाना है। मराठवाड़ा की जनता की पिछले कई दशकों से यह मांग चली आ रही है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ने वाली रेल लाईनों को दक्षिण मध्य रेलवे से स्थानान्तरित करके मध्य रेलवे के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे ने पिछले 50 सालों से मराठवाड़ा क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की है। दूसरी ओर भाषायी कठिनाइयां और नौकरी की प्रोबलम भी है। मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है, जो हमारे प्रदेश की राजधानी है। यह जो पिछले 50 सालों से मारठवाड़ा के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय को देखते हुए वहां की जनता किसी भी समय भड़क सकती है। प्रदेश की जनता का गुस्सा किसी भी समय भड़क कर कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए संकट पैदा कर सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नांदेड़ डिवीजन, जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे में रखा गया है उसे वहां से हटा कर सेंट्रल रेलवे में रखा जाए। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस संबंध में तुरंत ध्यान दें तथा जनता की भारी मांग व रोष के मद्देनजर मराठवाड़ा क्षेत्र की रेल लाईनों को तुरंत मध्य रेलवे के अंतर्गत हस्तांतरित करने हेतु कदम उठाएं, यही मेरी मांग है।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): इस विषय पर मैं भी इनका समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एच.डी. देवगौडा, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बारे में 'शून्य काल' के लिए आपकी सूचना प्राप्त हो गई है।

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा): वास्तव में मैं बुनकरों का मुद्दा उठाना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने भी कालिंग अटेंशन का नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: चार माननीय सदस्यों ने इसी विषय पर नोटिस दिया हुआ है, उनमें से देवगौडा जी भी हैं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा: महोदय, आपने श्री शिवराज पाटील और अन्य सदस्यों को पावरलूम सेक्टर का मुद्दा उठाने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। मैं इसीलिए सभा का समय बर्बाद करना नहीं चाहता था।

कल, मैं कर्नाटक में था। बीजापुर जिला पावरलूम और हथकरघा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बुनकर ब्यूरो के दस हजार से अधिक लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया है कि आपने तो केवल यूरिया पर अतिरिक्त कर लगाने के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। किंतु वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री को कहा था कि वे अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करें तथा सामान्य बजट पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते समय वित्त मंत्री जी ने इसी सभा में घोषणा की थी कि मैं इसे वापस ले रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद मेरी अंतर्रात्मा ने ऐसा करने के लिए कहा।

पावरलूम उद्योग के कामगार केवल कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 21 दिन से अधिक हड़ताल पर रहे हैं। कृषि के बाद कामगारों का दूसरा सर्वाधिक बड़ा समूह 40 हथकरघा और पावरलूम उद्योग पर आश्रित है। पूरे देश में इनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है। कर्नाटक में ही 30 लाख से अधिक लोग पिछले 21 दिन से संघर्षरत हैं। बुनकर ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि हम केवल किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं तथा बुनकरों के मुद्दे को उठाना नहीं चाहते और इसके लिए मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप लगाया गया है। मैं इसीलिए आज आपके कक्ष में आया था और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता। मैं केवल इस सभा के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं। कल वित्त मंत्री जी सभा में आएं क्योंकि वित्त विधेयक पर इस सत्र के अंत तक ही चर्चा की जानी है।

इस क्षेत्र पर आश्रित 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास आज रोजगार नहीं हैं। पावरलूम सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया है इसलिए बुनकरों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह कल सभा में आकर इस वर्ग के लोगों के लिए कुछ राहत की घोषणा करें कृपया वित्त

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

विधेयक पर चर्चा होने तक प्रतीक्षा मत कीजिए। सरकार वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से यह मेरी करबद्ध अपील है। वे हथकरघा और पावरलूम उद्योग के इन दूसरे सर्वाधिक बड़े कामगार समूह की ओर ध्यान दें। मैं बस यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 50 रुपए निर्धारित की है। पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब संयुक्त सदन को सम्बोधित किया तो यह कहा कि संपूर्ण देश में न्यूनतम मजदूरी 50 रुपए है, यह देनी सुनिश्चित की जा रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, जो कृषि मंत्रालय के अधीन है, वहां पर जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, उन्हें 35 रुपया प्रतिदिन दैनिक मजदूरी दी जा रही है। केवल डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरों को ही नहीं, मंडी परिषद के अन्दर जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको 35 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है। इससे ज्यादा शोषण, इससे ज्यादा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। पढ़े-लिखे नौजवानों का शोषण हो रहा है, जो श्रम के रूप में अपना पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के अन्दर दैनिक श्रमिक के रूप में 35 रुपये मजदूरी जिन लोगों के द्वारा दी जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का कार्य करे और यह शोषण तत्काल बन्द करने का कार्य करे।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैंने ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। गत कुछ वर्षों से जो देश भर में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मेरे पास 4-5 नोटिसेज हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मेरा इस विषय पर नहीं, दूसरे विषय पर है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय में मैंने मंत्री जी से बात की है और मंत्री जी कल इस विषय पर स्टेटमेंट देने वाले हैं।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की 5-7 ऐसे महत्व की डिमांड हैं, उसमें एक 15 साल पुराने व्हीकल्स के डिस्पोजल के बारे में है।

कुंवर अखिलेश सिंह: लोग खंडूरी साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले उनका इस्तीफा दिलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: आप भी पहले दिन से इस सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन पांच साल अभी और पांच साल बाद में इन्तजार करना पड़ेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।

श्री किरीट सोमैया: इसमें 15 साल पुराने ट्रकों के संबंध में मुझे ऐसा लगता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को एनवार्यनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। दूसरे 2-3 विषय ऐसे हैं, उनकी जो मांगें हैं, उस संदर्भ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र को मिलकर कुछ इसमें से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरी जो 5, 7, 8 डिमांड्स हैं, वे रिफार्म्स के संबंध में हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस पर जब मंत्री जी स्टेटमेंट करेंगे, तब बताएंगे।

श्री किरीट सोमैया: मेरी प्रार्थना यही है कि इस संबंध में कभी न कभी यहां पर चर्चा हो और उसमें से कुछ मार्ग निकाला जाये।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मंत्री जी बयान करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है?

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर आपका नोटिस है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है, उससे जो हालात बन रहे हैं वे गंभीर हैं।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मैंने अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल के संबंध में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी सूचना देख ली है और मंत्री जी इसके बारे में कल वक्तव्य देंगे। तब मैं कह सकता हूं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बयान कब देंगे? कल इस पर मंत्री जी बयान देंगे? ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर मंत्री जी कल बयान देंगे? ऐसा क्यों?

अध्यक्ष महोदय: मैंने हाउस में आने के पहले बात की है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने वाले हैं। यदि मंत्री जी उत्तर में वक्तव्य देते हैं तो कम से कम चार सदस्य प्रश्न कर सकते हैं। अन्यथा, इस सभा में स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का इस सवाल पर कालिंग अटेंशन मोशन है, उसे लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: महोदय, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से अत्यधिक नुकसान और अपूरणीय क्षति हुई है। औसतन, 30,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हुआ है। यह इतना बड़ा मुद्दा है और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं लारी और ट्रक मालिकों से बातचीत कर रहा हूं। बात यह है कि सरकार को इस मुद्दे का निपटारा करने के लिए काफी गंभीर होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने भी इस मामले में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपकी सूचना पर ही मैंने मंत्री जी से वक्तव्य देने का अनुरोध किया है तथा वे कल वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी: सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेकर मामले को निपटाना चाहिए। मंत्री जी को आकर इस बातचीत के संबंध में हुई प्रगति के बारे में बताना चाहिए। इस मामले में बात आगे बढ़नी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार द्वारा ...*(व्यवधान)* त्रिशूल शिक्षा के ऊपर रोक लगाकर बहुसंख्यक समाज के धार्मिक अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है। त्रिशूल कैसे हो और कैसे न हो, यह धर्माधिकारी तय करते हैं। यह राजनीतिज्ञों का काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है। ...*(व्यवधान)* क्योंकि हमेशा देवी देवताओं के काम में आने वाला और हमेशा भक्ति के अंदर आध्यात्मिकता के भाव को बढ़ाने वाला त्रिशूल है। राजस्थान और देश के अन्य कई जगहों पर ऐसे दीक्षांत समारोह हुए, कहीं भी कोई तनाव नहीं हुआ, कोई साम्प्रदायिक वातावरण पैदा नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* लेकिन राजस्थान के अंदर श्री अशोक गेहलोत की सरकार ने लोकतंत्र के नाम पर ...*(व्यवधान)* अपने बहुमत के नशे में चूर होकर और श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण तोगड़िया को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार से बहुसंख्यक समाज की भावना की अवहेलना की जा रही है। ...*(व्यवधान)* आज उनकी जान खतरे में है। उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इमर्जैंसी के अंदर जैसा था, उससे भी ज्यादा खतरनाक वातावरण राजस्थान के अंदर है। ...*(व्यवधान)* संसार के अंदर तनाव का वातावरण कांग्रेस सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है।

मान्यवर, क्या हिन्दू होना पाप है? ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि वह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। केवल वोटों की खातिर और अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए इस प्रकार का कुप्रयत्न किया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि श्री प्रवीण तोगड़िया को जल्द से जल्द रिहा किया जाये। ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दिया जाये। ...*(व्यवधान)* श्री प्रवीण तोगड़िया को शीघ्र ही रिहा किया जाये और राजस्थान सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावना का अनादर कर रही है, उसे रोका जाये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रक चालकों की हड़ताल के मुद्दे पर पुन: आता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत: त्रिशूल की शिक्षा जो विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल द्वारा दी जा रही है, उसे सामान्य रूप से दी जानी चाहिए। इससे किसी तरह का कोई तनाव पैदा नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः मैं केवल इस मुद्दे की गंभीरता की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा है, वह राजस्थान में अशांति फैलाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* राजस्थान इस देश का सबसे शांत प्रदेश है जो आज गरीबी से जूझ रहा है। जहां लोगों को गाय की पूजा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)* गाय का प्रचार करते हैं वहां राजस्थान में गाय घास के अभाव में, पानी के अभाव में जूझ रही है। ...*(व्यवधान)* यद्यपि इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। आपके बाद श्री आदित्यनाथ जी बोलने वाले हैं। इनके बाद आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री ताराचन्द भगोराः देश में अशांति फैलाना देशहित में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावतः अध्यक्ष महोदय, जो देशभक्त लोग हैं उनके ऊपर देशद्रोह और आई.पी.सी. की धारा 121 लगाई जा रही है। ...*(व्यवधान)* यह धारा देशद्रोहियों के ऊपर लगती है। क्या पाकिस्तान को यह कहना कि वे आतंकवादियों को रोके, जेहादियों के खिलाफ कोई बात करे तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आई.पी.सी. की धारा 121 ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः केवल श्री ई. अहमद का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा तथा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपको बहुत चांस दिया है। आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः श्री किरीट सोमैया और माननीय श्री शिवराज वि. पाटील ने यहां ट्रक चालकों की हड़ताल के बारे में जो मुद्दा उठाया है, मैं भी उसी मुद्दे को सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। वे जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह राष्ट्र-विरोधी है। इससे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। केरल जो सब्जियों जैसी वस्तुओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है इससे केरल के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह मामला समाप्त हो चुका है। मैंने एक और सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने से मना किया था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जब मंत्री जी वक्तव्य दें तब आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमदः आम आदमी के लिए जीवन-निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। यदि सरकार सिर्फ बात ही करती रहे तो इतने कानून किसलिए हैं? आप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह से मामले को हल्केपन से लेते हुए सरकार नहीं चल सकती। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। जनता में आक्रोश है। सरकार को सब्जियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी आज ही आकर वक्तव्य देंगे तथा सभा को और सदस्यों को विश्वास में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवीः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और आपकी तवज्जह आज 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पहले पेज पर छपी इस खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं- "पाण्डया किलिंग: मुस्लिम्स गेट मिडनाइट नाक्स" यह खबर डिटेल में है जिसे पूरा पढ़ कर मैं

हाउस का वक्त खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अहमदाबाद के अंदर इतने भयानक कम्युनल रायट्स के बाद, हालात इतने खराब होने के बाद आज एक बार फिर इस मर्डर के नाम पर मुसलमान यंग लड़कों को गिरफ्तार करके 15-15 दिन जेल में रख कर टार्चर किया जा रहा है। उनमें खौफ-ओ-हैरास है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह 'हिन्दुस्तान टाइम्स' कह रहा है। उनको पोटा का डर है, उन्हें फेक ऐनकाऊंटर्स का डर है। मैं सरकार की तवज्जह दिलाता हूं कि इस मामले के अंदर देखना चाहिए और स्टेट गवर्नमैंट को डायरैक्शन देनी चाहिए कि अगर इस तरह के हालात हिन्दुस्तान के अंदर होंगे तो हिन्दुस्तान के अंदर कम्युनलिज्म बढ़ता चला जाएगा। आज हमारा देश इस स्थिति में नहीं है कि इस देश के अंदर कम्युनलिज्म और कासटिज्म हो। आज इस देश को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन छोटे-छोटे राजनैतिक फायदों के लिए अगर इस तरह के काम किए जाएंगे कि हिन्दू और मुसलमान की बात की जाएगी, 25-27 साल के मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है।

एक बाप का बेटा पन्द्रह दिन तक जेल के अंदर रहा और उसके बाद उसको कहा गया कि जब तक आप दूसरे बेटे को नहीं देंगे तब तक इस बेटे को रिहा नहीं किया जाएगा। वह बूढ़ा आदमी दूसरे बेटे को लेकर जा रहा है। यह किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह से इंसाफ हो रहा है? पांड्या के पिता का स्टेटमैंट सफाई के साथ आया है। मैं उस स्टेटमैंट को दोहराना नहीं चाहता लेकिन वह भी बहुत रेलवैंट स्टेटमैंट है जो उनके पिता ने दिया। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि केन्द्र सरकार इसमें इंटरवीन करे।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरकार से इस मुद्दे पर वक्तव्य देने को कहें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ही गंभीर मामला उठाया है।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदय, आप कृपया सरकार को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का निदेश दें। यह बहुत ही गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, यह बात हिन्दुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज पर छाप रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. मामले की छानबीन कर रही है और उसे इस मामले में स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा उठाना चाहता हूं। बिना विभाग के केन्द्रीय मंत्री श्री मुरासोली मारन अमेरिका में इलाज करवा रहे हैं*.....

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, इन बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि यह मामला सभा में उठाया जाना चाहिए। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं कर पाऊंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों से आशा की जाती है कि वे इस प्रकार के मुद्दे सभा में नहीं उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, इसे ऐलाऊ नहीं करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की कांग्रेस सरकार के असंवैधानिक कार्यों की ओर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[योगी आदित्यनाथ]

दिलाना चाहता हूं। इस समय राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह हिन्दू विरोधी और संविधान विरोधी कृत्यों को अंजान दे रही है। वहां पर हिन्दुओं के प्रमुख धार्मिक प्रतीक चिह्न त्रिशूल को प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस धार्मिक चिह्न को प्रतिबन्धित करने के साथ ही ...*(व्यवधान)* वहां पर विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण भाई तोगड़िया की गिरफ्तारी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं इसका दृढ़ता से खंडन करता हूं। राजस्थान सरकार ने किसी धार्मिक प्रतीक चिह्न को प्रतिबंधित नहीं किया है। यह सच नहीं है। वे अन्य लोगों को उकसाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, तोगड़िया माननीय प्रधानमंत्री के लिए खतरा हैं। वे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: एक तरफ कांग्रेस की सरकार जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई आदि राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दे रही है और दूसरी तरफ राजस्थान में राष्ट्रवादी और हिन्दू कार्यकर्ताओं के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके अपनी हिन्दू विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों का प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार कर रही है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार का यह कदम नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है, निन्दनीय है। इसके संबंध में यहां एक स्वर से निन्दा की जानी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के अंदर आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को समर्थन दे रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करके राजद्रोह में उनको बंद करके अपनी गुलामी की मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। त्रिशूल पर प्रतिबंध और प्रवीण भाई तोगड़िया जी की गिरफ्तारी की निन्दा सदन के माध्यम से होनी चाहिए और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की भर्त्सना की जानी चाहिए।

श्री ताराचन्द भगोरा: ये लोग वहां हिंसा करा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हिन्दू धर्म में कहीं भी हिंसा का कोई अस्तित्व नहीं है जबकि आप लोग हिंसा कराने का काम करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, यू.पी. की मुख्यमंत्री, मायावती जी ने हाल ही में कोई स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने हिन्दू धर्म और हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में बुरे-बुरे शब्द कहे हैं। हम यह कहेंगे कि हिन्दुओं के बारे में जो कहा गया है, उससे हमारे मन पर चोट लगी है और हम हिन्दू उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिव सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके पहले ही बदले की भावना को लेकर यू.पी. की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। यू.पी. में जनता के विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इतना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, हमारे मित्र उनके साथ हैं। मैं सरकार को भी यह कहूंगा और यहां जो मान्यवर बैठे हैं कि हम लोग प्रभु रामचंद्र के नाम पर यहां आए हैं। मैं अयोध्या गया था। मेरे खिलाफ भी एफआईआर दाखिल की और श्री राम का उद्घोष करने के बारे में हमें भी मना कर दिया गया और मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई। राम के बारे में उद्घोष करने पर विरोध और हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में बुरे-बुरे शब्द कुत्ता, बिल्ली और क्या-क्या कहा गया। हमारे देवी-देवताओं के बारे में उन्होंने जो ऐसा कहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में एलायंस पार्टी यू.पी. की मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम यह नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ 'पोटा' दाखिल करो लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ताहेगांव में काइनामाइट खदान में खनन कार्य पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): महोदय, मेरे चिमूर निर्वाचन क्षेत्र दहेगांव में 25 वर्ष पूर्व कायनामाईट खान शुरू हुई थी। जिओलाजीकल सर्वे आफ इंडिया का स्टाफ कार्यरत था, जिससे परिसर के लोगों के रोजगार प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी

दस-बारह वर्ष से यह खान बंद अवस्था में पड़ी है, जिससे लोग बेरोजगार हुए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संबंध में मजदूर वर्ग ने आन्दोलन भी किया था, मगर अभी तक यह खान शुरू नहीं की गई। इसलिए दहेगांव की कायनामाईट खान शुरू कराने की आवश्यकता है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि दहेगांव स्थित कायनामाईट खान को पुन: शुरू किया जाए।

(दो) गुजरात में बलसाड में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (बलसाड़): महोदय, यद्यपि गत चार वर्षों में शिक्षा का जितना प्रचार-प्रसार हुआ है, वह काफी प्रशंसनीय रहा है, लेकिन आज भी देश में ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां पर विद्यालयों का अभाव बना हुआ है। गुजरात राज्य में स्थित बलसाड़ जनपद जो हरिजन आदिवासी बाहुल्य जनपद है, इस समस्या से अछूता नहीं है। उक्त जनपद में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम का एक भी विद्यालय नहीं है, जबकि इस जनपद में आबकारी, जल संसाधन, आयकर तथा अन्य कई केन्द्र सरकार के कार्यालय स्थापित हैं और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी विभिन्न राज्यों से भेजे गये हैं, जिनको अपने बच्चों को हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारी अपने बच्चों को अपने गृह राज्य/जनपद में शिक्षा दिलाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अल्पवेतन भोगी कर्मचारी जो दो स्थानों का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा बीच में ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे ही अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान को देखते हुए वहां के सामाजिक कार्यकर्ता एवं जन प्रतिनिधि उक्त जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग बराबर करते आ रहे हैं।

अत: मेरा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह है कि बलसाड में इसी सत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर खोलने की कृपा करें।

(तीन) मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मध्य प्रदेश का पश्चिमांचल जो मालवा के नाम से जाना जाता है, के उज्जैन और इन्दौर सम्भाग में पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ने और इस क्षेत्र में वाटर लैवल अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण अधिकांश ट्यूबवैल में पानी आना बन्द हो गया है। सूखे की स्थिति के कारण किसान परेशान हैं। पशुओं को व लोगों को पीने का पानी मिलने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए और राहत पहुंचाने हेतु कार्यवाही की जाए। किसान के कर्जे का ब्याज माफ किया जाए और राहत कार्य चलाये जायें तथा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करवाई जाए।

(चार) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के लखीसराय में अशोकधाम से होकर रामगढ़ चौक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के बीच एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लखीसराय जिला में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाईपास नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रामगढ़ चौक से वाया अशोक धाम होते हुए इस सड़क को यदि नेशनल हाईवे 80 में जोड़ा जाता तो रामगढ़ से लेकर नेशनल हाईवे 80 तक जुड़ने में कई गांव जो पिछड़े इलाकों के हैं जिसमें एक हजार से ऊपर की आबादी के भी कई गांव हैं, लाभान्वित होते।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिला कर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस सड़क को प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत लखीसराय जिला में स्वीकृत करा कर कार्य प्रारम्भ कराने की कृपा की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरूणा नदी की गाद हटाए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फूलपुर संसदीय क्षेत्र में मैलहन गांव से होकर वाराणसी तक वाया भदोही, वरूणा नदी जाती है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 100 गांवों में बरसात के दिनों से लेकर लगभग फरवरी माह तक खेतों में गांवों जल भराव रहता है। वरुणा नदी का पेटा में मिट्टी व जंगली घास के कारण नदी के पानी का निकास भदोही, वाराणसी की ओर नहीं हो पाता है जिस के कारण हजारों एकड़ जमीन में खेती नहीं हो पाती है। किसान व मजदूर बरसात के दिनों में सामान्य जीवन का निर्वाह भी नहीं कर पाते हैं। खेती न होने से किसानों व मजदूरों की हालत खराब है। बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य व शादी-ब्याह भी कर पाना गांव वालों के लिए मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे का कार्य अधूरा करके छोड़ दिया है।

[श्री धर्मराजसिंह पटेल]

धन के अभाव में कार्य प्रगति पर नहीं हो पा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वरुणा नदी का शीघ्र सर्वे करा कर उसके पेटे की सफाई के लिए नाबार्ड या विश्व बैंक से धन दिलाने का कष्ट करें ताकि हजारों एकड़ खेतों में किसान व मजदूर अपनी खेती का काम कर सकें व उनको भुखमरी से बचाया जा सके।

(छह) बिहार में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, जब से संचार निगम लिमिटेड ने बीएसएनएल को कार्य सौंपा है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की आपूर्ति बंद कर दी गई है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवा का विस्तार काफी बाधित हुआ है। ज्यादातर इलाकों में मोबाइल सेवा हेतु टावर लगाया जा रहा है जो प्रशंसनीय कार्य है परन्तु जिन केन्द्रों पर टावर लगाया जा रहा है वहां से देहाती इलाकों को दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी, इसकी संभावना क्षीण है। देश का उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा पिछड़ा प्रान्त जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है अथवा बहुत कम है, वहां मोबाइल सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि बिजली के अभाव में मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। वैसी स्थिति में एकमा प्रखंड का जमनपुरा बाजार, पन्नापुर प्रखंड का कोन भगवानपुर बाजार, भगवानपुर हाट प्रखंड का माधर बाजार, दारौंदा प्रखंड का बुर्जवां जलालपुर या रजनपुरा बाजार, महाराजगंज प्रखंड का किनरथू बाजार, नबीगंज प्रखंड का डुमरा बाजार, के अगल-बगल का इलाका दूरभाष सुविधा से बिल्कुल वंचित है। वहां के लोग वर्षों से दूरभाष कनैक्शन हेतु पैसा जमा किए हुए हैं परन्तु अगल-बगल एक्सचेंज नहीं होने के कारण दूरभाष कनैक्शन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में उपरोक्त स्थानों पर नया एक्सचेंज खोलने एवं बिहार के छपरा और सिवान जैसे पिछड़े जिलों में केबल की आपूर्ति सुचारू करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु के रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोल्लीमलई पहाड़ियों में जल विद्युत परियोजना की स्थापना के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सरकार ने नवम्बर, 2002 में तमिलनाडु में राशिपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोल्लीमलई पहाड़ियों में 1×20 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इस परियोजना पर लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे तमिलनाडु सरकार के पर्यटन, जनजाति विकास और बिजली बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह परियोजना न केवल दस लाख से अधिक लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा वरन् नामक्कल जिले में स्थित हजारों बहुत छोटे और छोटे उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा। यद्यपि पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस योजना को स्वीकृति देने हेतु अनेकों बार अनुरोध किए गए हैं परंतु मंत्रालय ने इस योजना को स्वीकृति नहीं दी है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस योजना को बिना किसी विलम्ब के स्वीकृति प्रदान करे।

(आठ) म्युनिसिपल कारपोरेशन, चण्डीगढ़ में स्थानांतरित किए गए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सामूहिक रूप से नगर निगम को स्थानांतरित किए गए कर्मचारीगण लगातार यह मांग कर रहे हैं कि नगर निगम में उनकी तैनाती को मानित प्रतिनियुक्ति का दर्जा दिया जाए। 1998 में भारत सरकार ने भी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अपने निर्णय से अवगत करा दिया था कि इन स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार तब तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया समझा जाए जब तक कि निगम में वे स्थायी रूप से आमेलित नहीं कर लिए जाते हैं। यह भी बताया गया था कि उस समय तक मानित प्रतिनियुक्ति का दर्जा दिए जाने से चंडीगढ़ प्रशासन में उनका धारणाधिकार बना रहेगा पर प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। 15 दिसम्बर, 1998 को गृह मंत्री ने भी एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का एक उत्तर दिया था।

तथापि, सचिव स्थानीय शासन, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयुक्त, नगर निगम को भेजा गया दिनांक 11 फरवरी, 2003 का ज्ञापन अब तक दिए गए आश्वासनों के सर्वथा विपरीत है। कर्मचारियों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में वापस जाने का विकल्प दिए जाने का अवसर इस शर्त पर दिया गया है, कि उन्हें उस स्थिति को स्वीकार करना होगा कि वे फालतू घोषित किए जाने और अनिवार्य छंटनी के लिए सहमत हैं।

प्रशासन द्वारा परिचालित एक प्रपत्र में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों से इस बात का वचन लिए जाने कि यदि वे चण्डीगढ़ प्रशासन में पद तथा वरीयता की उपलब्धता के आधार पर फालतू पाए जाते हैं, तो उनकी छंटनी कर दी जाएगी, के परिणामस्वरूप कर्मचारी काफी परेशान और चिंतित हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्मचारियों के स्थानांतरण को मानित प्रतिनियुक्ति का दर्जा दिए जाने तथा विकल्प प्रपत्र के वर्तमान स्वरूप को वापस लिए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए।

(नौ) केरल में तेल्लीचेरी में मेलूत रेल ऊपरिपुल का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, पालघाट रेल डिवीजन के तेल्लीचेरी स्थित मेलूत रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, किन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रेल उपरिपुल के निर्माण में हो रहे असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप तेल्लीचेरी के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह समपार शहर के मध्य में है तथा कार्य को पूरा करने में विलम्ब से प्रतिदिन विशेषकर व्यस्ततम समय के दौरान यातायात में बाधा आ रही है। इस उपरिपुल के निर्माण कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब का कोई औचित्य नहीं है। इन परिस्थितियों में मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए इस डिवीजन के अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधायी कार्य करेगी।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैंने नियम 377 के अधीन एक नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, वह यहां नहीं हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मुझे सूचित किया गया था कि 21 ता. को इस पर चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: यह आज के लिए नहीं है, शायद कल के लिए हो।

अपराह्न 2.18 बजे

बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 12 पर चर्चा करेंगे जिसे श्री जसवंत सिंह की ओर से श्री आनंदराव विठोबा अडसुल विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं:-

"कि बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 के निरसन के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तिरपनवें" शब्द के स्थान पर "चौवनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

संक्षिप्त नाम

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "2002" अंक के स्थान पर "2003" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 के निरसन के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तिरपनवें" शब्द के स्थान पर "चौवनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "2002" अंक के स्थान पर "2003" अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को लेंगे।

प्रश्न यह है:

'अधिनियम सूत्र'

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तिरपनवें" शब्द के स्थान पर "चौवनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

खण्ड-1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2, "2002" अंक के स्थान पर "2003" अंक प्रतिस्थापित किए जाएं। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाए।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.22 बजे

अनुदानों की मांगें (रेल), 2003-2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा वर्ष 2003-2004 के लिये बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों हेतु मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी। सभा में उपस्थित सदस्य जिनके वर्ष 2003-2004 के लिये बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों हेतु मांगों के कटौती प्रस्ताव यहां परिचालित किये गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे कटौती प्रस्ताव जो वे प्रस्तुत करना चाहेंगे, की क्रम संख्या इंगित करके 15 मिनट के भीतर पर्चियां सभा पटल पर भेजें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

प्रस्तुत किये गये माने जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची इसके बाद जल्दी ही सूचना बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है, तो वह कृपया तत्काल इसे पटल पर आसीन अधिकारी की जानकारी में लाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	6 मार्च, 2003 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि (रु.)	सभा की स्वीकृति के लिए अनुदान की मांग की राशि (रु.)
	1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	11,35,10,000	56,75,52,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	39,04,23,000	195,21,15,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	284,73,33,000	1423,66,67,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	546,91,08,000	2734,55,38,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	300,55,52,000	1502,77,63,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	563,98,08,000	2819,90,38,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	306,62,68,000	1533,13,42,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	482,85,30,000	2414,26,53,000

	1	2	3
9.	परिचालन व्यय—यातायात	2204,94,40,000	4744,72,02,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	1332,95,74,000	6664,78,72,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	225,69,26,000	1128,46,33,000
12.	विविध संचालन व्यय	274,89,62,000	1374,48,12,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं—निवृत्ति लाभ	1091,76,41,000	5458,82,04,000
14.	निधियों में विनियोग	1618,33,33,000	8091,66,67,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व के लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	3,85,33,000	2976,30,67,000
16.	परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	5,00,00,000	25,00,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	3062,76,80,000	15313,83,98,000
	रेलवे निधियां	538,96,67,000	2694,83,33,000
	रेलवे संरक्षा निधि	72,16,66,000	360,83,34,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	458,22,67,000	2291,13,33,000
	जोड़	13425,62,21,000	63805,15,23,000

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस दल की ओर से चर्चा शुरू करने हेतु अवसर प्रदान किए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश में रेलवे का व्यापक नेटवर्क है और रेलवे के सुदृढ़ नेटवर्क देश के क्रमिक विकास की ओर संकेत करता है। रेलवे देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक सरकार द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद नेटवर्क अभी भी संतुलित नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण भारत और भारत के भागों में रेलवे के विकास को प्रमुखता देनी होगी।

समय की पाबन्दी बनाए रखने तथा यात्रियों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित सभी डिब्बों विशेष रूप से रात्रि में यात्रा के दौरान महिला पुलिस सुरक्षा बल सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलने तथा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर शीघ्र किया जाना चाहिए। देश में ऐसे अनेक रेल पुल हैं जो 70 से 80 वर्ष अथवा 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। पहले कि बहुत देर हो जाए रेलवे को ऐसे पुलों को सुदृढ़ करने हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि इसके कारण कई अवसरों पर जब इन पुराने पुलों की उचित देखभाल नहीं की गई तो दुर्घटनाएं हुईं और रेलगाड़ियां पटरी से उतर गईं तथा कई लोग हताहत हुए।

रेलवे रोजगार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। बंगलौर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजना को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

उपनगरीय, मेल, एक्सप्रैस और पैसेन्जर रेलगाड़ियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सीट आरक्षित की जानी चाहिए। माल ढुलाई कुशलता और तेजी से होनी चाहिए ताकि वह सड़क परिवहन से प्रतिस्पर्धा कर सके।

मेरे विचार से श्री नितीश कुमार कृषि क्षेत्र को अत्यन्त महत्व देते हैं। पहले वे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। वे कृषकों की समस्याएं भी जानते हैं। मेरे विचार से वे इसका ध्यान रखेंगे और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे।

तत्पश्चात् अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज कृषि क्षेत्र के माल का परिवहन है। आप जानते हैं कि सब्जी और फलों के उत्पादकों को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिये। अत: आपको देखना चाहिये कि आप उनके सामान का परिवहन कैसे कर सकते हैं और उनके लिये अत्यधिक सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं। यहां तक कि लगभग 500 कि.मी. की दूरी पर एक शीतागार होना चाहिये ताकि कृषि क्षेत्र का माल देश में सुदूर स्थानों पर ले जाने में कोई कठिनाई न हो। मेरे विचार से यह कृषि क्षेत्र और जूस उत्पादकों के लिये अधिक उपयोगी होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिब्बों का निर्माण है। पहले अवसर पर, मैंने माननीय मंत्री श्री नीतिश कुमार जी से इस मामले में कुछ करने का अनुरोध किया था। 50 .वर्ष पूर्व इसके प्रारम्भ से ही बी ई एम एस एकक डिब्बों के निर्माण के लिये निर्मित किया गया है और इसे नियमित रूप से 500 डिब्बों का आदेश दिया जाता था। गत तीन अथवा चार माह से, यह बंद कर दिया गया है और यह केवल रेल कोच फैक्टरी कपूरथला को दिया जाता है। वहां लगभग 5000 कामगार हैं। कुल मिलाकर उत्पादन केवल इन लोगों के भरण-पोषण के लिये होता है और कम्पनी लाभ कमाने की अपेक्षा घाटे में चल रही है। वे कुशल श्रमिक हैं। उन लोगों के लिये कोई अन्य फार्म नहीं हैं। डिब्बों का निर्माण शीर्ष प्राथमिकता पर है। मैंने यह मामला पिछली बार भी उठाया था। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की सराहना करेंगे कि बी ई एम एल ने गत 50 वर्षों के दौरान काफी योगदान दिया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब पिछली बार श्री जाफर शरीफ चर्चा में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने भी माननीय मंत्री जी से बी ई एम एल को डिब्बों हेतु आदेश देने का आग्रह किया था।

अब मैं परियोजनाओं पर आता हूं, जो कर्नाटक में लम्बित है। एक हसन-मंगलौर परियोजना है। तत्पश्चात् व्हाईट फील्ड में बंगलौर से जोलारपेट-जंक्शन तक दोहरीकरण की परियोजना है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये परियोजनायें और अन्य परियोजनायें भी जो लम्बित हैं, को जल्द से जल्द आरम्भ किया जाना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक परियोजना के संबंध में जब मैं माननीय मंत्री से मिला तो उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि इस मामले पर कार्यवाही तत्काल आरम्भ करने के लिए निदेशक (निर्माण कार्य) को निदेश दिया है। चूंकि इस परियोजना का काफी काम हो चुका है, यदि शेष कार्य पूरा नहीं किया जायेगा तो पिछले कार्य की कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपये की राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए और 70 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं। इससे दक्षिण भारत का चेन्नई उत्तर पूर्व में गुवाहाटी तक जुड़ जाएगा। इसे आरम्भ करना होगा हम इस 70 करोड़ रुपये की राशि के लिए पिछले चार वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, और यदि हम इस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो पहले से खर्च किए गए 80 करोड़ रुपये की कोई उपयोगिता नहीं होगी। मेरे विचार से मंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की है और उन्होंने परियोजना का स्वयं अध्ययन किया है। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारी को निदेश दे दिया है, परन्तु आज तक महानिदेशक दक्षिण जोन, चेन्नई को निदेश नहीं पहुंचा है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित अधिकारी को यह कार्य आरम्भ करने का निदेश पुन: दें क्योंकि वे स्वयं इसके लिए बहुत चिंतित हैं? मैंने सभा के समक्ष महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले मुद्दे प्रस्तुत किए हैं और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इसके बाद एक अन्य मुद्दा कोपरगांव रेलवे स्टेशन के बारे में हैं जहां तीर्थयात्री शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। महोदय, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों से आने वाली और मनमाड की ओर और इससे आगे जाने वाली गाड़ियों के लिए कोपरगांव में स्टाप दिया जाये जोकि एक बहुत धार्मिक और तीर्थस्थल है और यहां की प्रत्येक गाड़ी के लिए कम से कम छ: शायिकाओं का कोटा रखा जाये। नई दिल्ली और बंगलौर के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी में इस स्टेशन के लिए दस शायिकाओं का कोटा निर्धारित किया जाये। रेलवे कोपरगांप रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन बनाएं। मैंने माननीय मंत्री से इस विशिष्ट मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने का अनुरोध किया है। मैं स्वयं, इस मंदिर में नियमित रूप से जाता हूं। पिछली बार जब मैं वहां गया था तो उस समय मैंने यह देखा कि वहां यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयां हो रही थी।

मैंने उनको आश्वासन दिया था और मैंने यह बताते हुए माननीय मंत्री को अभ्यावेदन दिया था कि यह एक महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। मेरे विचार से माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यान देंगे।

महोदय, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं 2003-2004 के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। हमारे माननीय मित्र जो अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने स्वाभाविक ही कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर रेल विभाग पहले से ही चिन्ता कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने देश में रेल पुलों की मजबूती आंकने और उन्हें मजबूत करने के लिए जो पहल की है वह निश्चित ही सराहनीय है। इसके साथ-साथ ट्रैक को मजबूत करने और डिरेलमेंट को रोकने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए हैं, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही नहीं उन्होंने डिरेलमेंट और एक्सीडेंट रोकने के लिए एक नई प्रणाली को लागू किया है जिसकी अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के वैज्ञानिक भी सराहना कर रहे हैं। इसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है, डिरेलमेंट में भी कमी आई है और इस प्रणाली के लागू होने के बाद दुर्घटनाओं और डिरेलमेंट में जो कमियां पाई गई हैं, वे टैक्नीकल कम एवं मानवीय ज्यादा हैं।

महोदय, जहां तक किसानों को लाभ पहुंचाने की बात है, इस संबंध में अभी बोलने वाले हमारे मित्र ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि किसानों का उत्पाद रेलवे सही समय पर बाजार में पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बिल्कुल दुरूस्त है। हमारे किसानों का उत्पाद समय पर बाजार में पहुंच सके, इसमें रेलवे की अहम भूमिका है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने परम्परागत कृषि से हटकर कृषि के दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात कही है। यह आवश्यक है कि आज परम्परागत खेती जिसमें अनाज उगाया जाता है, उससे हटकर फल, सब्जियां और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार के उत्पादनों को बाजार में सही समय पर पहुंचाने के लिए और इस प्रकार की खेती को कारगर बनाने के लिए रेलवे को इसकी ढुलाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। अब तक रेलवे में ऐसी सुविधा नहीं है कि फल, सब्जियों एवं फूलों को सही समय पर बाजार में पहुंचाया जा सके। इसके लिए जिस प्रकार के कंटेनर और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए ताकि समय पर वह बाजार में पहुंच सके, वे सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे को उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमियां रेलवे में हैं उन्हें दूर करने के लिए इस बजट में जो प्रयास हुए, उन प्रयासों की पूरे देश में प्राय: सभी संगठनों ने प्रशंसा की है। खासकर जो व्यापारिक संगठन हैं, उन सभी ने रेल बजट को लाभकारी बताया है। रेल बजट में जो अच्छाइयां बताई गई हैं, हमारे कुछ मित्रों ने उनके बारे में संशय व्यक्त किया था। श्री पी.आर. दासमुंशी जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने रेल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि बजट में किराया नहीं बढ़ाया है, यह सही है, लेकिन किराया बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा क्योंकि एक ओर वे रेल बजट की कुशलता की चर्चा कर रहे थे, लेकिन चूंकि वे विपक्ष में हैं, इसलिए विपक्ष के नाते, उन्हें कुछ कमी बतानी थी। अत: उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में किराया बढ़ाया जाएगा। उनकी आशा के विपरीत अनुपूरक बजट में भी किराया नहीं बढ़ाया गया। इस अनुपूरक बजट में आमदनी के दूसरे सोर्सेस बढ़ाने की कोशिश की गई है। मालभाड़ा या यात्री भाड़ा बढ़ाने के ऊपर ही निर्भर न रहकर, आदमनी के अन्य स्रोतों को तलाशने का प्रयास किया गया है। उसका नतीजा यह है कि आज रेलवे की आमदनी बढ़ती दिख रही है।

महोदय, रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई रेल लाइनों के विस्तार की घोषणाएं, आमान परिवर्तन की नई घोषणाएं थीं। इसके साथ-साथ कुछ नए पुल हैं, कुछ नई जगहों पर पुलों के निर्माण की जरूरत थी। उनको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक धन की जरूरत है और वह धन बजट से ही मिल सकता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आन्तरिक स्रोतों की चुनौती को स्वीकार किया है और उसको पूरा करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, हिन्दुस्तान के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने के लिए जितनी गाड़ियां पिछले बजट में दी गई, उतनी शायद कभी नहीं दी गई होंगी। इसके कारण रेलगाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कई स्थानों पर यात्रियों के अभाव में रेलगाड़ियों को बन्द करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि दिल्ली से बरेली एक शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई, लेकिन उस गाड़ी हेतु दिल्ली से बरेली और बरेली से दिल्ली के लिए पैसेंजर ही उपलब्ध नहीं हुए और कुछ मास उस गाड़ी को घाटे में चलाकर बन्द कर दिया गया। अब वह समय नहीं रहा कि ट्रेनें नहीं हैं या डिब्बे नहीं हैं और यात्री ज्यादा हैं। अब तो यात्री कम पड़ रहे हैं, इतनी ट्रेनें आज रेलवे लाईनों पर चल रही हैं। इसी बजट में जिन 50 ट्रेनों की घोषणा की गई है, वे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं और ली गई हैं। खन्ना कमेटी ने सुरक्षा के उपायों के बारे में कहा था कि इनकी सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक कोष निर्धारित करने के लिए कहा था, मंत्री जी ने उसका भी निर्माण किया है। 17 हजार करोड़ रुपए की एक संरक्षा निधि बनायी गई थी, जिसके द्वारा निरंतर सुरक्षा के उपायों की तरफ चिन्ता की जाएगी, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री जी ने रेल विकास योजना की घोषणा करके रेल को व्यावसायिक स्पर्धा में और आगे लाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे भी सराहनीय हैं।

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

महोदय, पिछले साल का और उसके पहले का जो बजट रहा है, उसमें कुछ घोषणाएं की गई थीं। उन पर उस अनुपात में और तेजी से अमल नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है, यह मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में मंत्री जी को पता होगा। कोई योजनाएं ऐसी हैं, जो मेरी जानकारी में हैं। जिनकी घोषणाएं पहले हुई, लेकिन अभी तक उन पर कुछ अमल नहीं हुआ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जाफराबाद उतरहटिया, उत्तर-रेलवे लाईन पर एक ओवरब्रिज की बात हुई थी, जो नेशनल हाईवे-56 पर बनना था। इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है, उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। मैं मंत्री जी से यह जरूर अपेक्षा करूंगा कि बजट में जो भी घोषणा पहले की गई है, उनके कार्यान्वयन की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। वे पहले पूरी हों, बाद में दूसरी घोषणाओं को पूरा किया जाए, यह बहुत आवश्यक है। अभी हमारे संसदीय क्षेत्र में और दूसरे संसदीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक बहुत पुरानी लाईन स्वाधीनता आंदोलन में थी, जिसकी बड़ी चर्चा थी-जौनपुर ओड़िहार लाईन, इसके आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से जल रही थी। मंत्री जी ने आमान परिवर्तन की बात नहीं की, लेकिन उस पर एक डीएमयू ट्रेन की स्वीकृति दी है। मुझे जानकारी मिली है कि उस ट्रेन को चलाने के लिए भी, उस लाईन को मजबूत बनाने की, रिन्यूवल की जरूरत है। उस पर 11 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जब कि पूरी लाईन के आमान परिवर्तन पर 60 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। उस पर जब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो क्यों न उस पर 60 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा आमान परिवर्तन कर दिया जाए। 11 करोड़ रुपए केवल स्ट्रेंथनिंग के लिए खर्च किए जा रहे हैं, वे ज्यादा उचित नहीं लगते। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे स्ट्रेंथनिंग के मामले को आमान परिवर्तन में बदलें और जो रुपए की कमी है, उसे कहीं न कहीं से पूरा करके, आमान परिवर्तन करके उसका लाभ लोगों को देने का कष्ट करें।

महोदय, मैं इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा। बहुत सारी लाईनें ऐसी हैं, जहां इलैक्ट्रीफिकेशन के अभाव में कार्य रुक रहे हैं। वहां विद्युतीकरण योजनाएं पहले बन चुकी हैं, पिछले बजट में इनकी घोषणाएं भी की जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें जिस गति से पूरा किया जाना चाहिए, उनमें वह गति नहीं आ रही है, वह गति लाने की आवश्यकता है। पूरे देश को रेल से जोड़ने के लिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई है, वह महत्वपूर्ण है और पहली बार देश में ऐसा महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है—चाहे वह सड़क, रेल और नदियों के माध्यम से देश को जोड़ने का सवाल है, यह एक अहम् सवाल उठाया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने पहली बार संसाधनों को देश के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश को जोड़ने की पहल की है। इसमें रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यात्री सुविधाओं में जो बजट दिया जाना चाहिए, यह पहले बहुत कम होता था—नागरिक सुविधाओं और रेल कर्मचारियों की सुविधाओं में तथा रेल डिब्बों में लोग जिन असुविधाओं का अनुभव करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए मंत्री जी ने इस बजट में 205 करोड़ रुपए का प्रावधान करके कम से कम रेल यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल की है, लेकिन अब भी जितनी सुविधाएं रेल यात्रियों को मिलनी चाहिए, उसकी तुलना में बहुत कम सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। किराया बढ़ना अलग सवाल है और किराया न बढ़ना एक सवाल है, लेकिन इसके साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षा और सुविधाएं दी जानी बहुत आवश्यक हैं। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए आरपीएफ को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो एक दिक्कत शुरू से प्रत्येक रेल मंत्री और रेल यात्री महसूस करते हैं, वह यह है कि रेल यात्री और उनके सामान की सुरक्षा का प्रश्न हमेशा राज्यों के हाथ में रहता है। जिसके कारण रेल मंत्रालय और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित न होने के कारण कई बार दिक्कत आती है और रेल यात्रियों का सामान असुरक्षित रहता है। इसके बारे में सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इस व्यवस्था में सुधार हो। जैसे आर.पी.एफ. रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी एक फोर्स है, वैसे ही रेल यात्रियों के सामान और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी एक सुरक्षा इकाई बनानी चाहिए या राज्य सरकारों से तालमेल बनाकर काम करना चाहिए, अन्यथा रेल यात्री अपने को इस समय, जब पूरे देश में इन्सर्जेंसी का सवाल चल रहा है तो रेल सम्पत्ति की सुरक्षा तो आर.पी.एफ. के द्वारा हो जायेगी, लेकिन रेल यात्रियों और उनका सामान कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी भी चिन्ता की जानी चाहिए। यह जब तक नहीं किया जायेगा, तब तक इस इन्सर्जेंसी के समय में रेल यात्री अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।

मैं इसके साथ-साथ एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। रेल मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने रेल डिब्बों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुछ पहल की है, लेकिन अब भी जो शुद्ध जल पीने के लिए मिलना चाहिए, एक दफा बीच में यहां सवाल उठा था, स्थिति यह है कि कई कम्पनियां ऐसी हैं जो मिनरल वाटर के नाम पर पेयजल बेचती हैं, लेकिन वह शुद्ध नहीं होता। पेयजल शुद्ध मिले, यह बहुत जरूरी है। इसे स्टेशन पर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और रेल के अन्दर भी पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। इसी तरह रेल डिब्बो में जो टायलेट्स में भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी दिक्कत दिखाई पड़ती है और एक सफाई की कमी दिखाई पड़ती है। स्टेशन पर भी सफाई की कमी दिखाई पड़ती है और डिब्बों में भी कमी दिखाई पड़ती है। सफाई को सुनिश्चित करने के लिए इसकी भी पहल होनी चाहिए।

मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विकलांगों की चिन्ता की है, वृद्ध लोगों की चिन्ता की है, पत्रकारों की चिन्ता की है और उनको विभिन्न ट्रेनों में यथास्थान महत्व दिया है। इसके साथ-साथ यह बहुत कम होता है, जब रेल का भाड़ा कम होता है, वरना तो हमने सुना था, भाड़ा बढ़ता तो लगातार है। लेकिन रेल भाड़ा कम भी होता है, यह पहली बार रेल मंत्री जी ने किया है, जो अपने आपमें उल्लेखनीय उपलब्धि है कि आज रेल भाड़ा कम किया जा रहा है। कई दूसरी जगहों पर भी हम जानते हैं। जब पहली बार मैं चुनकर आया था तो यहां इस सदन में, इस देश में महंगाई पर ही चुनाव हुआ करता था, अब वह मुद्दा पता नहीं, कहां चला गया। शायद यही कारण है कि इन लोगों ने अपनी योजनाएं इस ढंग से बनाई हैं कि हम चीजों को महंगी हुए बिना अच्छी और सुविधाजनक मूल्य पर उनको उपलब्ध करायें, रेलवे भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रही है।

पर्यटन की दृष्टि से हमारा देश बहुत आगे नहीं चल रहा है। हमारे देश में दो प्रकार का पर्यटन है। एक में बाहरी पर्यटक आते हैं और एक आन्तरिक पर्यटन चलता है। आन्तरिक पर्यटन पूरी तरह रेलवे पर निर्भर करता है। रेलवे के लिए यह जरूरी है कि ऐसे पर्यटन स्थलों की, ऐसे तीर्थस्थलों की पहचान हो और वहां रेल पहुंचाने की कोशिश की जाये। कश्मीर में भी रेल की सीटी बजेगी, यह कश्मीर वाले, घाटी वाले भी पहली बार अनुभव कर रहे हैं। हम पहले कहते थे कि हम ऊधमपुर में रेल ले जाएंगे, घाटी में रेल ले जाएंगे, लेकिन वह कश्मीर वालों के लिए सपना ही बना था, वहां कभी रेल नहीं पहुंची। लेकिन रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज घाटी में भी रेल की सीटी बजने की संभावनाएं दिखाई पड़ने लगी हैं, वहां भी रेल पहुंच रही है। इसलिए रेल की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं, निश्चित ही वे प्रशंसनीय हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी योजना हाथ में ली जाये, उस योजना को समयबद्ध पूरा करने का भी प्रयास किया जाये।

इधर रेल यात्री और माल भाड़े की स्थिति बदल रही है। यात्री कम हो रहे हैं, क्यों यात्री कम हो रहे हैं, इसकी चिन्ता रेलवे को करनी चाहिए। पहले वर्षों में जितने लोग रेल से यात्रा करते थे, इतनी सुविधा और इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कम यात्री रेल से यात्रा करते हैं तो दिक्कत होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? माल भाड़े की ढुलाई आज एक सवाल है, आज ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है। रोड ट्रांसपोर्ट अगर जाम हो जाता है, अगर रुक जाता है तो बाजार पर उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इस चुनौती को भी रेलवे को स्वीकार करना चाहिए। अगर रेलवे ने फल, सब्जी, दूध आदि की ढुलाई के लिए ठीक प्रयास किया होता, अच्छा प्रयास किया होता तो ट्रक वालों की चुनौती को बड़ी आसानी से स्वीकार किया जा सकता था, रोड ट्रांसपोर्ट की चुनौती स्वीकार की जा सकती थी। मैं समझता हूं कि इसमें रेलवे पहल करेगी, इससे किसानों को जहां लाभ होगा, वहां बाजार दर नियंत्रित करने में भी सुविधा होगी और आवश्यक वस्तुएं समय पर लोगों को मिल सकेंगी।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, जिस बेहतर ढंग से आगे बड़ रहा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि कुशल रेल मंत्री के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल निरन्तर प्रगति करती रहेगी और देश की सांस्कृतिक जीवन रेखा देश की पहचान बनकर रहेगी।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय रेल अनेकता में एकता की धारणा का प्रतीक है। वस्तुतः यह राष्ट्रीय एकता का एक साधन है। हमें इस बात पर अत्यधिक गर्व है कि विश्व में यह एकल प्रबंधन के अधीन सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।

अब 63,000 किलोमीटर रेलमार्ग और सभी लाइनों के समुचित विस्तार के साथ भारतीय रेल एक बहुत बड़ा और व्यापक नेटवर्क है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब हम 150 वर्ष पूर्व इसके आरंभ होने से लेकर अब तक भारतीय रेल की प्रगति का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि मौजूदा नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और स्वतंत्रता के उपरांत इसकी प्रगति साधारण रही है और कभी-कभी बहुत कम रही है।

यहां हमें अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के संबंध में हुई प्रगति का विश्लेषण करना है। प्रतिदिन यात्रियों की संख्या वास्तव में बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में भारतीय रेल अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है।

निःसन्देह, यह सत्य है कि माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा रेलवे नेटवर्क में प्रगति के विभिन्न पहलुओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। माल भाड़ा सेवाएं, यात्री सेवाएं, परियोजनाएं और सुरक्षा के संबंध में उन्होंने संपूर्ण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है। यात्री किराए के संबंध में 1998 में प्रकाशित उनके स्थिति-पत्र के अनुसार उन्होंने इस प्रकार से अपना विचार व्यक्त किया है।

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

"प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त टैरिफ उपलब्ध कराई गई सेवाओं के स्तर के अनुरूप होना चाहिए और उसका भुगतान करने की क्षमता विकसित करनी होगी।"

यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत आदर्श स्थिति है।

जब हम किराए में बढ़ोत्तरी को देखते हैं, माननीय मंत्री यह दावा कर सकते हैं कि वर्ष 2003-2004 के लिए बजट में कोई वृद्धि नहीं की गयी। परंतु, पिछले वर्ष के दौरान यात्री किराए की दरों में काफी बढ़ोत्तरी की गयी थी। यह भार वस्तुतः साधारण यात्रियों पर पड़ा था न कि विशेष श्रेणी के, उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि के किराए में कमी की गयी थी जबकि दूसरे दर्जे के किराए में, छोटी ट्रेनों में किराए में वास्तव में वृद्धि की गयी थी।

महोदय, यह वर्ष रेलवे द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। परियोजनाओं के संबंध में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत सी नई परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं। भावी परियोजना के संबंध में भी 2002-03 के बजट में एक विचार व्यक्त किया गया है जिसमें माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि:

"मैंने विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के लिए नई लाइनों, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण आदि योजना शीर्ष हेतु एक स्पष्ट और पारदर्शी फार्मूले के आधार पर निधियां आबंटित करने का निर्णय लिया है ताकि उपलब्ध संसाधनों को इस तरीके से वितरित किया जाए जिसे उचित और युक्तिसंगत माना जा सके...."

निश्चित रूप से यह विचार उचित और युक्तिसंगत है।

माननीय मंत्री ने आगे कहा कि-

".....इस उद्देश्य के लिए मैंने तीन मुख्य मानदंडों अर्थात् राज्य का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या और राज्यों में अग्रेनीत परियोजनाओं को आधार बनाया है। इन तीनों मानदण्डों को क्रमशः 15 प्रतिशत, 15 प्रशित और 70 प्रतिशत के अनुपात में महत्व दिया गया है।

वस्तुतः इस विचार की सिद्धांततः बहुत अधिक सराहना की गयी है। परंतु जहां तक मेरे राज्य केरल का संबंध है इस विचार ने वस्तुतः हमारे राज्य को अत्यधिक अलाभकर स्थिति में ला दिया है। आकार में हमारा राज्य बहुत छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारा राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बहुत प्रगतिशील है। यहां पर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है। परंतु जहां तक इस विशेष मानदंड का संबंध है, हमें अत्यधिक अलाभकर स्थिति में रखा गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री इस संबंध में मुझसे सहमत होंगे।

फिर अग्रेनीत परियोजनाएं भी हैं। राज्य के समक्ष आ रही वित्तीय कठिनाईयों के कारण वे कई परियोजनाओं को आगे लाने में सक्षम नहीं हैं जिनके लिए धनराशि मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा मुहैया की जानी है। इन सभी परिस्थितियों के कारण हमारा केरल राज्य अत्यधिक अलाभकर स्थिति में है।

महोदय, यदि हम केवल पिछले तीन वर्षों के आबंटन को देखें तो हम पाते हैं कि यह वास्तव में कम हो रहा है। यह बढ़ने की बजाए वस्तुतः कम हो रहा है।

वर्ष 2001-2002 में आबंटन 286.67 करोड़ रुपए था। वर्ष 2002-03 में केरल को मात्र 208.88 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह है कि आबंटन में लगभग 80 करोड़ रुपए की कमी की गयी। इस वर्ष अर्थात् वर्ष 2003-04 में यह और कम होकर 127 करोड़ रुपए हो गया जिसका अर्थ यह है कि पुनः 80 करोड़ रुपए की कमी की गयी।

अतः केरल राज्य के लिए धनराशि आबंटित करने के संबंध में यह स्थिति है। यह स्वाभाविक है कि निधियों में इस प्रकार कटौती किए जाने से हम चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पायेंगे।

इसी प्रकार आर ओ बी के गठन के बाद इंटर-लाकिंग प्रणाली की स्थापना बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने आदि के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। शोरनूर-मंगलोर-लाइन के दोहरीकरण के लिए अपेक्षित राशि 106 करोड़ रुपए हैं जबकि इसके लिए आबंटित की गई राशि केवल 55 करोड़ रुपए है। कालीकट-शोरनूर-कुट्टीपुरम लाइन के लिए 73 करोड़ रुपए की राशि अपेक्षित है परंतु केवल 33 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार विद्युतीकरण के लिए 81.64 करोड़ रुपए की राशि अपेक्षित है परंतु केवल 22 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश परियोजनाएं जिन्हें दो या तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना है, पूरा नहीं हो पाएंगी। हम उन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे।

महोदय, शुरू की गयी नई ट्रेनों के संबंध में, एक नई रेलगाड़ी दिए जाने और तीन नई रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार किए जाने से, विशेषकर एर्णाकुलम-कालीकट इंटर सिटी एक्सप्रेस को कन्नूर तक लाए जाने, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा वादा किया गया है, मैं निःसन्देह उनकी आभारी हूं। यहां इस संबंध में मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी। हैदराबाद-एर्णाकुलम रेलगाड़ी के मार्ग को बढ़ाकर उसे त्रिवेन्द्रम तक किया गया है। परंतु बहुत सारे यात्री

मालाबार की तरफ से भी आते हैं। अत: कोई ऐसी व्यवस्था चाहे वह व्यवस्था एक ऐसे डिब्बे के संबंध में हो जिसे शोरानुर से डि-शंट किया जा सके या इन सबका विस्तार मालाबार क्षेत्र तक किया जा सके—अत्यंत सराहनीय होगी।

महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों के संबंध में विशेष रूप से यह बताना चाहूंगी कि नौकरशाही स्तर पर रेलवे पर अब तक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव बना हुआ है। बदली हुई परिस्थितियों में इनमें से कुछ नियमों में संशोधन करना होगा। माननीय मंत्री महोदय अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने और यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के संबंध में विचार कर रहे हैं जबकि कतिपय ऐसी सुविधाएं हैं जो वस्तुत: यात्री संबंधी सुविधाएं नहीं हैं बल्कि रेलवे से नजदीकी रूप से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बडागरा में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों से दो परियोजनाओं के लिए 30 लाख रुपये प्रति परियोजना की औसत से 60 लाख रुपये आबंटित किए थे। ऐसा दो वर्ष पहले किया गया था। परंतु रेलवे प्राधिकारियों से किसी उत्तर की प्राप्ति की प्रतीक्षा की वजह से उनका कार्यान्वयन अब तक नहीं हो पाया है। स्थिति यह है कि बडागरा के दक्षिण भाग में पटियट मुखाली में एक अंडर-ब्रिज का मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया है और वास्तव में यह कोई यात्री सुविधा नहीं है क्योंकि इस अंडरब्रिज का उपयोग तीन गांवों के पैदल चलने वाले लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने के लिए किया जाएगा। अब यदि उन्हें विद्यमान व्यवस्था में राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचना है तो उन्हें दोहरी लाइन को पार करना होगा। चूंकि यह उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, अत: मैंने दो वर्ष पहले 30 लाख रुपये आबंटित किए हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति ने अपनी ओर से इस परियोजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। परंतु रेल मंत्रालय का यह कहना है कि विद्यमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को धन का भुगतान करना पड़ता है। ग्राम पंचायत एक परियोजना के लिए 30 लाख रुपये कैसे आबंटित कर सकती है? उन पर अत्यंत आर्थिक दबाव है। इसलिए, वहां धन लम्बित है तथा इस धन को केवल इसी परियोजना के लिए रखा गया है। रेल मंत्रालय ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। मैंने रेलवे बोर्ड को इस बारे में लिखा है। मैंने रेलवे बजट पर चर्चाओं में भाग लेते समय पूर्व अवसरों पर भी इस मामले को उठाया है।

दूसरी परियोजना रेलवे स्टेशन के दक्षिण में स्थित तेल्लीचेरी में पैदल ऊपरी पुल के संबंध में है। यह किसी भी प्रकार से रेलवे स्टेशन से संबंधित नहीं है। वस्तुत: यह समपार के बारे में है जिसे फ्लाई-ओवर के बदले में बंद किया गया था। इसके लिए भी मैंने दो वर्ष पहले 30 लाख रुपये आबंटित किए हैं। यात्री सुविधाओं के नाम पर इसकी उपेक्षा की जा रही है। वस्तुत: यह यात्री सुविधा नहीं है। प्लेटफार्म से आने वाले यात्री इस पैदल ऊपरी पुल का प्रयोग नहीं करेंगे। यह पैदल ऊपरी पुल उन सामान्य पैदल चलने वाले लोगों के लिए है जिन्हें बस स्टैंड से कूर्ग रोड तक और अन्य स्थानों पर आना पड़ता था।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें और इसे यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान करें ताकि मैं इन दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करा सकूं जो रेलवे से संबंधित होंगी।

दूसरा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जिसका उल्लेख आज मैंने नियम 377 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के दौरान किया। अत:, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। बडागरा में ओनथम ओवरब्रिज नामक एक अन्य ऊपरि-पुल है। इसका निर्माण कार्य 1994 में प्रारंभ किया गया था और यह अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। रोड अलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। रेलवे का भाग अर्थात् रेलवे लाइन के ऊपर पुल का भाग पूरा किया जाना है। अनेक ऊपरि पुलों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जा रहा है तथा पुल वाले भाग को पूरा करने में विलम्ब हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाला भाग पूरा हो गया है, रोड अलाइनमेंट पूरा हो गया है। अधिकतर मामलों में पुल वाले भाग, जो रेलवे लाइन से कुछ ही ऊपर है, को पूरा किया जाना है, चाहे कोई भी तकनीकी समस्याएं हों। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले में शीघ्रता करने संबंधी निदेश दिए जाते हैं।

एक अन्य अनुरोध जो मैं इस सम्मानित सभा में दोहराता रहा हूं, वह तेल्लीचेरी-नानजनगोडे रेलवे लाइन के संबंध में है। वास्तव में इस रेलवे लाइन से पर्यटन परियोजनाओं की आवश्यकताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि तेल्लीचेरी से कर्नाटक क्षेत्र के लिए अभी केवल बस सेवा ही उपलब्ध है। यदि इस रेलवे लाइन की व्यवस्था हो जाए तो यह पर्यटन विकास कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक बात होगी और इससे संपूर्ण मालाबार क्षेत्र के लोगों को अत्यंत सुविधाजनक ढंग से कर्नाटक पहुंचने और वहां से वापस आने में मदद मिलेगी।

मैं गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा कम से कम अगले बजट में इस पर काफी विचार किया जाएगा।

ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। परंतु समय की कमी के कारण मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय

[श्री ए.के. प्रेमाजम]

को भी इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे राज्य में अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे आशा है कि केरल राज्य को और अधिक निधियां आबंटित की जाएंगी तथा यह भी आशा है कि वे केरल के उत्तरी भाग अर्थात् मालाबार पर पर्याप्त ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से सिर्फ एक विषय पर प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप सब जानते हैं कि मुलुन्द में गत महीने में मुम्बई में ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। मैं रेल मंत्रालय का आभार मानता हूं कि रेल मंत्री जी ने उसी दिन रात को तुरंत सभी अधिकारियों को भेजकर 25 मिनट के अंदर जितने भी लोग घायल हुए थे या मृत्यु हुई थी, उनको तुरंत अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था करवाई और उनको एक्स-ग्रेशिया पेमेंट भी मंत्रालय ने किया। दूसरे दिन रेल मंत्री जी की अनुमति से रेल राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी वहां आए थे।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी मुम्बई आये। कुल 82 लोगों का कुछ न कुछ नुकसान हुआ था। उसमें से 60 लोग ऐसे हैं जिन्हें कान से सुनाई देना बंद हो गया है। रेलवे में क्लेम-ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है जिसमें 38 हजार रुपये से लेकर तीन लाख साठ हजार रुपए का क्लेम मिलता है। लेकिन लोगों को ट्रिब्यूनल में क्लेम देना पड़ता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए एक क्लेम आफिसर उनकी सहायता करता है। मेरे पास ऐसे लोगों के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। कौन से केसेज हैं, प्रत्येक की जानकारी है। अनेक ऐसे केस हैं जिनमें नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, पत्नी अकेली है, तीन महीने का बच्चा है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अस्पताल का खर्चा 40 हजार, 50 हजार या लाख तक का हो चुका है। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल मुम्बई की जो ब्रांच है उसकी हालत यह है कि एक हजार केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं। अगर 29 क्लेम सब्मिट किये जाते हैं तो भी उनका नम्बर दो साल के बाद आयेगा, तब तक ये गरीब लोग कहां जाएंगे? उन्होंने उपचार के लिए अपने घर तक गिरवी रख दिये हैं। इसमें से लगभग 90 प्रतिशत लोग सैकिंड क्लास में सफर कर रहे थे। आपने पहले भी मानवता के आधार पर मदद की है। गत साल राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था तो माननीय रेलवे मंत्री जी ने स्पेशल जज की नियुक्ति की थी और उस दुर्घटना में मुम्बई के भी दो यात्री थे जिनकी उसमें मृत्यु हो गयी थी। उनके परिवार वालों को चार लाख का क्लेम मिल गया है। तीन-चार महीनों में सब क्लेम डिसबर्स हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इस बार भी आपको उसी तरह से मुम्बई के लिए भी करना चाहिए और एक स्पेशल जज की नियुक्ति आपको करनी चाहिए जिससे तीन-चार महीने के अंदर सब लोगों को मुआवजा मिल जाए। दूसरी बात यह है कि रेलवे को भी इससे रैवेन्यू का नुकसान होने वाला नहीं है। रेलवे हर यात्री की टिकट में से कुछ पैसा जनरल इंश्योरेंस कोरपोरेशन को इंश्योरेंस प्रीमियम से लिए देती है। सन् 1993 में यह व्यवस्था बनी। गत 10 सालों में 114 करोड़ रुपया रेलवे ने प्रीमियम जमा किया है और खाली 83 करोड़ रुपया ही क्लेम का स्वीकृत हुआ है। रेलवे को रैवेन्यू की हानि नहीं होगी और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी हानि नहीं होगी। मानवता के आधार पर मृतक परिवारों को मदद मिलेगी, जिनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चालू है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि स्पेशल जज की नियुक्ति हो और साथ ही जो रेलवे क्लेम आफिसर है, वहां पर दो-चार लोगों का स्पेशल सेल अपाइंट हो। मुझे विश्वास है कि माननीय रेलवे मंत्री जी मेरी प्रार्थना पर गौर करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम रेलवे की वर्ष 2003-2004 की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय रेलवे मंत्री जी ने 17 हजार करोड़ रुपये का विशेष रेलवे सुरक्षा फंड स्थापित किया है। वर्ष 2002-2003 में 1400 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। मेरा मानना यह है कि जो अपेक्षित परिणाम सामने आने चाहिए थे वे परिणाम सामने नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से राज नहीं चलता है बल्कि भरोसे और विश्वास से राज चलता है और लोग क्या अहसास करते हैं यह बड़ी बात है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोगों में रेल यात्रा के प्रति अविश्वास बढ़ा है। दो-चार दिन के बाद कोई न कोई रेलवे दुर्घटना समाचार-पत्रों में छप जाती है, जिससे लोगों में भय पैदा होता है, एक अविश्वास पैदा होता है। रेलवे में प्रतिवर्ष रेल दुर्घटनाओं में लगभग 385 लोग मारे जाते हैं। इनमें से 148 मौतें रेलगाड़ियों की आपस में भिड़ंत की वजह से होती हैं, 51 रेल की पटरियों की वजह से और 31 मौतें मानवरहित रेलवे क्रासिंग के कारण होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटना होने के बाद आप जांच कमेटी बना देते हैं, लेकिन इन कमेटीज की रिपोर्ट विलम्ब से आती हैं और विलम्ब से कार्यवाही होती है। 1998 में एक रेल दुर्घटना की जांच के लिए जीसी गर्ग समिति बनी थीं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस वर्ष जनवरी, 2003 तक उस समिति की रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी तरह से अगस्त, 1999 में जीएम रे समिति गेयसिल की वजह से दुर्घटना के कारण बनी थीं, जिसमें 285 लोगों की मौतें हुई थीं। उस समिति ने 21 सिफारिशें की थी, जिनमें से आपने 18 सिफारिशों को मान भी लिया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रयास यह होना चाहिए कि जब रेल दुर्घटना हो जाती है और उसकी जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की जाती है, तो

उस जांच समिति का काम अविलम्ब पूरा होना चाहिए और जो लोग उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे लोगों में यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव बने कि इस आशय की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तथा उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन दुर्घटनाओं के लिए जीएम और डिविजनल मैनेजर को दोषी ठहराया जाता है। वित्तीय अधिकारों के मामले में दस हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बढ़ोत्तरी की है। मात्र रुपयों की छूट देने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे और ऐसी कार्य प्रणाली सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलने वाले हैं।

महोदय, दिसम्बर, 2000 में सराय-बनजारा रेल दुर्घटना हुई थी और इसकी जांच के लिए जस्टिस शकील अहमद को नियुक्त किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से जांच प्रक्रिया में विलम्ब होता है, उस प्रक्रिया को अत्यधिक तीव्र बनाया जाना चाहिए, जिससे रिपोर्ट जल्दी से प्राप्त हो सके। जहां तक लोगों का सवाल है, दुर्घटनायें हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद तत्काल लोगों को यह लगना चाहिए कि सरकार ने सख्त कार्यवाही की है और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए कुछ कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आपने रेल दुर्घटनाओं की तुलना सन् 1960 से की है और कहा है कि रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। मैं समझता हूं कि 1960 के समय से आज के संदर्भ में तुलना करना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। 1960 के आधार पर रेल दुर्घटनाओं का आंकलन करते हैं, तो रेल में कार्य संचालन पर होने वाले व्यय के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। 1960 से अभी तक व्यय का अनुपात कितना बढ़ा है, इस बारे में भी सोचना चाहिए।

जहां तक रेलवे के संचालन का सवाल है, तो रेलवे का संचालन कुछ हद तक राजनीतिक हो गया है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रेलवे के संचालन के पहले नई रेल लाइनें चलाने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। आपने पिछले बजट में जनशताब्दी शुरू करने का निर्णय लिया था। मैं जनशताब्दी में प्रतिदिन औसतन यात्रियों की संख्या बताना चाहता हूं। टाटा-रांची जनशताब्दी में 23 यात्री, अहमदाबाद-भुज जनशताब्दी में 92 यात्री, हावड़ा-मालदा में 160 यात्री और पटना-कटिहार जनशताब्दी में 180 यात्री यानि कुल मिलाकर घाटे का सौदा रहा। मैं कहना चाहता हूं, जब नई रेल गाड़ी चलाते हैं, तो पहले विचार-विमर्श करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं यह घाटे का सौदा तो सिद्ध नहीं होगा। रेल मंत्रालय द्वारा जो श्वेत-पत्र जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि दुर्घटनामुक्त रेल यात्रा संभव नहीं है। माननीय रेल मंत्री जी रेलवे की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिये मुम्बई गये थे, जहां उनका भाषण हुआ था। यह भाषण 3 जनवरी, 2003 को हुआ था। इस भाषण में इन्होंने कहा था कि आने वाले 5 वर्षों में रेलवे को दुर्घटनामुक्त कर दिया जायेगा लेकिन सरकार के श्वेत-पत्र और इनके भाषण में विरोधाभास है। इसे देखने की आवश्यकता है और इस पर गहन विचार किये जाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे स्टेशन अपराधियों के अड्डे बन गये हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जनरल मैनेजर का एक बयान छपा है और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपराधियों का जमावड़ा रहता है। इन पर नजर रखे जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक पार्टियों के जलसे और रैलियां होती हैं या उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनके लिये रेल विभाग अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाती हैं। इसके लिये आवश्यक औपचारिकतायें किये जाने की आवश्यकता है। अभी 14 अप्रैल को लखनऊ में एक दल की तथाकथित पर्दाफाश रैली हुई थी। हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में छपा है कि रेल विभाग ने जो रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई, उसमें आवश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं की गई। जिस तरह से रेल अधिकारियों को धमकाया गया, वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। रेल मंत्री का वह विभाग है, वे उसके मंत्री हैं, विभाग के आला आफिसर्स हैं लेकिन हर व्यक्ति को अधिकारीगण को बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है। जिस पार्टी के जलसे होते हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिये अतिरिक्त रेलें चलाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी किये जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, रेल विभाग जो पुल बनाती है, उसमें 50 प्रतिशत धन रेल विभाग का और 50 प्रतिशत राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का होता है। मुझे लगता है कि अधिकांश राज्य सरकारें सहयोग नहीं करती हैं। इसलिये जहां रेल विभाग पुल बनाती है, वहां राज्य सरकारों से सहयोग अपेक्षित है। यदि सहयोग नहीं मिलता तो पुल नहीं बन पाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के सम्बद्ध मंत्री को बुलाकर और राज्य सरकार से बात करके, जो उचित समझे, जहां पुल बनाये जाने की आवश्यकता है, रेल विभाग उचित कार्यवाही करे।

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, अभी 4 अप्रैल को रेल मंत्री जी आगरा मंडल का उद्घाटन करके आये हैं। मेरा निवेदन है कि आगरा

[श्री रामजीलाल सुमन]

मंडल बनने के बाद जो स्टाफ ट्रांसफर किया गया है, वह व्यवहारिक नहीं है। वहां पुराने स्टाफ को बुलाये जाने की आवश्यकता है और इसका विस्तार किया जाये। इसके अलावा टुंडला-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, जयपुर-बांदीकुई और इधर फरीदाबाद तक आगरा मंडल का विस्तार किया जाना आवश्यक है, तभी जाकर आगरा मंडल अपनी असली शक्ल में आ पायेगा। फिरोजाबाद स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। यहां कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली लागू करना आवश्यक है। फिरोजाबाद में प्रतीक्षालय नहीं है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि फिरोजाबाद में एक प्रतीक्षागृह बनाया जाये।

सभापति महोदय, टुंडला में प्रयागराज एक्सप्रेस और शताब्दी का स्टापेज होना चाहिए। इटावा स्टेशन पर स्टापेज श्री मुलायम सिंह जी की वजह से हुआ है। मेरा निवेदन है कि फिरोजाबाद में भी स्टापेज दिया जाये। इसके अतिरिक्त आगरा से पास होने वाली गाड़ियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जैसे हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी में आरक्षण की आवश्यकता है। आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से टूरिस्ट आते-जाते हैं और सरकार को काफी राजस्व मिलता है। इसलिये आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आगरा-ऐलादपुर डबल लाइन होनी है जिसके लिये तीव्र गति से कार्य किया जाना चाहिये। जहां तक लोडिंग-अनलोडिंग का सवाल है, छालेसर स्टेशन को विकसित किये जाने की आवश्यकता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराये जाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिकोहाबाद में ओवरब्रिज बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। लोग शिकोहाबाद से बटेश्वर जाते हैं, जो प्रधान मंत्री जी का जन्मस्थल है और वह एक ऐतिहासिक स्थल भी है। वहां कभी-कभी घंटों लग जाते हैं। यहां से कभी श्री मुलायम सिंह यादव जी विधायक रहे हैं और बाद में मुख्य मंत्री भी बने। वहां तमाम तीर्थयात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। लेकिन वहां ओवरब्रिज न होने के कारण घंटों लग जाते हैं। मैंने हाउस में सवाल किया था, उसका रेल मंत्री जी ने जवाब भेजा था कि हम रेल पुल बनवाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते राज्य सरकार हमें अपेक्षित सहयोग करे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करके अगर शिकोहाबाद में ओवरब्रिज बन जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी और गोमती, बरौनी, जोधपुर, हावड़ा, डीलक्स गाड़ियां शिकोहाबाद में रोकी जाएं।

सभापति जी, मुझे इतना ही निवेदन करना था। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन क्षेत्रीय समस्याओं का जिक्र अपने वक्तव्य में किया है, उन्हें रेल मंत्री जी अविलम्ब पूरा करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि हाल में वर्तमान मंत्रियों से तमिलनाडु राज्य अधिक लाभान्वित हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कन्याकुमारी से दिल्ली तक के लिए तिरूक्कुराल एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गई है और कुडाल एक्सप्रेस को भी यहां तक बढ़ाया गया है। अभी भी हमारी कुछ और आवश्यकताएं हैं। हम वास्तव में श्री ए.के. मूर्ति की सराहना करते हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं और वे तिरूचेंदूर से भी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने यह वादा किया है कि आने वाले वर्षों में सभी लाइन सेवा शुरू की जायेगी।

तिरूनेलवेली से तिरूचेंदूर के बीच की दूरी केवल 61 किलोमीटर है। वहां प्रमुख कार्य पूरा हो चुका है और पुलों का निर्माण भी हो चुका है। आपको तो केवल रेलगाड़ियों का मार्ग ही बदलना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। कभी-कभी दबाव के कारण मंत्री जी अन्य कार्यों के लिए राशि आबंटित कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत खेद है। तिरूनेलवेली से तिरूचेंदूर का मार्ग देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां एक मुरूगन मंदिर है। हर महीने यहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यदि आप वहां आएंगे तो निश्चय ही आपको भी पुण्य मिलेगा। लोग तिरूचेंदूर कार्तिकेयन मंदिर में दर्शनार्थ जाते हैं। इसके अलावा, अलीमुगेरी नामक एक स्थान है जहां हजारों की संख्या में लोग नमक निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। यहां पर दरंगधारा केमिकल वर्क्स नामक एक कम्पनी भी है। यह कम्पनी सोडा ऐश की ढुलाई रेलवे द्वारा करती है। इसकी ढुलाई से रेलवे को कम से कम एक करोड़ रुपये की आय हो सकती है। वाणिज्यिक दृष्टि से भी यह वास्तव में व्यवहार्य है। उससे देश देश का प्रत्येक भाग इस स्थान से जुड़ जाएगा जहां से भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां आते हैं। वर्तमान स्थिति में लोगों को यहां आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग तिरूनेलवेली तक आते हैं और यहां पहुंचने के लिए उन्हें वहां से बस अथवा टैक्सी जैसे यातायात के किसी अन्य साधन का सहारा लेना पड़ता है।

वस्तुतः मेरे क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुझसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। परन्तु मैंने कहा कि सभी मंत्रीगण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वे जानते हैं कि क्या अच्छा है। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि हमारे मंत्री जी लोगों के हित में यह कार्य अवश्य करेंगे। अतः, मैं मंत्री जी को तिरूचेंदूर आने का निमंत्रण देता हूं और यहां उन्हें निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा।

एक अथवा दो छोटे मुद्दे हैं जिनका मुझे यहां उल्लेख करना है। कन्याकुमारी वाली लाइन में वल्लीपुर नामक एक स्थान है जहां प्लेटफार्म इतना नीचे है कि हाल ही में दो व्यक्तियों की इससे गिरकर मृत्यु हो गई है। तत्काल ही लोग मेरे पास आए और उन्होंने इसके बारे में मुझसे प्रश्न भी किया। मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं। इस प्रकार आप भी उनके प्रति जवाबदेह हैं। वल्लीपूर रेलवे स्टेशन तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी के बीच स्थित है।

तमिलनाडु के कुछ हिस्से केरल के साथ मिला दिए गए हैं। यह मांग की जा रही है कि कन्याकुमारी क्षेत्र को मदुरै जोन में शामिल कर दिया जाये अथवा इसके साथ जोड़ दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

केरल के लोग वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं। वे राशि का पूरा उपयोग करते हैं। यदि उनको 100 करोड़ रुपये आबंटित किए जाते हैं तो वे 90 करोड़ रुपये का उपयोग करते हैं और केवल 10 करोड़ रुपये अथवा इतनी ही राशि लौटाते हैं। अत:, हम वहां के लोगों पर निर्भर हैं। अत: कृपा करके कन्याकुमारी और तिरूनेलवेली के क्षेत्रों को मदुरै जोन में शामिल करें ...*(व्यवधान)* पुदुकोट्टाई क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। परन्तु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर। यहां कई योजनाएं हैं परंतु यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य पूरा किया जायेगा।

एक अन्य प्रस्ताव कन्याकुमारी से काशी तीर्थ स्थल तथा काशी से कन्याकुमारी तक नई गाड़ी चलाने के बारे में है। प्रतिदिन 25,000 से भी अधिक लोग यहां आते हैं। यह पर्यटक स्थल होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यहां तीन समुद्रों का संगम है। हम कश्मीर पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हम कन्याकुमारी जो कि पर्यटक स्थल होने के अलावा तीर्थस्थल भी है, पर थोड़ी राशि व्यय क्यों नहीं कर सकते? यह पवित्र स्थल है। कृपया इस क्षेत्र को भी महत्व दीजिए। मैं यह आशा करता हूं कि वे ऐसा करेंगे। चूंकि, हमारे मंत्रीगण बहुत अच्छे लोग हैं अत: मुझे विश्वास है कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): सभापति जी, जो माननीय सदस्य बहस में भाग न ले पाएं, उनके भाषण लिखित रूप में शामिल कर लिए जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप अपने भाषण की लिखित प्रति रखना चाहते हैं, तो ठीक है।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और माल-भाड़े अथवा यात्री भाड़े में करों में वृद्धि की है और उन्होंने माल यातायात में अधिकतम वृद्धि की है।

मैं उन्हें रेलवे को अधिक किफायती और लाभप्रद बनाने के लिए यात्री सुविधाओं और साथ ही माल यातायात को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाना चाहूंगा। आज रेलवे को सड़क परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के बाद यह रेलवे के लिए बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया है और इससे मुकाबला करने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जोकि हमारे देश की वर्तमान स्थिति में अपेक्षित हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में रेलवे के संचालन को एकल आमान वाला बनाने से यह बहुत किफायती साबित होगा इस दिशा में आप अभी प्रयासरत भी हैं। यदि मीटर लाइन और बड़ी लाइन दोनों होगी तो पारगमन में समस्या बनी रहेगी। कृपया इसे यथाशीघ्र एकल आमान में परिवर्तित करें ताकि पूरे देश में इसका सक्षमतापूर्वक संचालन किया जा सके। मैं यह जानता हूं कि भारतीय रेल एक सर्वाधिक बड़ा रेल प्रचालन है।

एक अन्य बात ऊर्जा की इकाई के बारे में है। कुछ स्थानों पर विद्युतीकरण है तो कुछ अन्य स्थानों पर यह डीजल चालित है। पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण से इसका संचालन सदैव ही किफायती होगा और इससे दो प्रकार के इंजनों में कमी की जा सकेगी। पहले हमारे पास वाष्प इंजन थे। यह सर्वाधिक अक्षम प्रचालन था और इसकी अपेक्षा डीजल चालित इंजन कहीं अधिक बेहतर हैं। परन्तु आज विद्युतीकरण आर्थिक दृष्टिकोण तथा कार्यकुशलता और लाभप्रदता के मद्देनजर भी बेहतर स्थिति में है।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह माल-डिब्बों और यात्री-डिब्बों दोनों के निर्माण के लिए रेलवे के पास उपलब्ध कार्यशालाओं के और अधिक उपयोग के बारे में है। हमें न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम भारत के बाहर रेलवे के निर्माण तथा प्रचालन का कार्य अपने हाथों में ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्याप्त अनुभव और ज्ञान रखते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने पड़ोसी देशों का ध्यान रख सकते हैं जिन्हें बहुत अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है।

एक अन्य मुद्दा सुरक्षा निधि का है। इस वर्ष हमने संरक्षा उपकर लगाया है। कई स्थानों पर हमने पाया है कि फ्लाई ओवर की आवश्यकता है। परंतु स्थिति यह है कि उसमें राज्य सरकार

[डा. बी.बी. रमैया]

का पचास प्रतिशत अंशदान होना चाहिए जिसे देने में वे असमर्थ हैं। रेल संरक्षा निधि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त है क्योंकि राज्य सरकारें उस सीमा तक अंशदान नहीं कर पा रही हैं। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों से नाममात्र का अंशदान लिया जाना चाहिए। हमने पाया कि कई मामलों जैसे ग्रामीण विकास योजनाओं, पेयजल योजनाओं और अन्य चीजों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत या उसके आस-पास है। इसी प्रकार आप राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर सकते हैं ताकि हम संभवत: अपनी संरक्षा निधि का पूरा उपयोग कर सकें और फ्लाइओवर का उपयोग कर सकें जो कि कई जगहों पर अत्यन्त आवश्यक हो गए हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे, उनकी मदद करने और फ्लाइओवरों का उपयोग बढ़ाने और रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। कई दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की वजह से हो रही हैं। चौकीदार वाले फाटक बहुत कम हैं। चूंकि हमारे पास संरक्षा निधि है, प्रत्येक वर्ष हम चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की संख्या बढ़ा सकते हैं ताकि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें और कार्यनिष्पादन तथा दक्षता में सुधार ला सकें।

डीजल ईंजनों के संबंध में हमने कुछ इंजनों को बहुत अधिक कीमत देकर आयात किया है। यहां तक कि यदि आपके पास एक इंजन है आप उसका सुधार कर सकते हैं। जापान ने यही काम किया है। आपको दूसरा आयात करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके आधार पर सुधार कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिक संख्या में उत्पादन कर सकते हैं और अन्य देशों को भी उसकी आपूर्ति की जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना है।

हमें कंटेनर ट्रैफिक का उपयोग करना है। नौवहन विभाग और बंदरगाह कंटेनर ट्रैफिक का उपयोग कर रहे हैं। लोग कंटेनरों का उपयोग कर रहे हैं। हमें जहां तक संभव हो अधिकाधिक कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए।

मैं अब अपने राज्य पर आता हूं, माननीय मंत्री श्री दत्तात्रेय मेरे क्षेत्र में थे। हमने पाया कि गोदावरी पुष्करम के लिए जहां हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संभालना पड़ता है; हमें इन क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए विशेष रेलगाड़ी उपलब्ध करानी है। हमने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव भेजा था। हमें इस प्रस्ताव की पुन: समीक्षा करनी चाहिए।

भद्राचलम-कोव्वूर मार्ग से दूरी काफी कम होगी और यह अधिक किफायती होगा। अगर हम इसकी समीक्षा करें तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक औद्योगिक विकास और कृषि संबंधी विकास होगा। यह अधिक उपयोगी होगा। निदादवोले से विजयवाड़ा बरास्ता भीमावरम रेल यातायात बढ़ रहा है। वहां पर विद्युतीकरण की आवश्यकता है। हमने यह मांग कई बार की है। हमें इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

हमने कई रेलगाड़ियां शुरू की हैं। वे आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं परंतु वे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए नहीं हैं। आपको आंध्र प्रदेश के लिए भी रेलगाड़ियां शुरू करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों का समय यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। मैंने इसके लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इन पर विचार करेंगे।

हैदराबाद में हमने पाया कि यातायात बढ़ रहा है। हमें इस मुद्दे पर जितनी जल्दी संभव हो, कार्रवाई करनी चाहिए। अन्य बड़े शहरों में भी इसी प्रकार की स्थिति है। जनसंख्या की समस्या अधिकाधिक बढ़ रही है और महानगरों में भी यातायात बढ़ रहा है। केवल मेट्रो के माध्यम से रेलवे लोगों की मदद कर सकती है।

हम लोगों ने कई पुलों के निर्माण का सुझाव दिया था। हम आपको विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देंगे। कई रेलगाड़ियों में मूत्रालय नहीं हैं। यह कहा जाता है कि ये रेलगाड़ियां कम दूरी के लिए हैं इसलिए उन्हें मूत्रालय की आवश्यकता नहीं होती। परंतु अब यात्रा का समय बढ़कर पांच से छह घंटे हो गया है। वहां मूत्रालय की समस्या है। दो घंटे से कम समय की यात्रा तो ठीक है। अन्यथा आपको मूत्रालय उपलब्ध कराना होगा।

कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म का स्तर बहुत नीचे है। कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा है। हमें प्लेटफार्म का स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि यात्री रेलगाड़ी पर चढ़ने और उतरने में परेशानी महसूस नहीं करें।

ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आपको कई अन्य सुझाव भेजूंगा मुझे आशा है कि आप उनका ध्यान रखेंगे।

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। आज मैं केवल एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

कल मैं उत्तरी कर्नाटक में था, यह वह क्षेत्र है जहां आपने जोन को स्थानांतरित कर क्षेत्र की मदद करने की कोशिश की है। इसका क्षेत्र रेल मंत्री और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया

जाना चाहिए। लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पहले से अधिसूचित किए गए क्षेत्र बेल्लारी से तोरानांगल को सौंपने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु इन क्षेत्रों को नहीं सौंपा गया है। उन्होंने मुझ पर यह दबाव बनाया कि मुझे यह माननीय रेल मंत्री के नोटिस में लाना चाहिए। मैं ईमानदारी से यह कार्य कर रहा हूं। कृपया यह देखें कि आप अपने वायदों को पूरा करें।

मैं आपका ध्यान बेल्लारी-तेरानांगल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हुबली डिवीजन को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल बीजापुर में तीन धार्मिक प्रमुख अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। मैंने उनसे बात की थी। बीजापुर से गडग क्षेत्र में और जो बचे हुए क्षेत्र है जहां आमान-परिवर्तन किया जाना है, आबंटन मुश्किल से 10 करोड़ रुपए है। आवश्यक धनराशि 180 करोड़ रुपए है। एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गयी है और लगभग 4000 लोग वहां एकत्र थे। वहां कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैं वहां दूसरे उद्देश्य से गया था। उन्होंने मुझे उस क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया और विशेष रूप से इस मुद्दे पर सरकार के ऊपर जोर डालने के लिए मुझसे कहा। 10 करोड़ की यह राशि अत्यन्त अपर्याप्त है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इसके पूरा होने के संबंध में प्रगति की यही दर बनी रही तो इसमें और 18 वर्ष लगेंगे।

वर्ष 1998 के दौरान जब प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी थी तब हुबली जोन के संबंध में विवाद था। उस समय प्रधानमंत्री ने हुबली-अंकोला रेलमार्ग की आधारशिला रखी थी। वहां भी प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। इसके लिए 950 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कब तक यह पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसलिए कम से कम उनके कार्यकाल के दौरान तो कुछ ठोस प्रगति होनी चाहिए। मुझे केवल इतना ही कहना है। वे अगले डेढ़ वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे।

मैं यहां अन्य निर्णय कार्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो मेरी अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए थे और पिंक बुक में शामिल किए गए थे। यह राशि कहां खर्च होने वाली है, यह राशि किस प्रकार व्यय की जाने वाली है, मैं इसका संकीर्ण दृष्टिकोण से आकलन नहीं कर रहा हूं। मैं उन निर्माण कार्यों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जिन्हें आपके द्वारा मेरी अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया था और किस प्रकार से ये निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहे हैं।

यह किसी पर आरोप लगाने वाली बात नहीं है बल्कि हासन-बंगलौर की तथ्यात्मक स्थिति है कि आपने इसके लिए कितनी व्यवस्था की है? यह लगभग पन्द्रह वर्ष पहले शुरू हो चुका था। कुल मिलाकर मैं तो सिर्फ दस महीनों के लिए रहा और मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता हूं। हासन-बंगलौर लाइन के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित होगी। कम से कम इस वर्ष माननीय मंत्री ने 25 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले यह राशि 10 करोड़, 15 करोड़ रुपये के लगभग रही। मेरा मंत्री जी से विनम्र निवेदन हुबली-अंकोला के लिए और यहां तक कि मुनिराबाद और महबूब नगर के लिए भी आपने 10 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। सभी जगह आपने लोगों को खुश रखने के लिए 5 अथवा 10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है क्योंकि इस वर्ष चुनाव होने वाला है और आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। मैं कोई व्यापक टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। तथ्य यह है कि कम से कम हुबली-गदग के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसके कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि तीन धार्मिक प्रमुख अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। मैंने उनसे इसे रोकने का अनुरोध किया था परन्तु वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैं यह नहीं चाहता कि कानून और व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न हो। माननीय मंत्री इस वर्ष के लिए कम से कम 25 अथवा 30 करोड़ रुपये आबंटित करके इस भूख हड़ताल को रोकने का श्रेय ले सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं निधियों के आबंटन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री ने रेल विकास निगम का गठन करके अधिक निधियों को जुटाने की कोशिश की है। मैं यह नहीं जानता कि वे यह कैसे जुटा पाएंगे। परन्तु यह एक प्रशंसनीय विचार है।

प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि कुछ चल रही परियोजनाओं को पूरी करने और मंत्री द्वारा स्वीकृत कुछ नई परियोजनाओं के लिए भी अपेक्षित धनराशि जुटायी जाएगी। कुछ परियोजनाएं तो बहुत जरूरी हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो अथवा बिहार में हो बात ये नहीं है। परन्तु ये परियोजनाएं देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने संसाधन जुटाने का प्रयास किया है परन्तु इसके साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि कर्नाटक को सहायता में कमी न की जाये। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं। मैं इसके अलावा कुछ और कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को खुश करने की पूरी कोशिश की है। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे रेल विकास निगम के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाते हुए कम से कम तीन परियोजनाओं, जिनका मैंने उल्लेख किया है, नामत: हुबली-अंकोला, बीजापुर-गडग, जहां हड़ताल चल रही है और हासन-बंगलौर जो पूरा किया जाना है, के लिए थोड़ी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, आज मुझे इस सभा में विशेषरूप से आपके सभापतित्व में इस वाद-विवाद में भाग लेने में वास्तव में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आप हमें बड़ी सरलता से कार्य करने देते हैं और इससे हमें अपनापन महसूस होता है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपके पीठासीन अधिकारी होने का लाभ उठाऊंगा। मैं अपनी बातों को यथासंभव संक्षेप में और शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदय, मैं अपने अन्य सहयोगियों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहूंगा जिन्होंने यात्रियों के और माल ढुलाई क्षेत्र के अनुकूल बजट प्रस्तुत करने के लिए श्री नीतीश कुमार और उनके दल की काफी प्रशंसा की है। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं और हमें यह देखकर अत्यधिक संतुष्टि होती है कि रेलवे बजट में कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे, इसमें यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है, ट्रेनों की बारम्बारता में वृद्धि हुई है, अनेक ट्रेनों के गंतव्य स्थान को बढ़ाकर आगे तक कर दिया गया है, कई नई गाड़ियां शुरू की गई हैं। छूट दी गई है। इस वर्ष को 'उपभोक्ता संतुष्टि वर्ष, घोषित किया गया है। रेल मंत्री जी ने किराए ढांचे और मालभाड़ा दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। उन्होंने कतिपय वर्ग के मरीजों को भी छूट प्रदान की है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को दी गई छूट का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को भी कम किया है। इस प्रकार से इस बजट में बहुत अच्छी विशेषताएं दी गई हैं और यह वास्तव में खुशी की बात है। यह तो एक बात हुई। जहां तक दूसरी बात का सवाल है कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार किसी भी मुद्दे की अपनी खूबियां और कमियां दोनों ही होती हैं। इसी प्रकार किसी बजट में अच्छाई और कमी दोनों ही होते हैं। जब एक ओर मैंने इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला तो दूसरी ओर इसमें कतिपय कमियां भी हैं। जिनके बारे में श्री नीतीश कुमार जैसे सक्षम मंत्री अपने उत्तर के दौरान स्पष्ट करेंगे। मुझे कतिपय क्षेत्रों में कुछ वास्तविक आशंकाएं हैं।

उदाहरणार्थ मंत्री जी ने कहा कि यात्री किराये अथवा मालभाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले वर्ष मंत्री जी ने घाटे की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से करों को बढ़ाकर मालभाड़े और यात्री किराया ढांचे में असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया था। अब चूंकि यात्री किराये और मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अत:, प्राप्ति बहुत कम है। पिछले वर्ष के 36.4 प्रतिशत की तुलना में केवल 10.8 प्रतिशत सुधार हुआ है। मेरी बातों के अनुसार उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान लगभग 36 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि की है और अब केवल 10 प्रतिशत वृद्धि हो पायी है। अत:, राजस्व में भारी गिरावट आयी है। क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि मंत्री जी को अपने संसाधनों की बजाय बाहरी वित्त अथवा ऋण पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा।

इसके अलावा अन्य प्रश्न जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यात्रियों की संख्या में 2.8 प्रतिशत कमी आई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जनसंख्या समृद्धि और सम्पदा आदि में वृद्धि के प्रकाश में रेल यात्रियों की संख्या में कमी कैसे आयी है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के दौरान इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करें।

इसके बाद रोजगार के पहलू पर मैं रोजगार में वृद्धि के खिलाफ कदापि नहीं हूं। मैं तो इसके पक्ष में हूं। मैं हमेशा रोजगार की संभावनाओं आदि के लिए आग्रह करता आया हूं, परन्तु रेलवे में वे 20,000 नए कर्मचारियों 3500 अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की भर्ती कैसे कर सकेंगे। कुल मिलाकर वे 24,000 कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि उन पर भारी वित्तीय दायित्व पड़ेगा। क्या यह अपने विभाग के आकार में कटौती करने की उनकी पिछली नीति के प्रतिकूल नहीं है? जब वे अपनी जनशक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी समय वे अपनी जनशक्ति के बारे में कैसे विचार कर सकेंगे? यह एक अन्य प्रश्न है जिस पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं एक अन्य प्रश्न पर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं। उन्होंने सात जोन और आठ डिविजन सृजित किए हैं। क्या इससे उन पर अतिरिक्त बोझ अथवा अनावश्यक लागत का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा?

एक अन्य प्रश्न है कि उनके माल परियात के 30 प्रतिशत की ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा की जा रही है। उसके लिए वे क्या करने जा रहे हैं?

परंतु मेरा मुख्य मुद्दा भिन्न है जिसके बारे में मैं कुमारी ममता बनर्जी के रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल और आपके कार्यकाल के दौरान अनेक बार कहता रहा हूं कि जहां तक रेलवे का संबंध है, इस बारे में एक व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है तथा मैंने अनेक अवसरों पर दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि तमिलनाडु की कितनी स्पष्ट रूप से और घोर उपेक्षा की गई है और इसके साथ कितना भेदभाव बरता गया है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, दक्षिण रेलवे का विस्तार पांच राज्यों में है और इन सभी पांच राज्यों में 2,570 किलोमीटर लंबी मीटर गेज लाइन है। परंतु अकेले तमिलनाडु राज्य में ही 2,137 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इसका क्या अर्थ है? पूरे दक्षिण रेलवे में 2570 किलोमीटर लाइन की तुलना में अकेले तमिलनाडु में ही 2,137 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसका अर्थ है कि 85 प्रतिशत मीटर गेज अब तक तमिलनाडु में है जबकि पूरे भारत में 70 प्रतिशत मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। परंतु तमिलनाडु में 70 प्रतिशत या 80 प्रतिशत मीटर गेज

को बड़ी लाइन में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया है। क्या यह एक बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है?

माननीय मंत्री महोदय यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि ऐसा मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। जनसंख्या को महत्व दिया जाता है, क्षेत्र को महत्व दिया जाता है और अग्रेनीत विद्यमाने परियोजनाओं को महत्व दिया जाता है। मार्गनिर्देशों का पालन करना ठीक है। परंतु क्या उन्हें याद है कि रेल संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रकार की प्राथमिकता देते समय आपको न केवल उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए बल्कि आपको क्षेत्र के पिछड़ेपन और राजस्व प्राप्त करने की संभावना का भी ध्यान रखना चाहिए। स्थायी समिति ने इन्हीं दोनों मानदंडों को निर्धारित किया है। परंतु तमिलनाडु के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सामान्यत:, माननीय मंत्री महोदय यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि यह उनकी विरासत नहीं है। यह 2,137 किलोमीटर लंबी मीटर गेज लाइन रातों रात बनकर तैयार नहीं हुई है। इसे लंबे समय में तैयार किया गया है। परंतु तमिलनाडु के प्रति यह अन्याय जारी है।

दुर्भाग्यवश, तमिलनाडु से काफी समय तक कोई रेल मंत्री नहीं था। सौभाग्य से इस बार रेल राज्य मंत्री श्री मूर्ति इस राज्य के हैं। वे युवा हैं, अत्यधिक सक्रिय हैं तथा अनेक स्थानों पर जाते हैं। परंतु वे क्या कर सकते हैं? उन्हें पर्याप्त धनराशि नहीं दी गयी है। वे वहां जाते हैं और ट्रेनों की बारम्बारता और उनका विस्तार करने जैसे कुछ कार्य करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि वे कुछ कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु के लिए पर्याप्त रूप से कुछ किया गया है। उदाहरण के लिए, आप रामेश्वरम से मदुरै और तत्पश्चात् त्रिची से मनामादुरै तक की रेलवे लाइन देखिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बड़ी लाइन में परिवर्तन है। मुझे इस बात को बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अनेक लोगों द्वारा ठीक ही कहा गया है, रामेश्वरम न केवल एक राष्ट्रीय स्तर का तीर्थस्थल है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थस्थल भी है। यदि मैं रामेश्वरम का उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका में करूं तो सबको उसकी जानकारी हो जाएगी। रामेश्वरम को उस प्रकार का महत्व दिया जाता है। केवल यही नहीं बल्कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम भी रामेश्वरम के ही हैं। कोई व्यक्ति इससे अधिक और क्या महत्व बता सकता है?.....*

सभापति महोदय: उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री के. मलयसामी: सभापति महोदय, रामेश्वरम तक बड़ी लाइन परिवर्तन की भी सिफारिश कर सकते हैं जैसा कि तिरूनेलवेली के लिए किया गया है। रामेश्वरम का वास्तविक प्रभाव तिरूनेलवेली पर भी पड़ता है। उसके अतिरिक्त रामेश्वरम के नजदीक सेतु समुंदरम परियोजना के लिए भी बड़ी लाइन परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

सभापति महोदय: चूंकि, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है, अत: मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें रामेश्वरम तक बड़ी लाइन बिछाने की जरूरत नहीं है। आप रामेश्वरम तक बड़ी लाइन बिछाएं। मैंने अनुरोध के बजाय नाम को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैं उनके इस मुद्दे पर ध्यान दूंगा।

श्री के. मलयसामी: कुछ सप्ताह पहले श्री ए.के. मूर्ति परमआकुडी और मनामादुरै आए थे तथा एक बहुत बड़ी भीड़ ने इस आशय की उनसे मांग की थी कि वे रामेश्वरम परियोजना, बड़ी लाइन परिवर्तन के संबंध में क्या करने जा रहे हैं? वे वस्तुत: दुविधा में पड़ गए थे तथा उस समय हमारे अनेक संसद सदस्य भी वहां थे। उस समय उन्होंने यह उत्तर दिया, "मैं रेल मंत्री से इस बात की पुरजोर सिफारिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि दो या तीन वर्षों में रेलवे की इस बड़ी लाइन के परिवर्तन का कार्य किया जाएगा" स्पष्टरूप से यह घोषणा की गई थी। उन्होंने रेल मंत्री के भरोसे पर यह आश्वासन दिया है। यह मुख्य परियोजना है। मुझे उस बारे में बहुत अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। 10 परियोजनाओं में से यह रामेश्वरम परियोजना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं रेल मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रस्तुतीकरण का सार इस महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में ही है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

तत्पश्चात्, बड़ी लाइन परिवर्तन के संबंधित 10 परियोजनाओं में कुल 2,362 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। पिछले चार या पांच वर्षों से आपने 261 करोड़ रुपये दिए हैं जो केवल 10 प्रतिशत है। इसमें कुल कितने वर्ष लगेंगे? मंत्री महोदय की कुछ वित्तीय बाधाएं भी होंगी। आप कह सकते हैं कि आपको वित्त की आवश्यकता है। आपको आवश्यक वित्त सृजित करना है। कोई घोर अन्याय हुआ है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त हो गया है। क्या आप किसी या अन्य अवस्था में इसे ठीक नहीं करने जा रहे हैं? यही मुद्दा है। महोदय, मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि तमिलनाडु की संपूर्ण टीम के आने और आपसे मुलाकात करने के अलावा, हम अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री के. मलयसामी]
रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम है कि इसे कैसे कराया जाए। अपने बेहतर प्रयासों के बावजूद हम आपको समझा नहीं पाए हैं। आप इतने अधिक कार्य संभाल लेते हैं। क्या आप इस रामेश्वरम परियोजना को नहीं संभाल सकते हैं?

मैं एक और पहलू की बात कर रहा हूं। निधियों के आबंटन में परियोजनाओं के लिए आबंटित 2888 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से 800 करोड़ रुपये की धनराशि पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड आदि को प्राप्त हुई। इसलिए, 2,115 करोड़ रुपये की शेष राशि में से 40 प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को प्राप्त हुई तथा बिहार को यह राशि नहीं भेजी गई। इसलिए, अन्य राज्यों के लिए क्या बचा?

अंत में, तमिलनाडु में नई लाइनों के कार्य हेतु 1,852 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, बड़ी लाइन परिवर्तन के लिए 1,810 करोड़ रुपये तथा दोहरीकरण के लिए 135 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए, तमिलनाडु के लिए कुल 3,798.37 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आप लगभग 3,800 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में औसतन केवल 350 करोड़ रुपये ही दे रहे हैं। निधियों के वर्तमान आबंटन के अनुसार इसे पूरा होने में और 15 वर्ष लगेंगे।

अब मैं माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार कुमार से यह वचनबद्धता प्राप्त करने की अपेक्षा करता हूं कि क्या वे भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा कर इस धनराशि को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तमिलनाडु के साथ बरती गई हर तरह की उपेक्षा, भेदभाव और अन्याय की प्रतिपूर्ति दुगनी या तिगुनी मात्रा में धनराशि देकर की जा सकती है जो आप औसतन दे रहे हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री को पुनः यह याद दिलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की अत्यंत आवश्यकता है। मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस बात पर विचार करें कि विद्यमान और चालू परियोजनाओं, विशेष रूप से मदुरै से रामेश्वरम और तिरूची से मनामादुरै तक की परियोजनाओं को समय-सीमा के अंदर कैसे पूरा किया जा सकता है। ये दोनों ही परियोजनाएं दक्षिण के लिए अत्यधिक अनिवार्य है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो रेलवे डिमाण्ड हैं, उनका हार्दिक समर्थन करता हूं। वैसे रेल मंत्री जी ने इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका सारे देश के अंदर स्वागत हुआ है। उसमें किसी प्रकार का यात्री-भाड़ा नहीं बढ़ाया गया और बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

मैं कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और अब तक रेलों का जितना विस्तार वहां पर होना चाहिए, वह सारे देश के अनुपात में अपेक्षाकृत कम है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान के जो प्रोजेक्ट्स रेल मंत्रालय के विचाराधीन हैं या जो पहले से स्वीकृत हैं, उनको पूरा कराने के लिए विशेष ध्यान दिलवाने की कृपा करें, ताकि राजस्थान जो कि एक सीमावर्ती राज्य भी है और 700 कि.मी. की हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है, वैसे इस बार रक्षा मंत्रालय ने भी उदारता का परिचय देते हुए सीमान्तवर्ती प्रदेशों के अंदर रेलवे लाइन निकालने में मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सहयोग दिया है और रेल मंत्रालय शीघ्र ही पूरा कराएगा, ऐसी संभावना है। मैं मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पटना को अजमेर से उन्होंने जोड़ दिया लेकिन यह गाड़ी सप्ताह में एक बार ही आती है। उसके फेरे बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी। बीच में महावीर जी स्टेशन पड़ता है जो राजस्थान के अंदर जैनियों का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। उस स्टेशन पर उसके रोके जाने की आवश्यकता है और कानपुर जैसे बड़े शहर के अंदर पटना-अजमेर वाली गाड़ी क्यों नहीं रूकती है, इसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रेल राज्य मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं। वह सिकन्दराबाद-हैदराबाद गए थे। अभी इसमें अजमेर से पहले काछीगुड़ा लाइन जो जाती थी, पहले मीटर गेज थी, अब भी मीटर गेज की है और मीनाक्षी ट्रेन जो चलती है, पूना तक जो जाती है, पूना से यात्रियों को उतरना पड़ता है, फिर दूसरी लाइन ब्राड गेज में बैठना पड़ता है और फिर वहां पहुंचना पड़ता है तो उतरने-चढ़ने में परेशानी होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने में बहुत समय लगेगा लेकिन तब तक के लिए हैदराबाद से लेकर सूरत होकर, अहमदाबाद होकर एक ब्राड गेड की लाइन बनाई जाए, लाइन आगे बनी हुई है, केवल थोड़ा सा टुकड़ा ब्राड गेज के ऊपर जोड़ना है। अगर हैदराबाद को अजमेर से जोड़ने वाली गाड़ी चलती है तो आंध्र प्रदेश के लाखों यात्री अजमेर-शरीफ के दर्शन करने के लिए जो आते हैं, पुष्कर भी आते हैं तो आंध्र प्रदेश ब्राड गेज लाइन के द्वारा अजमेर से जुड़ जाएगा, यह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। अजमेर को पुष्कर से जोड़ने की योजना तो स्वीकृत कर ली गयी थी और प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान सरकार ने भी जमीन रेलवे को दे दी है, हालांकि मुआवजा लिया है। पहले मुआवजे का मामला पहले बैठ नहीं रहा था अब तय हो गया है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पुष्कर को थोड़ा पैसा और स्वीकृत कर जल्दी जुड़वाएं।

उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बड़ा नगर हैं और दक्षिण राजस्थान का संभागीय मुख्यालय भी है। मेवाड़ का ऐतिहासिक महत्व है

और वह अभी तक अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर मीटर गेज ही चल रही है जबकि ब्राडगेज स्वीकृत हो चुकी है। इस पर कभी 20 करोड़ और कभी 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो रही है, इससे तो इसे पूरा होने मे कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए और चित्तौड़ और उदयपुर जैसे स्थानों को महत्व देते हुए दक्षिण राजस्थान के जहां अगुचा जैसी खानें हैं उन्हें ब्राड-गेज से जोड़ने की आवश्यकता है।

पहले अजमेर को आगरा से जोड़ने के लिए मीटर-गेज लाइन थी अब वह बांदी-कूई, भरतपुर, आगरा-फोर्ट लाइन के लिए आपने पैसा तो काफी मंजूर किया है और हम उसके लिए आपके आभारी भी हैं लेकिन उस कार्य को आप युद्ध-स्तर पर संपन्न करवायें तो आपकी बड़ी कृपा होगी क्योंकि आगरा-फोर्ट से अजमेर आने वाले और अहमदाबाद जाने वाले गुजरात जाने वाले लाखों यात्री होते हैं। पहले आगरा-फोर्ट नाम की गाड़ी बड़ी लोकप्रिय थी। अब वह गाड़ी मीटर गेज के ब्राडगेज में परिवर्तित हो जाने से बंद है। इसलिए मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बांदी-कूई, भरतपुर और आगरा-फोर्ट का जो टुकड़ा शेष रह गया है, उसको युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए।

जयपुर-अजमेर-उदयपुर के बीच में आपने नयी गाड़ी की घोषणा की थी, आशा है वह शीघ्र ही चलेगी। नयी दिल्ली और अजमेर के बीच में जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसे किशनगढ़, जो अजमेर के पास में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है वहां उसका दो मिनट का स्टोपेज दे दें तो मार्बल के व्यापारियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। मार्बल के व्यापारी कह रहे हैं कि उसका नुकसान अगर रेलवे को होता है तो उसे भी वह वहन करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली अहमदाबाद के बीच में चलने वाली आश्रम एक्सप्रेस जो है वह ब्यावर शहर जो एक लाख की आबादी का शहर है और जहां के लोग हजारों की संख्या में फौज में हैं, अगर दो मिनट का सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस का स्टोपेज दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने इसके लिए पहले भी प्रार्थना की है।

महोदय, अजमेर रेल-नगरी के नाम से जाना जाता है। रेल मंत्री जी स्वयं अजमेर पधारे थे और लोको-कैरिज कारखानें, जिन्हें 125 वर्ष हो गये हैं, उनका अवलोकन किया था और वहां के कर्मचारियों को 125 वर्ष होने के उपलक्ष में इनाम भी बांटे थे, उनको पुरस्कृत भी किया था। ...*(व्यवधान)* वहां आपने घोषणा की थी की कारखाने के कार्यों को, जाब को और बढ़ाया जाएगा। आपने प्रोजैक्ट्स बनवाकर भी मंगाई थी, शायद वह रेल मंत्रालय के विचाराधीन होगी। रेलवे कारखानों के कारण अजमेर में और कोई उपक्रम खुला नहीं है। वहां लोको और कैरिज कारखानों की महत्ता बनी रहे, दोनों में काम अधिक बढ़े वहां ज्यादा से ज्यादा वैकैन्सीज निकलें और ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। रेल मंत्री जी विराजमान है और मैं अपने दिल का दर्द कह रहा हूं। अजमेर के अंदर मेरी शव-यात्रा लोगों ने निकाल दी। वहां जो जोन्स का पुनर्गठन हुआ है। उत्तर-पश्चिम जोन का मुख्यालय जयपुर बन गया है। जैसे-तैसे मैंने लोगों को शांत किया।

04.00 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं*]

वहां पश्चिम रेलवे का लेखा मुख्यालय अजमेर में अंदर था। अब पुनर्गठन हो जाने की वजह से मुख्यालय मुम्बई चला गया है। हजारों कर्मचारियों ने अजमेर में क्वार्टर बना रखे हैं और उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनके मां-बाप रिटायरमेंट के नजदीक हैं और इस उम्र में उनको बम्बई मुख्यालय जाना पड़े, तो कैसी स्थिति होगी। इस संबंध में मंत्री जी से प्रार्थना की थी और आपने हमदर्दी भी रखी कि एक साल तक इनको नहीं भेजेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वैस्टर्न रेलवे का ट्रैफिक एकाउन्ट्स और कम्पाइलेशन मुख्यालय अजमेर के अन्दर ही बना रहे। अब तो कम्प्यूटर का जमाना है, कहीं पर भी रह कर भली प्रकार से कार्य किया जा सकता है। जैसे तुगलकाबाद का आफिस वैस्टर्न रेलवे में है, उसी प्रकार से अजमेर के अन्दर भी वह रहना चाहिए।

सभापति महोदयाः आपकी बात मान ली।

प्रो. रासासिंह रावतः अगर आप कह देंगी, तो बड़ी कृपा होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे का भी लेखा कार्यालय अजमेर में रहना चाहिए। अजमेर ख्वाजाह साहब की नगरी है और पुष्कर एक ऐतिहासिक नगर है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): पुष्कर के मालपुए बहुत अच्छे होते हैं।

प्रो. रासासिंह रावतः इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उत्तर पश्चिम का लेखा कार्यालय अजमेर में रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा।

महोदया, इसी तरह से ब्यावर रेलवे स्टेशन, किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर कम्प्युटर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्यावर में तो आपके आदेश हो गए हैं, लेकिन अभी तक कम्प्युटर सैन्टर नहीं बना है। किशनगढ़ भी सबसे बड़ी मंडी है, वहां पर भी

[प्रो. रासासिंह रावत]

कम्प्यूटर सैन्टर होना चाहिए। इसी प्रकार नसीराबाद भी सबसे बड़ी छांवनी है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है। वहां पर भी कम्प्यूटर सैन्टर नहीं है। यह क्षेत्र अब अजमेर मंडल में आ गया है। नए मंडल के गठन के बाद कर्मचारियों की बदली पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए जो कर्मचारी मूलत: अजमेर के हैं, उनको अजमेर में रखा जाए। जो व्यक्ति बाहर के हैं और वे जाना चाहते हैं, उन्हीं को भेजा जाए। इस संबंध में रोज लोग आ रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि इस संबंध में कुछ किया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो कर्मचारी मूलत: अजमेर के हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए।

इसी प्रकार, दिल्ली अहमदाबाद के बीच में एक राजधानी एक्सप्रेस चलती है। इसकी फ्रिक्वैंसी को बढ़ाया जाए। यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलती है, इसको पांच दिन किया जाए। यह गाड़ी लाभ में चल रही है और आमदनी भी अच्छी हो रही है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक प्रार्थना यह है कि अवसंरचनात्मक सुविधा अजमेर रेलवे स्टेशन पर नहीं है। आपने दिल्ली अहमदाबाद मेल में 23 डिब्बे कर लिए हैं। आश्रम मेल में 24 डिब्बे कर दिए है। ये गाड़ियां मेन प्लेट फार्म से जाती है, लेकिन आती हैं, दूसरे प्लेट फार्म पर और लोगों को पुल पार करके जाना पड़ता है। दूसरे प्लेट फार्म अच्छे नहीं है, वहां टिन शैड तक की सुविधा भी नहीं है। प्लेट फार्म संख्या तीन और चार पर ब्राडगेड सुविधा है, उन प्लेट फार्मों पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। जब हम दिल्ली आते हैं, तो वहां लोग हमसे शिकायत करते हैं और हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और हमें नीचा देखना पड़ता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इन आवश्यकताओं को मेहरबानी करके पूरा कर दें, तो वहां की जनता को सुविधा होगी।

मैं एक बात डी आर यू सी सी और जेड आर यू सी सी के बारे में कहना चाहता हूं। हमें पता नहीं लगता है कि इनकी बैठकें कब हो रही हैं। एक्स-आफिशियल की हैसीयत से संसद सदस्यों को मीटिंग में बुला लिया जाए। हम उसमें सदस्य नहीं बनना चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का बोझ डालना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी मीटिंग्स हों, तो हमें बुला लिया करें, जिससे पता लग सके कि वहां क्या कार्यवाही हो रही है। होता यह है कि माननीय रेल मंत्री जी और माननीय रेल राज्य मंत्री के नाम से कार्य हो जाते हैं। मेरे जैसा पार्लियामेंट में बोलने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में अखबारों में समाचार छपा था जिसकी कटिंग मैं माननीय रेल मंत्री जी को भेज चुका हूं। इसके अलावा अजमेर में आधा शहर रेलवे कालोनियों से भरा पड़ा है जहां अपूर्ण विकास, सड़कें पुरानी और टूटी हुई हैं, जहां पीने का पानी की समस्या है, बिजली नहीं है, इसलिये रेल मंत्रालय को उन रेलवे क्वार्टरों की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि रेलवे कर्मचारी दिल लगाकर अपना काम कर सकें।

सभापति महोदया, अंत में मेरा निवेदन है कि जम्मू-कश्मीर पूजा एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाया जाये तो कृपा होगी। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, माननीय रेल मंत्री जी 63805 करोड़ 15 लाख 23 हजार रुपये की रेल की अनुपूरक मांगे लेकर आये हैं, जिसे हम पास करने के पक्ष में हैं। इसमें माननीय सदस्य नई रेल लाइनें बिछाना, नई रेलगाड़ियां चलाना, रेल की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी आदि-आदि की मांग करते हैं। बजटरी सपोर्ट में पर्याप्त राशि मिलनी चाहिये। रेल विकास योजना निधि का गठन किया गया। इसके अलावा रेल सुरक्षा निधि है, जिसमें 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेल बजट पास होने के समय हमें जानकारी मिली थी कि प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि रेल को बढ़ाने के लिये आर्थिक पैकेज दिया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि उसकी क्या स्थिति है? यदि सदन को उसकी जानकारी दी जायेगी, तभी हम सब उस पर बहस कर सकते हैं और फिर निर्णय लिया जायेगा। रेल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पिछले बजट के समय इस बात का आभास हुआ था कि रेल यात्री रेल यात्रा से सुरक्षित नहीं है। इसकी क्या वजह है? यह बहुत बड़ी आशंका व्यक्त की गई थी कि रेल यात्रियों के प्रतिशत में कमी आ गई है। रेल देश को जोड़ने वाला साधन है। इसलिये यह बात साफ होनी चाहिये क्योंकि करोड़ों लोग रेल से यात्रा करते हैं, माल की ढुलाई होती है ट्रांसपोर्ट से ढुलाई के मामले में रेल में प्रतिस्पर्द्धा है। इसलिये हम लोग बजटरी सपोर्ट के पक्ष में हैं।

सभापति महोदया, वैशाली को रेल बुद्ध सर्किट से जोड़ने का सवाल है। हमने यह मामला कई बार उठाया लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। यह मामला एक्सपैंडेड बोर्ड में गया। वहां यह मामला पास हुआ लेकिन क्या-क्या प्रक्रिया होनी है, इसका कब शिलान्यास होगा, कब काम शुरू होगा, जनता इस ओर देख रही है, उत्सुक है। देश के लोगों में भारी आकांक्षा है कि यह काम कब पूरा होगा? हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल मार्ग का काम कब शुरू होगा? श्री मलैस्वामी बोल रहे थे कि रामेश्वरम् प्रोजैक्ट पूरा होना चाहिये, तमिलनाडु उपेक्षित है, उस काम को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार बिहार के बुद्ध सर्किट कार्यक्रम को कब प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार भी तमिलनाडु की तरह उपेक्षित है। पिछले बजट भाषण में रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के 6 पर्यटक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्थल का दर्जा दिया जायेगा जिसमें बुद्ध सर्किट भी है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वैशाली-केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध

स्तूप है जो हजारों वर्ष पुराना है। वहां अनुसंधान और खुदाई का काम हो रहा है। इसीलिए बौद्ध सर्किट को पूरा करने और जोड़ने का काम कब शुरू करेंगे, हम यह जानना चाहते हैं।

सभापति महोदया, इन्होंने सप्तक्रांति गाड़ी चलाई, लोग बड़े खुश हुए। लेकिन भेदभाव कैसे होता है, हम बताते हैं, मुजफ्फरपुर से चलकर यह गाड़ी मोतीहारी में रूकती है। बीच में हमारी कांस्टीट्यूंसी है, जहां कबनपुरा, कांटी, नारियार, मोतीपुर, महुअल रेलवे स्टेशन हैं। कहने का मतलब है कि यह गाड़ी हमारे संसदीय क्षेत्र को छोड़कर मोतिहारी में रूकती है, फिर नरकटियागंज में रूकेगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में गाड़ी के न रोकने का क्या कारण है। कम से कम एक जगह तो रूकनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): कांटी आपके यहां, कहां है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कांटी हमारी कांस्टीटुएंसी में नहीं है। वहां कांटी असैम्बली कांस्टीटुएंसी, मोतीपुर, बरूआड़, कांस्टीटुएंसी और साहेबगंज-ये तीन असैम्बली कांस्टीटुएंसी हैं। मुजफ्फरपुर से चलने के बाद वैशाली कांस्टीटुएंसी में क्यों नहीं रूकती है। यदि एक जगह सप्तक्रांति का ठहराव हो जाए तो बहुत अच्छा होगा! इसके लिए बहुत लोग मांग कर रहे हैं। मोतीपुर में चीनी मिल है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां ज्यादा नहीं तो थोड़ा आहिस्ता कर देने से भी लोग चढ़-उतर सकते हैं।

सभापति महोदया: यह करना बड़ा जरूरी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लोग पूछते हैं कि मुजफ्फरपुर से चलकर मोतिहारी में कैसे रूकती है। यहां तब सब सत्तापार्टी के लोग हैं। बीच में हम हैं। हम विपक्षी हैं, इसलिए सप्तक्रांति नहीं रूकती है। यदि इस तरह से रेल का काम होगा तो हम लोग कैसे जनता के बीच में जायेंगे और लोगों से क्या कहेंगे। यह हमें बतायें कि हम लोगों को क्या बतायें कि गाड़ी यहां पर क्यों नहीं रूक रही है।

सभापति महोदया: यह मंत्री जी को देखना पड़ेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए इन्हें इस पर विचार करना चाहिए।

एक बांद्रा ट्रेन मुम्बई जाती है, वह भी वहां नहीं रूकती है। इंटरसिटी जो पटना जाती है, कांटी में थर्मल पावर स्टेशन है, वहां प्रखंड मुख्यालय भी है, लेकिन वहां को लोग तरसते रहते हैं कि कैसे हम लोग उस पर चढ़कर पटना जाएं। इंटरसिटी की तरह से लोग गाड़ी चलाने की मांग कर रहे हैं। हमने लिखा-पढ़ी भी की है, हमने सवाल किया तो उसका उल्टा-सीधा उत्तर आ जाता है। हम जनता के बीच में जाकर क्या बतायें। इसलिए इस गाड़ी के ठहराव के मामले को आप देख लीजिए। वह सारी कसौटी फुलफिल करती है। मोतिहारी में साल भर के हिसाब से काफी टिकटों की बिक्री होती है, मोतीपुर में भी काफी टिकटों की बिक्री होती है और कांटी में टिकटों की बहुत बिक्री होती है। वहां काफी घनी आबादी है। इसलिए मोतीपुर में सप्तक्रांति और बांद्रा गाड़ी तथा इंटरसिटी का कांटी में रूकने का इंतजाम होना चाहिए। लोग मांग करते हैं। हमने लिखा-पढ़ी भी की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया, बाल्मीकि नगर से गोरखपुर के बीच रेल लाइन पर पुल होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने पुल बंद कर दिया। 1500 एकड़ जमीन में जो जंगल था, वह सारा जंगल पानी से बरबाद हो गया। लोग पर्यावरण के बारे में बहुत कहते हैं, लेकिन वहां एक रेल का पुल नहीं बनाया जा सका। वहां इतना सघन और बढ़िया जंगल था। हम अभी प्रथम बार एक सम्मेलन में बाल्मीकि नगर में सप्तक्रांति से गये थे। *...(व्यवधान)* श्री प्रभुनाथ सिंह, समता पार्टी के अनुशासन के अध्यक्ष बने थे, इन्होंने बिना मतलब के एक एम.एल.ए. को पार्टी से निकाल दिया। चूंकि इनकी पार्टी के मंत्री हैं, यह ठीक काम नहीं करते।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप रेल बजट पर बोल रहे हैं या समता पार्टी पर बोल रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या समता पार्टी के मंत्री नहीं हैं। हम सब पर बोलेंगे।

सभापति महोदया: अभी आप समाप्त करिये। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें किसलिए निकालेंगे। हमारे आने के लिए इन्हें गेट खोलना पड़ेगा। जब भगदड़ मचेगी तो लोग कहां जायेंगे। मोतीपुर और महुअल के बीच में एक मोहम्मदपुर बलमी गांव है जिसका एन.एच. से कनैक्शन है। तीन-चार पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें वहां से गुजरती हैं। *...(व्यवधान)* वह हमारा विषय है। उसको पार्टी की बात में मत उलझाइए। यह जनता का सवाल है। जनता की आकांक्षा है। मोहम्मदपुर बलमी गांव मोतीपुर और महुअल से चार किलोमीटर दूरी पर है। मोतीपुर से बसरार-देवरिया, मोतीपुर से साहिबगंज, मोतीपुर से सरैया तीन पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें और एन.एच. का जंक्शन है। वहां पर हाल्ट की मांग की है। रेल मंत्री इसकी जांच करवा लें कि अन्य जगहों पर जो रेल हाल्ट बनाया जाता है, वह डिजर्व करता है या नहीं। सभी दृष्टिकोण से लोग मांग कर रहे हैं मोहम्मदपुर बलमी का।

राजधानी ट्रेन से पटना से हम लोग शुक्रवार को जाते थे और फिर इतवार को आ जाते थे। अब सुना है कि केवल गुवाहाटी

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]
वाली राजधानी पटना से जाएगी। वह दो बजे दिन में यहां से चलेगी और दो बजे भोर में पटना पहुंचेगी। यहां भी कठिनाई और वहां भी दो बजे भोर में कहां से गाड़ी आएगी लेने के लिए। इसका ख्याल किया जाना चाहिए, नहीं तो सुनते हैं कि सभी गोवाहाटी वाली पटना से होकर जाएगी तो उसमें समय का ख्याल रखा जाना चाहिए। संपूर्ण क्रांति ट्रेन में मैं सफर कर रहा था। आम बोगी जिसमें गरीब आदमी चढ़ता है, वहां लाइन लगी हुई थी। हमने पूछा कि किस पार्टी का जुलूस है, किसलिए लाइन लगी हुई है? हमें बताया गया कि ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन लगी हुई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बाकी बातें प्रभुनाथ जी कह देंगे। अगले स्पीकर वही हैं और वे भी बिहार से ही हैं। वे बिहार की बात कर लेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह क्या बोलेंगे, वह तो जो चाहते हैं वह हो जाता है बिना बहस के। बोलना तो हम लोगों को पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): यह कहते ही नहीं हैं और जो कहते हैं वह हो जाता है, यह कैसे हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये जो चाहते हैं वह हो जाता है। बहस तो खाली हमें करनी पड़ती है। हम लोग असली विपक्ष हैं, हम बोलने के लिए हैं। वे लोग हैं सत्ता पक्ष, जो चाहते हैं वह हो जाता है। ...*(व्यवधान)* संपूर्ण क्रांति में आम जनता की बोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। हमारे किसान और मजदूर देश भर में खेत-खलिहानों में और कारखानों में काम करने के लिए जाते हैं। वे रेल से जाते हैं तो उनका बड़ा शोषण होता है। वे अनपढ़ और कमपढ़ होते हैं। वे पैसेन्जर गाड़ी में चढ़ते हैं तो एक्सप्रेस गाड़ी का दाम उनसे ले लिया जाता है। इस सब तबाही से उनको बचाने के लिए निगरानी रखी जानी चाहिए। हाजीपुर से मोतीपुर में आपने ओवरब्रिज स्वीकार किया एकारागुमटी, जिग्धीगुमटी और आमगोला गुमटी-उस पर कब हाथ लगेगा? हाथ ही नहीं लग रहा है। जब जाते हैं तो ट्रेन के टक्कर में दो किलोमीटर लंबी लाईन सड़क पर लग जाती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर हमें सप्ताह में दो बार जाना पड़ता है। जब जाते हैं तो रेल लाइन पास करनी पड़ती है। वहां इतना ट्रैफिक है एन.एच. 77 पर कि बहुत परेशानी होती है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जब टैक्नोलाजी का विस्तार हो रहा है और नई राजधानी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, हम सपना देखते हैं कि दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई के लिए ऐसी गाड़ी चले जो 10-12 घंटे में पहुंचा दे। हमने एक बार सवाल उठाया था टेक्नोलाजी और खर्च आदि पर, उस पर भी काम होना चाहिए कि देश के चारों महानगरों को जोड़ने वाली राजधानी गाड़ियां चलें जो 10-12 घंटे में दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई पहुंचा दें। उस तरह की राजधानी का अनुसंधान किया जाना चाहिए और उस तरह की गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

सभापति महोदया: और वह पटना तक भी चलाई जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पटना तो कोलकाता के रास्ते में ही पड़ेगा।

महोदया, हम लोगों की जगह पाटलीपुत्र है, जो देश की प्राचीनकालीन राजधानी थी। वह ऐसी जगह स्थित है कि यदि आपको कोलकाता जाना है, तो पाटलीपुत्र यानी पटना होकर ही जाना पड़ेगा। कोलकाता जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गया अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। मुजफ्फरपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर है। बिहार के बिना कोई रेल लाइन नहीं चलेगी। इसलिए हम देश के तीनों कोनों में जल्दी से जल्दी, तीव्र गति से ट्रेन पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। जिस प्रकार से जापान में 400 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी इतनी गति से ट्रेन चलें, यह स्वप्न हम देखते हैं और चाहते हैं कि अपने देश में भी इतनी तीव्र गति से ट्रेनें चलें।

महोदया, मैं अन्त में इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने हाजीपुर, वैशाली के साथ-साथ जो अन्य सवाल उठाए हैं, मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदया, मैं अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पर मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि बजट के समय जब लोगों ने विचार इस पर व्यक्त किए थे और बजट पर बोलते समय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय की प्रशंसा भी पक्ष और विपक्ष ने की थी, जनता ने भी रेल बजट की प्रशंसा की थी। प्रशंसा का कारण केवल कोरा नहीं था बल्कि उसके पीछे मुख्य कारण थे, कि रेल यात्रियों का किराया नहीं बढ़ाया गया, मालभाड़ा नहीं बढ़ाया गया, मरीजों के किराए में कमी की गई, पत्रकारों को सुविधाएं दी गईं, ज्यादा उम्र के लोगों को किराए में रियायत दी गई, छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने, सिंगल लाइन के दोहरीकरण करने, नई-नई गाड़ियां देश के कोने-कोने में चलाने की बात कही गई और जो कहा गया वह किया गया। इन सब कारणों से देश में रेल बजट की काफी प्रशंसा हुई।

महोदया, प्रशासनिक मामलों के कारण भी मंत्री महोदय एवं रेल बजट की प्रशंसा हुई। कुछ दिन पहले तक हम सुनते थे कि

रेलों में जब नियुक्तियां होती थीं, तो बड़े-बड़े होटलों में दुकानें खुल जाती थीं। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी जानते हैं। जिस प्रकार से बाजार में बादाम-चिरोंजी बिकती हैं, ठीक उसी प्रकार से रेलों में नौकरियों की खरीद होती थी, लेकिन आज व्यवस्था बिलकुल बदली हुई है। जो लोग प्रतियोगिता में पास होते हैं, जिनकी पात्रता होती है, जो मैरिट पर आते हैं, आज उन्हीं की नियुक्तियां रेलवे में होती हैं। पहले ऐसे मेधावी, योग्य एवं शिक्षित किन्तु छोटे तबके के लोगों को जो परीक्षाएं उत्तीर्ण करते थे, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थीं। पहले सिर्फ पैसे वालों को नौकरियां मिलती थीं, लेकिन आज छोटे, गरीब एवं होनहार तथा अपनी मेहनत के बल पर जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए नीतीश जी बधाई के पात्र हैं। नीतीश जी ने नौकरियों में पारदर्शिता लाने और केवल मैरिट पर नियुक्तियां करने हेतु प्रशासनिक कदम उठाए हैं, जिनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

महोदया, पिछले कुछ दिनों में रेलों की दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई। बिहार की एक दुर्घटना का तो राजनीतिकरण किया गया। लोगों की मौतों पर भी बिहार में राजनीति की गई। डा. रघुवंश बाबू भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यात्रियों की ट्रेन में सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ट्रेनों में सी.आर.पी.एफ. के जवान चलते हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था है, वह राज्य सरकारों के जिम्मे है और राज्य सरकारें रेलों में होने वाली चोरियों की घटनाओं को गम्भीरता से नहीं लेती हैं। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें और हर रेल थाने में थानेदार एवं पुलिस वाले रेल मंत्रालय की तरफ से नियुक्त किए जाएं ताकि चोरी और अपराध की जो घटनाएं रेलों में घटती हैं, वे न घटें। इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी यदि रेलवे की रहेगी, तो रेलवे राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारें रेलवे के मत्थे मढ़ने की कोशिश नहीं करेंगी और इस प्रकार से जनता परेशान नहीं होगी।

महोदया, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित दो-तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं रेल मंत्री जी कहां चले गए।

सभापति महोदया: मंत्री जी अभी आ रहे हैं। रेल राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। आप जो कहना चाहते हैं, कहिए। वे नोट कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: रेल मंत्री जी आ गए हैं, हम इनका इंतजार ही कर रहे थे। मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन छोटी-छोटी प्रोबलम्स के बारे में बताना चाहता हूं। रघुवंश बाबू ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनसे हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हावड़ा राजधानी गया होकर चलेगी और अगर इधर से जो गुवाहाटी राजधानी आएगी तो उससे हम लोगों को काफी परेशानी होगी। हम रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप जो पटना राजधानी हफ्ते में दो दिन चलाते हैं, उसे आप बढ़ा कर छ: दिन कर दीजिए, जिससे वहां के लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। हमें विश्वास है कि रघुवंश बाबू हमारे इस विचार से सहमत होंगे।

महोदया, संपूर्ण क्रांति बहुत अच्छी ट्रेन है। जिस लाईन की इन्होंने बात की, इन्होंने सौ फीसदी सही कहा। लेकिन उसमें एक कठिनाई है, उसमें रात को सोने पर उसकी बोगी बहुत जोर से हिलती है और उसमें खान-पान की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हम राजधानी में भी चलते हैं और उस ट्रेन में भी चलते हैं, लेकिन उसमें असुविधा महसूस की जाती है, इसलिए आप अपने इंजीनियर्स से दिखवाएं कि उस ट्रेन में व्यवस्था भी उसी ढंग से हो, जिस तरह राजधानी में आदमी आराम से जाता है। उसी तरह की इसमें भी सुविधा होनी चाहिए। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपको तीन प्रोग्राम बताना चाहते हैं। आप जानते हैं और उनमें आपने पहल भी की है। मशरक से महाराजगंज रेल लाईन का वर्षों से झमेला चल रहा है। रेल मंत्री जी के जमाने में सर्वेक्षण भी हुआ था। उनके यहां काफी दिनों से संचिका योजना आयोग में पड़ी हुई है। योजना आयोग रेल मंत्रालय से पूछता है कि पैसा कहां से खर्च करेंगे। हमें रेल मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है कि हमने उसे फार्मल स्वीकृति के लिए भेजा है। फार्मल का मतलब हम लोग यही मानते हैं कि खाली फाइल देख कर आपको लौटा दें और आप पैसा देकर काम करा दें। रेल मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह योजना आयोग विकास के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे विकास में गति नहीं आ पाएगी। आप मजबूत इच्छाशक्ति वाले मंत्री हैं, हम चाहेंगे कि आप उस पर ध्यान दीजिए। हमने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिल कर भी अनुरोध किया था, आप योजना आयोग से फाइल मंगवा कर इसकी प्रक्रिया पूरी करवाएं। इसमें जो-जो कार्य करना हो, उसे पूरा करवा कर शिलान्यास की तारीख तय कीजिए और वहां चल कर शिलान्यास कीजिए।

महोदया, हम दो छोटी-छोटी समस्याओं के बारे में और बताना चाहते हैं। हमें स्थानीय स्तर पर जानकारी मिली है कि छपरा में आपका जो यार्ड है, शायद आप उसे वहां से हटाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि छपरा कचहरी की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि वह रेलवे की जमीन है और कुछ लोग कहते हैं कि उसे रिवीलगंज की तरफ ले जाना चाहिए, वह रेलवे की जमीन है। उस पर शायद कुछ पदाधिकारी गहन अध्ययन भी कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस पर अध्ययन करा कर अगर रिवीलगंज की तरफ आपका यार्ड जाता है तो ज्यादा यात्रियों और व्यावसायियों को सुविधा होगी। उसी तरह सिवान में भी एक प्रोबलम बनी हुई है, वहां कोई भी व्यवसायी माल मंगाना नहीं चाहता। आप रेलवे का इंकम निकाल कर देख लीजिए तो आपको

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पता चल जाएगा कि पहले से इंकम घटी हुई है। उसका कारण यह है कि वहां रंगदारी का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। महाराजगंज में आपकी बहुत जमीन पड़ी हुई है, आपको बिहार सरकार से सिवान का जो यार्ड है, आप महाराजगंज रेल लाईन बना भी चुके हैं और उसका आप जल्दी उद्घाटन भी करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप वहां यार्ड की प्रक्रिया शुरू करवाएं। महाराजगंज में रेलवे यार्ड बनवा कर जिले के ही व्यावसायी नहीं, बल्कि कमिश्नरी के व्यावसायियों को भी आप रेल की सुविधा मुहैया कराएं ताकि वे लोग अपना व्यवसाय ठीक से कर सकें। रघुवंश बाबू ने पुल के संबंध में कहा। छपरा, सोनपुर से लेकर सिवान तक जितने भी बीच में रेलवे क्रासिंग पर पुल थे, हमने अखबार में पढ़ा था कि उसकी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहां काम हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। अगर राज्य सरकार से उसमें कहीं कोई कठिनाई हो तो उनसे वार्ता या पत्राचार करके उसका समाधान करना चाहिए और यात्री सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उस पर तुरंत कार्य प्रारम्भ करवाने की कार्यवाही होनी चाहिए। हम रघुवंश बाबू को बताना चाहते हैं। हमारे मित्र रघुनाथ जी से बात करके कब तक यहां से उन्हें ले जा रहे हैं, ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो जाये, यह बता देते तो अच्छा होता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल): सभापति महोदय, उत्तरांचल एक नया राज्य है, जिसके लिए इस बजट में पूरे राज्य में किसी भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के रेल बजट का सब ने स्वागत किया है, उनकी मांगों का भी हम लोग स्वागत करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री जी को लिखकर व अपनी बात को पार्लियामेंट में रखकर भी इस बात को कहा है कि उत्तरांचल के विकास में रेल की एक अहम भागीदारी है। निश्चित रूप से यहां सांस्कृतिक किस्म के पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। बद्रीनाथ धाम से लेकर नानकमत्था, हेमकुण्ड से लेकर बड़े-बड़े सांस्कृतिक स्थल उत्तरांचल के अंतर्गत हैं, जिसमें पूरे देश में उत्तरांचल टूरिज्म की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य बन सकता है। उत्तरांचल के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी इन सब चीजों की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस रेल बजट में नई रेलगाड़ियां न चलाये जाने से उत्तरांचल प्रदेश में थोड़ी निराशा छाई हुई है और मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उत्तरांचल में नई रेल गाड़ियां अवश्य चलाई जानी चाहिए।

कारगिल जैसी लड़ाई में उत्तरांचल के सैनिकों ने बड़ी भागीदारी की है। काठगोदाम से लेकर जम्मू तक ट्रेन के लिए काफी लम्बे समय से उत्तरांचलवासी संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कुछ डिब्बे लगाये भी गये थे, लेकिन बीच में ये डिब्बे भी कैंसिल कर दिये गये, जिससे सैनिकों से लेकर जम्मू व पंजाब के धार्मिक स्थलों में आस्था रखने वाले लोगों को आने-जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से काठगोदाम जम्मू ट्रेन के चलने से पूरे उत्तरांचल, पूरे देश और वहां के सैनिकों व पर्यटकों के लिए न्यायसंगत होगा। इसी तरह से दिल्ली से काठगोदाम के लिए एक शताब्दी एक्सप्रेस नियमित रूप से चलाई जानी चाहिए, पूरे उत्तरांचल के अंतर्गत ट्रेन जायेगी तो टूरिज्म को और वहां के विकास को उससे जोड़ा जा सकता है। इसी तरह मुम्बई से बरेली तक ट्रेन आती है, उस ट्रेन को काठगोदाम तक चलाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे हिन्दुस्तान से उत्तरांचल को जोड़ा जा सकता है। लालकुंआ से किच्छा होते हुए लखनऊ तक मीटरगेज लाइन है, काफी पहले उसे ब्राडगेज में कन्वर्ट करने की संस्तुति मिल चुकी है, उसके लिए कार्य निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की निश्चित पालिसी है कि मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलना चाहिए। इसका सर्वे पहले हो चुका है, संस्तुति हो चुकी है, इसलिए इसे ब्राडगेज में बदलना चाहिए। देहरादून से लेकर नानकमत्था टनकपुर तक पहले भी रेलवे लाइन के लिए सर्वे हो चुका है, इस सर्वे को कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि यहां नोर्थ जोन और पूर्वी जोन में पूरा उत्तरांचल बंटा हुआ है, इसे निश्चित रूप से एक जोन बनाने की जरूरत है, इसलिए उत्तराखण्ड में अलग रेलवे जोन बनाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश को एक जोन के अन्दर रखकर उसकी रूप-रेखा भविष्य में ठीक ढंग से रखी जानी चाहिए, इसलिए एक जोन का बनाया जाना अति आवश्यक है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि नैनीताल जिले के अंदर हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन की जमीन पर काफी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। पूरे एरिया को काफी लोगों ने घेरा हुआ है। मेरा कहना है कि उन लोगों को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पर बसाया जाना चाहिए और रेलवे की जिस संपत्ति पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है वह संपत्ति रेलवे को वापिस मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इन पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से रेलवे के विकास के लिए इन पूरक मांगों का होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे उत्तरांचल क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। मैं पुन: आप सबका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): धन्यवाद, महोदया।

सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री और उनके साथियों को धन्यवाद दे दूं क्योंकि एक लंबे समय के बाद उड़ीसा को एक जोन का उपहार मिला है। हम 50 वर्षों से एक जोन की प्रतीक्षा कर रहे थे-वास्तव में यह एक जोन नहीं है अपितु दक्षिण-पूर्व रेल मुख्यालय को कोलकाता से भुवनेश्वर में स्थानान्तरित किया जाना था। ऐसा नहीं हुआ था।

तथापि, वर्तमान मंत्री जी श्री नीतीश कुमार ने इसे 1 अप्रैल, 2003 से कार्यशील बना दिया है। हम उनके आभारी हैं। हालांकि यह छोटा है तथापि मैं अप्रसन्न नहीं हूं। जबकि हम उनके आभारी हैं तथापि हमारी एक मांग है। हमने पूर्णतया स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पूर्व तटीय रेल जोन में और तीन खण्डों की आवश्यकता है-पहला भुवनेश्वर में, दूसरा राउरकेला में और तीसरा रायगढ़ में। इन तीन खण्डों को शीघ्रातिशीघ्र खोला जाना चाहिए जिससे कि समुचित समन्वयन किया जा सके और इन जोनों को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

हम उनके इस बात के लिए भी आभारी हूं कि राजधानी एक्सप्रेस को हावड़ा के बजाय भुवनेश्वर से बरास्ता आद्रा-खड़गपुर ले जाया जा रहा है। जब हमने उनके पूर्ववर्ती मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया था तो उन्होंने बहुत सी तकनीकी समस्याएं गिनवाई थी। लेकिन जैसे ही श्री नीतीश कुमार ने कार्य-भार ग्रहण किया वे सारी तकनीकी समस्याएं विलीन हो गई, और अब वह बरास्ता आद्रा-खड़गपुर मार्ग से चल रही है जो कि 300 किलोमीटर छोटा है। यद्यपि, यह 300 किलोमीटर छोटा है तथापि किराए में कमी नहीं की गई है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम उनके इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए एक अन्य राजधानी एक्सप्रेस उपलब्ध कराई है। उन्होंने यह भी वादा किया है कि यह सप्ताह में चार बार चलेगी।

महोदया, आपके माध्यम से धन्यवाद प्रकट करते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि उड़ीसा, चूंकि इसका आदी हो गया है और जैसा कि अन्य राज्यों के साथ हुआ है, रेलों के विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है।

जहां तक रेल मार्ग की लम्बाई का संबंध है। उड़ीसा 15 प्रमुख राज्यों में सबसे निचले स्थान पर है। प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर 19.3 किलोमीटर रेल मार्ग के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उड़ीसा में रेल मार्ग की लम्बाई केवल 14.83 किलोमीटर है। उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तीन ऐसे राज्य हैं जहां प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई कम है। इसलिए, इन तीन राज्यों में नई रेल लाइनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है।

महोदया, यद्यपि बजट में प्रावधान किया गया है तथापि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष के मध्य में यह धनराशि अन्य परियोजनाओं में लगा दी गई है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिनमें यद्यपि नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया था तथापि उस राशि का उपयोग राज्य से बाहर अन्यत्र अन्य परियोजनाओं के लिए कर लिया गया। वर्ष 2000-01 में दैतारी बांसपानी के लिए उपलब्ध कराए गए 5.20 करोड़ रुपये का अन्य परियोजनाओं के लिए पुन: विनियोजन कर दिया गया। खुर्दा मार्ग और बोलंगीर के लिए उपलब्ध कराए गए 14.50 करोड़ रुपये में से 11.70 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं में लगा दिए गए। वर्ष 2001-02 में हरीदासपुर-पारादीप के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे लेकिन उनमें से 2.48 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए दे दिए गए। पुन: हरीदासपुर-पारादीप के लिए 14.54 करोड़ रुपये दिए गए थे और उनमें से 3 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए दे दिए गए।

मैं माननीय मंत्री जी से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि बजट में जो राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका उपयोग उसी कार्य के लिए हो। पूर्व में बी.ओ.एल.टी. के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा गया था परन्तु उन क्षेत्रों में एक पैसे का भी निवेश नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी ने रेलवे विकास निगम में दैतारी बांसपानी के लिए 75 करोड़ रुपये और हरीदासपुर-पारादीप के लिए 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। मैं उनसे यह देखने का अनुरोध करूंगा कि नई लाइनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गए इन 123 करोड़ रुपयों का उपयोग उसी कार्य के लिए हो। रेलवे विकास निगम को बजट में उपलब्ध कराए गए 730 करोड़ रुपयों में से उड़ीसा राज्य को केवल 90 करोड़ रुपये मिले हैं। मेरा निवेदन यह है कि वर्ष के मध्य में यह राशि अन्य राज्यों को न दे दी जाए।

तलचर-बिमलागढ़ रेल-लाइन का कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। पिछली बार 2000-01 में इसका सर्वेक्षण किया गया था और इस लाइन से 10.16 प्रतिशत आगम दर की घोषणा की गई थी। यद्यपि, इस रेल लाइन से आगम दर इतनी अधिक है तथापि अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुई है? मैं यह निवेदन करता हूं कि तलचर-बिमलागढ़ रेल लाइन को नई रेल लाइन के रूप में शामिल किए जाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

अब, मैं आमान परिवर्तन पर आता हूं। लगभग 7,000 किलोमीटर मीटरगेज लाइन और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है। केवल नौवीं योजना के दौरान ही लगभग 2103

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

किलोमीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया। लेकिन उड़ीसा में अभी तक एक किलोमीटर लाइन को भी बड़ी लाइन में नहीं बदला गया है। उड़ीसा में केवल दो छोटी लाइनें हैं, पहली नवापाड़ा से गनुपुर तक जो कि लगभग 90 किलोमीटर लम्बी है और दूसरी रूपसा से बांगरी पोसी, जो कि लगभग 89 किलोमीटर लम्बी है। इसमें से नवपाड़ा से गुनपुर क्षेत्र की 45 किलोमीटर लम्बी लाइन आंध्र प्रदेश में आती है लेकिन 179 किलोमीटर लम्बी पूरी लाइन का ही बहुत पहले आमान परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस वर्ष 2003-04 में उड़ीसा में आमान परिवर्तन के लिए केवल 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह राशि अपर्याप्त है। इसके लिए जो भी राशि रखी गई थी उसे भी ले लिया गया था। वर्ष 2000-01 के दौरान रूपसा और बांगरी पोसी के लिए 5.01 करोड़ रुपये रखे गए थे लेकिन बजट पारित होने के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड की ओर से आदेश आया कि इस कार्य को शुरू न किया जाए। पूर्व में ऐसा हो चुका है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का कार्य पूरा हो जाना चाहिए।

मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण निवेदन यह है कि विजाग और निजामुद्दीन के बीच चलने वाली समता एक्सप्रैस अभी एक सप्ताह में तीन दिन ही चलती है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे एक सप्ताह में छह दिन चलाया जाए जिससे कि पश्चिम उड़ीसा के लोग इससे लाभान्वित हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे पुन: अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि नई लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन हेतु जो भी राशि आबंटित की जाए उसे वर्ष 2003-04 के दौरान ही व्यय कर दिया जाए जिससे कि नई रेल लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन का कार्य भी पूरा हो सके।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, प्रारंभ में मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जो कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी आवागमन की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यह सत्य है कि बजट में कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अत: मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

मेरे विचार में रेल बजट 2003-04 एक चुनावी हथकंडा है। यह रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण सहित इसे अधिक कार्यकुशल बनाने हेतु वांछित प्रोत्साहन प्रदान करने में असफल रहा है। यह बजट रेल मंत्रालय की कमियों और असफलताओं को एक छद्मावरण से ढकने का प्रयास है। यह लोगों की आकांक्षाओं को कुछ मीठे-मीठे शब्दों से लुभाने का एक प्रयास भी है।

रेलवे की व्याख्या केवल एक यातायात के साधन के रूप में की जानी चाहिए या इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। वस्तुत: यह इससे कहीं अधिक है। रेलवे हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 55 वर्षों के दौरान इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग सभी मंत्री अपने संकीर्ण क्षेत्रीय या राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण से बाहर आकर देश के दूर-दराज के क्षेत्रों को यातायात के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन का इच्छित लाभ पहुंचाने हेतु एक तटस्थ और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने में असफल रहे हैं।

यदि ऐसे कार्य पहले किए गए होते तो आज राष्ट्रीय एकता से संबंधित अधिकांश समस्याएं पैदा ही नहीं हुई होती। मैं रेलवे के संबंध में क्षेत्रीय असमानता का एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक किलोमीटर से भी कम रेल लाइन है जो कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। सात राज्यों की राजधानियां नामत: अगरतला, आईजाल, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, गुवाहाटी और गेंगटोक को अभी तक रेल लाइनों से नहीं जोड़ा गया।

अंग्रेजों ने रेल की पटरियां अपने संकीर्ण औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बिछाई थीं। लेकिन यह देखा गया कि छोटी सी राशि के निवेश और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अंग्रेजों ने लगभग 55 वर्ष की अवधि में 30,000 किलोमीटर रेल पटरियों का नेटवर्क स्थापित कर सके थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद इतनी ही समयावधि में भारतीय रेल अपना लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई है। यहां तक की सड़क नेटवर्क की तुलना में भी रेल नेटवर्क बहुत कमजोर है।

महोदया, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनपर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये हैं आधुनिकीकरण, अवसंरचना को बेहतर बनाना, पुराने पुलों, पटरियों, पुराने डिब्बों, पुरानी पड़ चुकी सिग्नल प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली को बदलना। लेकिन इन सब पहलुओं की कई दशकों से अनदेखी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश रेल पुल, पटरियां और अन्य अवसंरचना जो कि 100 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी उसे न तो बदला ही गया है और न ही उसका आधुनिकीकरण ही हुआ है। इन अवसंरचनागत ढांचों की आयु बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है और अब ये रेल दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन चुके हैं।

महोदया, मैं देश में रेल पुलों की स्थिति को दर्शाने हेतु कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुल रेल पुलों की संख्या 1,19,948

है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार इनमें से 44 प्रतिशत पुल 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 70 प्रतिशत पुल 60 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पहले, मैं अपने सक्रिय और अनुभवी माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इन पुलों को और कितने समय तक रेलें चलाने हेतु सुरक्षित समझते हैं और दूसरे, खन्ना समिति द्वारा खतरनाक घोषित किए गए पुलों को बदलने की वस्तु-स्थिति क्या है।

महोदया, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि लगभग 1600 स्टेशनों पर सिग्नल प्रणाली न केवल बहुत पुरानी है अपितु वह अप्रयुक्त हो चुकी है। रेल पुलों के आधुनिकीकरण और इन्हें बदलने हेतु धनराशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण आबंटन नहीं किया गया है। यहां तक कि पटरियों को बदलने हेतु इस वर्ष के बजट में आबंटित धनराशि में पिछले वर्ष के 3401 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष कमी करके 2605 करोड़ रुपये की राशि ही आवंटित की गई है। यह एक बहुत अनौचित्यपूर्ण घोषणा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर ऐसी रेलगाड़ियों का उल्लेख किया है जिन्हें चलाये जाने की घोषणा की गयी थी और जो चलायी भी जा रही हैं-लेकिन जिनमें यात्री न के बराबर हैं। आज कल रेल मंत्रालय द्वारा प्राय: वाणिज्यिक अर्थक्षमता की बात कही जाती है और यह हमारे मामले में भी लागू होती है। एक परियोजना को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कारोबार की कोई उम्मीद नहीं थी। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ व्यापार कर रही है। रेल मंत्रालय वाणिज्यिक अर्थक्षमता, निरर्थक व्यय को कम करने, घाटा न लाभ की स्थिति प्राप्त करना, आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु संसाधनों को जुटाना आदि से संबंधित बातें करता है। जब कभी भी हम पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाने या उसका विस्तार करने की मांग करते हैं तो हमारे सामने इसी तरह के तर्क पेश किये जाते हैं।

लेकिन रेल मंत्रालय के कार्य से हमें क्या लगता है? प्रत्येक वर्ष लगभग सभी मंत्रियों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वे अमुक स्थान से इतनी रेलगाड़ियां चलवायेंगे ताकि पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र से जोड़ा जा सके। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन इन रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा राजनीतिक उद्देश्य से की जाती है और इनके लिए कभी कोई उचित सर्वेक्षण भी नहीं कराया जाता। बाद में कई रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा वापस ले ली जाती है। रेल मंत्री की घोषणाओं से ऐसा लगता है कि उन्होंने विगत से कोई सबक नहीं लिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, मैं मंत्री जी के विचारार्थ अग्रलिखित मांगों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और यह भी चाहूंगा कि इस दिशा में तुरंत कदम उठाया जाये। पहली मांग यह है कि मनु और लुम्बडिंग के बीच सुसज्जित एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलायी जायें ताकि इनसे दक्षिण असम और त्रिपुरा के लोग लाभान्वित हो सकें। दूसरी यह है कि कई स्टेशनों से मालगाड़ियां चलाये जाने की मांगें लंबित पड़ी है। मालगाड़ी से जोड़े जाने वाली रोलिंग स्टाकों की हालत एकदम खराब है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी सामान क्षतिग्रस्त हुए बिना नहीं पहुंच पाता इसलिए हमारे मित्र द्वारा-जोकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्हीं के कारण रेलवे का विस्तार कार्य वहां हो रहा है, यद्यपि विस्तार कार्य की प्रगति बहुत धीमी है-मांग की गयी है कि मालगाड़ियों में अच्छी क्वालिटी के रोलिंग स्टाक लगाये जायें और उनकी संख्या भी बढ़ायी जाये।

लुमडिंग से सिलचर बड़ी रेलवे लाइन पर धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। इस परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता है। बदरपुर से मनु तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने की पर्याप्त धनराशि सहित स्वीकृति दी जानी है। मनु-अगरतला सेक्टर में तीन बड़ी सुरंगों के बारे में तुरंत अंतिम निर्णय करने और उनके लिए कार्य आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय के कार्य करने का तरीका अजीब है। हमने रेल मंत्री, महाप्रबंधक एन एफ रेलवे तथा चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को कई पत्र लिखे हैं। हम रेल मंत्री तथा उत्तर-सीमा रेलवे के महाप्रबंधक से नियमित उत्तर भी प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। क्या वह रेल मंत्री से ऊपर हैं? मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

क्या वह रेलमंत्री से ऊपर हैं? क्या वह इस सभा से भी बढ़कर हैं? वह सदस्यों की उपेक्षा कर रहे हैं।

छठा विषय है-मनु से अगरतला तक रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिए एक निश्चित समय सीमा की घोषणा करना। यह घोषणा शीघ्र की जानी चाहिए।

अंत में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह बंगलादेश के रेलमंत्री के साथ अथवा किसी अन्य उचित प्राधिकारी के समक्ष भारत में अगरतला से बंगलादेश में अखौरा के बीच रेलवे लाइन बिछाने का मुद्दा उठायें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): मैं माननीय रेल मंत्री को उनके उत्कृष्ट बजट के लिए धन्यवाद देता हूं। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट की संज्ञा दी है। मुझे पता नहीं कि क्या वह इस

[श्री ई. पोन्नुस्वामी]

तरह का बजट केवल चुनावों को ही ध्यान में रखकर पेश करेंगे। रेल मंत्री ने भारत के लोगों, विशेषकर पिछड़े राज्यों-जो रेल सुविधाओं की मांग कर रहे थे-के सर्वांगीण हितों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): लेकिन उन्होंने मेरे क्षेत्र के हितों का ध्यान में नहीं रखा है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: वह आपके क्षेत्र का भी ध्यान रखेंगे। गत माह की 16 तारीख को जब रेल राज्य मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था, तब वहां के लोगों ने यह मांग की थी कि चेन्नई-वेल्लुपुरम एक्सप्रेस को मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के विरूधाचलम जो कि एक बड़ा जंक्शन है-तक बढ़ा दिया जाये क्योंकि यह रेलगाड़ी सुबह साढ़े दस बजे विल्लुपुरम पहुंच जाती है और लगभग पांच घंटे खड़ी रहती है जिससे समय बर्बाद जाता है।

मुझे माननीय रेल मंत्री जी से तीन बातें कहनी हैं। पहली यह कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चिदम्बरम में जहां एक ओर अन्नामलाई नगर में अन्नामलाई विश्वविद्यालय है वहीं दूसरी ओर चिदम्बरम नगर है। यहां एक रेलवे पुल बनवाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है, जो कि दशकों से लंबित पड़ा है। वास्तव में इसके लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाये गये थे और यह निविदाएं आमंत्रित करने के चरण तक आ गया था। लेकिन अचानक सरकार बदली और यह परियोजना रोक दी गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय से भी हमें कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि यहां पर रेलवे पुल बनवाया जाये क्योंकि प्रत्येक दिन उन्हें रेलवे क्रासिंग पर परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें रेलवे क्रासिंग पार करने में दो घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह कृपया इस परियोजना को अपने हाथ में लें जो निविदा के चरण में है तथा जिसके बारे में दूसरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे अगले वर्ष 31 मार्च से पहले पूरा करवाने का प्रयास करें।

अपराह्न 5.03 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

दूसरी बात यह है कि, मैंने कांचीपुरम से टिंडिवनम वाया वंदावसी तक 76 किमी की एक नई रेलवे लाइन बिछाने का अनुरोध किया है। वंदावसी एक व्यापारिक केन्द्र है। लेकिन यह दशकों से उपेक्षित पड़ा है। इसलिए उस स्थान से होकर एक रेलवे लाइन जानी चाहिए क्योंकि वंदावसी एक ऐतिहासिक स्थल है और यहां अधिकतर व्यापारी है। इस बारे में मैं 1999 में भी माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था। आपके पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी और यह कहते हुए सर्वेक्षण आदेश जारी कर दिये थे कि इसे 31 मार्च, 2001 से पहले पूरा किया जाये। अब मैं मंत्री जी को बीसियों पत्र लिख चुका हूं। लेकिन अभी तक मुझे इस बारे में कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपया इस परियोजना को तुरंत मंजूरी दें और तुरंत इसके सर्वेक्षण की घोषणा करे।

तीसरी बात यह कि 1950 के दशक के प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी के श्री ओ.वी. एलगेसन रेलमंत्री थे। लेकिन 45 वर्षों से भी अधिक समय के बाद अब तमिलनाडु से किसी सदस्य को रेल राज्य मंत्री बनाया गया है। अत: यह स्वाभाविक है कि रेलवे सुविधाओं से जुड़ी प्रत्येक बात के लिए तमिलवासी अब उनकी ओर निगाह लगाये बैठे हैं। रेल राज्य मंत्री आठ-नौ महीनों से अपनी भरपूर क्षमता से और अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु तथा दूसरे पड़ोसी राज्यों के लोग उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि लगभग 44 हजार करोड़ रुपये के कुल बजट में से तमिलनाडु की चालू रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाये। दक्षिण रेलवे के लिए, दक्षिण के पांचों राज्यों हेतु 10 हजार करोड़ रखे जाने चाहिए। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि तमिलनाडु में चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तथा अभी मैंने जिन दो-एक नयी रेल लाइनों को बिछाने का अनुरोध किया है, उसके लिए इस वित्त वर्ष में कम से कम 2 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जाये। इन मांगों में मेरे राज्य तमिलनाडु से सभी सदस्यों की मांगें शामिल हैं। इसलिए मैं इन दो-तीन मांगों तक ही अपने को सीमित रखता हूं।

मैं एक बार फिर माननीय रेल मंत्री तथा उनके दो सहयोगी राज्य मंत्रियों की उनके उत्कृष्ट बजट के लिए सराहना करता हूं। अत: मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्योंकि 12वीं लोक सभा में जब मैं सदस्य था तो नीतीश जी रेल मंत्री थे और वह आगरा में डी.आर.एम. आफिस का शिलान्यास करने के लिए आये थे। मैंने अपने उद्‌बोधन में शंका व्यक्त की थी कि शिलान्यास तो बहुत होते हैं, लेकिन उद्‌घाटन बहुत कम हो पाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इसी महीने आगरा में डी.आर.एम. आफिस का उद्‌घाटन करने के लिए नीतीश जी पहुंचे। मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र जलेसर

की रेल संबंधी बुनियादी समस्याओं के बारे में रेल मंत्री जी से चर्चा करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक टूंडला जंक्शन बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यद्यपि टूंडला नगर पालिका परिषद की आधा लाख की आबादी है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ आगरा शहर है। आगरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह दिल्ली और मुम्बई मार्ग पर स्थित है, लेकिन आगरा के जिन यात्रियों को दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन के किसी भी स्टेशन पर जाना होता है तो उन्हें टूंडला आकर ही गाड़ी पकड़नी पड़ती है। इसलिए टूंडला को केवल टूंडला न समझा जाए, बल्कि उसके साथ 25 लाख की आबादी के शहर आगरा को भी जोड़कर माना जाए। टूंडला आगरा जिले की ही तहसील थी। टूंडला आगरा से 22 किलोमीटर दूर है। वहां से पुरुषोत्तम एक्सप्रैस गुजरती है, लेकिन वहां नहीं रूकती है। नीलांचल एक्सप्रैस भी वहां नहीं रूकती है। शिवधाम एक्सप्रैस है, प्रयागराज एक्सप्रैस इलाहाबाद से चलकर दिल्ली तक आती है। हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का इलाहाबाद आना-जाना होता है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, जिसकी वजह से लोगों को वहां जाना पड़ता है। वह गाड़ी संभवतः एक तरफ रूकती है, वापसी में नहीं रूकती है। कोई राजधानी एक्सप्रैस भी वहां नहीं रूकती है। टूंडला को केवल आगरा से न जोड़ा जाए, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से 12-14 किलोमीटर दूर एटा जनपद रजावली चौराहे से शुरू हो जाता है और वहां से केवल 22 किलोमीटर दूर हाथरस जनपद की खंदौली के पास गोविंदपुर गांव पड़ता है। आगरा महानगर वहां से 22 किलोमीटर दूर है। फिरोजाबाद दूर है। फिरोजाबाद जिले में खुद स्थित है और फिरोजाबाद शहर भी उससे लगा हुआ है।

नीलांचल एक्सप्रैस के बारे में मैं विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह इलाका जैन बाहुल्य है और सभापति जी को भी मालूम है कि शिखर जी आपके यहां है। हमारे जैन धर्मावलम्बी शिखर जी की यात्रा करना चाहते हैं। नीलांचल एक्सप्रैस सीधे शिखर जी जाती है और वहां ऐसे समय में पहुंचती है कि लोगों के लिए चढ़ाई करके और उतरकर दर्शन करने का वह उपयुक्त समय होता है। आगरा में एक-दो चार लाख जैन लोग हैं। टूंडला भी जैन बाहुल्य है। अवागढ़ कस्बा जैन बाहुल्य है, बरहन में भी जैन लोग हैं। फिरोजाबाद के बारे में सब लोग जानते हैं कि देश का बहुत भव्य जैन मंदिर वहां स्थित है, जो टूंडला से 14 किलोमीटर दूर है। अबागढ़ जैन बाहुल्य है, एतमादपुर में जैन हैं, जलेसर में जैन हैं और बड़ी धार्मिक आस्था है उनकी शिखर जी में। मेरी रेल अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोई टैक्निकल दिक्कत नहीं है। अक्सर बिना स्टापेज के भी उनको रोकना पड़ता है। उसके आगे कुछ ऐसी गाड़ियां जाती हैं कि उसको टुण्डला में रोकना पड़ता है। एक मिनट के लिए अगर स्टापेज करा दें तो जैन धर्म में आस्था रखने वालों को विशेष लाभ होगा और अन्य लोग भी उससे यात्रा कर सकते हैं।

जो दिल्ली-लखनऊ वाली शताब्दी एक्सप्रैस है, उसको इटावा में रोका जा रहा है और अलीगढ़ में भी रोका जा रहा है। हमारा निवेदन है कि टुन्डला एक जक्शन है, एक मिनट के लिए अगर आप उसको रोक दें तो आगरा मंडल के 42 विधायकों को उससे लाभ होगा क्योंकि उनको भी लखनऊ जाना पड़ता है। यह स्टेशन इतना उपयुक्त स्थान पर है कि 42 एम.एल.ए यहां से गाड़ी पकड़ सकते हैं और वापसी में यहां से उतरकर कांस्टीट्यूएंसी जा सकते हैं। 9 लोक सभा सदस्य भी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे सभी 42 एम.एल.ए. और सांसदों ने लिखकर ज्ञापन दिया जिसे मैंने आपको दिया है। इसलिए शताब्दी एक्सप्रैस को भी एक मिनट के लिए वहां रोक दें तो कृपा होगी।

टुन्डला के पूर्वी और पश्चिमी तरफ जो कैबिन हैं, वहां रेल फाटक हैं। विशेष तौर से पूर्वी फाटक है, वहां सड़क 22 किलोमीटर दूर यमुना नदीं पर जाकर समाप्त होती है। वहां लगभग सौ गांवों का आवागमन है और 90 डिग्री का मोड़ उस फाटक के बाद है। एक-एक किलोमीटर लंबी लाइन वहां लग जाती है। किसी ने हमें बताया कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि दस मिनट से ज्यादा कहीं फाटक बंद नहीं होना चाहिए लेकिन दो घंटे वहां फाटक बंद रहता है। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार हम कोशिश करते हैं कि दो घंटे खड़े रहने से अच्छा है कि फिर किसी दिन आएंगे। मरीज बीमार होते हैं तो दो घंटे फाटक पर लग जाते हैं। कृपया वहां एक अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज, जो भी रेलवे को सुविधाजनक हो, वहां की स्थिति को देखते हुए, वह अवश्य बनवाएं।

महोदय, बरहन एक रेलवे स्टेशन है। वहां से एटा तक रेलवे लाइन जाती है। जब रोहन लाल चुतर्वेदी मंत्री थे और हमारी लोक सभा के ही सदस्य थे, उन्होंने एक रेल लाइन डलवाई थी बरहन से एटा। जब वह रेल लाइन डाली और संभवतः उन्होंने ही उद्घाटन किया होगा, तब से उस पर सिर्फ एक रेल चलती है टुन्डला बरहन एटा। 25 साल हो गए हैं उसको शुरू किये हुए और 25 साल में वह अभागी रेल लाइन है जिस पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं चली । मेरा निवेदन है कि वहां रेल बस चला दें अथवा एक गाड़ी और चला दें। एतमादपुर हमारी विधान सभा का हैडक्वार्टर भी है, तहसील हैडक्वार्टर भी है और थाना भी है। वहां एक्सप्रैस नहीं रुकती है और लोग उसे टुन्डला में जाकर पकड़ते हैं। टुन्डला में अवध का समय रात 11.40 बजे का है। इसी कस्बे में स्टेशन है, रेल वहां से गुजरती है लेकिन लोगों को सात किलोमीटर दूर जाकर वह गाड़ी पकड़नी पड़ती है और लौटते समय वह सुबह 3.40 पर आती है। जो महिलाएं हैं, व्यापारी हैं या वृद्ध हैं, वे सुबह 3.40 पर उतरकर सात किलोमीटर दूर एतमादपुर आएं और गाड़ी पकड़ने के लिए रात 12 बजे जाएं।

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

आगरा से टुन्डला आने में उसको एक घंटा पैंतीस मिनट का समय लगता है। जब वह इतनी धीमी चलती है तो दो मिनट उसमें और बढ़ा दें, एक घंटा सैंतीस मिनट हो जाएगा। बरहन से एटा रेलवे लाइन पर मात्र 28 किलोमीटर दूर कासगंज कस्बा है और कासगंज में मीटर गेज है। अगर एटा से कासगंज केवल 28 किलोमीटर आप जोड़ दें तो पूरा आगरा मंडल, बरेली मंडल और बूदायूं मंडल उससे जुड़ जाएगा और लाखों यात्रियों को उससे सुविधा होगी। वह केवल 28 किलोमीटर का छोटा सा टुकड़ा है। मैं लंबी रेल लाइन की मांग नहीं कर रहा हूं। एटा तक रेल लाइन है और एटा जिले की ही कासगंज एक तहसील है और कासगंज में मीटर गेज है। एटा से कासगंज 28 किलोमीटर जोड़ दें तो हम कानपुर, लखनऊ, बरेली, सम्भल और कई जिलों से जुड़ जाएंगे। मेरा निवेदन है कि यह रेलवे लाइन जरूर बना दें।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से सर्वविदित है कि आगरे से अधिक महत्वपूर्ण स्थान हिन्दुस्तान में और कोई नहीं है। वहां जी.एम.आर. आफिस खुल गया है। आपके तमिलनाडु एक्सप्रैस को रोकना प्रारम्भ कर दिया है। मंत्री जी जब आगरा गए थे, तो कह आए थे कि राजधानी को आगरा में रोका जाएगा। कौन सी राजधानी रोकेंगे? मेरा निवेदन है कि तीनों राजधानियों को आगरा में रोका जाए। आप स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति यदि चैन्नै से आगरा देखने के लिए राजधानी से यात्रा करता है, तो उसे पहले दिल्ली जाना पड़ता है और फिर वहां से 200 किलोमीटर सफर तय कर आगरा आना पड़ता है जबकि राजधानी आगरा से ही गुजरती है। ऐसा नहीं है कि लोग दिल्ली ही आते हों। ज्यादातर लोग जो आगरा ताजमहल देखने आते हैं, उन्हें विवशता में दिल्ली आना पड़ता है और यहां से फिर वापस आगरा जाना पड़ता है। आगरा देखने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से अनेक सैलानी आते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में दिल्ली जाकर वापस आगरा आना पड़ता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी मुम्बई और चैन्नै के रास्ते राजधानी से आने वाली मजबूरी में दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से टैक्सी इत्यादि लेकर वापस आगरा जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें आगरा से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगरा तक का किराया फालतू देना पड़ता है, जो महंगा सौदा हो जाता है। अत: मेरा पुन: निवेदन है कि चैन्नै राजधानी को आगरा जरूर रोकें। इससे दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी।

महोदय, आगरा फोर्ट से मरूधर और जोधपुर हावड़ा जो ट्रेने चलती हैं, उनमें जोधपुर हावड़ा ट्रेन के लिए आगरा से एक भी सीट का आरक्षण नहीं है। जोधपुर-हावड़ा में आरक्षण की व्यवस्था करें। अवध एक्सप्रैस से राजनीतिक लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है। इसलिए अवध एक्सप्रैस से राजनीतिक लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है। इसलिए अवध एक्सप्रैस में आरक्षण का कोटा बढ़ाएं।

महोदय, टूंडला में एक लोकोशेड था। चूंकि अब स्टीम के इंजन नहीं चलते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था इसलिए आपने उसे गिराया। अब पता नहीं किस प्रकार की मशीन से उसे गिराने का काम किया गया कि उसे गिराते समय मेरे क्षेत्र के 25 आदमी उसमें दबकर मर गए। दिग्विजय सिंह जी उस समय रेल मंत्री थे। वे वहां मृतकों को राहत देने के लिए हेतु कुछ घोषणा कर के आए। 15 हजार रुपए मृतकों के परिवारों को क्रियाकर्म हेतु तत्काल दे दिए गए। मुझे रेल मंत्री जी की चिट्ठी आई कि आपका प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ। दो-दो लाख हर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15-15 हजार रुपए वितरित किए जा चुके हैं और रु. 1.85 लाख का वितरण किसी भी मृतक के परिवार वाले को वितरित नहीं किया गया है । मैं नगला छैंकुर गया, तो मृतक परिवार की एक महिला मिली और मुझसे कहा कि अभी तक बाकी रकम का चैक नहीं आया है। मैं प्रत्येक मृतक के दाहसंस्कार के समय भी उपस्थित था और अब भी परिवार के लोगों से मिलता रहता हूं। मेरा ही वह क्षेत्र है। जब मैं उनसे मिलता हूं, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है कि मैं उन्हें क्या कहूं। तीन वर्ष होने को आ रहे हैं और मृतकों के परिवारों को स्वीकृत मुआवजे का भुगतान कराएं। एक लाख रुपए से अधिक के लिए संभवत: दीवानी अदालत या डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमाणपत्र लेना होता है, कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है। ये सभी प्रमाणपत्र उन्होंने लिए हुए हैं और सभी कागजी कार्रवाई पूरी की हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। मुझे तो जैसे ही रेल मंत्री जी की चिट्ठी आई कि प्रत्येक मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दो लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मैंने तुरन्त उसकी फोटोकापी कराकर सभी मृतकों के आश्रित को भेज दी और अभी तक आपने उनका भुगतान नहीं किया है? आप मुझे क्यों झूठा साबित कर रहे हैं? मेरा निवेदन है कि वह पैसा आप जरूर तत्काल दें।

सभापति महोदय, एक दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि नगला छैंकुर में अंग्रेजों के जमाने से दो पाइपें डाली गई थीं जिनसे कोयले का इंजन चलाने के लिए पानी आया करता था। वे पाइप लाइनें अब डैड हो गई हैं। वह हमारे गांव का आम रास्ता है। मैंने सांसद निधि से उस गांव की सड़क के लिए धन स्वीकृत करने की अनुशंसा की। गांव की आबादी 1400 है। वैसे 1000 तक की आबादी वाले गांव के लिए ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के अंतर्गत सड़क बनाई जाती है, लेकिन मैंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उक्त गांव को पैसा स्वीकृत करने की अनुशंसा की। पैसा स्वीकृत हुआ, 13 लाख का चैक कट गया, जब सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ, तो रेलवे वाले आ गए कि इस सड़क के नीचे से रेलवे की पाइप लाइनें जा रही हैं। इसलिए पाइप लाइनों के ऊपर सड़क नहीं बन सकती। वे

पाइप लाइनें डैड हैं। उनसे पानी नहीं जाता है क्योंकि कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन नहीं चलते हैं। लोकोशेड समाप्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी रेलवे के अधिकारी आपत्ति करते हैं और उस स्थान पर सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। अगर आप उस पाइप लाइन को 200 साल तक नहीं उखाड़ेंगे, तो क्या तब तक सड़क नहीं बनेगी। मेरा निवेदन है कि तत्काल रेलवे की दखलंदाजी बन्द की जाए और नगला छैंकुर को पाइप लाइनों के ऊपर के सड़क बनाने की कार्रवाई में रेलवे कोई अड़ंगा नहीं लगाए जिससे गांव को सड़क से जोड़ा जा सके।

सभापति महोदय, अन्त में एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इटावा से मैनपुरी रेलवे लाइन को एटा तक बढ़ा दें तो लोगों को काफी लाभ होगा। बरहन जंक्शन पर मूरी और महानन्दा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोका जाए और जलेसर रोड स्टेशन पर मूरी एक्सप्रेस और सगम एक्सप्रैस को रोका जाए। 25 मृतकों के परिवारों को स्वीकृत मुआवजे की शेष धनराशि रु. 1.85 लाख का तत्काल भुगतान किया जाए। यदि मुआवजे के भुगतान में कोई वैधानिक बाधा हो, तो वह हमें बताई जाए, ताकि हम उसे दूर करने में कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे के विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और मंत्री जी को बधाई देती हूं कि इन्होंने जबलपुर के लिए थोड़ा-बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जबलपुर-गोंदिया अमान परिवर्तन परियोजना, जो मुख्य अभियंता निर्माण बिलासपुर के अधीन है, उसे जबलपुर पश्चिम-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत किया जाए। इस परियोजना का 85 प्रतिशत कार्यक्षेत्र जबलपुर के अंतर्गत आता है, इसे जबलपुर जोन में जोड़ा जाए। इसी तरह ललितपुर-सिंगरोली रेलवे लाईन का काम जबलपुर जोन को ही दिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद दूर पड़ता है। ललितपुर-सिंगरोली रेलवे लाइन का काम भी जबलपुर जोन को ही दिया जाए।

जबलपुर से दमोह नई रेलवे लाईन के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसे सुपर ट्रंक लाईन की संज्ञा दी गई थी। इसे पुन: उसी तरह किया जाए। जबलपुर से बिलासपुर नई रेलवे लाईन (मंडला-मंगेली) होकर सारे सर्वेक्षण का कार्य संपूर्ण हो चुका है। उसे जल्दी ही पूरा करके कार्य शुरू किया जाए। वहां के लोगों की यह मांग है। मंत्री जी जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि इतना काम हो चुका है, बाकी काम देखेंगे। मैं मांग करती हूं कि बाकी के काम को भी प्राथमिकता देकर पूरा कराया जाए। जबलपुर से जम्मू-तवी, वाया अमृतसर तक महाकौशल एक्सप्रैस को बढ़ाया जाए या अन्य कोई उपयुक्त व्यवस्था की जाए। जबलपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली 2411, गोड़वाना एक्सप्रैस को पूरे रैक के साथ जबलपुर से चलाया जाए। वहां इतनी भीड़ होती है कि लोगों को जगह नहीं मिलती और वे हम लोगों को आरोपित करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ए.सी. ले लेते हैं। इसलिए अगर यह काम पूरा हो जाता है तो इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। नागपुर से आने वाली महामाया एक्सप्रैस को जबलपुर से होकर चलाया जाए। कटनी से सिंगरौली का ट्रेक सी ग्रेड का है, उसे बी ग्रेड में परिवर्तित किया जाए। इटारसी-जबलपुर के बीच शेर नदी पर सिंग लाईन है, उसे दोहरी लाईन में परिवर्तित किया जाए। मदन महल स्टेशन को टर्मिनल का दर्जा दिया जाए। रायपुर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस से जो ट्रेन जाती है, वे सब साउथ, नागपुर से चली जाती हैं, जब कि वहां से कटनी जा सकती है। इसलिए इस राजधानी को, जो रायपुर से दिल्ली जाती है और दिल्ली से रायपुर आती है, उसे वाया कटनी चलाया जाए। गंगा-कावेरी ट्रेन बंगलौर जाती है, उसमें अगर आंगोया दो मिनट का भी स्टोपेज देते हैं, क्योंकि वहां लोगों को बहुत परेशानी होती है, इससे उन्हें भी सुविधा हो जाएगी। यहां कुछ ट्रेनों में डायनिंग कार नहीं है। सिंगरोली से जो ट्रेन कलकत्ता जाती है, उसमें भी नहीं है, जिसके कारण वहां लोगों को बहुत असुविधा होती है। हमने साउथ की गाड़ियों में मांग की थी, क्योंकि उनमें भी डायनिंग कार नहीं है, वहां भी यह व्यवस्था की जाए। वहां खाने की व्यवस्था भी वही घिसी-पिटी है और वही लोग हैं। नये-नये आबंटन होते हैं, लेकिन नये लोगों को उसमें कभी मौका नहीं मिलता, इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। नए लोगों को कैंटिन का काम दिया जाए। सारी फारमेलिटीज पूरी करने के बाद भी उन्हें बुलाते नहीं हैं, न उनका इंटरव्यू लेते हैं। इनके नार्म्स जिस तरह बने हैं, मुझे पता नहीं है कि उस तरह से लिए जाते हैं या नहीं। दूसरी बात इसमें नियुक्तियों की है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं। रेलवे के काम में अगर कुछ नियुक्तियां बढ़ाई जाए तो बहुत से लोगों की बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को काम मिलेगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको पुन: धन्यवाद देती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह अत्यधिक खेद की बात है कि इस समय यहां पर माननीय कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हैं। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि हम यहां रेलवे से संबंधित मुद्दों पर अथवा दूसरे मुद्दों पर जो चर्चा करते हैं उसका क्या उपयोग है, क्योंकि यह एक रस्म अदायगी भर रह गया है। जो भी मांगें यहां उठायी जाती हैं, उसकी ओर न तो कोई ध्यान

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

दिया जाता है और न ही उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। एक रस्म अदायगी के तौर पर इस सभा के सभी पक्षों के सदस्य अपनी उचित मांगे और शिकायतों पर अपने क्षेत्र की जनता की ओर से अपना दु:ख दर्द और पीड़ा व्यक्त कर लेते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं।

अब भारतीय रेलवे में एक नई संस्कृति विकसित हुई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यहां होते। वह कारीडोर में हैं। बहरहाल, आजकल हर चीज कारीडोर से होती है। महोदय, हमें उत्तर तक नहीं मिलते। मुझे मेरे महत्वपूर्ण पत्रों के भी उत्तर नहीं दिये जाते। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गुणगान करने वाले विज्ञापनों, पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने और उनकी फोटो छपवाने में ही व्यस्त हैं। जहां तक दूसरे मामलों की बात है, मुश्किल से ये रेलवे के लोग कोई काम करते पाये गये हैं। रेलवे सुरक्षा तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बरती जा रही लापरवाही अपनी पराकाष्ठा पर है। सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं रेलगाड़ियों का रखरखाव कैसा है? उनकी प्राथमिकता में रेलयात्री सबसे नीचे हैं। सुविधाएं देना तो उनके लिए विलासिता की बात होगी। ये सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम किस काम का है?

महोदय, मैं जानता हूं आप समय के बड़े पाबन्द है? भारतीय रेलवे का मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए क्यों खड़ा हुआ हूं। मैं दो दर्दनाक दुर्घटनाओं की बात करना चाहता हूं। महोदय, मैं भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान शांति निकेतन, बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इससे परिचित होंगे। मुझे पता नहीं कि आप कभी वहां गये हैं या नहीं। यदि आप वहां नहीं गये हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप स्वयं वहां आकर देखें। पूर्वी रेलवे-भारतीय रेलवे के मंडल-पांच के अतंर्गत आता है। यह सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र है। महोदय, जब श्री जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, तब मैंने उनसे अनुरोध किया था। जिस पर उन्होंने खाना जंक्शन से सैंथिया जंक्शन तक रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी थी।

मेरे विचार से यह लगभग 35-37 कि.मी. है। इसे 1994 में मंजूरी मिल गयी थी। इस कार्य के प्रारम्भ करने के लिए आधारशिला रखने का सम्मान मुझे दिया गया था। जब मैं वहां जाता हूं और अपने नाम की आधारशिला तख्ती वहां देखता हूं तो मुझे अत्यंत प्रशंसा होती है। महोदय, यह काम 1994 में किया गया था। पहले ही हम 9 वर्ष ले चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी को लिख चुका हूं कि इस दशक के समापन से पहले क्या मैं रेलवे के दोहरीकरण का कार्य पूरा हुआ देख सकता हूं।

[हिन्दी]

हाफ भी नहीं हुआ, आधा रुपया भी खर्च नहीं हुआ।

[अनुवाद]

कभी उसके लिए एक लाख रुपये का आवंटन होता है, कभी एक करोड़ रुपये का, कभी पांच करोड़ रुपये का। जब मैंने उन्हें लिखा था, तो उन्होंने मेरे पत्र को स्वीकार करने का भी कष्ट नहीं किया था। मुझे बुरा लगा। उन्हें उनके रक्षा मंत्री से कोई परेशानी है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे मेरे पत्रों का उत्तर क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्हें लड़ने दो। मुझे प्रसन्नता है कि आप पिछले शासन का अनुसरण कर रहे है। कम से कम हमने भारतीय रेलवे को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त देखा था। परन्तु क्या हो रहा है?

इसलिए, महोदय, आपको उपस्थिति में मैं उन्हें एक पत्र भेज रहा हूं ताकि वे बाद में मना न कर सकें कि उन्हें वह नहीं मिला था। यह एक पत्र है जो मैं भेज रहा हूं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे उत्तर देना चाहते हैं तो साहिबगंज खण्ड के विकास के बारे में जहां शान्ति-निकेतन है उनको योजना के बारे में बताएं। महोदय, एक रेलगाड़ी के लिए मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि रामपुरहाट और साहिबगंज से आजीविका के लिए काफी संख्या में लोग कोलकाता से बर्धवान इत्यादि आते है। एक इंटर-सिटी एक्सप्रेस चलायी गयी है जो किसी के काम की नहीं है। मैं यहां जनशताब्दी चलाये जाने का अनुरोध कर रहा हूं जो नहीं चलायी गयी है। यह दोहरीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? महोदय, हालांकि उससे ज्यादा तेज मैं अपने भारी शरीर से चल सकता हूं। परन्तु रेलवे नहीं चलती है।

महोदय, कल एक त्रासदी हो गयी। जिसकी वजह से सभी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को तकलीफ देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बोलपुर से सैंथिया की तरफ का अगला स्टेशन क्रांतिक रेलवे स्टेशन है मैंने कई बार लिखा है कि क्रांतिक स्टेशन शांति निकेतन के बहुत पास है। इस स्टेशन के उन्नयन और यात्रियों को कुछ सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से बोलपुर स्टेशन शांति निकेतन से काफी दूर है। यहां से काफी संख्या में यात्री रेलगाड़ी में बैठते हैं। वहां एक रेलगाड़ी जिसका नाम विश्व भारती पैसेंजर है। कल यह त्रासदी हुई। मैं वहां था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक जाने-माने वकील जिनकी उम्र 72 वर्ष थी और वे ह्रदयरोगी थे, क्रांतिक रेलवे स्टेशन से कलकत्ता लौट रहे थे।

वे वहां अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र के साथ गये थे। उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि उन्होंने रेलवे कर्मचारियों से पूछा था कि वातानुकूलित कुर्सीयान डिब्बा कहां आयेगा। उन्होंने एक जगह बतायी थी। अन्ततः वह कुर्सीयान डिब्बा छ या सात डिब्बों के बाद आया। उस हृदयरोगी को उसके लिए सारे रास्ते दौड़ना पड़ा। वहां मात्र एक मिनट का ठहराव था। वह उनकी पत्नी और उनकी पुत्री ट्रेन में चढ़ सके थे परन्तु उनका पुत्र चढ़ नहीं पाया और वे वृद्ध पुरुष थक गये थे क्योंकि उन्हें अपने डिब्बे में जल्दबाजी में चढ़ना पड़ा था। बुरी तरह परेशान हो गये थे क्योंकि जब रेल चली तो उनका पुत्र पीछे रह गया था। महोदय, जब किसी का पुत्र पीछे रह जाये तो कोई क्या करने की सोच सकता है? उन्होंने अलार्म चेन खींच कर रेल रोकने की कोशिश की थी। मुझे बताया गया कि कई लोगों ने यह कोशिश की परन्तु रेल नहीं रूकी। सूचना यह थी कि वह काम नहीं करती थी। महोदय न सिर्फ उस रेल की बल्कि कई अन्य रेलों की भी अलार्म चेन काम नहीं कर रही है। किसे चिन्ता है? वे अगले स्टेशन पहुंचने से पूर्व ही मर गये, जो कि बोलपुर रेलवे स्टेशन है। शायद वे अब भी सांस के लिए छटपटा रहे थे। स्टेशन मास्टर को बुलाने के लिए आवाजें दी गयी। वे आये और उन्होंने उन सज्जन को डिब्बे से नीचे उतारा। उस स्टेशन पर या उसके पास किसी डाक्टर या एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहां से हजारों यात्री रेल में चढ़ते है। वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र बन गया है। इसके अतिरिक्त वहां ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शान्ति निकेतन, विश्व भारती एक ऐसी जगह जिस पर हम सभी को गर्व है, से सांस्कृतिक लगाव है। उनकी पुत्री ने कहा कि: "कृपया माननीय रेल मंत्री से कहिए कि ऐसा बुरा इस राष्ट्र में किसी के साथ न हो। मैं अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो चुकी हूं। वहां कोई मृत्यु प्रमाणपत्र भी नहीं बनवाया जा सकता था। वहां स्टेशन पर कोई डाक्टर भी नहीं था। स्टेशन अधिकारियों को लाश सौंपने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और तब शवपरीक्षा हुई।" मैं वहां था और मैंने उस परिवार को सहायता देने की कोशिश की। मैं उनके लिए अपने पूर्ण स्नेह के साथ माननीय रेल मंत्री से कह रहा हूं कि कृपया यात्रियों की और प्राथमिकता से ध्यान दें।

कल मैं गणदेवता एक्सप्रेस के वातानुकूलित कुर्सीयान में बोलपुर से कोलकाता आ रहा था। जैसे ही मैंने मेरी सीट के सामने वाली मेज खोली वह मेरे ऊपर गिर गयी। वह पूरी टूटी हुई थी। मैं कुछ कह नहीं सका। परन्तु मैं वाकई हैरान हो गया था। वे मेरे 40 वर्षीय मित्र थे। कई वर्षों तक हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय में साथ कार्य किया था। मैं थोड़ा भावनात्मक तौर पर प्रभावित हुआ। कल उनकी पुत्री ने मुझसे जो कहा उसे मैं नहीं भूल सकता हूं। उसने कहा: "जैसा मेरे पिताजी के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो कृपया ध्यान रखना।" वे स्वस्थ और उत्साही कलकत्ता लौट रहे थे। निःसंदेह वे हृदय रोग से काफी समय से ग्रस्त थे।

उन महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में क्या हो रहा है, जिनमें हजारों यात्री यात्रा करते है? विश्वभारती ट्रेन के बारे में हर कोई जानता है। वह सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाली रेलगाड़ियों में से है। यह रेलगाड़ी सुबह रामपुरा के लिए जाती है, कोलकत्ता के लिए नहीं जाती है।

कई लोग यात्रा कर रहे है। फिर भी आलार्म चेन काम नहीं कर रही है। यदि इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो जाती है तब भी रेलगाड़ी को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें बुलाना होगा। कृपया शांति-निकेतन आयें। मैं आपका उसी गर्मजोशी से स्वागत करूंगा जिसके आप योग्य है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने खर्च पर मेरे अच्छे मित्र श्री नीतीश कुमार के आगमन की सूचना भी प्रकाशित करूंगा। कृपया उन परेशानियों को आप स्वयं देखना जिनका लोग सामना कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा है आपके आने से पूर्व रेलवे में नयी संस्कृति थी। मेरे विचार से कम से कम मुझे मेरे पत्रों की स्वीकृति के रूप में प्रतिक्रिया मिलेगी। इन दिनों मुझे रेलवे से यह नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में मैंने उन्हें दो पत्र लिखे थे। एक दोहरीकरण के बारे में है और दूसरा उस भयभीत करने वाली शिकायत के बारे में है जो बोलपुर रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे मिली है।

जैसा कि आप जानते हैं गुरुदेव के जन्मदिन, पोंचिसे बौशाख पर हजारों लोग वहां जा रहे हैं। तत्पश्चात् बसन्त उत्सव होली के समय भी हजारों लोग वहां जा रहे है। उसे एक आदर्श स्टेशन में बदला जाना चाहिए। इस बारे में मुझे कितनी बार लिखना होगा? इस छोटी-सी सुविधा के लिए मुझे आपसे कितनी बार अनुरोध करना होगा? यह मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है। यह संपूर्ण लूप खंड के लिए है।

यह पूर्व रेलवे का अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड है। श्री नीतीश कुमार, मैं जानता हूं कि आपकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता देनी होगी। आप आज उस परिवार के बारे में सोचिए। उनकी बेटी फूट-फूट कर रो रही है और विलाप कर रही है उसने कहा कि कृपया आप चले जाइए। मैंने कहा कि मैं यह मामला माननीय मंत्री की जानकारी में लाऊंगा। मुझे विश्वास है वे इस मामले में पूरा ध्यान देंगे। उनके पिता को वापस नहीं लाया जा सकता है। वह इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते हैं लेकिन उन्हें इसी बात का संतोष होगा कि उनकी ओर उचित ध्यान दिया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जा रहा है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए, न कि चींटी की चाल से। पहले ही नौ वर्ष का समय लग चुका है। यह कार्य आधा या इससे थोड़ा अधिक हुआ है। यह कार्य अक्तूबर, 1994 में शुरू हुआ था। इसकी आधारशिला अक्तूबर, 1994 में रखी गई थी। अब वर्ष 2003 चल रहा है। लगभग आधा वर्ष बीत चुका है। इसमें और कितना समय लगेगा? मैं विनम्रता से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है लेकिन मेरी लड़ाई आम आदमी तथा यात्रियों की समस्याओं के प्रति रेलवे, समस्त प्रशासन के रवैये को लेकर है। असली यात्रियों को कष्ट झेलना पड़ा है।

वातानुकूलित कुर्सीयान में भी लोग खड़े रहते हैं। उसमें अत्यधिक यात्री घुस जाते है। हम सभी जानते हैं कि यह कैसे होता है। कल एक डिब्बे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश सवार थे और इसलिए उसमें किसी को प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह रेल व्यवस्था को चलाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे रेलवे के कर्मचारियों का पूरा ध्यान है। यहां रेलवे के निष्ठापूर्ण कर्मचारी भी है। वे बहुत मेहनत करते हैं। कल परिवार के कहने पर मैंने एक बहुत मददगार रेलवे कर्मचारी का उल्लेख किया था। मैंने उसका नाम बताया है। ऐसा कोई विशेष कृपया करने के लिए नहीं किया है लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा कर्त्तव्य है क्योंकि परिवार ने उसका नाम बताया कि अमुक व्यक्ति ने उनकी बहुत सहायता की। मैंने पत्र में उसका नाम लिखा है। लेकिन इस देश के वरिष्ठ नागरिक को उस स्थान के बारे में गुमराह करना कि डब्बा कहां आएगा और रूकेगा, एक बहुत गंभीर घटना है। यह पूर्णतः लापरवाही है।

दूसरा, आपात स्थिति के मामले में भी रेलगाड़ी को रोका नहीं जा सकता है। यह सर्वाधिक घोर लापरवाही है। किसी न किसी को नुकसान होता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर विचार करने की अपील करता हूं। वह पहले से ही विचार कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने मंडल, जोन को पुनर्गठित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके पूर्ववर्ती मंत्री वाली स्थिति नहीं हैं, वह कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वह सहानुभूतिपर्वक, विचारपूर्वक तथा अपनी सामर्थ्य से यह सुनिश्चित करेंगे कि साहिबगंज लूप सैक्शन पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

मैं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी को मेरे क्षेत्र का दौरा करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी और सभी राज्य मंत्री ने मिलकर बिलासपुर के रेलवे जोन का उद्‌घाटन किया और बिलासपुर में बहुत सी नई रेलगाड़ियां चलाई। बहुत से स्टापेज दिये, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। बिलासपुर एक राजधानी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है। वहां सुपरफास्ट एक्सप्रैस गाड़ी तथा राजधानी एक्सप्रैस जो बिलासपुर से रायपुर तक चलती है, उसमें अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं जो मासिक टिकट लेते हैं लेकिन वह गाड़ी खाली रहती है और इससे रेलवे को आमदनी नहीं हो पा रही है। मासिक टिकट चालू किये जाएं जहां से वहां के व्यापारी, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग जो हजारों की संख्या में जाते हैं जिससे रेलवे को आमदनी हो तथा उन यात्रियों के आने जाने में छत्तीसगढ़ राज्य को सुविधा मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। बिलासपुर से चिरमिरी जो एक्सप्रैस गाड़ी चलती है, उसको दूर तक बढ़ाया जाना उचित होगा। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिलासपुर से मंगला-जबलपुर-मुंगेली से जाने वाली नई रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। उसे जबलपुर-वसंसेनपुर वाले रोड से जोड़ दिया जाए जिससे पचास कि.मी. की दूरी की बचत होगी जहां से डोलमाइन तथा अन्य जो खनिज सम्पदा है, उसकी ढुलाई से रेलवे को फायदा होगा। बिलासपुर नया रेलवे जोन बनने से वहां के लोगों की रोजी-रोटी की समस्या भी हल होगी तथा नौकरी में भी भर्ती की आवश्यकता है। इसलिए बिलासपुर में नये रेलवे भर्ती बोर्ड का गठन किया जाए। बिलासपुर जिले के अंतर्गत वलगहना एक स्टेशन है जहां लोकल गाड़ियां पिछले समय रूकती थी, वे अब रोकी नहीं जा रही हैं। इसलिए उनका स्टापेज दिया जाए जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और रेल बजट पर धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विषय से हटकर बोलूंगा। मेरा भाषण लगभग आपके भाषण की तर्ज पर है लेकिन यदि मैं उसी तरह से भाषण दूंगा तो माननीय मंत्री सोचेंगे कि मैं उनका अनुकरण कर रहा हूं। इसलिए मैं आम मुद्दों की बजाय खास मुद्दे के बारे में बात करूंगा।

मैं बरक घाटी नामक स्थान का हूं जो मणिपुर और त्रिपुरा से भी जुड़ा हुआ है। जैसाकि त्रिपुरा के माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है कि यह क्षेत्र बहुत उपेक्षित है। मैं कई बार माननीय रेल मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री से मिला। मैं एक माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री से मिला हूं और मैंने उनसे अनुरोध किया कि रेलवे को और अधिक धनराशि देकर उसकी सहायता की जाए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को कुछ रेलगाड़ियां और कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकें।

संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान, श्री देवेगौडा और श्री राम विलास पासवान ने लमडिंग से सिल्चर तक आमान परिवर्तन परियोजना दी थी। मैंने पिछले बजट के दौरान लम्बा भाषण दिया था और मेरी अपेक्षा थी कि कुछ किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मंत्री न्याय नहीं कर सके। मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने अव्यपगत निधि से कुछ धनराशि प्रदान करने की भरसक कोशिश की थी। मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि माननीय मंत्री ने कोशिश की लेकिन उस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि कश्मीर घाटी में कुछ विशेष लाइनों के लिए भारी धनराशि दी गई है।

उन्होंने इसे कोई मैगा रेलवे लाइन परियोजना बताया। इसके बाद भी, मैंने सोचा कि कुछ तो होगा। लेकिन इस विशेष बड़ी रेल लाइन के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता हूं माननीय रेल मंत्री को हमारे भाषण पढ़ने का समय है या नहीं अथवा उनका निजी स्टाफ या रेलवे बोर्ड के सदस्य उनका ध्यान इस ओर दिलाएंगे या नहीं। इस बात पर विचार करते हुए कि यदि इस तरह का बजट आबंटन जारी रहता है तो इस लाइन को पूरा करने में पंद्रह वर्ष का समय लगेगा। मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था और पुन: अनुरोध कर रहा हूं कि यदि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने लमडिंग से गुवाहाटी तक मीटर गेज लाइन को वापस क्यों ले लिया? आप गुवाहाटी से मीटर गेज पर रेलगाड़ी आने दीजिए जैसाकि पहले आती रहती है। लमडिंग में ही माल दूसरी गाड़ी में माल उतारने-चढ़ाने में बहुत समय लगता है। यहां लोगों का एक बड़ा गिरोह इस रेलगाड़ी से सारा सामान लेकर भाग जाता है क्योंकि वहां सामान उतारा जाता है और एक स्थान पर रख दिया जाता है और इसके बाद उसे दूसरी गाड़ी में चढ़ाया जाता है। नि:संदेह आप कह सकते हैं कि जिन्हें नुकसान होता है उन्हें मुआवजा मिल रहा है। लेकिन किसकी कीमत पर यह किया जाता है। आप राष्ट्रीय राजकोष की कीमत पर यह धनराशि दे रहे हैं। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो?

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको इस पहलू की जांच करने हेतु एक लघु समिति गठित करनी चाहिए कि यदि इस दर से धनराशि आबंटित की जाती है तो यह परियोजना पूरी होने में कितना ममय लगेगा। आप संसद में कहते हैं कि आपको निधि की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपके महाप्रबंधक जाते हैं और कहते हैं कि वह चार या पांच वर्ष में इसे पूरा कर देंगे। जब मैं सार्वजनिक भाषण में कहता हूं कि इसमें और समय लगेगा, तो लोग कहते हैं कि महाप्रबंधक आए थे और उन्होंने कहा था कि यह पांच वर्ष में पूरा हो जाएगा। क्या उसके पास कोई अल्लादीन का चिराग है कि वह 60 करोड़ रुपये के वार्षिक आबंटन से 1500 करोड़ रुपये की परियोजना पांच वर्ष में पूरी कर देगा? ऐसा बिलकुल नहीं है।

डिब्बों की हालत बहुत खराब है। त्रिपुरा की जनता मुझे कहती है कि मैं उनके क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं और यह स्थिति है। धर्मपुर जाने वाली रेलगाड़ी के डिब्बों में पानी रिसता है। लोग रेलगाड़ी की छत पर रखने के लिए अपने साथ प्लास्टिक शीट लेकर चलते हैं ताकि वे अंदर पानी से सुरक्षित रहें। वे शौचालय जाने के लिए पानी की बोतल रखते हैं क्योंकि यहां शौचालयों में पानी नहीं आता है।

मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन श्री सोमनाथ चटर्जी को यह कहने का अधिकार है कि आप विज्ञापन तथा अन्य बातों पर खर्च कर रहे हैं क्योंकि वे इस सभा में पितृतुल्य हैं। लेकिन यह सच है। श्री नीतीश कुमार, यह सच है। यह आपको शोभा नहीं देता।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपके अधिकारियों को मेरे पत्रों का उत्तर क्यों देना चाहिए? उत्तर पूरे नहीं होते हैं। मैं भी भूतपूर्व मंत्री हूं। जब मुझे आपके अधिकारियों से पत्र प्राप्त होते हैं तो मैं उन्हें फाड़ कर फेंक देता हूं। मुझे रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव अथवा सदस्य से उस पत्र का उत्तर नहीं मिलना चाहिए जो मैंने स्वयं आपको लिखा हो। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप न लिखें। लेकिन एक संसद सदस्य के पत्र का उत्तर अधिकारी क्यों दें? 'राजग' सरकार ने एक नई प्रथा शुरू कर दी है। केवल आप ही नहीं अपितु अनेक मंत्री ऐसा करते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि मंत्री महोदय दिल्ली नहीं है और उन्हें उत्तर लिखने की सलाह दी गई है।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि एक संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के सात से आठ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हमें माननीय मंत्री से उत्तर मिलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: श्री संतोष मोहन देव, मैं स्पष्ट कर दूं ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: जी नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके भाषण में व्यवधान नहीं डालूंगा। यदि आप इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मैं धाराप्रवाह नहीं बोल पाऊंगा। यह रेलगाड़ी की भांति है, यदि एक बार व्यवधान डाला तो गति खत्म हो जाएगी और गति धीमी हो जाएगी। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, बाद में कहिएगा।

वस्तुत:, आप मेरे अच्छे मित्र है। मुझे इस बात की चिंता है कि यदि आप पत्र का उत्तर देंगे तो आपको पता रहेगा कि आप

[श्री संतोष मोहन देव]

क्या उत्तर दे रहे हैं और यह बात आपके ध्यान में रहेगी। इससे संसद सदस्य को फायदा होगा। जब आप मुझे उत्तर देंगे तो आप जानते होंगे कि संतोष मोहन देव को यह चाहिए था, आप उत्तर नहीं दे पाए और जब आपको अवसर मिलेगा तो यह बात आपके ध्यान में आ जाएगी। लेकिन यदि एक अधिकारी उत्तर देता है तो यह आपके ध्यान में नहीं रहेगा। उत्तर देने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने कुछ न्याय करने की कोशिश की है। मैं यही कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि आपको अपने अधिकारियों को कहना चाहिए कि आपको एक फाइल प्रस्तुत करें ताकि आप उसका अध्ययन कर सकें तथा स्थिति जान सकें।

उस दिन मैं आपसे कक्ष में मिला था। आपने किसी अधिकारी अथवा निजी सचिव को कहा कि इसको देख लें। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने आपकी चाय नहीं ली। मैं आपके कार्यालय से बाहर आ गया। मैंने मंत्री के रूप में कभी भी सदस्यों से इस तरह का व्यवहार नहीं किया। यदि कोई सदस्य मेरे पास आता था, तो मैं उसे पूरा सम्मान देता था और अपने निजी सचिव के माध्यम से नहीं, स्वयं कहता था कि दादा हम देखेंगे, भाई हम देखेंगे। क्या हम मंत्रियों से इसी तरह से व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।

दूसरा बात यह है कि आपने कुछ रेल मंडलों की घोषणा की है। आपने कुमारी ममता बनर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वह अब 'भाजपा' के साथ हैं। उन्हें वहीं रहने दीजिए। बदरपुर में एक रेल मंडल की लंबे से मांग की जा रही है। एक बार श्री जाफर शरीफ और बाद में श्री राम विलास पासवान ने कहा था कि वहां रेल मंडल नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वित्त विभाग को इस पर घोर आपत्ति है। हमने मान लिया। अब उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है लेकिन इस समय वे कह रहे थे कि बदरपुर क्षेत्र में रेलवे द्वारा उन्नयन किया जाएगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मामले की जांच करें। मैं आपसे आबंटन पर भी गौर करने का अनुरोध करता हूं। मैं हर बार आपको लिखता हूं। सीमेंट को लाया ले जाया जाता है। अन्य वस्तुओं को भी लाया ले जाया जाता है। क्योंकि मैं अक्सर उन्हें पत्र लिखता रहता हूं, इसलिए कई बार अधिकारियों को लगता है कि संतोष मोहन देव को व्यवसायियों से कुछ मिलता है।

हाल ही में, चाय बागान और उचित दर की दुकानों में चावल नहीं थे। मैंने दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को फोन किया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डिब्बा नहीं है। यह क्या है? इसके अलावा, यदि निर्धारित समय पर खाद्यान्न नहीं पहुंचता है तो दिया गया कोटा व्यपगत हो जाता है। यह नियम है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो बिहार के आपके सहयोगी हैं, को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया है और अनुदेश दिया है कि यदि डिब्बों के आबंटन में कुछ बकाया रह जाए तो, कोटा व्यपगत नहीं होना चाहिए और स्थिति में सुधार हुआ। तभी हम जनता को कह सकते हैं कि काम हो गया है। इससे मेरा नाम नहीं होगा; इससे आपका नाम होगा। हमें लोगों से पत्र मिले हैं। उन्होंने ऐसा करने हेतु रेल मंत्री तथा आपको बधाई दी है। इस तरह इसमें सुधार हुआ है। सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं तथा चावल, गेहूं और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं हमारे देश के इस भाग में विलासिता की वस्तुएं नहीं है। ये रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं।

आज मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि क्या उन्होंने आपकी जानकारी में यह बात डाली है कि हाल ही में लमडिंग-सिल्चर लाइन 20 दिनों से बंद पड़ी थी? आपको पता नहीं है। आप मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आपको बताने का भी काम नहीं किया। वह क्यों बंद हो गई थी? यह भूस्खलन के कारण बंद नहीं किया गया था; यह आतंकवादी गतिविधियों के कारण बंद हुआ था। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रैस के कुछ लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों के बारे में पूछा "आप इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने जा रहे है उसकी क्या स्थिति होगी?" उन्होंने उत्तर दिया "हम आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक बार रेलवे लाइन बिछ जाने दीजिए तो यहां रेलगाड़ी चलेगी।" यह अच्छा है। क्यों? यह हमारी जीवन रेखा है। इन सभी चीजों के बावजूद यह हमारी जीवन रेखा है। किसी रेलगाड़ी पर कोई हमला हुआ तो उसे रोक दिया गया। पहले तो वहां रेलगाड़ियों की कोई आवाजाही नहीं थी फिर बाद में वहां रात्रि में रेलगाड़ियों का कोई आवागमन नहीं था।

यदि मैं आपके महाप्रबंधक को टेलीफोन करता हूं तो वे बैठक में होते है। पहले रेलवे के महाप्रबंधक टेलीफोन का जवाब देते थे। अब वहां कोई भूतपूर्व सैनिक है वह सेना का उच्च्व अधिकारी है। वह संसद सदस्यों और उनसे बात करने की परवाह नहीं करता। यह सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)* वे यहां उपस्थित हैं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि एक बार उन्हें धमकाया गया था, अगली बार उन्होंने टेलीफोन करके मुझे बताया कि वह इतने बुरे नहीं है जितना कि मैं उन्हें समझता था। मैंने कहा कि मुझे इनसे शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत महाप्रबंधक के बारे में थी। मैंने पूछा कि क्या वे महाप्रबन्धक हैं? क्योंकि मैंने महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप मे नहीं देखा था।

यह शिष्टाचार की बात है कि जब भी आप मेरे क्षेत्र में आएं तो अपने कार्यक्रमों का ब्यौरा मेरे पास भेजें तो मैं गुलदस्ता लेकर आपको स्टेशन पर लेने आऊंगा। यदि मुझे सूचना दी जाए तो मैं

आपको लेने आने वाला पहला व्यक्ति हूंगा। मैं जानता हूं कि आप हर विधायक या सांसद से नहीं मिल सकते। जब हमें कोई विचार-विमर्श करना होगा तो हम स्वयं आपके पास आएंगे। हमारी व्यवस्था में यह खामी है कि कार्यक्रमों का कोई ब्यौरा हमारे पास नहीं भेजा जाता। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, रेलवे बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए। रेलवे बोर्ड के सदस्य इतनी जल्दी बदल रहे है जैसे केन्द्रीय मंत्री और मायावती सरकार में मंत्री बदल रहे हैं। हर छह महीने में किसी न किसी पद पर रेलवे बोर्ड में एक नया सदस्य होता है। इस बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं कहता हूं कि जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है वह काफी प्रासंगिक है। शान्ति निकेतन, गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्थान है। एक दिन मैंने अपना टेलीविजन चलाया तो देखा कि सैंकड़ों, हजारों लोग वहां बैठे थे और नृत्य, नाटक आदि चल रहा था। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को बता रहा था कि अधिकांश चिकित्सक और मंत्री मुझे बताते हैं कि अब शान्ति निकेतन ठहरने के लिए सबसे उत्तम स्थान है बशर्ते वहां के सांसद उपस्थित न हों। यह कोलकाता के लोगों का एक अच्छा गंतव्य है, इस विचार से मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे ज्ञात है कि कई क्षेत्रों में आपने ऐसा किया भी है। आपने दार्जिलिंग में टाय ट्रेन में सुधार किया है जिसे पर्यटक पसंद करते हैं। इस स्टेशन का ध्यान रखा जाए और यह कार्य अच्छी तरह कीजिए ताकि और लोग इस तरफ आकृष्ट हो सके।

मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि आप तीव्र गति की गाड़ियों और लम्बी दूरी वाली रेलगाड़ियों में टेलीफोन देने पर विचार कर रहे हैं। यह एक अच्छा विचार है लोगों द्वारा चोरी किये जाने वाले अलार्मों के स्थान पर कुछेक डिब्बों या गार्ड के पास यदि कोई टेलीफोन होता तो यह कठिनाई दूर की जा सकती थी और इसे बचाया जा सकता था।

मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी आप पूर्वी भारत से हैं। मैं आपको उत्तर-पूर्व भारत का मंत्री मानता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए आप मेरी इस आमान परिवर्तन की मांग को अपनी लाइन समझिए। इससे हमारे क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं आपको हाल ही में रंग्या में एक नया मंडल स्थापित करने पर बधाई देता हूं। यह एक बहुत समय से लम्बित मांग थी जो आपने पूरी की है।

आपने यह भी घोषणा की है कि रेलवे में कुछ रोजगार दिये जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है। यह वास्तव में दिया जाना चाहिये क्योंकि इसमें अब गतिरोध आ गया है यद्यपि प्रधानमंत्री जी कह रहे है कि वे दो लाख या 10 लाख लोगों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। वह भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन रेलवे, टेलीफोन और अन्य उद्योगों को लोगों के रोजगार के लिए खोला जाना चाहिए। हर घर में चार-पांच अर्हता-प्राप्त बच्चे बेरोजगार हैं। यह एक कठिनाई बन गयी है। यदि आप दिन में 100 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 50-60 लड़के और लड़कियां वे होते हैं जो कि काफी पढ़े-लिखे हैं और रोजगार की तलाश में है।

इन शब्दों के साथ, कुछ आपत्तियों के बावजूद मैं इस बजट का समर्थन करता हूं मैं चाहता हूं कि यह बजट पारित होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उनके इस समर्थन के लिए कोई विशेष कृपा न दी जाए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेलवे विनियोग विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय रेलवे मंत्री को सदन में उनके द्वारा किये गए वायदे के अनुसार सुरक्षा मामले में 'श्वेत पत्र' जारी करने के लिए बधाई देता हूं। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को हमें लघु पैमाने पर नमक बनाने वालों की बात रखने का अवसर देने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, लघु पैमाने पर नमक विनिर्माता खाद्य नगम पर रेलवे भाड़े में 125 प्रतिशत की वृद्धि के कारण परेशान हो रहे हैं। इस वृद्धि के कारण 30 प्रतिशत छोटे पैमाने की इकाईयां मजबूरन बंद करनी पड़ी हैं। इसमें लगे 1 लाख से भी अधिक श्रमिक, जिनमें से अधिकांश अकुशल है, बेरोजगार हो गये है। ये हमारी काफी समय से लम्बित मांग है और माननीय मंत्री जी ने इसे विशेष रूप से सुना था। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने और रेल भाड़ा वृद्धि की समीक्षा करने का आग्रह करूंगा।

मैं मंत्री जी को काफी बड़ी-बड़ी रेल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। इन बड़ी परियोजनाओं में से एक मेरे संसदीय क्षेत्र में है, समखियाली से पालनपुर तक आमान परिवर्तन का कार्य इससे दिल्ली और कांडला के बीच की दूरी कम हो जाएगी।

कांडला पत्तन राजधानी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे क्षेत्रों सहित पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र कच्छ के बहुत से लोग-पांच लाख से अधिक लोग मुम्बई में रहते हैं। भुज और मुम्बई के बीच एक अन्य एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने की मांग काफी समय से लंबित है।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

सायं 6.00 बजे

अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से उस मांग को पूरा करने का आग्रह करूंगा। क्योंकि यह काफी समय से लम्बित मांग है।

गांधीधाम और वडोदरा के बीच एक इंटर-सिटी रेलगाड़ी चलती थी जो कि रद्द कर दी गयी थी। इसके कारण स्थानीय लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से भुज और वडोदरा के बीच फिर से इंटर-सिटी रेलगाड़ी चलाने का आग्रह करूंगा जिससे काफी लोगों को मदद मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए बहुत सी रेलगाड़ियां चलायी हैं और दिल्ली और भुज के बीच चलने वाली गाड़ियों की बारम्बरता में भी वृद्धि की है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बरेली-दिल्ली और भुज के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की बारम्बारता भी बढ़ाएं। इसके साथ ही इस रेलगाड़ी में एक थ्री-टियर वातानुकूलित शयनयान डिब्बा भी लगाया जाए। अब भुज से बहुत सी रेलगाड़ियां चलायी गयी है अतः भुज रेलवे स्टेशन के उन्नयन की भी मांग उठी है।

गुजरात के कई भागों में लगातार तीसरे वर्ष सूखा पड़ रहा है। वहां पर घास की बहुत कमी है और घास को रेलवे द्वारा लाया जाना है। हमारी गुजरात सरकार और बहुत से संसद सदस्यों ने घास को लाने के लिए अतिरिक्त रैक प्रदान किये जाने का आग्रह किया है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली और भुज के बीच रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी चार माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं, डिमांड और बिल के पास होने की अवधि तक सभा की सहमति से कार्यावधि बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): माननीय सभापति महोदय, इस माननीय सदन में मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है जो कि इस विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र को लाभ प्रदान करे। सबसे पहले मैं रेलमंत्री जी को 11 वर्ष पहले, तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा की गयी घोषणा कि सत्यमंगलम और चामराजनगर के बीच नई रेल लाईन बिछाई जाएगी, की याद दिलाता हूं। यदि इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाता तो इससे सत्यमंगलम और गबिचेट्टिपालयम इरोड व पलानी से जुड़ जाते और रेलवे के मानचित्र पर आ जाते। मैं बड़े रोष के साथ रेलवे की अनुदानों की मांगों पर हो रही बहस में भाग लेते हुए मंत्री जी को उनके द्वारा किये गए वायदों की याद दिलाना चाहता हूं। वह योजना, जो कि बड़े जोर शोर से शुरू की गयी थी, अभी भी केवल कागज पर ही है और इसका कार्यान्वयन किया जाना है। मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि इस मांग को केन्द्र के समक्ष हमेशा उठाते रहे हैं कि मुद्दे को इस सम्माननीय सदन में उठाया है। मैंने रेल मंत्री के समक्ष भी इस मांग को उठाया था। लेकिन इस वर्ष के रेलवे बजट में भी नई रेलवे लाईन बिछाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। यहां तक कि सांकेतिक रूप से भी कोई आबंटन नहीं किया गया। मेरा केन्द्र सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि दीर्घ समय से लम्बित इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए, इससे अनुसूचित जनजाति, दूरस्थ गांवों में रह रहे गरीब लोगों और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच फैले विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे दलित लोगों को लाभ होगा। सत्यमंगलम-चामराजनगर रेल लाईन से इस क्षेत्र में आर्थिक सम्पन्नता आएगी। इसीलिए, मेरा रेलमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे इस मामले को देखें। आखिर इस सम्माननीय सदन में यह वायदा किया गया था अतः इसे पूरा किया जाना चाहिए। इन वर्षों में आप विभिन्न परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र की इस परियोजना को उपेक्षा की गयी है। आप इस बात का ध्यान रखिए की दीर्घ समय होने से इस परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए। कम से कम अगले बजट में इस परियोजना को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले से ही विलम्ब हो चुकी इस परियोजना को प्राथमिकता दें। इसे प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र को लाभ होगा जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है। मैं उस पहाड़ी भू-भाग के थलवाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां दूर-दूर तक सैकड़ों गांव बसे हैं।

तमिलनाडु में ही हम देखते हैं कि अब भी यहां अधिकतर मीटर गेज रेलवे लाईनें कार्य कर रही हैं। आमान परिवर्तन का कार्य एक दशक से भी अधिक समय से बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है। फिर इस मामले में तमिलनाडु उपेक्षित क्यों है? आपने दक्षिण रेलवे, विशेषकर तमिलनाडु के कई खण्डों में मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित क्यों नहीं किया? जब वहां

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जायेगा, तभी हम देश के शेष भागों से सीधे तौर पर जुड़ पायेंगे। केवल तभी वहां नई रेलगाड़ियां चलाई जा सकेंगी जिससे रेलवे और रेलयात्रियों को फायदा हो सकेगा। यह सरकार और जनता दोनों के लिए मददगार और लाभकारी साबित होगा।

1987 में जब हमारी पार्टी के संस्थापक और नेता डा. पुराची थलईवर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तब 87 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन इस परियोजना को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है और अब इसके लिए 500 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। इस परियोजना का केवल एक भाग पूरा हो सका है। चेन्नई महानगर का एक छोर से दूसरे छोर तक हो रहे विस्तार को ध्यान में रखकर, चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना को नये उत्साह से शुरू किये जाने की आवश्यकता है। कोलकाता और दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन चेन्नई की उपेक्षा हो रही है। तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री डा. पुराची थलाइवी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु सरकार चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने में केन्द्र को हर संभव मदद देगी। लेकिन उनकी इस घोषणा के बावजूद इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है और यह परियोजना अभी भी अधूरी और लंबित है।

दो दिन पहले हमने प्रधानमंत्री को यह घोषणा अखबारों में पढ़ी कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक तेजगति से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी। यह सच है कि बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराकर कन्याकुमारी को देश के विभिन्न भागों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। एक तीर्थस्थल और पर्यटन केन्द्र के रूप में कन्याकुमारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए शताब्दी रेलगाड़ियों की तरह लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच चलाये जाने की आवश्यकता होगी।

चलायी जा रही रेलगाड़ियों की तुलना में यद्यपि दुर्घटनाएं कम हो रही हैं तथापि हमें बेहतर सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। अधिकतर दुर्घटनाएं चौकीदार रहित रेलवे क्रासिंग पर होती हैं। इस दोष से निपटने के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की जानी चाहिए तथा इसमें क्षेत्र विशेष के स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए रेलवे क्रासिंग पर स्वचालित गेट लगाये जाने चाहिए। येरकाड एक्सप्रैस रेलगाड़ी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एरोड से चलती है। इस रेलगाड़ी में कई सुविधाएं नहीं हैं। रेल यात्रियों के बार-बार के अनुरोध के बावजूद इसमें प्रथम श्रेणी का डिब्बा नहीं है। हमने इस मामले को रेल प्राधिकारियों के समक्ष उठाया भी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चेन्नई जाने के लिए रेलगाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब भी मुझे संसद सत्र में उपस्थित होना होता है मुझे रेल यात्रा करनी पड़ती है। कई बार मुझे आरक्षित सीट नहीं मिल पाती है। वहां की जनता द्वारा और मेरे जैसे जन प्रतिनिधियों द्वारा इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रेलवे का मण्डल मुख्यालय आस-पास नहीं है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दूर है। यदि एरोड या सलेम में रेलवे का कोई मंडलीय मुख्यालय होता तो इस तरह की समस्याएं न होती। इन व्यापारिक केन्द्रों में से एरोड अथवा सलेम में रेलवे का नया मंडल मुख्यालय स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है।

अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं आपका ध्यान यहां धीमी गति से हो रहे आमान परिवर्तन तथा पर्याप्त धनराशि आवंटित न किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मुझे इस बात का खेद है कि इस मामले में तमिलनाडु को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में तमिलनाडु के सांसद मंत्री हैं। एक रेल राज्यमंत्री भी तमिलनाडु से हैं। कम से कम इन रेल राज्य मंत्री जी को तो तमिलनाडु के लिए अधिक धनराशि आवंटित कराने हेतु प्रयास करने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु आगे और उपेक्षित न रहे और अभी से ही सही, उसे रेल कार्यों में प्राथमिकता तो मिले। देश के उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने के उद्देश्य से रेलगाड़ियां चलाने हेतु वहां आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।

इस बात को पुनः दोहराते हुए कि साथी-चामराजनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पयाशीघ्र पूरा किया जाये और उसे एरोड तक बढ़ाया जाये, मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह हमारे राज्य तमिलनाडु की ओर भरपूर ध्यान दें ताकि वहां रेलगाड़ियों को चलाना लाभकर हो सके। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप चालू परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें तथा लंबित परियोजना पर तुरंत कार्य आरम्भ करें। कोलकाता और दिल्ली की तर्ज पर चेन्नई में भी चेन्नई मेट्रो रेल का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारी नेता डा. पुराची थलाइवी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने में हर संभव सहायता और सहयोग देने को तैयार है। चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु मैं सभापति को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): सभापति महोदय, मैं रेलवे की वित्त वर्ष 2003-2004 की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने

[श्रीमती रेनु कुमारी]

के लिए खड़ी हुई हूं। चूंकि इस बार बजट बहुत ही जनोपयोगी है इसलिए मैं अधिक भाषण नहीं दूंगी। माननीय मंत्री जी ने रेल के क्षेत्र में जो काम किए हैं, अगर मैं उस पर कुछ बोलूं, तो निश्चित रूप से वह सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। मैं अपनी ओर से रेल मंत्री, प्रधान मंत्री और रेल परिवार को बधाई देती हूं।

सभापति महोदय, मेरी एक-दो मांगें हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहती हूं। बिहार का खगड़ियां लोक सभा क्षेत्र पिछड़ा इलाका है। वहां बरौनी-कटिहार रेल खंड पर नगछिया एवं कटरिया रेलवे स्टेशनों के बीच बनिकपुर पर हाल्ट की महती आवश्यकता है। क्षेत्र की जनता लगातार दो वर्षों से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करती आ रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि बनिकपुर हाल्ट की स्वीकृति प्रदान कर वहां की जनता को लाभान्वित किया जाए।

सभापति महोदय, दानापुर कटिहार कैपीटल एक्सप्रैस 3245 अप और 3246 डाउन ट्रेन का बसराहा में ठहराव, यात्री शेड का निर्माण और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। गौहाटी-जोधपुर ट्रेन का खगड़िया रेलवे स्टेशन पर ठहराव, बरौनी-कटिहार रेल खंड पर स्थित दिवियाधार के सामने मुख्य रेल पथ पर हरिक एवं नगछिया रेलवे स्टेशनों हेतु मददपुर ग्राम के पश्चिम में एक स्विफ्ट गेट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि माननीय रेल मंत्री जी जब जल भूतल परिवहन मंत्री थे, तब इन्हीं के आशीर्वाद से खगड़िया एन.एच. में कलवर्ट का निर्माण किया गया था क्योंकि वहां कलवर्ट बनाने की बहुत आवश्यकता थी। इसके अभाव में लोगों की फसलें चाहे वह केला की हो या धान की फसल हो, सब डूब जाती थी, लेकिन कनवर्ट के निर्माण से अब फसल नहीं डूबती है और फसल भी अच्छी हो रही है जिससे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जब तक रेलवे में कलवर्ट या स्विफ्ट गेट नहीं बनता है, तब तक वहां के लोगों को परेशानी पैदा होती रहेगी। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि मददपुर गांव में रेलवे का एक स्विफ्ट गेट बनाया जाए या कलवर्ट बनाया जाए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि समस्तीपुर-खर्गाड़िया मीटरेगज लाइन का आमान परिवर्तन करने के लिए इस वर्ष केवल मात्र 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो कि बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि यह कार्य शीघ्र पूरा हो सके। हमारे खगड़िया जिले का एक प्रखंड बेलदौर बहुत ही पिछड़ा प्रखंड है और आज जब लोग चांद पर पहुंच चुके हैं तब भी हमारे इस प्रखंड में रेलवे लाइन नहीं है। प्रखंड के अमीर लोग तो रेल से कहां से कहां चले जाते हैं, लेकिन गरीब और पिछड़े लोगों को रेल देखने तक को नहीं मिलती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि बिहारीगंज से वाया किसनगंज-आलमनगर-बेलदौर होते हुए महेस खुंट तक नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए ताकि वहां की जनता धन्य-धन्य हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि खगड़िया में एकमात्र ढाला, जो पूर्वी केबिन है, वह अति व्यस्त रहता है। प्रतिदिन वहां से 40 जोड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। उस पार अस्पताल और बहुत सारे आफिस वहां हैं। वहां आम लोगों का जनजीवन बहुत अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसलिए हम मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहेंगे कि वे खगड़ियां में एक ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करें।

अंत में इन्हीं चंद शब्दों के साथ मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगी कि वे खगड़ियां रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी का ठहराव मात्र दो मिनट के लिए ही करें और वह भी मात्र छः महीने के लिए करें। अगर छः महीने में उन्हें लगेगा कि रेलवे को बहुत हानि हो रही है तो उसे बंद करवा दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, आपके रेल बजट पर मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री को विपक्ष की ओर से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। यद्यपि मेरा दल, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) भी विपक्ष में हैं, फिर भी मैं रेल मंत्री जी की उदारता और सदाशयता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब कभी हम संसद सदस्यों ने चाहें सत्तापक्ष के हों चाहें विपक्ष के हों-माननीय मंत्री जी से मिलना चाहा वह सदैव उपलब्ध रहे और उन्होंने हमारी समस्याओं के प्रति पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से ध्यान दिया।

तथापि, 1947 से पंजाब में भारतीय रेलवे द्वारा जो राजस्व अर्जित किया गया है वह वहां किये निवेश से कहीं अधिक है। यहां के शहर फिरोजपुर के सीधे अमृतसर, वाया खेम-करन से जोड़े जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए भी एक वैकल्पिक रेलमार्ग हो सकता है। ईश्वर न करे ऐसा हो लेकिन फिर भी यदि दिल्ली पठानकोट-जम्मू रेलमार्ग पर कोई तोड़-फोड़ की कार्रवाई हो जाये तो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर इस रेलभार्ग को एक वैकल्पिक रेलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

इससे भी बढ़कर बात यह है कि हम सिख लोग भावनात्मक रूप से स्वर्णमंदिर से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। मालवा के

सिखों के लिए सीधे अमृतसर आने हेतु कोई रेलगाड़ी नहीं है। दूसरी बात यह कि धौलाधर एक्सप्रैस दिल्ली से पठानकोट के बीच चलती है। हम चाहते हैं कि यह ट्रेन अमृतसर से पठानकोट की ओर ले जायी जाये ताकि पूर्वी मालवा क्षेत्र में रहने वाले सिखों हेतु अमृतसर के लिए सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध हो सके।

पंजाब में आलू की पौध के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु है और वहीं से पूरी देश की जरूरत पूरी होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारे पास पौध को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए कोई प्रशीतित रेलवे वैगन नहीं हैं। हम अपनी आलू की पौध वाया चेन्नई श्रीलंका तथा बांगलादेश और नेपाल में निर्यात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

दूसरे यह कि मैं माननीय प्रधान मंत्री के कश्मीर में दिये गये भाषण का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही है। पाकिस्तान को भी इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि उसने भी इस बारे में काफी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम पंजाबी लोग भारत और पाकिस्तान के बीच शांति में विशेष रुचि रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। यदि रेल विभाग पेशावर तक मालगाड़ियां चलाने लगे तो हम अपनी आलू की पौध अफगानिस्तान में भी निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी आवश्यकता की समस्त आलू पौध हालैंड से खरीदता है।

सायं 6.20 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

हम अपनी आलू पौध अफगानिस्तान को आधी कीमत पर बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत-पाक संबंधों में अब थोड़ी गरमाहट आयी है, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता एक्सप्रेस फिर से चलायी जाये ताकि हमारे देश के मुसलमान जिनके बहुत से संबंधी पाकिस्तान में हैं और बहुत से पाकिस्तानी जिनके बहुत से संबंधी पंजाब में हैं, विशेषकर हमारे निर्वाचन क्षेत्र संगरूर के मरेलकोटला में इससे लाभान्वित हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी क्या होता है कि यदि कोई मुसलमान पंजाबी पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसे खाड़ी से होकर जाना पड़ता है, लेकिन यदि समझौता एक्सप्रेस फिर से चलायी जाती है, तो दूरी कम हो जायेगी और गरीब मुसलमान पाकिस्तान के अपने संबंधियों से आसानी से मिल सकेंगे और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हमारे पंजाब आकर अपने रिश्तेदारों से मिल पायेंगे। यह एक मानवीय समस्या है और इसका समाधान किया जाना चाहिए।

अभी हाल में जब मैं तमिलनाडु में था, तो चेन्नई के सिखों ने मुझे बताया कि उन्हें एक ऐसी रेलगाड़ी की जरूरत है जो सीधे अमृतसर जाती हो। माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार सिखों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने हाल में अमृतसर से जमशेदपुर के लिए एक रेलगाड़ी चलायी है। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा यदि चेन्नई से कोई रेलगाड़ी सीधे अमृतसर के लिए चलायी जाती है या यहां से कुछ ऐसी बोगियां उसमें लगायी जाती हैं जो रेलगाड़ी के दिल्ली में समाप्त होने पर उन गाड़ियों में जोड़ दी जायें जो अमृतसर जाती हों।

महोदय, हमें पंजाब में इस क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। हमारी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हैं और चूंकि भारतीय रेल द्वारा पंजाब में कोई निवेश नहीं हो रहा है, मैं उनका आभार मानूंगा यदि वे सड़क मार्ग से गुजरने वाली रेल पटरियों के स्थलों पर रेलवे ऊपरि पुलों के निर्माण की घोषणा करें। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में गति आयेगी। इसके अलावा एक सचखंड एक्सप्रेस है। इस गाड़ी का सरहिंद जंक्शन पर एक ठहराव होना चाहिए क्योंकि यहां से सिख लोग महाराष्ट्र के नांदेड को जाते हैं।

मेरे पूर्व के निर्वाचन क्षेत्र तरण तारण में अब भी कोई कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र नहीं है। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह वहां एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलें।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि देश में ऐसे बहुत से स्टेशन हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें स्मारक बना दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इससे सहमत होंगे और इस ओर ध्यान देंगे।

अंततः मैं पंजाब आने वाले आप्रवासी भारतीयों के महत्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। वे हमारे रेलवे स्टेशनों को एकदम साफ सुथरा देखना चाहते हैं। इस समय हमारे रेलवे स्टेशन विष्ठा से अटे पड़े हैं और वहां बहुत बदबू आती है। मैं आभारी होऊंगा यदि रेल मंत्री रेलवे स्टेशनों तथा रेल पटरियों को साफ-सुथरा रखने का ठेका निजी कंपनियों को दे देते हैं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद तथा रेलमंत्री को शुभकामनाएं।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 की रेलवे के लिए अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बजट से ठीक पूर्व रेलवे मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के लिए मैं उनकी प्रशंसा और धन्यवाद देना चाहूंगा। विकलांग लोगों द्वारा रेल यात्राओं के

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

दौरान साथ ले जाने वाली पहिएदार कुर्सी पर लिये जाने वाले शुल्कों में छूट प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा उठाये गये कदमों का मैं स्वागत करता हूं। इसके बारे में मैंने रेल मंत्री को लिखा था और उन्होंने उस पर ध्यान देने की कृपा की और यह सामाम शुल्क न सिर्फ दक्षिण रेलवे से हटा लिये बल्कि भारतीय रेलवे के समूचे नेटवर्क से ही हटा दिये। इसी प्रकार रेल मंत्री द्वारा कुछ अन्य अच्छे कदम भी उठाये गये है और उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। खिलाड़ियों और इलाज के लिए यात्रा करने वाले बीमारों को भी अब रियायती भाड़े देने होंगे। वरिष्ठ पुरुष नागरिकों के लिए पात्रता उम्र कम करना भी प्रशंसनीय कदम है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे 20,000 लोगों को नियुक्त कर सकता है। यह स्वागत योग्य कदम है। समय के इस दौर में पदों का सृजन करने और लोगों की भर्ती करने के लिए बधाई देना मेरा पावन कर्त्तव्य है।

पांच नयी रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की गई है और मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु अभी भी तमिलनाडु में कई परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं। चेन्नई-कन्याकुमारी दोहरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग भी काफी समय से लम्बित है। आपकी बड़ी लाईन परिवर्तन योजना के बावजूद भी तमिलनाडु की 2000 कि.मी. लम्बी रेल लाइन मीटर लाइन ही बनी हुई है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में ही रेलवे लाइन के इतने बड़े भाग का आमान परिवर्तन कार्य लम्बित है। दक्षिण रेलवे में तमिलनाडु के लिए 40 करोड़ रुपये के लगभग अपर्याप्त आवंटन की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इतना कम आवंटन अनुचित है। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों के अनुसार आमान परिवर्तन कार्य को अत्यन्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी तमिलनाडु के विभिन्न भागों को शेष भारत से जोड़ने वाली नयी रेलगाड़ियों को प्रारम्भ करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो पायेगा। दक्षिण रेलवे और रेल मंत्रालय दोनों ने हाल ही में बताया है कि रेलवे को मालवाहक रेलगाड़ियों की बजाय यात्री रेलगाड़ियों से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। मेरे विचार से दोहरी-लाइन न होने की वजह से होने वाली देरी के कारण लोग माल ढोने के लिए मालगाड़ियों के प्रयोग की बजाय ट्रकों का प्रयोग करते हैं। चेन्नई-कन्याकुमारी दोहरी लाइन द्वारा रेल से माल ढोने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उदाहरण के लिए पिछले महीने एक बड़ा मालवाहक तृतीकोरन बंदरगाह आया था। अधिकांश माल उत्तरी सीमांत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों को भेजने थे। अधिकांश माल ट्रकों द्वारा भेजा गया था। इस माल का मात्र कुछ टन माल दक्षिण रेलवे द्वारा संचालित मालगाड़ी से भेजा गया था। इसका कारण यह बताया गया कि रेलों से माल के परिवहन में काफी देरी होती है। हां एक और बाधा है। डिंडीगुल-मदुरै खंड को अभी बड़ी लाइन में बदला जाना है। इसके कारण चेन्नई और कन्याकुमारी या चेन्नई और तूतीकोरन की रेलगाड़ियों का सीधा आना जाना प्रभावित होता है। जब कई राज्यों में आमान परिवर्तन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा चुका है तो फिर डिंडीगुल और मदुरै के बीच का मार्ग अभी बदला जाना बाकी क्यों है? मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे देश के कई गांवों में सीधा सम्पर्क करने और नयी यात्री और मालगाड़ियां प्रारम्भ करने में बाधा आयेगी। मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि डिंडीगुल और मदुरै के मध्य का आमान परिवर्तन कार्य और चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच लाइन दोहरीकरण कार्य तुरंत करवाया जायें। अभी हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्र मिलने के बाद रेलवे ने मदुरै और रामेश्वरम के बीच चल रहे आमान परिवर्तन कार्य पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मदुरै-मान मदुरै और मान मदुरै और रामेश्वरम के बीच के लाइन परिवर्तन कार्य को पूर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है। डिंडीगुल-मदुरै खंड का आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण होने पर ही रामेश्वरम से अच्छे संपर्क संभव हो पायेंगे। कोयम्बटोर से रामेश्वरम के बीच रेलगाड़ी चलाने के लिए भी यह आवश्यक है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मदुरै में यात्री निवास के निर्माण की परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी आधारशिला 1998 में स्वयं माननीय मंत्री ने रखी थी। यह परियोजना रेलवे के पास थी और रेलवे बोर्ड अब आई आर टी सी के पास स्थानांतरित किया जा चुका है। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए कदम उठायें।

यह बताया गया था कि रेलवे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 नये लोगों को भर्ती किया जायेगा। इसके लिए दक्षिण रेलवे में 'अप्रेंटिस स्कीम' उपलब्ध है। लोगों को डिब्बों के रखरखाव और डिब्बों की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस 'अप्रेंटिस स्कीम' के तहत उन योग्य और प्रशिक्षित लोगों को, जिन्हें प्रशिक्षण मिला हैं, रेलवे द्वारा काम दिये जाने की प्रतीक्षा है। उनकी संख्या लगभग 2000 है। जब नयी भर्ती की जायें तो इन्हें प्रमुख वरीयता दी जानी चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वे स्वयं रेलवे द्वारा प्रशिक्षित है। मैं मदुरै-जोधपुर और मदुरै-हावड़ा के मध्य नयी रेलगाड़ियां चलाये जाने के अपने अनुरोध को दोहराना चाहता हूं। रेल मंत्री जी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग पर कृपा करके ध्यान दे।

मदुरै में कुदाल नगर रेलवे स्टेशन नामक एक नये रेलवे स्टेशन के निर्माण की परियोजना को शामिल करने के लिए मैं रेल राज्य मंत्री श्री ए.के.एस. मूर्ति को धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि के आवंटन का अनुरोध करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, कृपया मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उत्तर के बाद स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबले पहले उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है। काफी माननीय सदस्यों ने पहले चरण में हिस्सा ले लिया था। कई माननीय सदस्यों ने दुबारा इस चर्चा में हिस्सा लिया है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमने पहले चरण के उत्तर में दिया है। आज भी कुछ खास विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। लेकिन सोमनाथ बाबू ने एक बात कही कि मैं उनके पत्रों को ऐक्नालेज भी नहीं करता। हमने तत्काल अपने कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त की और मुझे यह मालूम हुआ कि इस साल आपके छः पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं जिनका ऐक्नालेजमैंट हमने किया है। आपने खन्ना जंक्शन से मेंधिया के ऐक्नालजमैंट के बारे में कहा। आपने 26 फरवरी को चिट्ठी लिखी थी। हमने इसका ऐक्नालेजमैंट किया है। यह कौन सी डेट है, साफ नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मार्च की है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: कौन सी ट्रेन से भेजा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: हमारे पास उसकी फोटो कापी है। छः ऐक्नालेजमैंट हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि मुझे पता चलेगा कि गलती मेरी तरफ से हुई है तो मैं उसके लिए हृदय से बिना किसी शर्त के माफी मांग लूंगा। अन्यथा, माननीय मंत्री जी को भी जांच कर लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: हमारे पास जो आया है, डिस्पेच के साथ है। इसलिए हमने अभी फोटो कापी मंगवाई है। मैं सारे कागजात उनके पास भेज रहा हूं। इन्होंने चूंकि सदन में मुझे एक लैटर भेज कर ऐक्नालेजमैंट करवाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे सदैव इनसे उत्तर मिलते रहते थे इसी तरह से मैं परेशान था और मैंने यह बताया है। इन दो महत्वपूर्ण पत्रों का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भी, मैं दुबारा जांच करूंगा और यदि गलती हुई तो मैं सभा में स्वीकार करूंगा कि मेरी गलती थी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहते हैं कि उन्होंने पत्रों की पावती भेजी थी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैं कोई अन्यथा यह बात नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमको तो मिलना चाहिए। यह एक तरफा नहीं हो सकता है। सामान्यत: मैंने कभी शिकायत नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय: न केवल पावती अपितु उत्तर प्राप्त करना भी सदस्यों का अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री ने माना है कि उन्होंने दो माह में पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस प्रकार से एक पत्र मेरे पास फ्लोर में ही भेजा है, मैं इनकी छः चिट्ठियों की ऐक्नालेजमैंट की फोटो कापी इनको भिजवा रहा हूं। संसदीय लोकतंत्र की जो परम्पराएं हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। सोमनाथ बाबू का तो मैं परम सम्मान करता हूं और वे आउटस्टैंडिंग पार्लियामैंटेरियन हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि आप भी यहां बहुत अच्छी परफार्मेंस करते हैं और इनकी भी है। लेकिन यह डिफरेंस कैसे हो गया, यह मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: मेरी तरफ से अंतर नहीं हो सकता लेकिन इन्होंने यह बात कही, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो मैं सोच रहा था कि यह बहुत गलत है और इसके लिए मैं यहां क्षमा प्रार्थना करूंगा और तत्काल कापी भेजूंगा। यह मान्य परम्परा है कि यदि मंत्री के पास कोई माननीय सांसद चिट्ठी लिखेंगे, उनका ऐक्नालेज करना चाहिए। चाहे जो भी वक्त लगता हो, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में फाइनल रिप्लाई मिल जाये। लेकिन फिर भी रेलवे का इतना बड़ा

[श्री नीतीश कुमार]

तंत्र है, आप जानते हैं। मैं तत्काल ऐक्नालेज करना चाहता हूं लेकिन कभी-कभी अति कार्य व्यस्तता या उपलब्ध नहीं होने के कारण या संसद सत्र की व्यस्तता के कारण विलंब हो सकता है लेकिन ऐक्नालेजमैंट भेजना चाहिए और मैं यह कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूं, यह हमारा कर्त्तव्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है।

श्री नीतीश कुमार: क्योंकि सोमनाथ बाबू से बात शुरू हो गई है तो मैं इनकी बात पर ही चर्चा करता हूं। उन्होंने सवाल उठाया। एक बात और ये खाना-सैंथिया डबलिंग के बारे में बोल रहे थे कि यह कब पूरा होगा? पूरा डिकेड हो गया है तो कब पूरा होगा? अब इसके बारे में अभी हमने तत्काल जानकारी मांगी और जानकारी मिली है। यह आपका खाना से झपतस्थाल तक का 1992-93 में सैंक्शन हुआ था। यह पांच कि.मी. का था। यह कम्पलीट हो गया था। फिर झपतस्थाल से गुसकारा 15 कि.मी. यह 1993-94 में पूरा हो गया। 1993-94, हो सकता है कि यह काम शुरू करने का हो। यह जो इंक्लूजन आफ पिंक बुक होगा, मेरे ख्याल से यह है, यह कम्पलीट हो गया है। फिर गुसकारा से भोलपुर 19 कि.मी., यह भी पूरा हो गया है। अब भोलपुर से अहमदपुर 19 कि.मी. का है। यह प्रोग्रैस में है और इसी फाइनेंशियल ईयर में 2003-2004 में उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद अहमदपुर से सैंथिया 14 कि.मी. है। इसको हम 2004-2005 में पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि सभा में इसका रिकार्ड है।

श्री नीतीश कुमार: मैं सभा में यह मान रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: बहुत अच्छा। मैं आपका आभारी हूं। केवल इतना कहना है कि कृपया यह देख लीजिए कि ग्यारहवें वर्ष में यह पूरा हुआ है।

श्री नीतीश कुमार: सभा में घोषणा की गई थी; यह पूरा किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में हमें आशा की किरण दिखाई पड़ रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अभी इसके पहले मैं कुछ और बातो की चर्चा करूं, श्री किरीट सोमैया ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की चर्चा की और मुलुंद में जो बम बलास्ट हुआ था, उसमें जो प्रभावित लोग हैं, उनको जल्दी कम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसके लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी और रेलवे बोर्ड इस मामले में विशेष तौर पर चर्चा करेगा, ट्राईब्यूनल से भी चर्चा करेगा और कहीं से भी तथा रेलवे क्लेम्स ट्राईब्यूनल की बैंच में जो लोग हैं, जो ज्यूडिशियल मैम्बर हैं, वे वहां बैठकर उनके केसेज का तेजी से निष्पादन करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी दी गई है, कुल 82 केसेज हैं, जिनमें 11 कैजुअल्टी हुई हैं। 71 इंजरी के केसेज थे। जो अभी तक फाइल हुए हैं, जो केस रजिस्टर हुए हैं, वे 24 हैं। अगर कोई केसेज रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो रेलवे के अधिकारी उनकी मदद करेंगे और इस बारे में वहां के जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। किरीट सोमैया जी उनसे संपर्क कर सकते हैं जिससे सबकी मदद हो जाए। क्लैम्स के सैटलमेंट में देर लग सकती है तो बीच में भी उनको हम इंटेरिम रिलीफ दे सकते हैं जो उस एमाउंट में एडजस्ट किया जाएगा जो क्लेम्स का सैटल किया जाएगा। अगर ऐसा महसूस किया जाएगा तो उनको इंटेरिम रिलीफ के तौर पर दिया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

अब यहां पर ऐसी चर्चा आई है कि कुछ ट्रेनों के इंट्रोडक्शन को लेकर पिछली बार हमने जवाब दे दिया था। रामजी लाल सुमन जी ने चर्चा करते हुए कहा कि राजनैतिक दृष्टिकोण से ट्रेनें चलाई जाती हैं। राजनीति का बड़ा व्यापक अर्थ है। शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकोण से ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए लेकिन हम सब राजनीति में हैं और यहां बैठकर हम राजनैतिक फैसले भी करते हैं और जो सरकार चलाती है, वह राजनीतिज्ञ ही चलाते हैं तो अगर सांसदों के अनुरोध पर कोई काम करना राजनैतिक फैसला है तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई एतराज आपको हो सकता है। लेकिन शुद्ध राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ट्रेनों का चलाया जाना या कहीं की मांग को नजरअंदाज करना गलत होगा। जहां तक आपने जन शताब्दी के बारे में कहा। पिछले साल हमने 16 जनशताब्दी चलाई और यह कोशिश की गई थी कि जितने मेजर स्टेट्स हैं, सबको एक जनशताब्दी दी जाए और मेजर स्टेट्स कवर हो जाएं। यह सोचकर नई ट्रेन्स दी गई थीं। अब इस सिलसिले में झारखंड में जमशेदपुर से रांची से चलाई गई, वह सफल नहीं हुई। इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि टाटानगर से रांची की दूरी सड़क के वनस्पत रेल की ज्यादा है। इसलिए हमने उसकी समीक्षा की और जनशताब्दी को वहां से हटाकर उसकी जगह पर जो मांग थी, एमईएमयू सर्विस दी गई। इसी तरह से जमशेदपुर से हावड़ा के लिए 1985 से शताब्दी ट्रेन चल रही थी। उसकी आक्यूपेंसी बहुत कम थी। उसको हटाकर उसकी जगह हावड़ा और जमशेदपुर के बीच में जनशताब्दी चलाई गई और इसके बारे में मैंने पहले भी ऐलान किया था। जहां से भी जानकारी दी जाती है, एकपक्षीय

जानकारी दी जाती है और कई जनशताब्दी हैं। हम सारी चीजों की समीक्षा करते हैं। कहां-कहां शताब्दी ट्रेनें कम आक्यूपेंसी चल रही हैं। कहां-कहां जनशताब्दी की आक्यूपेंसी कम है। उसकी हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जहां बेहतर रूट्स हैं या जहां मांग है, उसी के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। जहां जनशताब्दी की जगह दूसरी गाड़ी चलाई जा सकती है, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मेरी कोशिश है कि जहां मांग आई है वहां कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, टाइम-टेबल के हिसाब से मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इलाके की उपेक्षा की गयी है और दूसरे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करें। जो लोग बाहर से आंकड़े मुहैया कराते हैं वे ज्यादा आशा रखते हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमने बहुत सी ऐसी गाड़ियां चलाई हैं जो सुपरहिट हुई हैं। सप्त-क्रांति के बारे में आप पता लगा लीजिए जिसकी चर्चा माननीय रघुवंश बाबू कर रहे थे। आगरा-कानपुर के रहने वालों से पता कीजिए। उनकी मांग थी कि कानपुर से दिल्ली के लिए कोई एक्सक्लूसिव ट्रेन होनी चाहिए। हमने श्रम-शक्ति एक्सप्रेस चलाई है, उसके बारे में पता कर लीजिए। कुछ गाड़ियां अगर कम आकूपेंसी की चल रही हैं, उनकी तो चर्चा हो रही है लेकिन कुछ गाड़ियां जो सुपरहिट हुई हैं उनकी कोई चर्चा नहीं करता। एक मिनट के लिए भी कोई नहीं कहता कि अच्छी गाड़ियां चलाई हैं। लेकिन जो लोग यात्रा करते हैं वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दिक्कत यह है कि राजनैतिक इरादे से गाड़ियां चले या न चलें लेकिन कुछ जानकारियां इस प्रकार की प्रचारित की जाती हैं जो मोटिवेटिड होती हैं। फिर भी जो प्रश्न आपने उठाया है, समीक्षा में मैं सभी रूटों को डालूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमें तो आपने कोई ट्रेन नहीं दी है।

श्री नीतीश कुमार: दादा, आप तो डबलिंग-प्रोजैक्ट के बारे में ज्यादा कंसर्न थे। उसके बारे में हमने स्पैसिफिक टार्गेट बता दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम तो पिछले दस सालों से ट्रेन मांगते हैं।

श्री नीतीश कुमार: आपके प्रोजैक्ट के बारे में हमने पूरी तरह से बता दिया है कि कब यह पिंक-बुक में आया और पूरा हो गया है। हम समझते हैं कि आपको संतोष होना चाहिए। आपने हमें खड़े होकर बधाई भी दी है।

श्री रामजीलाल सुमन: आगरा मंडल के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी। उसका विस्तार किया जाने की आवश्यकता है, उस पर भी प्रकाश डालें।

श्री नीतीश कुमार: वह अलग से होगा। वह डिबेट की चीज नहीं है। जो ट्रेनों के बारे में बातें आती हैं कि तमिलनाडु की बड़ी उपेक्षा हो रही है। मीटर-गेज लाइनों के बारे में बताया जाता है। हमने आंकड़े दिखवाए। हमने पाया कि एक अप्रैल 1992 को जो मीटर-गेज और नैरो-गेज पूरे इंडियन सिस्टम में 27349 किलोमीटर था वह तमिलनाडु में 2907 किलोमीटर था। लेकिन 31 मार्च 2003 तक जो इसमें से कंवर्ट हुआ वह कुल 10101 किलोमीटर था और तमिलनाडु में 995 किलोमीटर था। बाकी जो आन-गोइंग वर्क्स हैं जब ये पूरे हो जाएंगे तो सारे देश में 8940 किलोमीटर पूरा हो जाएगा और तमिलनाडु में 632 किलोमीटर पूरा होगा। मुझे माफ करेंगे, जो मीटर-गेज और नैरो-गेज लाइनें बच जाएंगी, ये जितने आन-गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं ये पूरे हो जाएं तो देश में मीटर-गेज और नैरो-गेज लाइनें 8940 किलोमीटर बचेंगी जबकि तमिलनाडु में 632 किलोमीटर बचेंगी। पूरे देश में जो एक्जिस्टिंग लाइन्स में बचता है वह 32.69 प्रतिशत बचता है जबकि तमिलनाडु में 21.74 प्रतिशत बचता है। कहा गया कि अखिल भारतीय संदर्भ में तमिलनाडु की उपेक्षा हो रही है। मैं कह सकता हूं कि उपेक्षा नहीं हो रही है लेकिन लोगों के मन में यह धारणा पैदा हो जाती है। इस प्रकार किसी प्रान्त की उपेक्षा न हो।

कुछ प्रोजैक्ट्स की चर्चा की गई है, लेकिन मैं एक प्रोजैक्ट के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। रामेश्वरम से मदुरै एक गेज कन्वर्जन प्रोजैक्ट है और इसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मदुरै से मानामदुरै की दूरी 48 किलोमीटर है। इस लाइन का कन्वर्जन कार्य जून, 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा। मानामदुरै से रामेश्वरम की दूरी 113 किलोमीटर है। इस लाइन का कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा। लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजनायें हैं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: आप बाद में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: यह मानामदुरै से तिरूचि तक होनी चाहिए। लेकिन आप इसे मदुरै से मानामदुरै तक बना रहे हैं। यह उपयोगी नहीं होगी।

श्री नीतीश कुमार: मैं देश में सभी रेल परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। यह मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: इसकी अनुमति है। 25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई थी।

श्री नीतीश कुमार: यह रेल परियोजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जा रही है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: धन्यवाद।

श्री नीतीश कुमार: इसलिए मैंने संबंधित रेल बोर्ड के सदस्य से विधिवत् परामर्श करने के बाद लक्ष्य तिथि की घोषणा की है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री नीतीश कुमार: उन्होंने मुझे यह लक्ष्य दिया है। यह किया जा सकता है। पर्याप्त निधि यथासमय आबंटित कर दी जाएगी।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: इसे तिरूचि से मानामदुरै और फिर रामेश्वरम तक बनाया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री नीतीश कुमार: महोदय, मैं सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

महोदय, श्री देवगौडा जी ने कुछ बातें कही हैं। वे सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने बीजापुर-गडग लाइन के बारे में कहा है। यह लाइन के-राइट के अंतर्गत 50-50 कास्ट शेयरिंग बैसेस पर तय हुई है। हम लोगों ने इस लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए हैं और 10 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार को देने हैं। उम्मीद है, इसमें प्रोग्रैस होगी। इसी प्रकार हुबली-अंकोला लाइन के बारे में भी इनप्रिंसिपल तय किया है कि के-राइट के अंतर्गत इसको लिया जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फिर भी हम अपनी तरफ से 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं और इस काम को तेज करने का प्रयत्न करेंगे।

इसी प्रकार माननीय सदस्य, स्वामी चिन्मयानन्द जी ने ओनिहार-जौनपुर लाइन के बारे सवाल उठाया है। इनप्रिंसिपल प्लानिंग कमीशन के पास प्रस्ताव एप्रूवल के लिए भेज दिया है। इस लाइन पर डीएमयू चलाने का सुझाव दिया है। यह मीटरगेज सैक्शन है और उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि डीएमयू चलाई जाए। इसलिए इस लाइन के रिन्युअल के लिए सैंक्शन किया है, ताकि इसको इस लायक बनाया जा सके। रिन्युअल का काम किया जाएगा, जब तक गेज कन्वर्जन प्रोजैक्ट सैक्शन किया जाता है। माननीय सदस्य, श्री रासा सिंह रावत जी ने अजमेर वर्कशाप के बारे में सवाल उठाया है। बीजीडीएल के लिए पीओएच होगा और उसके लिए 4 करोड़ रुपए सैक्शन किए गए हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाए हैं, कुछ सवालों के बारे में तो मैंने चर्चा की है, लेकिन अन्य संबंधित उत्तर में उनको भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन को मालूम है, पूरक बजट के उत्तर के दौरान डाक्टर्स अगर ट्रेन से यात्रा करेंगे, तो उनको 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, ऐसा एलान किया गया था। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन उस रियायत का लाभ उठाने के लिए डाक्टर्स को जो कुछ कार्यवाही करनी थी, उसकी प्रक्रिया काफी जटिल हो गई थी। उसके बारे में रिप्रजेंटेशन आदि दिए गए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर को सिम्पलिफाई किया गया है। अब उनको एक फार्म भरकर देना होगा और मैडिकल काउन्किल आफ इंडिया द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की फोटोकापी लगानी होगी। यह माना जाता है, जब डाक्टर्स रियायत लेकर चलेंगे, तो दवायें लेकर चलेंगे। चिकित्सकों को रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए सम्मान दे रहे हैं। हम जानते हैं कि डाक्टर्स को दिए जाने वाले दस प्रतिशत रियायत से कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। यह एक सम्मान है, जैस्चर है, जो हम उनको दे रहे हैं। ऐसा देखा जाता है, जब भी रेलगाड़ी में किसी की तबीयत खराब होती है, तो डाक्टर्स अपनी तरफ से तत्काल सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही उनको मालूम होता है, कोई बीमार है, उनकी सेवा में वे उपस्थित हो जाते हैं और वे इस काम को करना अपना धर्म समझते हैं। सुविधा फार्म को सिम्पलिफाई किया जा रहा है। अभी श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने एक गाड़ी का जिक्र किया है, जो शांति निकेतन की तरफ जाती है। उसमें जो कुछ भी उन्होंने चर्चा में कहा और उन्होंने जो पत्र लिखा, वह सचमुच में ही अफसोसजनक है। मैं सबसे पहले तो रेल मंत्रालय की ओर से क्षमा मांगना चाहूंगा कि हमारे विभाग के कर्मचारियों द्वारा ठीक ढंग से जानकारी नहीं दी गई जिससे उन्हें तकलीफ हुई और उनके साथ यात्रा करने में लड़का छूट गया। इस बात से परेशान होकर उन्होंने चेन पुलिंग की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। यह जांच का विषय है। मैंने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दे दिये हैं। इस प्रकार से ट्रेन्स नहीं चल सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में और इमरजैंसी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर परिवार का कोई सदस्य चढ़ गया, या कोई बीमार है और दूसरा मैम्बर नहीं चढ़ सका तो ऐसी परिस्थिति में चेन का इस्तेमाल करते हैं। यदि चेन उस समय काम नहीं कर रही थी तो इस बात को गम्भीरता से लिया गया है। मैंने सदस्य (यातायात) से कहा है कि वे इस पर तत्काल कार्यवाही करें और सम्बद्ध रेलवे सर्विस के बारे में पूरी तहकीकात की जाये। फिर भी एक विद्वान अधिवक्ता हमारे बीच में नहीं रहा, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, उसके लिये मुझे अफसोस है। उनकी मृत्यु से हमें सबक मिलता है, हमें सबक लेना है। जहां कहीं सुविधा में इम्पलीमेंटेशन की आवश्यकता है,

वहां किया जाना चाहिये। हमने इस साल 'कस्टमर सैटिसफैक्शन ईयर' घोषित किया है। अगर इस प्रकार की घटनायें होंगी तो रेलवे की बदनामी होगी। इस प्रकार की बदनामी झेलने के लिये हम यहां नहीं बैठे हुये हैं। या तो परिस्थिति में सुधार किया जाये वरना यहां बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैं दिल की गहराइयों में जाकर, हमारे पास जो ताकत है, क्षमता है, उसका इस्तेमाल इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिये करेंगे। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने उसी परियोजना का पुन: उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: जहां तक हमारी योजना है, वह मैरिट पर हां कह दें तो वह हो जायेगा। आपने उस लैटर का एक्नालेजमेंट दिया था जो हमने आपको लिखा है इन्होंने पावती भेजने की कृपा की है। और पहले के पत्र के लिये अब विषयवस्तु को भी स्वीकार कीजिए।

श्री नीतीश कुमार: वह तो आपकी डबल लाइनिंग प्रोजैक्ट का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं, डबलिंग के अलावा बोलपुर स्टेशन के बारे में है।

श्री नीतीश कुमार: पहले यह करवा लीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: पहले आप सब कुछ करायेंगे।

श्री नीतीश कुमार: आप शिवराज पाटिल जी को खूब अच्छा नाश्ता कराते हैं, हमें भी नाश्ते पर बुलाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपको नाश्ता तो क्या, अच्छा डिनर देंगे।

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं रेलवे बजट के प्रथम चरण की बहस का जवाब दे रहा था, उस समय कई माननीय सदस्यों ने नई दिल्ली-हावड़ा के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस 2305 अप/2306 डाउन के बारे में कहा था। यह राजधानी अब ग्रांड क्राड से जायेगी यानी अब सप्ताह में मेन लाइन से दो दिन जाती है। इससे बिहार के सांसदों ने कई बार एतराज जताया। इसके लिये सबसे मिलकर निर्णय करना पड़ता है। हम उसमें आंशिक संशोधन कर रहे हैं। अब यह गाड़ी सप्ताह में एक दिन मेन लाइन से होकर जायेगी अर्थात् शुक्रवार को नई दिल्ली से हावड़ा के लिये मेन लाइन से होकर जायेगी और रविवार को हावड़ा से आने वाले सांसदों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ बिहार के सांसदों को भी सहूलियत हो सकेगी। इसलिये हमने यह संशोधन कर दिया है कि नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी सप्ताह में एक दिन पटना होकर जायेगी।

उपाध्यक्ष जी, पिछले रेल बजट के समय हमने क्लासिफिकेशन किया था। इसमें कई कौमोडीटिज में लौएस्ट क्लास 90 रखा था। एडिबल साल्ट 90 पर रखा था लेकिन पिछले पूरे साल में हमें कई रिप्रेजेंटेशन्स मिलते रहे, खासकर गुजरात से मिले हैं जिसमें कहा गया कि इसमें काफी वृद्धि हो गई है। जितने साल्ट उत्पादन करने वाले लोग हैं, अनरिफाइन्ड साल्ट खाने के काम आता है, उसमें लगे हुये लोग हैं, उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई है, बहुत नुकसान हो रहा है। यह भी बताया गया कि नमक के कार्य में लगे मजदूर लोग, जिन्हें अगड़िया कहा जाता है, उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि नमक देश के कुछ ऐसे क्षेत्रों तक सीमित है, खपत वाले केन्द्रों में काफी खराब स्थिति रहती है। इसलिये नमक उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिये हमने इस संबंध में निर्णय लिया है। क्लासिफिकेशन तो 90 ही रहेगा, लेकिन लम्बी दूरी के लिए सामान्य गैरपरिष्कृत यानी नान-रिफाइंड एडीबल साल्ट की माल भाड़ा दरों में कुछ दूरियों के आधार पर रियायत देने के बारे में हमने एक निर्णय लिया है। ताकि इस उद्योग में लगे हुए लोगों के सामने जो संकट आ गया है, उस संकट की स्थिति से वे निपट सकें। इसलिए जो रियायत योजना है, उसमें माल भाड़ा दरों में दूरी पर आधारित रियायत योजना का प्रस्ताव हम रख रहे हैं और इसके अंतर्गत 1001 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दस प्रतिशत की माल भाड़ा रियायत प्रदान की जायेगी, 1601 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर के लिए 15 प्रतिशत की रियायत, 2201 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 प्रतिशत की रियायत और 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जायेगी। ये रियायतें जनता द्वारा खाने में उपयोग किये जाने वाले गैरपरिष्कृत नमक यानी नान-रिफाइंड साल्ट की सामान्य किस्म पर ही लागू होगी, परिशोधित, रिफाइंड, ब्रांडेड या वैक्युम नमक पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। नान-रिफाइंड नमक जो खाने के काम में आता है, उसके लिए दूरियों के आधारपर रियायतों की योजना हम लागू करने का विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। ताकि इस काम में लगे हुए खासकर गुजरात में जो कच्छ इलाके के लोग हैं, उन इलाकों और दूरस्थ इलाकों में लगे हुए लोगों को जो कठिनाइयां आ रही थीं, उनका वे सामना कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका स्वागत किया जायेगा। यूं तो इसे हमने गत वर्ष किया था और हमारे गुजरात के माननीय सदस्यों ने पिछले साल कहा था। अभी हाल में हमने इसके बारे में विस्तृत समीक्षा की और हमें लगा कि कुछ रियायत देने से अगर उनका कुछ काम बन सकता है तो ऐसा किया जाए। इसलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा सबसे अधिक ध्यान सेफ्टी पर होगा। सेफ्टी पर हमने

[श्री नीतीश कुमार]

यहां व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया है और हमने लोगों के सामने अपनी कठिनाइयों को भी रख दिया है, हमारे सामने क्या मुद्दे हैं, इस पर सबको चर्चा करनी चाहिए तथा अपने सुझाव देने चाहिए, ताकि हम सेफ्टी की स्थिति में कुछ और सुधार ला सकें। चूंकि सेफ्टी के मामले में बहुत कुछ किया गया है। अगर आप व्हाइट पेपर देखेंगे तो आप पायेंगे कि अनेक प्रकार के नये एनिशिएटिव्ज लिये गये हैं। उन इनिशिएटिव्ज के अलावा भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम यह महसूस करते हैं कि कैसे हम इंडियन रेलवे के यात्रियों को सेफ बना सकें। इसके लिए सबके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी जिन लोगों के वक्तव्यों पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सका, उन्हें मैं लिखित तौर पर अपना रिस्पांस जरूर भेजूंगा। इसी के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि बजट प्रस्तावों को वह संस्तुति प्रदान करे। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: शांति निकेतन के बारे में एक बार भी नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल कालिदास वर्मा और श्री बिक्रम केशरी देव स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं पहले उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा और उसके बाद आपको।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसके पहले भी चर्चा में यह बात आई थी कि गुजरात में जूनागढ़ से भावनगर ब्राडगेज कंवर्शन होने के कारण ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, वहां तीन ट्रेनों के स्थान पर दो ट्रेनें कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप आठ विधान सभा क्षेत्र के कर्मचारी और मजदूर परेशान हैं और आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आपको इसका नोटिस भी दिया गया था और सूचित भी किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले तीन ट्रेनें थी, क्या वही पिछली वाली ट्रेनें फिर से चलाई जायेंगी और जो हंगर स्ट्राइक पर वहां के प्रेसीडेन्ट श्री महादेव देसाई, उनके साथी तथा विधायक बैठे हैं, एक दिन मैं भी उनके साथ जाकर बैठा था, वे आपसे इतना आश्वासन चाहते हैं कि जो पिछली तीन ट्रेनें थी, क्या वहीं ट्रेनें आप पुन: चालू करेंगे।

सायं 7.00 बजे

श्री नीतीश कुमार: गेज कनवर्शन है?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: वह मीटर गेज है। उसी में चलाना है और उसी में चलती थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने उड़ीसा के लिए काफी काम किया है। पूर्व तटीय क्षेत्र को उन्होंने साकार किया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उड़ीसा के कतिपय क्षेत्र अर्थात् दक्षिण पूर्वी भाग जहां सम्भलपुर मंडल है, पूर्णत: उपेक्षित रह गया है। हमने कई बार माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि विशाखापत्तनम से नई दिल्ली तक एक ही रेलगाड़ी है जिसे रोज चलाया जाए। रेलगाड़ी का नाम समता एक्सप्रैस है, यह उस पार्टी का नाम है जिस पार्टी के माननीय मंत्री हैं। इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अंत में, मैं बताना चाहता हूं कि चालू लांजगढ़ रोड से जूनागढ़ परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और 5 करोड़ रुपये का ही आबंटन किया गया है। यह उस क्षेत्र में बाक्साइट विकसित करने हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण लाइन है। क्या माननीय मंत्री यह बात स्पष्ट करेंगे कि क्या वे इस परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि देंगे?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में भी कहा था और नीतीश जी से सिर्फ एक ही सवाल अभी पूछना चाहता हूं कि जब कभी भी रेलवे ओवर ब्रिज बनने की बात होती है तो अधिकांश ब्रिजेज के मामले में रेल मंत्रालय से जवाब मिलता है कि राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। 50 प्रतिशत अंशदान रेलवे को होता है और 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का होता है। मैं समझता हूं कि उसमें राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। मैंने निवेदन किया था कि पत्र-व्यवहार करके या संबद्ध मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर इस सिलसिले में अगर वे चर्चा करवाएं तो इस काम को गति दी जा सकती है। मेरा विनम्र आग्रह है कि इस मामले में पहल करें और कोई बैठक बुलाकर राज्य सरकारें सहयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): पिछली बार भी मैंने उल्लेख किया था कि माननीय मंत्री ने अधूरी पड़ी एक परियोजना के संबंध में अधिकारियों को निदेश दिया था। उन्होंने इस परियोजना

का अध्ययन किया था। वह खण्ड तैयार है लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है अथवा कदम उठाए गए हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, जब रेल बजट पर आम चर्चा हो रही थी तो मैंने माननीय मंत्री को पत्र लिखा था कि सरकार द्वारा किए अनुरोध पर कुछ संसद सदस्यों ने समपार निर्माण के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। मेरे मामले में हावड़ा मंडल ने सब कुछ तैयार कर लिया और मुझे उसका अनुमान भी दे दिया। मैंने धनराशि जमा करा दी। धनराशि कलक्टर के पास पड़ी है। अब नए तर्क दिए जा रहे है और माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह मामले की जांच करेंगे। लेकिन इतना अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुझे इस विशेष मामले के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेलम से कुड्डालोर आमान परिवर्तन का कार्य पिछले सात वर्षों से लंबित पड़ा है और लोग हड़ताल पर है। माननीय राज्य मंत्री को इसके बारे में मालूम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है। क्या बजट पर आम चर्चा के बाद इसमें कोई प्रगति हुई है?

महोदय, मुझे शेष सुझाव सभापटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सीधे माननीय मंत्री को दिया जाना चाहिए न कि सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैंने अकालग्रस्त क्षेत्रों में घास भेजने के संबंध में एक मुद्दा उठाया था। यहां रेक उपलब्ध नहीं है। मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में रेक उपलब्ध कराए जाएं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: पंजाब के खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं का अंबार लगा हुआ है। क्या माननीय मंत्री इस अंबार के निपटान हेतु हमें विशेष रेलगाड़ियां देंगे ताकि हमारे गोदामों की स्थिति में सुधार हो और हम शीघ्रता से खाद्यान्नों का निपटान कर सकें?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामजी लाल सुमन ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो लैवल क्रासिंग के स्थान पर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज बनते हैं उनमें जो व्यस्त लैवल क्रासिंग हैं, खासकर टी.वी.यू. (ट्रेन विहीकल यूनिट) एक लाख से ऊपर है, उनमें रेलवे हिस्सेदारी करती है और इसके लिए एक फंड भी रेलवे के पास है जिसे रेलवे सेफ्टी फंड कहते हैं। डीजल और पेट्रोल के सैस से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसका एक हिस्सा देने के लिए, मैनिंग के लिए और कुछ सेफ्टी के दृष्टिकोण से तथा कुछ और कार्यों के लिए उस फंड में से धन दिया जाता है।

महोदय, इसमें नियम यही है कि जिसकी भी सड़क होती है, वह प्रस्ताव करता है और अगर एक लाख टी.वी.यू. से ज्यादा हो, तो रेलवे उसमें शेयर करता है। हमने अपनी तरफ से जहां तक मुझे स्मरण है, काफी पहले, सन् 2001 में ही तमाम मुख्य मंत्री महोदयों को पत्र लिखा था कि आपके राज्य में ये व्यस्त लैवल क्रासिंग हैं। यदि इन पर आप रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज का प्रस्ताव दें, तो हम कास्ट शेयर करने के लिए तैयार हैं। इस पर कई राज्यों से रेस्पांस आया। फिर मैंने कई राज्यों के साथ मामले को अपने स्तर पर टेक-अप किया और कई राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री जब दिल्ली आए, तो उनसे चर्चा हुई और कई राज्यों के मामले में स्थिति सुधरी तथा कई प्रोजैक्ट्स सैंक्शन हुए, जिनका रेलवे के वर्क्स प्रोग्राम में समावेश किया गया।

महोदय, लेकिन जो राज्य प्रस्ताव ही नहीं देते हैं, तो उनसे इसके लिए मैं अपनी तरफ से पहल करूं, यह सुझाव माननीय सदस्य रामजीलाल सुमन ने दिया है। मैं उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और एक बार मैं फिर अपनी तरफ से राज्यों से पहल करूंगा और मैं मुख्य मंत्रियों को पत्र पुन: लिखूंगा और यदि और जरूरत पड़ी, तो विभिन्न राज्यों के पथ निर्माण मंत्रियों की एक बैठक बुलाऊंगा। क्योंकि जितना फंड में हमारे पास पैसा है, वह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि हमारे पास प्रोजैक्ट्स नहीं आ रहे हैं या फिर सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं और जो सैंक्शन हैं उनका काम शुरू करने में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, लैंड एक्वीजीशन है। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव को स्वीकार करता हूं।

जहां तक रूप चन्द पाल जी ने जो कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि एम.पी. लोकल एरिया डैवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत जो भी लैवल क्रासिंग पहले से अनमैन्ड लैवल क्रासिंग हैं, उनको मैन्ड करने के लिए अगर एम.पी.एल.ए.डी.एस. से कोई सांसद पैसा देंगे, तो उसकी तो मैनिंग की ही जाएगी, उसके अलावा उनके क्षेत्र में इसी प्रकार का कोई अनमैन्ड क्रासिंग होगा, उसकी भी मैनिंग रेलवे अपनी तरफ से करेगा, यह स्कीम है। अब इसमें कहां बाधा आई है, मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा कि उसकी क्या स्थिति है। इनसे इसके बारे में पहले चर्चा हुई थी। मैं इसके बारे में तत्काल और जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री रूपचन्द पाल: जो कुछ करना है, जल्दी से कर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, और कई माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाए हैं। यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बात श्री वर्मा जी ने कही। उसके बारे में बैठकर उनसे चर्चा करके उनकी बात को समझूंगा और अधिकारियों को बुलाऊंगा। आप इस प्रकार से अचानक किसी भी जगह के बारे में चर्चा करते हैं और फिर मुझसे जवाब चाहते हैं। इस प्रकार से एकदम अकस्मात किसी सवाल का उत्तर देना कठिन होता है और कभी-कभी सम्भव भी नहीं होता है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में इन्हें हैंड टू हैंड पत्र दिया था।

श्री नीतीश कुमार: आपके पास अगर फुर्सत नहीं है, तो मैं क्या करूं। आप इससे इतने ज्यादा कंसर्न्ड हैं और आप ही थोड़ा समय नहीं निकालेंगे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं समय निकालने के लिए तैयार हूं, आप मेरे कार्यालय में आ जाइए। मैं अधिकारियों को बुलाकर पूछूंगा और समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान को निकाला जाएगा। अब इस प्रकार से आप अचानक पूरे देश की किसी एक रेल लाइन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अचानक और अकस्मात उत्तर देना सरल नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप मंत्री जी के साथ कल ही उनके कार्यालय में जाकर मिलें और इस समस्या का समाधान निकालें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं आपके पी.एस. से भी मिला था।

श्री नीतीश कुमार: आप इस सबके बारे में यहां चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपके पास अगर फुर्सत हो, तो मेरे पास बैठिए। यदि आपके पास फुर्सत ही नहीं है, तो यह बड़ी विचित्र बात है कि आप फुर्सत भी न निकालें और मेरे साथ बैठें भी नहीं, तो समस्या का हल कैसे निकलेगा। मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपकी समस्या क्या है, पहले उसे मुझे समझने दीजिए। जब मैं उसे समझ लूंगा, तो जो भी उचित कदम होगा, उसे उठाने के लिए मैं तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से माननीय सदस्यों को ज्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अधिक से अधिक लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिकायतों को हल करने का प्रयास करता हूं, लेकिन कतिपय माननीय सदस्य हैं जिनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि वे मेरे पास बैठकर समस्या मुझे समझाएं। चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी को एग्जामिन करने के बाद रिप्लाई दिया जाता है। वह जब एग्जामिन होकर आएगा तब हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। लोग एजिटेट हो रहे हैं, कोई समस्या है, कार्यवाही की जरूरत है तो उस पर हम बैठ कर चर्चा करेंगे। अगर संभव होगा तो हम जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक समस्याओं पर चर्चा न करें तब तक कैसे रास्ता निकल सकता है। जहां तक किसी भी सूखा प्रभावित क्षेत्र में चारे या पानी के मूवमेंट का सवाल है, आप जानते हैं कि इसके लिए हम प्राथमिकता देकर इस काम को कर रहे हैं। हम बिना कोई पैसा लिए हुए पानी ढो रहे हैं और मुफ्त में चारा भी ढो रहे हैं तथा उसे काफी प्राथमिकता दे रहे हैं। चारों तरफ से मांग है। हमारे पास जितने रैक एवेलेबल हैं, उस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैंक वैगंस उपलब्ध नहीं हैं तो फ्लेट वैगंस पर सिनटैक्स टैंक रख कर हम ढोने के लिए तैयार हैं। जहां कहीं भी इस प्रकार की बात आती है तो हम अपने स्तर पर देखते हैं और सभी कंसर्न्ड जनरल मैनेजर्स को निर्देश दिया गया है कि इस काम को तत्काल करें। इसके लिए सरकारी एजेंसी को इंडेंट करना पड़ता है और कौन रिसीव करेगा, वह भी सरकारी एजेंसी होनी चाहिए, इस बात का सिर्फ ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कोई प्राईवेट चारा हम मूव नहीं करेंगे। अगर सरकार या सरकार की एजेंसी इंडेंट करती है तो हम चारा मूव करते हैं। फिर भी कहां समस्या हुई है, इसे मैं व्यक्तिगत तौर पर देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ रैक मूवमेंट को लेकर भी सवाल आया है। जहां सूखा पड़ा है वहां सूखे से राहत पहुंचाने के लिए पानी और चारा हम ढो रहे हैं, उसे प्राथमिकता देनी है। सूखा प्रभावित इलाकों में फूडग्रेन का मूवमेंट है और खास कर उत्तर के उन इलाकों में फूडग्रेन मूवमेंट है, जो डेफिशिएंट एरिया है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट का जो कमिटमेंट है, वह मूवमेंट किया हुआ है। एफसीआई के किस अधिकारी ने क्या कहा, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह भी सरकारी एजेंसी है। मैं इस बारे में संसद में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कभी-कभी रैक रूकते हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो रेलवे पर डाल देते हैं, ऐसा करना बहुत आसान है। रेल के लिए वैगन रैक नहीं दे रहे हैं। अचानक रैक की जो मांग बढ़ी है-एक सूखे के चलते फुडग्रेन के लिए और इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए, सब कुछ एक्सपोर्ट होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इराक को अगर कुछ भेजना है तो उसे फूडग्रेन मूवमेंट में प्रायरटी देनी पड़ेगी। सूखा पड़ने के कारण हमारे रिजरवायर्स का लेवल नीचे चला गया है। इसके चलते हाइडल पावर जेनरेशन कम होगा तो अचानक हमारे जो थर्मल प्लांट हैं, उनमें अचानक कोयले की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। रैक की मांग बढ़ गई है, हर आदमी चाहता है कि हमें तुरंत रैक मिल जाएं, लेकिन उसमें एक प्रायोरिटी फिक्स की जाती है, जो पहले इंडेंट करता है उसे पहले रैक प्रदान किया जाता है। इसके लिए पूरी कोशिश

की जा रही हैं, बैटर मैनेजमेंट और रेक के बेहतर युटिलाइजेशन के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा देश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, यह हमारी कोशिश होती है। फिर भी कुछ शिकायतें आई हैं तो मैंने मेम्बर (ट्रेफिक) को अपने स्तर पर देखने के लिए कहा है। रैक में अगर कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं तो हमने उन्हें कहा है कि आप इसे व्यक्तिगत स्तर पर देख लें कि किस क्षेत्र में रैक मूवमेंट में क्या दिक्कत है। नार्थ-ईस्टर्न रीजन के बारे में संतोष मोहन देव जी ने कहा। हमारे पास जब भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा है कि रैक के अलाटमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए और एक मापदंड के आधार पर रैक का अलाटमेंट होना चाहिए। यह एक ट्रांसपोर्टर के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज से डेढ़-दो साल पहले रेलवे के लोग मक्खियां मार रहे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि चारों तरफ से दबाव है कि हमारा माल पहले ढोओ। यह हमारे लिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इस पूरी स्थिति में कोई नाजायज फायदा न उठाए, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए हमने मेम्बर (ट्रेफिक) को कहा है कि इस चीज को पूरे तौर पर अपने स्तर पर मोनिटर करें और मुझे वे समय-समय पर उसकी जानकारी देते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव को संसद संस्तुत करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यों द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की मांगे (रेलवे) हेतु अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभा में मतदान हेतु सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रख सकता हूं?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में 100 रुपये कम किये जाएं।

संपूर्ण देश में रेलवे की भूमि को फेरी वालों को पट्टे पर दिये जाने की आवश्यकता। (1)

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को रियायती सीजन टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता है। (2)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों से हटाए गए रेलवे के सभी फेरीवालों को पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता। (3)

दक्षिण पूर्व रेलवे के मिदनापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (4)

दक्षिण पूर्व रेलवे के मिदनापुर स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 के बीच 'सब-वे' का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (5)

2815/2815 पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी में संसद सदस्यों तथा विधायकों के लिए विशेष कोटा 4 से बढ़ाकर 8 किए जाने की आवश्यकता। (6)

मिदनापुर तथा गोकुलपुर रेलवे स्टेशन के बीच कोसी नदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (7)

5712 न्यू जलपाईगुडी-आसनसोल एक्सप्रेस रेलगाड़ी को, बरास्ता मिदनापुर, खड़गपुर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (8)

रेलवे के फेरीवालों को लाईसेंस जारी किये जाने की आवश्यकता। (9)

8475/8476 नई दिल्ली-पुरी, नीलांचल एक्सप्रेस का दक्षिण पूर्व रेलवे के कोण्टाई रोड रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने की आवश्यकता। (10)

2821/2822 हावड़ा-भूवनेश्वर धौली एक्सप्रेस का दक्षिण पूर्व रेलवे के कोण्टाई रोड रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने की आवश्यकता। (11)

खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 6 तथा 3 पर 'सब वे' का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (12)

चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा वैगनों की खरीद के लक्ष्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (13)

रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब को रोकने हेतु निधियों का समय पर आवंटन किए जाने की आवश्यकता। (14)

2816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान समय 0630 बजे के बजाय 0800 बजे किए जाने की आवश्यकता। (15)

[श्री प्रबोध पण्डा]

दक्षिण पूर्व रेलवे के कोण्टाई रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'बेलदा' रेलवे स्टेशन किये जाने की आवश्यकता। (16)

दीघा तथा तमलुम के बीच नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (17)

खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टरों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (18)

मिदनापुर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटरों की संख्या बढ़ाने जाने की आवश्यकता। (19)

खड़गपुर-न्यू जलपाईगुड़ी, बरास्ता बांकुरा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किये जाने की आवश्यकता। (20)

चैन्नई तथा केरल जाने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मरीजों के लिए एक विशेष कोच लगाये जाने की आवश्यकता। (21)

द्वितीय श्रेणी शयनयान के यात्री किराये को कम किये जाने की आवश्यकता। (22)

मिदनापुर और झारग्राम रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (23)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.01.-04.03.01) में 100 रुपये कम किये जाएं।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कोण्टाई रोड तथा दांतन रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता। (24)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.01-11.03.01) में 100 रुपये कम किए जाएं।

खड़गपुर डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (25)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.01-04.03.01) में 100 रुपये कम किये जाएं।

मिदनापुर स्टेशन के पास रेल लाइन पर स्वीकृत ऊपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता। (26)

आई.आई.टी., खड़गपुर में पुरी गेट के पास ऊपरि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता। (27)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में 100 रुपये कम किए जाएं।

हावाड़ा-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को बरास्ता खड़गपुर, मिदनापुर, बांकुरा और पुरूलिया, शुरू किए जाने की आवश्यकता। (28)

कटक से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को कोण्टाई रोड स्टेशन तथा दांतन स्टेशन पर ठहराव किए जाने की आवश्यकता।(29)

नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर माल भाड़े में कमी किए जाने की आवश्यकता। (30)

मिदनापुर, खड़गपुर, गिरिमैदान, खेमसुली, कोसई हाल्ट, कोण्टाई रोड, दांतन और हिज्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (31)

पश्चिम बंगाल के सभी रेलवे स्टेशनों का समुचित रख रखाव किए जाने की आवश्यकता। (32)

मिदनापुर स्टेशन के रामगमटी पर सड़क उपरिपुल के लिए धनराशि के मौजूदा आवंटन की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (33)

खड़गपुर और टाटा नगर रेलवे स्टेशनों के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने जाने की आवश्यकता। (34)

मिदनापुर और खड़गपुर स्टेशन के बीच कोसई हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (35)

खड़गपुर की रेलवे वर्कशाप का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (36)

रेलवे की खाली पड़ी भूमि का रचनात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की आवश्यकता। (37)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.01.-04.03.01) में 100 रु. कम किए जाएं।

खेमसूली को खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत एक पूर्ण सुविधा सम्पन्न स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता। (38)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.04.04) में 100 रु. कम किए जाएं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बांकुरा-दामादोर वैली रेल लाइन के निर्माण के लिए धनराशि में मौजूदा आवंटन को 25 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (39)

तामलुक-दीघा रेल लाइन को पूरा करने के लिए धनराशि के मौजूदा आवंटन को 15 करोड़ रु. से बढ़ाकर 50 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (40)

पंसकुरा-हल्दिया रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनराशि के मौजूदा आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (41)

24/26 कोचों वाली रेलगाड़ियों को चलाने के लिए मिदनापुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों के विस्तार हेतु धनराशि के आवंटन को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. किए जाने की आवश्यकता। (42)

कोण्टाई रोड पर समपार-पथ के स्थान पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 3 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (43)

झारग्राम में सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के मौजूदा आवंटन को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 4 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (44)

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़कपुर डिवीजन में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच कोसई पुल के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए पुल के निर्माण की आवश्यकता। (45)

दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच बरास्ता गिरिमैदन दोहरी रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (46)

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कोण्टाई रोड पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (47)

दक्षिण-रेलवे के पंसकुरा और खड़गपुर स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (48)

दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और बालासोर के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (49)

बालीचक पर समपार-पथ के स्थान पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 4 रु. किए जाने की आवश्यकता। (50)

खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत खरीदा में सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 3 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (51)

मिदनापुर के दक्षिणी छोर पर रंगामती में समपार-पथ के स्थान पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन को 60 लाख रु. से बढ़ाकर 2.50 करोड़ रु. किए जाने की आवश्यकता। (52)

आईआईटी खड़गपुर के समपार-पथ के स्थान पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन में 2 लाख रुपए की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (53)

खड़गपुर में 100 लोको डीजल लोको शेड को परिवर्तित करके एक नया इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थापित करने के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।(54)

खड़गपुर में जल उपचार संयंत्र के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (55)

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत कोसई हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (56)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड के शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता। (122)

रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। (123)

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने में असफलता। (124)

रेल यात्रा के लिए वहनीय किराया निर्धारित करने में असफलता। (125)

पश्चिम बंगाल की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं तथा दिशा-जनलुक, एकलाखी-बलूरघाट, बड बज-नानखाना को पूरा किये जाने में असफलता। (126)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में 100 रुपये कम किये जायें।

हावड़ा-वर्धमान कार्डलाइन पर बेलगुड़ी और शिबाईचण्डी के बीच हाथीगोला (ओहामियाखाली) पर एक ठहराव दिये जाने की आवश्यकता। (127)

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के हावड़ा बन्डेल खण्ड में भद्रेश्वर और वैद्यवाटी के बीच खूनीगाछी में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (128)

गया होते हुए हावड़ा से दिल्ली के बीच सप्ताह के सभी दिनों में राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता।(129)

पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्डेल-वर्धमान, हावड़ा-कटवा, हावड़ा-तारकेश्वर, बन्डेल-नैहाटी खण्डों में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (130)

[श्री रूपचन्द पाल]

कोलकाता मेट्रो रेल को दम-दम से बैरकपुर और दम-दम से साल्ट लेक और कोलकाता एयरपोर्ट तक बरास्ता राजरहाट और हावड़ा में गंगा के दूसरी ओर रामराजा टोला तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (131)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.01-04.03.01) में 100 रुपये कम किये जाएं।

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बगारपारा सब-वे और प्लेटफार्म सब-वे में जल-भराव की समस्या के समाधान के लिए पानी की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (137)

हुगली, चिनुइरा, चांदर नगर, मतीकुंडू, भद्रेश्वर, सिरामपुर रेलवे स्टेशनों पर भूमिगत मार्ग में पानी की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (138)

पूर्व रेलवे के बन्डेल नैहाटी ब्रांच लाइन में गैरिटा (24 परगना) और हुगली घाट (हुगली) के बीच के जुबली पुल की मरम्मत या उसका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता।(139)

बन्डेल हावड़ा और हावड़ा-वर्धमान कार्ड में बन्डेल स्टेशन, चिनसुरा, चांदनगर, हुगली और कुछ अन्य स्टेशनों को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता। (140)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.04.04) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पूरे देश में रेल पथों के नवीकरण को पूरा किए जाने असफलता। (141)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.04.04) में 100 रुपये कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्डेल स्टेशन पर उपरि पैदल पार पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (142)

हावड़ा वर्धमान कार्ड और तारकेश्वर ब्रांच लाइन के बीच नालीकुल और कमासकुंडू के आसपास लिंक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (143)

हावडा-बन्डेल-वर्धमान और हावड़ा वर्धमान कॉर्ड लाइन के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (144)

हावड़ा-वर्धमान कॉर्ड लाइन में चांदपुर रेलवे स्टेशन के पास चन्दनपुर में एक नये लेवल क्रासिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (145)

सेवड़ाफुली और तारकेश्वर के बीच दोहरी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (146)

बन्डेल-कटवा खण्ड में दोहरी लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (147)

अत्यंत पुराने रेकों और वैगनों को तुरंत बदले जाने की आवश्यकता। (148)

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के बन्डेल, चिनसुरा, हुगली, चांदनगर, भद्रेश्वर, मनकुंडू आदि सप्तग्राम, मोगरा, जालांडु, त्रिवेणी, बांसबेजिया, कुंतीघाट, सेवड़ाफुली, तारकेश्वर, हरिपाल, सिंगूट, नालिकुल, कमारकुंडु, हावड़ा, सियालदह, नैहाटी, हुगली घाट, बेलमुरी, सिबाईचांदी, गुराप, बलरामवाटी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (149)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) में 100 रुपये कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे, तारकेश्वर-बिशनुपुर रेलवे लाइन बरास्ता आरामबाग के शीघ्र/निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (132)

पूर्व रेलवे की सेवड़ाफुली-तारकेश्वर दोहरी लाइन को शीघ्र पूरी करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (133)

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के उपनगरीय और कॉर्ड खण्ड में नई ई.एम.यू. रेक शुरू किए जाने की आवश्यकता। (134)

2301 कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस को रविवार को हावड़ा से और शुक्रवार को नई दिल्ली से चलाए जाने की आवश्यकता। (135)

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत कमारकुंडु पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (136)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.04.04) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बरडेल-कटवा रेल खंड के दोहरी लाइन के कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (150)

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01.-01.02.01) में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार में शेखपुरा रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (236)

बेगूसराय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत मनकठा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (237)

करौता-पाथेर हाल्ट पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (238)

बिहार के बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (239)

शेखपुरा स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण-कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (240)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.01.-12.03.01) में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार में चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधा की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (241)

शेखपुरा स्टेशन पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (242)

शेखपुरा स्टेशन पर खान-पान की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (243)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01.-16.04.04) में 100 रुपये कम किये जायें।

बिहार में सभी रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू किए जाने की आवश्यकता। (247)

सरारी रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (248)

सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (249)

पटना और शेखपुरा के बीच एक इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (250)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.01-01.02.01) को कम करके 1 रुपया कम किया जायें।

रेल पटरियों के निकट स्थित रेलवे की भूमि का लाभप्रद तरीके से उपयोग किए जाने के लिए एक नीति बनाए जाने में असफलता। (298)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.01.-12.03.01) में 100 रुपये कम किये जायें।

बेगूसराय में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाए जाने की आवश्यकता। (299)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (300)

रेलवे में होने वाली चोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (301)

रेलवे क्रासिंग पर प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता। (302)

रेल दुर्घटनों में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि दिए जाने की आवश्यकता। (303)

बेगूसराय के रेलवे क्रासिंग पर एक अतिरिक्त उपरि पुल का निर्माण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (304)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउंटर की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (305)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वाटर कूलर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (306)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त ओवरहेड शेडों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (307)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सफाई और अनुरक्षण की आवश्यकता। (308)

बिहार से दिल्ली को जाने वाली गाड़ियों में हिजड़ों का आतंक समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (309)

नई दिल्ली और बेगूसराय के बीच संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी एक सीधी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (310)

[श्री राजो सिंह]

बेगूसराय रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्मों पर ढकी हुई पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (311)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन के भवन में सुधार और उसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (312)

बिहार में सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के और डिब्बे लगाए जाने की आवश्यकता। (313)

गया से पटना के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण तुरंत किए जाने की आवश्यकता। (314)

यात्री किराये और आवश्यक वस्तुओं की दुलाई दरों में कमी किए जाने की आवश्यकता। (315)

बेगूसराय से हावड़ा तक जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (316)

बेगूसराय में गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा और कैंसर की जांच तथा इलाज के विशेष उपचार सहित एक पूर्णत: सुसज्जित रेलवे अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (317)

बेगूसराय डिवीजन के अंतर्गत सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (318)

बेगूसराय से पटना तक एक नई फास्ट पैसेंजर गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (319)

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर राज्य सरकार की सहायता से किसानों के लिए विशेष शीतागार सुविधाओं और गोदामों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (320)

पटना से नई दिल्ली तक के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया घटाए जाने की आवश्यकता। (321)

सभी कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की मांग (रेलवे) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.16 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2003*—*पारित*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विनियोग (रेलवे) विधेयक पर विचार करेगी।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): यह विनियोग (रेलवे) विधेयक पारित किया जा रहा है। हम सदस्य यहां बैठे हैं। रेल मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि कैंटीन खुली रहे। यहां कुछ नहीं है। हमें भूख लगी है। हम इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। कैंटीन को खुला रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव** करता हूं:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 31.4.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 अप्रैल, 2003/2 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.33.24/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।